FOR REFERENCE ONLY
NOT TO BE ISSUED

तेरहवीं लोक सभा, खंड 8, अंक 5

शुक्रवार, 28 जुलाई, 2000
6 श्रावण, 1922 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

चौथा सत्र

(तेरहवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY
No. D 61
Date 4/2/2001

(खण्ड 8 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा० अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव

हरनाम सिंह
संयुक्त सचिव

प्रकाश चन्द्र भट्ट
प्रधान मुख्य सम्पादक

जे०एस० वत्स
सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

अरुणा वशिष्ठ
सहायक सम्पादक

गोपाल सिंह चौहान
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)

शुक्रवार, 28 जुलाई, 2000/6 श्रावण, 1922 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
116	14	[illegible] '920'	929
168	7	भेल दारार	भेल दारा
352 353	6, 18 2	संविधान (संधोशन) विधेयक	संविधान (संशोधन) विधेयक
353	14	चलचित्र (संधोशन) विधेयक	चलचित्र (संशोधन) विधेयक
388	16	श्री ए.टी.जोस	श्री ए.सी.जोस

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 8, चौथा सत्र, 2000/1922 (शक)]

अंक 5, शुक्रवार, 28 जुलाई, 2000/6 श्रावण, 1922 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 81 और 82	1-25
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 83 से 100	25-54
अतारांकित प्रश्न संख्या 862 से 1091	55-283
सभा पटल पर रखे गए पत्र	283 295
गृह कार्य सम्बन्धी स्थायी समिति	
छियासठवां प्रतिवेदन और साक्ष्य	295-296
सभा का कार्य	296-299
प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य	
पूर्व केन्द्रीय विधि मंत्री द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और महान्यायवादी के संबंध में की गई टिप्पणीयों के बारे में	
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	299-300
लौह और इस्पात कम्पनी (समामेलन और विधि ग्रहण) निरसन विधेयक	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी . .	324
श्री बसुदेव आचार्य	324
श्री ई०एम० सुदर्शन नाच्चीयपन	330
श्री गिरधारी लाल भार्गव	330
श्री सुनील खां	331
प्रो० रासा सिंह रावत . . .	333
डा० नीतिश सेनगुप्ता	333
श्री सुदीप बंद्योपाध्याय	334
खण्ड 2 और 1	337
पारित करने के लिए प्रस्ताव	337
सीमा सुरक्षा बल (संशोधन) विधेयक	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री ईश्वर दयाल स्वामी	337
श्री समर चौधरी	338

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के छठे प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	339
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक—*पुरः स्थापित*	
(एक) अनिवार्य मतदान विधेयक	
श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी	340
(दो) निस्सहाय बालक (पुनर्वास और कल्याण) विधेयक	
श्री कृष्णमराजू	340
(तीन) ग्रामीण क्षेत्र (विद्युत प्रदाय) विधेयक	
श्री रामदास आठवले	341
(चार) निराश्रित महिला कल्याण विधेयक	
श्री रामदास आठवले	341
(पांच) वार्धक्य पेंशन और पुनर्वास विधेयक	
श्री रामदास आठवले	342
(छह) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 39 का संशोधन)	
श्री रामदास आठवले	342
(सात) अर्जित प्रतिरक्षण न्यूनता संलक्षण (एड्स) निवारण विधेयक	
डा० वी० सरोजा	343
(आठ) वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक (धारा 2 का संशोधन, आदि)	
डा० वी० सरोजा	343
(नौ) राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) विधेयक (अनुसूची का संशोधन)	
श्री तिरूनावकरसू	344
(दस) संविधान (संशोधन) विधेयक (नये अनुच्छेद 16 क का अंतःस्थापन)	
डा० वी० सरोजा	344
(ग्यारह) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग (सेवाओं में आरक्षण) विधेयक,	
श्री सुशील कुमार शिंदे	344
(बारह) परिसंकटमय नियोजन में बालक श्रम की समाप्ति विधेयक	
श्री सुशील कुमार शिंदे	345
(तेरह) धर्म की स्वतंत्रता (निर्बंधनों का हटाना) विधेयक	
श्री जी०एम० बनातवाला	345
(चौदह) पंजाब नगर निगम विधि (चंडीगढ़ पर विस्तार) (संशोधन) विधेयक	
श्री रतन लाल कटारिया	350

विषय		कॉलम
(पन्द्रह)	धार्मिक स्थल (धर्म की स्वतंत्रता पर निर्बंधन का हटाया जाना) विधेयक	
	श्री जी०एम० बनातवाला .	351
(सोलह)	संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, (अनुसूची का संशोधन)	
	डा० रघुवंश प्रसाद सिंह . .	351
(सत्रह)	संविधान (संशोधन) विधेयक (नये अनुच्छेद 151 क से 151 ग का अंत: स्थापन)	
	श्री विलास मुत्तेमवार	352
(अठारह)	संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 324 का संशोधन)	
	श्री विलास मुत्तेमवार	352
(उन्नीस)	संविधान (संशोधन) विधेयक (नये अनुच्छेद 75 क और 164 क का अंत: स्थापन)	
	श्री विलास मुत्तेमवार . . .	353
(बीस)	चलत्रित (संशोधन) विधेयक (धारा 5 ख का संशोधन)	
	श्री सुबोध मोहिते	353
(इक्कीस)	विवाह का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण विधेयक	
	श्री सुबोध मोहिते	353
(बाईस)	भारतीय चिकित्सा विकास निगम विधेयक	
	श्री सुबोध मोहिते	354
अंतर्राज्यीय नदियों का राष्ट्रीयकरण विधेयक		
विचार करने के लिए प्रस्ताव		
	श्री वैको	355
	श्री ई०एम० सुदर्शन नाच्चीयपन	364
	डा० नीतिश सेनगुप्ता	367
	श्री खारबेल स्वाइं	369
	प्रो० रासा सिंह रावत	372
	श्री वरकला राधाकृष्णन.	376
	श्री सिमरन जीत सिंह मान.	383
	डा० सुशील कुमार इन्दौरा	385
	श्री ए०सी० जोस	387-390

लोक सभा

शुक्रवार, 28 जुलाई, 2000/6 श्रावण, 1922 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

श्री माधवराव सिंधिया (गुना) : महोदय, कल हमने एक अत्यन्त गंभीर मामला उठाया था। हमने कहा था कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद लोक सभा के प्रति उत्तरदायी हैं। अत: प्रधानमंत्री को वस्तुस्थिति को स्पष्ट करने के लिए सभा में वक्तव्य देना चाहिए। हमने कल भी इस बात पर काफी बल दिया था। आज फिर समाचारपत्रों में कई वरिष्ठ विधि अधिकारियों, पूर्व कानून मंत्री और न्यायपालिका के परस्पर विरोधी वक्तव्य छपे हैं। न्यायपालिका और कार्यपालिका में विरोध पैदा हो रहा है। यह अत्यन्त गंभीर मामला है जो कि आधारभूत व्यवस्था को क्षीण कर रहा है...*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : महोदय, यह मामला अत्यन्त गंभीर है। कल और आज भी, विपक्ष ने यह मांग की है कि प्रधानमंत्री सभा में आएं तथा इस पर वक्तव्य दें। मैंने प्रधानमंत्री से बात की है। प्रश्न काल की समाप्ति के बाद वह इस सभा में आएंगे तथा इस विषय पर वक्तव्य देंगे, जैसा कि विपक्ष चाहता है। मेरा अनुरोध है कि प्रश्न काल को यथावत चलने दिया जाए क्योंकि विपक्ष की मांग स्वीकार कर ली गई है। प्रधानमंत्री स्वयं आकर वक्तव्य देंगे...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री कांति लाल भूरिया (झाबुआ) : अध्यक्ष महोदय, प्राइम मिनिस्टर साहब का बयान कराइए।...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.02 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

राज्यों को वित्तीय सहायता

+

*81. **श्री हन्नान मोल्लाह :**
डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य वित्तीय संसाधनों के संकट का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों की ओर से अपने वित्तीय संकट का समाधान करने के लिए वित्तीय सहायता के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन पर सरकार द्वारा राज्य-वार क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(क) से (घ) पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के कारण वर्ष 1999-2000 में राज्यों की अर्थोपाय समस्याएं एकाएक बढ़ गई हैं। कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने सामान्य तथा विशेष राहत के लिए भारत सरकार को लिखा था। राज्यों के रोकड़ प्रवाह में विषमता को कम करने के लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :-

1. योजनागत सहायता; लघु बचत ऋण और केन्द्रीय करों में हिस्सेदारी को अग्रिम रूप से जारी करना;
2. कुछ महीनों के लिए देनदारियों की पुनरअदायगी को आस्थगित किया जाना;
3. वर्ष के दौरान अर्थोपाय अग्रिम उपलब्ध कराना; और
4. उन तेरह राज्यों, जिन्होंने भारत सरकार के परामर्श से राजकोषीय सुधार कार्यक्रम अपनाए हैं, को विस्तारित अर्थोपाय अग्रिम और अतिरिक्त बाजार ऋण प्रदान किया गया था। जिन अन्य राज्यों ने अर्थोपाय सहायता के लिए केन्द्र से सम्पर्क किया उन्हें भी जरूरत के आधार पर साल भर में सहायता मुहैया कराई गई।

श्री हन्नान मोल्लाह : महोदय, हमारे अर्द्धसंघीय तंत्र में अर्थव्यवस्था जरूरत से ज्यादा केन्द्रीकृत है तथा राज्य की अर्थव्यवस्था धन की कमी से लाचार रहती है। इसीलिए विगत 50 वर्षों से राज्य यह मांग करते रहे हैं कि उन्हें और अधिक वित्तीय शक्तियां दी जाएं। इस विषय पर मैं चाहता था कि राज्यवार जानकारी दी जाए लेकिन दिया गया वक्तव्य अत्यन्त संक्षिप्त है तथा इसमें अपेक्षित जानकारी विस्तार से नहीं दी गई हैं। अब मैं, चाहता हूं कि इस पर एक विस्तृत वक्तव्य दिया जाए।

जैसा कि सब जानते हैं योजना निधि, विकास के लिए धन आबंटन का एक तरीका है। राज्यों को केन्द्रीय योजना निधि से दिया गया धन सदैव अपर्याप्त होता है तथा यह लक्ष्य के अनुसार आबंटित नहीं किया जाता है। सामान्यत:, राज्य सरकारें वास्तविकताओं को ध्यान में रखकर गहन विचार-विमर्श करके अपनी योजनाएं बनाती हैं। वे योजना और बजट तैयार करती हैं। लेकिन योजना आयोग जो कि कानूनी सांविधिक निकाय नहीं है, मनमाने तरीके से निधि में कमी कर देता है। उसके लिए कोई मापदण्ड नहीं है क्योंकि योजनाएं उसके द्वारा तो बनाई नहीं जाती हैं। राज्य सरकारों द्वारा वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखकर उचित योजनाएं बनाई जाती हैं लेकिन योजना आयोग मनमाने

तरीके से योजना का आकार घटा देता है और इस कारण राज्यों को उनके द्वारा मांगी गई धनराशि के कुछ भाग की ही स्वीकृति प्रदान की जाती है। इसलिए राज्य सरकारों द्वारा विस्तृत विचार-विमर्श के बाद तैयार की गई योजनाओं के कार्यान्वयन में कठिनाई आती है।

इसमें पारदर्शिता एवं विचार-विमर्श का अभाव है। केवल योजना आयोग मनमाने तरीके से निधि आबंटन के संबंध में निर्धारण करता है। इन परिस्थितियों में मैं यह जानना चाहता हूं कि मापदण्ड के आधार क्या हैं। राज्यों द्वारा तैयार की गई योजनाओं को केन्द्र सरकार और योजना आयोग द्वारा शत-प्रतिशत स्वीकार नहीं किया जाता। पूरे देश से उठ रही इस आवाज, कि राज्यों को और अधिक वित्तीय शक्तियां तथा स्वायतत्ता दी जाए, पर क्या केन्द्र सरकार विचार करेगी।

अध्यक्ष महोदय : श्री हन्नान मोल्लाह यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई अन्य सदस्य भी इस विषय पर अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहेंगे।

श्री हन्नान मोल्लाह : मैं चाहता हूं कि इन मुद्दों पर मंत्री महोदय स्पष्टीकरण दें।

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : महोदय, आयोजना का विषय मंत्रालय से प्रत्यक्षत: जुड़ा हुआ नहीं है। इसके लिए एक अलग ... है। लेकिन इस देश में आयोजन की प्रक्रिया के बारे में मुझे जो जानकारी है उसके आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि यह आरोप कि इस संबंध में अपारदर्शिता है और बिना विचार-विमर्श के निधि का आबंटन किया जाता है, यह सही नहीं है। क्योंकि जैसा कि सब जानते हैं कि राज्य की पंचवर्षीय योजना, योजना आयोग के परामर्श से ही बनाई जाती है तथा पंचवर्षीय योजना की समग्र सीमा के अन्तर्गत आने वाली वार्षिक योजना भी संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री तथा योजना आयोग के बीच विस्तृत विचार-विमर्श के बाद बनाई जाती है और तदनुसार योजना के लिए धन का आबंटन किया जाता है। एक निश्चित पद्धति के अनुरूप प्रत्येक वर्ष योजना आयोग को धन का आबंटन किया जाता है जिसे योजना के लिए सकल बजटीय सहायता कहते हैं। इसमें से योजना आयोग धन का बंटवारा राज्यों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों के बीच करता है और राज्यों के लिए आबंटित धन में से राज्य सरकारों की योजनाएं बनाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा भी केन्द्र एवं केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए राज्य सरकार को धन का आबंटन किया जाता है। इसके लिए अत्यन्त पारदर्शी एवं सुनियोजित मापदण्ड है जिसे गाडगिल-मुखर्जी फार्मूला कहा जाता है। यह फार्मूला कई वर्षों से लागू है और सारा बंटवारा इस पारदर्शी मापदण्ड के अनुसार किया जाता है। सदस्य महोदय का यह कथन कि योजना आयोग एक असांविधिक निकाय है, सही है। लेकिन यह इस तरह का निकाय है जो राज्य सरकारों द्वारा भारत सरकार से योजना के लिए और अधिक धन प्राप्त करने में सहयोग देने के लिए बनाया गया है।

श्री हन्नान मोल्लाह : महोदय, जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा कि केन्द्र द्वारा धन का आबंटन केन्द्र-प्रायोजित योजनाओं के जरिए किया जाता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार केन्द्र-प्रायोजित योजनाओं के लिए आबंटित समस्त धनराशि को शुरू में ही राज्य सरकारों को देने के बारे में विचार करेगी क्योंकि हमें मालूम है कि वित्तीय कठिनाई के कारण सभी राज्य—13 राज्य—वित्तीय संकट से उबरने के लिए केन्द्र सरकार के पास आए हैं। वह समतुल्य अनुदान की व्यवस्था नहीं कर पाए हैं और इस शर्त के रहते हुए राज्यों द्वारा उन्हें देय धनराशि का बहुत बड़ा हिस्सा उपयोग में नहीं लाया जा सका। इस संदर्भ में यह उचित होगा कि बिना किसी शर्त के सारा धन राज्यों को दे दिया जाए।

दूसरे, अब ग्यारहवें वित्तीय आयोग की संस्तुतियां आ गई हैं। इनके अनुसार केन्द्रीय राजस्व का 29 प्रतिशत राज्यों को दिया जाना है। लेकिन केन्द्र सरकार ने मात्र 28 प्रतिशत दिया है और 1 प्रतिशत सशर्त दिया गया है। यहां शर्त रखने की क्या जरूरत है? हमने मांग की थी कि केन्द्रीय राजस्व का कम से कम 33 प्रतिशत राज्यों को दिया जाना चाहिए और अन्तत: इस वर्ष के लिए 29 प्रतिशत की संस्तुति की गई। लेकिन इसमें से भी 28 प्रतिशत दी गई और 1 प्रतिशत सशर्त दी गई। यह उचित एवं न्यायसंगत नहीं है। अत: मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार पूरा 29 प्रतिशत बिना किसी शर्त के देने के बारे में विचार करेगी तथा आगामी वर्षों में इसे बढ़ाकर 33 प्रतिशत करेगी।

श्री यशवन्त सिन्हा : महोदय, जहां तक केन्द्रीय और केन्द्र-प्रायोजित योजनाओं का प्रश्न है, इस मामले में हम राष्ट्रीय विकास परिषद के माध्यम से राज्य सरकारों से निरन्तर संवाद बनाए हुए हैं और वास्तव में अनेक केन्द्र एवं केन्द्र-प्रायोजित योजनाएं संसाधनों के साथ राज्य सरकारों को सौंप दी गई हैं। लेकिन भारत सरकार की भी अपनी जिम्मेदारियां हैं और इनका निर्वहन करने के लिए वह केन्द्रीय एवं केन्द्र-प्रायोजित योजनाएं बनाती है। एक बार इन योजनाओं के बन जाने के बाद उनका दायरा स्पष्टत: निर्धारित कर दिया जाता है और उन्हें उचित रूप से लागू किया जाता है। इस स्थिति में इन योजनाओं में से अनेक राज्य सरकारों को स्थानान्तरित कर दी जाती हैं। यह एक सतत प्रक्रिया है। एक बात मैं स्पष्ट रूप से स्वीकार करता हूं कि मैं उस स्थिति की कल्पना नहीं कर सकता जिसमें कि किसी केन्द्रीय या केन्द्र-प्रायोजित योजना की जिम्मेदारी भारत सरकार को निर्वहन न करनी हो।

जहां तक ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत किए गए बंटवारा फार्मूला का प्रश्न है, इस विषय में इस प्रतिष्ठित सभा को ज्ञात है कि अभी पिछले सत्र में हमने केन्द्रीय करों से प्राप्त होने वाले निवल राजस्व का 29 प्रतिशत भाग राज्यों को देने संबंधी संविधान संशोधन विधेयक पारित किया है। सकल और निवल पर बहस चली थी और हमने कहा था कि हम राज्यों को कठिनाई में नहीं रहने देंगे। इसलिए सकल प्राप्ति को बढ़ाया गया और इसे 29 प्रतिशत से अधिक किया गया। वास्तविक प्रतिशतता 29.35 आ रही थी। ग्यारहवें वित्त आयोग ने इसे पूरा करके 29.50 प्रतिशत कर दिया है।

जहां तक सशर्तता का प्रश्न है, यह कहा गया है कि उपभोग की तीन ऐसी वस्तुएं हैं जिन पर केन्द्र सरकार द्वारा अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया जाता है और राज्य सरकारों द्वारा नहीं। इस 1.5 प्रतिशत को राज्य सरकारों को देने की बात है। राज्य सरकारें इन तीन वस्तुओं जैसे चीनी आदि पर बिक्री कर नहीं लगाती हैं।

इसलिए, यह सब पर लागू होता है। यह एक सुरक्षोपाय है कि राज्य केन्द्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले उस अतिरिक्त उत्पाद शुल्क

में दखल नहीं देंगे जो कि उन्हें हस्तांरित कर दिया जाता है। अत: किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। सभी राज्यों को केन्द्रीय कर का 29 प्रतिशत भाग दिया जाएगा।

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसा उन्होंने अपने वक्तव्य में स्पष्ट किया है कि पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद कई राज्यों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, उनमें से 13 राज्य ऐसे थे, जिन्होंने ठोस उपाय करके अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने का प्रयत्न किया। क्या उनमें राजस्थान और मध्य प्रदेश भी थे, यदि हां तो वहां लागू किए गए आर्थिक सुधार उपाय क्या-क्या थे?

मेरे प्रश्न का जो ख भाग है, उसमें मैं यह जानना चाहता हूं कि जैसा मंत्री जी ने कहा कि 29 प्रतिशत राशि को बढ़ाने के बारे में राज्य सरकारों ने अनुरोध किया है, उसके बारे में अंतिम निर्णय क्या है तथा जो केन्द्रीय वित्त पोषित योजनाएं हैं उन योजनाओं को देखने की राज्य सरकारों की जवाबदारी है, लेकिन कई जगह राज्य सरकारें अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर पातीं। वहां ठीक से कार्य हो, केन्द्रीय वित्त पोषित योजना ठीक से चले तथा केन्द्र द्वारा दी गई सहायता का ठीक से उपयोग हो, क्या उस दृष्टि से केन्द्र सरकार इस बारे में कोई विशेष कदम उठाने का, उपाय करने का विचार करती है?

[अनुवाद]

श्री यशवन्त सिन्हा : महोदय, जहां तक दी जाने वाली अर्थोपाय सुविधा का संबंध था जिसे पिछले वर्ष 1999-2000 में हमने राज्य सरकारों को उपलब्ध कराया था यह, मैं जोर देकर कहूंगा कि केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों के सामने अचानक आई समस्या से निपटने के लिए तत्काल सहायता दी थी।...*(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, उसमें ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : जब मूल प्रश्न हिन्दी में पूछा गया है, हम और आप हिन्दीभाषी राज्य के हैं, कम से कम हिन्दी के प्रश्न का जवाब तो हिन्दी में दीजिए।...*(व्यवधान)*

श्री यशवन्त सिन्हा : मैं हिन्दी में आ गया हूं न।...*(व्यवधान)*

श्री वैको : मंत्री महोदय हिन्दी अथवा अंग्रेजी में जवाब दे सकते हैं...*(व्यवधान)*

श्री एस०एस० पलानीमनिक्कम : इसमें क्या गलत है यदि वह अंग्रेजी में बोलते हैं तो?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है? यहां समानन्तर भाषान्तरण की सुविधा मौजूद है।

(व्यवधान)

श्री एस०एस० पलानीमनिक्कम : इन्हें ऐसा कहने का क्या अधिकार है? हम भी अपने प्रश्न तमिल में पूछेंगे...*(व्यवधान)*

श्री वैको : महोदय, मूल प्रश्न अंग्रेजी में है, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि उन्हें इस पर आपत्ति क्यों है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, कृपया अपना-अपना स्थान ग्रहण करें। यह क्या है?

(व्यवधान)

श्री वैको : अध्यक्ष महोदय, यदि हम लोग अंग्रेजी में प्रश्न पूछते हैं तो मंत्री महोदय को केवल अंग्रेजी में ही उत्तर देना चाहिए।... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री वैको, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : हिन्दी इस देश की राजभाषा है, इसलिए हिन्दी प्रश्न का जवाब हिन्दी में आना चाहिए।

श्री कांतिलाल भूरिया : अगर मंत्री जी हिन्दी बोलते हैं तो आपको इस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया समय बर्बाद मत करिए। यह क्या है?

(व्यवधान)

श्री एस०एस० पलानीमनिक्कम : क्या हम हिन्दी हैं अथवा भारत? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री पलानीमनिक्कम, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री चतुर्वेदी कृपया मेरी बात समझिए, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

श्री आदि शंकर : यदि वह हिन्दी में बोलने पर जोर दे रहे हैं तो हम भी अपने प्रश्न तमिल में पूछ सकते हैं?...*(व्यवधान)*

श्री एस०एस० पलानीमनिक्कम : महोदय, हम प्रश्न केवल तमिल, तेलगु और मलयालम में ही पूछेंगे...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री पलानीमनिक्कम, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सभा में बहुत अच्छी समानन्तर भाषान्तरण की व्यवस्था है आप बेकार में इसे क्यों उठा रहे हैं? यह क्या है?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री यशवन्त सिन्हा : अध्यक्ष जी, मैं कोई भाषा विवाद यहां खड़ा करना नहीं चाहता था, मैं दोनों भाषाओं में अपनी बात रख सकता हूं। जैसे ही मुझे इस बात का बोध हुआ कि माननीय सदस्य ने हिन्दी में प्रश्न पूछा है मैं अंग्रेजी से हिन्दी में आ रहा था, तभी माननीय चतुर्वेदी जी ने यह प्रश्न उठा दिया।

[अनुवाद]

श्री वैको : उन्हें अंग्रेजी में बोलना चाहिए।

श्री यशवन्त सिन्हा : कृपया इस पर जोर मत दीजिए *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सभा में समानन्तर भाषान्तरण की व्यवस्था है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री यशवन्त सिन्हा : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है।

[अनुवाद]

श्री पी०सी० थामस : जब मैं मलयालम में प्रश्न पूछता हूं तो इन्हें मलयालम में उत्तर देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री थामस, कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया इसे गम्भीरता से लीजिए। यह क्या है?

(व्यवधान)

श्री पी०एच० पांडियन : जब वह अंग्रेजी में जवाब दे रहे थे तो वह अब हिन्दी में क्यों बोलने लग गए?...*(व्यवधान)* हम वित्त संबंधी प्रश्न पर थे न कि भाषा के प्रश्न पर...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री पी०एच० पांडियन : वह अंग्रेजी में जवाब दे रहे थे तो वह अब हिन्दी में क्यों बोलने लग गए?...*(व्यवधान)*

श्री वी० वेत्रिसेलवन : महोदय, उन्हें अंग्रेजी में जवाब देना चाहिए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपसे बोलने के लिए नहीं कहा है। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

[हिन्दी]

श्री यशवन्त सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने दो-तीन खंडों में अपना प्रश्न पूछा है। पहला खंड यह है कि 29.5 प्रतिशत केन्द्रीय करों का हिस्सा जो हम राज्यों को देते हैं, उसमें क्या हम वृद्धि करेंगे?

अध्यक्ष जी, कल ही मैंने सदन के सामने 11वें वित्त आयोग की सिफारिशें रखी हैं उनमें साफ-साफ कहा गया है कि 29.5 प्रतिशत केन्द्रीय करों का हिस्सा राज्यों को वितरित किया जाना चाहिए। राज्यों और केन्द्र के बीच जो वित्तीय संबंध हैं वे भी इसी आयोग के जरिए हर पांच साल के लिए निर्धारित किए जाते हैं। इसलिए जब हमने 11वें वित्त आयोग की सिफारिशें अभी स्वीकार कीं तो इसमें तत्काल वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

दूसरा, उन्होंने पूछा कि क्या इसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश शामिल हैं या नहीं। पिछले साल हमने जो एक्सटेंडिड वेज एंड मीन्स फैसिलिटी या फिस्कल रिफोर्म्स फैसिलिटी की योजना शुरू की थी उसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों शामिल हैं। केन्द्रीय योजनाओं की देखभाल का जहां तक प्रश्न है उसमें प्लानिंग कमीशन के पास अध्ययन की सुविधा है तथा साथ ही साथ महालेखाकार के माध्यम से जो भी नियंत्रण इन योजनाओं के ऊपर केन्द्र सरकार रख सकती है, वह रखने का प्रयास करती है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्य स्वायत्त हैं, उनकी अपनी विधान सभाएं हैं और उनकी जो प्रजातांत्रिक जिम्मेदारी है वह केन्द्र सरकार अपने ऊपर नहीं ले सकती है। यह जिम्मेदारी राज्य सरकारों के पास ही रहनी चाहिए और वहां का जागरुक जनमत और जागरुक विधान सभाएं इसका ख्याल रखें।

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल : अध्यक्ष महोदय, उन राज्यों के वित्तीय संसाधन जिन्हें लम्बे समय तक आतंकवाद से जूझना पड़ा है, उन्हें वर्षों से आतंकवाद के तीव्र आक्षेप को झेलना पड़ा है, कुछ भी करने जो कि राष्ट्रीय दायित्व था अर्थात् देश में एकता और अखण्डता को बनाए रखना, में अत्यन्त गम्भीरता से प्रभावित हो रहा है।

महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उन राज्यों, विशेषकर उस वक्तव्य को मद्देनजर रखते हुए, जो उन्होंने सभा में दिया है कि केन्द्र से उन राज्यों में राजकोषीय सुधार किए जाने पर विशेष सहायता दी गई है, क्या कदम उठाए गए हैं क्या यह सच है कि भारत सरकार उन राज्यों से उनकी वित्तीय नीतियों को उनके अनुरूप बनाए जाने पर दबाव डाल रही है?

श्री यशवन्त सिन्हा : महोदय, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि राज्यो पर भारत सरकार की ओर से कोई दबाव नहीं है। पूरा देश, भारत

सरकार, राज्य सरकारें, सार्वजनिक क्षेत्र और हर एक भयंकर वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहा है।

राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में, जो पिछले वर्ष फरवरी में हुई थी, राज्यों ने इस विचार को प्रकट किया था। मैंने यह सूचना पहले भी कई मौकों पर सभा को दी है और प्रधानमंत्री जी ने मुझे राज्य के मुख्यमंत्रियों और वित्त मंत्रियों की बैठक बुलाने और कार्यवाही योजना तैयार करने के लिए कहा है उसके पश्चात् ही मैंने राज्य सरकारों के कुछ प्रतिनिधि, मुख्य मंत्रियों और वित्त मंत्रियों की बैठक बुलाई। हम इकट्ठे बैठे और इस सुविधा को तैयार किया। मैं एक बार पुन: दोहराना चाहूंगा कि इसे न ही दसवें वित्त आयोग द्वारा जो कि पिछले वर्ष तक वैध था और न ही किसी अन्य प्रबन्ध द्वारा समाहित किया गया था। क्योंकि यह इसलिए था क्योंकि हम राज्य सरकारों की सहायता करना चाहते थे और हमने कार्यवाही योजना तैयार की थी। लेकिन पांचवें वित्त आयोग के अलावा हमने नोट किया था कि कुछ राज्यों को दीर्घकालिक ढांचागत समस्या है और इसलिए उन्होंने हमसे परामर्श करके निर्णय लिया है कि वे वित्तीय ढांचे में सुधार और राजकोषीय निगम के लिए मध्यम अवधि की योजना तैयार करेंगे। यह राज्य सरकारों के साथ पूरी तरह विचार-विमर्श करने के पश्चात् पूर्ण सहमति से किया जा रहा है। मुझे यह बात सभा को बताते हुए खुशी हो रही है कि देश की वित्तीय स्थिति पूर्ण रूप से सुधरी है जिसे राज्य सरकारों और भारत सरकार द्वारा महसूस किया गया है और इसमें हम सभी एक साथ हैं।

जहां तक आतंकवाद प्रभावित राज्यों का संबंध है, दसवें और ग्यारहवें वित्त आयोगों ने इस समस्या को नोट किया है और उन्होंने तदनुसार आबंटन करने के संबंध में सुझाव भी दिए हैं जिसे भारत सरकार द्वारा ध्यान में रखा गया है।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : अध्यक्ष महोदय, मुम्बई शहर में प्रतिदिन दस हजार लोग बाहर के राज्यों से आते हैं। इस कारण बिजली, पानी, स्वास्थ्य और सड़कों आदि सभी चीजों के ऊपर बोझ पड़ता है। वहां झुग्गी-झोंपड़ियां भी बहुत बढ़ गई हैं। मंत्री जी के पीछे उद्योग मंत्री आदरणीय मनोहर जोशी जी बैठे हैं जो महाराष्ट्र के भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे। हमारे मुख्यमंत्री नारायण राणे जी ने भी मांग की थी कि मुम्बई शहर के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा दिया जाए। आपने अपने उत्तर में लिखा है कि :

> ''क्या कुछ राज्य वित्तीय संसाधनों के सम्बन्ध में अभाव का सामना कर रहे हैं''

आपने इसका कोई जवाब नहीं दिया कि क्या आप उन्हें आर्थिक सहायता देंगे। मैंने भूतपूर्व अर्थ मंत्री डा० मनमोहन सिंह से एक सवाल पूछा था। उन्होंने जवाब दिया था कि मुम्बई शहर से केन्द्र सरकार को कैश रूप में 17944 करोड़ रुपया आता है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपका अनुपूरक प्रश्न क्या है? कृपया ध्यान रखें कि समय बहुत कम है।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी ने केन्द्र से 1800 करोड़ रुपये की मांग की थी और वह यहां बैठे हैं। क्या सरकार उस मांग को पूरा करने के लिए तैयार है?

जो मैट्रो सिटीज हैं जैसे मुम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और चेन्नई, क्या वित्त मंत्री जी ने उसके लिए अलग से कोई योजना बनाई है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री रावले, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

वित्त मंत्री महोदय, मैं समझता हूं वह मुम्बई के बारे में पूछ रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री यशवन्त सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, मैंने कल 11वें वित्त आयोग की जो रिपोर्ट सदन में पेश की है, उसमें लोकल बॉडीज को अनुदान के रूप में क्या मिलना चाहिए, इसकी भी सिफारिश की है और इसकी जो एक्शन टेकन रिपोर्ट है, वह भी मैंने सदन के सामने रखी थी। जहां तक मुम्बई और दूसरे बड़े शहरों या अन्य लोकल बॉडीज का प्रश्न है, उन्हें हम 11वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार अनुदान उपलब्ध कराएंगे।

श्री रतन लाल कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि राज्य सरकारों के एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे इतने बढ़ गए हैं कि विकास के नाम पर खर्च करने के लिए उनके पास पर्याप्त राशि नहीं होती और केन्द्र सरकार से राज्यों को ऐसी योजनाएं जाती हैं जिनमें स्टेट्स को अपना हिस्सा डालना पड़ता है लेकिन धनाभाव के कारण वे लैप्स हो जाती हैं? क्या विकास के नाम पर केन्द्र से राज्य को जाने वाली योजनाओं में जो शर्तें जोड़ी जाती हैं, उनमें ऐसे उपबंध को हटाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? मान लीजिए अगर केन्द्र से एक करोड़ रुपया जाता है तो 50 लाख रुपया स्टेट गवर्नमेंट मिलाएगी, तब वह योजना पूरी होगी। क्या यह सही नहीं है कि इस प्रकार के प्रतिबंधों के कारण सैंटर और स्टेट की बहुत सी संयुक्त योजनाएं ठप्प पड़ी हैं? मैं वित्त मंत्री जी जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार के गतिरोध को दूर करने के लिए कोई कानून बनाया जाएगा?

श्री यशवन्त सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, जहां तक बिगड़ती हुई वित्तीय व्यवस्था का प्रश्न है, मैंने स्वयं ही सदन में कहा है कि पिछले वर्षों में केन्द्र और राज्यों की वित्तीय व्यवस्था बिगड़ी है। यदि मैं आंकड़े दूं तो मालूम होगा कि पांचवें वित्त आयोग से पहले राज्यों का नैट फिसकल डेफिसिट 1996-97 में 33460 करोड़ रुपये था जो 1998-99 में बढ़कर 65993 करोड़ रुपये हो गया। इस प्रकार इन दो वर्षों में यह बढ़त 33 हजार करोड़ रुपये हो गई। इन परिस्थितियों के चलते सब की कमर टूट गई और सभी राज्यों की वित्तीय स्थिति संकट में फंसी है।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के प्रश्न का जो दूसरा भाग था, उसके जवाब में मैं कहना चाहूंगा कि कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिनमें

हम केन्द्र से 100 फीसदी वित्तीय सहायता राज्य सरकार को उपलब्ध कराते हैं। उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत हम 100 फीसदी राशि उपलब्ध करेंगे। उसमें राज्यों के लिए कोई शर्त नहीं कि उस योजना में उन्हें 25 या 50 फीसदी पैसा लगाना है लेकिन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जिनमें राज्यों को अंशदान करना पड़ता है। यह उसी सिद्धान्त पर आधारित है कि इसमें केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी है ताकि हम साथ मिलकर विकास के रथ को आगे बढ़ा सकें। इन सब में राज्यों और केन्द्र का योगदान होना चाहिए। यह कोई शर्त नहीं है, यह एक जाइंट एंटरप्राइस है।

श्री रघुनाथ झा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रति वर्ष बिहार में नेपाल, बंगलादेश की अंतर्राष्ट्रीय नदियों में बाढ़ आने के कारण बहुत बड़े भूभाग की खेती, जमीन, इंफ्रास्ट्रक्चर आदि की बरबादी होती है और उसकी पूर्ति बिहार सरकार अपने संसाधनों से नहीं कर सकती। क्या भारत सरकार अन्तर्राष्ट्रीय रीवर्स से होने वाले नुकसान की पूर्ति करेगी?

श्री यशवन्त सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, जहां तक भारत और नेपाल के बीच नदी के जल के बंटवारे का प्रश्न है और उस पर योजनाओं को क्रियान्वित करने का प्रश्न है, वह वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री के द्वारा होता है। लेकिन जानकारी के आधार पर मैं इतना कह सकता हूं कि दोनों देशों के बीच में इस विषय पर बातचीत चल रही है और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कई बार ऐसा होता है कि जो महत्वपूर्ण योजना होती है, जिसका राष्ट्रीय महत्व होता है, उसका भार भारत सरकार वहन करती है।

श्री रघुनाथ झा : अध्यक्ष महोदय, मैं योजना की बात नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अन्तर्राष्ट्रीय नदियों के कारण बाढ़ से जो हर साल नुकसान होता है, भारत सरकार उसकी भरपाई करना चाहती है या नहीं। यह नेचुरल कैलामिटी है। मैं नेचुरल कैलामिटी की बात कर रहा हूं, किसी योजना की बात नहीं कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : मि. झा, पहले पूरा समाधान सुन लें, फिर बोलें।

श्री यशवन्त सिन्हा : इसमें दो बातें हैं—एक तो बाढ़ का नियन्त्रण करने के लिए कुछ ऐसे उपाय करने पड़ेंगे जिनमें नेपाल सरकार की सहभागिता होगी।

श्री रघुनाथ झा : लेकिन उसमें बिहार सरकार का क्या योगदान है?

श्री यशवन्त सिन्हा : दूसरी बात इसमें यह है कि अभी जो वित्त आयोग की सिफारिशें आई हैं, उसमें उन्होंने एक फार्मूला लगाया है कि राज्य की जो समस्याएं हैं, वे क्या हैं और राज्य की प्रति व्यक्ति आय क्या है। मैं उसके आंकड़े देख रहा हूं। दुर्भाग्य की बात है कि उसमें बिहार सबसे अन्त में है और इसीलिए 11वें वित्त आयोग के माध्यम से बिहार को इस बार अधिक धनराशि, अधिक अंशदान केन्द्रीय करों का मिलेगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सन्तोष मोहन देव : अध्यक्ष महोदय, मैं पूर्वोत्तर में स्थित असम राज्य से आता हूं। वहां स्थिति यह है कि सरकारी कर्मचारी को आठ से दस महीने तक वेतन नहीं मिलता है और सेवानिवृत्त कर्मचारी को पेंशन का भुगतान नहीं होता है। वहां कोई विकास कार्य नहीं किया जाता है। केन्द्र सरकार रोजगार आश्वासन योजना के लिए धनराशि नहीं देती है। असम और पूर्वोत्तर के शेष भाग को जहां तक ग्रामीण विद्युतीकरण का सम्बन्ध है सूची से निकाल दिया गया है। दिया गया कारण, जैसा कि श्री पवन कुमार बंसल द्वारा बताया गया है, यह है कि अधिकतर धन आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए व्यय हो जाता है। प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री वहां का दौरा करते हैं और आश्वासन देते हैं लेकिन वास्तव में कुछ नहीं किया जाता है। वहां स्थिति यह है कि हर एक समुदाय ने अपने हाथों में बन्दूक थाम ली है। गृह मंत्री इस तथ्य की पुष्टि कर सकते हैं। इसको ध्यान में रखकर मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह स्थिति का जायजा लेने के लिए वित्त मंत्रालय से एक दल भेजे, जो यह देखे कि स्थिति को किस प्रकार सुधारा जा सकता है। उस क्षेत्र में स्थिति ज्वालामुखी जैसी है जो कभी भी फूट सकती है। हम वहां के लोगों से अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि वह दिवालिया सरकार को देखती रहे। यह वास्तविक स्थिति है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि स्थिति को सुधारने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? मैंने यह मुद्दा परामर्शदात्री समिति की बैठक में भी उठाया था।

श्री यशवन्त सिन्हा : महोदय, यह सच है कि असम की वित्तीय स्थिति बहुत सुखद नहीं है लेकिन हमने हमेशा अपनी क्षमता से अधिक असम की मदद की है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने शेष पूर्वोत्तर के बारे में भी पूछा है।

श्री यशवन्त सिन्हा : जी हां, महोदय, असम विशेष श्रेणी वाला राज्य है। इस तथ्य के बावजूद कई चीजें हैं जो विशेष श्रेणी वाले राज्यों को सामान्य राज्य की तरह प्राप्त होती हैं। हमने उस हद से भी बाहर जाकर पूरे पूर्वोत्तर और अन्य विशेष राज्यों की तरह असम की मदद की है। मैं स्वयं वहां जून के महीने में गया था और मैंने मुख्यमंत्री और उनके केबिनेट के कुछ सहयोगियों के साथ विचार-विमर्श भी किया था। मैंने राज्यपाल के साथ भी विचार-विमर्श किया था। जब कभी भी मुख्यमंत्री यहां आते हैं, हम विचार-विमर्श करते हैं। जब कभी भी असम को कोई अर्थोपाय समस्या होती है हमने असम की मदद की है।

जबकि यह सत्य है कि वहां समस्याएं हैं। हमें उपलब्धियों को भी याद करना चाहिए। हमने असम में ट्यूबवैल की खुदाई का कार्य नाबार्ड की सहायता से कराकर परिणामस्वरूप पचास वर्षों में पहली बार असम ने चावल में अतिरिक्त उत्पादन किया है। यह असम की सफलता की कहानी है और मैं पूरे सदन और पूरे देश से असम राज्य को इस सफलता के लिए बधाई देने की अपेक्षा करता हूं।

अत: इस प्रकार घटनाएं घटित हो रही हैं। स्थिति में सुधार आ रहा है। हम इन राज्यों की जब कभी भी आवश्यकता होगी हम उनकी सहायता करेंगे।

श्री के० येरन्नायडू : अध्यक्ष महोदय, सभी राज्य वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। अन्तर्राज्यीय परिषद की बैठक में तत्कालीन

माननीय वित्त मंत्री ने मुख्यमंत्रियों को वायदा किया था कि वित्तीय शक्तियों के अन्तरण के संबंध में दसवें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार उन्हें सकल कर राजस्व का 29 प्रतिशत प्राप्त होगा। लेकिन तब हमने निवल कर राजस्व के लिए संविधान को संशोधित किया था।

मेरा कहना है कि राशि के अन्तर को सभी मुख्यमंत्रियों को तत्कालीन वित्त मंत्री द्वारा किए गए वायदे के अनुसार यथाशीघ्र राज्यों को दिया जाना चाहिए।

दूसरा तत्कालीन वित्त मंत्री ने यह भी वायदा किया था कि स्वैच्छिक आय घोषणा योजना के अन्तर्गत जो भी धनराशि एकत्र की जाएगी उसका अंश राज्यों को वितरित किया जाएगा। लेकिन भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने परिगणना भी की है कि निवल कर अन्तरण 29 प्रतिशत बनता है। लेकिन इस माननीय सभा को तत्कालीन वित्त मंत्री द्वारा दिए गए वायदे के अनुसार यह एक पृथक योजना है। अत: उसमें से राज्यों को क्या दिया जाना चाहिए इसे अन्य केन्द्रीय योजनाओं के साथ भी जोड़ा जाना चाहिए।

महोदय, क्या मैं माननीय वित्त मंत्री से पूछ सकता हूं कि क्या वह इन दो चीजों को कार्यान्वित करेंगे?

श्री यशवन्त सिन्हा : महोदय, जहां तक उनके प्रश्न के पहले भाग का संबंध है मैंने सभा को पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि जब सभा संविधान (संशोधन) विधेयक पारित कर रही थी तो मैंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि सकल और निवल के बीच के अन्तर को राज्य सरकारों को दिया जाएगा और महोदय, भारत सरकार ने उस वायदे का पालन किया है।

मैंने सदन को अभी बताया है कि हमने राज्य सरकारों को उस राशि का अन्तरण कर दिया है। अत: दसवें वित्त आयोग के कार्यकाल के दौरान 29.35 सकल कर राजस्व में सकल और निवल के बीच अन्तर 0.35 प्रतिशत था जिसे राज्यों को दिया जा रहा है।

अब हमने नए वित्त आयोग की सिफारिश जो 29.50 प्रतिशत है द्वारा इसे समाहित किया है।

जहां तक स्वैच्छिक आय घोषणा योजना का संबंध है आपको स्मरण होगा कि मार्च 1998 में जब मैं लेखा अनुदान प्रस्ताव लेकर आया था तो मैंने उसी वर्ष में ही उसे 77.5 प्रतिशत के आधार पर जो फार्मूला था पूरी राशि को स्थानांतरित कर दिया था जो आयकर, प्रत्यक्ष-कर अन्तरण निर्धारित करती है। पूरी राशि राज्य सरकारों को अन्तरण कर दी गई थी।

अब राज्य सरकारें कह रही हैं कि इसे 29.5 प्रतिशत का हिस्सा माना जाना चाहिए। अब वहां केन्द्र और राज्यों के बीच संवैधानिक प्रबंध है। स्वैच्छिक आय घोषणा योजना प्रत्यक्ष कर प्राप्ति थी मेरे लिए संविधान का अतिक्रमण करने और राज्य के पूर्ण अन्तरण की यह राशि सम्मिलित नहीं करने के लिए कोई चारा नहीं है। वह राशि जो राज्यों को अन्तरण की जा चुकी थी को परिगणना की गई राशि में से भी किया जा सकता है।

श्री के० येरननायडू : यह तत्कालीन वित्त मंत्री द्वारा वायदा किया गया था।

श्री यशवन्त सिन्हा : महोदय, मुझे अन्तर्राज्यीय परिषद में अथवा इस माननीय सदन में किए गए किसी भी वायदे का पता नहीं है... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, कृपया शान्त रहिए। हम इस प्रश्न पर पहले ही 40 मिनट लगा चुके हैं।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आम तौर पर जो राज्यों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता या प्लान का आकार होता है, उसका बेसिस होता है गाडगिल फार्मूला। हम जानना चाहते हैं कि जिन राज्यों में चाहे फ्लड डिवास्टेशन हो, या नेचुरल कैलेमिटी हो या इंटरनल रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन की क्षमता जिन राज्यों की कम है, जहां पॉवर्टी ज्यादा है, जरूरतें ज्यादा हैं, गरीबी ज्यादा है, जनसंख्या ज्यादा है, जहां प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है, क्या ऐसे राज्यों के लिए सरकार कोई प्राथमिकता के आधार पर वित्तीय सहायता या उसके प्लान आकार के बारे में कोई विचार करना चाहती है?

श्री यशवन्त सिन्हा : अध्यक्ष जी, जैसा मैंने सदन में पहले ही बताया है कि चाहे वे वित्त आयोग की सिफारिशें हों, चाहे योजना आयोग के द्वारा राज्यों की सहायता का प्रश्न हो, दोनों स्थितियों में, राज्यों में जो आबादी गरीबी की रेखा के नीचे रहती है, राज्यों की जो कुल आबादी है, राज्यों का जो पिछड़ापन है, इन सारी बातों को ध्यान में रखकर ही केन्द्र से पैसे का बंटवारा किया जाता है, संसाधनों का बंटवारा किया जाता है, लेकिन मैं दुबारा इस बात को कहूंगा और बहुत जिम्मेदारी एवं दायित्व के साथ कहूंगा कि राज्यों को इस फार्मूले के चलते ऐसा नहीं करना चाहिए कि उनको अपने यहां गरीबी बनाए रखनी है क्योंकि इससे उन्हें ज्यादा अनुदान मिलेगा। इस देश में ऐसे अनेक राज्य हैं जिन्होंने गरीबी की समस्या का, बेरोजगारी की समस्या का डटकर मुकाबला किया है और आगे बढ़े हैं। मैं कोई ऐसा कारण नहीं देखता हूं कि जो राज्य अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें कम अनुदान देकर दंडित किया जाए और जो राज्य गरीबी मिटाने के क्षेत्र में अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, उनको ज्यादा अनुदान देकर गर्त में धकेला जाए। यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मैं गंभीर प्रश्न को इस सदन पर छोड़ता हूं। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि इस प्रश्न पर गंभीरता से अध्ययन होना चाहिए और सदन में चर्चा होनी चाहिए।

[हिन्दी]

गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों के लिए बीमा योजना

+

***82. श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया :**
श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों के लिए एक नई बीमा योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों की परिभाषा क्या है और देश में राज्य-वार ऐसे लोगों की संख्या कितनी है;

(घ) केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा प्रतिवर्ष प्रीमियम के रूप में कुल कितनी धनराशि दिए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या उनके मंत्रालय द्वारा पहले सुझाए गए आयु वर्ग को अब बदल दिया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस नीति से कितने व्यक्तियों के लाभान्वित होने की संभावना है?

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (च) एक विवरण सभा-पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(क) और (ख) जी नहीं। तथापि, इस वर्ष के बजट भाषण में की गई घोषणा के बाद सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से कार्यान्वित की जाने वाली "जनश्री बीमा योजना" नामक एक नई समूह बीमा योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। यह नई योजना जल्द ही लागू की जाएगी। इस योजना के मूल ब्यौरे संलग्न अनुबन्ध-I में दिए गए हैं। इस योजना में समाज के निर्धन वर्ग के लोगों को शामिल किया जाएगा जिनमें गरीबी रेखा से कुछ ऊपर जीवन-यापन करने वाले लोगों, यदि वे अभिज्ञात व्यावसायिक वर्ग से सम्बद्ध हों, को भी शामिल किया जाएगा। इस समय ऐसे 24 व्यावसायिक समूहों की पहचान की गई है जिनके ब्यौरे संलग्न अनुबन्ध-II पर दिए गए हैं।

(ग) योजना आयोग के अनुसार, गरीबी रेखा के रूप में जाने जाने वाले बाहरी तौर पर परिभाषित गरीबी निर्धारक बिन्दु से कम प्रति व्यक्ति उपयोग व्यय करने वाले व्यक्तियों को गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने के व्यक्ति माना जाता है। वर्ष 1977 में योजना आयोग द्वारा गठित कृतिक बल ने गरीबी रेखा को प्रतिव्यक्ति उपभोग व्यय के स्तर के रूप में परिभाषित किया जो न्यूनतम खाद्य-भिन्न व्यय के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कि. कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 किलो कैलोरी की प्रति व्यक्ति दैनिक कैलोरी-आवश्यकता को पूरा करता हो। वर्ष 1993-94 तक उपलब्ध गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले व्यक्तियों की संख्या संलग्न अनुबन्ध-III में दी गई है।

(घ) प्रति सदस्य कुल प्रीमियम 200/- रु. होगा। प्रीमियम के 50 प्रतिशत हिस्से का खर्च भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा चलाए जा रहे सामाजिक सुरक्षा कोष से पूरा किया जाएगा और 50 प्रतिशत खर्च लाभानुभोगी अथवा केन्द्रक अभिकरण द्वारा पूरा किया जाएगा। राज्य सरकारों के पास लाभानुभोगी अथवा केन्द्रक अभिकरण की ओर से राशि का भुगतान करने का विकल्प है। योजना के अन्तर्गत अदा की जाने वाली कुल राशि योजना में शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या पर निर्भर करेगी।

(ङ) पहले किसी विशिष्ट आयु-वर्ग के संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं था। 18-60 वर्ष की आयु-वर्ग के व्यक्ति इस योजना में शामिल किए जाएंगे।

(च) ऊपर (ङ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

अनुबन्ध-I

जनश्री बीमा योजना के बुनियादी ब्यौरे

(I) सीमा क्षेत्र

जनश्री बीमा योजना ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले 18 से 60 वर्ष के बीच की आयु के सभी व्यक्तियों को शामिल करेगी। तथापि, शहरी क्षेत्रों/ग्रामीण क्षेत्रों में उन गरीब लोगों को भी शामिल किया जाएगा जो गरीबी की रेखा से थोड़ा ऊपर हैं, यदि वे पहचान किए गए व्यावसायिक समूह से संबंध रखते हैं। यह योजना जीवन बीमा निगम द्वारा चलाई जाएगी और अतिरिक्त व्यावसायिक समूहों की जीवन बीमा निगम द्वारा राज्य सरकारों/नोडल एजेंसियों से परामर्श करके पहचान की जाएगी तथा उन्हें अधिसूचित किया जाएगा। इन समूहों के न्यूनतम 25 लाभभोगी होने चाहिए। चाहे ये पंचायतों, गैर-सरकारी संगठनों, स्व-सहायता समूहों, नोडल एजेंसियों अथवा किसी अन्य संस्थागत प्रबन्धों के अधीन बनाए गए हों।

(II) लाभ

स्वाभाविक मृत्यु होने पर 20,000 रुपये और दुर्घटना से होने वाली मृत्यु/पूर्ण स्थायी अपंगता होने पर 50,000 रुपये तथा दुर्घटना से होने वाली आंशिक स्थायी अपंगता होने पर 25,000 रुपये का लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त उन समूहों के लिए जो तीन वर्ष के लिए जनश्री बीमा योजना के सदस्य के रूप में नामांकित हैं, को जीवन बीमा निगम दावे के आधार पर प्रीमियम के अनुभव दर्जा निर्धारण समायोजन की अनुमति देगा।

(III) प्रीमियम

प्रीमियम 200/- रुपये प्रतिवर्ष होगा। शहरी और ग्रामीण दोनों गरीबों के लिए प्रीमियम का 50 प्रतिशत अर्थात् 100/- रुपये का भुगतान सामाजिक सुरक्षा कोष से किया जाएगा। प्रीमियम का शेष 50 प्रतिशत अर्थात् 100/- रुपये का भुगतान संबंधित लाभभोगी/नोडल एजेंसी द्वारा किया जाएगा। राज्य सरकार को यह स्वतन्त्रता है कि वह संबंधित लाभभोगी द्वारा देय राशि में और सब्सिडी दे सके।

अनुबन्ध-II

वर्तमान में कवर किए गए व्यावसायिक समूहों के ब्यौरे

क्रम सं०	व्यवसाय
1	2
1.	बीड़ी कामगार
2.	ईंट की भट्टी के कामगार
3.	बढ़ई

1	2
4.	मोची
5.	मछली पकड़ने वाले
6.	हमाल
7.	हस्तशिल्प कारीगर
8.	हथकरघा बुनकर
9.	हथकरघा और खादी बुनकर
10.	महिला दर्जी
11.	चमड़ा और चर्म-शोधन कारीगर
12.	सेवा से जुड़े हुए पापड़ बनाने वाले कामगार
13.	शारीरिक विकलांगता स्व:रोजगार व्यक्ति
14.	प्रारम्भिक दुग्ध उत्पादक (•)
15.	रिक्शा चलाने वाले/आटो-ड्राइवर
16.	सफाई कर्मचारी
17.	नमक के उत्पादक
18.	तेन्दु के पत्ते इकट्ठे करने वाले (•)
19.	शहरी गरीबों/ग्रामीण गरीबों के लिए योजना
20.	वन कामगार (•)
21.	रेशम उत्पादन कामगार (•)
22.	ताड़ी टैपर (•)
23.	बिजली करघा कामगार
24.	दूरस्थ ग्रामीण पहाड़ी क्षेत्रों में रोजी-रोटी कमाने वाली महिलाएं

टिप्पणी : 1. •द्वारा दर्शाए गए समूह मुख्यत: ग्रामीण स्वरूप के हैं।
2. ••द्वारा दर्शाए गए समूह वर्ष 1997-98 में अनुमोदित किए गए थे।

अनुबन्ध-III

वर्ष 1993-94 में गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले व्यक्तियों के राज्यवार अनुमान

क्रम सं०	राज्य	ग्रामीण	शहरी	दोनों मिलाकर
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	79.49	74.47	153.97
2.	अरुणाचल प्रदेश	3.62	0.11	3.73
3.	असम	94.33	2.03	96.36
4.	बिहार	450.86	42.49	493.35
5.	गोआ	0.38	1.53	1.91
6.	गुजरात	62.16	43.02	105.19
7.	हरियाणा	36.56	7.31	43.88
8.	हिमाचल प्रदेश	15.40	0.46	15.86
9.	जम्मू और कश्मीर	19.05	1.86	20.92
10.	कर्नाटक	95.99	60.46	156.46
11.	केरल	55.95	20.46	76.41
12.	मध्य प्रदेश	216.19	82.33	298.52
13.	महाराष्ट्र	193.33	111.90	305.22
14.	मणिपुर	6.33	0.47	6.80
15.	मेघालय	7.09	0.29	7.38
16.	मिजोरम	1.64	0.30	1.94
17.	नागालैंड	4.85	0.20	5.05
18.	उड़ीसा	140.90	19.70	160.60
19.	पंजाब	17.76	7.35	25.11
20.	राजस्थान	94.68	33.82	128.50
21.	सिक्किम	1.81	0.03	1.84
22.	तमिलनाडु	121.70	80.40	202.10
23.	त्रिपुरा	11.41	0.38	11.79
24.	उत्तर प्रदेश	496.17	108.28	604.46
25.	पश्चिम बंगाल	209.90	44.66	254.56
26.	अण्डमान और निकोबार	0.73	0.33	1.06
27.	चण्डीगढ़	0.07	0.73	0.80
28.	दादर नागर हवेली	0.72	0.06	0.77
29.	दमन और दीव	0.03	0.15	0.18
30.	दिल्ली	0.19	15.32	15.51
31.	लक्षद्वीप	0.06	0.08	0.14
32.	पाण्डिचेरी	0.93	2.38	3.31
	अखिल भारतीय	2440.31	763.37	3203.68

स्रोत : योजना आयोग के अनुमानों सहित।

[हिन्दी]

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का अभिनन्दन के साथ-साथ आभार भी प्रकट करना चाहती हूं क्योंकि पहली बार हिन्दुस्तान में आजादी के बाद गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों को ऊपर उठाने की कोशिश की गई है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : भूरिया जी आप बैठिए।

(व्यवधान)

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया : अध्यक्ष जी, पहली बार इस तरीके से भारत सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मिस्टर आठवले, प्लीज आप बैठिए। लेडी मैम्बर को इतनी तकलीफ देना ठीक नहीं है।

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया : आप लोगों ने गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले लोगों के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ नारा दिया। उनका उत्थान नहीं किया।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैडम, प्लीज चेयर को एड्रैस करके बोलिए।

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि उन्होंने जो "जनश्री" बीमा योजना शुरू करने का निर्णय लिया है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आठवले, प्लीज बैठिए।

श्री रामदास आठवले : सर, मैं तो बैठूंगा ही, लेकिन मैं उनसे जानना चाहता हूं कि आपकी पार्टी ने नौ महीने में क्या किया? क्या गरीबी कम हुई?...*(व्यवधान)*

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया : अध्यक्ष जी, "जनश्री" बीमा योजना के बारे में जो मेरे प्रश्न के उत्तर में बताया गया है कि वर्ष 1977 में योजना आयोग द्वारा गठित कृतिक बल ने गरीबी रेखा को प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय के अनुसार परिभाषित किया है और उसमें बताया है कि ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति की दैनिक आवश्यकता है। यह परिभाषा 1977 में योजना आयोग ने जो कृतिक बल गठित किया था उसने बताई है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि यह जो कृतिक बल गठित किया गया था वह कब किया था, किस वर्ष में परिभाषित किया था और उस बल ने अपनी रिपोर्ट किस वर्ष में दी? आपने अपने उत्तर में वर्ष 1993-94 तक की संख्या एक अनुबन्ध में दी है। मैंने अपने प्रश्न के भाग "क" में वर्ष के बारे में पूछा था और "ख" में ब्यौरा मांगा था। पिछले दस सालों में गरीबी रेखा से नीचे जो लोग जीवनयापन कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैडम, आपका प्रश्न क्या है?

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया : अध्यक्ष महोदय, मैंने दो प्रश्न क और ख पूछे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप इतनी इन्फोर्मेशन न देकर अपना प्रश्न पूछिए।

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया : मेरा कहना है कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वाले लोगों की संख्या पिछले 10 सालों में बढ़ी है या घटी है?

श्री बालासाहिब विखे पाटील : माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, उसके संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि एनेक्श्चर तीन में हरेक राज्य में गरीबी रेखा के नीचे कितने लोग हैं, उन सबके आंकड़े दिए हुए हैं। भारतवर्ष में उनकी संख्या 3,203.60 लाख है। मैं इस बात का खुलासा करना चाहूंगा कि कुछ योजनाओं में गरीबी रेखा के नीचे लिखा जाता है लेकिन इसके साथ यह भी कहा गया है कि मार्जिनली उसमें कुछ समस्याएं पैदा हो जाती हैं इसलिए ग्रुप में अन्तर भाव करने में कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आबादी को इसका लाभ पहुंचे, यही स्कीम का उद्देश्य है। आज तक यह था कि जिसकी अननेचुरल डेथ या परमानेंट डिसऐबिलिटी हो जाती है तो उसको कोई सहायता नहीं मिलती थी। इसके अन्दर यह भी प्रोविजन है। हमारा जो प्रीमियम है, उसका 50 प्रतिशत एल.आई.सी. दे रहा है और अगर राज्य सरकार चाहे तो 50 प्रतिशत वह दे सकती है या कोई नोडल एजेंसी भी दे सकती है। इसमें ज्यादा से ज्यादा आठ रुपये प्रति माह प्रीमियम बैठता है इसलिए मैं चाहूंगा...*(व्यवधान)*

श्री मणि शंकर अय्यर : अध्यक्ष महोदय, सवाल कुछ और है और मंत्री जी जवाब कुछ और दे रहे हैं।

श्री बालासाहिब विखे पाटील : मैं उनके सवाल का ही जवाब दे रहा हूं।

श्री मणि शंकर अय्यर : मैडम का सवाल यह था कि गरीबी रेखा के नीचे जो लोग रह रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ी है या कम हो गई है, इसका आप जवाब दीजिए। जो सवाल किया गया है, उसका जवाब आप नहीं दे रहे हैं।

श्री बालासाहिब विखे पाटील : अभी जो नैशनल सैम्पल सर्वे हुआ है, उसके फाइनल आंकड़े नहीं हैं लेकिन जो पुराने आंकड़े हैं, उसके हिसाब से गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ी नहीं है जबकि आपका कहना है कि वह संख्या बढ़ गई है। मेरा कहना है कि अभी तक प्लानिंग कमीशन की तरफ से ऐसे कोई आंकड़े प्रेषित नहीं हुए, इसलिए वह रिपोर्ट बिल्कुल सही है।...*(व्यवधान)* नैशनल सैम्पल सर्वे में किसी आर्गनाइजेशन ने आंकड़े दिए हैं...*(व्यवधान)* जो आंकड़े बड़े हैं लेकिन वर्ष 1993 के पश्चात् निर्धनता के संबंध में कोई आंकड़े तैयार नहीं किए गए हैं। अभी जो आंकड़े किसी संगठन ने दिए हैं ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

***अध्यक्ष महोदय** : मंत्री जी के उत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही-वृत्तान्त* में कुछ भी शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

(व्यवधान)•

•कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री बालासाहिब विखे पाटील : अभी तक प्लानिंग कमीशन ने उसमें कोई अध्ययन नहीं किया है। इसलिए मैं यह कहूंगा कि वह सही बात नहीं है।

[अनुवाद]

श्री चन्द्रशेखर : महोदय, मैं कोई प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं। लेकिन माननीय मंत्री महोदय का उत्तर बहुत परेशान करने वाला है। वह कहते हैं कि वर्ष 1993 के बाद यह जानने के लिए कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है अथवा कम हुई है, कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। यदि यह स्थिति है तो किस आधार पर सरकार दावा करती रही है? विदेशी संस्थानों और राष्ट्रीय संस्थानों की रिपोर्टों, जिसमें यह कहा गया है कि गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है, के बावजूद, सरकार हमेशा यह दावा करती रही है कि इस क्षेत्र में उन्होंने काफी प्रगति कर ली है। लेकिन अब माननीय मंत्री महोदय यहां कहते हैं कि इस संबंध में उनके पास कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

श्री बालासाहिब विखे पाटील : योजना आयोग द्वारा सर्वेक्षण किया जा रहा है। आंकड़े तैयार किए जा रहे हैं। मैं बिना किसी प्रामाणिक सर्वेक्षण के प्रामाणिक आंकड़े नहीं दे सकता हूं।

श्री चन्द्रशेखर : फिर, मैं यह जानना चाहता हूं कि वे किस आधार पर दावा कर रहे हैं।

श्री मणि शंकर अय्यर : राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण ने वृद्धि के संकेत दिए हैं। अभी अन्तिम आंकड़े नहीं आए होंगे। लेकिन आप इस बात को स्वीकार कर सकते हैं कि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार निर्धनता में वृद्धि हो रही है। आप ऐसा कह सकते हैं।

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : मैं केवल वही कहूंगा जो मैं जानता हूं और जो मैं जानता हूं वह यह है कि योजना आयोग, जो यह सब बातें देखता है ने एक विशेषज्ञ दल नियुक्त किया है और उन्होंने वर्ष 1977 में इस देश में गरीबी की रेखा क्या होनी चाहिए, की परिभाषा दी है।

सितम्बर, 1989 में एक अन्य अध्ययन किया गया था और एक विशेषज्ञ दल नियुक्त किया गया था; उस विशेषज्ञ दल ने निर्धनता की परिभाषा के बुनियादी मानदंडों में परिवर्तन नहीं किया। अतः वही मापदण्ड जारी हैं।

अब, जहां तक कि श्री चन्द्रशेखर द्वारा उठाए गए प्रश्न का संबंध है, हमारे पास राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण द्वारा आधिकारिक रूप से किए गए सर्वेक्षण के आंकड़ों के आधार पर इस देश में निर्धनता के आंकड़े हैं। अन्तिम तथा सबसे व्यापक सर्वेक्षण वर्ष 1993-94 में किया गया था।

एक अन्य सर्वेक्षण अभी पूरा हुआ है। यह पांच वर्षीय सर्वेक्षण है। हम यह सर्वेक्षण स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय से करवा रहे हैं। प्रत्येक पांच वर्ष के बाद एक व्यापक सर्वेक्षण कराया जाता है। यह सर्वेक्षण वर्ष 2000 में किया जाना था। सर्वेक्षण पूरा किया जा चुका है। इसके परिणाम तैयार किए जा रहे हैं। मेरे विचार में वर्ष के अन्त तक अथवा अगले वर्ष के आरम्भ में हमें औपचारिक रूप से इस देश में वर्ष 1993-94 के पश्चात् के निर्धनता संबंधी अन्तिम आंकड़े प्राप्त हो जाएंगे।

जहां तक माननीय सदस्य, श्री मणि शंकर अय्यर द्वारा उठाए गए मुद्दे का संबंध है, मुझे पिछले सत्र में बजट पर चर्चा के दौरान इस सभा में इसके बारे में बताने का अवसर प्राप्त हुआ था। मैंने कहा था कि जिन राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के आंकड़ों के आधार पर हम यह कह रहे हैं कि निर्धनता में वृद्धि हुई है, वह केवल 25,000 घरों के छोटे से नमूने के आधार पर हम कह रहे हैं। अतः क्या वह आंकड़े व्यापक आंकड़ों, जिनके शीघ्र ही उपलब्ध हो जाने की सम्भावना है, की तुलना में विश्वसनीय हैं अथवा नहीं, यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर इस देश में चर्चा हो चुकी है और मैं सर्वेक्षण के उस छोटे से नमूने की वैधता को प्रमाणित नहीं कर सकता।

जहां तक कि श्री चन्द्रशेखर का प्रश्न है कि अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों के अनुसार नब्बे के दशक में पहले की अपेक्षा इस देश में निर्धनता में बढ़ोत्तरी हुई है, मैं कहना चाहूंगा कि अनेक गैर-सरकारी अनुसंधान संस्थानों ने हाल ही के वर्षों तथा हाल ही के महीनों में इस देश में अध्ययन करवाए हैं और उनमें से अनेक संस्थान यह दावा करते हैं कि निर्धनता में कमी आई है। इन परिस्थितियों में हमें क्या करना चाहिए? हमें अन्तिम आंकड़ों का इन्तजार करना चाहिए। मैं नहीं समझता कि श्री चन्द्रशेखर का यह कहना सही होगा कि निर्धनता में वृद्धि हुई है और मेरा यह कहना गलत होगा कि इसमें कमी आई है। इन दोनों कथनों की पुष्टि केवल तभी हो सकती है जब हमें अन्तिम आंकड़े उपलब्ध हो जाएं। हमें केवल कुछ महीने इन्तजार करना होगा। यदि निर्धनता में वृद्धि हुई है, तो हमें सभा के समक्ष यह स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं होगा। मैं इसे क्यों छिपाऊंगा? लेकिन हमारे पास अभी तक कोई ठोस आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। हमारे पास अन्तिम आंकड़े वर्ष 1993-94 के हैं।

श्री चन्द्रशेखर : माननीय अध्यक्ष महोदय, फिलहाल देश को यह समझना चाहिए कि सरकार के पास यह कहने का कोई आधार नहीं है कि निर्धनता में कमी आई है। यदि वे ऐसा कह रहे हैं तो यह केवल धोखा देने वाली बात है। मैं यही कह रहा हूं। अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति बहुत खराब है। विश्व भर में गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है। यदि भारत सरकार द्वारा चमत्कार किए जा रहे होते तो इस प्रश्न का कोई आधार नहीं होता। इस संबंध में एक बहुत ही सुविख्यात अर्थशास्त्री द्वारा एक भाषण दिया गया है। उन्होंने पूरे विश्व की बात की। माननीय वित्त मंत्री जी, निर्धनता का अनुमान आंकड़ों से नहीं लगाया जाता। देहात में रहने वाले लोगों के अनुभव द्वारा निर्धनता के बारे में जाना जा सकता है। जो लोग देहात के बारे में जानते हैं अथवा जिन्हें देहात के बारे में कुछ जानकारी है, वे कहेंगे कि निर्धनता में वृद्धि हुई है।

[हिन्दी]

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : गरीब आदमी की बात इनको कहां बुझाती है।

श्री यशवन्त सिन्हा : जहां तक गरीब आदमी की बात है, पूरे सदन में सिर्फ रघुवंश बाबू को ही बुझाती है और किसी को नहीं बुझाती।

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : आपको सी.आई.आई. बुझाता है।

[अनुवाद]

श्री यशवन्त सिन्हा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो कुछ भी श्री चन्द्रशेखर ने कहा है, वह सही है। जिस तरह से हम इस समय इस बात का दावा नहीं कर सकते कि निर्धनता में कमी आई है उसी तरह से कोई भी इस बात का दावा नहीं कर सकता कि निर्धनता में वृद्धि हुई है। कोई भी इस बात का दावा नहीं कर सकता है। हमारे पास अपने-अपने दावे करने का कोई आधार नहीं है। लेकिन मैं यह कहूंगा ...*(व्यवधान)* जहां तक कि कांग्रेस दल का संबंध है, वह यह कहकर वर्ष 1991-96 के बीच स्वयं अपने पांच वर्ष के शासन काल की निन्दा कर रहे हैं। हम केवल दो वर्ष से सत्ता में आए हैं। वह दल संयुक्त मोर्चा की सरकार को भी समर्थन दे रहा था। अत: इन दस वर्षों के शासन में से वे सात वर्ष के लिए जिम्मेदार हैं।

यदि इन सात वर्षों में निर्धनता में वृद्धि हुई है तो उसके लिए वे जिम्मेदार हैं न कि हम...*(व्यवधान)* उन्हें यह याद रखना चाहिए कि इसके लिए वे जिम्मेदार हैं। अत:, उन्हें यह कहने का कोई अधिकार नहीं है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं बोल रहा हूं। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वित्त मंत्री के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही-वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)•

श्री यशवन्त सिन्हा : मैं यह कहना चाहूंगा कि मुझे उन सात वर्षों के लिए क्षमा प्रार्थी होने की आवश्यकता नहीं है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्नकाल है। मैं आप सबसे अपील करता हूं कि आप अपने-अपने स्थान पर बैठ जाइए। सदस्य सभा में किसी भी नियम का पालन नहीं कर रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री भूरिया, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सरकार की जिम्मेदारी होती है। हम चाहेंगे कि गरीबी की रेखा से नीचे लोगों की सूची मंत्री जी सदन के पटल पर रखें। मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

•कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह अति हो गई है। यह सही तरीका नहीं है।

(व्यवधान)

श्री यशवन्त सिन्हा : श्री चन्द्रशेखर द्वारा उठाए गए मुद्दे के उत्तर में, मैं यह कहना चाहूंगा कि...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपका नाम नहीं पुकारा है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री यशवन्त सिन्हा : मैं यह कहना चाहूंगा कि जैसे कि एक सुविख्यात अर्थशास्त्री ने विश्व की निर्धनता के संबंध में कहा है, उसी तरह से अनेक अन्य अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने इस संबंध में अध्ययन किए हैं और महोदय, जैसा कि मैं कह रहा था, उन्होंने यह निष्कर्ष निकाले हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्नकाल है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैंने आपका नाम नहीं पुकारा है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह : गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों की सूची मंत्री जी सदन के पटल पर रखें। मान्यवर, सदन को गुमराह किया जा रहा है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री यशवन्त सिन्हा के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)•

श्री यशवन्त सिन्हा : जिस तरह से एक अर्थशास्त्री ने कहा है कि विश्व में निर्धनता में वृद्धि हुई है, उसी तरह से अनेक अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि भारत में निर्धनता में कमी आई है। लेकिन मैं उस बात को नहीं मान रहा हूं क्योंकि वह सरकारी आंकड़े नहीं हैं। इसलिए मैं सभा से अपील कर रहा हूं कि हमें सरकारी आंकड़े प्राप्त हो जाने का इन्तजार करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि...*(व्यवधान)* सैद्धान्तिक रूप से, मैं माननीय श्री चन्द्रशेखर और अन्य सदस्यों के साथ इस मुद्दे से सहमत हूं कि यदि अर्थव्यवस्था की विकास दर बढ़ती है तो निर्धनता अवश्य कम होती है क्योंकि हमारे पास वितरण क्षमता अधिक होती है। हमारे पास वितरण क्षमता अधिक है और नब्बे के दशक के दौरान विकास दर निश्चय ही बढ़ी है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यदि सदस्यों में सुनने के लिए धैर्य नहीं है, तो वे सभा से जा सकते हैं। उन्हें सभा में शोर नहीं करना चाहिए।

(व्यवधान)

•कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : सदस्य द्वारा पूछे गए अनुपूरक प्रश्न के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही-वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया : अध्यक्ष जी, जनश्री बीमा योजना के तहत प्रति सदस्य कुल प्रीमियम 200 रुपये होगा। उसमें प्रीमियम के 50 प्रतिशत हिस्से का खर्च भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा चलाई जा रही सामाजिक सुरक्षा कोष से पूरा किया जाएगा और 50 प्रतिशत लाभानुभोगी अथवा केन्द्रक अभिकरण द्वारा पूरा किया जाएगा। राज्य सरकारों के पास लाभानुभोगी अथवा केन्द्रक अभिकरण की ओर से राशि के भुगतान विकल्प हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि क्या राज्य सरकारों की तरफ से इसके विषय में कोई चर्चा की गई है? इसका लाभ लाभानुभोगी को कब होगा और कितने समय में मिलेगा?

मध्याह्न 12.00 बजे

श्री यशवन्त सिन्हा : जैसे सारी इंशोरेंस स्कीम्स में होता है, उसी तरह इस बीमा योजना में भी जो लाभार्थी होंगे, उनकी मृत्यु के बाद और एक्सीडेंट के बाद इसका लाभ उपलब्ध होगा। दूसरा, जहां तक प्रीमियम का सवाल है, हालांकि हमने कहा है कि नोडल एजेंसी या राज्य सरकार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्ति के प्रीमियम को दे सकती है, लेकिन हम लोगों ने उसे शर्त नहीं बनाया है। भारत सरकार, अपना जो हिस्सा है 50 प्रतिशत, वह देगी। हम यह आशा करेंगे के राज्य सरकारें नोडल एजेंसी, जिसमें पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस भी हैं, कॉपरेटिव सोसाइटीज हैं, सैल्प हैल्थ ग्रुप्स भी हैं, ये सारे के सारे उनकी मदद कर सकते हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

रुपये की क्रय शक्ति

*83. **श्री हरिभाई चौधरी :**
श्री अब्दुल रशीद शाहीन :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों के दौरान भारतीय रुपये की क्रय शक्ति में लगातार गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1980-81 के दौरान रुपये के मूल्य को आधार मानते हुए वर्ष 1991-92 तथा 1999-2000 के बीच रुपये का औसत मूल्य कितना था;

(ग) क्या विश्व के विभिन्न देशों की मुद्रा की तुलना में रुपये के विनिमय मूल्य में पर्याप्त अन्तर आया है; और

(घ) यदि हां, तो 1999-2000 की अवधि के दौरान तत्संबंधी देश-वार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) और (ख) औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के पारस्परिक संबंध में मापी गई रुपये की क्रय शक्ति में इस सूचकांक में वृद्धि होने के साथ-साथ गिरावट आती है।

1980-81 को आधार वर्ष मानते हुए वर्ष 1991-92 और 1999-2000 के बीच रुपये का औसत मूल्य इस प्रकार था :

वर्ष	रुपये का मूल्य (पैसे में)
1991-92	36.99
1992-93	33.75
1993-94	31.40
1994-95	28.52
1995-96	25.88
1996-97	23.68
1997-98	22.13
1998-99	19.57
1999-2000	18.93

(ग) और (घ) वर्ष 1999-2000 के दौरान विश्व की मुख्य परिवर्तनीय मुद्राओं जैसे कि अमरीकी डालर, पौंड स्टर्लिंग, ड्यूश मार्क और जापानी येन के बदले रुपये का बाह्य मूल्य नीचे दिया गया है :

रुपये की विनिमय दर (रुपये/विदेशी मुद्रा)

अवधि औसत	अमरीकी डालर सरकारी रुपये/डालर	पौंड स्टर्लिंग रुपये/ड्यूश मार्क	ड्यूश मार्क रुपये/ ड्यूश मार्क	येन रुपये/येन
अप्रैल, 1999	42.73	68.76	23.37	0.357
जुलाई, 1999	43.58	68.13	22.73	0.362
अक्तूबर, 1999	43.45	72.00	23.83	0.410
जनवरी, 2000	43.55	71.43	22.42	0.415
मार्च, 2000	43.59	68.93	21.54	0.409

अमरीकी डालर के संबंध में रुपये की विनिमय दर अधिकांशत: बाजार द्वारा निर्धारित होती है और भारत में विदेशी मुद्रा बाजार में मांग और आपूर्ति की स्थितियों और अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में अमरीकी डालर की मजबूती पर निर्भर करते हुए दिन-प्रतिदिन के आधार पर घटती-बढ़ती रहती है।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से विनिवेश अथवा उनका निजीकरण

*84. श्री अनन्त नायक :
श्री सनत कुमार मंडल :

क्या विनिवेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में बड़ी संख्या में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से विनिवेश अथवा उनका निजीकरण करने संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो उन सरकारी उपक्रमों का ब्यौरा क्या है जिनसे विनिवेश किए जाने की संभावना है और उपक्रमवार उनके कितने शेयर विनिवेश किए जाने की संभावना है तथा इसके लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ग) सरकार को इस प्रक्रिया से कुल कितनी धनराशि प्राप्त होने की संभावना है;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की उपक्रमवार लाभ व हानि की स्थिति क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने निजीकरण संबंधी प्रक्रिया को तेज करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सलाहकार भी नियुक्त किए हैं;

यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनकी नियुक्ति क्या मानदंड अपनाए गए हैं और उन्हें इस कार्य के लिए कितनी धनराशि दी जाएगी;

(छ) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से विनिवेश करने के लिए एक तीन-वर्षीय भावी योजना तैयार करने का भी कोई प्रस्ताव है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(झ) क्या कुछ मजदूर संघों और अन्य संगठनों ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से शेयरों का विनिवेश करने के बारे में सरकार की नीति का विरोध किया है; और

(ञ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) और (ख) सरकार समय-समय पर विभिन्न कंपनियों के विनिवेश प्रस्तावों पर विचार करती है। वर्तमान में निम्नांकित 17 मामलों में विनिवेश का निर्णय ले लिया गया है तथा "परामर्शदाताओं" की नियुक्ति की जा चुकी है : भारत अल्यूमिनियम कंपनी लि., इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लि., एच.टी.एल. लिमिटेड, आर.बी.एल. लि., स्कूटर्स इंडिया लि., इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स लि., नेपा लि., हिन्दुस्तान केबल्स लि., इंस्ट्रूमेंटेशन लि., भारत लेदर लि., एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइन्स, भारत पर्यटन विकास निगम लि., मद्रास फर्टिलाइजर्स लि., नेशनल फर्टिलाइजर्स लि., हिन्दुस्तान कापर लि. तथा जेसाप एण्ड कं. लि.। 2 मामलों में विनिवेश का निर्णय ले लिया गया है, लेकिन परामर्शदाताओं की नियुक्ति अभी की जानी है। ये हैं : हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लि. तथा एम.एस.टी.सी. लिमिटेड। इन कम्पनियों में विनिवेश प्रक्रिया कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है। उनमें किए जाने वाले इक्विटी विनिवेश की प्रतिशतता, विनिवेश के समय आदि के बारे में निर्णय विभिन्न कारकों यथा बाजार दशाओं, निवेशक/क्रेता की रुचि, पेशेवर परामर्शदाताओं की सलाह आदि को ध्यान में रखकर किया जाता है।

(ग) शेयरों की बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि का कोई अनुमान इस अवस्था पर नहीं लगाया जा सकता है।

(घ) लोक उद्यम विभाग द्वारा प्रकाशित लोक उद्यम सर्वेक्षण (1998-99) में यथा उल्लिखित सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों के लाभ/हानि को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ङ) और (च) भाग (क) के उत्तर में जैसा कि सूचित किया गया है, सरकार के निर्णयों के क्रियान्वयन में सहायता करने के लिए सरकारी क्षेत्र के 17 उपक्रमों के मामले में "परामर्शदाताओं" की नियुक्ति की जा चुकी है। परामर्शदाताओं का चयन सार्वभौमिक प्रतिस्पर्धात्मक बोली की प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है, जिसमें राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में विज्ञापन देना, जो कि आवश्यकता पर निर्भर करता है, अन्तर्मंत्रालयीय समिति के समक्ष तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर चुनाव तथा चयनित बोलीदाताओं का बोली मूल्य शामिल है। परामर्शदाताओं को भुगतान किया जाने वाला शुल्क प्रतिस्पर्धात्मक चयन प्रक्रिया के दौरान प्राप्त उद्धृत मूल्यों पर आधारित होता है।

(छ) और (ज) सरकार समय-समय पर सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों में विनिवेश के विभिन्न प्रस्तावों पर घोषित विनिवेश नीति के अनुसार विचार करती है। सरकार द्वारा अन्तिम रूप से निर्णय लिए जाने के पश्चात् ऐसे निर्णयों के बारे में घोषणा की जाती है।

(झ) और (ञ) सरकारी क्षेत्र के उपक्रम विशेष में विनिवेश के विरुद्ध विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने अभ्यावेदन दिया है। जैसा कि वर्ष 2000-2001 के वित्त मंत्री के बजट भाषण में उल्लेख किया गया है; इस संबंध में सरकार की नीति के विभिन्न तत्वों में से एक कामगारों के हितों की पूर्ण सुरक्षा करना है।

विवरण

(लाख रुपये)

क्रम सं.	कम्पनी का नाम	निवल लाभ/हानि (-)•		
		1998-99	1997-98	1996-97
1	2	3	4	5
1.	भारत अल्यूमिनियम कं. लि.	7632	7984	6179
2.	आई.पी.सी.एल	2936	24369	51020
3.	एच.टी.एल. लि.	684	566	-813
4.	आर.बी.एल. लि.	186	-122	-169

1	2	3	4	5
5.	स्कूटर्स इण्डिया लि.	660	1188	1060
6.	इंजिनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लि.	-3419	-3574	-4875
7.	नेपा लिमिटेड	-321	-2016	-5657
8.	हिन्दुस्तान केबल्स लि.	-13873	-17394	-14613
9.	इन्सट्रूमेंटेशन लि.	2065	-2237	-1975
10.	भारत लैदर लि.	-364	-265	-243
11.	एयर इंडिया	-17448	-18101	-29694
12.	इण्डियन एयर लाईन्स	1312	4727	-1459
13.	भारत पर्यटन विकास निगम	994	4340	5641
14.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लि.	-2761	-5535	1210
15.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लि.	4115	18901	1120
16.	हिन्दुस्तान कॉपर लि.	-5120	-16972	-13062
17.	जेसप एण्ड कं. लि.	70	8873	-6013
18.	एच.ओ.सी.एल.	-2307	-84	1564
19.	एम.एस.टी.सी. लि.	216	183	230

•ऋणात्मक चिन्ह (-) हानियों के सामने दर्शाया जाता है।

सुपर बाजार को बंद करना

*85. **श्रीमती श्यामा सिंह :**
श्री रामचन्द्र पासवान :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में सुपर बाजार की शाखाओं को बन्द करने का है;

(ख) यदि हां, तो आम व्यक्ति के इस बाजार को किन परिस्थितियों के कारण बन्द करना पड़ रहा है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप अनुमानत: कितने कर्मचारियों के प्रभावित होने की संभावना है;

(घ) सरकार द्वारा उनके पुनर्वास हेतु क्या वैकल्पिक व्यवस्था किए जाने का विचार है;

(ङ) क्या सुपर बाजार आफिसर्स एसोसिएशन ने सरकार को सुपर बाजार को घाटे की स्थिति से उबारने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(छ) सरकार द्वारा इसको लाभप्रद बनाने हेतु क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) से (छ) सुपर बाजार के आफिसर्स एसोसिएशन ने सुपर बाजार के प्रबंध निदेशक को कुछ प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं, उनकी एक प्रति अपर सचिव/अध्यक्ष, सुपर बाजार की प्राप्त हुई है जिसमें अन्य बातों के अलावा, स्थान को बैंक को किराए पर देने, शराब तथा मसाले (थोक), सफाई पाउडर, फिनाइल, टाइपिंग कागज आदि जैसी अन्य वस्तुएं बेचने के सुझाव दिए गए हैं। इन सुझावों पर विचार करना और इसको लाभकारी ढंग से चलाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में निर्णय लेना सुपर बाजार के प्रबंधक मण्डल का काम है।

चलचित्र विकास निगमों और सैंसर बोर्ड का पुनर्गठन

*86. **श्री पी०डी० एलानगोवन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की विभिन्न चलचित्र विकास निगमों और भारतीय सैंसर बोर्ड को पुनर्गठित करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान भाषावार कितनी फिल्मों को सैंसर बोर्ड का प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया और गत तीन वर्षों के दौरान कितनी फिल्मों को सैंसर बोर्ड द्वारा प्रमाण-पत्र नहीं दिया गया;

(घ) क्या सरकार की उन फिल्म निर्माताओं/निर्माण इकाइयों को मुआवजा देने की कोई योजना है जिनकी फिल्मों को सैंसर बोर्ड द्वारा प्रमाण-पत्र नहीं दिया गया; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) और (ख) केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के फिल्म प्रमाणन बोर्ड का गठन चलचित्र अधिनियम के अन्तर्गत अक्तूबर, 1998 में विधिवत रूप से किया गया था। बोर्ड के सदस्यों का सामान्य कार्यकाल तीन वर्ष होता है। बोर्ड का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसका पुनर्गठन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के मामले में, गैर-सरकारी सदस्यों के स्थान रिक्त हुए हैं। सरकार ने 12 जुलाई, 2000 को बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति की है। प्रबंध निदेशक, जो कि बोर्ड के पदेन सदस्य हैं, उनके चयन और गैर-सरकारी निदेशकों के चयन की प्रक्रिया अंतिम अवस्था में है।

(ग) पिछले तीन वर्ष के दौरान केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा जिन फीचर फिल्मों (सैल्युलाएड) को प्रमाण-पत्र जारी किया गया उनका भाषावार संलग्न विवरण-I में दिया गया है। पिछले तीन वर्ष में बोर्ड द्वारा जिन फिल्मों को प्रमाण-पत्र नहीं दिया गया, उनकी संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(घ) जी, नहीं। चलचित्र अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत फिल्म के सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए प्रमाण-पत्र लेना प्रत्येक फिल्म निर्माता की जिम्मेवारी है। केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा फिल्म के प्रमाण-पत्र देने से इंकार करने पर फिल्म निर्माता को ऐसी मनाही करने पर प्रतिपूर्ति मांगने का अधिकार नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

पिछले तीन वर्ष के दौरान प्रमाणित फीचर फिल्मों (सैल्युलाएड) की भाषावार संख्या

भाषा	प्रमाणित फिल्मों की संख्या		
	1997	1998	1999
1	2	3	4
तेलुगु	151	124	132
तमिल	128	133	153
[illegible]	117	153	166
ालम	92	69	65
कन्नड	81	72	87
मराठी	9	18	24
पंजाबी	14	11	5
नेपाली	2	4	10
गुजराती	10	15	27
बंगला	49	48	51
भोजपुरी	2	6	2
राजस्थानी	2	4	3
असमी	5	5	7
अंग्रेजी	7	5	6
मणिपुरी	5	2	4
उड़िया	20	19	15
उर्दू	1	–	–
टी ट्राइब	1	–	–
कोडावा	–	1	–
तुलु	–	2	–
गढ़वाली	1	1	1
कश्मीरी	–	–	1
फ्रेंच	–	–	1
मैथिली	–	–	1
हिन्दुस्तानी	–	–	1
छोटानागपुरी	–	–	1
हरियाणबी	–	–	1
फारसी	–	–	–
विदेशी फीचर फिल्में	191	180	203
जोड़	888	873	967

विवरण-II

पिछले तीन वर्ष में प्रमाणन से इंकार की गई फीचर फिल्मों (सैल्युलाएड) की संख्या

भाषा	प्रमाणन से इंकार की गई फिल्मों की संख्या		
	1997	1998	1999
हिन्दी	3	13	31
अंग्रेजी	2	–	–
तमिल	3	2	5
कन्नड	–	1	3
बंगला	–	1	–
मलयालम	–	–	2
विदेशी फीचर फिल्में	20	23	26
जोड़	28	40	67

औद्योगिक रूप से पिछड़े जिले

*87. **कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी :**
डा० मन्दा जगन्नाथ :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों के नाम क्या हैं और उनकी संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने इन जिलों विशेषकर राजस्थान, आंध्र प्रदेश और बिहार के ऐसे जिलों के औद्योगिक विकास हेतु कोई विशिष्ट योजना बनाई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रमण) : (क) वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग ने दिनांक 7.10.1997 की अधिसूचना संख्या का.आ. 714(ई) के अन्तर्गत 123 औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों को आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत कर रियायत प्रदान करने हेतु श्रेणी 'क' तथा श्रेणी 'ख' के रूप में वर्गीकृत घोषित किया था। इन जिलों की राज्यवार सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) और (ग) आयकर अधिनियम की धारा 80-आई.बी. के अन्तर्गत ऐसे औद्योगिक उपक्रम, जिन्होंने क्रियाकलाप 1.10.94 के बाद शुरू किए, किन्तु 31.3.2000 से पूर्व औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों की श्रेणी 'क' में 5 वर्ष की अवधि के लिए 100 प्रतिशत तक करावकाश के हकदार हैं और श्रेणी 'ख' के अन्तर्गत आने वाले जिले 3 वर्ष की अवधि के लिए करावकाश प्राप्त करने के हकदार हैं। ऐसे औद्योगिक उपक्रम, जो कि इन दोनों जिलों की श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैं, वे अपने लाभ तथा अधिप्राप्तियों के मामले में और 5 वर्ष की अवधि के लिए और 25 प्रतिशत कटौती के हकदार हैं। (कम्पनियों के मामले में यह कटौती 30 प्रतिशत है।)

इसके अलावा, सरकार के पास पिछड़े क्षेत्रों में अन्य केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं संचलन में हैं, जिनका प्रत्येक योजना के मानदण्डों तथा नीति उपायों के आधार पर चयन किया जाता है ताकि संपूर्ण देश में पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके। ये योजनाएं निम्नलिखित हैं :-

1. **एकीकृत अवसंरचनात्मक विकास योजना :** यह योजना लघु उद्योग एवं कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की गई है और इसमें लघु उद्योगों हेतु संरचनात्मक सुविधाओं को विकसित किए जाने की व्यवस्था की गई है ताकि ग्रामीण पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की अवस्थापना किए जाने के संबंध में सुविधा प्रदान की जा सके।

2. **विकास केन्द्र योजना :** इस योजना के अन्तर्गत संपूर्ण देश में चुनिंदा पिछड़े क्षेत्रों में 71 विकास केन्द्रों को विकसित किया जा रहा है, जो कि विद्युत, जल, दूरसंचार, मल निकासी, नि:स्रवण निपटान, आदि से संबंधित मूलभूत संरचनात्मक सुविधा प्रदान करेंगे ताकि उद्योगों को आकर्षित किया जा सके। ये विकास केन्द्र पिछड़े क्षेत्रों में अवस्थित हैं, जिन्हें योजना आयोग द्वारा योजना के अन्तर्गत संबद्ध राज्य सरकारों के चयन तथा सिफारिश के आधार पर विनिर्दिष्ट किया जाता है।

3. **परिवहन राजसहायता योजना :** अधिसूचित किए गए पहाड़ी, दूरस्थ और अगम्य क्षेत्रों में उद्योगों का संवर्धन किए जाने हेतु निर्दिष्ट रेल शीर्षों/पत्तनों को ले जाने वाले तथा वहां से वापस लाए जाने वाले कच्चे माल/तैयार वस्तुओं के संचलन पर खर्च की गई परिवहन लागत पर 50 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक की रेंज में राजसहायता स्वीकार्य है।

4. **पूर्वोत्तर के लिए औद्योगिक नीति पैकेज :** पूर्वोत्तर क्षेत्र की विशिष्ट भौगोलिक समस्याओं तथा इसके निरंतर पिछड़ेपन को दृष्टिगत करते हुए दिसम्बर, 1997 में पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु एक नई औद्योगिक नीति और अन्य रियायतों की घोषणा की गई थी।

उपर्युक्त 1 और 2 पर दर्शायी गई योजनाओं का संबंध राजस्थान, आंध्र प्रदेश और बिहार राज्यों से है। इन राज्यों हेतु स्वीकृत किए गए विकास केन्द्रों और एकीकृत संरचनात्मक विकास केन्द्रों की एक सूची विवरण-II के रूप में संलग्न है।

विवरण-I

दिनांक 7.10.97 के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग के का.आ. संख्या 714(ई) द्वारा अधिसूचित की गई देश के औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों की सूची

वर्ग 'क'	वर्ग 'ख'
1	2
बिहार	**आंध्र प्रदेश**
गोड्डा	श्रीकाकुलम
गुम्ला	महबूबनगर
अरारिया	**बिहार**
मधेपुरा	कतियार
दुमका	भागलपुर
खगड़िया	गोपालगंज
किशनगंज	दरभंगा
पलमाऊ	पश्चिमी चम्पारन
मधुबनी	सारन
जहानाबाद	भोजपुर
सहरसा	समस्तीपुर
नवादा	दियोगढ़
सीतामराह	नालंदा
साहेबगंज	गया
औरंगाबाद	मुजफ्फरपुर
ईस्ट चम्पारन	रोहतास
पूर्णिया	**गुजरात**
सिवान	बनासकांठा
वैशाली	साबरकांठा

1	2
लोहर-डागा	कर्नाटक
गुजरात	बिदार
डांग्स	मध्य प्रदेश
केरल	सियोनी
इडुक्की	टिकमगढ़
वेनाड	शिवपुरी
मध्य प्रदेश	बालाघाट
माण्डला	झबुआ
पन्ना	सिधी
बस्तर	विदीशा
	रायगढ़
सारगुजा	मुरेना
छतरपुर	बेतुल
महाराष्ट्र	राजगढ़
गढचिरौली	राजनंदगांव
उड़ीसा	सागर
फुलबानी	महाराष्ट्र
कालाहांडी	बीड
राजस्थान	उड़ीसा
जालौर	बोलनगीर
बडमेर	मयूरभंज
जैसलमेर	बलसौर
चुरु	गंजम
बनासवाड़ा	राजस्थान
उत्तर प्रदेश	डुंगरपुर
सिद्धार्थनगर	धोलपुर
बहरैच	सवाई-माधोपुर
प्रतापगढ़	टोंक
महाराजगंज	नागौर
बांदा	सीकर

1	2
बस्ती	झालावार
चमोली	उत्तर प्रदेश
उत्तरकाशी	माऊ
अल्मोड़ा	हरदोई
पिथोरागढ़	ललितपुर
टिहरी-गढ़वाल	हमीरपुर
पश्चिम बंगाल	बदौन
मालदा	फतेहपुर
वेस्ट दीनाजपुर	आजमगढ़
मुर्शिदाबाद	इटाह
कूचबेहर	बाराबंकी
बंकूरा	इटावा
जलपाईगुड़ी	दियोरिया
	गाजीपुर
	बलिया
	जौनपुर
	सीतापुर
	जालौन
	ऊनाव
	फैजाबाद
	कानपुर-देहात
	मैनपुरी
	गोंडा
	फर्रुखाबाद
	सुलतानपुर
	मिरजापुर
	पश्चिम बंगाल
	पुरुलिया
	मिदनापुर
	बीरभूम

विवरण-II

राजस्थान, आंध्र प्रदेश और बिहार में स्वीकृत किए गए विकास केन्द्रों और एकीकृत संरचनात्मक विकास (आई.आई.डी.) केन्द्रों की सूची

राज्य	स्थापना स्थल	
	विकास केन्द्र	आई.आई.डी. केन्द्र
राजस्थान	आबु-रोड (सिरोही)	जोधपुर
	भीलवाड़ा (भीलवाड़ा)	नागौर
	खारा (बीकानेर)	टोंक
	धोलपुर (धोलपुर)	उदयपुर
	झालावाड़ (झालावाड़)	–
आंध्र प्रदेश	हिन्दुपुर (हिन्दुपुर)	कर्नूल
	खम्माम (खम्माम)	रंगारेड्डी
	बोबिली (विजयानगरम)	नेल्लोर
	अंगोले (प्रकासम)	वरांगल
		चित्तूर
बिहार	बेगुसराय (बेगुसराय)	शून्य
	भागलपुर (भागलपुर)	
	छपरा (छपरा)	
	दरभंगा (दरभंगा)	
	हजारीबाग (हजारीबाग)	
	मुजफ्फरपुर (मुजफ्फरपुर)	

सरकारी खर्च

*88. **श्री राम मोहन गाड्डे :**
श्री शिवाजी माने :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा सरकारी खर्च को कम करने और सरकारी तंत्र का आकार छोटा करने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों को भी कोई निर्देश जारी किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस संबंध में वित्तीय सलाहकारों के साथ कोई बैठक आयोजित की गई थी;

(ङ) यदि हां, तो इस संदर्भ में दिए गए सुझावों/किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(च) राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए सरकार ने अन्य कौनसे कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) सरकारी खर्च को कम करने और सरकारी तंत्र का आकार छोटा करने के लिए किए गए उपायों में 1.1.1992 की यथास्थिति में स्वीकृत पदों की संख्या में 10 प्रतिशत की कटौती, शून्य आधारित बजटीय प्रणाली शुरू करना और मितव्ययिता उपाय जैसे नये पदों के सृजन पर प्रतिबंध, इससे पहले कि वे भरे जाएं खाली पदों की पुनर्समीक्षा, आफिस व्यय में कमी, वाहनों की खरीद पर प्रतिबंध, विदेशी यात्रा पर प्रतिबंध और सत्कार/स्वागत व्यय में कमी इत्यादि शामिल हैं। राज्य सरकारों को भी इसी तरह के मितव्ययिता उपाय अपनाने की सलाह दी गई है। सरकार ने एक व्यय सुधार आयोग का भी गठन किया है जिसके विचारार्थ विषयों में अन्य बातों के साथ-साथ केन्द्रीय सरकार के प्रशासनिक ढांचे, गतिविधियों और क्रियाकलापों में कमी लाने के प्रस्ताव का मार्ग प्रशस्त करने वाले सही तौर-तरीके सुझाना भी है।

(घ) से (च) वित्तीय सलाहकारों के साथ 4 जुलाई, 2000 को एक बैठक आयोजित की गई थी जिसमें राजकोषीय अनुशासन को कायम रखने और व्यय प्रबन्धन के निर्णयों को लागू करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। राजकोषीय घाटा कम करने के लिए समग्र बजटीय आबंटनों में व्यय को सीमित करने, राजस्व वसूली और सरकार की गैर कर प्राप्तियों में सुधार के उपाय किए जा रहे हैं।

तम्बाकू उद्योग

*89. **श्री गंता श्रीनिवास राव :**
श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुराष्ट्रीय निगमों को तम्बाकू-उद्योग में निवेश करने की अनुमति दे दी गई है;

(ख) क्या तम्बाकू-उत्पादक यूनियनों ने सरकार से बहुराष्ट्रीय निगमों के प्रवेश पर रोक लगाने का आग्रह किया है;

(ग) क्या सरकार ने जून, 2000 में तम्बाकू-उत्पादकों, व्यापारियों और विनिर्माताओं के साथ बातचीत की थी;

(घ) यदि हां, तो किन-किन प्रमुख मुद्दों पर बातचीत की गई थी;

(ङ) क्या सरकार तम्बाकू-उत्पादकों आदि की मांगों पर विचार करने पर सहमत हो गई है; और

(च) यदि हां, तो इन मांगों का ब्यौरा क्या है और उन पर कहां तक विचार किया गया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) तम्बाकू क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति नहीं दिए जाने की वर्तमान परिपाटी में परिवर्तन करने का कोई विचार नहीं है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, हां। 2 जून, 2000 को तम्बाकू उत्पादकों, व्यापारियों और विनिर्माताओं के प्रतिनिधियों के साथ तथा 30 जून, 2000 को व्यापारियों और विनिर्माताओं के साथ विचार-विमर्श किया गया था।

(घ) विचार-विमर्श के लिए मुख्य मुद्दों में शामिल थे--तम्बाकू नीलामियों में क्रेताओं की अधिक भागीदारी, एसटीसी द्वारा तम्बाकू की अधिक खरीद और निम्न श्रेणी के तम्बाकू के संबंध में तम्बाकू बोर्ड द्वारा न्यूनतम समर्थन कीमत (एमएसपी) प्रचालन।

(ङ) और (च) फसल अवकाश की मांग के संबंध में तम्बाकू बोर्ड ने आंध्र प्रदेश में उत्पादकों के लिए पंजीकरण क्रियाकलाप तथा फसल आकार के निर्धारण का कार्य स्थगित कर दिया है। स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ने भी उपजकर्त्ताओं की मांग पर सभी नीलामी मंचों से एफसीवी तम्बाकू की खरीद के लिए अपने प्रचालन को तेज कर दिया है। तम्बाकू बोर्ड ने आंध्र प्रदेश में निम्न श्रेणी के तम्बाकू के संबंध में न्यूनतम समर्थन कीमत प्रचालन भी आरम्भ किया है।

[हिन्दी]

अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश

*90. **कुमारी भावना पुंडलिक राव गवली** : क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्ष के दौरान प्रतिवर्ष और आज की तारीख तक अनिवासी भारतीयों द्वारा कुल कितने रुपये का निवेश किया गया; और

(ख) सरकार द्वारा अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान अनिवासी भारतीय द्वारा विभिन्न निवेश योजनाओं के माध्यम से किए गए कुल निवेश निम्न प्रकार हैं :-

(करोड़ रुपये)

	1997-98	1998-99	1999-2000 (अनन्तिम)	2000-2001 (अप्रैल-मई) (अनन्तिम)
1. अनिवासीभारतीय प्रत्यक्ष निवेश योजनाएं	878.35	356.03	448.91	49.65
2. पोर्टफोलियो निवेश (निवल स्थिति)	359.90	(-)5.67	(-)684.63	(-)1223.19
3. रिसर्जेंट इंडिया कोड	—	18000.00	—	—

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई.)/एन.आर.आई. निवेशों को अभिशासित करने वाली नीतियों तथा प्रक्रियाओं को अनिवासी भारतीयों के लिए अधिक अनुकूल निवेश माहौल सृजित करने के लिए समय-समय पर सुप्रवाही/सरल बनाया जाता है, जिनमें ये शामिल हैं : (i) क्षेत्रीय सीमाओं वाले क्षेत्रों में उच्चतर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सीमाएं, जैसे हवाई टैक्सी प्रचालन तथा निजी क्षेत्र के बैंक; (ii) आवास तथा स्थावर सम्पदा क्षेत्र, जो अन्यथा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश हेतु उपलब्ध नहीं है, में 100 प्रतिशत तक निवेश; तथा (iii) किसी कम्पनी में व्यष्टि अनुषंगी बाजार निवेश सीमा को 1 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत करना तथा सभी अनिवासी भारतीयों द्वारा किसी कम्पनी में कुल निवेश को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करना, जो विदेशी संस्थागत निवेशक की निवेश सीमाओं से बाहर तथा पृथक् होगा ताकि विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा अनिवासी भारतीयों पर दबाव से बचा जा सके।

आई०टी०डी०सी० के होटलों को बेचना

*91. **श्री रिजवान जहीर :**
श्री एन० जनार्दन रेड्डी :

क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विनिवेश आयोग की सिफारिशों के अनुसार सरकार ने आई. टी.डी.सी. के कौन-कौन से होटलों को बेच दिया है या बेचे जाने का प्रस्ताव है;

(ख) तत्संबंधी होटल-वार तथा राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस नीति को लागू करते समय कामगारों तथा कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखा गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) और (ख) सरकार ने विनिवेश आयोग की भारत पर्यटन विकास निगम से संबंधित सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं। जहां तक भारत पर्यटन विकास निगम के होटल संचालनों का संबंध है, आयोग की प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं :-

"1. दिल्ली और बंगलौर जैसे प्रमुख स्थानों पर स्थित होटलों को प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम से प्रतिष्ठित होटल श्रृंखलाओं को सौंप दिया जाना चाहिए ताकि उनका संचालन पट्टा-सह-प्रबंधन आधार पर दीर्घकालिक करार पर किया जा सके।

2. अन्य होटलों को अलग-से निगमित इकाइयों में आमेलित कर दिया जाना चाहिए तथा नई कम्पनियों में विनिवेश उनमें धारित सरकारी शेयरों की शत-प्रतिशत बिक्री के माध्यम से किया जाना चाहिए।"

(ग) और (घ) विनिवेश आयोग की सिफारिशों में यह प्रावधान किया गया है कि यह अच्छा होगा कि मजदूरों के हितों का ध्यान रखने के लिए प्रत्येक मामले में भारत पर्यटन विकास निगम, ट्रेड यूनियनों तथा संबंधित पार्टियों के बीच त्रिपक्षीय करार कर लिया जाए।

[अनुवाद]

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आगम

*92. **श्री जी०एम० बनातवाला :**
श्री माधवराव सिंधिया :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996 से प्रति वर्ष भारत द्वारा कितनी मात्रा में और कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकृष्ट किया गया;

(ख) क्या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आगम के क्षेत्र में अन्य विकासशील देशों की तुलना में हमारा देश काफी पीछे है;

(ग) यदि हां, तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आगम के मामले में विकासशील देशों में भारत का स्तर क्या है;

(घ) वर्ष 1996 से प्रतिवर्ष कुल स्वीकृतियों की तुलना में वास्तविक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आगम की मात्रा और प्रतिशत क्या रहा है;

(ङ) किन-किन क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का आगम निर्धारित लक्ष्य से कम था और कितनी-कितनी मात्रा में कम था;

(च) विश्व स्तर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की मात्रा और हमारे कुल स्वीकृत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की तुलना में कम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आगम के क्या कारण हैं; और

(छ) स्थिति में सुधार हेतु उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रमण) : (क) और (घ) वर्ष 1996 से प्रति वर्ष में अनुमोदित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और वास्तविक अंतर्वाह की मात्रा और प्रतिशतता का विवरण नीचे दिया गया है :-

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	अनुमोदित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की राशि	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अंतर्वाह की राशि	अनुमोदनों की तुलना में अंतर्वाह की प्रतिशतता
1996	36,146.81	10,389.20	28.74
1997	54,891.35	16,425.33	29.92
1998	30,813.50	13,339.84	43.29
1999	28,366.53	16,867.79	59.46
2000 (जनवरी-मई)	8,140.87	7.074.99	86.91

(ख) और (ग) संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रकाशित विश्व निवेश रिपोर्ट-1999 के अनुसार, वर्ष 1998 में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अंतर्वाह के संबंध में भारत का एशिया प्रशांत क्षेत्र की 20 शीर्षस्थ अर्थ-व्यवस्थाओं में 7वां स्थान है।

(ङ) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के संबंध में कोई क्षेत्र विशेष लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं।

(च) एक गन्तव्य से दूसरे गन्तव्य तक निवेश का प्रवाह होने से संबंधित क्रियाकलापों में कई घटक निर्देशित होते हैं, जिनमें दृढ़ अवसंरचनात्मक आधार की उपलब्धता, अनुकूल निवेश वातावरण, कानून और व्यवस्था तथा सर्वोपरि निवेशकों की वाणिज्यिक सूझबूझ शामिल हैं। अंतर्वाह का किसी परियोजना की वित्तीय आवश्यकताओं से भी संबंध है। बृहद् परियोजनाओं में जैसे कि विद्युत, दूरसंचार, तेल शोधन-शालाओं, पत्तन, सड़क, परिवहन, आदि में निधियां आवश्यकता के आधार पर, चरणों में निवेशित की जाती हैं। जनवरी, 1996 से मई, 2000 तक की अवधि में अनुमोदित किए गए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की तुलना में अंतर्वाह के अनुपात ने निरंतर ऊर्ध्वगामी प्रवृत्ति दर्शाई है।

(छ) भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति की निरंतर समीक्षा और इसका पुनर्निष्पादन किया जाता है। विदेशी निवेश क्रियान्वयन प्राधिकरण की भी स्थापना की गई है, जिसमें राज्य सरकारों, विशिष्ट परियोजनाओं के लिए नोडल केन्द्रीय मंत्रालयों और उद्यमियों के प्रतिनिधि होते हैं, ताकि निवेशकों के सामने आने वाली समस्याओं का निपटारा किया जा सके और परियोजनाओं के क्रियान्वयन को सुविधाजनक बनाया जा सके।

पाकिस्तान के साथ व्यापार

*93. **श्री नरेश पुगलिया** : **क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 28 जून, 2000 को इस्लामाबाद में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में पाकिस्तान के वाणिज्य मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य के अनुसार पाकिस्तान भारत के साथ व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने का इच्छुक है और भारत को सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र का दर्जा देने का प्रस्ताव किया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारत और पाकिस्तान के बीच इस समय कितने रुपये का व्यापार किया जा रहा है;

(घ) क्या भारत सरकार को पाकिस्तान सरकार से इस संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। पाकिस्तान के वाणिज्य मंत्री ने दिनांक 3 जुलाई, 2000 को यह स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान द्वारा भारत को परम मित्र राष्ट्र (एमएफएन) का दर्जा देने का कोई विचार नहीं है।

(ग) अप्रैल-मार्च, 1999-2000 की अवधि के दौरान भारत द्वारा पाकिस्तान को किया गया निर्यात 405.35 करोड़ रु. का था जबकि इसी अवधि में पाकिस्तान से किया गया हमारा आयात 296.74 करोड़ रु. का था।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

दूरदर्शन के कम शक्ति वाले ट्रांसमीशन केन्द्रों की स्थापना

*94. श्री सुबोध मोहिते : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन का विचार नौवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक सभी प्रमुख शहरों/कस्बों में कम शक्ति वाले ट्रांसमीशन केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में आज तक की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दूरदर्शन अपनी इस योजना को निर्धारित समय में पूरा करने के लिए आर्थिक दृष्टि से सक्षम है; और

(घ) यदि नहीं, तो दूरदर्शन के वित्तीय स्रोतों को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) और (ख) दूरदर्शन देश में विभिन्न स्थानों पर ट्रांसमीटर स्थापित करने के लिए प्रस्तावित ट्रांसमीटर द्वारा कवर की जाने वाली जनसंख्या और संभावित क्षेत्र जैसे मानदण्डों के आधार पर योजनाएं बनाता है। अधिकांशत: सभी बड़े शहरों/नगरों में उसी शहर/नगर में अथवा समीप के शहर/नगर में स्थापित ट्रांसमीटर के माध्यम से टेलीविजन सेवा उपलब्ध है। वर्तमान में, देश में 1150 दूरदर्शन ट्रांसमीटर हैं जो 88.2 प्रतिशत जनसंख्या को दूरदर्शन सेवा प्रदान कर रहे हैं तथा देश के 75.3 प्रतिशत भू-भागीय क्षेत्र को कवर कर रहे हैं। दूरदर्शन कवरेज के और विस्तार हेतु इस समय 255 ट्रांसमीटर परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं जिनमें डीडी-2 (मैट्रो चैनल) के लिए 50 ट्रांसमीटर शामिल हैं। आशा है कि 9वीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक इन परियोजनाओं के पूरा होने पर डीडी सेवा 93 प्रतिशत जनसंख्या को उपलब्ध होगी।

(ग) और (घ) दूरदर्शन द्वारा टेलीविजन कवरेज के विस्तार हेतु योजनाएं पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से प्रदान की गई बजटीय सहायता और इनके अपने आंतरिक रूप से अर्जित वाणिज्यिक राजस्व से कार्यान्वित की जाती रही हैं। ऊपर उल्लिखित कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं की भावी वित्तीय जरूरतों को भी पर्याप्त बजटीय आबंटनों और आंतरिक रूप से अर्जित वाणिज्यिक राजस्व से पूरा करने का प्रस्ताव है।

आयात/निर्यात लाइसेंस प्रतिबंधों से मुक्त मदें

*95. श्री एन०एन० कृष्णदास :
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कतिपय वस्तुओं को आयात/निर्यात लाइसेंस संबंधी प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो मुक्त आयात/निर्यात सूची में रखी गई मदों का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 714 मदों को आयात लाइसेंस प्रतिबंधों से मुक्त करने का सरकार का हाल ही का निर्णय देश का विश्व व्यापार संगठन के प्रति अपने दायित्व को निभाने का हिस्सा है;

(घ) क्या इस निर्णय के कारण इन मदों का आयात अचानक बढ़ गया है;

(ङ) यदि हां, तो क्या इसके परिणामस्वरूप स्वदेशी उद्योग तथा पाटन-रोधी निदेशालय को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त निर्णय के परिणामस्वरूप पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों से भारतीय किसानों और घरेलू उद्योगों को बचाने और पाटन-रोधी निदेशालय के बोझ को कम करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (च) भारत 1991 से आयातों पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त करने के लिए एक मततगामी नीति अपनाती आ रही है। टैरिफ लाइनवार आयात नीति की घोषणा पहली बार 31.3.96 को की गई थी। उस तारीख तक की स्थिति के अनुसार कुल 10202 टैरिफ लाइनों में से 6161 टैरिफ लाइनों का आयात मुक्त था। 1.4.96 से 31.3.97 तक की अवधि के दौरान 488 टैरिफ लाइनों पर से प्रतिबंध हटाया गया था। 1.4.97 से 13.4.98 तक की अवधि के दौरान अन्य 391 टैरिफ लाइनें और 1.4.99 को 894 टैरिफ लाइनें मुक्त कर दी गई थीं। हाल ही में 31.3.2000 को 714 टैरिफ लाइनों पर से आयात प्रतिबंध हटाए गए हैं। जिन मदों का मुक्त रूप से आयात किए जाने की अनुमति दी गई है उनका ब्यौरा "निर्यात एवं आयात मदों का आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण" नामक पुस्तक में दिया गया है। इस पुस्तक की प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

वर्ष 1993-94 से 1998-99 तक की अवधि के आयात आंकड़ों से यह देखा जा सकता है कि इस अवधि के दौरान आयातों को मुक्त किए जाने से आयातों की औसत वृद्धि दर पर कोई खास असर नहीं पड़ा है।

तथापि, सरकार टैरिफ तंत्र का समुचित उपयोग करके यह सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण रूप से कृतसंकल्प है कि आयातों में से घरेलू उद्योग को कोई गंभीर नुकसान या क्षति न हो। इस प्रयोजन से, सरकार ने ऐसी अनेक मदों पर लगने वाले शुल्क में वृद्धि की है जिन मदों के आयातों में वृद्धि देखी गई थी या वृद्धि होने की आशंका थी। उदाहरण के लिए, सुपारी पर शुल्क को बढ़ाकर 100 प्रतिशत तक कुक्कुट उत्पादों पर 100 प्रतिशत तक, गेहूं पर 50 प्रतिशत तक, मलाईरहित दुग्ध पाउडर पर 60 प्रतिशत तक, सेब पर 50 प्रतिशत तक, खाद्य तेलों पर 50 प्रतिशत तक और चावल पर 80 प्रतिशत तक कर दिया गया है। अधिकांश कृषि मदों के बारे में डब्ल्यूटीओ में भारत की टैरिफ बाध्यताएं काफी अधिक हैं और आयातों में पर्याप्त वृद्धि के किसी साक्ष्य के मौजूद होने पर सीमाशुल्क की प्रभावी दरों को उन स्तरों तक बढ़ाया जा सकता है।

वाणिज्य विभाग में पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय 714 मदों पर आयात प्रतिबंधों को हटाए जाने के फलस्वरूप, किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं कर रहा है।

कर अनुपात में कम वृद्धि

*96. प्रो० रासा सिंह रावत :
श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में कर अनुपात में कम वृद्धि दर पर चिन्ता व्यक्त की है और इस प्रवृत्ति को परावर्तित करने का आह्वान किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या विभाग द्वारा प्रत्यक्ष कर में गत वर्ष की तुलना में जून तक 64 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या वर्ष 2000-2001 के लिए 72,000 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या विशेषज्ञों ने यह सुझाव दिया है कि कर प्रणाली पारदर्शी और स्वीकार्य होनी चाहिए ताकि लोक स्वेच्छा से कर का भुगतान कर सकें;

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा कराधान प्रणाली को सरल बनाए जाने हेतु किन-किन बातों पर विचार किया जा रहा है ताकि सभी व्यक्ति सरकार को आसानी से कर का भुगतान कर सकें;

(च) क्या सरकार ने उन व्यक्तियों के खिलाफ भी कठोर कार्यवाही करने का निर्णय लिया है जो बकाया कर का भुगतान नहीं कर रहे हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० धनन्जय कुमार) : (क) सरकार को मालूम है कि भारत में सकल घरेलू उत्पाद से कर का अनुपात अपेक्षाकृत कम है और इसे सुधारने के लिए इच्छुक हैं।

(ख) अप्रैल-जून, 2000 के दौरान प्रत्यक्ष करों की वसूली गत वर्ष की इसी अवधि के दौरान हुई वसूली से अपेक्षाकृत 66.73 प्रतिशत अधिक थी।

(ग) वर्ष 2000-2001 के लिए प्रत्यक्ष करों के लिए बजट अनुमान 72,105 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।

(घ) और (ङ) कर संरचना और अधिक पारदर्शी बनाने और कर कार्यपालन में सुधार लाने के लिए संरचना को सरल बनाने हेतु पहले से ही उपाय किए गए हैं। इन उपायों में आयात शुल्क की दरों की विविधता में कमी करना; कुछ अपवादों को छोड़कर सभी उत्पाद-शुल्क योग्य माल पर मूल्यानुसार 16 प्रतिशत की दर से एक समान सेनवेट (केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर) (सेन्ट्रल वेल्यू एडिड टैक्स) की शुरूआत करना; कुछ अपवादों को छोड़कर सभी निविष्टि और पूंजीगत माल पर सेनवेट क्रेडिट का विस्तार करना; सांविधिक रिकार्डों को समाप्त करना; पखवाड़े के आधार पर (लघु इकाइयों के लिए मासिक आधार पर) शुल्क के संदाय की सुविधा प्रदान करना; उत्पाद शुल्क लगाने के लिए मूल्य संकल्पना संव्यवहार की शुरूआत करना और बड़ी संख्या में उपभोक्ता माल पर उत्पाद शुल्क पर आधारित खुदरा बिक्री मूल्य का विस्तार करना; कतिपय कर निर्धारितियों द्वारा आयकर विवरणी भरने के लिए साधारण एक पृष्ठ वाले "सरल" कहलाने वाले फार्म की शुरूआत करना; कम्प्यूटरों के अनुरूप चुम्बकीय मीडिया पर दायर किए जाने वाले स्रोत पर कर कटौती के सम्बन्ध में विवरणियों की अनुमति देना; कतिपय कर छूट अथवा कटौतियां प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा अनुमोदन की आवश्यकता को समाप्त करना और राष्ट्रीयकृत बैंकों की कम्प्यूटरीकृत शाखाओं में कर भुगतान की अनुमति देना शामिल है।

(च) और (छ) सांविधिक उपबन्धों को शामिल करते हुए कर की वसूली एक सतत् प्रक्रिया है जिसमें ब्याज लगाना और शास्ति लगाना शामिल है। दुष्कर मामलों में, कानूनी उपबन्धों के अनुसार चूककर्ता की चल और अचल सम्पत्तियों की जब्ती और बिक्री, चूककर्ता को गिरफ्तार करना और नजरबन्द करना जैसे कड़े उपाय भी अपनाए जाते हैं। उच्च मांग वाले मामलों की उच्चतर अधिकारियों द्वारा नियमित आधार पर आवधिक समीक्षा और निगरानी भी की जाती है और बकाया करों की प्रभावी वसूली के लिए समय-समय पर आवश्यक अनुदेश जारी किए जाते हैं।

प्याज का आयात/निर्यात

*97. श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल :
श्री राजो सिंह :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष देशवार कितनी मात्रा का अलग-अलग आयात और निर्यात किया गया;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान प्याज के आयात में अत्यधिक बढ़ोत्तरी और निर्यात में कमी हुई है;

(ग) यदि हां, तो क्या पूरे देश के प्याज उत्पादक प्याज के आयात का विरोध कर रहे हैं और निर्यात कोटे में और वृद्धि करने की मांग कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) भविष्य में प्याज का निर्यात बढ़ाने और इसका आयात कम करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आयातित एवं निर्यातित प्याज की कुल मात्रा नीचे दी गई है :-

वर्ष	निर्यात मात्रा (मि. टन में)	आयात
1997-98	333349.0	1711.5
1998-99	216485.9	3799.4
1999-2000 (अप्रै.-सि. 99)	103338.9	शून्य

स्रोत : डीजीसीआई एण्ड एस, कलकत्ता।

निर्यातों के देशवार ब्यौरे वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एण्ड एस), कलकत्ता द्वारा प्रकाशित भारत के विदेश व्यापार संबंधी सांख्यिकी मासिक/वार्षिक बुलेटिनों में उपलब्ध हैं, जिनकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में रखी जाती हैं।

(ख) घरेलू कमी के कारण आयातों में वृद्धि वर्ष 1997-98 और 1998-99 तक सीमित हैं। घरेलू उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, निर्यात समय-समय पर जारी कोटे के आधार पर किया जाता है।

(ग) अप्रैल और सितम्बर, 1999 के बीच प्याज का कोई आयात नहीं किया गया है। उत्पादक समय-समय पर प्याज के निर्यात का कोटा जारी करने की मांग करते रहते हैं।

(घ) और (ङ) भारत में आमतौर पर प्याज का उत्पादन बेशी रहता है। किसी विशेष खराब फसल अथवा घरेलू कीमतों में असाधारण वृद्धि होने की स्थिति में ही आयात किया जाता है। सरकार ने पहले ही एक नीति तैयार कर ली है। इस नीति के अन्तर्गत अगली फसल वर्ष के लिए प्याज के निर्यात की मात्रा की घोषणा पहले ही कर दी जाएगी। इसके अलावा, बंगलौर रोज और कृष्णापुरम प्याज के निर्यात पर लगे सभी प्रतिबंध 26.4.2000 से हटा लिए गए हैं। चालू वर्ष के लिए प्याज की अन्य सभी किस्मों के निर्यात की मात्रा फसल/बाजार आवक के आधार पर उपलब्धता की अंतर-मंत्रालयी समीक्षा करने के पश्चात् जारी की जाएगी। अप्रैल और मई, 2000 में निर्यात के लिए ही जारी की गई 100,000 मी. टन प्याज की मात्रा में से लगभग ,082 मी. टन की मात्रा का अभी निर्यात किया जाना है।

केरल में सबरीमाला का विकास

*98. **श्री के० मुरलीधरन : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक देश में कुल कितने तीर्थस्थलों की पहचान की गई है और उनका विकास किया गया है और इनका राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने सबरीमाला, केरल में तीर्थयात्रियों की समस्याओं के अध्ययन हेतु कोई समिति नियुक्त की थी;

(ग) यदि हां, तो क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रमुख तीर्थस्थल के विकास हेतु समिति ने क्या-क्या मुख्य सुझाव दिए हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) मई, 1992 में तीर्थ पर्यटन के विकास पर समिति ने, प्रथम चरण में 19 केन्द्रों तथा 2 परिपथों को पर्यटन विकास हेतु अभिनिर्धारित किया है। बाद में राज्य सरकारों के परामर्श से सूची में कई केन्द्र जोड़े गए। इस समय देश भर में 60 तीर्थ केन्द्रों को अभिनिर्धारित किया गया है। अभिनिर्धारित किए गए राज्य-वार तीर्थ केन्द्रों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

राज्य-वार अभिनिर्धारित तीर्थ केन्द्रों की सूची

क्रम सं.	राज्य	तीर्थ केन्द्र
1.	असम	कामाख्या
2.	आंध्र प्रदेश	नागार्जुन कोण्डा, श्रीसेलम, तिरूपति
3.	बिहार	बोधगया, नालन्दा, पटना साहिब, राजगीर, वैशाली
4.	दिल्ली	निजामुद्दीन
5.	गुजरात	द्वारका, पालीताना, सोमनाथ, ओडवाडा
6.	गोवा	गोवा के चर्च
7.	हिमाचल प्रदेश	पोंटा साहिब, ज्वालाजी
8.	हरियाणा	कुरूक्षेत्र
9.	जम्मू और कश्मीर	वैष्णोदेवी
10.	केरल	गुरूवयूर, सबरीमाला, वर्कला
11.	कर्नाटक	गुलबर्गा, श्रंगेरी
12.	मध्य प्रदेश	उज्जैन
13.	महाराष्ट्र	शिरदी, नान्देड, ज्योतिबा
14.	उड़ीसा	पुरी
15.	पंजाब	अमृतसर, आनन्दपुर साहिब, दमदमा साहिब, सरहिन्द
16.	राजस्थान	अजमेर शरीफ
17.	तमिलनाडु	रामेश्वरम, मदुरै, नागापट्टनम, नागौर, पलानी, वैलनकन्नी, तंजौर, तिरूचिरापल्ली, तिरूवन्नामलाइ
18.	उत्तर प्रदेश	बद्रीनाथ, बरसाना, वृन्दावन, गंगोत्री, गोकुल, गोवर्धन, हरिद्वार, हेमकुण्ड, केदारनाथ, कुशीनगर, मथुरा, नन्दगांव, ऋषिकेश, सारनाथ, श्रावस्ती, वाराणसी, यमुनोत्री

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति का उदारीकरण

*99. **डा० जसवंत सिंह यादव :**
श्री अजय चक्रवर्ती :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का और अधिक उदारीकरण करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन-किन क्षेत्रों में ऐसा उदारीकरण किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार ने उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योग की निर्यात बाध्यताओं को भी समाप्त कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उपभोक्ता वस्तुओं संबंधी घरेलू उद्योग के हितों की रक्षा की गई है;

(च) यदि हां, तो घरेलू उद्योग के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं; और

(छ) ई-कामर्स में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देकर और उपभोक्ता वस्तुओं के निर्यात बाध्यताओं को समाप्त करने से कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होगी?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रमण) : (क) से (घ) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश व्यवस्था को और उदारीकृत बनाने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुसरण में, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश संबंधी नीति की समीक्षा करने के उपरान्त सरकार ने हाल ही में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश व्यवस्था में निम्नलिखित परिवर्तन किए हैं :

1. ई-कामर्स कार्यकलापों के लिए इस शर्त के अध्यधीन 100 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति प्रदान की गई है कि यदि ऐसी कम्पनियां विश्व के अन्य भागों में सूचीबद्ध हों तो वे 5 वर्षों में अपनी इक्विटी के 26 प्रतिशत भाग का विनिवेश भारतीय जनता के पक्ष में कर देंगी। इसके अतिरिक्त, ये कम्पनियां सिर्फ कारोबार से कारोबार (बी टू बी) ई-कामर्स में ही कार्यरत करेंगी और खुदरा व्यापार नहीं करेंगी, जिसका अर्थ, अन्य बातों के साथ-साथ, यह भी है कि घरेलू व्यापार में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश संबंधी मौजूदा प्रतिबंध ई-कामर्स पर भी लागू होंगे।

2. अब तक 22 विनिर्दिष्ट उपभोक्ता वस्तुओं से संबंधित उद्योगों पर लागू लाभांश संतुलन की नीति की समीक्षा करने पर, तथा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को आकर्षित करने की दृष्टि से, इस शर्त को हटाने का निर्णय लिया गया है, क्योंकि इसे विदेशी निवेशकों द्वारा एक अप्रिय कारक समझा गया है और साथ ही इसे निवेश को प्रतिबंधित करने वाली शर्त के रूप में देखा जाता है।

3. देश में बिजली की बढ़ती हुई मांग तथा इस क्षेत्र में और अधिक निवेश की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, बिजली के उत्पादन, संप्रेषण और वितरण (परमाणु रियेक्टर विद्युत संयंत्रों को छोड़कर) से संबंधित विद्युत परियोजनाओं के संबंध में 1500 करोड़ रुपये की राशि की अधिकतम सीमा को हटा लिया गया है।

4. तेल शोधन क्षेत्र में और अधिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र में स्वत: मार्ग के तहत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा को मौजूदा 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दिया गया है।

(ङ) से (छ) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को एक दम घरेलू उद्योग के लिए खतरा नहीं समझा जाता है। तथापि, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रस्तावों पर विचार करते समय आवेदक से यह घोषणा प्राप्त की जाती है कि क्या विदेशी सहयोगकर्ता का भारत में उसी अथवा संबद्ध क्षेत्र में कोई पूर्ववर्ती संयुक्त उद्यम अथवा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण/व्यापार चिन्ह समझौता है। साथ ही ऐसी परिस्थितियों का विस्तृत विवरण भी मांगा जाता है जिनके कारण एक नया संयुक्त उद्यम स्थापित करना/नए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (व्यापार चिन्ह सहित) समझौता करना आवश्यक समझा गया है, और यह प्रमाण भी मांगा जाता है कि नया प्रस्ताव किसी भी प्रकार से मौजूदा संयुक्त उद्यम अथवा प्रौद्योगिकी/व्यापार चिन्ह भागीदार अथवा अन्य किसी इक्विटीधारक के हितों को खतरे में नहीं डालेगा।

किसी मौजूदा भारतीय कम्पनी में विदेशी/अनिवासी भारतीय/विदेशी कार्पोरेट निकाय में इक्विटी लगाने हेतु भारतीय कम्पनी के बोर्ड के संकल्प की एक प्रति मंगाई जाती है।

ये उदारीकरण संबंधी उपाय प्रतिवर्ष 10.00 बिलियन अमेरिकी डालर की राशि के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्वाहों को प्राप्त किए जाने के उद्देश्य से शुरू किए गए हैं।

[हिन्दी]

एफ०सी०आई० द्वारा खाद्यान्नों के रख-रखाव पर व्यय

*100. **श्री नवल किशोर राय :**
श्री जोरा सिंह मान :

क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों के रख-रखाव पर होने वाले व्यय को आर्थिक लागत के किन-किन विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत शामिल किया जाता है;

(ख) वर्ष 1997-98, 1998-99 तथा 1999-2000 के दौरान अलग-अलग प्रत्येक शीर्षों के अन्तर्गत कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ग) क्या वर्ष 2000-2001 के दौरान भारतीय खाद्य निगम की आर्थिक लागत में वृद्धि होने की संभावना है क्योंकि खाद्यान्नों के भंडार में रिकार्ड वृद्धि होने का अनुमान है;

(घ) यदि हां, तो चालू वर्ष के अन्त तक भारतीय खाद्य निगम की कितनी आर्थिक लागत होने की संभावना है;

(ङ) क्या सरकार ने खाद्यान्नों के रख-रखाव पर आने वाली लागत में कमी करने के लिए किसी संस्था को नियुक्त किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संस्था का नाम क्या है और इस जिम्मेवारी को पूरा करने हेतु इसे कितनी धनराशि का भुगतान किया गया है;

(छ) क्या सरकार को इस संस्था से कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन सुझावों को क्रियान्वित करने हेतु क्या योजना तैयार की गई है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार) : (क) और (ख) वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान गेहूं और चावल की आर्थिक लागत के विभिन्न घटकों और उन पर भारतीय खाद्य निगम द्वारा वहन खर्च (रुपये प्रति क्विंटल) के ब्यौरे संलग्न विवरण-I और II पर दिए गए हैं।

(ग) और (घ) चालू वर्ष के दौरान वित्तीय वर्ष के शुरू में गेहूं और चावल की आर्थिक लागत गेहूं के लिए 900/- रुपये प्रति क्विंटल और चावल के लिए 1180/- रुपये प्रति क्विंटल होने का अनुमान लगाया गया था। जैसाकि व्यय सुधार आयोग ने सिफारिश की थी, प्रचालनात्मक और बफर स्टाक के बीच खर्चों के आबंटन का समायोजन करने के बाद गेहूं और चावल के लिए आर्थिक लागत को कमश: 830/- रुपये प्रति क्विंटल और 1130/- रुपये प्रति क्विंटल के रूप में संशोधित किया गया है। चालू वर्ष के लिए संशोधित अनुमान को अंतिम रूप देते समय इन अनुमानों को संशोधित किया जाएगा।

(ङ) जी, हां।

(च) भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज, हैदराबाद को गेहूं और चावल की आर्थिक लागत को कम करने के तरीकों और विधि का पता लगाने के लिए 30.50 लाख रुपये की कुल फीस पर भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों की अधिग्रहण और वितरण लागत के संबंध में अध्ययन कार्य सौंपा गया है। इस राशि में से 15.00 लाख रुपये की राशि पहले ही अदा की जा चुकी है।

(छ) और (ज) इस रिपोर्ट के सितम्बर, 2000 के अन्त तक ही प्राप्ति होने की संभावना है।

विवरण-I

1997-98 से 1999-2000 तक गेहूं की आर्थिक लागत

रुपये/क्विंटल

घटक		1997-98	1998-99	1999-2000 (सं.अ.)
1		2	3	4
I.	अनाज की एकीकृत लागत	484.34	507.12	517.52
	वसूली प्रासंगिक खर्च			
II.	सांविधिक प्रभार (अनिवार्य प्रभार)			
	मंडी प्रभार	21.81	22.34	32.04
	क्रय कर	14.75	15.80	20.49
	बुनियादी उपकर			
	बोरी की लागत	25.8	25.06	34.73
	उप-जोड़	62.36	63.20	87.26
III.	श्रम और ढुलाई प्रभार (निविदा दर पर निर्धारित)			
	मंडी श्रम	4.92	4.09	6.06
	अग्रेषण प्रभार	0.82	0.59	0.54
	आंतरिक संचलन	13.80	13.84	15.94
	उप-जोड़	19.54	18.52	22.54
IV.	भारत सरकार द्वारा निर्धारित एजेंसियों को किया जाने वाला भुगतान			
	भंडारण प्रभार	1.60	1.53	1.93
	ब्याज प्रभार	9.07	11.37	9.38
	राज्य सरकार/एजेंसियों को प्रशासनिक प्रभार	7.31	7.10	10.05
	50 किग्रा. की बोरियों की मशीन द्वारा सिलाई, मुद्रास्फीति में वृद्धि के कारण अनंतिम और अंतिम दर के बीच अंतर			
	उप-जोड़	17.98	20.00	21.36

1		2	3	4
	पूर्व वर्ष के समायोजन	20.98	13.44	7.06
	अन्य/गारण्टी फीस आदि	0.69	1.43	0.48
	उप-जोड़	21.67	14.87	7.54
	कम पत्तन प्रभारों के कारण अन्तर	(-)6.82	(-)3.02	
	वसूली प्रासंगिक खर्च	108.99	110.08	132.10
V-	राज्य सरकार को किए जाने वाले अग्रनयन प्रभार	13.68	16.87	34.57
VI.	अधिग्रहण लागत	607.01	634.07	684.19
VII.	वितरण लागत			
	भाड़ा	66.31	65.11	46.50
	हैंडलिंग	26.50	23.12	23.06
	भंडारण प्रभार	16.90	14.73	14.68
	ब्याज प्रभार	40.32	31.03	27.06
	मार्गस्थ हानियां	10.11	9.78	11.57
	भंडारण हानियां	(-)0.38	(-)0.34	(-)0.28
	प्रशासनिक प्रभार	19.58	19.65	17.96
	मजदूरी में संशोधन संबंधी बकाया			
	कुल वितरण लागत	179.34	163.09	140.55
VIII	आर्थिक लागत	786.35	797.16	824.74

विवरण-II

खरीफ 1997, 1998 और 1999 के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर आधारित चावल की आर्थिक लागत

रुपये/क्विंटल

घटक	1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4
I. न्यूनतम समर्थन मूल्य (भारित)	439.30	464.30	514.30
II. सांविधिक प्रभार	44.34	46.85	54.47
मंडी प्रभार			
क्रय कर			
III. श्रम और दुलाई	17.20	17.20	17.20
मंडी श्रम			
दुलाई			
IV. भंडारण और ब्याज	39.20	40.22	43.94
शुल्कन			
कस्टडी और रखरखाव			
ब्याज			
V. मिलिंग प्रभार	12.00	12.00	12.00
VI. एक क्विंटल धान की कीमत	552.04	580.57	641.91
VII. 67% के आऊट टर्न अनुपात पर एक क्विंटल चावल की लागत	823.94	866.52	959.87
VIII. I बोरी की लागत और बोरी ह्रास (50 कि.ग्रा. की पैकिंग)	38.05	38.05	47.46
IX. अधिग्रहण लागत (एक क्विं. चावल की लागत)	861.99	904.57	1007.33
X. वितरण लागत			
भाड़ा	61.92	61.92	61.92
हैंडलिंग	23.36	23.36	23.36
भंडारण प्रभार	16.16	16.16	16.16
ब्याज प्रभार	44.56	44.56	44.56
हानियां	9.04	9.04	9.04
प्रशासनिक उपरिव्यय	15.84	15.84	15.84
कुल वितरण लागत	170.88	170.88	170.88
XI. अनुमानित आर्थिक लागत	1032.87	1075.45	1178.21

पर्यटन नीति

862. **श्री सुरेश चन्देल :** क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न संबंधित मंत्रालयों में बेहतर समन्वयन पर जोर देकर पर्यटन क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी के प्रोत्साहन देने के लिए कोई पर्यटन नीति तैयार की है/तैयार करने पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1999 के दौरान और चालू वर्ष के पहले छह माह के दौरान कुल कितने विदेशी पर्यटक देश में आए;

(ग) क्या बेहतर समन्वयन और अधिक सुविधाओं के कारण अधिक संख्या में पर्यटकों के भारत आने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो भारत में विदेशी पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) जी, हां। सरकार ने राष्ट्रीय पर्यटन नीति का प्रारूप तैयार किया है जिसमें पर्यटन उद्योग में सक्रिय निजी क्षेत्र के विकास को सुविधाजनक बनाने के उपाय का उल्लेख है।

(ख) वर्ष 1999 के दौरान तथा इस वर्ष जनवरी से जून तक के दौरान देश में आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या क्रमश: 24,81,928 और 12,56,133 (अनन्तिम) है।

(ग) जी, हां।

(घ) सरकार द्वारा विदेशी पर्यटकों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराए जाने के लिए किए गए उपायों में शामिल है—पर्यटक अवसंरचना सुविधा का विकास और उनमें सुधार, प्रचार-प्रसार, सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग, टच स्क्रीन सूचना क्योस्क्स की स्थापना, आदि।

निजाम के आभूषण

863. **श्री जय प्रकाश :** क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माननीय उच्चतम न्यायालय ने अधिग्रहण के बाद निजाम के आभूषण राजधानी में सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु रखे जाने का निर्देश दिया था;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में इन्हें सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए कब तक रख दिया जाएगा;

(ग) इस मामले में हुई देरी के क्या कारण हैं;

(घ) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से इन आभूषणों के दिल्ली में सार्वजनिक प्रदर्शन का अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) से (ग) केन्द्र सरकार द्वारा निजाम के आभूषणों के अधिग्रहण से संबंधित मुकदमें की सुनवाई के दौरान, उच्चतम न्यायालय ने यह अभिमत व्यक्त किया कि ये वस्तुएं इनके अधिग्रहण के पश्चात् सार्वजनिक संपत्ति बन जाएंगी और इसलिए, जनता को अधिग्रहण की जा रही इस विरासत का अवलोकन करने का अवसर दिया जाना चाहिए। इस समय, राष्ट्रीय संग्रहालय को छोड़कर, संस्कृति विभाग, भारत सरकार के नियंत्रणाधीन कोई अन्य संग्रहालय इन मूल्यवान वस्तुओं को प्रदर्शित करने के लिहाज से सज्जित नहीं है। राष्ट्रीय संग्रहालय की सुरक्षा को भी और बढ़ाना पड़ेगा और निजाम के आभूषणों को आर बी आई, बोल्ट्स, मुम्बई, जहां ये इस समय रखे हुए हैं, से लाने के लिए सुरक्षा योजनाएं तैयार की जा रही हैं। ये सुरक्षा योजनाएं सतर्कता ब्यूरो, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, गृह मंत्रालय, आदि से परामर्श के साथ तैयार की जाती हैं।

(घ) जी, हां।

(ङ) हैदराबाद में सार्वजनिक प्रदर्शन के संबंध में उपयुक्त समय पर विचार किया जा सकता है।

[अनुवाद]

अनुकम्पा के आधार पर रोजगार

864. **श्री जयभद्र सिंह :**
श्री अवतार सिंह भड़ाना :
श्री दलपत सिंह परस्ते :

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कैंसर रोग से ग्रस्त और नौकरी से त्यागपत्र देने के इच्छुक कर्मचारियों के लिए अनुकम्पा के आधार पर रोजगार प्रदान करने का कोई प्रावधान है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन कर्मचारियों को प्रदान की जा रही सुविधाओं और वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वल्लभभाई कथीरिया) : (क) से (घ) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के विचार-क्षेत्र के अन्तर्गत आती है और इस बारे में विवरण एक स्थान पर नहीं रखा जाता है। सामान्य तौर पर पुत्र/पुत्री अथवा किसी निकट संबंधी की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति कर्मचारी के सेवाकाल में मृत्यु होने और उसके परिवार को तत्काल सहायता की आवश्यकता होने अथवा चिकित्सीय आधार पर सेवा-निवृत्त किए जाने जैसे अपवादात्मक मामलों में उपयुक्त रिक्तियां उपलब्ध होने पर की जाती हैं और ऐसा करते समय परिवार की वित्तीय स्थिति, परिवार का आकार, कमाने वाले सदस्य की अनुपस्थिति, बच्चों की आयु आदि सहित अन्य सम्बद्ध कारकों को ध्यान में रखा जाता है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें

865. **श्री वसुदेव आचार्य :**
श्री सुबोध राय :

क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कुल कितनी दुकानें हैं;

(ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत लाए गए गांवों का अनुपात कितना है;

(ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत कितनी वस्तुओं की आपूर्ति की जाती है और यह वस्तुएं कौन-कौन सी हैं;

(घ) क्या सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों में स वस्तुओं की वास्तविक आपूर्ति का पता लगाने के लिए उनका सत्यापन कि था; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) और (ख) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार देश में 460329 उचित दर दुकानें हैं जिनमें से 368585 दुकनें ग्रामीण क्षेत्रों में हैं और 91744 दुकानें शहरी क्षेत्रों में हैं। उचित दर दुकानों की स्थानीय आवश्यकता और व्यवहार्यता के अनुसार संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा उचित दर दुकान खोलने और बंद करने का निर्णय लिया जाता है। मंत्रालय द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार राज्य सरकारों को परामर्श दिया गया है कि प्रत्येक 2000 व्यक्तियों के लिए एक उचित दर दुकान का मानदंड रखें और वह सुनिश्चित करें कि किसी भी उपभोक्ता/कार्ड-धारक को अपनी उचित दर दुकान पर पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर से अधिक न जाना पड़े।

(ग) से (ङ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रचालन भारत सरकार और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों की संयुक्त जिम्मेदारी के अधीन किया जाता है। यद्यपि केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं की खरीद करना और प्रमुख वितरण केन्द्रों पर इन्हें राज्यों को उपलब्ध कराना है तथापि उचित दर दुकानों के नेटवर्क के माध्यम से इन्हें कार्डधारकों को वितरित करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। फिलहाल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से केन्द्रीय सरकार द्वारा पांच जिन्सों अर्थात् चावल, गेहूं, चीनी, खाद्य तेल और मिट्टी के तेल की आपूर्ति की जा रही है। राज्य सरकारों को परामर्श दिया गया है कि उचित दर दुकानों की व्यवहार्यता में सुधार करने के लिए स्थानीय आवश्यकताओं और तरजीह को हिसाब में लेकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन दैनिक उपयोग की अतिरिक्त वस्तुएं शामिल करें। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों के माध्यम से विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा जारी की जा रही अतिरिक्त वस्तुओं को बताने वाला विवरण संलग्न है।

राज्यों को निदेश दिया गया है कि उचित दर दुकानों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं की सुपुर्दगी करने और पारदर्शी तथा जवाबदेह तरीके से इनका वितरण करने की पुख्ता व्यवस्था तैयार करें और क्रियान्वित करें। राज्य सरकारों को यह निदेश भी दिया गया है कि इस संबंध में उचित दर दुकानों की जांच करें। क्षेत्राधिकारी स्कीम के अधीन खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार के अधिकारियों द्वारा उचित दर दुकानों का निरीक्षण किया जाना अपेक्षित है ताकि उचित दर दुकानों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं की आपूर्ति और उपलब्धता की जांच की जा सके।

विवरण

सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों के माध्यम से वितरित की जाने वाली अतिरिक्त जिन्सों को बताने वाला विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों के माध्यम से वितरण करने के लिए शामिल की गई अतिरिक्त जिन्सों की स्थिति	निम्न तारीख को सूचित
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	उचित दर दुकान के माध्यम से वितरित आयोडीन युक्त नमक, निवेदन चाय, जनता साड़ियां, साबुन, दाल, धोती, प्याज, टमाटर मसूर की दाल, लाल मिर्च, हल्दी, विजय ब्रांड का सनफ्लावर तेल, मूंगफली तेल और लहसून।	8.12.98
2.	अरुणाचल प्रदेश	आयोडीन युक्त नमक, चाय, दाल, साबुन, खाद्य तेल का वितरण।	31.3.97
3.	असम	मोमबत्ती, माचिस, कपड़े धोने का साबुन और कापियों का वितरण।	31.3.97
4.	बिहार	1.9.92 से सचल उचित दर दुकानों के माध्यम से दाल, कंट्रोल का कपड़ा और खाद्य तेलों का वितरण।	31.3.97
5.	गुजरात	अहमदाबाद शहर और अहमदाबाद जिले में प्रयोग के आधार पर चाय, साबुन, कपड़े धोने का साबुन, वाशिंग पाउडर, बिस्कुट, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मसाले, टूथपेस्ट, टूथपाउडर, टूथ ब्रश, दाढ़ी बनाने की क्रीम तथा आयोडीन युक्त नमक (आदिवासी क्षेत्रों में) वितरण किया जा रहा है।	27.10.99

1	2	3	4
6.	हरियाणा	फरीदाबाद और भिवानी जिले में कान्फेड खुदरा दुकानों के माध्यम से चाय, साबुन, आयोडीन युक्त नमक, दाल और कापियों का वितरण।	22.4.99
7.	हिमाचल प्रदेश	चाय, दाल, साबुन, नमक, कापियां, जनता साड़ियों और धोतियों का वितरण।	31.3.97
8.	जम्मू व कश्मीर	केवल दो जिलों : लेह व करगिल (लद्दाख) में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन आयोडीन युक्त नमक का वितरण।	22.1.99
9.	कर्नाटक	आयोडीन युक्त नमक, चाय, साबुन, कापियां, जनता साड़ियां, धोतियां और ओ.आर.एस. का वितरण।	31.3.97
10.	केरल	नागरिक पूर्ति निगम द्वारा चलाए जा रहे मावेली स्टार के माध्यम से अनेक वस्तुएं।	31.3.97
11.	मध्य प्रदेश	चाय, साबुन, नमक, कंट्रोल का कपड़ा और कापियों का वितरण।	31.3.97
12.	महाराष्ट्र	साबुन, नमक, तुअर दाल, चाय का वितरण।	31.3.97
13.	मणिपुर	आयोडीन युक्त नमक का वितरण।	31.3.97
14.	मेघालय	कुछ क्षेत्रों में आयोडीन युक्त नमक, कपड़ा धोने का साबुन और माचिस का वितरण।	31.3.97
15.	राजस्थान	चाय, साबुन, आयोडीन युक्त नमक, अभ्यास पुस्तिकाएं, जनता साड़ियां, धोतियां, माचिस और कापियों का वितरण।	31.3.97
16.	सिक्किम	आयोडीन युक्त नमक का वितरण।	31.3.97
17.	तमिलनाडु	आयोडीन युक्त नमक, दाल, चाय, अभ्यास पुस्तिका, बेबी फूड, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी और साबुन का वितरण।	27.9.99
18.	त्रिपुरा	आयोडीन युक्त नमक और पामोलीन तेल का वितरण।	22.12.98
19.	उत्तर प्रदेश	आयोडीन युक्त नमक सहित 21 अन्य वस्तुओं का वितरण।	31.3.97
20.	पश्चिम बंगाल	चाय, मसाले, कापियां, माचिस और आयोडीन युक्त नमक का वितरण (कुछ क्षेत्रों में)।	14.1.99
21.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	उचित दर दुकानों के माध्यम से अन्य अनेक वस्तुओं का वितरण।	31.3.97
22.	दादर व नगर हवेली	आयोडीन युक्त नमक, दाल, माचिस और चाय का वितरण।	31.3.97
23.	लक्षद्वीप	आयोडीन युक्त नमक, अभ्यास पुस्तिका, साबुन, चाय, माचिस, दाल का वितरण।	31.3.97

निर्यात संवर्द्धन औद्योगिक पार्क

866. **श्री समर चौधरी :** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में कितने निर्यात संवर्द्धन औद्योगिक पार्क स्थापित किए गए हैं;

(ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रत्येक राज्य में इन पार्कों के माध्यमों से क्या संवर्द्धन प्रक्रिया अपनाई गई और केन्द्र सरकार द्वारा उनको क्या सहायता दी गई;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को त्रिपुरा में निर्यात संवर्द्धन औद्योगिक पार्क स्थापित करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर पूर्वोत्तर राज्यों में बिर्नीहाट (मेघालय) अमीन गॉव (असम) खुनुता चिंगचिन (मणिपुर) और गणेशनगर (नागालैंड) में चार निर्यात संवर्द्धन औद्योगिक पार्कों (ईपीआईपी) की स्थापना हेतु मंजूरी दी गई है।

(ख) निर्यात संवर्द्धन औद्योगिक पार्क योजना के अन्तर्गत, सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों को बुनियादी सुविधाओं के विकास पर आने वाली लागत के 100 प्रतिशत को पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार

सहायता उपलब्ध करवाती है जो अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक होती है। केन्द्र सरकार ने असम और मेघालय राज्य की सरकार को दस-दस करोड़ रुपये और नागालैंड सरकार को एक करोड़ रुपये की धनराशि जारी की है। मणिपुर सरकार से अब तक केन्द्रीय सहायता जारी करने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) से (ङ) जी, हां। त्रिपुरा की राज्य सरकार से एक ईपीआईपी की स्थापना के बारे में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जो केन्द्र सरकार के विचाराधीन है। केन्द्र सरकार के पास सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के किसी अन्य राज्य का कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है।

कृषि/गैर-कृषि उत्पादों का आयात/निर्यात

867. **श्री प्रवीण राष्ट्रपाल** : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1999-2000 के दौरान अलग-अलग कितनी कृषि/गैर-कृषि उत्पादों का आयात किया गया और निर्यात किया गया है;

(ख) कितनी धनराशि की वस्तुओं का आयात और निर्यात किया गया;

(ग) आयात और निर्यात की गई वस्तुओं की धनराशि में क्या अन्तर था; और

(घ) आयात और निर्यात के बराबरी के स्थान पर लाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) कृषि एवं गैर-कृषि मदों के मात्रात्मक आंकड़े अलग-अलग स्तर पर उपलब्ध हैं। डीजीसीआई एंड एस के अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 1999-2000 के लिए कृषि एवं अन्य मदों के निर्यात एवं आयात का मूल्य निम्नानुसार है :

(मिलियन अमरीकी डालर)

निर्यात	
(i) बागान सहित कृषि	4317.80
(ii) अन्य निर्यात	33280.81
(iii) कुल निर्यात	37598.61
आयात	
बागान सहित कृषि	2695.29
अन्य आयात	44516.78
कुल आयात	47212.07
व्यापार घाटा	(-)9613.46

(घ) निर्यात वृद्धि को और आगे बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं जिनमें शामिल हैं--प्रक्रियाओं के विकेन्द्रीकरण और सरलीकरण के जरिए कारोबार लागत में कमी करना तथा एग्जिम नीति में उल्लिखित अन्य विभिन्न उपाय। बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय पहल करके तथा थ्रस्ट क्षेत्रों एवं मुख्य क्षेत्रों का पता लगाकर भी निर्यात के बढ़ाने के प्रयास किए गए हैं। व्यापार और उद्योग जगत द्वारा अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुसार ही आयात किए जाते हैं। आयातों पर निगरानी रखी जा रही है और कुछ आयातों पर टैरिफ में बढ़ोत्तरी की गई है।

प्रधान मंत्री रोजगार योजना के तहत राजसहायता

868. **श्री चन्द्रनाथ सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक प्रधान मंत्री रोजगार योजना के तहत राजसहायता के लिए अधिक धनराशि रख रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष ऐसे कितने मामले बैंकवार सरकार के ध्यान में आए हैं; और

(ग) ऐसे चूककर्ता बैंकों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है/करने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि सरकारी क्षेत्र तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) के अन्तर्गत अतिरेक आर्थिक सहायता राशि अपने पास नहीं रखते हैं। चूंकि इस योजना के अन्तर्गत ऋण की राशियों की मंजूरी और संवितरण एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है इसलिए बैंकों को अगले कार्यक्रम वर्ष के लिए सब्सिडी दावों के पक्ष में किसी खास कार्यक्रम वर्ष से संबंधित दावों के निपटान के पश्चात् अतिरेक सब्सिडी राशि, यदि कोई हो, का उपयोग करने की अनुमति दी गई है। आरबीआई ने सरकार के निर्देश पर कार्यक्रम वर्ष 1997-98 के लिए सब्सिडी आवश्यकताओं के पक्ष में 1993-94 से 1996-97 तक के कार्यक्रम वर्ष के लिए अतिरेक सब्सिडी को समायोजित करने के लिए सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को परिपत्र जारी किए हैं। इसके अलावा, बैंकों को स्पष्ट रूप से अनुदेश दिए गए हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि संबंधित कार्यक्रम वर्ष के लिए अतिरेक राशि, जहां कहीं भी इस प्रकार समायोजित की गई हो, बैंकों द्वारा दिए जाने वाले विवरण में स्पष्ट रूप से दर्शाई जाए। बैंकों को सब्सिडी से संबंधित अन्तिम मिलान को भी आरबीआई को प्रस्तुत करना होता है।

दूरदर्शन/आकाशवाणी का विस्तार, उन्नयन और मजबूतीकरण

869. **श्री टी० गोविन्दन** :
श्री अनंत गुडे :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बेहतर, स्पष्ट और अधिक दूरी तक प्रसारण हेतु चालू वर्ष और नौवीं योजना के दौरान आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क के विकसित करने, उसका उन्नयन करने और उसे सुदृढ़ करने हेतु योजनाएं तैयार की हैं;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष और नौवीं योजना के दौरान विशेषकर महाराष्ट्र में कार्यान्वित की जा रही/कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित कार्य योजना का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में विशेषकर महाराष्ट्र में चालू और नई आकाशवाणी/दूरदर्शन परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) उन्हें समय पर पूरा करने हेतु क्या कार्रवाई किए जाने का विचार है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) महाराष्ट्र सहित देश के विभिन्न भागों में इस समय कार्यान्वयनाधीन आकाशवाणी एवं दूरदर्शन परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। ये परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं और इन्हें नौवीं योजना अवधि के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है।

(घ) कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं को पूरा करने में आने वाली अड़चनों को दूर करने और इनके निर्धारित समय में पूरा करने को सुनिश्चित करने हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रमुख अभियंता स्तर पर नियमित मॉनीटरिंग करने सहित हर संभव उपाय किए जा रहे हैं।

विवरण

क्रम सं०	राज्य/सं० क्षे०	दूरदर्शन स्टूडियो	ट्रांसमीटर परियोजनाओं की संख्या		आकाशवाणी ट्रांसमीटर
			(डीडी-1)	(डीडी-2)	
1	2	3	4	5	6
1.	असम	1	1	1	1
2.	आंध्र प्रदेश	1	18	1	5
3.	अरुणाचल प्रदेश	—	4	—	3
4.	बिहार	—	5	5	1
5.	गोवा	—	—	1	—
6.	गुजरात	1	2	3	6
7.	हरियाणा	—	—	1	1
8.	हिमाचल प्रदेश	—	7	2	—
9.	जम्मू और कश्मीर	1	75	6	11
10.	केरल	2	6	2	3
11.	कर्नाटक	—	14	1	5
12.	मध्य प्रदेश	1	13	3	7
13.	मेघालय	—	—	—	2
14.	महाराष्ट्र	—	9	3	5
15.	मणिपुर	—	1	—	3
16.	मिजोरम	—	2	—	2
17.	नागालैंड	—	1	—	2
18.	उड़ीसा	1	4	2	2
19.	पंजाब	1	2	1	—
20.	राजस्थान	1	10	4	3
21.	सिक्किम	1	1	—	1
22.	तमिलनाडु	2	7	2	4
23.	त्रिपुरा	—	3	1	4
24.	उत्तर प्रदेश	1	14	9	5
25.	पश्चिम बंगाल	—	5	2	2
26.	दिल्ली	1	—	—	—
27.	अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह	—	—	—	1
28.	दमन और दीव	—	—	—	—
29.	पांडिचेरी	—	1	—	—
30.	लक्षद्वीप	—	—	—	—
31.	चण्डीगढ़	1	—	—	1
32.	दादर और नगर हवेली	—	—	—	—
	जोड़	16	205	50	80

पर्यटन विकास के लिए भारतीय पर्यटन वित्त निगम (टी.एफ.सी.आई.) की स्थापना

870. **श्री रतन लाल कटारिया** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन के विकास के लिए धनराशि उपलब्ध कराने हेतु भारतीय पर्यटन वित्त निगम की स्थापना की गई है; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय पर्यटन वित्त निगम द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान इस उद्देश्य के लिए राज्यवार कितनी धनराशि मुहैया कराई गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जालासाहिब विखे पाटील) : (क) भारतीय पर्यटन वित्त निगम लि. (टीएफसीआई) की स्थापना पर्यटन और पर्यटन से संबंधित कार्यकलापों, सुविधाओं और सेवाओं के विकास हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए की गई है।

(ख) गत तीन वर्षों अर्थात्, 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान टीएफसीआई द्वारा उपलब्ध कराई गई राज्यवार वित्तीय सहायता संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान टीएफसीआई द्वारा मंजूर की गई राज्यवार वित्तीय सहायता

(लाख रुपये)

राज्य	मंजूर की गई वित्तीय सहायता		
	1997-98	1998-99	1999-2000
आंध्र प्रदेश	410	2025	830
बिहार	180	0	55
गोवा	3400	550	0
गुजरात	4158	1820	250
हरियाणा	0	0	0
हिमाचल प्रदेश	0	0	0
जम्मू और कश्मीर	550	0	0
कर्नाटक	791	1770	0
केरल	48	2485	75
महाराष्ट्र	4950	2100	3600
मध्य प्रदेश	325	1045	0
एनसीआर, दिल्ली	5740	0	0
उड़ीसा	1175	875	800
पंजाब	660	0	0
राजस्थान	3745	1570	600
सिक्किम	0	0	0
तमिलनाडु	1675	6055	1438
उत्तर प्रदेश	4200	425	594
पश्चिम बंगाल	0	0	0
पांडिचेरी (यूटी)	0	400	0
कुल	32007	21120	8242

[हिन्दी]

हिमाचल प्रदेश में वी०एल०पी०टी०/ एल०पी०टी०

871. श्री महेश्वर सिंह : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में मंजूरी के बाद केन्द्रवार कितने वी.एल.पी.टी./एल.पी.टी. केन्द्र निर्माणाधीन हैं;

(ख) मंजूरी दिए जाने के बाद भी कितने केन्द्रों का निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं किया गया है; और

(ग) सर्वेक्षण के बाद जन प्रतिनिधियों अथवा विभाग द्वारा कितने केन्द्रों का निर्माण करने की सिफारिश की गई लेकिन अभी इसके लिए उन्हें मंजूरी नहीं मिली है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) और (ख) हिमाचल प्रदेश में एक अल्प शक्ति ट्रांसमीटर और 7 अति अल्प शक्ति परियोजनाएं इस समय कार्यान्वयनाधीन हैं। तीन परियोजनाओं से संबंधित संस्थापना कार्य प्रगति पर है। दूरदर्शन द्वारा शेष पांच परियोजनाओं के लिए स्थल का अधिग्रहण किया जाना है। इन पांच परियोजनाओं से संबंधित संस्थापना कार्य दूरदर्शन द्वारा स्थल अधिग्रहण कर लिए जाने के बाद शुरू किया जा सकता है।

(ग) हिमाचल प्रदेश के कवर न किए गए क्षेत्रों में टी.वी. ट्रांमीटर स्थापित करने के लिए विभिन्न मंचों से समय-समय पर अनुरोध प्राप्त होते रहते हैं। टी.वी. विस्तार की योजना बनाते समय संसाधनों की उपलब्धता और तकनीकी संभाव्यता के अधीन इन अनुरोधों पर विचार किया जाता है।

[अनुवाद]

पंजाब नेशनल बैंक में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति

872. श्री सुबोध राय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यदि मृतक का आश्रित अवयस्क है तो पंजाब नेशनल बैंक में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के क्या नियम हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पंजाब नेशनल बैंक ने पात्रता की आयु प्राप्त करने के पश्चात् अवयस्कों को रोजगार देने का पूर्व आश्वासन देने के बावजूद अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के अनेक आवेदन पत्रों को अस्वीकृत कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो पंजाब नेशनल बैंक द्वारा 1993 में प्राप्त किए गए और निपटान किए गए ऐसे आवेदन पत्रों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा विशेषकर कर्मचारियों की मृत्यु के पश्चात् अनाथ होने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क), (ख) और (घ) पंजाब नेशनल बैंक के अनुसार बैंक में अनुकम्पा के आधार पर नाबालिग की नियुक्ति के लिए 20.3.1997 से लागू वर्तमान नियम नीचे दिए गए हैं :-

"अगर आश्रित नाबालिग है, तो बैंक स्व-विवेक पर कर्मचारी की मृत्यु के चार वर्ष के भीतर उसके मामले पर विचार कर सकता है जिससे वह आश्रित/आश्रिता आयु के मामले में पात्रता प्राप्त करके, बशर्ते कि, आश्रित/आश्रिता ने कर्मचारी की मृत्यु के एक वर्ष के भीतर बैंक को इसके लिए अनुरोध किया हो।"

बैंक में 20.3.1997 से पूर्व अनुकम्पा के आधार पर नाबालिग की नियुक्ति के लिए नियम नीचे दिए गए हैं :-

"अगर नियुक्ति प्रस्ताव प्राप्त करने वाले परिवार का सदस्य नाबालिग है, तो सक्षम प्राधिकारी नियुक्ति प्रस्ताव को, अगर वह अन्यथा योग्य हो तो, तब तक खुला रख सकता है, जब तक कि नाबालिग बालिग नहीं हो जाता, बशर्ते कि, इस संबंध में बैंक को कर्मचारी की मृत्यु की तारीख से एक वर्ष के भीतर इसके लिए अनुरोध किया गया हो।"

पंजाब नेशनल बैंक ने आगे सूचित किया है कि उन्होंने श्री उमेश चन्दर नागपाल बनाम हरियाणा राज्य और अन्यों [जेटी 1994 (3) एससी 525] के मामले में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के बारे में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए दिनांक 20.3.1997 से इस सम्बन्ध में अपने नियमों को संशोधित किया है। इस निर्णय से लिए गए संगत अंश निम्नानुसार हैं :-

"अनुकम्पा के आधार पर रोजगार यथोचित समय समाप्त होने के पश्चात् नहीं दिया जा सकता जिसे नियमों में अवश्य विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए। ऐसे रोजगार पर विचार किया जाना निहित अधिकार नहीं है जिसका भविष्य में कभी भी उपयोग किया जा सकता हो। चूंकि इसका लक्ष्य वित्तीय संकट से उस परिवार को उबरने योग्य बनाना है जो एकमात्र रोजी-रोटी कमाने वाले की मृत्यु के समय उसे झेलना पड़ता है, इसलिए अनुकम्पा पर आधारित रोजगार के लिए दावा नहीं किया जा सकता है और न ही इसे कभी भी या संकट समाप्त होने पर भी प्रदान किया जा सकता है।"

पंजाब नेशनल बैंक ने अपने संशोधित नियमों के अन्तर्गत ऐसी नियुक्तियों के लिए लम्बित आवेदनों को संसाधित किया है।

(ग) वे मामले जहां कर्मचारी की मृत्यु के समय आवेदनकर्ता अव्यस्क थे और जिनके मामले उनके व्यस्क होने के पश्चात् बैंक द्वारा अस्वीकार कर दिए गए थे, कारणों सहित संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

आश्रित का नाम	कर्मचारी की मृत्यु की तारीख	आवेदक की व्यस्कता प्राप्त करने की तारीख	निर्णय की तारीख	टिप्पणी
1	2	3	4	5
1. सुश्री रेणुका पुत्री एस.के. अहलावदी, अधिकारी शाखा : अलीका	26.8.92	5.7.97	15.1.98	चूंकि प्रतीक्षा अवधि 4 वर्षों से अधिक थी/है अत: अस्वीकार कर दिया गया।
2. सुश्री पूनम दूबे पुत्री श्री चिन्तामणी दुबे, विशेष सहायक, शाखा : लायन्स रेंज, कलकत्ता	11.2.94	10.8.99	19.2.98	—तदैव—
3. स्वेता टिक्कू पुत्री श्री चांदजी टिक्कू, विशेष सहायक, शाखा : कैनाल रोड, जम्मू	27.6.93	29.10.2001	19.5.97	—तदैव—
4. सचिन गुप्ता पुत्र पी.पी. गुप्ता, प्रबन्धक, प्र.का. भविष्य निधि विभाग	19.8.91	29.11.97	15.1.97	—तदैव—
5. राहुल कक्कड़ पुत्र श्रीमती रेनू कक्कड़, सी/टी, सैक्टर 17सी, चंडीगढ़	1.3.96	15.10.2003	24.9.98	—तदैव—

1	2	3	4	5
6. सुश्री लक्ष्मी कमार्ग, पुत्री श्री एम.एस. गोसाईं, सशस्त्र गार्ड, प्रधान कार्यालय, सुरक्षा विभाग	30.8.93	29.6.99	18.10.99	चूंकि प्रतीक्षा अवधि 4 वर्षों से अधिक थी/है अत: अस्वीकार कर दिया गया।
7. बी.बी. गोस्वामी पुत्र श्री वाई.एन. बाली, भूतपूर्व चपरासी/गार्ड, शाखा : गावन	4.6.87	1998	30.1.99	—तदैव—

इंटरनेट पर प्रत्यक्ष कर कानून

873. **श्री कृष्णमराजू** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इंटरनेट के वेबसाइट पर सभी प्रत्यक्ष कर कानूनों और अद्यतन अधिसूचनाओं तथा संशोधनों को उपलब्ध कराने के संबंध में कोई पहल की है;

(ख) यदि हां, तो इसमें किस हद तक कार्य हुआ है तथा कानून अधिवक्ताओं और आम लोगों की सुविधा हेतु इंटरनेट के एक साइट पर सभी संबंधित कानूनों, नियमों, अधिसूचनाओं और विनियमनों को शामिल करने में कितना समय लगेगा;

(ग) क्या इन जानकारियों के इंटरनेट वेबसाइट पर उपलब्ध होने के संबंध में पर्याप्त प्रचार-प्रसार किया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० धनन्जय कुमार) : (क) से (घ) जी, हां। आयकर विभाग के पास पहले से ही वेबसाइट हैं जिनका रख-रखाव दिल्ली, चंडीगढ़, गुजरात, मुम्बई और पुणे के मुख्य आयकर आयुक्तों द्वारा किया जाता है। इन वेबसाइटों में अधिकार क्षेत्रों, परिपत्रों, अनुदेशों और शिकायतों को भेजने की सुविधाओं सहित प्रत्यक्ष कर कानूनों, नियमों और प्रक्रियाओं का विस्तृत विवरण दिया गया है। इन वेबसाइटों को नियमित आधार पर अद्यतन किया जाता है और मीडिया के माध्यम से पर्याप्त प्रचार किया जाता है।

2. मौजूदा वेबसाइटों की तरह समान लाइनों पर आयकर विभाग का राष्ट्रीय वेबसाइट सृजित करने के भी प्रयास किए गए हैं।

उत्पाद शुल्क अपवंचन के मामले

874. **श्री रामजी मांझी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्व तीन वर्षों की तुलना में 1999-2000 के दौरान उत्पाद शुल्क वंचनरोधी महानिदेशालय द्वारा कितने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क वंचन के मामलों का पता लगाया गया है;

(ख) इनमें कितनी धनराशि अंतर्ग्रस्त है;

(ग) उत्पाद शुल्क वंचन में विनिर्माताओं द्वारा अपनाई गई कार्य प्रणाली क्या है;

(घ) क्या उत्पाद वंचन के मामलों में कार्रवाई करने में विलम्ब होने से और वंचन करने तथा काला धन जमा करने में लोगों को मदद मिलेगी; और

(ङ) यदि हां, तो प्राधिकारियों, न्यायालयों, अधिकरणों के समक्ष लंबित मामलों में तेजी लाने के लिए तौर-तरीकों और उन त्रुटियों को समाप्त करने जो मामलों को लंबा खींचने में मदद करती है का पता लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० धनन्जय कुमार) : (क) और (ख) गत 3 वर्षों की तुलना में वर्ष 1999-2000 के दौरान अपवंचन रोधी महानिदेशालय द्वारा दर्ज किए गए मामलों की संख्या और उनमें अंतर्ग्रस्त शुल्क की राशि के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

वर्ष	मामलों की संख्या	अंतर्ग्रस्त शुल्क की राशि (करोड़ रु० में)
1996-97	239	387.96
1997-98	410	481.63
1998-99	301	600.14
1999-2000	424	1113.86

(ग) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अपवंचन के लिए अपनाई जाने वाली कार्य प्रणाली को मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है :-

(1) चोरी-छिपे माल को हटाना;

(2) कम मूल्यांकन करना;

(3) मॉडवेट क्रेडिट का गलत ढंग से लाभ उठाना; और

(4) छूट अधिसूचनाओं का गलत वर्गीकरण और/अथवा दुरुपयोग।

(घ) और (ङ) कर अपवंचकों के खिलाफ समय पर कार्यवाही करने और राजकोष को देय राजस्व की वसूली के लिए सरकार द्वारा

कई उपाय किए गए हैं। जैसे ही किसी मामले का पता लगता है, तो उस मामले की जोरदार ढंग से जांच-पड़ताल की जाती है और शीघ्रातिशीघ्र कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया जाता है। अपवंचन रोधी महानिदेशालय द्वारा दर्ज किए गए उन मामलों का न्यायनिर्णयन करने के लिए चेन्नई, मुम्बई और दिल्ली में विशेष न्यायनिर्णायकों की नियुक्ति की गई है, जिनमें अत्यधिक राजस्व अंतर्ग्रस्त होता है। न्यायनिर्णयन के पश्चात् महत्वपूर्ण मामलों का शीघ्र निपटान करने के लिए ट्रिब्यूनल/न्यायालयों में, जहां कहीं भी मुकद्दमे लड़े जाते हैं, उनकी पैरवी की जाती है। अपवंचन के मामलों के संबंध में जिस माह में शुल्क अदा किया जाना होता है, उसके परवर्ती माह के प्रथम दिन से ब्याज लगाने की व्यवस्था करके और अपवंचित शुल्क के बराबर अर्थदण्ड लगाने जैसे विधायी उपाय किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, यह भी व्यवस्था की गई है कि यदि न्यायनिर्णयन आदेश देने की तारीख से 30 दिन के भीतर अपवंचित शुल्क की ब्याज सहित अदायगी कर दी जाती है तो अर्थदण्ड की राशि को निर्धारित शुल्क के 25% तक कम कर दिया जाएगा बशर्ते कि न्यायनिर्णयन आदेश दिए जाने के 30 दिन के भीतर अर्थदण्ड भी अदा कर दिया जाता है। इसके अलावा, विवादित मामलों का निपटान करने के लिए समझौता आयोग का भी गठन किया गया है और पिछले बजट में निर्धारितियों को समझौता आयोग में मामलों का निपटारा करवाने के लिए ट्रिब्यूनल में लंबित पड़े मामलों को वापस लेने का विकल्प दिया गया है।

आयोडीन रहित नमक की बिक्री पर लगा प्रतिबंध हटाना

875. **श्री सुकदेव पासवान :** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आयोडीन रहित नमक की बिक्री पर वर्ष 1980 में लगाया गया प्रतिबंध हटा लिया है;

(ख) क्या सरकार ने प्रतिबंध उठाने से पहले चिकित्सा विशेषज्ञों से कोई राय ली है; और

(ग) सरकार को ऐसा निर्णय करने के लिए किन कारकों ने प्रेरित किया?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रमण) : (क) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 10.5.2000 को एक अधिसूचना जारी की गई है जिसमें सीधे मानव उपयोग हेतु आयोडीन रहित नमक की बिक्री पर लगे उस प्रतिबंध को हटाने के प्रस्ताव पर जनता से विचार आमंत्रित किए गए हैं, जो 27.5.1998 से लागू है।

(ख) और (ग) सीधे मानव उपभोग हेतु आयोडीन रहित नमक की बिक्री पर से प्रतिबंध हटाने के प्रस्ताव की अधिसूचना जारी करने का निर्णय समाज के कतिपय वर्गों द्वारा बार-बार दिए गए उन अभ्यावेदनों पर आधारित था जिनमें यह दलील दी गई थी कि जन स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के उपायों के संबंध में कोई बाध्यता नहीं होनी चाहिए और इसे लोगों के "जानकारीयुक्त चयन" (इनफार्म्ड च्वाइस) पर छोड़ दिया जाना चाहिए।

चिकित्सा विशेषज्ञों सहित जनता से आयोडीन रहित नमक की बिक्री से प्रतिबंध हटाने के प्रस्ताव के समर्थन में और विरोध में, दोनों प्रकार की टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं। इस मामले में अंतिम निर्णय लेने से पूर्व स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में सभी पक्षों के विचारों पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाएगा।

आई०टी०डी०सी० के कर्मचारियों का चिकित्सा संबंधी व्यय

876. **श्री दलपत सिंह परस्ते :** क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पर्यटन विकास निगम अपने रुग्ण कर्मचारियों विशेषकर कैंसर से पीड़ित रोगियों के उपचार का व्यय वहन करता है;

(ख) यदि हां, तो क्या मुफ्त चिकित्सा की यह सुविधा अन्य केन्द्रीय सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की तरह इसके कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर भी दी जाती है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) से (ग) जी, हां। अभी तक केवल सेवा काल के दौरान ही सामान्य बीमारी और केन्सर जैसी विशिष्ट बीमारी के उपचार पर चिकित्सा व्यय की पात्रता के अनुसार प्रतिपूर्ति की जा रही थी। अब एक सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा योजना शुरू की गई है जो उन पात्र कर्मचारियों के संबंध में अंतरंग उपचार तथा विशिष्ट रोग उपचार के चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए बढ़ाई गई है जिन्होंने 15 जून, 2000 को या इसके बाद सेवा निवृत्ति/मृत्यु/वी आर एस के विकल्प की तारीख को निगम में 15 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो।

पेटेंट मामले

877. **श्री जी०एम० बनातवाला :** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1997 और 1999 के दौरान प्रति वर्ष के लिए निर्धारित उनके लक्ष्यों की तुलना में कितने भारतीय और विदेशी पेटेंट फाइल किए गए;

(ख) क्या लक्ष्य अभी पूरा नहीं हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो पेटेंटों के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रमण) : (क) सूचना निम्नानुसार है :-

वर्ष	दायर किए गए पेटेंट आवेदनों की संख्या	
	भारतीय	विदेशी
1997	1901	8243
1998	2112	7710
1999	2168	9168

(ख) चूंकि पेटेंट आवेदन स्वैच्छिक होते हैं और पेटेंट संरक्षण चाहने के इच्छुक व्यक्तियों द्वारा ही दायर किए जाते हैं, अत: इस संबंध में कोई वार्षिक लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता है।

(ग) 1999 से ही पेटेंटों और बौद्धिक संपदा अधिकारों के अन्य पहलुओं पर कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनके विवरण निम्नानुसार हैं :-

(i) नई दिल्ली में 7 जुलाई से 9 जुलाई, 1999 तक औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग तथा भारतीय वाणिज्य व उद्योग चैम्बर्स संघ (फिक्की) के सहयोग से विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा "आगामी सहस्त्राब्दि में बौद्धिक संपदा नीति के मुद्दों" पर एक एशिया-पैसिफिक रीजनल फोरम का आयोजन किया गया। इस फोरम में बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में नीतिगत विकास से संबंधित विभिन्न मुद्दों की जांच करने के लिए एशिया व पैसिफिक क्षेत्र के 20 देशों के बौद्धिक संपदा नीतियों व उनको प्रशासन किए जाने के लिए जिम्मेदार वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया था। इसमें उद्योग, अकादमियों, वैज्ञानिकों, अनुसंधानकर्ताओं, वकीलों तथा गैर-सरकारी संगठनों आदि में भी भारतीय प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया।

(ii) जून-अगस्त, 1999 की अवधि के दौरान नई दिल्ली, भुवनेश्वर, बंगलौर, हैदराबाद, कोचिन, कलकत्ता, इंदौर, अहमदाबाद, चेन्नई, मुम्बई, चण्डीगढ़, पुणे और गुवाहाटी में भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ, भारतीय उद्योग परिसंघ और वाणिज्य व उद्योग संघ के सहयोग से पेटेंटों पर परस्पर-क्रिया सत्र आयोजित किए गए। इन सत्रों में वैज्ञानिकों, अकादमियों, अर्थ-शास्त्रियों, उद्योग प्रतिनिधियों, वाणिज्य मंडलों, निजी/सरकारी क्षेत्र के एककों, पत्रकारों, गैर-सरकारी संगठनों, राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों, वकीलों और न्यायविदों तथा अन्य संबंधित समूहों द्वारा भाग लिया गया था।

(iii) अक्तूबर-नवंबर, 1999 के दौरान नई दिल्ली, कलकत्ता और बंगलौर से संबंधित समूहों के लिए पेटेंट सहयोग संधि (पी सी टी) संबंधी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

(iv) 15-16 नवम्बर, 1999 को नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के सहयोग से एक अंतर-सरकारी संगठन नामत: एशियाई अफ्रीकी कानूनी परामर्शदायी समिति द्वारा "बौद्धिक संपदा अधिकारों के क्रियान्वयन से संबंधित मुद्दों" पर एक सेमिनार आयोजित किया गया। इस सेमिनार में अनेक सदस्य तथा गैर-सदस्य देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

(v) अप्रैल, 2000 में मुम्बई में संबंधित समूहों के लिए, पेटेंट सहयोग संधि (पी सी टी) से संबंधित जागरूकता विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया।

(vi) 5 जुलाई से 7 जुलाई, 2000 तक नई दिल्ली में औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग तथा भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग संघ के सहयोग से विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा "21वीं शताब्दी में बौद्धिक संपदा नीति व स्ट्रेटेजी" पर एक फोरम आयोजित किया गया। इस फोरम में 24 देशों के बौद्धिक संपदा अधिकार नीतियों व उनके प्रशासन के लिए जिम्मेदार वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया ताकि 21वीं शताब्दी में बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में नीतिगत विचारों व स्ट्रेटेजिक मान्यताओं और उभरते हुए वैश्विक बौद्धिक संपदा के मुद्दों की समीक्षा की जा सके और एशिया व पैसिफिक क्षेत्र के लिए एक समन्वित प्रतिक्रिया तथा कार्य योजना बनाई जा सके। इसमें उद्योग अकादमी, वैज्ञानिकों, अनुसंधानकर्ताओं, वकीलों, गैर-सरकारी संगठनों आदि का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीयों ने भी भाग लिया।

अन्य विभागों/संगठनों/संस्थाओं द्वारा प्रतिनिधित्व करके तथा विशेषज्ञ सहायता प्रदान करके शुरू किए गए जागरूकता से संबंधित पहलों का भी सरकार ने समर्थन किया है।

जागरूकता अभियान को बनाए रखने और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से बजट में भी प्रावधान कर दिया गया है।

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ०डी०आई०) नीति

878. **श्री अनादि साहू** : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "डेस्टीनेशन इंडिया" शो में विदेशी निवेश हेतु भाग लेने वाले देशों के नाम क्या हैं;

(ख) देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आमंत्रित करने के संबंध में सरकार की क्या नीतियां हैं; और

(ग) देशवार कौन-कौन से क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आमंत्रित किया गया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रमण) : (क) से (ग) वर्ष 2000-2001 के दौरान आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और फ्रांस में अप्रैल, 2000 में "डेस्टिनेशन इंडिया" समारोह आयोजित किए गए हैं जिनका उद्देश्य इन देशों से विभिन्न क्षेत्रों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को आकर्षित करना था।

सरकार ने एक उदार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति निर्धारित की है और वह अधिकाधिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को देश में आकर्षित करने हेतु इस नीति की निरन्तर समीक्षा करती रही है। सरकार ने हाल ही में निम्नलिखित के अलावा अन्य सभी मदों/कार्यकलापों को विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अनिवासी भारतीय निवेश और विदेशी निगमित निकाय निवेश के लिए स्वत: मार्ग के तहत रख दिया है–

1. ऐसे सभी प्रस्ताव जिनके लिए औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता होती है जिनमें ये शामिल हैं–(i) ऐसी मदें जिनके लिए उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951

के तहत लाइसेंस आवश्यक है; (ii) लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों का विनिर्माण करने वाले ऐसे एकक जिनकी इक्विटी पूंजी में विदेशी निवेश 24% से अधिक हो; तथा (iii) वे सभी मदें जिनके लिए सरकार द्वारा 1991 की नयी औद्योगिक नीति के तहत अधिसूचित की गई स्थान संबंधी नीति के अनुसार औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता है।

2. ऐसे सभी प्रस्ताव जिनमें विदेशी सहयोगकर्ता का भारत में पिछला कोई उद्यम/समझौता मौजूद है। ऐसे मामलों में 1998 के दिनांक 14.12.1998 के प्रेस नोट सं. 18 में विनिर्दिष्ट रीतियां लागू होंगी।

3. ऐसे सभी प्रस्ताव जो किसी विद्यमान भारतीय कंपनी में विदेशी/अनिवासी भारतीय/विदेशी निगमित निकाय निवेशक के पक्ष में शेयरों के अधिग्रहण से संबंधित हों।

4. ऐसे सभी प्रस्ताव जो अधिसूचित क्षेत्रीय नीति/अधिकतम सीमा के बाहर हों अथवा उन क्षेत्रों के अंतर्गत हों जिनमें विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति नहीं है और/अथवा जब कोई आवेदक विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड को आवेदन करे और स्वत: मार्ग का लाभ न लेना चाहे।

उपर्युक्त मानदंडों की शर्तों के अध्यधीन सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां या ई ओ यू/ई पी जेड/ई एस टी पी/एस टी पी में निवेश हेतु सभी प्रस्ताव स्वत: मार्ग के लिए पात्र होंगे।

भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड द्वारा विशेष लेखा परीक्षण

879. **श्री अनन्त गुडे** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड ने प्लांटेशन कंपनी को 55 सामूहिक निवेश योजनाओं के कार्यकरण के बारे में विशेष लेखा परीक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो विशेष लेखा परीक्षण के निष्कर्षों और प्रत्येक प्लांटेशन कंपनी के गंभीर वित्तीय कुप्रबंधन/उनके द्वारा की गई धोखाधड़ी का ब्यौरा क्या है;

(ग) उन निवेशकों, जिनके साथ धोखाधड़ी की गई है के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार द्वारा की गई प्रस्तावित कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्लांटेशन कंपनियों द्वारा किए गए विभिन्न कदाचारों को कारगर ढंग से रोकने के लिए प्रस्तावित दीर्घकालीन नीतिगत पहलों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 53 सामूहिक निवेश योजनाओं (सी.आई.एस.) की विशेष लेखा-परीक्षा का आदेश दिया था। न्यायालय आदेशों के अनुसरण में दो अन्य कंपनियों की लेखा-परीक्षा की गई। लेखा-परीक्षा रिपोर्टों के प्रमुख निष्कर्षों में शामिल हैं—योजनाओं के उद्देश्यों से असंबद्ध गतिविधियों में बड़े पैमाने पर निधियों का विपथन; योजनाओं की भूमि/संपत्तियां अक्सर निकायों/निवेशकों के नाम में पंजीकृत नहीं होती हैं; एकत्र की गई निधियों का एक बड़ा भाग निधियों को जुटाने में खर्च किया गया; विद्यमान निवेशकों को परवर्ती निवेशकों से प्राप्त राशि से भुगतान किया जाता है, न कि वैध व्यावसायिक गतिविधियों से प्राप्त लाभ/आय से; निधियां बगैर क्रेडिट रेटिंग प्राप्त किए जुटाई गई हैं।

(ग) और (घ) सेबी ने ऐसी योजनाओं का संचालन कर रहे विभिन्न निकायों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। लिब्रा प्लांटेशन लि., ऐरो ग्लोबल एग्रांटेफ लि., एस.पी.जी. ग्रीन गोल्ड प्लांटेशन लि., ओकारा एग्रो इंडस्ट्रीज लि., तथा गोल्डन फारेस्टस (इंडिया) लि. नामक 5 कंपनियों के विरुद्ध न्यायालय में कार्रवाई शुरू की गई है। इसके अतिरिक्त, 15 अक्टूबर, 1999 को सेबी (सामूहिक निवेश योजनाएं) विनियम, 1999 अधिसूचित किया गया। इसके पश्चात् सेबी विनियमों के अंतर्गत पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त करने वाली किसी सामूहिक निवेश प्रबंध कंपनी के अतिरिक्त कोई भी निकाय सामूहिक निवेश योजना नहीं चला सकती है अथवा प्रायोजित अथवा प्रारम्भ नहीं कर सकती है। इसके अतिरिक्त किसी भी सामूहिक निवेश योजना को कोई नई योजना शुरू करने अथवा धन जुटाने की अनुमति तब तक नहीं है, जब तक कि उन्हें पंजीकरण प्रमाण-पत्र मंजूर न किया जाए।

बीओजीएल को पुन: चालू करना

880. **श्री सुनील खां** : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत आप्थाल्मिक ग्लास लिमिटेड के लिए कोई पुनरुद्धार पैकेज तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पुनरुद्धार के पैकेज की धनराशि कितनी है; और

(ग) इस योजना को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वल्लभभाई कथीरिया) : (क) से (ग) सरकार ने भारत ऑप्थाल्मिक ग्लास लि. (बीओजीएल) सहित सरकारी क्षेत्र के कुछेक रुग्ण उपक्रमों की जैव्यता की जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ दल की नियुक्ति की थी। सरकार ने, हाल ही में, विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट पर विचार किया है और ऑपरेटिंग एजेंसी द्वारा मसौदा पुनरुद्धार स्कीम तैयार करने के लिए जैसाकि विशेषज्ञ दल ने सिफारिश की है, बीओजीएल की पुनरुद्धार योजना को बीआईएफआर को प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया है।

[हिन्दी]

पर्यटन विकास हेतु कार्य योजना

881. **श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव** : क्या पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु राज्यवार कितनी कार्य योजनाएं शामिल की गई हैं;

(ख) इस उद्देश्य हेतु राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ग) इस संबंध में क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) और (ख) वर्ष 1992 के दौरान, देश में पर्यटन का विकास और संवर्धन करने के लिए पर्यटन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की गई थी। आठवीं योजना के दौरान, पर्यटन विभाग ने पर्यटन के विकास के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 17124.72 लाख रु. राशि की 985 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की थी। राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) परियोजनाओं को कार्यान्वित करना और पूरा करना मुख्यतया राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की जिम्मेदारी है जिनसे यह अपेक्षा की जाती है कि ये पर्यटन विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार एक निश्चित समयावधि में परियोजनाएं पूरी कर लें।

विवरण

आठवीं योजना के दौरान स्वीकृत की गई राज्यवार केन्द्रीय वित्तीय सहायता

क्रम सं०	राज्य	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि (रु. लाखों में)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	32	437.69
2.	असम	25	439.84
3.	अरुणाचल प्रदेश	8	155.28
4.	बिहार	23	408.41
5.	गोवा	49	599.86
6.	गुजरात	25	190.58
7.	हरियाणा	46	747.58
8.	हिमाचल प्रदेश	68	1611.21
9.	जम्मू व कश्मीर	44	781.97
10.	कर्नाटक	63	1178.48
11.	केरल	38	1014.78
12.	मध्य प्रदेश	9	80.81
13.	महाराष्ट्र	55	1035.31
14.	मणिपुर	24	243.45
15.	मेघालय	10	110.36
16.	मिजोरम	31	458.77
17.	नागालैंड	20	223.16
18.	उड़ीसा	46	902.34
19.	पंजाब	38	647.53
20.	राजस्थान	61	1408.14
21.	सिक्किम	25	351.78
22.	तमिलनाडु	61	1134.95
23.	त्रिपुरा	25	278.52
24.	उत्तर प्रदेश	44	741.06
25.	पश्चिम बंगाल	36	810.80
26.	अंडमान एवं निकोबार	8	193.97
27.	चंडीगढ़	15	117.22
28.	दादर एवं नगर हवेली	3	108.28
29.	दिल्ली	27	336.26
30.	दमन एवं द्वीव	11	146.05
31.	लक्षद्वीप	8	168.41
32.	पांडिचेरी	7	61.87
	कुल योग	985	17124.72

केन्न (फ्रांस) में हुए फिल्म समारोह में भारतीय फिल्में

882. **मोहम्मद शहाबुद्दीन :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष फ्रांस के केन्न शहर में आयोजित किए गए अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में एक भी भारतीय फिल्म नहीं दिखाई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) भविष्य में ऐसे फिल्म समारोहों में भारतीय फिल्मों को दिखाने के संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) जी, हां।

(ख) फिल्म समारोह निदेशालय ने इस वर्ष केन्न फिल्म समारोह में प्रदर्शन के लिए छः फिल्मों की प्रविष्टियां भेजी थीं। तथापि, केन्न फिल्म प्राधिकारियों द्वारा समारोह में प्रदर्शन के लिए किसी भी फिल्म का चयन नहीं किया गया था।

(ग) फिल्म समारोह निदेशालय विदेश के विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय समारोहों के लिए भारतीय फिल्मों की प्रविष्टियां भेजता है तथा भविष्य में भी प्रविष्टियां भेजता रहेगा। तथापि, समारोह में प्रदर्शनार्थ फिल्मों के चयन का निर्णय संबंधित समारोह के प्राधिकारियों द्वारा लिया जाता है।

[अनुवाद]

आयकर विवरणियां

883. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर विवरणी जमा करने को सरलीकृत बनाने हेतु एक विस्तृत पैकेज तैयार किया है जिसके अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को भी इस कार्य में सम्मिलित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पैकेज का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह पैकेज कब तक क्रियान्वित किया जाएगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० धनन्जय कुमार) : (क) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से कर विवरणियां दायर करने की अनुमति देने की कोई योजना नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

पीतमपुरा स्थित दूरदर्शन टी०वी० टावर के संबंध में शिकायतें

884. श्री राजनारायण पासी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री पीतमपुरा स्थित दूरदर्शन टी.वी. टावर के बारे में 7 दिसंबर, 1999 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1224 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जांच कार्य पूरा हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसमें देरी होने के क्या कारण हैं; और

(घ) जांच कब तक पूरी हो जाएगी?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) जी, हां।

(ख) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि प्रारम्भिक जांच के बाद कोई प्रथम दृष्ट्या मामला सिद्ध नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

मसाला निर्यात

885. श्री अशोक अर्गल : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्ष के दौरान मसाला बोर्ड ने विशेषकर मध्य प्रदेश से मसालों के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान मसाला बोर्ड के किसी उच्च अधिकारी ने देश के मध्य भाग का दौरा किया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) मसाला बोर्ड द्वारा भारत से मसालों के निर्यात को बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश के मसाला निर्यातकों सहित पंजीकृत मसाला निर्यातकों के लाभार्थ कई योजनाएं कार्यान्वित की गई हैं। सामान्य व्यापार नीति सुधारों के अतिरिक्त, मसालों के निर्यातों को बढ़ाने के लिए उठाए गए कुछ कदमों में शामिल हैं—विदेशी बाजार में मसालों के निर्यातों को कीमत प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए इनके निर्यात पर 0.5 प्रतिशत की दर से उपकर को युक्तिसंगत बनाना मूल्यवर्धित मसालों के निर्यातकों को प्रदत्त ''भारतीय मसाला लोगों'' जैसी ब्रांड संवर्धन योजनाओं को कार्यान्वित करना और खुले रूप में मसालों के ऐसे निर्यातक को ''मसाला गृह प्रमाण पत्र'' देना, जो गुणवत्ता संबंधी मानकों का पालन करते हैं, गुणवत्ता, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, प्रक्रिया उन्नयन और उत्पाद विकास सुनिश्चित करने के लिए उत्पादों की जांच हेतु प्रयोगशालाओं की स्थापना करना।

(ख) और (ग) जी, हां। मसालों के निर्यात को बढ़ाने के लिए किए गए प्रयासों के एक भाग के रूप में, बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों ने पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यातकों की बैठकों, गुणवत्ता सुधार संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा सेमीनारों इत्यादि का आयोजन करने के लिए देश के मध्य भाग का दौरा किया है। तथापि, इस प्रकार के दौरे मिर्च, हल्दी और बीज मसालों के उत्पादन करने वाले क्षेत्रों में प्रायः बार-बार किए जाते हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिये आयातित चीनी

886. श्री दानवे रावसाहेब पाटील : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्थानीय दर से अधिक मूल्य पर खरीदी जा रही आयातित चीनी की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आपूर्ति की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो देश में चीनी के भंडार जरूरत से अधिक होने के बावजूद उसके आयात के क्या कारण हैं;

(ग) सरकार ने किसानों/उत्पादकों से गन्ने के लिए क्या स्थानीय खरीद मूल्य निर्धारित किया है; और

(घ) महाराष्ट्र की चीनी मिलों से कुल कितने टन चीनी खरीदी गई?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) चीनी का आयात खुले सामान्य लाइसेंस (ओ.जी.एल.) के अंतर्गत है। तथापि, सरकारी खाते पर चीनी का कोई आयात नहीं किया गया है।

(ग) भारत सरकार केवल गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती है जो 8.5 प्रतिशत के रिकवरी स्तर के साथ 56.10 रुपये प्रति क्विंटल पर तय किया गया है जिसमें उस स्तर से अधिक रिकवरी में प्रत्येक 0.1 प्रतिशत वृद्धि के लिए 0.66 रुपये का प्रीमियम देय होगा।

(घ) चीनी मौसम 1999-2000 (अक्तूबर-सितम्बर) के दौरान, 20 जुलाई, 2000 तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए महाराष्ट्र की चीनी मिलों से 17.47 लाख टन लेवी चीनी की मात्रा का आबंटन किया गया था।

लोक नर्तकों/ग्राम्य नाटकों के मंचनकर्ताओं को ऋण देने का प्रावधान

887. **श्री पोन राधाकृष्णन्** : क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ग्रामीण नाटक करने वालों और परम्परागत लोक नृत्य/नाटक कलाकारों की दशा की जानकारी है;

(ख) क्या सरकार ने ग्रामीण नाटक करने वालों और परम्परागत लोक नृत्य/नाटक कलाकारों को व्यावसायिक ऋण प्रदान करने हेतु कोई योजना बनाई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) से (घ) संस्कृति विभाग लोक/जनजातीय प्रदर्शनकारी कलाकारों को प्रदर्शन का अवसर प्रदान कर और उन्हें विभिन्न महोत्सवों एवं कार्यक्रमों में प्रायोजित कर आंचलिक सांस्कृतिक केन्द्रों के माध्यम से लोक एवं जनजातीय कलाओं तथा संस्कृति के परिरक्षण और विकास को बढ़ावा दे रहा है। इसके अतिरिक्त, विभाग के पास जनजातीय और लोक कला तथा संस्कृति के परिरक्षण और संवर्द्धन में संलग्न स्वयंसेवी संगठनों और संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने की भी एक स्कीम है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों हेतु राष्ट्रीय नवीकरण कोष

888. **श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार** : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से छंटनी किए गए श्रमिकों की समस्या से निपटने हेतु राष्ट्रीय नवीकरण कोष में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में अभी तक इस पर क्या कदम उठाए गए हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वल्लभभाई कथीरिया) : (क) से (ग) राष्ट्रीय नवीकरण कोष को दिनांक 12.7.2000 की एक अधिसूचना के जरिए समाप्त कर दिया गया है। बहरहाल, केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के लिए वित्तीय सहायता सीधे प्रशासनिक मंत्रालयों को वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में उपलब्ध कराई जाएगी। कामगारों के पुन: प्रशिक्षण/पुनर्वास की योजना पृथक रूप से संचालित की जा रही है।

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों में वितरण के लिए राज्यों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का राशन

889. **श्री राशिद अलवी** : क्या **उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों में वितरण के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के राशन की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या निर्णय लिया है; और

(घ) इस हेतु कुल कितनी मात्रा और मूल्य के खाद्यान्नों की आवश्यकता होने का अनुमान है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) से (घ) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की खाद्यान्नों की मांग सामान्यत: सरकार द्वारा किए गए आबंटनों से अधिक होती है। क्योंकि ये खाद्यान्न सब्सिडि प्राप्त होते हैं। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन गेहूं और चावल का आबंटन मांग पर आधारित नहीं होता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली खुले बाजार की प्रतिस्थानी नहीं है बल्कि यह केवल इसकी अनुपूरक होती है। राज्यें/संघ राज्य क्षेत्रों से समय-समय पर उनके आबंटनों में वृद्धि करने के अनुरोध प्राप्त होते हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की मांगों पर विचार करते हुए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उपलब्धता और राजसहायता संबंधी बाधा की शर्त के अध्यधीन गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए लागू मूल्यों पर गेहूं और चावल के अतिरिक्त आबंटन किए जाते हैं। अप्रैल, 2000 से गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के खाद्यान्नों के आबंटन को 10 किलोग्राम प्रति माह प्रति परिवार से बढ़ाकर 20 किलोग्राम प्रति माह प्रति परिवार कर दुगुना कर दिया गया है। गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के आबंटन को वर्तमान स्तर पर बनाए रखा गया है। यदि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सामान्य मासिक आबंटन से अधिक मात्रा में अतिरिक्त गेहूं और चावल

की मात्रा की मांग की जाती है तो इन पर उपलब्धता और आर्थिक लागत की शर्तों के अधीन विचार किया जाएगा। चालू वर्ष में लक्षित सार्वजनिक वितरण के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए लागू मूल्य पर खाद्यान्नों का अतिरिक्त आबंटन करने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त अनुरोधों के ब्यौरे संलग्न विवरण पर दिए गए हैं।

विवरण

क्रम सं.	राज्य का नाम	की गई मांग	स्थिति
1.	मिजोरम	गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए लागू मूल्य पर 1500 टन गेहूं का अतिरिक्त आबंटन	राज्य सरकार को सूचित किया गया है कि गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के तहत गेहूं की अतिरिक्त मात्रा का आबंटन राज्य के गरीबी रेखा से नीचे के चावल के आबंटन में उतनी मात्रा घटाकर ही किया जा सकता है अथवा विकल्प रूप में लक्षित सार्वजिनक वितरण प्रणाली के आबंटन से अधिक खाद्यान्नों का आबंटन गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए लागू मूल्य (आर्थिक लागत) पर किया जाता है।
2.	केरल	गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए लागू मूल्य पर 25,350 टन गेहूं का अतिरिक्त आबंटन	राज्य सरकार को सूचित किया गया है कि गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए लागू मूल्यों पर अतिरिक्त गेहूं गरीबी रेखा से नीचे से संबंधित चावल के आबंटन में उतनी ही मात्रा का समायोजन करने के बाद ही आबंटित किया जा सकता है अथवा प्रति माह 25,350 टन गेहूं का आबंटन गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए लागू मूल्य (आर्थिक लागत) पर किया जा सकता है।
3.	तमिलनाडु	गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए लागू मूल्य पर 30,000 टन गेहूं का अतिरिक्त आबंटन	राज्य सरकार को सूचित किया गया है कि गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए लागू मूल्यों पर अतिरिक्त गेहूं गरीबी रेखा से नीचे से संबंधित चावल के आबंटन में उतनी ही मात्रा का समायोजन करने के बाद ही आबंटित किया जा सकता है अथवा प्रति माह 30,000 टन गेहूं का आबंटन गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए लागू मूल्य (आर्थिक लागत) पर किया जा सकता है।

अर्थोपाय अग्रिम

890. **श्री त्रिलोचन कानूनगो** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान आज तक प्रत्येक राज्य ने कितने दिन तक अर्थोपाय अग्रिम का लाभ उठाया है और उनके संबंधित अर्थोपाय अग्रिम पर प्रत्येक राज्य के संदर्भ में ब्याज की राशि कितनी है;

(ख) वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान प्रत्येक राज्य ने कितने दिन तक भारतीय रिजर्व बैंक से ओवर ड्राफ्ट लिए हैं और प्रत्येक राज्य ने इन वर्षों में प्रति वर्ष ओवरड्राफ्टों पर कितनी ब्याज राशि चुकाई है; और

(ग) प्रत्येक राज्य और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच कितनी न्यूनतम रोकड़ शेष और अग्रिम की सीमा पर सहमति हुई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) राज्य और भारतीय रिजर्व बैंक का आपसी लेन-देन उनके बीच हुए पारस्परिक समझौते के अनुसार निष्पादित होता है। चूंकि राज्यों द्वारा अधिविकर्ष (ओवरड्राफ्ट) के बारे में सूचना का प्रकटीकरण बैंकर और ग्राहक (भारतीय रिजर्व बैंक और राज्य सरकारों) के बीच संबंधों का अतिक्रमण है, अतः भारत सरकार द्वारा ऐसी सूचना सार्वजनिक तौर पर प्रकाशित/जारी नहीं की जाती है।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

प्रत्येक राज्य और भारतीय रिजर्व बैंक के मध्य सहमत रोकड़ संतुलन तथा अग्रिम सीमा को दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रुपयों में)

क्रम सं.	राज्य	न्यूनतम शेष	1.3.1999 से प्रभावी अर्थोपाय अग्रिम	21.7.2000 को यथा-विद्यमान विशेष अर्थोपाय अग्रिम	योग (7+8)
1	2	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	3.32	288.00	38.98	326.98
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.26	28.00	49.80	77.80
3.	असम	1.08	114.00	14.62	128.62
4.	बिहार	2.18	189.00	48.19	237.19
5.	गोवा	0.19	24.00	2.89	26.89
6.	गुजरात	2.80	243.00	14.73	257.73

1	2	6	7	8	9
7.	हरियाणा	1.14	99.00	10.74	109.74
8.	हिमाचल प्रदेश	0.55	59.00	—	59.00
9.	कर्नाटक	2.63	228.00	26.35	254.35
10.	केरल	1.66	144.00	11.85	155.85
11.	मध्य प्रदेश	2.68	232.00	24.87	256.87
12.	महाराष्ट्र	5.58	483.00	26.99	509.99
13.	मणिपुर	0.24	25.00	3.85	28.85
14.	मेघालय	0.21	25.00	9.31	34.31
15.	मिजोरम	0.20	25.00	—	25.00
16.	नागालैंड	0.25	26.00	—	26.00
17.	उड़ीसा	1.28	141.00	20.32	161.32
18.	पंजाब	1.56	141.00	43.45	184..45
19.	राजस्थान	2.34	202.00	197.34	399.34
20.	तमिलनाडु	3.25	281.00	34.23	315.23
21.	त्रिपुरा	0.29	31.00	135.01	166.01
22.	उत्तर प्रदेश	4.87	422.00	216.05	638.05
23.	पश्चिम बंगाल	2.48	235.00	389.66	624.66
	योग	41.04	3685.00	1319.23	5004.23

जम्मू और कश्मीर तथा सिक्किम भारतीय रिजर्व बैंक से सम्बद्ध नहीं हैं।

गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों के जमाकर्ताओं का बीमा

891. श्री अनन्त गंगाराम गीते : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों के जमाकर्ताओं का बीमा करने के लिए सैद्धांतिक रूप में सहमत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने यह मामला साधारण बीमा निगम और बीमा नियामक प्राधिकरण के साथ उठाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) से (ङ) यद्यपि गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) से संबंधित कृतिक बल ने गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों के पास रखी जमाराशियों के लिए जमाराशि बीमा के प्रावधान के विरुद्ध सिफारिश की है, फिर भी, गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी क्षेत्र पर. जमाराशि बीमा लागू किए जाने की समय-समय पर मांग की जाती रही है। इस पृष्ठ-भूमि में भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 1998 में साधारण बीमा निगम (जीआईसी) के साथ गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी क्षेत्र में जमाराशि बीमा लागू किए जाने की संभावना पर विचार-विमर्श किया था। साधारण बीमा निगम ने स्वयं को इस स्थिति में नहीं पाया कि वे गैर-बैंककारी वित्तीय कम्पनी क्षेत्र को जमाराशि बीमा प्रदान कर सकें।

बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) के साथ भारतीय रिजर्व बैंक के विचार-विमर्श के दौरान गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों की जमाराशियों के बीमा के लिए उपयुक्त उत्पाद विकसित करने वाली गैर-सरकारी बीमा कंपिनयों की संभावना पर भी विचार-विमर्श किया गया है।

पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ

892. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या **उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पुनर्गठित सार्वजनिक प्रणाली का लाभ विभिन्न राज्यों, विशेष रूप से पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में पहुंचाने का है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित योजना का राज्यवार, विशेष रूप से महाराष्ट्र के संदर्भ में ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत आबंटित निधियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) जी, नहीं। जून, 1997 से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के शुरू होने, जो "सभी क्षेत्रों में गरीबों" को कवर करती है, से "गरीब क्षेत्रों में सभी" को कवर करने वाली सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली निरर्थक हो गई। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को विशेष राजसहायताप्राप्त मूल्यों पर खाद्यान्न जारी करने की परिकल्पना की गई है। सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो पूरे देश में पहचान किए गए 1775 ब्लाकों में 1992 से चल रही थी और जिसके अंतर्गत उन क्षेत्रों में सामान्य केन्द्रीय निर्गम मूल्य से 50 पैसे प्रति किलोग्राम कम मूल्य पर खाद्यान्न जारी किए जाते थे, अब बंद हो गई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

ग्वालियर किले में रोप वे

893. श्री जयभान सिंह पवैया : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश के ग्वालियर किले में रोप वे प्रणाली स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) से (ग) ग्वालियर किला में रोप वे मूलत: पर्यटन की परियोजना है और क्योंकि पर्यटन राज्य का विषय है, अत: राज्य सरकार ने परियोजना प्रस्ताव भेजना है। जब भी ऐसा प्रस्ताव आएगा, उस पर सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

[अनुवाद]

कब्रिस्तान हेतु नमक बहुलता वाली जमीन का प्रयोग करने की अनुमति

894. श्री किरीट सोमैया : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य सरकार और मुम्बई नगर निगम ने मुम्बई के नमक आयुक्त से मुलुंड ईस्ट मुम्बई में स्थित कब्रिस्तान तक संपर्क सड़क के निर्माण के लिए नमक बहुलता वाली जमीन (साल्ट पैन लैंड) का प्रयोग करने हेतु आपत्ति प्रमाणपत्र देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजन हेतु कितनी जमीन की आवश्यकता है;

(ग) क्या नमक आयुक्त ने मुम्बई नगर निगम और राज्य सरकार से इस जमीन के लिए प्रचलित बाजार दर मांगी है;

(घ) क्या सरकार इस सामूहिक कब्रिस्तान तक संपर्क सड़क उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो प्रस्ताव की मौजूदा स्थिति क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रमण) : (क) जी, हां।

(ख) ग्रेटर मुम्बई नगर निगम ने नमक आयुक्त, मुम्बई को संबोधित अपने दिनांक 29 जून, 2000 के पत्र द्वारा मुलुंद (ईस्ट) की भूमि सी टी एस सं. 1291(भाग), जिसकी लंबाई लगभग 300 वर्ग मी. है, के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने का अनुरोध किया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) जी, हां, जैसा ऊपर उल्लेख किया गया है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के रिक्त पद

895. श्री अमर राय प्रधान : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के रिक्त पदों के बारे में 20 अप्रैल, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4315 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अब तक संबंधित सूचना एकत्र कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके सभा-पटल पर कब तक रखे जाने की संभावना है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) संस्कृति विभाग के दो संबद्ध कार्यालय, छ: अधीनस्थ कार्यालय तथा इसके नियंत्रणाधीन छब्बीस स्वायत्त संगठन हैं। आठ संगठनों को छोड़कर सभी से सूचना प्राप्त हो गई है।

(ख) पहले से ही संग्रहीत सूचना को संकलित कर विवरण के रूप में संलग्न कर दिया गया है। सभी संगठनों को शीघ्रता से रिक्तियां भरने के निर्देश दे दिए गए हैं।

(ग) आशा है कि शेष आठ संगठनों के संबंध में सूचना अगस्त 2000 के अंत तक रख पाना संभव हो सकेगा।

विवरण

(क) *अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के भरे गए पदों की वर्षवार/श्रेणीवार संख्या*

श्रेणी	1997-98	1998-99	1999-2000
अनुसूचित जाति	30	34	42
अनुसूचित जनजाति	08	11	10
अन्य पिछड़े वर्ग	13	33	27

(ख) *दिनांक 31 मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के रिक्त पड़े पदों की संख्या*

अनुसूचित जाति	अनुसूचति जनजाति	अन्य पिछड़े वर्ग
68	44	113

बीमा क्षेत्र के कर्मचारियों के वेतन में संशोधन

896. श्री भीम दाहाल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों में कार्य कर रहे कर्मचारियों के वेतनों में संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वेतनों को किस तारीख से संशोधित किया गया है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप क्या वित्तीय प्रभाव पड़ेगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय सरकार ने जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम तथा चार अनुषंगी कंपनियों के कर्मचारियों के लिए वेतन संशोधन को मंजूरी दे दी है। यह वेतन संशोधन 1.8.1997 से पांच वर्ष की अवधि अर्थात् 31.7.2002 तक प्रभावी होगा। वेतन संशोधन के दो भाग हैं, अर्थात्

(i) 1.8.1997 की स्थिति के अनुसार वेतन बिल के 12% की दर पर समग्र वेतन संशोधन जिसमें मूल वेतनमान, महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, नगर प्रतिपूर्ति भत्ता, वाहन भत्ता, पर्वतीय क्षेत्र भत्ता, कार्यात्मक भत्ता आदि शामिल हैं; और

(ii) 1.4.1999 से 31.3.2002 तक उत्पादकता से संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन योजना जिसमें कतिपय मूल पैरामीटर हासिल करने के अधीन 1.8.1997 की स्थिति के अनुसार वेतन बिल (संशोधन-पूर्व) के अधिकतम 6% तक प्रोत्साहन का भुगतान किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, उत्पादकता से संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन योजना के बदले में, 1.8.1997 से 31.3.1999 की अवधि के लिए, 1.8.1997 की स्थिति के अनुसार वेतन बिल के 1.67% की दर पर एकमुश्त भुगतान किए जाने को भी अनुमोदित किया गया है।

संबंधित राजपत्र अधिसूचनाएं सभा-पटल पर अलग से प्रस्तुत की जा रही हैं।

(ग) वेतन संशोधन के परिणामस्वरूप होने वाले वित्तीय प्रभाव निम्नानुसार हैं :-

(i) जीवन बीमा निगम	:	158.72 करोड़ रु. प्रतिवर्ष
(ii) साधारण बीमा निगम और अनुषंगी कंपनियां	:	142.00 करोड़ रु. प्रतिवर्ष

मान्यता प्राप्त विज्ञापन एजेंसियां

897. श्री मोइनुल हसन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विज्ञापन एजेंसियों जिनसे विज्ञापन स्वीकृत किए जाते हैं, के मान्यता देने हेतु पालन किए जाने वाले मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ख) दूरदर्शन पर भिन्न-भिन्न स्लार्टों हेतु विज्ञापन को वाणिज्यिक दरों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार और एजेंसी-वार मान्यता प्राप्त विज्ञापन एजेंसियों को कितना कमीशन दिया गया है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

केरल के किसानों को सहायता

898. श्री पी०सी० थामस : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्र सरकार को राज्य के रबड़, चाय, कॉफी, मिर्च और इलायची के किसानों को बचाने हेतु वित्तीय सहायता दिए जाने संबंधी एक योजना प्रस्तुत की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) केरल सरकार से इस वर्ष रबड़, चाय, कॉफी तथा इलायची के संबंध में केन्द्र सरकार से वित्तीय सहायता दिए जाने संबंधी कोई योजना प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, केरल सरकार ने काली मिर्च के उद्योग के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता दिए जाने के बारे में योजना अयोग को एक परियोजना रिपोर्ट का मसौदा प्रस्तुत किया है, जिसके ब्यौरे राज्य सरकार से अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।

आंध्र प्रदेश में बौद्ध अवशेष

899. श्री ए० ब्रह्मनैया : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आंध्र प्रदेश में बौद्ध अवशेषों के बारे में कोई सर्वेक्षण कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा इस प्रकार का सर्वेक्षण पहले भी किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कुछ उपरोक्त स्थल अभी भी विद्यमान हैं;

(च) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई अध्ययन कराया गया है; और

(छ) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की राज्य में इस विषय के बारे में ज्ञान का प्रसार करने की क्या योजना है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (च) जी, हां। ब्यौरा संलग्नक में दिया गया है जिसमें आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिला में चार बौद्ध स्थल नामत: अलूरू, पेनुकांचीप्रोलू, घंटासाला और जुग्गुरू शामिल हैं। अंतिम तीन का उत्खनन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया गया है तथा उसके परिणाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(छ) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की फिलहाल इस संबंध में कोई योजना नहीं है।

विवरण

क्र.सं.	गांव/स्थल	जिला	सांस्कृतिक स्वरूप	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	सालि हुण्डम	श्रीकाकूलम	बौद्ध स्थल	बौद्ध संरचनाओं अर्थात् विहारों, रसोई, भण्डार-कक्षों, उत्कीर्ण लेखों आदि का पता चला है।
2.	राजुला-मन्दगिरि	कुरनूल	बौद्ध स्थल	अशोक का उत्कीर्ण लेख।
3.	अमरावती	गुण्टूर	बौद्ध स्थल	खुदाई से सतवाहन और अन्य काल की बड़ी संख्या में अति सुन्दर मूर्तियां और प्रकीर्णी लेखों के साथ-साथ महाचैत्य के अवशेष प्राप्त हुए हैं।
4.	नागार्जुनकोंडा घाटी	गुण्टूर	बौद्ध स्थल	सात महत्वपूर्ण स्थलों की खुदाई की गई जिसमें विहारों, स्तूपों, एक सभागार, एक स्नान कक्ष और दो मंदिर उनमें से एक हरिति, पण्डाल, स्नान घाट और बड़ी संख्या में मूर्तियां, उत्कीर्ण लेख, सिक्के, टेराकोटा और अन्य पुरा वस्तुओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं।
5.	कोट्टूरू	विशाखापट्नम	बौद्ध स्थल	खुदाई से बौद्ध विहार परिसर का पता चला है।
6.	येगमल्ली टाडाकोण्डा	पूर्वी गोदावरी	बौद्ध स्थल	आधार में लगभग 600 फुट की परिधि तथा 13 फुट ऊंचा एक बहुत ही सुसंरक्षित ईंट का स्तूप मिला है।
7.	लिंगराजुपालेम	अनन्तपुर	बौद्ध स्थल	एक विशाल बौद्ध स्तूप का स्थल।
8.	अल्लुरु	कृष्णा	बौद्ध स्थल	इक्ष्वाकु काल की दो बौद्ध प्रतिमाएं प्राप्त हुईं।
9.	अप्पूगुंडुरु	गुंटूर	बौद्ध स्थल	एक बृहद टीला, बुद्ध की प्रतिमा तथा तक्षित पट्टियां।
10.	चंदावरम	नेल्लौर	बौद्ध स्थल	स्तूपों, मिट्टी के बांधों और किलेबंदियों के अवशेष।
11.	गुंटूपल्ले	पश्चिमी गोदावरी	बौद्ध स्थल	मनौती का स्तूप सं. 4 के भीतर तांबे की मंजूषा। मंजूषा में दो और मंजूषाएं—एक चांदी की तथा दूसरी सोने जैसे लगने वाली। सबसे भीतरी मंजूषा से हड्डी के मनके तथा मणिभ प्राप्त हुए हैं। खुदाई से, तांबे, चांदी तथा सोने की प्राप्त तीन मंजूषाओं के अतिरिक्त जो एक-दूसरे के भीतर रखी गई थी और सबसे भीतरी मंजूषा में स्मृतिचिह्न पाए गए, आयक चबूतरे वाला एक स्तूप भी प्राप्त हुआ। कांस्य की बोधिसत्व की प्रतिमा के साथ-साथ पद्मपाणि भी प्राप्त हुई।
12.	भट्टीप्रोलु	गुंटूर	बौद्ध स्थल	उत्खनन में ईंट से बने स्तूप, आयक चबूतरे, रेलिंग तथा विहार के दो स्कंध प्राप्त हुए।
13.	कोंडापुर	मेडक	बौद्ध स्थल	एक स्तूप टीले का पता चला।
14.	पेनुकांचीप्रोलू	कृष्णा	बौद्ध स्थल	एक बौद्ध स्तूप स्थल, चूनापत्थर की बुद्ध प्रतिमाएं पाई गईं।
15.	कलिंगापट्नम	श्रीकाकुलम	बौद्ध स्थल	एक बृहद् बौद्ध स्तूप मिला।
16.	नाम्बूर, सीतानगरम् विजयाकिलाद्रि	गुंटूर	बौद्ध स्थल	बौद्ध प्रतिष्ठान।

1	2	3	4	5
17.	कुकुटलापल्ले	प्रकाशम्	बौद्ध स्थल	बौद्ध प्रतिष्ठान।
18.	येरामपलेम	गुंटूर	बौद्ध स्थल	बौद्ध स्तूपों का एक समूह पाया गया।
19.	घंटासाला/येरनामपड्डू	कृष्णा	बौद्ध स्थल	स्थल को काल क्रमिक-वार स्थापित कर लिया गया है।
20.	अड्डुरु	पूर्वी गोदावरी	बौद्ध स्थल	उत्खनन से अराचक्र की तरह के स्तूप प्राप्त हुए हैं।
21.	काम्पली	करीम नगर	बौद्ध स्थल	ईंट के स्तूप, विहार तथा खम्भों वाले हाल।
22.	पशगांव	करीब नगर	बौद्ध स्थल	चैत्य गृह तथा विहार परिसर खोजे गए।
23.	रुद्रकोटा	नेल्लौर	बौद्ध स्थल	छतरी के अंश तथा कमल का मूल प्राप्त हुआ।
24.	जुज्जुरु	कृष्णा	बौद्ध स्थल	मनौती स्तूप प्राप्त हुए।

विदेशों में आकाशवाणी/दूरदर्शन के कार्यक्रम

900. श्री अजय सिंह चौटाला : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी/दूरदर्शन विदेशों में भारत संबंधी कार्यक्रम प्रसारित करने की क्षमता रखते हैं;

(ख) यदि हां, तो उन देशों का ब्यौरा क्या है जहां उपरोक्त कार्यक्रम देखे जा रहे हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में आकाशवाणी और दूरदर्शन के विस्तार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) आकाशवाणी तथा दूरदर्शन द्वारा कवर किए गए देशों का ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण-I और II पर दिया गया है।

(घ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आकाशवाणी ने विदेश सेवा के लिए आकाशवाणी दिल्ली [तीन 100 कि.वा. शार्ट वेव ट्रांसमीटर (प्रत्येक) को 250 कि.वा. के शार्ट वेव ट्रांसमीटर द्वारा प्रतिस्थापित करना], आकाशवाणी, अलीगढ़, (दो मौजूदा 250 कि.वा. के शार्ट वेव ट्रांसमीटरों को 250 कि.वा. के दो शार्ट वेव ट्रांसमीटरों द्वारा प्रतिस्थापित करना) और आकाशवाणी, राजकोट (मौजूदा) 1000 कि.वा. के मीडियम वेव ट्रांसमीटर को 1000 कि.वा. मीडियम वेव ट्रांसमीटरों द्वारा प्रतिस्थापित करना (के ट्रांसमीटरों को बदलने का कार्य प्रारंभ कर दिया है)। जहां तक दूरदर्शन का संबंध है, दूरदर्शन के अन्तर्राष्ट्रीय चैनल के द्वारा कवर किए गए देशों में इसके स्थानीय प्रसारण की व्यवस्था के माध्यम से दर्शकों की संख्या में वृद्धि करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

विवरण-I

आकाशवाणी की विदेश सेवा द्वारा कवर किए गए देश

1. **एशिया**

1.1 पड़ोसी देश :

बंगलादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, तिब्बत (चीन)।

1.2 दक्षिण-पूर्व एशिया :

कम्बोडिया, इन्डोनेशिया, लाओस, मलयेशिया, पापुआ, न्यूगिनी, फिलीपींस, सिंगापुर, थाइलैंड, वियतनाम।

1.3 उत्तर-पूर्व एशिया :

चीन, कोरिया प्रजातांत्रिक गणराज्य, जापान, कोरिया गणराज्य।

1.4 पश्चिम एशिया :

अफगानिस्तान, बहरीन, मिश्र, ईरान, ईराक, जोर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमान, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, संयुक्त अरब अमीरात, यमन।

2. **यूरोप**

2.1 यू.के. तथा पश्चिम यूरोप :

आस्ट्रिया, बेल्जियम, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, ग्रीस, जर्मनी, आयरलैंड, इटली, मेडिटेरेनियन आइसलैंड, नीदरलैंड्स, नार्वे, पुर्तगाल, स्पेन, स्वीडन, स्विटजरलैंड, युनाइटेड किंगडम, यूगोस्लाविया।

2.2 पूर्व सोवियत संघ :

आर्मीनिया, अजरबेजान, बेलारूस, जार्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिजस्तान, लातविया, लिथुआनिया, मोल्दाविया, रशिया, ताजिकिस्तान, तर्कमेनिस्तान, यूक्रेन, उज्बेकिस्तान।

विवरण-II

दूरदर्शन के अंतर्राष्ट्रीय चैनल द्वारा कवर किए गए देश

एशिया

अफगानिस्तान, बंगलादेश, भूटान, चीन, (आंशिक रूप से) कम्बोडिया, हांगकांग, इंडोनेशिया, मालदीव, मलयेशिया, मंगोलिया, मारीशस, म्यांमार, जापान, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस, सिंगापुर, श्रीलंका, सुमात्रा (आंशिक रूप से), थाईलैंड, वियतनाम।

स्वतंत्र राज्यों का परिसंघ

आर्मीनिया, अजरबेजान, जार्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिजस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिया, यूक्रेन, उज्बेकिस्तान।

मध्य पूर्व

बहरीन, ब्रुनेई, ईरान, इराक, ओमान, कतर, सउदी अरब, सीरिया, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात, यमन।

अफ्रीका

अल्जीरिया, मिश्र, इथियोपिया, लीबिया, सोमालिया, सूडान, युगांडा।

यूरोप

आस्ट्रिया, साईप्रस, फ्रांस, फिनलैंड, ग्रीस, जर्मनी, हंगरी, इजरायल, इटली, नार्वे, पोलैंड, युनाइटेड किंगडम।

आस्ट्रेलिया

अमेरिका

कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका।

दक्षिणी अफ्रीका

आई०टी०डी०सी० परियोजनाएं

901. **श्रीमती प्रेनीत कौर** : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्यार सरकार द्वारा आई.टी.डी.सी. सहित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश नीति के मद्देनजर चंडीगढ़ और आनंदपुर साहिब में आई.टी.डी.सी. की अभी भी अपूर्ण परियोजनाओं को भी बेचने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि नहीं, तो इन परियोजनाओं को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) और (ख) सरकार ने विनिवेश आयोग की भारत पर्यटन विकास निगम से संबंधित सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं। जहां तक भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों का संचालन का संबंध है, आयोग की प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं :-

"(i) दिल्ली और बंगलौर जैसे प्रमुख स्थानों पर स्थित होटलों को प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम से प्रतिष्ठित होटल शृंखलाओं को सौंप दिया जाना चाहिए ताकि उनका संचालन पट्टा-सह-सप्रबंधन आधार पर दीर्घकालिक करार पर किया जा सके।

(ii) अन्य होटलों को अलग से निगमति इकाइयों में आमेलित कर दिया जाना चाहिए तथा नई कंपनियों में विनिवेश उनमें धारित सरकारी शेयरों की शत-प्रतिशत बिक्री के माध्यम से किया जाना चाहिए।"

चंडीगढ़ में भारत पर्यटन विकास निगम की होटल परियोजना को अक्तूबर, 2001 तक पूरा करना निश्चित किया गया है और आनन्दपुर साहिब में संयुक्त उद्यम होटल परियोजना अक्तूबर, 2000 तक पूरा होने की संभावना है बशर्ते की निधियों की उपलब्धता रहे।

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम०पी० ई०डी०ए०) के कार्यालय को अन्यत्र ले जाना

902. **प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु** : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण कार्यालय को कोचीन से हटाकर आंध्र प्रदेश ले जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या केरल से होने वाला समुद्री उत्पाद निर्यात भारत से होने वाले समस्त समुद्री उत्पाद निर्यात के प्रतिशत के मुकाबले पर घट गया है;

(ग) यदि हां, तो समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण का कार्यालय केरल में रखने का क्या तर्क है जबकि पूर्वी तट अब समुद्री उत्पादों के निर्यात का मुख्य आधार केन्द्र बन गया है; और

(घ) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के मुख्यालय को धीरे-धीरे केरल से हटाकर पूर्वी तट, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश में ले जाने के लिए क्या कदम प्रस्तावित हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) गत तीन वर्षों के दौरान केरल राज्य के पत्तनों के जरिए समुद्री उत्पादों के निर्यात निम्नानुसार किए गए हैं :-

वर्ष	भारत से निर्यात		केरल से निर्यात		भारत के सकल निर्यात में केरल से हुए निर्यात का % हिस्सा	
	मात्रा मी. टन में	मूल्य करोड़ रु. में	मात्रा मी. टन में	मूल्य करोड़ रु. में	मात्रा मी. टन में	मूल्य करोड़ रु. में
1997-98	385818	4697.48	89366	948.03	23.16	20.18
1998-99	302934	4626.87	70641	816.56	23.32	17.65
1999-2000	343031	5116.67	92148	1146.96	26.86	22.42

इस प्रकार केरल राज्य के जरिए निर्यात में गिरावट का रुख नहीं दिखाई देता है। पूर्वी तट की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा) के अनेक कार्यालय हैं अर्थात् चेन्नई, कलकत्ता एवं विशाखापत्तनम स्थित क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर स्थित उप-क्षेत्रीय कार्यालय और भुवनेश्वर एवं विजयवाड़ा में झींगा पालन क्षेत्रीय केन्द्र तथा कलकत्ता एवं भीमावरम में झींगा पालन उपक्षेत्रीय केन्द्र। इसके अलावा, केरल मात्स्यिकी और निर्यात संबंधी क्रियाकलापों के लिए एक प्रमुख केन्द्र के रूप में सक्रिय है।

[हिन्दी]

देव सोमनाथ मंदिर

903. श्री ताराचन्द भगोरा : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार पुरातत्व विभाग के अधीन राजस्थान के डुंगरपुर जिले में स्थित 12वीं सदी के अनूठे और असाधारण पुरातात्विक सौंदर्य वाले जर्जर हुए "देव सोमनाथ मंदिर" को नए सिरे से बनाने के लिए कोई योजना तैयार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) से (ग) राजस्थान के डुंगरपुर जिला में स्थित देव सोमनाथ मंदिर का रखरखाव एवं संरक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया जाता है। मुख्य मंदिर अच्छी हालत में परिरक्षित है। फिर भी वास्तविक आवश्कताओं एवं उपलब्ध निधियों के आधार पर समय-समय पर आवश्यक मरम्मतें की जाती हैं।

अहमदनगर शहर (महाराष्ट्र) के निकट पुरातात्विक स्मारकों का संरक्षण

904. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र में अहमदनगर शहर के समीप स्थित पुरातत्व स्मारकों के पर्यावरणीय सुरक्षा, संरक्षण और रख-रखाव के लिए धनराशि आबंटित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि आबंटित करने का विचार है और स्मारकों के रख-रखाव के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों का रखरखाव, संरक्षण एवं परिरक्षण किया जाना एक सतत् प्रक्रिया है जिनमें अहमदनगर के समीप स्थित स्मारक भी शामिल हैं। चालू वर्ष के दौरान निम्नलिखित कार्य किए जाएंगे :-

1. अहमदनगर स्थित फराह बाग महल का संरचनात्मक संरक्षण;
2. अहमदनगर स्थित सलाबत खान के मकबरे का संरचनात्मक संरक्षण; और
3. अहमदनगर जिला स्थित पुरातत्वीय स्थल नेवासा की बाड़ लगाना।

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस कार्य के लिए 11 लाख रुपये का धन आबंटित किया गया है।

[अनुवाद]

हड़प्पाकालीन खजाना

905. श्री ए० कृष्णास्वामी :
श्री रामदास आठवले :

क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने मई, 2000 के दौरान उत्तर प्रदेश के एक गांव में उत्खनन के दौरान मिले हड़प्पाकालीन सोने के सिक्के और सुलेमानी आभूषणों के खजाने की बड़े पैमाने पर लूट को रोककर उस पर अपना कब्जा कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो वहां मिले अन्य हड़प्पाकालीन खजाने का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गांव वालों को कोई प्रतिपूर्ति दी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) और (ख) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कब्जे में थोड़ा-सा खजाना है जिसमें 6 सोने के कड़े एवं चांदी के आभूषण शामिल हैं जो मण्डी गांव के ग्रामवासियों द्वारा स्वेच्छा से सौंपे गए हैं। स्थल से लगभग 10 कि.ग्रा. भार की सोने, चांदी तथा अर्द्ध-मूल्यवान प्रस्तर वस्तुएं बरामद की गईं और वे राज्य पुलिस द्वारा मुजफ्फरनगर के जिलाकोष में जमा करा दी गईं।

(ग) और (घ) उन ग्रामवासियों को 60,000 रुपये का सांकेतिक भुगतान किया गया है, जिन्होंने 6 सोने के कड़े एवं चांदी के आभूषण स्वेच्छा से सौंप दिए। उन्हें शेष राशि का भुगतान प्रतिपूर्ति निर्धारित किए जाने के बाद किया जाएगा।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

ऐतिहासिक धरोहरों को वापस लाना

906. श्री चन्द्रकान्त खैरे : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "कोहिनूर हीरे" जैसे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व की धरोहरों को भारत को लौटाने के लिए ब्रिटिश सरकार से कोई अनुरोध किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या लंदन के विक्टोरिया संग्रहालय में छत्रपति शिवाजी और महाराजा रंजीत सिंह से संबंधित रत्न और अन्य धरोहरें रखी हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो ब्रिटिश शासन काल की रियासतों से संबंधित इन धरोहरों और अन्य सामान को वापस लाने के लिए अब तक क्या प्रयास किए गए हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) विदेश मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, लंदन स्थित विक्टोरिया एवं एल्बर्ट संग्रहालय में शिवाजी से संबंधित कोई जवाहरात या स्मृति चिह्न नहीं हैं। महाराजा रंजीत सिंह का सिंहासन इस संग्रहालय के भारतीय खंड में स्थायी रूप से प्रदर्शित है। भारत सरकार लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग के माध्यम से ब्रिटेन के संबंधित प्राधिकारियों से लगातार संपर्क बनाए हुए है और इस मामले में संतोषजनक समाधान निकालने के तरीकों का पता लगा रही है।

सुपर बाजार और एन सी सी एफ द्वारा वस्तुओं की बिक्री में अनियमितताएं

907. **श्री प्रभुनाथ सिंह :**
श्री राम सागर रावत :
श्री चन्द्रनाथ सिंह :

क्या **उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सुपर बाजार और एन सी सी एफ द्वारा सरकारी विभागों को लेखन सामग्री और अन्य कार्यालय उपयोग की वस्तुओं की बिक्री में चल रही अनियमितताओं और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान सरकार के ध्यान में कितने मामले आए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार उपर्युक्त संस्थाओं के उन आदेशों जिसके अंतर्गत सुपर बाजार से खरीद की जाती है, की समीक्षा करने और इसे वापस लेने का है;

(घ) क्या स्थापित विनिर्माताओं की वस्तुओं को कम प्रतिष्ठित विनिर्माताओं अथवा बिना ब्रांड वाले विनिर्माताओं की तुलना में कम खरीदा जाता है और कम प्रतिष्ठित विनिर्माताओं की वस्तुओं को इन संस्थानों को बाजार से कहीं अधिक दरों पर बेचा जाता है;

(ङ) यदि हां, तो इन संस्थाओं की खरीद नीति क्या है और इसे किस तरह तैयार किया जाता है;

(च) क्या यह संस्थाएं अपने पंजीकृत डीलरों के पत्रों, प्रस्तावों आदि का उत्तर नहीं देती हैं और न ही उन्हें सूचित करती हैं, जिसके परिणामस्वरूप मनमानी और भेदभावपूर्ण कार्रवाई की जाती है;

(छ) सुपर बाजार/एन सी सी एफ को आपूर्ति किए जाने वाले सामान की गुणवत्ता की जांच किस तरह की जाती है; और

(ज) सरकार द्वारा उपर्युक्त संस्थाओं में भ्रष्टाचार समाप्त करने और अनियमितताओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद) : (क) से (ग) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने 1981 में एक आदेश (जिसको समय-समय पर संशोधित किया गया है) जारी किया था जिसमें केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों आदि से लेखन सामग्री तथा अन्य मदें केंद्रीय भंडार, सुपर बाजार और राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ से सामान्य वित्तीय नियमों में निर्धारित प्रक्रिया को शिथिल करके बिना टेंडर/कोटेशन आमंत्रित किए खरीदने को कहा गया था। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग तथा उपभोक्ता मामले विभाग को भी विभिन्न स्रोतों से उपर्युक्त सहकारी भंडारों के खिलाफ शिकायतें मिलती रही हैं, जिनमें उनके द्वारा भ्रष्टाचार और अनियमितताएं बरते जाने के आरोप लगाए जाते हैं। अनियमितता, भ्रष्टाचार आदि के मामलों की उनके स्वरूप के आधार पर इन संगठनों के सतर्कता विभागों और केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की जाती है और नियमित आधार पर उपयुक्त कार्रवाई की जाती है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग इन संगठनों द्वारा लेखन सामग्री तथा अन्य मदों की खरीद संबंधी नीति की व्यापक समीक्षा कर रहा है।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ और सुपर बाजार के कारोबार और प्रशासनिक मामलों की देखभाल करने के लिए अपने निदेशक मंडल हैं। इन संगठनों की अपनी क्रय नीति और प्रक्रिया है। राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ में एक कारोबार समिति है, जिसमें राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ की क्रय नीति के बारे में निर्णय लिया जाता है। सुपर बाजार में एक क्रय समिति है जो क्रय के ब्यौरों का अध्ययन करती है और क्रय आदेश देने से पूर्व निर्णय लेती है। राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ ने सूचित किया है कि वे ब्रांड वाली प्रमुख मदों को या तो विनिर्माताओं से खरीदते हैं या फिर उनके वितरकों/डीलरों से। सुपर बाजार ऐसी मदों की खरीद के लिए मदों को प्राथमिकता देता है, जो छोटे पैमाने के विनिर्माताओं और प्रतिष्ठित कंपनियों द्वारा विनिर्मित हों बशर्ते उनकी गुणवत्ता और दरें प्रतिस्पर्धात्मक हों।

(च) राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ और सुपर बाजार ने सूचित किया है कि वे डीलरों से प्राप्त सभी पत्रों पर तत्परता से कार्रवाई करते हैं।

(छ) राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ ने उपयोगकर्ता विभागों को सलाह दी है कि वे सामान प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर शिकायत आदि भेज दें। सुपर बाजार में अपनी गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला में लेखन सामग्री मदों की खरीद पूर्व गुणवत्ता नियंत्रण की प्रणाली है। वे खरीद क्षेत्र में यादृच्छिक जांच भी करते हैं।

(ज) राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ और सुपर बाजार दोनों के अपने सतर्कता विभाग हैं जिनका नेतृत्व मुख्य सतर्कता अधिकारी करते हैं। सतर्कता विभाग अनियमितता और भ्रष्टाचार के सभी मामलों को जब भी उनके ध्यान में लाए जाते हैं, जांच करते हैं।

आर्थिक सुधार

908. श्री अशोक ना० मोहोल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तीव्र आर्थिक सुधारों के संबंध में राज्य सरकारों के साथ किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस समझौता ज्ञापन के अन्तर्गत राज्य सरकारों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) जी, हां। तीव्र राजकोषीय सुधारों के लिए वर्ष 1999-2000 के दौरान 13 राज्य सरकारों के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ग) वर्ष 1999-2000 के दौरान विस्तारित अर्थोपाय के तहत् 3000 करोड़ रुपए और अतिरिक्त बाजार ऋण के तहत् 2000 करोड़ रुपए की सुविधा उन तेरह राज्यों को प्रदान करने के लिए सृजित की गई थी, जिन्होंने प्रबोधन योग्य राजकोषीय सुधार कार्यक्रम अपनाए हैं। वे तेरह राज्य जिन्होंने अपने सुधार कार्यक्रम क्रियान्वित करने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, को विस्तारित अर्थोपाय के तहत् 2570 करोड़ रुपए और अतिरिक्त बाजार ऋण के रूप में 1920 करोड़ रुपए समेत वर्ष 1999-2000 के दौरान कुल 4490 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

आयोडीन युक्त नमक का उत्पादन

909. श्री तूफानी सरोज : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आयोडीन युक्त नमक का उत्पादन कम हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या देश में उत्पादित आयोडीन युक्त नमक निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा देश में निर्धारित मानकों के अनुरूप नमक का उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रमण) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) पी एफ ए नियमावली, 1955 में आयोडीन युक्त नमक के मानक निर्धारित हैं। देश में प्रयोग के लिए निर्मित आयोडीन युक्त नमक को इन मानकों की कसौटी पर खरा उतरना होता है और राज्य खाद्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों द्वारा इसकी गुणवत्ता की नियमित रूप से जांच की जाती है।

भारत में 'डायरेक्ट टू होम' सेवा शुरू करना

910. श्री पी०एस० गढ़वी : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में 'डायरेक्ट टू होम' सेवा के संबंध में कोई नीति तैयार करने हेतु एक मंत्रीस्तरीय समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के निदेश पद का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) और (ख) डायरेक्ट टू होम (डी टी एच) प्रसारण से संबंधित मुद्दों पर विचार करने तथा अपलिंकिंग नीति की समीक्षा के लिए मंत्रियों के एक दल का गठन किया गया है जिसमें गृह, वित्त, संचार, रक्षा, सूचना एवं प्रसारण, सूचना प्रौद्योगिकी तथा लघु उद्योग और कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री शामिल हैं।

(ग) और (घ) मंत्रियों के दल ने अपलिंकिंग नीति के संबंध में अपनी सिफारिशें दी हैं और उन्होंने सिफारिश की है कि दूरसंचार क्षेत्र की कंपनियों के समान ही अनुमन्य स्तर की विदेशी इक्विटी वाली निजी एजेंसियों को अपलिंकिंग हब्स (टेलीपोर्ट्स) स्थापित करने की अनुमति दी जाए जिन्हें विधिवत अनुमोदित प्रसारकों को अपने चैनल भारत से अपलिंक करने के लिए किराए पर दिया जा सकता है। सभी टी.वी. चैनलों, उनके स्वामित्व या प्रबंध नियंत्रण पर ध्यान दिए बिना, को भारत से अपलिंक करने की अनुमति दी जाए बशर्ते कि वे प्रसारण संहिता का पालन करें। पत्र सूचना कार्यालय द्वारा प्रत्यायित भारतीय समाचार एजेंसियों को भी भारत से अपलिंक करने की अनुमति दी जाए।

मंत्रिमंडल ने 25.7.2000 को इन सिफारिशों को अनुमोदित कर दिया है।

मंत्रियों के दल द्वारा डायरेक्ट टू होम पर अपनी सिफारिशों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

ताजमहल देखने के लिए आने वालों के साथ भेदभाव

911. श्री चन्द्र विजय सिंह : क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पर्यटकों को ताजमहल के मुख्य प्रदेश द्वारा से भीतर नहीं जाने दिया जाता;

(ख) क्या ताजमहल के सुरक्षा कर्मियों द्वारा भारतीय पर्यटकों को अपने विदेशी मित्रों के साथ ताज में जाने से रोका जाता है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो ताजमहल देखने के लिए आने वाले भारतीय पर्यटकों को परेशान करने वाले ताज सुरक्षा प्रमुख और सुरक्षाकर्मियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) ताजमहल को देखने जाने वाले सभी लोग 19 जुलाई, 2000 से ताजमहल के मुख्य द्वार से प्रवेश कर सकते हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

राष्ट्रीय कागज मिलों को बंद किया जाना

912. **श्री आर०एल० जालप्पा :**
श्री कोलूर बसवनागौड :

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर्नाटक में मांड्या के निकट स्थित राष्ट्रीय कागज मिल को बंद कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितने कर्मचारी प्रभावित हुए हैं;

(घ) कितने कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजनाओं को अपनाया;

(ङ) क्या उक्त राष्ट्रीय कागज मिल के पुनरुद्धार का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वल्लभभाई कथीरिया) : (क) से (च) औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बीआईएफआर) ने दिनांक 31.7.1996 के अपने आदेश में मांड्या नेशनल पेपर मिल्स लि. (एमएनपीएल), बेलागुला, कर्नाटक को रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम 1985 (एसआईसीए) के अनुच्छेद 20(1) के तहत बंद करने के लिए अपना विचार दर्ज किया। भारत सरकार ने औद्योगिकीय वित्तीय पुनर्गठन अपीलीय प्राधिकारी (एएआईएफआर) के समक्ष अपील दायर की। भारत सरकार ने इस मिल को चालू करने के लिए 8 करोड़ रुपये भी रिलीज किए। तथापि, उत्पादन को व्यवहार्य रूप से कायम नहीं रखा जा सका और अगस्त 1998 से आगे उत्पादन बंद रहा। निजीकरण/संयुक्त उद्यम के गठन के सरकार के प्रयास भी सफल नहीं हो पाए। भारत सरकार ने दिनांक 29.2.2000 को एएआईएफआर को सूचित किया कि एमएनपीएम पुनरुद्धार के योग्य नहीं है और बीआईएफआर द्वारा दर्ज किए गए अभिमत स्वीकार्य हैं। एएआईएफआर ने एमएनपीएम को बंद करने संबंधी बीआईएफआर के विचार के विरुद्ध दायर अपील को रद्द कर दिया। भारत सरकार ने बंद करने संबंधी कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक एमएनपीएम को औपचारिक रूप से बंद करने का निर्णय लिया है। सुरक्षा की दृष्टि से, स्वैच्छिक पृथक्करण स्कीम (वीएसएस) को दिनांक 1.4.2000 से तीन महीनों के लिए लागू किया गया था। 651 कर्मचारियों में से 639 कर्मचारियों ने स्कीम के बंद होने की तारीख तक वीएसएस को अपनाया था।

लेह में कन्वेंशन/सम्मेलन केन्द्र की स्थापना

913. **श्री अली मोहम्मद नायक** : क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर सरकार ने केन्द्र सरकार से लेह में एक कन्वेंशन/सम्मेलन केन्द्र की स्थापना के लिए 2.4 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या परियोजना रिपोर्ट मेसर्स राइट्स द्वारा तैयार की जा रही थी; और

(ग) यदि हां, तो परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) लद्दाख स्थित लेह में संगोष्ठी केन्द्र स्थापित करने संबंधी संभाव्यता अध्ययन रिपोर्ट मेसर्स राइट्स (आर आई टी ई एस) द्वारा तैयार कर ली गई है तथा उसे राज्य सरकार को भेजा गया है।

बीमा क्षेत्र में गैर-बैंकिंग संस्थाएं

914. **श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल :**
श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं ने बीमा क्षेत्र में प्रवेश के लिए कुछ विदेशी कंपनियों के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के क्या दिशानिर्देश हैं;

(घ) क्या इन गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं ने उक्त दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन किया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने बीमा क्षेत्र में गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं के प्रवेश के संबंध में 9 जून, 2000 को दिशानिर्देश जारी किए हैं।

(घ) और (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने बीमा कारोबार में शामिल होने के लिए अब तक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था को अनुमति नहीं दी है।

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा वित्त पोषित सिनेमाघर

915. श्री होलखोमांग हौकिप : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा वित्तीय योजना के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में कितने सिनेमाघरों को वित्त पोषित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड अपनी थियेटर वित्तीय सहायता स्कीम के अंतर्गत समग्र देश में सिनेमा थियेटरों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसने पूर्वोत्तर क्षेत्र में 10 सिनेमा थियेटरों को वित्तीय सहायता प्रदान की है।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

आज तक की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में वित्तीय सहायता प्राप्त थियेटरों की सूची

क्र.सं.	ऋण प्राप्तकर्ता का नाम	स्थान
(क) आसाम राज्य		
(1)	श्री के.पी. बिहानी (कृष्णा टाकीज)	नौगौंग
(2)	श्री सोहनलाल शर्मा (गंगा टाकीज)	कोकराझार
(3)	श्री कुशा दत्ता	परबतपुर
(ख) मणिपुर राज्य		
(1)	टी.एच. हरिदास सिंह	इम्फाल
(2)	टी.एच. चौबा सिंह (सोरेल टाकीज)	थोउबल
(3)	माता सिनेमा	इम्फाल
(4)	मणिपुर फिल्म विकास निगम	इम्फाल
(5)	श्री एल.टी. शर्मा (जिजाकक्षा सिनेमा)	मयंग
(6)	श्री रेबन्ता सिंह	पांगेर
(7)	श्री रामबहादुर राय	इम्फाल

पंजीकृत मलयालम समाचार-पत्र

916. श्री रमेश चेन्नितला : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जुलाई, 2000 तक समाचार-पत्र पंजीयक के पास मलयालम भाषा के कितने समाचार-पत्र और पत्रिकाएं पंजीकृत थीं;

(ख) उनमें से कितने पत्र-पत्रिकाओं को सरकारी विज्ञापन दिए गए;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष मलयालम भाषा के समाचार-पत्र और पत्रिकाओं के लिए कुल कितनी धनराशि जारी की गई; और

(घ) मलयालम भाषा के समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं का विकास करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/प्रस्तावित हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) दिनांक 24.7.2000 की स्थिति के अनुसार, भारत के समाचार-पत्रों के पंजीयक के पास पंजीकृत मलयालम समाचारपत्रों एवं पत्रिकाओं की संख्या 1407 है।

(ख) 1.4.2000 से 30.6.2000 की अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय की सूची में शामिल 30 मलयालम समाचार-पत्रों/पत्रिकाओं को सरकारी विज्ञापन जारी किए गए हैं।

(ग) वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान मलयालम समाचार-पत्रों/पत्रिकाओं को दी गई कुल राशि क्रमशः 1,10,01,884/- रु., 1,90,35,807/- रु. और 2,00,76,387/- रु. थी।

(घ) विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा सरकार की प्रचार अपेक्षाओं, निधियों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए और विज्ञापन नीति के दिशा-निर्देशों के अनुसार समाचार-पत्रों एवं पत्रिकाओं को विज्ञापन जारी किए जाते हैं।

तूतीकोरन में आकाशवाणी केन्द्र

917. डा० ए०डी०के० जयशीलन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तमिलनाडु स्थित तूतकोरीन की औद्योगिक और पत्तन नगर के रूप में इसकी महत्ता को देखते हुए वहां आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) तमिलनाडु में तूतीकोरन में 200 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर और टाइप-I स्टूडियो वाला एक आकाशवाणी केन्द्र पहले ही कार्य कर रहा है।

उड़ीसा में खाद्यान्नों की खरीद

918. श्री भर्तृहरि महताब : क्या **उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और मई, 2000 तक उड़ीसा में इस सरकार द्वारा की गई धान, चावल और अन्य खाद्यान्नों की खरीद का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान खोले गए, विस्तार किए गए खरीद केन्द्रों की संख्या कितनी है और इन पर कितना खर्च किया गया;

(ग) इस समय राज्य में ऐसा कितना अतिरिक्त खाद्यान्न है जिसे खरीदा नहीं जा सका और इसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(घ) राज्य में खाद्यान्नों की भविष्य में खरीद करने के लिए सरकार द्वारा तैयार की गई योजनाएं/नीतियां क्या हैं?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) पिछले तीन सालों में उड़ीसा में वसूल किए गए खाद्यान्नों का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

(लाख टन में)

वर्ष	लेवी चीनी	धान	चावल के रूप में कुल
1997-98	6.84	0.25	7.01
1998-99	4.81	—	4.81
1999-2000 (मई, 2000 तक)	5.90	—	5.90

उड़ीसा सरकार द्वारा अन्य खाद्यान्नों की वसूली नहीं की गई है।

(ख) लेवी चावल की वसूली के लिए 57 केन्द्र खोले गए थे। चूंकि वसूली के लिए मौजूदा परिसरों का उपयोग हुआ था इसलिए अतिरिक्त व्यय नहीं हुआ था।

(ग) वसूली के लिए निर्धारित विनिर्दिष्टियों के खाद्यान्नों की जो भी मात्रा पेश की गई है उसे स्वीकार कर लिया गया है। वसूली अभी भी जारी है। 24 जुलाई, 2000 तक चावल की 7.20 लाख टन की मात्रा वसूल की जा चुकी है जो राज्य में वसूली के पहले के सभी रिकार्डों से ज्यादा है।

(घ) वर्तमान में भारतीय खाद्य निगम उड़ीसा सरकार द्वारा आरंभ की गई लेवी योजना के तहत चावल की वसूली कर रहा है। उड़ीसा राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह भारतीय खाद्य निगम के साथ लेवी प्रचालनों में भागीदारी करे और अतिरिक्त डिपुओं का भी निर्माण करे ताकि वसूली की उच्चतर मात्रा का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।

[हिन्दी]

ऋणों की वसूली

919. डा० अशोक पटेल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ऋणों की वसूली बढ़ाने के लिए बैंकों को व्यापक शक्तियां प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त शक्तियां कब तक दिए जाने की संभावना है; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप बैंकों द्वारा ऋणों की वसूली करने का कार्य कितना बढ़ जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (घ) वे ऋण जो अतिदेय बन चुके हैं की वसूली का अधिकार बैंकों के पास है तथा सरकार को ऐसा कोई अधिकार बैंकों को देने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी, अनुपयोज्य आस्तियों से संबंधित वसूली प्रक्रिया को तेज करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 5 करोड़ रुपए तक के ऋण सीमा के अनुपयोज्य आस्तियों के एक बारगी निपटान के लिए अभेदमूलक तथा अविवेकाधीन प्रकृति की योजना तैयार करने के लिए कार्रवाई शुरू की है। आशा की जाती है कि वसूली प्रक्रिया के कार्यान्वयन से इस योजना से महत्वपूर्ण लाभ होगा।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण

920. श्री पी० कुमारासामी :
श्री बीर सिंह महतो :
श्री अजय सिंह चौटाला :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र के बैंकों में निजी विदेशी भागीदारी को बहुसंख्यक शेयर बेचने की अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को जानकारी है कि सरकारी भागीदारी को घटाकर 26 प्रतिशत कर राष्ट्रीयकृत बैंकों के निजीकरण करने के निर्णय से अर्थव्यवस्था के आत्मनिर्भर होने पर असर पड़ने तथा हजारों कर्मचारियों के रोजगार की सुरक्षा को भी खतरा हो गया है;

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्वों को पूरा करने हेतु निर्धारित नीति का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) सरकार की भागीदारी को घटाकर 26 प्रतिशत करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) भारतीय रिजर्व बैंक के निदेश के अनुसार, सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को उक्त वर्ष के लिए अपने निवल बैंक ऋण का 40 प्रतिशत प्राथमिकता क्षेत्र को देना है। ऋण से जुड़ी योजनाएं भी जो अपेक्षाकृत आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों के विभिन्न खंडों के लिए हैं।

[हिन्दी]

केन्द्रीय भंडारण निगम और भारतीय खाद्य निगम में घाटा

921. श्री मान सिंह पटेल :
श्री थावरचन्द गेहलोत :
श्री रघुनाथ झा :
श्रीमती रेनु कुमारी :
श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री शीशराम सिंह रवि :

क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भंडारण निगम (सी.डब्ल्यू.सी.) और भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) पिछले दो वर्षों से घाटे में चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अलग-अलग इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय भंडारण निगम/भारतीय खाद्य निगम में घाटे के लिए जिम्मेदारी निर्धारित की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भंडारण निगम के प्रबंध निदेशकों और अन्य अधिकारियों द्वारा कितने विदेशी दौरे किए गए;

(च) विदेशी दौरे करने के क्या उद्देश्य थे, और विदेशी दौरों पर अलग-अलग कितना व्यय किया गया;

(छ) उक्त विदेशी दौरों के बाद भारतीय खाद्य निगम/केन्द्रीय भंडारण निगम को किस हद तक लाभ हुआ;

(ज) केन्द्रीय भंडारण निगम में अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक के कितने पद खाली पड़े हैं;

(झ) इसके क्या कारण हैं और इन पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है; और

(ञ) सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम/केन्द्रीय भंडारण निगम में व्यय को कम करने और घाटा रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) और (च) भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भंडारण निगम के अधिकारियों द्वारा किए गए विदेशी दौरों और उन पर हुए खर्च के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

वर्ष	भारीय खाद्य निगम		केन्द्रीय भंडारण निगम	
	विदेशी दौरों की संख्या	वहन खर्च (लाख रुपये में)	विदेशी दौरों की संख्या	वहन खर्च (लाख रुपये में)
1998-99	5	4.67	27	29.26
1999-2000	6	5.34	14	13.44

ये विदेशी दौरे मुख्यत: प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं, अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों, संगोष्ठियों और विदेश में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए किए गए थे।

(छ) इन सेमिनारों, बैठकों, कार्यशालाओं आदि में भाग लेने के पश्चात् अधिकारियों की व्यावसायिक दक्षता में सुधार होता है और परिणामस्वरूप निगम को भी लाभ होता है। केन्द्रीय भंडारण निगम एक वाणिज्यिक संगठन है और निगम की बेहतरी और विकास के लिए इसके अधिकारियों को जानकारी दिया जाना आवश्यक है। केन्द्रीय भंडारण निगम द्वारा इन प्रदर्शनियों में भाग लिया जाना निगम द्वारा पूर्णतया प्रचार करना था ताकि देश/विदेश में संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए विदेशी आपरेटर्स/एजेंसियों को आकर्षित किया जा सके।

(ज) और (झ) केन्द्रीय भंडारण निगम में केवल एक अध्यक्ष का पद रिक्त है जो पहले नियुक्त किए गए अधिकारी द्वारा पद से त्यागपत्र देने के कारण रिक्त हुआ है। इस पद को भरने के लिए मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु दिनांक 29 जून, 2000 को एक प्रस्ताव कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग को भेजा गया है और इसके शीघ्र प्राप्त होने की आशा है।

(ञ) भारतीय खाद्य निगम द्वारा अपने खर्च में कमी करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :-

(I) राजसहायता को कम करने के लिए भारत सरकार ने बढ़ते हुए खाद्यान्नों के स्टाक को कम करने और बफर की रखरखाव लागत से बचने के लिए खुली बाजार बिक्री शुरू की है।

(II) गरीबी रेखा से ऊपर की आबादी को किए जा रहे निर्गमों के लिए निर्गम मूल्य को आर्थिक लागत के स्तर पर लाया गया है।

(III) सरकार ने निगम की लागत को कम करने के तरीके सुझाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालेज आफ इंडिया को तैनात किया है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालेज आफ इंडिया द्वारा शीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की आशा है।

(IV) सरकार ने व्यय सुधार आयोग को भी परामर्श दिया है कि वह भारतीय खाद्य निगम के लिए अनाज के लागत ढांचे की जांच करे। आयोग की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने हाल ही में गेहूं और चावल के निर्गम मूल्य कम किए हैं।

केन्द्रीय भंडारण निगम ने अपने खर्च में कमी करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं :-

(i) यथासंभव सीमा तक खर्च को नियंत्रित करना।

(ii) मरम्मत और रखरखाव खर्चों में कटौती करना।

(iii) विदेशी दौरों पर प्रतिबंध।

(iv) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लागू करना।

(v) कोई नई भर्ती न करना।

[अनुवाद]

विदेशी निवेश

922. **श्री राजीव प्रताप रूडी :**
श्री ए० कृष्णास्वामी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक की वर्ष 1998-99 की वार्षिक रिपोर्ट में बी.ओ.पी. (भुगतान संतुलन) संबंधी आंकड़ों से यह संकेत मिलता है कि देश से बाहर जाने वाली निवेश आय 3.5 बिलियन डालर थी जबकि देश में विदेशी निवेश 2.4 बिलियन डालर का ही हुआ है;

(ख) क्या इस प्रकार भारत में प्राप्त होने वाले धन से अधिक धन लाभ के रूप में बाहर जा रहा है जिससे भुगतान संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके कारण और इसका औचित्य क्या है; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (घ) वर्ष 1998-99 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट में भारत का भुगतान सन्तुलन के तहत प्रकाशित निवेश आय भुगतानों में लाभ तथा लाभांश भुगतानों के अतिरिक्त ब्याज भुगतान शामिल हैं। चूंकि काफी समय से चालू लेखा घाटे का वित्तपोषण करने के लिए पूंजीगत अंतर्प्रवाह का मुख्य स्रोत ऋण-सृजक प्रवाह रहे हैं, ब्याज भुगतान निवेश आय भुगतानों का मुख्य भाग हैं। लाभांशों तथा लाभ का भुगतान देश में विदेशी निवेश अंतर्प्रवाहों पर सीधे अवलंबित है, जो हाल ही की संवृत्ति है।

वर्ष 1998-99 के दौरान, 4767 मिलियन अमरीकी डालर के ब्याज भुगतान की तुलना में लाभांश तथा लाभ भुगतान की राशि 658 मिलियन अमरीकी डालर थी। वर्ष 1998-99 के दौरान, लाभांश तथा लाभ के भुगतान के रूप में 658 मिलियन अमरीकी डालर की राशि 2412 मिलियन अमरीकी डालर के निवल विदेशी निवेश अंतर्प्रवाहों की तुलना में अपेक्षाकृत बहुत कम थी।

[हिन्दी]

नए बैंकों का खोला जाना

923. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :**
श्री तिरुनावक्करसू :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में, विशेषकर बिहार और तमिलनाडु में नए बैंकों को खोलने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नए बैंकों को खोलने हेतु सरकार के पास लंबित पड़े प्रस्तावों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) देश में ऐसे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की संख्या कितनी है जहां कोई बैंक नहीं है; और

(घ) देश में विशेषकर बिहार में लाभ अर्जित कर रहे और घाटे में चल रहे बैंकों की राज्य-वार संख्या कितनी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जबकि प्रत्येक आवासीय स्थान में शाखाओं का पता लगाना वाणिज्यिक रूप से अर्थक्षम नहीं होगा, वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के व्यापक शाखा नेटवर्क द्वारा समूचे देश में बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाई गई हैं।

(घ) दिनांक 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के सभी 27 बैंकों ने परिचालन लाभ की सूचना दी है जिनमें से 26 बैंकों ने निवल लाभ की सूचना दी है। गैर-सरकारी क्षेत्र के 34 बैंकों में से तीन को छोड़कर शेष सभी बैंकों ने दिनांक 31.3.99 (अद्यतन उपलब्ध) की स्थिति के अनुसार, लाभ की सूचना दी है। 44 विदेशी बैंकों में से छः बैंकों को छोड़कर शेष सभी ने दिनांक 31.3.1999 (अद्यतन उपलब्ध) की स्थिति के अनुसार निवल लाभ की सूचना दी है।

[अनुवाद]

एफ०एम० का निजीकरण

924. **श्री पवन कुमार बंसल :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी प्रसारकों को एफ०एम० रेडियो चलाने का लाइसेंस दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे आपरेटरों, चैनलों की संख्या कितनी है तथा किन शहरों में यह सेवा चल रही है; और

(ग) इस योजना के तहत कितना राजस्व अर्जित हुआ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) सरकार ने एफ.एम. रेडियो के प्रचालनों के लिए लाइसेंस जारी करने हेतु निजी प्रसारकों का चयन कर लिया है। लाइसेंस अभी जारी किए जाने हैं।

(ख) 40 शहरों में 101 चैनलों के प्रचालन के लिए 29 कंपनियों का चयन कर लिया गया है।

(ग) अब तक अग्रिम लाइसेंस शुल्क के रूप में 37.70 करोड़ रुपये की राशि एकत्र कर ली गई है।

नशीले पदार्थों के तस्करों और वन्य जीव की वस्तुओं का कारोबार करने वालों के बीच सांठगांठ

925. **श्री ए० नरेन्द्र :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नशीले पदार्थों के तस्करों और हिमालय पर्वत शृंखलाओं में विशेषकर हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में वन्य जीवन की वस्तुओं का कारोबार करने वालों के बीच गहरी सांठगांठ की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० धनन्जय कुमार) : (क) महोदय, ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

सी०एन०एन० के साथ समझौता

926. **श्री दिनेश चन्द्र यादव :**
श्री रामजीवन सिंह :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन ने अपने अंतर्राष्ट्रीय कवरेज का अनुसरण करने हेतु सी.एन.एन. के साथ समझौता किया है;

(ख) क्या पूर्व में किया गया ऐसा समझौता रद्द कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और नये सिरे से समझौता करने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस पर हुए व्यय का ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) दूरदर्शन अपनी अंतर्राष्ट्रीय कवरेज की अनुपूर्ति करने के लिए सी.एन.एन. को 95,000 डालर की वार्षिक राशि का भुगतान कर रहा है।

डेयरी फार्म उद्योग का आयात

927. **श्री अनिल बसु :**
मोहम्मद शहाबुद्दीन :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्त वर्ष के आरंभिक चार महीनों सहित गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान कितना बटर ऑयल, मिल्क पाउडर और अन्य दुग्ध उत्पादों का आयात किया गया;

(ख) इस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई;

(ग) स्वदेशी डेयरी किसानों और दुग्ध उत्पादकों पर इस प्रकार के आयात का क्या प्रभाव पड़ा;

(घ) सरकार द्वारा डेयरी किसानों और दुग्ध उत्पादकों के हितों की रक्षा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार इन आयातित दुग्ध उत्पादों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान आयात किए गए बटर ऑयल, दुग्ध पाउडर तथा अन्य दुग्ध उत्पादों की मात्रा तथा उन पर व्यय की गई राशि को दर्शाते हुए आंकड़े नीचे दिए गए हैं :-

मात्रा : मी. टन में
मूल्य : लाख रुपए में

	1997-98		1998-99		1999-2000 (अनंतिम)	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
बटर ऑयल	3461	2060.16	4311	2858.54	3629	3205.98
दुग्ध पाउडर (स्किम्ड मिल्क)	670	412.14	1584	859.05	17252	9600.45
अन्य दुग्ध उत्पाद	1045	520.65	421	514.88	उ.न.	उ.न.

अ = अनंतिम। स्रोत : डी जी सी आई एंड एस, कलकत्ता।

(ग) से (च) वर्ष 1999-2000 के दौरान स्किम्ड मिल्क पाउडर की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में गिरावट के कारण इस वस्तु के आयातों में काफी वृद्धि हुई है। इस दृष्टि से इस मद पर शुल्क की 0% निर्धारित दर को बातचीत के जरिए बढ़ाकर 60% तक कर दिया गया है, जिसमें गाट के अनुच्छेद XXVIII के तहत एक्जिम कोड 0402.10 तथा 0402.21 के तहत वर्गीकृत 10,000 मी. टन उत्पादों की अनुमति 15% की रियायती शुल्क दर पर दी गई है। इससे अब घरेलू डेयरी उद्योग और डेयरी कृषकों को पर्याप्त संरक्षण मिलेगा।

मारीशस स्थित कंपनियां

928. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री चन्द्रभूषण सिंह :
श्री अजय चक्रवर्ती :
श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी :
श्री विलास मुत्तेमवार :
श्री सुरेश रामराव खाचव :
श्री सुशील कुमार शिंदे :
श्रीमती रेणुका चौधरी :
मोहम्मद शहाबुद्दीन :
श्री सुनील खां :
श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल :
श्री ब्रह्मानन्द मंडल :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में अनेक कंपनियों ने पूंजीगत आय पर कर भुगतान से बचने के लिए मारीशस का सहारा लेना शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन कंपनियों की संख्या कितनी है जिनके पंजीकृत कार्यालय मारीशस में हैं और जिन्होंने 1998-99 और वर्ष 2000 के दौरान अभी तक डी.डी.ए.ए. (डबल टैक्सेशन अवॉयडेन्स एग्रीमेंट) पर हस्ताक्षर किए हैं;

(घ) वर्ष 1999 तथा 2000 के दौरान अभी तक इन कंपनियों द्वारा करों का भुगतान न किए जाने के कारण कितनी अनुमानित हानि हुई;

(ङ) क्या सरकार इस संधि का दुरुपयोग होने के कारण इस प्रक्रिया में परिवर्तन करने पर विचार कर रही है;

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा कराधान संधि की समीक्षा कब तक किए जाने का प्रस्ताव है; और

(छ) यदि नहीं, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० धनन्जय कुमार) : (क) और (ख) भारत सरकार द्वारा सितम्बर, 1992 में भारतीय पूंजी बाजार में विदेशी निवेश की अनुमति देने के बाद मारीशस स्थित विदेशी संस्थागत निवेशक 1993 से निवेश कर रहे हैं। ये कंपनियां भारत और मारीशस के बीच 1983 के दोहरे कराधान के परिहार संबंधी अभिसमय के अंतर्गत भारतीय कंपनियों के शेयरों की बिक्री पर पूंजीगत अभिलाभों के संबंध में भारत में कराधेय नहीं हैं।

(ग) इन कंपनियों के लिए दोहरे कराधान के परिहार संबंधी-अभिसमय पर हस्ताक्षर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जनवरी, 1993 से 31.3.2000 तक मारीशस में पंजीकृत 135 विदेशी संस्थागत निवेशकों/उपखातों ने भारत में निवेश किया है।

(घ) संधि के अंतर्गत उपलब्ध लाभों को ऐसे न अदा किए गए कर अथवा संधि के दुरुपयोग के रूप में नहीं समझा जाएगा।

(ङ) से (छ) भाग (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

लौह और इस्पात निर्माताओं द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का बंचन

920. **श्री रामसागर रावत :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लौह और इस्पात विनिर्माताओं द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से बचने के कारण सरकार को राजस्व की हानि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो विनिर्माताओं के ब्यौरे सहित गत तीन वर्षों के दौरान सरकार के ध्यान में ऐसे कितने मामले आए हैं;

(ग) क्या दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में विनिर्माताओं द्वारा कर अपवंचन की कोई जांच कराई गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(ङ) इस संबंध में सरकार को कितनी हानि हुई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० धनन्जय कुमार) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

सार्वजनिक क्षेत्र की लाभार्जक इकाइयों के मूल्य निर्धारण हेतु सांविधिक प्राधिकारी

930. **श्री वरकला राधाकृष्णन :**
श्री राम नायडू दग्गुबाटि :
श्री के० वेरननायडू :

क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार लाभकारी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को निजी क्षेत्र को बेचने से पहले इनकी परिसंपत्तियों का वास्तविक मूल्य निर्धारित करने के लिए एक सांविधिक प्राधिकारी नियुक्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार उचित मूल्य की प्राप्ति किस प्रकार सुनिश्चित करेगी?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों का विनिवेश बोली प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। सर्वोत्तम मूल्य का निर्धारण बाजार शक्तियों द्वारा किया जाता है। तथापि, सरकार विभिन्न तरीकों से शेयरों का मूल्यांकन करती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विक्री प्रक्रिया से सर्वाधिक मूल्य प्राप्त हो। जिस किसी भी मामले में आवश्यकता होगी, आस्तियों का मूल्यांकन किया जाएगा।

[हिन्दी]

निर्यात विकास केन्द्र

931. प्रो० दुखा भगत : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्यात को और अधिक बढ़ावा देने के लिए निर्यात विकास केन्द्रों की पहचान कर ली है;

(ख) यदि हां, तो ये केन्द्र किन-किन स्थानों पर हैं और इनके कार्यकरण और निर्यात क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इन्हें वित्तीय सहायता देने पर भी विचार कर रही है ताकि ये लघु निर्यात क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें;

(घ) यदि हां, तो क्या बैंकों और लघु उद्योगों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए किसी सलाहकार तंत्र की परिकल्पना की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार, निर्यात संवर्धन परिषदों और अन्य निर्यात संवर्द्धन निकायों को सलाह दी है कि वे ऐसे प्रमुख केन्द्रों को अभिज्ञात करें जहां से निर्यात होते हों और उन स्थानों पर अवस्थापना संबंधी सुविधाओं और अन्य सुविधाओं का विकास करने हेतु उपाय करें। तथापि, ऐसे केन्द्रों की कोई मानक सूची नहीं रखी जाती है।

(ग) ऐसे केन्द्रों में स्थित लघु उद्योगों सहित सभी उद्योगों के लिए आकस्मिक बुनियादी सुविधा संतुलनकारी योजना, निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता और निविष्टियों, पैकेजिंग और निर्यातों के संबंध में सहायता हेतु वित्तीय संस्थानों से ऋण उपलब्ध होता है।

(घ) और (ङ) राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे मुख्य सचिवों के अधीन राज्य स्तर पर निर्यात संवर्धन समितियों का गठन करें, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों, स्थानीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडलों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए ताकि निर्यातोन्मुख इकाइयों के लिए ऋण के प्रवाह को सुविधाजनक बनाया जा सके।

[अनुवाद]

उपभोक्ता न्यायालय

932. श्री कालवा श्रीनिवासुलु :
श्री एन० जनार्दन रेड्डी :
श्री शिवराजसिंह चौहान :
श्री साहिब सिंह :
श्री पवन कुमार बंसल :

क्या **उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 को मजबूत करने और उपभोक्ता संरक्षण न्यायालयों को अधिक अधिकार भी प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) 30 जून, 2000 की स्थिति के अनुसार देश में कार्य कर रहे उपभोक्ता न्यायालयों की राज्यवार संख्या कितनी है और निपटान हेतु राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद समाधान आयोग और विभिन्न राज्य आयोग/जिला फोरम में लंबित मुकदमों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(घ) राष्ट्रीय/राज्य/जिला फोरमों पर व्यय किया गया वार्षिक खर्च कितना है;

(ङ) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 को मजबूत करने से यह किस सीमा तक देश भर में उपभोक्ता न्यायालयों के बेहतर कार्यकलाप को प्रभावित करेगी; और

(च) मुकदमों के शीघ्र निपटान हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में संशोधन के प्रस्ताव मुख्य रूप से उपभोक्ता न्यायालयों में मामलों के शीघ्रता से निपटान, उपभोक्ताओं के हितों को बेहतर संरक्षण प्रदान करने के लिए उपभोक्ता मंचों को शक्तियां प्रदान करने, राष्ट्रीय/राज्य आयोगों की पीठें गठित करने, जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषदें स्थापित करने आदि से संबंधित हैं।

(ग) राष्ट्रीय आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 30 जून, 2000 की स्थिति के अनुसार देश में एक राष्ट्रीय आयोग, 32 राज्य आयोग और 555 जिला मंच हैं। राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोगों और जिला मंचों में अनिर्णीत मामलों के बारे में राज्य-वार सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) वर्ष 1999-2000 के दौरान राष्ट्रीय आयोग ने 66,54,000/- रु. खर्च किए। राज्य आयोगों और जिला मंचों को बजट का आबंटन और नियंत्रण राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।

(ङ) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में प्रस्तावित संशोधनों का मुख्य उद्देश्य विभिन्न स्तरों पर उपभोक्ता न्यायालयों के कार्य को सरल बनाना तथा उनको सुदृढ़ बनाना और मामलों के शीघ्र निपटान का लक्ष्य हासिल करना भी है।

(च) मामलों के निपटान में तेजी लाने के लिए सरकार ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं :-

(i) उपभोक्ता न्यायालयों का सुदृढ़ीकरण जिसके लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को संबल प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने 61.8 करोड़ रुपए का एकबारगी अनुदान दिया है।

(ii) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से उपभोक्ता न्यायालयों में खाली पड़े अध्यक्षों/सदस्यों के पदों को समय रहते भरने का अनुरोध किया गया है।

(iii) केन्द्र सरकार ने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को लिखा है कि वे मामलों के निपटान की निगरानी करने तथा उसमें तेजी लाने के लिए उपभोक्ता न्यायालयों के अध्यक्षों के साथ समय-समय पर बैठकें आयोजित करें।

(iv) केन्द्र सरकार और राष्ट्रीय आयोग उपभोक्ता न्यायालयों के कार्यकरण की नियमित निगरानी कर रहे हैं।

(v) केन्द्र सरकार उपभोक्ता न्यायालयों के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाती है ताकि उनको उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के उपबंधों और नियमों तथा अन्य संगत कानूनों के बारे में जानकारी दी जा सके।

(vi) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में यथोचित संशोधन।

विवरण

राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोगों और जिला मंचों में अनिर्णीत मामलों का विवरण

राष्ट्रीय आयोग

30.6.2000 की स्थिति के अनुसार अनिर्णीत मामले 8999

राज्य आयोग और जिला मंच

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राज्य आयोगों में अनिर्णीत मामले	किस तारीख को	जिला मंचों में लंबित मामले	किस तारीख को
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	1846	30.6.2000	16284	31.5.2000
2.	अरुणाचल प्रदेश	6	31.3.2000	29	31.3.2000
3.	असम	637	31.3.2000	1119	30.9.1999
4.	बिहार	3558	31.3.2000	16004	31.3.2000
5.	गोवा	145	30.6.2000	494	30.6.2000
6.	गुजरात	3255	30.6.2000	19726	30.6.2000
7.	हरियाणा	2788	31.3.2000	17762	31.3.2000
8.	हिमाचल प्रदेश	935	30.6.2000	3894	30.6.2000
9.	जम्मू व कश्मीर	622	31.3.1999	2189	31.3.1999
10.	कर्नाटक	2792	31.5.2000	6515	31.5.2000
11.	केरल	1330	31.5.2000	5948	31.5.2000
12.	मध्य प्रदेश	2866	30.6.2000	6393	31.5.2000
13.	महाराष्ट्र	7826	31.3.2000	20515	31.12.1999
14.	मणिपुर	21	31.5.2000	29	31.5.2000

1	2	3	4	5	6
15.	मेघालय	27	30.6.2000	49	30.6.1999
16.	मिजोरम	22	30.6.2000	28	31.12.1999
17.	नागालैंड	25	31.3.2000	39	31.3.2000
18.	उड़ीसा	3936	30.6.2000	5316	31.3.2000
19.	पंजाब	2301	31.3.2000	3583	31.3.2000
20.	राजस्थान	12257	31.3.2000	16787	31.3.2000
21.	सिक्किम	3	31.3.2000	12	31.3.2000
22.	तमिलनाडु	3048	31.3.2000	7371	31.3.2000
23.	त्रिपुरा	241	31.3.2000	136	31.12.1999
24.	उत्तर प्रदेश	21410	30.6.2000	68947	30.6.2000
25.	पश्चिम बंगाल	2269	30.6.2000	3599	31.3.2000
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	10	31.3.2000	23	31.3.2000
27.	चंडीगढ़	237	31.5.2000	3842	31.5.2000
28.	दादरा व नगर हवेली	0	—	10	31.12.1999
29.	दमन व द्वीव	2	31.12.1999	30	31.12.1999
30.	दिल्ली	4805	30.6.2000	20134	30.6.2000
31.	लक्षद्वीप	1	30.6.2000	0	30.6.2000
32.	पांडिचेरी	41	30.6.2000	39	30.6.2000

सुपर बाजार की बिक्री

933. **श्री के० येरननायडू** : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुपर बाजार की बिक्री में भारी कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कुप्रबंधन को समाप्त करने और इसे अर्थक्षम बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० श्रीनिवास प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) सुपर बाजार गत कुछ समय से भारी वित्तीय संकट का सामना करता रहा है और वह वस्तुओं के सप्लायरों को भुगतान करने की स्थिति में नहीं है, अत: इस प्रकार सुपर बाजार में वस्तुओं की आपूर्ति में भारी कमी आ गई है। आवश्यकता की तुलना में पर्याप्त कार्यशील पूंजी न होना, उधार आधार पर सप्लाई न मिलना, बकाया ऋणों की वसूली न हो पाना, लागत के स्तर में वृद्धि होना भी बिक्री में कमी के लिए जिम्मेदार कुछ कारक में से हैं।

(ग) तथापि, सुपर बाजार ने भंडार के व्यय को घटाने तथा उनकी आय में वृद्धि करने के लिए कुछ उपचारात्मक उपाय किए हैं। समयोपरिभत्ता, कठिन ड्यूटी भत्ता और अन्य नियत भत्तों को रोक दिया गया है। वाहनों, फर्नीचर तथा अन्य उपकरणों की खरीद तथा साथ ही समाचार-पत्रों, आतिथ्य सत्कार पर खर्च, टैक्सियों के इस्तेमाल आदि को भी रोक दिया गया है। निधियों के ब्लाक होने को टालने के लिए वसूली के बाद सप्लायरों को भुगतान की नीति अपनाई गई है और सुपर बाजार की जो शाखाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं हैं उनके बंद किए जाने की संभावना है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

934. **श्री के०पी० सिंह देव** : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हथियारों के व्यापार के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी नई नीति तैयार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी विशेषताएं क्या हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रमण) : (क) और (ख) स्वत: मार्ग के जरिये व्यापार के लिए 51% तक

विदेशी निवेश की अनुमति इस शर्त पर है कि संबंधित उपक्रम का मौजूदा निर्यात तथा आयात नीति के उपबंधों के तहत पंजीकृत एक निर्यात गृह होना चाहिए। व्यापार के मामले में 100% तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति है जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं :-

(1) निर्यात;

(2) निर्यात/एक्सबॉण्डेड वेयरहाउस सेल्स सहित बल्क आयात;

(3) कैश एंड कैरी थोक व्यापार; और

(4) माल और सेवाओं का अन्य कोई आयात, बशर्ते उसका न्यूनतम 75% उसी समूह की कंपनियों में माल तथा सेवाओं के प्रापण तथा बिक्री के लिए हो और किसी तीसरी पार्टी के उपयोग अथवा आगे हस्तांतरण/वितरण/बिक्री आदि के लिए न हो।

फुटकर व्यापार में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति नहीं है।

[हिन्दी]

प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को बैंक ऋण

935. श्री राधा मोहन सिंह : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निर्धन प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को ऋण की पेशकश की जाती है लेकिन बिना शर्त ऋण देने का कोई प्रावधान नहीं है;

(ख) क्या सरकार ने बैंकों को बिना किसी शर्त के ऋण योजना बनाने की सलाह दी है;

(ग) यदि हां, तो क्या ऐसी योजनाएं बनाई गई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) ऐसे ऋण देने वाले संस्थानों से ग्रामीण बैंकों को अलग करने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) ने सूचित किया है कि जरूरतमंद विद्यार्थियों को भारत और विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए शैक्षणिक ऋण देने के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने समय-समय पर जारी की गई नीतिगत मार्गनिर्देशों के अंतर्गत अपनी योजनाएं परिचालित की हैं। तथापि, इन योजनाओं के अंतर्गत मंजूर किए गए ऋण कुछ शर्तों और निबंधनों के अध्यधीन हैं।

(ख) से (घ) बैंकों और भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधियों का एक अध्ययन दल गठित किया गया है जो शैक्षणिक ऋण योजना के सभी पहलुओं का परीक्षण करेगा तथा ब्याज दर और संपार्श्विक प्रतिभूति संबंधी कमियों को दूर करने के बारे में सुझाव देगा। दल की रिपोर्ट अभी प्रतीक्षित है।

(ङ) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी अपने विवेकाधिकार पर शैक्षणिक ऋण दे सकता है।

पेपर मिलें

936. श्रीमती जस कौर मीणा : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पेपर मिलों की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) इनमें से राज्य-वार कितनी पेपर मिलें कार्यरत हैं और कितनी रुग्ण हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इन मिलों ने मिलवार कितनी मात्रा में कागज का उत्पादन किया?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रमण) : (क) एक विवरण-I संलग्न है।

(ख) 31.5.2000 की स्थिति के अनुसार, औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड के पास 184 बीमार कागज मिलों को पंजीकृत किया गया था। बीमार कागज मिलों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ग) कागज का मिल-वार उत्पादन केन्द्रीय रूप से नहीं रखा जाता है। कागज और गत्ते का उत्पादन पिछले तीन वर्षों में इस प्रकार रहा है :-

वर्ष	उत्पादन (लाख टन में)
1997-98	29.22
1998-99	31.38
1999-2000	34.57

विवरण-I

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	कागज मिलों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	22
2.	असम	04
3.	बिहार	09
4.	चंडीगढ़	08
5.	गुजरात	68
6.	हरियाणा	15
7.	हिमाचल प्रदेश	15
8.	जम्मू और कश्मीर	01

1	2	3
9.	केरल	07
10.	कर्नाटक	17
11.	मध्य प्रदेश	21
12.	महाराष्ट्र	115
13.	मेघालय	01
14.	एन सी टी दिल्ली	06
15.	नागालैंड	01
16.	उड़ीसा	09
17.	पांडिचेरी	03
18.	पंजाब	37
19.	राजस्थान	08
20.	तमिलनाडु	22
21.	उत्तर प्रदेश	100
22.	पश्चिम बंगाल	26
	योग	515

विवरण-II

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	रुग्ण कागज मिलों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	19
2.	बिहार	07
3.	चंडीगढ़	02
4.	गुजरात	07
5.	हरियाणा	06
6.	हिमाचल प्रदेश	10
7.	केरल	04
8.	कर्नाटक	11
9.	मध्य प्रदेश	08
10.	महाराष्ट्र	26
11.	मेघालय	01
12.	एन सी टी दिल्ली	04
13.	नागालैंड	01
14.	उड़ीसा	04
15.	पांडिचेरी	02
16.	पंजाब	12
17.	राजस्थान	07
18.	तमिलनाडु	10
19.	उत्तर प्रदेश	24
20.	पश्चिम बंगाल	18
21.	असम	01
	योग	184

विदेशी पर्यटकों का आना

937. श्री उत्तमराव पाटील : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ देशों द्वारा भारत को पर्यटन की दृष्टि से ''खतरनाक क्षेत्र'' घोषित किया गया है और वर्ष 1999-2000 के दौरान केवल एक प्रतिशत विदेशी भारत की यात्रा पर आए; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी स्थिति में परिवर्तन करने और अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि देश अपना खोया गौरव पुन: प्राप्त कर सके?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) जी, नहीं। तथापि, कुछ देशों ने जम्मू और कश्मीर की यात्रा करने के खिलाफ अपने नागरिकों के लिए यात्रा परामर्शी जारी किए हैं तथा बिहार, असम और पूर्वोत्तर राज्यों को भी असुरक्षित क्षेत्र बताया है।

(ख) जब भी ये परामर्शी हमारी जानकारी में आते हैं पर्यटन मंत्रालय ऐसे मामलों को विदेश मंत्रालय और विदेश स्थित भारतीय मिशनों के साथ उठाता है ताकि भारत में वास्तविकताओं के आधार पर यात्रा परामर्शी में संशोधन के लिए विदेशी सरकार को प्रभावित किया जा सके। पर्यटन मंत्रालय और अधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने/विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिए भारत की एक सुरक्षित एवं आकर्षक गंतव्य स्थल के रूप में छवि प्रदर्शित करके, अपने विदेश स्थित पर्यटक कार्यालयों के माध्यम से विदेशी बाजारों में संवर्धनात्मक अभियान चलाता है।

[अनुवाद]

गुजरात में बैंक

938. श्री जी०जे० जावीया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं का बैंक-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) 1999-2000 के दौरान इन बैंकों में जमा कराई गई राशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इनके द्वारा कितनी ऋण राशि स्वीकृत की गई;

(घ) क्या इस अवधि हेतु निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) दिसंबर, 1999 (अद्यतन उपलब्ध) की स्थिति के अनुसार, गुजरात में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं की बैंक-वार संख्या, जमाराशियां और अग्रिम संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) और (ङ) गुजरात में सेवा क्षेत्र ऋण योजना, 99-2000 (दिसंबर, 1999 तक, अद्यतन उपलब्ध) के अंतर्गत बैंकों के लक्ष्य और उपलब्धियां नीचे दी गई हैं।

क्षेत्र	वित्तीय लक्ष्य	दिसम्बर, 1999 तक उपलब्धि	उपलब्धि प्रतिशतता
कृषि और सम्बद्ध	2310	2146	92.90
कारीगर और ग्रामीण कुटीर उद्योग और लघु उद्योग	475	493	103.79
व्यापार और सेवा	463	361	77.97
योग	3248	3000	92.36

यह देखा जा सकता है कि तृतीय तिमाही के अन्त में समग्र उपलब्धि, वार्षिक लक्ष्य का 92% थी, जिसे संतोषजनक माना जा सकता है।

विवरण

दिसम्बर 1999 की स्थिति के अनुसार गुजरात में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं की बैंक-वार संख्या, जमाराशियां और अग्रिम

(लाख रुपए)

क्र.सं.	बैंक का नाम	शाखाओं की सं.	जमाराशि	अग्रिम
1	2	3	4	5
1.	इलाहाबाद बैंक	23	24266	13549
2.	आंध्रा बैंक	6	9498	8398
3.	बैंक आफ बड़ौदा	670	993547	383253
4.	बैंक आफ इंडिया	216	503924	133013
5.	बैंक आफ महाराष्ट्र	33	37435	7984
6.	केनरा बैंक	37	72356	44509
7.	सैन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	218	270232	87630
8.	कार्पोरेशन बैंक	32	142672	39308
9.	देना बैंक	552	400679	192295
10.	इंडियन बैंक	38	63405	24894
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	52	82636	20988
12.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	32	70976	34953
13.	पंजाब नेशनल बैंक	85	77409	65001
14.	पंजाब एंड सिंध बैंक	7	16209	3016
15.	सिंडिकेट बैंक	46	55655	26264
16.	यूको बैंक	76	61484	17596
17.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	173	184117	75037
18.	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	14	12074	3631
19.	विजया बैंक	29	42948	21377
	कुल	2339	3121522	1202696

काला धन

939. श्रीमती कान्ति सिंह :
श्री राम प्रसाद सिंह :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने अब तक देश में काले धन का पता लगाने के लिए क्या प्रयास किए हैं;

(ख) क्या मुख्य सतर्कता आयुक्त ने उन्हें देश में काले धन से मुक्ति पाने के लिए की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई को स्पष्ट करते हुए पत्र लिखा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार का देश में काले धन का पता करने के लिए कौन से उपाय करने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० धनञ्जय कुमार) : (क) से (घ) सरकार अप्रकटित धन को बाहर निकालने के लिए समय-समय पर आवश्यक विधायी राजकोषीय और प्रशासनिक उपाय करती रही है। कराधान की दरों को उत्तरोत्तर युक्तिसंगत बनाया गया है। इसके अलावा, आयकर अधिनियम, 1961 में अप्रकटित धन को बाहर निकालने के उद्देश्य से बहुत से प्रावधान निहित हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ, धारा 44कक तथा 44कख के अंतर्गत उपयुक्त मामलों में खातों का

अनिवार्य अनुरक्षण एवं लेखा परीक्षण धारा 40क(3), 269धध तथा 269न के अंतर्गत नकद लेन-देनों पर प्रतिबंध अध्याय xxग के अंतर्गत पूर्व क्रयाधिकार संपत्तियों को खरीद तथा कर चूककर्ताओं को दंडित करने के लिए अर्थदंड एवं अभियोजन संबंधी प्रावधान शामिल हैं। इस अधिनियम में कर अपवंचन का पता लगाने के लिए सम्मन सर्वेक्षण तथा तलाशी आदि से संबंधित प्रावधान भी निहित हैं। उपयुक्त मामलों में इन प्रावधानों का इस्तेमाल किया जाता है। अवैध धन को अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में लाने के लिए समय-समय पर विभिन्न क्षमादान योजनाएं भी लागू की गई हैं।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने बेनामी लेन-देन निषेध अधिनियम, 1988 की शीघ्र लागू करने की आवश्यकता पर जोर देने के लिए लिखा है। केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने जन सेवकों के अवैध धन/बेनामी संपत्तियों के बारे में एक बेनामी अवैध धन योजना की दिनांक 12 जुलाई, 2000 को अधिसूचित किया है।

[हिन्दी]

पाटनरोधी नियमों का दुरुपयोग

940. **श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी**
श्री तरुण गोगोई :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ देश भारतीय उत्पादों के विरुद्ध पाटनरोधी नियमों का दुरुपयोग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे देशों के क्या नाम हैं और ऐसे कितने मामले सरकार की जानकारी में आए हैं;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या ठोस उपाय/कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) "पाटनरोधी व्यवहारों से संबंधित डब्ल्यू टी ओ करार" सदस्य देशों द्वारा उनके व्यापारिक साझेदारों के खिलाफ पाटनरोधी कार्रवाईयों को विनियमित करता है। पाटनरोधी जांच मूल रूप से ऐसे अलग-अलग व्यापारिक उद्यमों के खिलाफ की जाती है जो भेदभावपूर्ण कीमत निर्धारण के तरीके अपनाते हैं। अतः भारत सरकार भारतीय निर्यात उत्पादों के खिलाफ पाटनरोधी जांच का एक पक्ष नहीं होती है। तथापि, यदि कोई लक्षित भारतीय कंपनी यह महसूस करती है कि जांचकर्त्ता प्राधिकारियों ने प्रक्रियागत अपेक्षाओं अथवा पाटनरोधी व्यवहार से संबंधित डब्ल्यू टी ओ करार के अंतर्गत निर्धारित मूलभूत नियमों का अनुसरण नहीं किया है तो वह या तो पाटनरोधी उपायों को लागू करने वाले सदस्य देशों के घरेलू कानून के अंतर्गत 'न्यायिक समीक्षा' का सहारा ले सकती है या फिर परामर्श अथवा किसी पैनल के गठन हेतु डब्ल्यू टी ओ. के विवाद निपटान समझौते के तहत इस मामले को उठाने के लिए भारत सरकार से संपर्क कर सकती है। डब्ल्यू टी ओ-डी एस यू के अंतर्गत उठाए जाने के लिए सरकार को सूचित किए गए ऐसे मामलों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

उत्पाद	देश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई
अनबिलीच्ड कॉटन फैब्रिक	यूरोपीय संघ	भारत सरकार ने यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के साथ गहन परामर्श किया था। यूरोपीय आयोग के निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने के प्रस्ताव को परामर्शदात्री परिषद् के द्वारा अंततः अस्वीकृत कर दिया गया था जिसमें यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के विदेश मंत्री शामिल थे।
बेड लिनेन	यूरोपीय संघ	सरकार ने डब्ल्यू टी ओ-डी एस यू के जरिए भारत से बेड लिनेन के निर्यातों के विरुद्ध पाटनरोधी शुल्क लगाने से संबंधित यूरोपीय आयोग के निर्णय का विरोध किया था। भारत सरकार द्वारा किए गए एक अनुरोध पर डब्ल्यू टी ओ के अंतर्गत एक पैनल का गठन किया गया है। पैनल के समक्ष कार्रवाई चल रही है।
एक्रीलिक ब्लैंकेट्स	दक्षिण अफ्रीका	सरकार ने जोहान्सबर्ग स्थित अपने मिशन के जरिए दक्षिण अफ्रीकी प्राधिकारियों के साथ परामर्श किया है ताकि भारत से निर्यात किए गए एक्रीलिक ब्लैंकेट्स के विरुद्ध निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने के उनके निर्णय की समीक्षा की जा सके।

उन कतिपय व्यापारिक साझेदारों, जिन्होंने भारत के खिलाफ बार-बार पाटनरोधी उपायों का प्रयोग करने की इच्छा जाहिर की है, के बारे में सरकार ने विभिन्न द्विपक्षीय और अन्य बैठकों के दौरान उन्हें अपनी चिन्ता से अवगत कराती आ रही है।

(घ) सरकार ने पाटनरोधी जांच के बचाव में शामिल सभी अभिकरणों के साथ समन्वयन करने के लिए भारत सरकार ने अपर सचिव स्तर के एक अधिकारी के अधीन वाणिज्य विभाग में एक "समन्वयन प्रकोष्ठ" की स्थापना की है। यह प्रकोष्ठ निर्यात संवर्धन परिषदों के जरिए लक्षित भारतीय कंपनियों को आवश्यक सहायता प्रदान करता है। इस समन्वयन प्रकोष्ठ ने इस मुद्दे के बारे में भारत सरकार के सभी मिशनों को सूचित भी कर दिया है और उनसे कहा है कि वे जैसे ही पाटनरोधी जांच शुरू करने की जानकारी उन्हें मिलती है वैसे ही वे इसकी सूचना इस प्रकोष्ठ को दें। अन्य विकासशील देशों के साथ सरकार ने डब्ल्यू टी ओ में अनेक प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं जिनका उद्देश्य पाटनरोधी व्यवहारों से संबंधित डब्ल्यू टी ओ करार के क्रियान्वयन में सुधार लाना है।

[अनुवाद]

भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लि० की विद्युत परियोजनाएं

941. श्री चन्द्र भूषण सिंह : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लि. (बी.एच.ई.एल.) ने विदेश से विद्युत परियोजनाएं प्राप्त करने हेतु सरकार से सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लि. (बी.एच.ई.एल.) वित्तीय प्रभावों और जोखिम आदि कारणों से 100 प्रतिशत ऋण देकर व्यापक पूंजी सघन परियोजनाएं आरंभ न कर सकी; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लि. (बी. एच.ई.एल.) को प्रतियोगी बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वल्लभभाई कथीरिया) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने, हाल ही में, 870 करोड़ रुपये के दो आदेशों के संबंध में, यूनाइटेड नेशन्स से शीघ्र अनुमोदन लेने के लिए मामले को विदेश मंत्रालय के साथ उठाया है जिसे बी.एच.ई.एल. ने इलेक्ट्रो-मैकेनिकल संयंत्र की सहायिकाओं सहित इराक को 2 × 159 मेगावाट (आई.एस.ओ. रेटिंग) गैस टरबाईन जनरेटिंग यूनिटों की आपूर्ति करने के लिए प्राप्त किया। खरीददारियां यूनाइटिड नेशन्स के "खाद्य कार्यक्रम के लिए ऑयल" के अंतर्गत शामिल है।

(ग) और (घ) चूंकि बी.एच.ई.एल. मूल रूप से विद्युत संयंत्र के उपस्करों का निर्माता और आपूर्तिकर्ता है, इसलिए बी.एच.ई.एल के लिए यह विवेकपूर्ण कार्य नहीं होगा कि वह केवल एक वृहद योजना के लिए ऋण देकर अपने तुलन पत्र को जोखिम में डाले। घरेलू बाजार में अपनी बिक्री के प्रयासों को सुदृढ़ करने के विचार से, बी.एच.ई. एल. ने आई.सी.आई.सी.आई., आई.डी.बी.आई. और आई.एफ.सी.आई. जैसे वित्तीय संस्थानों से साख को सुसंगठित किया है। बी.एच.ई.एल. वित्तीय संकट से उबारने के लिए ग्राहकों को भी ऋण देने में मदद करता है।

बी.एच.ई.एल को 'नवरत्न' की उपाधि प्रदान की गई है जो इसे प्रतिस्पर्द्धात्मक वातावरण का सामना करने के लिए ज्यादा वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करती है। बी.एच.ई.एल. के बोर्ड को व्यवसायिक पार्ट टाइम निदेशकों को शामिल करके सुदृढ़ किया गया है। बी.एच.ई.एल. सतत् रूप से अपनी निर्माण संबंधी सुविधाओं, उत्पाद प्रौद्योगिकी को नवीनतम बनाने में लगी है और शेष प्रतिस्पर्द्धा के लिए अपनी सुपुर्दगी के क्रम को सुधार रही है।

क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन

942. श्री रघुनाथ झा : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने वर्ष 1997 के दौरान चार देशों की एक क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित की थी जिसमें दूरदर्शन को अत्यधिक वित्तीय घाटा हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इस घाटे का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इसके लिए कोई जिम्मेवारी निर्धारित की गई थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन को इसमें कोई हानि नहीं हुई है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

मदुरै में एफ०एम० रेडियो स्टेशन

943. श्री तिरुनावक्करसू : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का तमिलनाडु के त्रिची तथा मदुरै में एफ. एम. रेडियो स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) और (ख) प्रसार भारती का मदुरै में एफ.एम. रेडियो स्टेशन स्थापित करने का अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, त्रिची में आकाशवाणी की विविध भारती सेवाओं के लिए मौजूदा मीडियम वेव ट्रांसमीटर के स्थान पर एफ.एम. ट्रांसमीटर स्थापित किया जा रहा है।

(ग) त्रिची तथा मदुरै में पूर्ण रूप से सुसज्जित मीडियम वेव रेडियो स्टेशन पहले से ही कार्य कर रहे हैं।

कराधान ढांचा

944. श्री कमलनाथ : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ ने उपभोक्ता सामान क्षेत्र को सुचारु रूप से चलाने के लिए एक समुचित कराधान ढांचा तथा इसके साथ-साथ अन्य आवश्यक ढांचा बनाने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में प्रस्तुत किए गए ब्यौरे की रूप-रेखा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० धनन्जय कुमार) : (क) और (ख) जी, हां। अधिकाधिक खपत वाले उपभोक्ता माल विनिर्माण क्षेत्र पर कर लगाने के संबंध में भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ द्वारा दिए गए सुझावों की व्यापक रूप-रेखा निम्नानुसार है :-

(i) उत्पाद शुल्क लगाने के प्रयोजन के लिए औसत, उपयोगी और अनुपयोगी माल के वर्गीकरण की लगातार समीक्षा करना।

(ii) अधिकाधिक खपत वाले उपभोक्ता माल पर उत्पाद शुल्क कम करना और अगले 2-3 वर्षों के लिए उन पर 8% शुल्क की दर निर्धारित करना।

(iii) उत्पाद शुल्क लगाने के प्रयोजन के लिए ब्रांड वाले और बिना ब्रांड वाले माल के बीच के अंतर की समीक्षा करना।

(vi) निर्धारणीय मूल्य निर्धारित करने के लिए अधिकतम खुदरा मूल्य से छूट देने के प्रश्न पर उद्योग के साथ विचार-विमर्श करना।

(v) आयातित माल पर अधिकतम खुदरा मूल्य आधारित उत्पाद शुल्क लागू करना।

(ग) वर्ष 2000-2001 का बजट तैयार करने के एक अंग के रूप में सरकार द्वारा उत्पाद शुल्क ढांचे की व्यापक रूप से समीक्षा की गई थी। इस समय अधिकाधिक खपत वाले उपभोक्ता माल विनिर्माण क्षेत्र से संबंधित उत्पाद शुल्क के ढांचे में किसी तरह का परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। तथापि, अधिकतम खुदरा मूल्य पर छूट में वृद्धि करने के लिए कुछेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। किसी तरह का परिवर्तन करते समय उद्योग के मत को ध्यान में रखा जाएगा। आयातित वस्तुओं पर अधिकतम खुदरा मूल्य आधारित उत्पाद शुल्क लागू करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

देशी और विदेशी ऋण

945. श्री जोरा सिंह मान :
श्री रामजी लाल सुमन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों से देश पर घरेलू और विदेशी ऋणों का भार लगातार बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1991-92 के दौरान और मार्च, 2000 के अंत में देश पर घरेलू और विदेशी ऋण की मात्रा अलग-अलग कितनी थी;

(ग) क्या इन ऋणों पर ब्याज में भी लगातार वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो 1991-92 के दौरान उक्त ऋणों पर ब्याज की राशि कितनी थी और मार्च, 2000 के अंत तक ब्याज की राशि कितनी थी; और

(ङ) वर्ष 1999-2000 के दौरान ब्याज की कुल राशि की तुलना में करों के माध्यम से कितनी धनराशि प्राप्त हुई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) घरेलू और विदेशी ऋणों की मात्रा पिछले कई वर्षों से बढ़ रही है।

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान और मार्च, 2000 के अंत तक घरेलू ऋण और विदेशी ऋण की मात्रा निम्न प्रकार थी :-

(करोड़ रुपए)

	वर्ष 1991-92	मार्च, 2000 के अंत तक
घरेलू ऋण	172750	728627
विदेशी ऋण (अंकित मूल्य पर)	36948	57603

(ग) इन ऋणों पर ब्याज में वृद्धि हुई है।

(घ) वर्ष 1991-92 के दौरान और मार्च, 2000 के अंत तक घरेलू और विदेशी ऋण पर प्रदत्त ब्याज की मात्रा निम्न प्रकार थी :-

(करोड़ रुपए)

	वर्ष 1991-92	मार्च, 2000 के अंत तक
घरेलू ऋण पर ब्याज	11317	47463
विदेशी ऋण पर ब्याज	2704	4393

(ङ) वर्ष 1999-2000 के दौरान कर वसूली (केन्द्र को घटाकर) 126469 करोड़ रु. (सं. अ. 1999-2000) थी। संशोधित अनुमानों के अनुसार वर्ष 1999-2000 के दौरान घरेलू और विदेशी ऋण पर ब्याज-भुगतान 51856 करोड़ रुपए था।

[अनुवाद]

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की वार्षिक आय का आकलन

946. श्री पी०एच० पांडियन : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की मुख्यमंत्री बनने के बाद आंकी गई वार्षिक आय में पहले की तुलना में कितना अंतर आया है;

(ख) क्या आय में इस प्रकार के अंतर के स्रोत की जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त मामले में क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० धनन्जय कुमार) : (क) से (ग) डा० एम० करुणानिधि के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनने के उपरांत उनके मामले में केवल कर निर्धारण वर्ष 1997-98 का कर-निर्धारण पूरा किया गया है तथा उस वर्ष में विवरणीगत तथा कर-निर्धारित आय के बीच कोई अंतर नहीं है।

मूल्यवर्धित कर प्रणाली

947. श्री आर०एल० भाटिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार की वित्त संबंधी स्थायी समिति ने राज्यों को नई मूल्यवर्धित कर-प्रणाली (वी.ए.टी.) लागू करने के संबंध में हाल ही में एक निदेश जारी किया है;

(ख) क्या "वाट" करारोपण की एक बेहतर प्रणाली है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इससे कर-अपवंचकों की धरपकड़ में आसानी होगी; और

(ङ) यदि हां, तो इसका विस्तृत विवरण क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० धनन्जय कुमार) : (क) दिनांक 22.6.2000 को हुए मुख्य मंत्रियों/राज्य वित्त मंत्रियों के सम्मेलन में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया था कि जो राज्य 1.4.2001 तक मूल्यवर्धित कर लागू कर सकते हैं, वे ऐसा कर सकते हैं। अन्यों हेतु राज्य वित्त मंत्रियों की स्थाई समिति समय सीमा तथा रूप रेखा तैयार करेगी। राज्य वित्त मंत्रियों की स्थाई समिति जिसे बाद में अधिकार प्राप्त समिति के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था, ने 21.7.2000 को हुई अपनी बैठक में इस निर्णय को मंजूरी दे दी थी।

(ख) और (ग) मूल्यवर्धित कर एक बहुस्तरीय कर उगाही है, जिसमें उत्पादन तथा वितरण प्रक्रिया के सभी स्तरों पर जोड़े हुए मूल्य पर कर लगाया जाता है। चूंकि, मूल्यवर्धित घटक पर केवल एक बार ही कर लगाया जाता है, इसलिए कर का कोई प्रपाती प्रभाव नहीं होता है।

(घ) और (ङ) मूल्यवर्धित कर से, कर अपवंचन को कम करने में सहायता मिलेगी, चूंकि कर किसी एक स्तर पर ही एकत्र नहीं होगा। इसमें कर बीजक जारी करना भी आवश्यक है, क्योंकि कर कटौती से लाभ उठाने के उद्देश्य से परवर्ती व्यापारियों को बीजक तैयार करना जरूरी होगा। इससे कर प्राधिकारियों को कर-दाताओं के बीच घोषित सौदों की प्रति जांच-पड़ताल करने में आसानी होगी, जिसके परिणामस्वरूप कर अपवंचन की प्रवृत्ति में कमी आएगी।

[हिन्दी]

एफ०डी०आई० परियोजनाओं के क्रियान्वयन में समस्याएं

948. श्रीमती शीला गौतम : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से संबंधित परियोजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद द्वारा व्यक्त की गई समस्याओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा इन समस्याओं पर काबू पाने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रमण) : (क) राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एन.सी.ए.ई.आर.) ने अपने अध्ययन में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को बढ़ावा देने का विचार करने संबंधी कुछ एक मुद्दों का पता लगाया है जैसे कि अपर्याप्त बुनियादी सुविधाएं प्रक्रियागत जटिलताएं, भारत को निवेश गंतव्य के रूप में बाजार बनाए जाने की आवश्यकता, तीसरे दर्जे के क्षेत्र में नीतियों का उदारीकरण और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के संबंध में राष्ट्रीय तौर पर सर्वसम्मति बनाना। रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया है कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की दिशा में भारत के कार्य निष्पादन में सुधार हो सकता है बशर्ते कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश संबंधी नीति को अधिकाधिक उदार बनाया जाए।

(ख) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश तंत्र का और उदारीकरण करने के लिए अपनी वचनबद्धता के अनुसरण में, सरकार ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति की समीक्षा करके, सभी मदों/गतिविधियों को एफ.डी.आई./एन.आर.आई. और ओ.सी.बी. निवेश के लिए स्वत: अनुमोदन मार्ग के तहत रखने का निर्णय किया है, जिसमें विशिष्ट निषेध सूची की मदें शामिल नहीं है। सरकार निवेश-गंतव्य के रूप में भारत के आकर्षण को बढ़ाने के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति की सतत् रूप से पुनरीक्षा करती है। सरकार ने विदेशी निवेशकों और केन्द्र तथा राज्य स्तरीय सरकारी मशीनरी के बीच एकल बिन्दु मध्यस्थता (सिंगल प्वाइंट इन्टरफेस) की व्यवस्था करने के उद्देश्य से विदेशी निवेश कार्यान्वयन प्राधिकरण (एफ.आई.आई.ए.) की स्थापना की है। इस प्राधिकरण का अल्पकालिक उद्देश्य परियोजना की स्थापना में होने वाले प्रक्रियागत विलंबों को दूर करना है। इसका दीर्घकालीन उद्देश्य विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना है।

[अनुवाद]

राज्यों को दिए गए ऋण और अनुदान

949. श्री अली मोहम्मद नायक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1991 तक जम्मू और कश्मीर राज्य को 30% ऋण और 70% अनुदान दिया गया जबकि अन्य पिछड़े राज्यों की तरह यह 10% ऋण और 90% अनुदान के लिए पात्र था;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार 1991 के पहले के वर्षों हेतु 10% ऋण और 90% अनुदान के फार्मूला संबंधी जम्मू और कश्मीर के अनुरोध पर सहमत हो गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार वर्ष 1991 के पहले दिए गए ऋण और अनुदान को 10% ऋण और 90% अनुदान के फार्मूला के तहत मानने को तैयार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चालासाहिब विखे पाटील) : (क) जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने वर्ष 1991 तक 30 प्रतिशत अनुदान और 70 प्रतिशत ऋण के रूप में योजना सहायता प्राप्त की है। राष्ट्रीय विकास परिषद (एन.डी.सी.) द्वारा लिए गए निर्णय के अनुरूप, 1990-91

से जम्मू एवं कश्मीर सरकार को 90 प्रतिशत अनुदान और 10 प्रतिशत ऋण योजना सहायता मिलनी शुरू हो गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) राज्यों को योजना सहायता के हस्तांतरण के पैटर्न का निर्णय राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा लिया जाता है, जिसने वर्ष 1990-91 के आगे से केवल जम्मू एवं कश्मीर को सहायता के इस पैटर्न की अनुमति देने का निर्णय लिया है।

विज्ञापनों पर कर

950. डा० वी० सरोजा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिक राजस्व अर्जित करने के उद्देश्य से आकाशवाणी और टेलीविजन नेटवर्क पर प्रसारित किए जाने वाले विज्ञापनों पर कर लगाए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० धनन्जय कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) इस धारणा की कुछ न्यायिक अधिघोषणाएं हैं कि विज्ञापन कथन अथवा अभिव्यक्ति का एक रूप है। अत: सभी विज्ञापनों पर कर लगाने में कानूनी सीमाएं हो सकती हैं। तथापि, ऐसे विज्ञापनों से होने वाली आय पर पहले से ही आयकर का भुगतान करना पड़ता है और विज्ञापन एजेंसियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर सेवा कर भी लगाया जाता है।

[हिन्दी]

आदिवासी और पिछड़े जिलों में उद्योग लगाना

951. श्री राम टहल चौधरी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योगपति वर्ग देश के विशेषत: बिहार के आदिवासी और पिछड़े जिलों में ढांचागत सुविधाओं के अभाव में उद्योगों को लगाने के प्रति उत्सुक नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारों, विशेषत: बिहार सरकार ने केन्द्र सरकार को इन जिलों में औद्योगिक विकास के संतुलन को बनाए रखने के लिए आदिवासी और पिछड़े जिलों में उद्योगों की स्थापना और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करने संबंधी प्रस्ताव भेजे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार क्या प्रभावी कदम उठा रही है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रमण) : (क) देश में आदिवासी तथा पिछड़े जिलों/क्षेत्रों में समुचित ढांचागत सुविधाओं की कमी इन क्षेत्रों में कम निवेश का एक महत्त्वपूर्ण कारण है। 1991 में नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी और तब से बिहार में देश में किए गए कुल निवेश का 2% कम निवेश किया गया है।

(ख) से (घ) नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत, कुछ विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को छोड़कर, उद्योगों की स्थापना करने के लिए केन्द्र सरकार से लाइसेंस अथवा अनुमोदन लेना आवश्यक नहीं है। निवेश संबंधी निर्णय अब उद्यमियों के वाणिज्यिक विवेक पर छोड़ दिए गए हैं।

सरकार ने उद्योगों को आकर्षित करने के लिए पिछड़े क्षेत्रों में अवसंरचना विकास के लिए कई योजनाएं चला रखी हैं जैसे विकास केन्द्र योजना, एकीकृत अवसंरचना विकास योजना। विकास केन्द्र योजना के अन्तर्गत बिहार में (1) बेगुसराय, (2) भागलपुर, (3) छपरा, (4) दरभंगा, (5) हजारीबाग, (6) मुजफ्फरपुर में 6 विकास केन्द्रों को मंजूरी दे दी गई है। राज्य में किसी अन्य एकीकृत अवसंरचना विकास केन्द्र की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव बिहार से प्राप्त नहीं हुआ है।

इसके अतिरिक्त परिवहन राजसहायता योजना, पूंजी निवेश राजसहायता योजना, केन्द्रीय ब्याज राजसहायता योजना और केन्द्रीय व्यापक बीमा योजना के अंतर्गत अधिसूचित क्षेत्रों के उद्योगों को राजसहायता उपलब्ध हैं। अधिसूचित पिछड़े जिलों/क्षेत्रों में उद्योगों को कर-रियायतें भी उपलब्ध हैं।

[अनुवाद]

आकाशवाणी केन्द्र का दर्जा बढ़ाया जाना

952. श्री वी०एम० सुधीरन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा देश में कुछ आकाशवाणी केन्द्रों के उन्नयन का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो विशेषकर आकाशवाणी के अल्लेप्पी स्टेशन सहित अन्य स्टेशनों का राज्यवार और स्थानवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए/प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक स्टेशन के लिए कितना बजटीय आबंटन किया गया?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) बजट आबंटन सहित कार्यान्वयनधीन आकाशवाणी केन्द्रों के उन्नयन सम्बन्धी स्कीमों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। वर्तमान में अल्लेप्पी स्थित ट्रांसमीटर को उन्नयन करने का कोई

प्रस्ताव नहीं है क्योंकि इसका हाल ही में 100 कि.वा.मी.वे. से 2000 कि.वा.मी.वे. में उन्नयन किया गया था। कार्यान्वयनाधीन सभी स्कीमों को 9वीं योजना अवधि के दौरान पूरा किए जाने का लक्ष्य है बशर्ते संसाधन एंव आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हों।

विवरण

आकाशवाणी केन्द्र का स्थान	उन्नयन स्कीम	बजट आबंटन रुपए (लाखों में)
1	2	3
	आंध्र प्रदेश	
1.	हैदराबाद	10 कि.वा.मी.वे.ट्रां. का उन्नयन एवं 20 कि.वा.मी.वे.ट्रां. द्वारा प्रतिस्थापन	220.00
2.	तिरुपति	अतिरिक्त 3 कि.वा.एफ.एम.ट्रां की संस्थापना	100.00
3.	विजयवाड़ा	1. कि.वा.मी.वे.ट्रा. का 10 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. द्वारा प्रतिस्थापन	260.00
	असम		
4.	सिलचर	10 कि.वा.मी.वे.ट्रां. का उन्नयन एवं 20 कि.वा.मी.वे. द्वारा प्रतिस्थापन	210.00
	बिहार		
5.	पटना	3. कि.वा.एफ.एम.ट्रां. की एक अतिरिक्त इकाई और स्टीरियो प्लेबैक सुविधा	135.00
	गुजरात		
6.	बड़ोदरा	1. कि.वा.मी.वे.ट्रां. का उन्नयन एवं 10 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. (विविध भारती) द्वारा प्रतिस्थापन	260.00
7.	भुज	10 कि.वा.मी.वे.ट्रां. का उन्नयन एवं 20 कि.वा.मी.वे.ट्रां. द्वारा प्रतिस्थापित	240.00
8.	राजकोट	1 कि.वा.मी.वे.ट्रां. का उन्नयन एवं 10 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. (वी बी) द्वारा प्रतिस्थापित	300.00
	जम्मू और कश्मीर		
9.	श्रीनगर	मौजूदा 1 कि.वा.एफ.एम.ट्रा. (वी बी) का उन्नयन एवं 10 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. द्वारा प्रतिस्थापन	260.00
10.	जम्मू	1 कि.वा.शा.वे.ट्रां. का 50 कि.वा.शा.वे.ट्रां. द्वारा प्रतिस्थापन	250.00
	कर्नाटक		
12.	बैंगलूर	1 कि.वा.मी.वे.ट्रां. का उन्नयन एवं 10 कि.वा.मी.वे.ट्रां. द्वारा प्रतिस्थापन	220.00
13.	मंगलौर	1 कि.वा.मी.वे.ट्रां. का उन्नयन एवं 10 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. और प्लेबैक सुविधाओं के प्रावधान द्वारा प्रतिस्थापन	260.00
14.	मैसूर	1 कि.वा.मी.वे.ट्रां. का उन्नयन एवं 10 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. द्वारा प्रतिस्थापन	260.00
15.	धारवाड़	1 कि.वा.मी.वे.ट्रां. का उन्नयन एवं 10 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. (वी बी) द्वारा प्रतिस्थापन	260.00
	केरल		
16.	कालीकट	1 कि.वा.मी.वे.ट्रां. का उन्नयन एवं 10 कि.वा.एफ.एम.ट्रां (वी बी) द्वारा प्रतिस्थापन	260.00
17.	तिरूवनन्तपुरम	10 कि.वा.मी.वे.ट्रां. का उन्नयन एवं 20 कि.वा.मी.वे.ट्रां. द्वारा प्रतिस्थापन	210.00
	मध्य प्रदेश		
18.	इन्दौर	(i) 100 कि.वा.मी.वे.ट्रां. का उन्नयन एवं 200 कि.वा.मी.वे.ट्रां. द्वारा प्रतिस्थापन	700.00
		(ii) 3 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. की एक अतिरिक्त इकाई और स्टीरियो प्लेबैक सुविधा	135.00

1		2	3
19.	भोपाल	3 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. की एक अतिरिक्त इकाई और स्टीरियो प्लेबैक सुविधा	135.00
	महाराष्ट्र		
20.	नागपुर	100 कि.वा.मी.वे.ट्रां. की 300 कि.वा.मी.वे. द्वारा प्रतिस्थापन	920.00
21.	औरंगाबाद	1 कि.वा.मी.वे.ट्रां. की 10 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. द्वारा प्रतिस्थापन	300.00
	मणिपुर		
22.	इम्फाल	(i) 10 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. एवं स्टीरियो स्टूडियो	335.00
		(iii) 50 कि.वा.मी.वे.ट्रां. की 300 कि.वा.मी.वे.ट्रां. द्वारा प्रतिस्थापन	900.00
	नागालैंड		
23.	कोहिमा	50 कि.वा.मी.वे.ट्रां. का उन्नयन एवं 100 कि.वा.मी.वे.ट्रां. द्वारा प्रतिस्थापन	550.00
	राजस्थान		
24.	जोधपुर	100 कि.वा.मी.वे.ट्रां. का 300 कि.वा.मी.वे.ट्रां. द्वारा प्रतिस्थापन	900.00
25.	कोटा	1 कि.वा.मी.वे.ट्रां. का 20 कि.वा.मी.वे.ट्रां. द्वारा प्रतिस्थापन	410.00
	तमिलनाडु		
26.	तिरुचिरापल्ली	(i) 1 कि.वा.मी.वे.ट्रां. का 10 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. (वी बी) द्वारा प्रतिस्थापन	260.00
		(ii) वी बी स्टूडियो का मोनो से स्टीरियो में परिवर्तन	50.00
27.	चेन्नई	10 कि.वा.मी.वे.ट्रां. का 20 कि.वा.मी.वे.ट्रां. द्वारा प्रतिस्थापन	200.00
28.	तिरूनेलवेली	10 कि.वा.मी.वे.ट्रां. का 20 कि.वा.मी.वे.ट्रां. द्वारा प्रतिस्थापन	210.00
	त्रिपुरा		
29.	अगरतला	10 कि.वा.मी.वे.ट्रां. एवं स्टूडियो	335.00
	उत्तर प्रदेश		
30.	नजीबाबाद	10 कि.वा.मी.वे.ट्रां. का 200 कि.वा.मी.वे.ट्रां. द्वारा प्रतिस्थापन	760.00
31.	कानपुर	1 कि.वा.मी.वे.ट्रां. का 10 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. द्वारा प्रतिस्थापन	300.00
32.	वाराणसी	1 कि.वा.मी.वे.ट्रां. का 10 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. द्वारा प्रतिस्थापन	300.00
	संघ शासित क्षेत्र		
33.	चंडीगढ़	अतिरिक्त 3 कि.वा.एफ.एम.ट्रां. और वी बी स्टूडियो का मोनो से स्टूडियो में परिवर्तन	165.00
34.	पोर्ट ब्लेयर	20 कि.वा.मी.वे.ट्रां. का 100 कि.वा.मी.वे. द्वारा प्रतिस्थापन	620.00

[हिन्दी]

भारतीय खाद्य निगमों के गोदामों में खाद्यान्न

953. श्री पुष्प जैन : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में लगभग 2 से 5 वर्ष पुराने खाद्यान्नों का कुल कितना भंडार है;

(ख) उक्त भंडार में से कितना प्रतिशत खाद्यान्न मानव उपभोग के लायक नहीं है;

(ग) खाद्यान्नों के उचित भंडारण के लिए सरकार द्वारा कौन-सी योजनाएं शुरू किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या गोदामों में खाद्यान्नों की जांच करने के लिए कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) 31.5.2000 को स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम क गोदामों में 2 से 5 साल पुराने खाद्यान्नों की 15.72 लाख टन की कुल मात्रा (जिसमें 11.65 लाख टन गेहूं, 3.91 लाख टन चावल और 0.16 लाख टन धान सम्मिलित है) उपलब्ध थी।

(ख) 31.5.2000 को स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध 244.74 लाख टन की कुल मात्रा में से खाद्यान्नों की 1.90 लाख टन की कुल मात्रा का मार्गस्थ, क्षति, प्राकृतिक विपदाओं और भंडारण के दौरान निम्न वर्गीकरण होने की वजह से पुष्ट से क्षतिग्रस्त अनाज (मनुष्य के उपभोग के लिए अयोग्य) के रूप में अन्तरण किया गया है।

(ग) सरकार ने देश में खाद्यान्नों के उपयुक्त भंडारण के लिए खाद्यान्नों की बल्क हैंडलिंग,. भंडारण और ढुलाई को आरंभ करने का निर्णय लिया है।

(घ) जी. हां।

(ङ) खाद्यान्नों के स्टाक की नियमित रूप से हर चट्टे से नमूने एकत्र करके कीट जन्तु बाधा की मौजूदगी और अन्य गुणवत्ता मानकों के संबंध में वैज्ञानिक तरीके से जांच की जाती है। यदि खाद्यान्नों के स्टाक/गोदामों में कीट जन्तु बाधा की मौजूदगी का पता चलता है तो कीट जन्तु बाधा के नियंत्रण के लिए रोग निरोधी और रोग हर उपचार किए जाते हैं।

भारतीय खाद्य निगम के कार्यकरण में सुधार

954. **श्री रामजीलाल सुमन :**
डा० सुशील कुमार इन्दौरा :

क्या **उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय खाद्य निगम के कार्यकरण में व्यापक सुधार करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या कुछ खाद्यान्न गोदामों को बंद करने या उन्हें निजी कंपनियों को बेचने का निर्णय लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भारतीय खाद्य निगम के अधिकार क्षेत्र से बाहर किए जाने वाले खाद्यान्न गोदामों की पहचान कर ली गई है; और

(च) यदि हां, तो ये गोदाम किन-किन स्थानों पर हैं और इन गोदामों की भंडारण क्षमता कितनी है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) जी, हां।

(ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

भारत सरकार ने जनशक्ति की आवश्यकता "केरियर मेनेजमेंट" और "केरियर प्रोगरेशन" के संदर्भ में संगठनात्मक ढांचे को तैयार करने की योजना के लिए भारतीय खाद्य निगम को मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए हैं। इस योजना की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं :-

1. यह प्रस्ताव है कि सहायक प्रबंधक और उससे ऊपर के अधिकारी द्वारा डिपु का प्रबंधन करके युक्तियुक्त बनाया जाए। इससे विभिन्न डिपुओं के बीच कार्मिकों की सुव्यस्थित तैनाती होगी।

2. एक स्वतंत्र समूह द्वारा डिपुओं के प्रचालन के संबंध में नए मानदंड तैयार किए जाएं। इस समूह में ऐसे अधिकारी हों जिन्हें निगम के विभिन्न प्रचालनों की जानकारी हो।

3. डिपु स्तर और उससे ऊपर औद्योगिक संबंध तंत्र सृजित करने और इसके लिए उचित कार्मिक शामिल करने तथा कम्प्यूटर सैल के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा एक योजना तैयार की जानी है।

4. यह भी प्रस्ताव है कि गुण नियंत्रण तंत्र को सुदृढ़ बनाया जाए जिसमें भिन्न नियंत्रण के स्वतंत्र तंत्र द्वारा खाद्यान्नों की गुणवत्ता का प्रमाणीकरण सुनिश्चित किया जा सके।

5. आकर्षक स्थानान्तरण पैकेज की पेशकश करके माइक्रो स्तर पर कार्मिकों के पुनर्समायोजन की समस्या हल की जाएगी।

6. मौजूदा संगठनात्मक ढांचे के अनुसार स्टाफ की आवश्यकताएं पूरी करने और पदोन्नति न होने की समस्या को हल करने के लिए यह प्रस्ताव है कि मौजूदा पदों का इस शर्त के अध्यधीन उच्च श्रेणीकरण किया जाए कि कर्मचारियों के लिए लागू संशोधित कार्य के ब्यौरे के बारे में यूनियनों से स्पष्ट समझौता किया गया हो।

7. प्रबंधन आधार को सुदृढ़ बनाने के लिए यह प्रस्ताव है कि प्रत्येक वर्ष 100 प्रबंधन प्रशिक्षु भर्ती किए जाएं।

8. जब तक संशोधित मानदंड मंजूर नहीं हो जाते और जनशक्ति की आवश्यकता का हिसाब नहीं लग जाता तब तक भारतीय खाद्य निगम को कम करके स्वीकृत की गई कार्मिकों की संख्या बनाए रखनी होगी।

9. भारतीय खाद्य निगम को पत्तन प्रचालन बंद करने होंगे। चेन्नई, विजाग, कांडला, कलकत्ता और मुम्बई स्थित गोदाम

आपस में सहमत हुई शर्तों और निबंधनों पर पत्तन न्यास को सौंपे जाने हैं। इन कर्मचारियों को तैनात किया जाएगा, वापस किया जाएगा अथवा उन्हें स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना की पेशकश की जाएगी।

10. श्रमिकों से जुड़े सभी मुद्दों को मौजूदा श्रम कानूनों से शांतिपूर्वक ढंग से हल किया जाएगा। सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन मामले दर मामले में अपेक्षित होगा।

[अनुवाद]

चाय उद्योग की समस्याएं

955. श्री वी०एस० शिवकुमार : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में चायं उद्योग की समस्याओं का कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन समस्याओं को दूर करने हेतु और चाय के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) सरकार देश में चाय उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ लगातार संपर्क करती आ रही है और वह उन्हें हो रही कठिनाइयों से अवगत है। चाय उद्योग नीलामियों में चाय की कीमतों में गिरावट की समस्या का सामना कर रहा है। तमिलनाडु सरकार द्वारा हाल ही में स्थापित एक समिति, जिसमें चाय बोर्ड का एक प्रतिनिधि शामिल था, ने भी दक्षिण भारत में चाय के छोटे किसानों द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों का एक अध्ययन किया है।

(ग) नीलामियों में कम कीमत वसूली के लिए चाय के छोटे किसानों की क्षतिपूर्ति के उद्देश्य से दिनांक 1.5.2000 से एक कीमत इमदाद योजना क्रियान्वित की गई है जिसमें नीलामी कीमत और 55 रुपए प्रति किग्रा. के बीच के अंतर के बराबर की राशि के लिए चाय के छोटे किसानों (10.12 हेक्टेयर तक चाय बागान धारकों) को 5/- रुपए की इमदाद प्रदान की जा रही है। इमदाद की इस राशि को बाद में 24.7.2000 से बढ़ाकर 8/- रुपए प्रति किग्रा. कर दिया गया था। छोटे क्षेत्र में विनिर्मित चाय के लिए एक गुणवत्ता उन्नयन कार्यक्रम भी शुरू किया गया है। सरकार ने घरेलू चाय उद्योग के लिए एक समान अवसर उपलब्ध करवाने के लिए चाय पर आयात शुल्क भी 15% से बढ़ाकर 35% कर दिया है।

भारत से चाय के निर्यात को बढ़ाने के उद्देश्य से चाय बोर्ड निर्यात योग्य गुणवत्ता वाली चाय, विशेषकर परंपरागत किस्म की अच्छी गुणवत्ता वाली चाय के उत्पादन में वृद्धि हेतु चाय उद्योग के साथ निरंतर संपर्क में है। चाय बोर्ड दिसंबर, 1998 में चाय बोर्ड, कलकत्ता तथा रूसी चाय एवं कॉफी परिसंघ के बीच यथा हस्ताक्षरित ऋण पुनर्भुगतान प्रणाली संबंधी नयाचार के अंतर्गत भारत से चाय उठाने के करार को शीघ्रता से परिचालित करने हेतु रूस के आयातकों के साथ भी संपर्क साधे हुए है। ऐसे देशों में विशेष संवर्धनात्मक प्रयास शुरू किए गए हैं जहां निर्यातों में कमी आई थी।

उपरोक्त के अतिरिक्त, सरकार और चाय बोर्ड निर्यात की संभावना वाले क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देते हुए निर्यातों का देशवार विश्लेषण करते रहे हैं। चाय बोर्ड अलग-अलग बाजारों को होने वाले निर्यातों में आ रही बाधाओं का पता चलने पर उनको हटाने का कार्य भी करता है। चाय बोर्ड के लंदन, न्यूयार्क, मास्को तथा दुबई स्थित विदेशी कार्यालय विशिष्ट कार्यक्रम करते हैं, जैसे कि :-

(i) विदेशों में आयोजित किए जाने वाले प्रमुख व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेना;

(ii) विशिष्टता रखने वाले (स्पेशिएलिटी स्टोरों) और प्रमुख बाजारों में जाकर नमूने एकत्र करना;

(iii) भारतीय चाय की विशिष्टता के बारे में उपभोक्ताओं में जागरूकता लाने के लिए और चाय बोर्ड के विपणन चिह्न, जो शुद्ध भारतीय चाय का प्रतीक है, को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रचार अभियान चलाना; और

(iv) भारत और चाय के आयातक देशों के बीच चाय शिष्टमंडलों का आदान-प्रदान करना।

[हिन्दी]

पर्यटन के बुनियादी ढांचे का विकास

956. श्री ब्रह्मानन्द मंडल :
श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल :

क्या **पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने और विदेशी पर्यटकों को आकृष्ट करने हेतु "पर्यटन के बुनियादी ढांचे का विकास" नाम से कोई योजना लागू की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत आबंटित धन-राशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के अंतर्गत अब तक राज्यवार क्या उपलब्धि रही है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) और (ख) जी, हां। पर्यटन विभाग स्वदेशी एवं विदेशी पर्यटकों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। राज्य सरकारों की पिछले तीन वर्षों के दौरान उपलब्ध कराई गई सहायता के ब्यौरे विवरण के रूप में संलग्न हैं।

(ग) परियोजनाओं को क्रियान्वित एवं पूरा करने की मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्यों की है जिन्हें परियोजनाओं को पर्यटन विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार निश्चित समयावधि में पूरा करना होता है।

विवरण

वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं तथा स्वीकृत धनराशि (परियोजनाओं में मेले और उत्सव शामिल हैं) के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण

(रुपए लाखों में)

क्र.सं.	राज्य	1997-98		1998-99		1999-2000	
		स्वीकृत परियोनाओं की सं.	स्वीकृत राशि	स्वीकृत परियोजनाओं की सं.	स्वीकृत राशि	स्वीकृत परियोजनाओं की सं.	स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	12	206.70	10	244.08	14	222.22
2.	असम	14	288.88	15	457.95	17	357.35
3.	अरुणाचल प्रदेश	9	271.00	6	216.32	11	239.28
4.	बिहार	11	233.07	11	237.29	5	89.71
5.	गोवा	8	144.62	14	319.98	11	279.82
6.	गुजरात	7	111.84	15	449.57	19	327.64
7.	हरियाणा	6	98.62	12	333.93	9	238.33
8.	हिमाचल प्रदेश	5	119.00	10	318.00	17	691.29
9.	जम्मू एवं कश्मीर	10	293.35	6	192.85	16	334.58
10.	कर्नाटक	10	130.78	12	399.82	38	856.40
11.	केरल	11	287.00	13	653.05	19	699.28
12.	मध्य प्रदेश	10	141.85	18	441.39	16	421.08
13.	महाराष्ट्र	12	169.84	18	496.27	30	1003.69
14.	मणिपुर	5	186.11	8	140.49	10	229.00
15.	मेघालय	5	97.70	5	120.48	5	30.72
16.	मिजोरम	6	142.45	8	203.34	13	292.17
17.	नागालैंड	3	113.90	11	230.54	16	291.80
18.	उड़ीसा	28	552.05	6	178.60	19	301.90
19.	पंजाब	6	52.87	7	242.14	8	175.00
20.	राजस्थान	14	135.33	22	436.28	12	131.12
21.	सिक्किम	11	73.20	15	136.03	13	118.98
22.	तमिलनाडु	7	59.74	17	316.20	26	493.85
23.	त्रिपुरा	8	126.68	9	169.21	7	340.76

1	2	3	4	5	6	7	8
24.	उत्तर प्रदेश	13	221.10	41	869.85	36	755.45
25.	पश्चिम बंगाल	7	125.76	12	211.13	6	194.01
26.	अंडमान और निकोबार	—	—	4	162.50	1	32.37
27.	चंडीगढ़	—	—	3	55.18	4	69.59
28.	दादर और नगर हवेली	1	5.20	2	20.00	1	30.00
29.	दिल्ली	8	233.43	13	223.89	5	24.50
30.	दमन और द्वीव	4	60.17	—	—	—	—
31.	लक्षद्वीप	1	5.00	1	29.00	—	—
32.	पांडिचेरी	4	35.34	2	15.00	10	163.89
	जोड़ :	256	4722.88	346	8520.36	414	9445.78

बैंकों में सावधि जमाराशि पर मिलने वाले ब्याज में से आयकर की कटौती

957. **श्रीमती जयश्री बैनर्जी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों में सावधि जमाराशि पर मिलने वाले ब्याज में से आयकर की कटौती की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान ब्याज में से आयकर की कटौती के रूप में कितनी राशि प्राप्त की गई;

(ग) क्या बैंकों में अल्पावधि सावधि जमाराशि को बढ़ावा देने के लिए ब्याज में से आयकर की कटौती में छूट देने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० धनन्जय कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक बैंक द्वारा सावधि जमा के ब्याज पर काटी गई आयकर की धनराशि के संबंध में सूचना देना संभव नहीं है क्योंकि आयकर अधिनियम के अनुसार बैंक की प्रत्येक शाखा को एक अलग कर कटौती खाता संख्या (टैन) दी जाती है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194क के प्रावधानों के अंतर्गत प्रत्येक शाखा को सावधि जमा के ब्याज पर कर की कटौती के लिए फार्म सं. 26क में अलग से वार्षिक विवरण फाइल करना अपेक्षित होता है। पूरे देश में फैले बैंकों की शाखाओं को वहां कर-निर्धारण अधिकारी के पास ऐसी वार्षिक विवरणियां फाइल करना आवश्यक नहीं होता है, जहां किसी बैंक विशेष का कर-निर्धारण किया जाता है। इसके अलावा, सावधि जमा के ब्याज पर स्रोत पर कर की कटौती को किसी बैंक की प्रत्येक शाखा द्वारा फाइल की गई टी डी एस विवरणी में अलग से प्रस्तुत नहीं किया जाता है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। वास्तव में अधिनियम के मौजूदा प्रावधानों में लघु-निवेशकों के हितों का ख्याल रखा जाता है। उक्त अधिनियम की धारा 194क के अंतर्गत किसी बैंक की एक विशेष शाखा द्वारा सावधि जमा के ब्याज पर कर की कटौती तभी की जानी अपेक्षित होती है, यदि किसी व्यक्ति को एक वित्त वर्ष के दौरान चुकाए गए/देय ऐसे ब्याज की धनराशि 10,000/- से अधिक होती है। इसके अलावा धारा 197क(1क) के अनुसार, किसी कंपनी अथवा फर्म से भिन्न यदि कोई व्यक्ति निर्धारित फार्म में लिखित रूप में बैंक को इस संबंध में यह घोषणा प्रस्तुत करता है कि संगत वर्ष की उसकी कुल अनुमानित आय पर कर शून्य होगी तो धारा 194क के अंतर्गत कर की कोई कटौती करनी अपेक्षित नहीं होती है। मौजूदा प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए आगे और रियायत देने की कोई आवश्यकता नहीं है।

सामाजिक संस्थाओं को आयकर रियायत

958. **श्री हरीभाऊ शंकर महाले :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 की धारा 21 के तहत पंजीकृत सामाजिक संस्थाओं द्वारा सामाजिक कल्याण गतिविधियों पर व्यय करने हेतु प्राप्त राशियों पर आयकर विभाग ने कितनी रियायत दी है;

(ख) 1999 2000 के दौरान आयकर विभाग ने कितनी सामाजिक संस्थाओं को रियायत दी; और

(ग) इस प्रकार की रियायत प्राप्त करने की इच्छुक पंजीकृत संस्थाओं को आयकर रियायत उपलब्ध कराने के लिए निर्धारित कार्यविधियां क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० धनन्जय कुमार) : (क) सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1960 (1860 की 21) के अंतर्गत पंजीकृत सामाजिक संस्थाएं, आयकर अधिनियम, 1961 के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन आयकर से छूट की पात्र हैं।

(ख) वर्ष 1999-2000 के दौरान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग)(iv), (vi) एवं (viक) के अंतर्गत लगभग 90 धर्मार्थ, शैक्षणिक और चिकित्सा संस्थाओं को अधिसूचित किया गया था।

(ग) सम्बद्ध संगठनों को निर्धारित फार्मों में सहायक दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न करते हुए आयकर महानिदेशक (छूट) कलकत्ता के समक्ष अपना दावा प्रस्तुत करना होता है। आयकर अधिनियम की धारा 10(23ग)(iv) के अंतर्गत केन्द्र द्वारा तथा धारा 10(23ग)(vi) तथा (viक) के अंतर्गत केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

[अनुवाद]

केनरा बैंक की शाखा

959. **श्री कोल्लूर बसवनागौड़ :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली कर्नाटक संघ के परिसर में केनरा बैंक शाखा कार्य कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त संघ ने एक सांस्कृतिक केन्द्र का निर्माण करने के लिए केनरा बैंक को परिसर खाली करने को कहा है; और

(ग) यदि हां, तो केनरा बैंक द्वारा दिल्ली कर्नाटक संघ के परिसर को खाली करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) मकान मालिकों ने पट्टे का नवीकरण नहीं किया है। बैंक किराएदार के रूप में अपना कार्य कर रहा है। इसी बीच बैंक वैकल्पिक परिसर की तलाश कर रहा है।

सरकारी उपक्रमों में उच्च पदों की रिक्तियां

960. **डा० रघुवंश प्रसाद सिंह :**
श्री कालवा श्रीनिवासुलु :

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी उपक्रमों में रिक्त पड़े उच्च पदों का उपक्रमवार ब्यौरा क्या है और वे कब से रिक्त पड़े हैं;

(ख) सरकार द्वारा गत एक वर्ष के दौरान इन पदों को भरने के लिए क्या प्रयास किए गए;

(ग) शेष रिक्त पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार का विचार सरकारी उपक्रमों में गैर-सरकारी प्रतिनिधियों के पदों को भरने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वल्लभभाई कथीरिया) : (क) से (ग) 30.6.2000 की स्थिति के अनुसार 24 शीर्ष पद (मुख्य कार्यपालक) रिक्त थे। इन पदों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इन 24 पदों में से 10 पदों के लिए लोक उद्यम चयन बोर्ड द्वारा चयन कर लिया गया है, 5 मामलों में नियुक्त किए गए व्यक्तियों के कार्यभार ग्रहण करना है, 2 मामलों में पदों को आस्थगित रखा गया है तथा शेष मामलों में चयन किया जा रहा है। यह एक सतत् प्रक्रिया है।

(घ) और (ङ) जी, हां। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के निदेशक मंडल में बाहरी व्यावसायिकों को गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशकों के रूप में नियुक्त करना सरकार की नीति है। लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार ऐसे गैर-सरकारी निदेशकों की संख्या निदेशक मंडल की वास्तविक संख्या का 1/3 होनी चाहिए।

विवरण

क्रम सं.	पद का नाम	रिक्ति की तारीख
1	2	3
1.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सीमेंट कारपो. ऑफ इंडिया लि.	30.06.1999
2.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारतीय पर्यटन विकास निगम लि.	01.10.1997
3.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, गोवा शिपयार्ड लि.	07.11.1999
4.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारत डायनामिक्स लि.	08.01.2000
	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, इंजीनियर्स इंडिया लि.	01.01.2000
6	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, नेशनल जूट मैन्यु. कारपो. लि.	01.04.1998
7	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारतीय उर्वरक निगम लि.	15.12.1998

1	2	3
8.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, नेवेली लिग्नाईट कारपो. लि.	05.08.1999
9.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, ने.टे.का. (साउथ महाराष्ट्र) लि.	20.05.1998
10.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, हिन्दुस्तान वेजीटेबल ऑयल कारपो. लि.	01.10.1997
11.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, इंडियन पेट्रोकैमिकल्स कारपो. लि.	01.06.1999
12.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, इंडियन एयरलाइन्स लि.	26.05.2000
13.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, हिन्दुस्तान साल्ट्स लि.	01.04.1998
14.	प्रबंध निदेशक, बंगाल इम्युनिटी लि.	22.12.1998
15.	प्रबंध निदेशक, होटल कारपो. ऑफ इंडिया लि.	02.09.1999
16.	प्रबंध निदेशक, इंडियन ऑयल ब्लैण्डिंग लि.	18.04.2000
17.	प्रबंध निदेशक, इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपो. लि.	29.09.1997
18.	प्रबंध निदेशक, भारतीय राज्य फार्म्स निगम लि.	07.05.1999
19.	प्रबंध निदेशक, जेसप एंड कंपनी लि.	10.09.1999
20.	प्रबंध निदेशक, मणिपुर स्टेट ड्रग्स एण्ड फार्मा. लि.	01.10.1997
21.	प्रबंध निदेशक, इंडियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी लि.	02.02.2000
22.	प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय बीज निगम लि.	12.06.1999
23.	प्रबंध निदेशक, इंडियन मेडिसिन फार्मास्युटिकल्स कारपो. लि.	17.02.1999
24.	प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि.	05.05.1998

गुजरात में बैंकों के माध्यम से लघु उद्योगों को ऋण

961. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1999-2000 के दौरान गुजरात में अनूसचित बैंकों और गैर-अनुसूचित बैंकों द्वारा कितना ऋण दिया गया; और

(ख) उक्त बैंकों द्वारा दिए गए कुल ऋण की तुलना में लघु उद्योगों को दिए गए ऋण का प्रतिशत क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) के अनुसार पिछले दो वर्षों के दौरान गुजरात में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आर आर बी) समेत सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का कुल बकाया अग्रिम निम्नानुसार है :-

(रु. करोड़ में)

गुजरात में कुल बकाया अग्रिम	31 मार्च, 1999 की स्थिति के अनुसार बकाया राशि	31 मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार बकाया राशि
(i) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आर आर बी समेत)	18701.53	22253.90
(ii) अन्य बैंक (डीसीसीबी एवं गुजरात कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक)	3215.05	3964.84

(ख) गुजरात में कुल अग्रिमों की तुलना में लघु उद्योगों के बकाया अग्रिमों का प्रतिशत 31 मार्च, 1999 की स्थिति के अनुसार, 14.55% और 31 मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार 12.49% था।

[हिन्दी]

विदेशी मुद्रा भंडार

962. **श्री मनिभाई रामजीभाई चौधरी :**
श्री तूफानी सरोज :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) विदेशी मुद्रा की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस कमी को पूरा करने हेतु अब तक कोई उपाय किए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (च) 14 जुलाई, 2000 की स्थिति के अनुसार विदेशी मुद्रा आस्तियों, स्वर्ण और एस.डी.आर. सहित कुल विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडार मार्च अंत, 2000 में 38,036 मिलियन अमरीकी डालर से कम होकर 36,572 मिलियन अमरीकी डालर रह गया है। विदेशी मुद्रा भंडार में घट-बढ़ चालू और पूंजी खातों में भारत के अंतर्राष्ट्रीय लेन-देनों के परिणामों को प्रतिबिम्बित करती हैं।

अनिवार्य आयातों और ऋण शोधन भुगतान की देनदारी की हमारी जरूरत की दृष्टि से विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडार का वर्तमान स्तर पर्याप्त समझा गया है। तथापि, विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडार को निरन्तर मानीटर किया जाता है और स्थिति में सुधार लाने की दृष्टि से जब कभी आवश्यक हो, निर्यातों में वृद्धि करने, आयातों में वृद्धि को रोकने, अदृश्य प्राप्तियों में बढ़ोत्तरी को बनाए रखने तथा गैर-ऋण-सृजक पूंजी प्रवाहों विशेषकर, प्रत्यक्ष विदेशी निवेशों को प्रोत्साहित करने के लिए उपयुक्त उपाय किए जाते हैं।

[अनुवाद]

राज्य व्यापार निगम के लिए योजना

963. **श्री प्रियरंजन दासमुंशी** : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम के कर्मचारियों ने विनिवेश के विरोध में हड़ताल की थी;

(ख) क्या राज्य व्यापार निगम को देश का उपयुक्त, प्रभावी तथा प्रतिस्पर्धात्मक विपणन व व्यापार संगठन बनाने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त योजना का ब्यौरा क्या है और इसे क्रियान्वित न करने के क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) एस टी सी एक लाभ कमाने वाली और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाली एक कम्पनी है। एस टी सी के वर्ष 2000-2001 के समझौता ज्ञापन में 2,100 करोड़ रुपए के कारोबार का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

एस टी सी के जरिए पहले सरणीकृत मदों का सरणीयन समाप्त किए जाने के फलस्वरूप निगम का यह प्रयास रहा है कि वह चालू वित्त वर्ष के दौरान निम्नलिखित के जरिए गैर-सरणीकृत निर्यात और आयात पर विशेष जोर दे :-

(1) कोयला/कोक का आयात करके हाइड्रो कार्बन के क्षेत्र में विविधिकरण;

(2) विदेशों में आभूषण प्रदर्शनियां आयोजित कर/उनमें भाग लेकर तथा कसौटी (एस्सेयिंग) एककों की स्थापना करके स्वर्ण/रजत आभूषणों के निर्यातों को बढ़ाना;

(3) चुनिंदा कृषि उत्पादों जैसे खाद्यतेल, चाय और दालों की अपने ब्रांड नाम के अंतर्गत घरेलू बाजार में खुदरा बिक्री करना;

(4) डिपार्टमेंटल स्टोरों की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय शृंखला में से किसी एक स्टोर के सहयोग से अथवा उसके साथ एक संयुक्त उद्यम के रूप में एक डिपार्टमेंटल स्टोर/विपणन केन्द्र की स्थापना करना;

(5) गैर-उत्पादक परिसंपत्तियों को अचल संपत्ति के स्वरूप में परिवर्तित करना ताकि इन्हें अधिक उत्पादक बनाया जा सके; और

(6) एस टी सी के निष्पादन की सरकारी स्तर पर छमाही आधार पर व्यापक समीक्षा की जाती है।

[हिन्दी]

पर्यटन का विकास

964. **श्री भालचन्द्र यादव** : क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश को चालू वर्ष 2000-2001 के दौरान पर्यटक स्थलों के सौंदर्यीकरण हेतु स्थलवार कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : पर्यटक स्थलों को विकसित एवं सुंदर बनाने का कार्य मुख्यत: राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। तथापि पर्यटन मंत्रालय, राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों को उनके परामर्श से प्राथमिकता प्राप्त पर्यटन परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। वर्ष 2000-2001 के दौरान

उत्तर प्रदेश के लिए 1037.03 लाख रुपयों की 33 परियोजनाएं केन्द्रीय वित्तीय सहायता के लिए निर्धारित की हैं।

[अनुवाद]

भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान

965. श्री चिंतामन वनगा : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान की शाखाएं खोली गई हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे स्थानों का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक द्वारा संचालित किए जाने वाले पाठ्यक्रमों तथा प्रत्येक पाठ्यक्रम हेतु अर्हता, अवधि और निर्धारित शुल्क का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद संस्थान प्रशिक्षणार्थियों को नौकरी प्राप्त करने में सहायता देता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में महाराष्ट्र में आई.आई.टी.टी.एम. की शाखा खोलने का है; और

(च) यदि हां, तो कब तक?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 1996 में भुवनेश्वर में भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंध संस्थान की एक शाखा स्थापित की गई है। यह संस्थान अन्य बातों के साथ-साथ 14 माह की अवधि के पर्यटन प्रबंध में डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाता है। किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता-स्नातक हैं। इस पाठ्यक्रम के लिए 6 माह की अवधि के दो सत्र होते हैं जिसके लिए प्रति सत्र शिक्षण शुल्क 15000/- रु. है। वायु किराया एवं निकट व्यवस्था यथा एयर कार्गो संबंधी पाठ्यक्रम भी चलाए जाते हैं जिसके लिए प्रति विद्यार्थी शुल्क 7000/- रु. है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। तथापि, यह संस्थान विद्यार्थी प्रोफाइल आदि के लिए एक प्लेसमेंट ब्रोशर प्रकाशित करता है तथा प्लेसमेंट इंटरव्यू के लिए पर्यटन व्यवसाय से जुड़े प्रमुख संगठनों से संपर्क किया जाता है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

जाली करेंसी नोटों की तस्करी/प्रचालन

966. श्री शंकर प्रसाद जायसवाल :
श्री होलखोमांग हौकिप :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान देश में भारी मात्रा में तस्करी के माध्यम से जाली करेंसी नोट लाये गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन नोटों के प्रचालन और इनकी तस्करी हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

शोलापुर स्थित ऐतिहासिक संग्रहालय

967. श्री सुशील कुमार शिन्दे :
श्री रामदास आठवले :

क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शोलापुर (महाराष्ट्र) में एक ऐतिहासिक संग्रहालय स्थापित करने का कोई विचार है;

(ख) क्या महाराष्ट्र सरकार ने संग्रहालय की स्थापना हेतु भूमि उपलब्ध कराने की पेशकश की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को शोलापुर में संग्रहालय स्थापित करने के लिए जिला प्रशासन से अनुरोध प्राप्त हुआ था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने निर्णय लिया कि वह केवल अपने पुरावशेषों को राज्य सरकार को उधारस्वरूप प्रदान करने पर विचार कर सकती है बशर्ते राज्य सरकार अपने ही संसाधनों से एक संग्रहालय संचालित करने के लिए एक भवन अभिज्ञात कर ले।

आयकर अधिनियम

968. श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बकाया करों की तेजी से वसूली के लिए आयकर अधिनियम में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रत्यक्ष करों के रूप में करीब 40,000 करोड़ की वसूली बकाया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा बकाया राशि की वसूली हेतु क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० धनन्जय कुमार) : (क) और (ख) जी, नहीं। इस समय कर बकायों की वसूली में तेजी लाने

के लिए आयकर अधिनियम में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, इस संबंध में प्राप्त कतिपय सुझावों की जांच की जा रही है।

(ग) जी, हां। 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार निगम कर और आयकर की कुल बकाया शेष मांग का अस्थायी आंकड़ा 53136.58 करोड़ रु० है।

(घ) आयकर अधिनियम में कर संग्रह और वसूली की विधिक प्रक्रिया विहित है। बकाया कर की वसूली एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मांग नोटिस जारी करने के 30 दिन बाद मांग देय होने पर यह प्रक्रिया आरंभ होती है। इसके पश्चात् कर-निर्धारण अधिकारी द्वारा बैंक खातों की कुर्की, ब्याज लगाने, अर्थदण्ड लगाने आदि जैसी कार्रवाई करके स्थगित न की गई मांग के संबंध में कार्रवाई की जाती है। कठिन मामलों में, मामले को कर-वसूली अधिकारी को भेज दिया जाता है जो अधिनियम में की गई व्यवस्था के अनुसार चूककर्ता की चल और अचल संपत्तियों की कुर्की और बिक्री करने, चूककर्ता की गिरफ्तारी करने और उसे कारागार में नजरबन्द करने, चूककर्ता की चल और अचल संपत्तियों के प्रबंध के लिए रिसीवर की नियुक्ति करने आदि - विभिन्न प्रकार के अवपीड़क उपाय करता है। कर निर्धारण अधिकारी - कर-वसूली अधिकारी द्वारा की गई वसूली की कार्रवाई पर उच्च आयकर अधिकारियों द्वारा कड़ी निगरानी रखी जाती है।

दस लाख रुपये और उससे अधिक की बकाया मांग वाले डोजियर मामलों की उच्च अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से समय-समय पर निगरानी की जाती है और मांग की वसूली करने के लिए विभिन्न प्रकार के अवपीड़क उपाय करने के लिए आवश्यक अनुदेश जारी किए जाते हैं।

[हिन्दी]

खाद्यान्नों के परिवहन पर सब्सिडी

969. श्री रामदास आठवले : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के पहाड़ी क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्नों के परिवहन पर सब्सिडी देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस मद पर राज्यवार कुल कितनी सब्सिडी दी जाएगी;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार देश के सभी अनुसूचित जाति/जनजाति और पिछड़े इलाकों में उक्त निर्णय को क्रियान्वित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1998-99 और 1999-2000 के लिए पहाड़ी ढुलाई राजसहायता की राज्य-वार राशि निम्नानुसार है :-

(करोड़ रुपये में)

	1998-99 (अनंतिम)	1999-2000 (संशोधित अनुमान)
मणिपुर	1.84	2.00
मेघालय	0.14	0.15
मिजोरम	10.43	11.32
नागालैंड	2.64	2.87
त्रिपुरा	1.50	1.63
सिक्किम	1.03	1.12
लक्षद्वीप	0.21	0.23
अरुणाचल प्रदेश	11.33	12.30
हिमाचल प्रदेश	2.11	2.29
जम्मू और कश्मीर	3.12	3.39
अन्य राज्य	0.65	0.70
जोड़ :	35.00	38.00

(ग) से (ङ) सरकार की ढुलाई राजसहायता योजना केवल उन्हीं प्रमुख पहाड़ी राज्यों के लिए है जहां रेल संपर्क बहुत कम है अथवा नहीं है और जहां सड़क संपर्क भी खराब है।

[अनुवाद]

विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा किया गया निवेश

970. श्री सी० कुप्पुसामी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्व वर्ष की इसी अवधि की तुलना में चालू वर्ष के दौरान 30 जून तक पूंजी बाजार में विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा कुल कितना निवेश किया गया;

(ख) देश में गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष एफ.आई.आई. द्वारा कुल कितना निवेश किया गया और वर्षवार ऋण बाजार में इसकी खुली स्थिति क्या है; और

(ग) एफ.आई.आई. द्वारा और निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफ.आई.आई.) के अभिरक्षकों द्वारा

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास दर्ज कराई गई रिपोर्टों के अनुसार चालू वर्ष के दौरान 30 जून तक 1465 मिलियन अमरीकी डालर का निवल निवेश किया गया। वर्ष 1999 की तदनुरूपी अवधि के दौरान विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफ.आई.आई.) द्वारा किए गए निवल निवेश की राशि 898.7 मिलियन अमरीकी डालर थी।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफ. आई.आई.) द्वारा किया गया कुल निवल निवेश निम्नांकित था :-

वर्ष	राशि (मिलियन अमरीकी डालर)
1997	1746.6
1998	(−) 338.2
1999	1559.9

विदेशी संस्थागत निवेशक ऋण निधियों द्वारा किए गए निवल निवेश से संबंधित ब्यौरा एकत्र किया जा रहा है तथा इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(ग) देश में विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफ.आई.आई.) द्वारा निवेशों को प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर आधार पर अनेक नीतिगत उपाय किए जाते हैं। हाल में की गई पहलों में निम्नांकित शामिल हैं :-

(i) सेबी के पास पंजीकृत घरेलू पोर्टफोलियो प्रबंधकों तथा सेबी द्वारा अनुमोदन प्राप्त घरेलू आस्ति प्रबंध कंपनियों को उप-लेखों की ओर से निवेश करने के लिए विदेशी संस्थागत निवेशकों के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन करने की अनुमति प्रदान की गई है।

(ii) विदेशी नागरिकों तथा विदेशी कंपनी निकायों को भी विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफ.आई.आई.) के उप-लेखों के रूप में भारतीय पूंजी बाजार में निवेश करने की अनुमति दी जाती है, बशर्ते इन निकायों द्वारा किया गया निवेश कंपनी की चुकता पूंजी के 5% से अधिक न हो।

(iii) किसी कंपनी विशेष में विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफ. आई.आई.) द्वारा निवेश कंपनी की कुल चुकता पूंजी के 24% की उच्चतम सीमा के अधीन रखा गया था। कंपनियों को अब इस उच्चतम सीमा को कंपनी की कुल निर्गमित एवं चुकता पूंजी के 24% से बढ़ाकर 40% करने की अनुमति प्रदान कर दी गई है, बशर्ते इसे निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाए तथा कंपनी की आम बैठक में विशेष संकल्प पारित किया जाए।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी०डी०एस०) का कोटा

971. श्री अबुल इसनत खां : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सरकार के पास गेहूं के भारी स्टाक हैं जिनके भंडारण का खर्चा 3000 करोड़ रुपये से भी अधिक का है और इसी कारण फालतू गेहूं अथवा खाद्य तेलों अथवा आवश्यक वस्तुओं सहित विनिमय किए जाने वाले गेहूं का निर्यात किए जाने का विचार बन रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार आवश्यक वस्तुओं के निर्गम मूल्य में अत्यधिक कमी करते वक्त गेहूं के सार्वजनिक वितरण प्रणाली कोटा में वृद्धि करने पर भी विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) और (ख) जी, हां। 30.6.2000 को स्थिति के अनुसार केन्द्रीय पूल में गेहूं का निम्नलिखित स्टाक था और यदि इसका एक वर्ष की अवधि में निपटान नहीं किया जाता है तो इस पर लगभग 3000 करोड़ रुपये रखरखाव लागत आएगी :-

(आंकड़े लाख टन में)

30.6.2000 को स्थिति के अनुसार

जिन्स	भारतीय खाद्य निगम के पास	राज्य एजेंसियों के पास	कुल	पहली जुलाई को बफर मान्दंड	अधिशेष
गेहूं	113.44	164.13	277.57	143.00	134.57

(ग) से (ङ) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने पहले ही 1.4.2000 से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों का खाद्यान्न आबंटन बढ़ा दिया है। गेहूं और चावल के केन्द्रीय निर्गम मूल्य पहले ही 25 जुलाई 2000 से कम करके निम्नानुसार किए जा चुके हैं :-

(रुपये प्रति क्विंटल)

क्रम सं.	जिन्स		गरीबी रेखा से नीचे	गरीबी रेखा से ऊपर
1.	गेहूं		415	830
2.	चावल	(i) साधारण	565	
		(ii) ग्रेड 'ए'	565	1130

मार्च, 2000 और अप्रैल, 2000 के दौरान खाद्यान्नों के कुल आबंटन के बीच सूचना नीचे दी गई है :-

(आंकड़े लाख टन में)

योजना	मार्च, 2000			अप्रैल, 2000		
	चावल	गेहूं	जोड़	चावल	गेहूं	जोड़
गरीबी रेखा से नीचे	4.91	3.28	8.19	5.37	3.46	8.83
गरीबी रेखा से ऊपर	3.20	2.83	6.03	6.56	5.29	11.85
अतिरिक्त	2.35	2.34	4.69	0.11	0.01	0.12
जोड़	10.46	8.45	18.91	12.04	8.76	20.80

भारतेन्दु पुरस्कार योजना

972. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रकाशन विभाग ने राजभाषा हिन्दी में लेखन को प्रोत्साहन देने के लिए "भारतेन्दु पुरस्कार योजना" कब शुरू की थी और इसके उद्देश्य क्या हैं;

(ख) इस पुरस्कार के लिए चयन समिति के गठन के नियम क्या हैं और मौजूदा सदस्यों की अर्हताएं क्या हैं; और

(ग) इन चयन समितियों के उचित पुनर्गठन के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) पत्रकारिता और जनसंचार के विषय पर हिन्दी में भारतीय लेखकों के मौलिक लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 1983 में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र पुरस्कार प्रारंभ किए गए थे। इसमें 1992 से राष्ट्रीय एकता, महिला समस्या और बाल साहित्य पर लिखी गई पुस्तकों/पाण्डुलिपियों को भी इसमें शामिल किया गया था।

(ख) और (ग) ऊपर (क) में उल्लिखित प्रत्येक विषय के लिए एक-एक अर्थात् चार पृथक् मूल्यांकन समितियों का गठन किया गया है। प्रत्येक मूल्यांकन समिति में 5 सदस्य होते हैं जो प्रख्यात विद्वान्/हस्तियां हैं। निदेशक, प्रकाशन विभाग इन समितियों के सदस्य-सचिव हैं। प्रत्येक समिति के अध्यक्ष का चयन इन सदस्यों में से किया जाता है।

ऋण राहत

973. **मोहम्मद अनवारूल हक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा ऋण राहत के सभी दावों पर पांच प्रतिशत की मानक लागू की है;

(ख) यदि हां, तो क्या बिहार के 34 सेंट्रल बैंक तथा भूमि विकास बैंकों ने क्रमश: 20.04 करोड़ रुपए तथा 7.41 करोड़ रुपए की हानि उठाई;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार या नाबार्ड (एन ए बी ए आर डी) इसकी प्रतिपूर्ति करेंगे; और

(घ) यदि हां, तो प्रतिपूर्ति कब तक किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) सामान्य रूप में सहकारी बैंकों के दावों और विशेष रूप से कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना, 1990 के अंतर्गत बिहार में राज्य सहकारी बैंक (एस सी बी) राज्य भूमि विकास बैंक (एसएलडीबी) का अंतिम निपटारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा सरकार के उस निर्णय के आधार पर किया गया था जिसमें बैंकों के अंतिम ए आर डी आर दावों से प्रत्येक में 5% की मानक कटौती को लागू किया गया था जिसके द्वारा उनके दावों में सम्मिलित दाण्डिक ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज को अस्वीकार किया गया था। ए आर डी आर योजना, 1990 के परिचालन 31 मार्च, 1995 से बंद कर दिए गए थे।

(घ) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

दोहरे कराधान संबंधी संधि

974. **श्री निखिलानन्द सर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मारीशस के साथ अपनी दोहरे कराधान संधि के लिए जनहित में किया गया मुकदमा लड़ना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो जनहित में किए गए मुकदमे का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त मामले में सरकार द्वारा अपने बचाव में पेश किए गए तथ्यों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० धनन्जय कुमार) : (क) और (ख) श्री बी.एल. वडेहरा और आजादी बचाओ आंदोलन द्वारा माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष दो सिविल रिट याचिकाएं दायर की गई हैं। उपर्युक्त याचिकाओं में मारीशस के साथ दोहरे कराधान के परिहार के अभिसमय के संबंध में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा दिनांक 13.4.2000 को जारी परिपत्र सं. 789 को चुनौती दी गई है। यह मामला दिनांक 9.8.2000 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

(ग) सरकार माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष उचित प्रत्युत्तर देगी।

पर्यटन क्षमता का दोहन

975. **श्री ए० वेंकटेश नायक** : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपने 18 विदेशस्थ कार्यालयों के कार्यकरण की समीक्षा करने और देश की पर्यटन-क्षमता के समुचित दोहन के लिए उनका पुनर्गठन करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में पर्यटकों की आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए अन्य और कौन से कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) और (ख) विदेश स्थित भारत सरकार पर्यटक कार्यालयों के कार्य की समीक्षा प्राय: होती रहती है। इन कार्यालयों की कार्यप्रणाली का आकलन

किसी क्षेत्र विशेष से पर्यटक आगमनों की प्रवृत्ति, अर्थव्यवस्था की स्थिति तथा प्रति व्यक्ति आय, वायु संपर्कता (एयर कनैक्टिविटी) आदि के आधार पर किया जाता है।

(ग) इस संदर्भ में किए गए उपाय इस प्रकार है :-

(1) विदेश स्थित 18 पर्यटक कार्यालयों के माध्यम से विज्ञापन कार्य, जन संपर्क, यात्रा मेलों और प्रदर्शनियों में भागीदारी आदि द्वारा भारत का सक्रिय संवर्धन।

(2) सूचना तकनालाजी के अधिकाधिक प्रयोग द्वारा सक्रिय संवर्धनात्मक उपाय।

(3) विपणन प्रयासों पर बल दिया जाना।

(4) आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन का संवर्धन।

(5) भारतीय मूल के लोगों तथा अप्रवासी भारतीयों के लिए विशेष पैकेज शुरू किया जाना।

(6) संवर्धन तथा निर्णय संबंधी कार्य में निजी क्षेत्र की अधिकाधिक भागीदारी।

मालभाड़े के खर्चों की प्रतिपूर्ति

976. **श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर :** क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने पामोलीन के परिवहन हेतु सड़क माल-भाड़े के खर्चों की प्रतिपूर्ति बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार को अभ्यावेदन किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद) : (क) गुजरात सरकार से ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

पांच सितारा होटलों पर बकाया धनराशि

977. **श्री श्रीनिवास पाटील :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कई वर्षों से दिल्ली में पांच सितारा होटलों पर बहुत बड़ी धनराशि बकाया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे होटलों के नाम, बकाया धनराशि सहित क्या हैं और यह बकाया कब से हैं; और

(ग) पिछले वर्षों में इस संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है और भविष्य में क्या कार्रवाई किए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० धनन्जय कुमार) : (क) से (ग) दिल्ली में परिचालित पांच सितारा होटलों में से दो होटलों के विरुद्ध मांग लंबित है, जिनका विवरण नीचे दिया गया है :-

(i) एशियन होटल्स लि. (होटल ह्यात रिजेन्सी) के मामले में 31.3.2000 को जारी की गई कुल मांग 3.03 करोड़ रुपये है। वर्ष 1996-97 के लिए 48 लाख रु. की वापसी धनराशि को समायोजित कर दिया गया है तथा कर निर्धारण वर्ष 1999-2000 के लिए 1.64 करोड़ रुपये की वापसी धनराशि को इस मांग के विरुद्ध समायोजित किए जाने का प्रस्ताव है। कर निर्धारिती ने कर निर्धारण आदेश के विरुद्ध अपील की है। इसे बकाया मांग के 50% को अदा करने के लिए कहा गया है।

(ii) सी.एच.एल. लि. (होटल सूर्या वेस्टर्न) के मामले में कर निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए 2.69 करोड़ रु. की मूल मांग में से 1.24 करोड़ रुपये की मांग है। यह 1.10 करोड़ रुपये की वापसी, 27 लाख रुपये के भुगतान तथा बैंक खाते की कुर्की द्वारा 8.61 लाख रुपये की प्राप्ति के समायोजन के बाद है। कर निर्धारिती को 31 जुलाई, 2000 तक 35 लाख रुपये का भुगतान करने के लिए कहा गया है। इस आदेश के विरुद्ध अपील लंबित है।

डेयरी उत्पादों पर पाटनरोधी शुल्क

978. **श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ा :**
श्री उत्तमराम ढिकले :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों और डेयरी उत्पादकों ने राजसहायता प्राप्त डेयरी उत्पादों के आयात पर पाटन-रोधी शुल्क लगाने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या विकसित देशों में कुछ डेयरी उत्पादों को भारी राजसहायता प्राप्त है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन उत्पादों को इनके देशों में कितने प्रतिशत राजसहायता प्राप्त है; और

(ङ) भारत में डेयरी फार्मिंग के हितों की रक्षा हेतु सरकार द्वारा क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) इस संबंध में पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय को मैसर्स डयनामिक्स डेयरी इंडस्ट्रीज लि., नेशनल को-ओपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लि. (एन सी डी एफ आई) और नेशनल डेयरी विकास बोर्ड (एन डी डी बी) से अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। उक्त अभ्यावेदन निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण रूप से प्रलेखित नहीं किए गए थे ताकि पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य की पुष्टि की जा सके। सीमाशुल्क टैरिफ (क्षति निर्धारण हेतु पाटित वस्तुओं की

पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का निर्धारण एवं संग्रहण) नियमावली की धारा 9 क, 9 ख और 9 ग के अंतर्गत भारत में पाटनरोधी जांच की जाती है। पाटनरोधी नियमों के अनुसार, पाटनरोधी जांच की शुरूआत तब की जाती है जब घरेलू उद्योग निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास पाटन, क्षति एवं आयातित वस्तुओं के पाटन तथा घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के बारे में प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य के साथ कोई याचिका दायर करता है। एन सी डी एफ आई/एन डी डी बी और मैसर्स डायनामिक्स डेयरी इंडस्ट्रीज लि. को नियमों के अनुसार याचिकाओं को दायर करने के लिए कहा गया था। तथापि, घरेलू उद्योग ने निर्धारित प्रपत्र में कोई याचिका दायर नहीं की है और न ही उसने आज की तिथि तक पूरी सूचना प्रस्तुत की है ताकि निर्दिष्ट प्राधिकारी जांच की शुरूआत कर सकें।

(ग) और (घ) जी, हां। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार ई यू तथा यू एस ए द्वारा दी गई इमदाद की राशि नीचे दी गई है :-

सभी डेयरी उत्पादों पर दी गई इमदाद :

यू एस ए

माह/वर्ष 1999-2000	अमरीकी डालर/टन
जुलाई	1101
अगस्त	1062
सितम्बर	1029
अक्टूबर	1002
नवम्बर	849
दिसम्बर	865
जनवरी	992

स्रोत : डेयरी उद्योग समाचार पत्रिका।

ई यू

माह (वर्ष 2000)	एस एम पी*	डब्ल्यू एम पी**
जनवरी	760	1090
अप्रैल	650	930
मई	615	850
जून	585	830

स्रोत : डेयरी उद्योग समाचार पत्रिका।

*स्किम्ड मिल्क पाउडर **होल मिल्क पाउडर

(ङ) स्किम्ड मिल्क पाउडर तथा होल मिल्क पाउडर से संबंधित दो टैरिफ लाइनों के संबंध में सरकार द्वारा 15% पर 10,000 टन की संयुक्त टैरिफ दर कोटा के प्रावधान के साथ निर्धारित दरों को शून्य से बढ़ाकर 60% कर दिया गया है। निर्धारित दर अब लागू कर दी गई हैं और इन दोनों टैरिफ लाइनों के लिए लागू दर को इस प्रावधान के साथ 60% तक बढ़ा दिया गया है जिसके तहत 15% शुल्क के साथ एक टैरिफ दर कोटा के रूप में वार्षिक रूप से केवल 10,000 टन के आयात की ही अनुमति दी जाएगी।

[हिन्दी]

'भेल' द्वारा प्राप्त निर्यात आदेश

979. **डा० बलिराम :**
श्री तूफानी सरोज :

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड (भेल) को गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितना निर्यात आदेश प्राप्त हुआ;

(ख) चालू वर्ष के दौरान कितना निर्यात आदेश प्राप्त होने की संभावना है;

(ग) क्या भेल को ईराक से निर्यात आदेश प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस संबंध में अनुमति दे दी है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) भेल द्वारा निर्यात को बढ़ाने हेतु किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वल्लभभाई कथीरिया) : (क) बीएचईएल ने गत तीन वर्षों के दौरान वास्तविक निर्यात आदेश जिनके मूल्य नीचे दिए गए हैं, प्राप्त किए :

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	ऑर्डर वेल्यू
1997-98	91
1998-99	250
1999-2000	703

(ख) बीएचईएल ने वर्ष 2000-01 के दौरान 572 करोड़ रुपये मूल्य के निर्यात के आदेश पहले ही प्राप्त कर लिये हैं तथा और ज्यादा आदेश प्राप्त हों इसके लिए प्रयास जारी हैं।

(ग) से (च) जी, हां। 870 करोड़ रुपये मूल्य के इराक से दो आदेश जिसमें इलेक्ट्रो मैकेनिकल प्लांट एक्सेसरीज प्रत्येक को 2 × 159 मेगावाट (आईएसओ रेटिंग) गैस टरबाइन, जैनरेटिंग यूनिटों की आपूर्ति करना शामिल है, प्राप्त किए हैं। ये आदेश यूनाइटेड नेशन्स "खाद्य कार्यक्रम के लिए तेल" के अंतर्गत प्राप्त हुए हैं।

430 करोड़ रुपये मूल्य के पहले आदेश को यूनाइटेड नेशन्स ने अनुमोदित कर दिया है। दूसरे आदेश की स्वीकृति के लिए अनुरोध अभी यूनाइटेड नेशन्स के विचाराधीन है।

(छ) बीएचईएल अपने उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ाकर साइकिल टाइम को कम करके परियोजना, निर्यात के लिए मौजूदा विपणन में अपने आधार को सुदृढ़ करके और चुने हुए उत्पादों तथा उपस्करों पर विशेष ध्यान देकर अपने निर्यात को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है।

[अनुवाद]

नया विनिवेश आयोग

980. श्री बी.के. पार्थसारथी : क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक नया विनिवेश आयोग गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो उक्त आयोग कब तक गठित किया जाएगा; और

(ग) प्रस्तावित आयोग के कार्यकरण के नये नियम और शर्तें क्या होंगी?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) से (ग) एक नये विनिवेश आयोग के गठन का प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है।

औद्योगिक लाइसेंसों से छूट

981. श्रीमती रेणुका चौधरी :
श्री सुशील कुमार शिंदे :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह निर्णय किया है कि यदि निर्यातोन्मुखी इकाइयां (ई ओ यू) और निर्यात संवर्धन जोन (ई पी जेड) लघु उद्योगों के लिए आरक्षित मदों का उत्पादन करते हैं तो उन्हें औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता से छूट प्रदान कर देगी;

(ख) यदि हां, तो क्या लघु उद्योगों अथवा उनकी किसी परिसंघ से इसके विरुद्ध अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) देश में स्थापित किए गए/स्थापित किए जा रहे हैं निर्यात संवर्धन जोनों की संख्या कितनी है तथा उनका स्थानवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसे जोनों में इन इकाइयों के लिए पात्रता और कार्यसंचालन की शर्तें क्या हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रमण) : (क) से (ग) मौजूदा नीति के अनुसार लघु क्षेत्र में विनिर्माण हेतु आरक्षित मदों के विनिर्माण की दृष्टि से स्थापित किए जाने वाले मझौले अथवा बड़े निर्यातोन्मुखी/निर्यात संवर्धन क्षेत्र एककों को औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा लाइसेंस न्यूनतम 50 प्रतिशत उत्पादन निर्यात करने के दायित्व की शर्त के तहत प्रदान किया जाता है। किंतु, सभी निर्यातोन्मुखी/निर्यात संवर्धन क्षेत्र एकक अपने उत्पादन के 66 प्रतिशत के निर्यात-दायित्व से बंधे होते हैं।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, तथा निर्यातोन्मुखी/निर्यात संवर्धन क्षेत्र एककों को अत्यधिक प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं से मुक्त करने की दृष्टि से, लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों के विनिर्माण के लिए निर्यातोन्मुखी/निर्यात संवर्धन क्षेत्र एककों को औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता से मुक्त करने का प्रस्ताव है। उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम 1951 के तहत अधिसूचना जारी हो जाने पर उक्त छूट लागू हो जाएगी।

(घ) सरकार द्वारा देश में कांदला (गुजरात), सांताक्रुज, मुंबई (महाराष्ट्र), नोएडा (उत्तर प्रदेश), चेन्नई (तमिलनाडु), कोचीन (केरल), फाल्टा (पश्चिम बंगाल) और विशाखापट्टनम् (आंध्र प्रदेश) में सात निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। केन्द्र सरकार का किसी निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र को स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है। तथापि राज्य सरकारों द्वारा सार्वजनिक, निजी अथवा संयुक्त क्षेत्र में निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र स्थापित किए जा सकते हैं।

केन्द्र सरकार द्वारा निजी/संयुक्त क्षेत्र में निम्नलिखित पांच निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों को अनुमोदित किया गया है :-

	प्रवर्तक का नाम	स्थान
1.	डायमंड एंड जैम डेवलपमेंट कार्पोरेशन, मुंबई	सूरत (गुजरात)
2.	मै. के फोम लि., मुंबई	कांडिवेली (पूर्वी), मुंबई (महाराष्ट्र)
3.	मै. कोलोनेक इंटरनेशनल लिमिटेड, चेन्नई	सिंगिदिवाक्कम गांव, कांचीपुरम तालुक (तमिलनाडु)
4.	मै. टी आई डी सी ओ लि., चेन्नई	नांगुनेरी, तिरुनेलवेली जिला (तमिलनाडु)
5.	उत्तर प्रदेश सरकार	ग्रेटर नोएडा जिला (गौतमबुद्ध नगर), उत्तर प्रदेश

(ङ) निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों की पात्रता और प्रचालन की शर्तें निर्यात और अयात नीति के अध्याय 9 तथा प्रक्रिया नियम पुस्तिका (खंड-1) के अध्याय 9 में दिए गए हैं।

यात्री निवास की स्थापना

982. डा० गिरिजा व्यास : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2000-2001 के दौरान देश के विभिन्न भागों में यात्री निवासों की स्थापना की योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस उद्देश्य हेतु राज्य-वार आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) से (ग) देश में यात्री निवासों की स्थापना के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता मुहैया कराने हेतु सरकार की एक योजना है। ऐसी परियोजनाओं को राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ विचार-विमर्श करके प्रति वर्ष अभिनिर्धारित और प्राथमिकता प्रदान की जाती है। पर्यटन मंत्रालय द्वारा वर्ष 1999-2000 के दौरान यात्री निवासों की बत्तीस परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया था और इन परियोजनाओं के लिए 294.79 लाख रु. की राशि स्वीकृत की गई थी। वर्ष 2000-2001 के दौरान देश में यात्री निवासों की स्थापना से संबंधित परियोजनाओं को राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ विचार-विमर्श करके अभिनिर्धारित किया जा रहा है।

मुकदमेबाजी में फंसी बैंक राशि

983. श्री प्रभात सामन्तराय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों और सरकारी स्वामित्व वाली वित्तीय संस्थाओं के बीच मुकदमेबाजी में बहुत बड़ी राशि फंसी हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इस राशि को निकालने और राष्ट्रीय राजकोष में शामिल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) राष्ट्रीयकृत बैंकों और सरकारी स्वामित्व वाली वित्तीय संस्थाओं के बीच विवाद में अंतर्ग्रस्त राशि, यदि कोई हो, तो उसका विवरण सरकार नहीं रखती है। भारत के उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में सरकार ने इस उद्देश्य के लिए मार्गनिर्देश जारी किए हैं कि सरकारी विभागों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों आदि के बीच विवादों की जांच एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति द्वारा की जाएगी जिससे कि बेकार की मुकदमेबाजी को रोका जा सके। बाद में उत्पन्न विवाद की जांच समिति द्वारा की गई है।

गोआ हवाई अड्डे पर तस्करी

984. श्री सुबोध मोहिते : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ में पिछले कुछ वर्षों से तस्करी की गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं और इसका हवाई अड्डा तस्करों का अड्डा बनता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान डी.आर.आई. द्वारा कितनी मात्रा में निषिद्ध पदार्थ पकड़ा गया और जब्त किया गया; और

(ग) सरकार द्वारा गोआ हवाई अड्डे पर तस्करी की गतिविधियों से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० धनञ्जय कुमार) : (क) ऐसी कोई आसूचना रिपोर्टें नहीं मिली हैं जिनसे यह पता चलता हो कि गोआ में तस्करी की गतिविधियां बढ़ रही हैं।

(ख) गत तीन वर्षों, अर्थात् वर्ष 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 (आज तक) के दौरान, राजस्व आसूचना निदेशालय ने कुल मिलाकर तस्करी के 20 मामले दर्ज किए हैं जिनमें गोआ एयरपोर्ट, अनअकम्पनिड बैगेज सेन्टर और कंटेनर यार्ड, गोआ में 3.50 करोड़ रुपए मूल्य के निषिद्ध माल की जब्ती शामिल है, माल की जब्ती के वर्ष-वार ब्यौरे इस प्रकार हैं :-

वर्ष	मामलों की संख्या	जब्त किए गए माल का मूल्य (करोड़ रुपयों में)
1998-1999	10	2.29
1999-2000	9	0.85
2000-2001	1	0.36
(आज तक) कुल :	20	3.50

(ग) गोआ आयुक्तालय और राजस्व आसूचना निदेशालय के अधिकारी सदा चौकस और सतर्क रहते हैं और गोआ विमानपत्तन पर तस्करी के किसी भी प्रयास को विफल करने के लिए लगातार निगरानी रख रहे हैं। गोआ विमानपत्तन पर चौकसी बढ़ा दी गई है।

[हिन्दी]

विश्व व्यापार संगठन की बैठक हेतु प्रारूप

985. श्री जय प्रकाश : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विश्व व्यापार संगठन के अगले दौर की वार्ताओं में होने वाली चर्चाओं के प्रस्ताव का प्रारूप तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्य सरकारों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) विश्व व्यापार संगठन में कृषि समझौता विषय पर दिल्ली में कृषि और वाणिज्य मंत्रालयों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किए गए राष्ट्रीय सेमिनार में हुई चर्चाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (घ) कृषि संबंधी डब्ल्यू टी ओ करार के अनुच्छेद 20 में किए गए प्रावधान के अनुसार वार्ताएं इस वर्ष आरंभ हो गई हैं और कृषि संबंधी डब्ल्यू टी ओ समिति के विशेष सत्र में यह निर्णय लिया गया है कि सदस्य देश दिसंबर, 2000 के अंत तक अपने प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं और कुछ ढील के साथ वे 31 मार्च, 2001 तक अतिरिक्त प्रस्ताव कर सकते हैं। भारत सरकार द्वारा कृषि करार पर वार्ताओं के लिए अपने प्रस्ताव को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

एक राष्ट्रीय सहमति कायम करने के उद्देश्य से, वाणिज्य विभाग ने विभिन्न हितधारियों एवं आम जनता से सुझाव (फीड बैक) मंगाने हेतु कृषि वार्ताओं से संबंधित एक व्यापक दृष्टिकोण पत्र अपनी बेवसाइट, जिसका पता है (डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू.कॉमइन.एन आई सी.इन), पर उपलब्ध किया है। सरकार ने सभी राज्य सरकारों, शिक्षाविदों, किसानों, संगठनों, कृषि विश्वविद्यालयों के साथ भी विचार-विमर्श शुरू किए हैं तथा चल रही वार्ताओं के बारे में उनकी निविष्टियां मांगी हैं। कृषि पर भारतीय वार्ता का दृष्टिकोण तय करते समय इन निविष्टयों पर विधिवत विचार किया जाएगा।

इस संदर्भ में, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, नई दिल्ली में दिनांक 10 जून, 2000 को "कृषि संबंधी डब्ल्यू टी ओ करार : भारत की वार्ता की कार्यसूची" विषय पर एक एकदिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया था।

उपरोक्त सेमिनार में आम अवधारणा यह बनी थी कि आज तक की स्थिति के अनुसार कृषि संबंधी डब्ल्यू टी ओ करार विकसित देशों के अत्यधिक पक्ष में तैयार किया गया है और इस करार को एक समान बनाने के लिए इसके विभिन्न प्रावधानों में भारी परिवर्तन किए जाने की मांग करना वांछनीय हो सकता है। यह भी सिफारिश की गई थी कि इन वार्ताओं में भारत को अपनी खाद्य सुरक्षा तथा आजीविका संबंधी चिंताओं पर जोर देते रहना चाहिए।

[अनुवाद]

खरीदे गए रबर के लिए बाजार

986. श्री समर चौधरी : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र से प्राप्त रबर का केन्द्रीय एजेंसियों द्वारा विपणन करके रबर-उत्पादकों को सरकारी मूल्य प्रदान कराने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) रबड़ बोर्ड ने रबड़ बोर्ड और केरल की रबड़ उत्पादक सोसाइटियों द्वारा प्रायोजित मैसर्स मनिमलायर रबर्स प्रा.लि. के जरिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में उपजकर्त्ताओं को विपणन सहायता मुहैया कराने हेतु व्यवस्था की है। यह कंपनी उपजकर्त्ताओं से अति लाभकारी कीमत पर रबड़ खरीदती है और नियमित बाजार ढूंढने में उनकी सहायता करती है।

पश्चिम बंगाल में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश

987. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में कितने और कौन-कौन से सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश का निर्णय लिया गया है;

(ख) सरकार ने यह निर्णय किन कारणों से लिया है;

(ग) क्या सरकार ने उनके पुनरुद्धार का प्रयास किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, में राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

बिहार के लोगों को आवास ऋण

988. श्री राजो सिंह : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार में विशेषकर शेखपुरा, लखीसराय, जामुई और बेगुसराय जिलों के विभिन्न बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा कुल कितना आवास ऋण प्रदान किया गया; और

(ख) ऐसे ऋण प्रदान करने के लिए निबंधन और शर्तें क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) बैंक आफ इंडिया, बिहार राज्य के लिए राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) के संयोजक बैंक ने सूचित किया है कि समग्र रूप से बिहार में और विशेष रूप से शेखपुरा, लखीसराय, जमुई और बेगुसराय जिलों में पिछले तीन वर्षों के दौरान बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रदान किए गए कुल आवास ऋण नीचे दिए गए हैं :-

(राशि लाख रुपए में)

वर्ष	राज्य का नाम	जिला का नाम			
	बिहार	शेखपुरा	लखीसराय	जमुई	बेगुसराय
1997-98	0375	—	43	—	18
1998-99	0510	—	21	—	18
1999-2000	1731	—	25	—	46

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी मार्गनिर्देशों के अनुसार बैंकों द्वारा आवास ऋण की शर्तें निर्धारित की जाती हैं। तथापि, बैंक ऑफ इंडिया, जो बिहार राज्य के राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति का संयोजक बैंक है, निम्नानुसार आवास ऋण की सामान्य शर्तों की जानकारी दी है :-

अधिकतम राशि	:	10 लाख रु. (प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत), आवास के अंतर्गत अधिकतम सीमा 50 लाख रु.
मार्जिन राशि	:	परियोजना लागत का 20 प्रतिशत।
ब्याज दर	:	2 लाख रु. तक प्राथमिक उधार दर पर, 2 लाख रु. से अधिक : प्राथमिक उधार दर 1 से 2%
वापसी अदायगी अवधि	:	उधारकर्ता की वापसी अदायगी क्षमता पर निर्भर करते हुए अधिकतम 20 वर्ष।
प्रतिभूत	:	आवास/फ्लैट की गिरवी।

सीमेंट उद्योग में मंदी का दौर

989. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों से देश के सीमेंट उद्योग में मंदी का दौर चल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा सीमेंट उद्योग का विकास तेज करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रमण) : (क) जी, नहीं। विगत तीन वर्षों के दौरान सीमेंट का उत्पादन तथा उसकी अभिवृद्धि दर इस प्रकार है :-

(मिलियन टन में)

वर्ष	उत्पादन	अभिवृद्धि दर (%)
1997-98	83.16	9.11
1998-99	87.91	5.7
1999-2000	100.45	15

(ख) सरकार ने पिछले बजट में आवास तथा अवसंरचना क्षेत्रों के लिए विभिन्न प्रोत्साहन प्रदान किए हैं जिनके परिणामत: सीमेंट उद्योग में वृद्धि हुई है। इन उपायों से सीमेंट की मांग में और सुधार होने की आशा है।

"बेकल" पर्यटन

990. श्री टी० गोविन्दन : क्या **पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को केरल सरकार के अंतर्गत "बेकल" पर्यटन विकास निगम की "बेकल" पर्यटन नामक एक विस्तृत पर्यटन परियोजना के लिए वित्तीय सहायता दिए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) और (ख) पर्यटक स्थलों को विकसित करने का कार्य मुख्यत: संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा किया जाता है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय इन राज्यों/संघ राज्यों के परामर्श से अभिनिर्धारित विशिष्ट परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है।

पर्यटन मंत्रालय ने केरल राज्य सरकार के परामर्श से वर्ष 1991-92 के दौरान बेकल के समेकित विकास के लिए 190.00 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की थी।

[हिन्दी]

राजस्थान में पर्यटन और संस्कृति का विकास

991. प्रो० रासा सिंह रावत : क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राजस्थान में पर्यटन और संस्कृति के विकास हेतु कितनी धनराशि प्रदान की गई है;

(ख) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि प्रदान की गई है और कितना कार्य पूरा किया गया है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को पर्यटन के विकास हेतु राजस्थान सरकार से कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है; और

(ङ) राजस्थान में पर्यटन के विकास हेतु अनुदान प्राप्त करने वाली संस्थाओं/केन्द्रों का ब्यौरा क्या है और किस शीर्ष के तहत ये अनुदान उन्हें दिए गए हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) से (ङ) पर्यटन का विकास मुख्यतया राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। तथापि, पर्यटन विभाग राज्य/संघ राज्यों को उनके परामर्श से प्राथमिकता प्रदत्त परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान, स्मारकों के सौंदर्यीकरण सहित पर्यटन परियोजनाओं के लिए राजस्थान को प्रदान की गई वित्तीय सहायता के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :-

वर्ष	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि (लाख रुपयों में)
1997-2000	49	712.03

नौवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान, होटल प्रबंध एवं केटरिंग तकनालाजी संस्थान, जयपुर को लगभग 39.45 लाख रुपयों का अनुदान दिया गया है।

वर्ष 1999-2000 के दौरान, जोधपुर तथा अजमेर स्थित भोजनकला संस्थानों को उपकरणों आदि के लिए प्रत्येक को 30 लाख रुपयों का एकमुश्त पूंजीगत अनुदान भी स्वीकृत किया गया।

[अनुवाद]

बिना भुगतान के चैकों को लौटाए जाने के मामले

992. श्री जी०एम० बनातवाला : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में बिना भुगतान के चेक लौटाए जाने के बैंक-वार कितने मामले हुए और इनमें कितनी धनराशि शामिल थी:

(ख) क्या बड़ी संख्या में बिना भुगतान के चेक वापस किए जाने की घटनाओं से निपटने के लिए परक्राम्य लिखित अधिनियम को मजबूत किए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) चेक के नकारे जाने की घटना तब घटित होती है जब संबंधित बैंक जमा खाते में शेष राशि उस राशि की पूर्ति के लिए जिसके लिए चेक लिखा गया है, पर्याप्त नहीं होता। इन मामलों में विवाद चेक काटने वाले तथा चेक आदाता के बीच होता है। बैंक चेकों का अदाकर्ता होता है तथा विवाद का पार्टी नहीं होता है। इसके अलावा देश में जब कभी व्यथित हिस्सेदारों द्वारा उन मामलों को दर्ज किया जाता है, तो इन मामलों से निबटने के लिए शक्ति प्रदत्त न्यायालयों की बड़ी संख्या को ध्यान में रखते हुए, चेक के नकारे जाने के मामलों की वर्ष-वार तथा बैंक-वार संख्या से संबंधित सूचना प्राप्त कराना व्यवहाय नहीं समझा गया है।

(ख) और (ग) अधिनियम की धारा 138, जो आपराधिक घटक से संबंधित है और जिसमें उसके लिए जुर्माना निर्धारित किया गया है, को संशोधित करने का फिलहाल कोई विशेष प्रस्ताव नहीं है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा निर्यात

993. श्री सुल्तान सल्लाउद्दीन ओवेसी : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा वर्ष में औसतन कितने मूल्य का निर्यात किया जाता है; और

(ख) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए वर्ष में औसतन कितने मूल्य का निर्यात करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वल्लभभाई कथीरिया) : (क) 31.3.1999 तक की जानकारी उपलब्ध है, जिसके अनुसार निर्यात से आय का विवरण 10.3.2000 को लोक सभा में प्रस्तुत लोक उद्यम सर्वेक्षण 1998-1999 के खंड-1 की तालिका 1.21 में दिया गया है।

(ख) विभिन्न मंत्रालयों के नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उपक्रम द्वारा वर्ष प्रति वर्ष विभिन्न विदेशी बाजारों में मांग के संबंध में निर्यात की संभावना सुनिश्चित की जाती है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए संपूर्ण रूप से औसत वार्षिक लक्ष्यों का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

[हिन्दी]

भंडारण क्षमता

994. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : क्या **उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी मात्रा में खरीदा गया गेहूं और चावल पर्याप्त भंडारण के अभाव में खुले में पड़ा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अगली रबी की फसल की खरीद के समय गेहूं और चावल के भंडारण के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) भारतीय खाद्य निगम के पास पर्याप्त भंडारण क्षमता है। भारतीय खाद्य निगम की भंडारण क्षमता में वृद्धि अथवा कमी वसूली/उपभोक्ता राज्यों में खाद्यान्नों की वसूली और उठान प्रवृत्ति के आधार पर अनिश्चित होती है। भारतीय खाद्य निगम नियमित रूप से मानीटरिंग करता है और अतिरिक्त स्थान किराये पर लेने अथवा अधिशेष स्थान को खाली करने के संबंध में तद्नुसार निर्णय लेता है।

[अनुवाद]

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सोने की बिक्री

995. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक में निकट भविष्य में अपने भंडार में 4000 करोड़ रुपये मूल्य का सोना बेचने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार को किन परिस्थितियों से वशीभूत होकर यह निर्णय लेना पड़ा; और

(ग) सोने को बेचने से होने वाली आय का किस तरह उपयोग किया जाएगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

फतेहबुर्ज (राजगढ़) राजस्थान में कम शक्ति वाला ट्रांसमीटर

996. डा. जसवंत सिंह यादव : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि फतेहबुर्ज, (राजगढ़) राजस्थान में स्थित दूरदर्शन के कम शक्ति के प्रसारण केन्द्र में हमेशा गड़बड़ी रहती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इसकी स्थापना के बाद इसकी मशीन के लिए कोई प्रशिक्षित कर्मचारी नहीं हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा उक्त केन्द्र के प्रसारण में सुधार लाने और केन्द्र हेतु मशीन प्रशिक्षित कर्मचारी नियुक्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) से (ङ) राजगढ़ (फतेहपुर बुर्ज) स्थित दूरदर्शन का ट्रांसमीटर एक स्वचालित, अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर है न कि अल्प शक्ति ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर के सामान्यत: सन्तोषजनक ढंग से कार्य करने की सूचना मिली है। जब भी उपकरण में खराबी का पता लगता है तो इसे मथुरा स्थित दूरदर्शन के तकनीकी रूप से प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा मुस्तैदी के साथ ठीक किया जाता है।

[अनुवाद]

सिक्किम के लिए जारी खाद्यान्न की मात्रा

997. श्री सुरेश चन्देल : क्या **उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिक्किम में गरीबी रेखा (बी.पी.एल.) से नीचे और गरीबी रेखा से ऊपर (ए.पी.एल.) रहने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान सिक्किम राज्य को जन वितरण प्रणाली से राज्य सहायता पर चावल, गेहूं और मिट्टी के तेल की कुल कितनी मात्रा जारी की गई और मद-वार उनकी दर क्या है;

(ग) क्या सी.बी.आई. ने इन मदों को खुले बाजार में बेचने हेतु सिक्किम और सिलीगुड़ी में नियुक्त भारतीय खाद्य निगम के कुछ अधिकारियों के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) योजना आयोग के अनुमानों के अनुसार सिक्किम में 1995 की आबादी के आधार पर 0.34 लाख परिवार गरीबी रेखा से नीचे और 0.48 लाख परिवार गरीबी रेखा के ऊपर के हैं। वर्तमान में सिक्किम सरकार द्वारा राज्य में गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों की सही संख्या का पता लगाने के लिए एक आर्थिक सर्वेक्षण किया जा रहा है।

(ख) 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन सिक्किम राज्य को जारी किए गए राजसहायता प्राप्त चावल, गेहूं और मिट्टी के तेल की वर्षवार कुल मात्रा निम्नानुसार है :-

वर्ष	आबंटन		
	चावल (हजार टन में)	गेहूं (हजार टन में)	मिट्टी का तेल (टन में)
1997-98	77.380	5.680	7794
1998-99	87.720	10.680	7885
1999-2000	87.720	2.090	7895

25.7.2000 के प्रभावी खाद्यान्नों के केन्द्रीय निर्गम मूल्य निम्न प्रकार से हैं :-

चावल	गरीबी रेखा से ऊपर के लिए	ग्रेड 'ए'	1130/- रुपये प्रति क्विंटल
	गरीबी रेखा से नीचे के लिए	साधारण/ ग्रेड 'ए'	565/- रुपये प्रति क्विंटल
गेहूं	गरीबी रेखा से ऊपर के लिए		830/- रुपये प्रति क्विंटल
	गरीबी रेखा से नीचे के लिए		415/- रुपये प्रति क्विंटल

22-23 मार्च, 2000 की मध्यरात्री से प्रभावी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन मिट्टी के तेल का भंडारण स्थल पर मूल्य 4.50 रुपये प्रति लीटर है।

(ग) और (घ) जी, हां। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने सिक्किम और सिलीगुड़ी में तैनात भारतीय खाद्य निगम के पांच अधिकारियों के विरुद्ध मामला संख्या आर.सी. 23(ए)/98-कल, दर्ज किया है। भारतीय खाद्य निगम से प्राप्त सूचना के अनुसार कुछ निजी पार्टियां और सरकारी कर्मचारी भी इसमें शामिल थे।

भारत-चीन व्यापार संबंध

998. श्री एस०डी०एन०आर० चडियार : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारत-चीन व्यापार संबंधों को बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है;

(ख) यदि हां, तो वे क्षेत्र कौन से हैं जिनमें भारत-चीन व्यापार संबंध स्थापित किए गए हैं; और

(ग) आगामी वर्षों में भारत-चीन व्यापार विस्तार के लिए विचाराधीन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) भारत सरकार भारत-चीन व्यापार संबंधों को बढ़ाने और उनमें सुधार लाने के लिए निरंतर कदम उठा रही है। इस दिशा में डब्ल्यूटीओ में चीन को शामिल करने संबंधी द्विपक्षीय करार; फेरस धातुकर्मीय संबंधी एक समझौता ज्ञापन और आर्थिक संबंध और व्यापार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी भारत-चीन संयुक्त दल के छठे सत्र के सहमत कार्यवृत्त पर बीजिंग में फरवरी, 2000 में हस्ताक्षर किए गए थे। सहमत कार्यवृत्त के अनुसार जिन क्षेत्रों के बारे में चर्चा की गई थी उनमें शामिल थे—ई-कामर्स का महत्व, व्यापारी समुदायों के बीच दौरों का आदान-प्रदान, व्यापार प्रतिनिधि कार्यालयों की स्थापना करना, प्रदर्शनी व्यापार मेलों का आयोजन, व्यापार बीजा की मंजूरी, बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में सहयोग को सुदृढ़ करना, औषधि, भेषज, के क्षेत्र में सहयोग करना इत्यादि।

लघु निवेशकों की समस्याएं

999. श्री अनंत गंगाराम गीते :
श्री किरीट सोमैया :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय आर.बी.आई., सेबी, डी.सी.बी.सी.एल. बी. के साथ लघु निवेशकों की शिकायतों की निपटान प्रक्रिया को सरलीकृत बनाने की योजना बना रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नियामक निकायों के बहुतायत के कारण लघु निवेशकों को समस्याएं हो रही हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसी नियामक एजेंसियों का ब्यौरा क्या है जिनसे लघु निवेशक अपनी समस्याओं के निपटान के लिए संपर्क कर सकते हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ङ) तीन विनियामक अभिकरण, भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.), कंपनी कार्य विभाग (डी.सी.ए.) तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) निम्न क्षेत्रों के संबंध में कार्य करती हैं। भारतीय रिजर्व बैंक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एन.बी.एफ.सी.) द्वारा की गई जमाराशियों को विनियमित करता है जबकि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से भिन्न कंपनियों द्वारा जमा राशियों का संग्रहण कंपनी कार्य विभाग के क्षेत्राधिकार में है। सेबी प्रतिभूति बाजार का विनयामक है।

सरकार का प्रयास निवेशकों की शिकायतों को दूर करने की प्रक्रियाओं को सरल व सुप्रवाही बनाना है। इस सन्दर्भ में सरकार निरंतर संबंधित अधिनियमों, नियमों तथा विनियमों की समीक्षा करती रहती है।

अन्य एशियाई देशों के साथ आर्थिक सहयोग

1000. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या **वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में भारत तथा अन्य एशियाई देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्धारित लक्ष्यों तथा उपलब्धियों का देश-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वर्ष तथा नौवीं योजना अवधि के दौरान भारत तथा अन्य एशियाई देशों के बीच आर्थिक सहयोग सुदृढ़ करने हेतु तैयार की गई/प्रस्तावित नई नीति, प्रशासनिक पहल तथा इसको अंतिम रूप देने के लिए तैयार की गई कार्य योजना का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) जी, हां। सरकार ने भारत और अन्य एशियाई देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग की समय-समय पर समीक्षा की है। पिछले तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित देशों के साथ द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग की समीक्षा करने के लिए बैठकें आयोजित की गई थीं :-

1. फरवरी, 1999 में आयोजित भारत-जापान वार्ताओं का 14वां दौर।
2. आर्थिक संबंध तथा व्यापार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी भारत-चीन संयुक्त आर्थिक दल की छठी बैठक 21-22 फरवरी, 2000 को बीजिंग में आयोजित की गई थी।
3. भारत-कोरिया व्यापार मंत्रियों (संयुक्त व्यापार समिति) की तीसरी बैठक 9 मई, 2000 को आयोजित की गई थी।
4. भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय व्यापारिक और आर्थिक संबंधों से संबंधित मामलों की समीक्षा वाणिज्य सचिव के स्तर पर 10-12 दिसंबर, 1999 को नई दिल्ली में की गई थी।
5. 10-12 मई, 2000 को व्यापार समीक्षा हेतु भारत और बंगलादेश के वाणिज्य सचिव की नई दिल्ली में बैठक हुई थी।
6. 26.2.97 को नई दिल्ली में आस्ट्रेलिया के साथ संयुक्त आयोग की बैठक हुई थी।
7. आस्ट्रेलिया के साथ संयुक्त मंत्रिस्तरीय आयोग की बैठक 12.4.2000 को कैनबरा, आस्ट्रेलिया में हुई थी।
8. न्यूजीलैंड के साथ संयुक्त व्यापार समिति की बैठक 28.8.97 को बिलिंग्टन, न्यूजीलैंड में हुई थी।
9. न्यूजीलैंड के साथ संयुक्त व्यापार समिति की बैठक 14.4.2000 को बिलिंग्टन, न्यूजीलैंड में हुई थी।
10. थाइलैंड के साथ संयुक्त व्यापार समिति की बैठक 21 और 22 सितंबर, 1999 को बैंकाक में हुई थी।

11. 27 और 28 जनवरी, 1997 को मनीला में भारत फिलीपीन संयुक्त कार्यदल की बैठक हुई थी।

12. 20 और 21 जनवरी, 1998 को मनीला, फिलीपीन में भारत-फिलीपीन संयुक्त कार्यदल की बैठक हुई थी।

13. 10.4.2000 को सिडनी, आस्ट्रेलिया में ऊर्जा एवं खनिज संबंधी संयुक्त कार्यदल की बैठक हुई थी।

14. भारत-अल्जीरिया संयुक्त समिति की 7वीं बैठक 24 से 26 जून, 2000 को अल्जीर्यस में हुई थी।

15. भारत-इजराइल संयुक्त समिति की दूसरी बैठक 27 अक्तूबर, 1998 को नई दिल्ली में हुई थी।

16. भारत-सीरिया संयुक्त समिति की चौथी बैठक 25-26 जुलाई, 2000 को नई दिल्ली में हुई थी।

17. भारत-ओमान संयुक्त आयोग की तीसरी बैठक 27-28 अप्रैल, 2000 को नई दिल्ली में हुई थी।

18. भारत-यमन संयुक्त समिति की तीसरी बैठक 18-20 जुलाई, 1999 को नई दिल्ली में हुई थी।

19. भारत-मिस्र संयुक्त आयोग की तीसरी बैठक 8-9 अप्रैल, 2000 को नई दिल्ली में हुई थी।

20. भारत-सूडान संयुक्त आयोग की 7वीं बैठक 8-9 अप्रैल, 2000 को खार्तूम में हुई थी।

21. भारत-ट्यूनीशिया संयुक्त आयोग की 9वीं बैठक 3-6 अप्रैल, 2000 को ट्यूनिश में हुई थी।

22. भारत-ईरान संयुक्त आयोग की 10वीं बैठक 22-24 फरवरी, 1999 को नई दिल्ली में हुई थी।

23. भारत-ईरान संयुक्त आयोग की 13वीं बैठक 27-28 जुलाई, 1999 को बगदाद में हुई थी।

24. भारत-बहरीन संयुक्त आयोग की तीसरी बैठक 12-13 नवंबर, 1998 को नई दिल्ली में हुई थी।

25. भारत-कतर संयुक्त समिति की तीसरी बैठक 9-11 मार्च, 1999 को नई दिल्ली में हुई थी।

एशियाई देशों के साथ द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग को बढ़ाना एक सतत/निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं जिनमें शामिल हैं—व्यापार की आवधिक समीक्षा और बाजार पहुंच में आने वाली अड़चनों को दूर करने के लिए द्विपक्षीय बैठकें आयोजित करना, अधिकारी तथा व्यापार प्रतिनिधि मंडलों को भेजना-बुलाना और व्यापार मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेना।

दूरदर्शन पर विज्ञापनों से संबंधित नियम

1001. श्री मोहम्मद इस्लाम : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन पर वाणिज्यिक विज्ञापनों को दिखाने के लिए कोई नियम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) और (ख) जी, हां। दूरदर्शन पर वाणिज्यिक विज्ञापन संबंधी संहिता की मुख्य बातें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

(क) और (ख) दूरदर्शन पर वाणिज्यिक विज्ञापन संबंधी संहिता की मुख्य बातें नीचे दी गई हैं :-

1. विज्ञापन देश के कानूनों के अनुरूप होने चाहिए और नैतिकता, शालीनता एवं लोगों की धार्मिक भावनाओं के विपरीत नहीं होने चाहिए।

2. निम्नलिखित प्रकार के विज्ञापनों की अनुमति नहीं दी जाएगी :-

   (1) जो किसी प्रजाति, जाति, रंग, पंथ तथा राष्ट्रीयता का उपहास उड़ाते हों;

   (2) जो भारत के संविधान में निहित नीति-निदेशक सिद्धांतों या अन्य प्रावधानों के विरुद्ध हों;

   (3) जो लोगों में अपराध की भावना उत्पन्न करें, जिनसे हिंसा या अव्यवस्था उत्पन्न हो अथवा कानून का उल्लंघन हो या किसी भी तरह हिंसा या अश्लीलता को महिमा-मंडित किया गया हो;

   (4) आपराधिकता को वांछनीयता के रूप में प्रस्तुत किया जाए;

   (5) विदेशों के साथ मैत्री संबंधों पर विपरीत प्रभाव पड़े;

   (6) राष्ट्रीय चिह्न अथवा संविधान के किसी हिस्से या राष्ट्रीय नेता या राज्य के प्रतिष्ठित व्यक्ति के व्यक्तित्व का अनुचित प्रयोग किया गया हो;

   (7) सिगरेट एवं तम्बाकू उत्पादों, शराब तथा अन्य मद्य पदार्थों से संबंधित हों या उन्हें प्रोत्साहित करते हों;

   (8) महिलाओं के चित्रण के मामले में, सभी नागरिकों को प्राप्त स्थिति एवं अवसर की समानता और प्रत्येक व्यक्ति की प्रतिष्ठा जैसी सांविधिक गारंटियों का उल्लंघन करते हों। विशेष रूप से महिलाओं की अपमानजनक छवि को प्रस्तुत करने वाले किसी विज्ञापन की अनुमति नहीं दी जाएगी। महिलाओं को इस तरह प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए कि उनके वश्य और अकर्मण्य गुणों पर

अधिक बल दिया जाए और उन्हें परिवार तथा समाज में अधीनस्थ, गौण भूमिका अदा करने हेतु प्रोत्साहित किया जाए। पुरुषों तथा महिलाओं के चित्रण से पारस्परिक अनादर की भावना को प्रोत्साहन न मिले। विज्ञापन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि महिलाओं का चित्रण सुरुचिपूर्ण एवं सौंदर्यपरक हो और सुरुचि तथा शालीनता के सुस्थापित मानकों के अनुसार हो।

3. किसी भी विज्ञापन में निहित संदेश को समाचार के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा।

4. ऐसे किसी विज्ञापन की अनुमति नहीं दी जाएगी जिसके उद्देश्य पूर्ण रूप से या मुख्य रूप से धार्मिक या राजनीतिक प्रति के हों; विज्ञापनों का कोई धार्मिक या राजनीतिक प्रयोजन नहीं होना चाहिए अथवा ये किसी औद्योगिक विवाद से संबंधित नहीं होने चाहिए।

5. विज्ञापित वस्तुओं में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में उल्लेखानुसार कोई दोष या कमी नहीं होनी चाहिए।

6. ऐसा कोई विज्ञापन स्वीकार नहीं किया जाएगा जिससे बच्चों की सुरक्षा खतरे में पड़ती हो; अथवा उनमें हानिकारक कार्यकलापों के प्रति रुचि पैदा होती हो या उन्हें भीख मांगते हुए अथवा अपमानजनक या अशोभनीय रूप से दिखाया जाए।

7. किसी भी विज्ञापन में ऐसे संदर्भ नहीं होने चाहिए जिनसे आम जनता द्वारा यह निष्कर्ष निकाला जाए कि विज्ञापित उत्पाद या उसके किन्हीं अवयवों में ऐसे कुछ विशेष या चमत्कारी अथवा अलौकिक गुण हैं जिन्हें सिद्ध करना कठिन हो जैसे कि गंजेपन का इलाज, स्किन वाइट्नर आदि।

8. विज्ञापन की पिक्चर और श्रव्य सामग्री अधिक तीव्र नहीं होनी चाहिए।

9. ऐसे किसी विज्ञापन को स्वीकार नहीं किया जाएगा जो आकाशवाणी तथा टेलीविजन प्रसारण संहिता का उल्लंघन करता हो जिसे नीचे उद्धृत किया जाता है :-

(1) मित्र देशों की आलोचना;

(2) धर्मों या संप्रदायों पर आक्षेप;

(3) कोई भी अश्लील या अपमानजनक बात;

(4) हिंसा को प्रेरित करने वाली या कानून एवं व्यवस्था के प्रतिकूल कोई बात;

(5) न्यायालय की अवमानना;

(6) राष्ट्रपति तथा न्यायपालिका की सत्यनिष्ठा की निंदा;

(7) देश की अखंडता को प्रभावित करने वाली कोई बात; और

(8) नाम से किसी व्यक्ति की आलोचना।

10. सभी विज्ञापनों में अशोभनीय, अश्लील, अभिव्यंजक, घृणास्पद या आपत्तिजनक विषयों अथवा निरूपण का समावेश नहीं होना चाहिए।

आई.आई.एफ.टी. की शाखाओं का खोला जाना

1002. **श्री ए० ब्रह्मनैया** : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में हैदराबाद में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आई.आई.एफ.टी.) की कोई शाखा खोलने हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार के साथ इस मामले की चर्चा करने हेतु कोई कदम उठाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

पत्रकार वेतन बोर्ड

1003. **श्रीमती प्रेनीत कौर** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पत्रकार वेतन बोर्ड की सिफारिशों को अधिसूचित करने का है;

(ख) अनुबंधित पत्रकारिता के नये परिदृश्य जो देश को अग्रणी प्रकाशकों द्वारा प्रारंभ की गई है, का सामना करने के लिए तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) विभिन्न प्रकाशकों द्वारा पत्रकार वेतन बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) से (ग) समाचार-पत्रों तथा समाचार एजेंसियों के कार्यरत पत्रकारों एवं गैर-पत्रकार कर्मचारियों के लिए वेतन की दरें निर्धारित और संशोधित करने के लिए 2.9.94 को गठित मणिसाना वेतन बोर्ड ने 25 जुलाई, 2000 को अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। सरकार को इन सिफारिशों पर अंतिम निर्णय लेने तथा इन्हें लागू करने के लिए अधिसूचित करने से पहले इनकी जांच करनी है। सिफारिशों को लागू करना राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारों की जिम्मेदारी है।

दिल्ली में पैकेटबंद आटे की बिक्री

1004. **श्री चन्द्रनाथ सिंह** : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में बिक्री किए जा रहे पैकटबंद आटे में आटा मिलों द्वारा उत्पादन लागत को कम करने और अधिक मुनाफा कमाने के लिए अन्य सामग्री अर्थात् चावल की मिलावट की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली के बाजार और उपभोक्ता सहकारी समितियों से पैकटबंद आटे के कितने नमूने लिए गए और उनकी नमूनावार क्लिनिकल विश्लेषण रिपोर्ट क्या है;

(ग) उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/करने का विचार है; और

(घ) उपभोक्ताओं के हितों का समुचित रूप से संरक्षण करने के लिए दूसरे और क्या उपाय किए गए हैं और पिछले तीन वर्षों के दौरान उपभोक्ताओं के हितों के प्रतिकूल कितने मामले प्रकाश में आए हैं?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद) : (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने सूचित किया है कि ऐसा कोई मामला नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने सूचित किया है कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए दिल्ली के 9 जिलों में कार्य कर रहे सभी 27 सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेटों को खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के तहत स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकारी के रूप में अधिसूचित करके दिल्ली सरकार के खाद्य निवारण विभाग की प्रवर्तन शाखा को मजबूत किया गया है।

(घ) उपभोक्ता शिकायतों के प्रतितोष के लिए दिल्ली में 9 जिला मंच तथा एक राज्य आयोग है। गत तीन वर्षों के दौरान उपभोक्ताओं के हितों के प्रतिकूल कोई मामला प्रकाश में नहीं आया।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण/बन्द होना

1005. **श्री इन्नान मोल्लाह** : क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री से सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के निजीकरण/बंद करने से संबंधित कोई पत्र प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों को बंद करने के सरकार के निर्णय पर प्रधान मंत्री को यह उल्लेख करते हुए लिखा है कि सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक रुग्ण उद्यम की अपनी विशिष्ट समस्याएं हैं तथा उनमें से प्रत्येक को व्यवहार्य बनाने के लिए इन्हें मामला-दर-मामला आधार पर सुलझाया जाना चाहिए। इस मामले में कर्मचारी भी सहायता एवं सहयोग करने के लिए तत्पर हैं।

(ग) सरकार ने सरकारी क्षेत्र के छः उद्यमों को बंद करने के लिए कार्रवाई करने का निर्णय लिया है, जिनके नाम हैं माइनिंग एवं एलायड मशीनरी कारपोरेशन (एमएएमसी), नेशनल बाइसिकल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनबीसीआईएल), भारत प्रोसेस एंड मेकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड (बीपीएमईएल) वेबर्ड इंडिया लिमिटेड (डब्ल्यू आई एल), रिहैबिलिटिशन इंडस्ट्रीज कारपोरेशन (आरआईसी) तथा टन्नेरी एंड फुटवियर कारपोरेशन लिमिटेड (टाफको), जिन्हें पुनरुज्जीवन की संभावनाओं का पता लगाने के लिए गठित विशेषज्ञ दल की सिफारिशों पर विचार करने जीवनअक्षम पाया गया। सरकार ने सरकारी क्षेत्र के इन उद्यमों में कार्यरत शेष कर्मचारियों को स्वैच्छिक पृथक्करण योजना (वीएसएस) के अंतर्गत लाभ प्रदान करने का निर्णय भी किया है, जो कि आई.डी. अधिनियम के अंतर्गत उपलब्ध क्षतिपूर्ति से काफी अधिक है। इस निर्णय से सरकारी क्षेत्र के इन उद्यमों के 3700 कर्मचारियों को लाभ होगा।

सुपर बाजार और एनसीसीएफ में भ्रष्टाचार

1006. **श्री प्रभुनाथ सिंह** :
श्री चन्द्रनाथ सिंह :

क्या **उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** सुपर बाजार/एन सी सी एफ में भ्रष्टाचार के बारे में 4 मई, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5992 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुपर बाजार के उप महाप्रबंधक के विरुद्ध तेजी से कानूनी कार्रवाई किए जाने के बजाय उक्त अधिकारी का इस्तीफा स्वीकार कर मामले को दबा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग को इस बात की जानकारी दी गई है तथा इस पर आयोग ने क्या कार्रवाई की है;

(ग) अब तक भ्रष्टाचार के कितने मामलों का पता लगाया गया है;

(घ) इस संबंध में कौन-कौन से सुधारात्मक कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) सरकार/आयोग ने सांसदों द्वारा सुपर बाजार तथा एन सी सी एफ के विरुद्ध की गई शिकायतों पर क्या कार्रवाई की है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद) : (क) सुपर बाजार द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के अनुसार श्री के. विजय कुमार, उप महाप्रबंधक का त्यागपत्र इस शर्त के साथ स्वीकार किया गया है कि उनके विरुद्ध आरोपों की जांच चलती रहेगी।

(ख) श्री के. विजय कुमार, उप महाप्रबंधक ने सुपर बाजार के सेवा और आचार नियमों के तहत 5.5.2000 को त्यागपत्र का नोटिस

दिया था जिसे 5.6.2000 से स्वीकार कर लिया गया था। केन्द्रीय सतर्कता आयोग को इससे अवगत करा दिया गया था। आयोग ने सलाह दी कि निदेशक मंडल श्री के. विजय कुमार का त्यागपत्र स्वीकार करने के अपने पहले के निर्णय की अभिपुष्टि न करे।

(ग) तीन मामलों की जांच चल रही है और तीन मामलों में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा प्रारंभिक जांच रजिस्टर कर ली गई है। सुपर बाजार द्वारा कुछ अन्य मामलों में भी जांच की जा रही है।

(घ) उपचारात्मक कदमों में प्रारंभिक जांच-पड़ताल, नियमित जांच तथा विभागीय कार्रवाई शामिल है।

(ङ) शिकायतों पर उनके स्वरूप के आधार पर उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

सेन्ट्रल बैंक द्वारा कृषि ऋण वितरण

1007. **श्री विलास मुत्तेमवार : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया ने देश में 2000 करोड़ रुपये का कृषि ऋण वितरित किया है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में गहन कृषि के लिए उधार देने वाली, इस बैंक की कुल कितनी शाखाएं हैं;

(ग) विशेष कृषि-ऋण के अंतर्गत वर्ष 1999-2000 के दौरान बैंक द्वारा कुल कितना ऋण वितरित किया गया;

(घ) चालू वर्ष के दौरान बैंक की कुल कितनी धनराशि वितरित करने की योजना है; और

(ङ) देश में कृषि-ऋण देने वाले अन्य बैंकों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालसाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) सेंट्रल बैंक आफ इंडिया ने सूचित किया है कि मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार, बैंक द्वारा कृषि के लिए मंजूर किए गए ऋणों की कुल बकाया राशि 2003 करोड़ रुपए थी। बैंक की सभी 1431 ग्रामीण शाखाएं और 728 अर्द्ध-शहरी शाखाएं कृषि के लिए उधार देती हैं। तथापि, बैंक ने 1999-2000 के दौरान गहन कृषि ऋण के लिए पूरे देश में 187 शाखाओं की पहचान की थी। चालू वर्ष के दौरान, इस संबंध में 85 अतिरिक्त शाखाओं की पुन: पहचान की गई है।

(ग) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि सेंट्रल बैंक आफ इंडिया ने विशेष कृषि ऋण योजना के अंतर्गत 1999-2000 के दौरान कृषि क्षेत्र को 794.44 करोड़ रुपए की राशि संवितरित की थी। बैंक ने चालू वर्ष 2000-2001 के दौरान 990.00 करोड़ रुपए संवितरित करने की योजना बनाई है। सरकारी क्षेत्र के सभी 27 बैंकों ने विशेष कृषि ऋण योजनाओं के अंतर्गत 1999-2000 के दौरान कृषि के लिए 21913.14 करोड़ रुपए संवितरित किए हैं।

[हिन्दी]

हीरा उद्योग

1008. **श्री हरीभाई चौधरी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हीरा उद्योग के संवर्धन हेतु कोई प्रयास किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस दिशा में अभी तक क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) हीरों के निर्यातों को बढ़ाने की दृष्टि से एक्जिम नीति 1997-2002 के अध्याय-8 में अनेक निर्यात संवर्धन योजनाएं निर्धारित की गई हैं। इन योजनाओं को फीडबैक के आधार पर समय-समय पर संशोधित किया गया है। नवीनतम एक्जिम नीति से पहले की एक्जिम नीतियों में किए गए कुछ महत्वपूर्ण नीतिगत उपाय इस प्रकार हैं—(i) निर्यातोन्मुख इकाइयों (ईओयू) निर्यात संसाधन जोन (ईपीजैड) के एककों को उचित शुल्क के भुगतान पर यथा प्रभावी वैध पुन: पूर्ति/रत्न पुन: पूर्ति/हीरा अग्रिम लाइसेंस पर आयातित अथवा घरेलू तौर पर खरीदे गए सामान के मूल्य के 5 प्रतिशत तक अनुपयुक्त/टूटा हुआ, तराशा एवं पालिश किया गया हीरा, अपरिष्कृत हीरा, बेशकीमती और कीमती पत्थरों की आपूर्ति, घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) में करने की अनुमति देना; (ii) अपरिष्कृत हीरों और अपरिष्कृत बेश कीमती तथा कीमती पत्थरों के आयात, आपूर्ति और पुन: निर्यात के लिए ईपीजैड/डीटीए में निजी/पाब्लिक बॉण्डेड भंडारगृहों की स्थापना करने की अनुमति देना। उपरोक्त के अलावा, 5 प्रतिशत के न्यूनतम मूल्यवर्धन की प्राप्ति की शर्त पर निजी/पाब्लिक बॉण्डेड भंडारगृहों द्वारा तराशे एवं पालिश किए गए हीरों, बेश कीमती और कीमती पत्थरों का आयात एवं पुनर्निर्यात करने की भी अनुमति दी गई थी; (iii) अपरिष्कृत हीरों का आयात और बिक्री करने के लिए बल्क लाइसेंस प्राप्त करने हेतु उन विदेशी कम्पनियों को अनुमति देना, जिन्होंने तीन पूर्ववर्ती लाइसेंसिंग वर्षों के दौरान हीरों का 150 करोड़ रुपए से कम औसत वार्षिक कारोबार नहीं किया है और जिनके भारत में शाखा कार्यालय हैं; (iv) 20 लाख रुपए प्रति खेप के मूल्य तक चुनिंदा पत्तनों से कुरियर द्वारा निर्यात की अनुमति देना। 1 अप्रैल, 2000 से स्पीड पोस्ट के जरिए भी निर्यात की अनुमति दी गई है; (v) दर्जा धारियों को पूर्ववर्ती वर्ष में तराशे और पालिश किए गए हीरों के निर्यात निष्पादन का 5 प्रतिशत तक डायमंड इम्प्रेस्ट लाइसेंस जारी करने का प्रावधान, जिसके तहत 10 प्रतिशत का मूल्यवर्धन प्राप्त करने की शर्त पर बाद में निर्यात करने के प्रयोजन से तराशे तथा पालिश किए गए हीरों का आयात किया जा सकता है; और (vi) हीरा प्रसंस्करण उद्योगों द्वारा अपेक्षित खपत योग्य वस्तुओं का शुल्क मुक्त आयात करने की अनुमति निर्यातों के एफओबी मूल्य का 1 प्रतिशत तक हो सकता है। इस योजना/प्रक्रिया के सरलीकरण के उद्देश्य से दिनांक 1 अप्रैल, 2000 से उपभोज्य वस्तुओं का शुल्क मुक्त आयात करने के लिए अलग से एक पुन: पूर्ति लाइसेंस जारी करने का प्रावधान किया गया है।

हीरों के निर्यात को बढ़ाने के लिए दिनांक 1 अप्रैल, 2000 से नवीनतम एक्जिम नीति में घोषित किए गए नए नीतिगत उपाय निम्नानुसार हैं :-

(i) हीरों के आयात या निर्यात में कम से कम तीन वर्ष के एक श्रेष्ठ रिकार्ड वाली और पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्षों के दौरान 5 करोड़ रुपए और इससे ज्यादा का औसत वार्षिक कारोबार करने वाली अपरिष्कृत या तराशे एवं पालिश किए गए हीरों की खरीद/बिक्री में लगी फर्मों/कम्पनियों को निर्दिष्ट डायमंड एकाउंट के जरिए अपने व्यवसाय को चलाने की अनुमति देना; (ii) ईओयू/ईपीजैड एककों में प्रत्येक निर्यात खेप को संगत आयात खेपों के साथ सह-संबद्ध करने की आवश्यकता को समाप्त करना; (iii) आयात एवं निर्यात पार्सलों को व्यक्तिगत रूप से ले जाने की अनुमति देना; (iv) तराशे गए और पालिश किए गए हीरों पर सीमा शुल्क को घटाकर 15 प्रतिशत करना; और (v) निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल (ईपीसीजी) योजना के तहत 5 प्रतिशत सीमाशुल्क के भुगतान पर पूंजीगत माल के आयात की अनुमति दी गई है, किन्तु पूंजीगत माल के लागत बीमा भाड़ा (सीआईएफ) मूल्य के 5 गुने के बराबर अथवा निवल विदेशी मुद्रा (एनएफई) के आधार पर पूंजीगत माल के सी आई एफ मूल्य के 4 गुने के बराबर पोत पर्यन्त नि:शुल्क (एफओबी) आधार पर निर्यात दायित्व को लाइसेंस जारी करने की तारीख से 8 वर्षों की अवधि में पूरा करना होगा।

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान हीरों का निर्यात नीचे दिया गया है :-

(मूल्य मिलियन अमरीकी डालर में)

वर्ष	निर्यातों का मूल्य
1995-96	4572.54
1996-97	4027.90
1997-98	4309.21
1998-99	4748.56
1999-2000	6782.58

स्रोत : वर्ष 1995-96, 1996-97, 1998-99 के लिए वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय, कलकत्ता और वर्ष 1999-2000 के लिए रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद् (जीजेईपीसी), मुम्बई।

[अनुवाद]

क्रोम अयस्क का निर्यात

1009. श्री अनन्त नायक : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय सरकार द्वारा क्रोम अयस्क का निर्यात करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है;

(ख) क्या क्रोम अयस्क का निर्यात मुख्य रूप से एम.एम.टी.सी. के माध्यम से होता है;

(ग) क्या कुछ निजी कम्पनियां क्रोम अयस्क का प्रत्यक्ष निर्यात करने की इच्छुक हैं;

(घ) यदि हां, तो उन निजी कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्होंने क्रोम अयस्क का प्रत्यक्ष निर्यात करने के लिए सरकार से अनुमति मांगी है; और

(ङ) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया/नीति है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ङ) वर्तमान एग्जिम नीति के अनुसार, भुरभुरे एवं ढेलेदार क्रोम अयस्क के निर्यात के लिए कतिपय विनिर्देशनों तथा इस्पात मंत्रालय द्वारा निर्धारित वार्षिक सीमा के तहत एमएमटीसी एक सरणीयन एजेंसी है। तथापि, इस नीति में 33% Cr_2O_3 से कम के औसत फीड ग्रेड वाले लाभकारी क्रोम सान्द्रण का बिना किसी प्रतिबंध के निर्यात करने का प्रावधान है। जब-जब निजी कम्पनियों से अनुरोध प्राप्त होते हैं, तब तब उन पर इस्पात मंत्रालय के परामर्श से एग्जिम नीति के दायरे के भीतर मामला-दर-मामला आधार पर विचार किया जाता है।

गेहूं और चावल का अत्यधिक भंडार

1010. श्रीमती श्यामा सिंह :
श्री टी०एम० सेल्वागनपति :
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :
श्री अजय चक्रवर्ती :
श्री जोरा सिंह मान :
श्री जे०एस० वराड़ :
श्रीमती जयश्री बैनर्जी :
श्री सुन्दर लाल तिवारी :
डा० सुशील कुमार इन्दौरा :
श्री रामदास आठवले :
श्री अधीर चौधरी :
श्री निखिलानन्द सर :

क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में गेहूं और चावल का भण्डार आवश्यक अतिरिक्त भण्डार से अधिक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और जून, 2000 तक गेहूं और चावल की अतिरिक्त मात्रा और किस्म ग्रेडवार कितनी थी;

(ग) उपरोक्त भण्डार में से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए नियत मात्रा कुल कितनी है;

(घ) क्या सरकार ने भंडार को कम करने के लिए देश में कई मिलियन टन गेहूं और चावल की नीलामी करने का निर्णय किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नीलामी के जरिए अभी तक कितनी मात्रा में गेहूं और चावल की बिक्री की गई है;

(च) क्या सरकार "दक्षेस" देशों सहित विदेशों में खाद्यान्न बाजार भी ढूंढ़ रही है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) और (ख) जी, हां। बफर स्टाक मानदंडों की तुलना में 1.7.2000 को स्थिति के अनुसार केन्द्रीय पूल में चावल और गेहूं का स्टाक निम्नानुसार है :-

(आंकड़े लाख टन में)

जिन्स	स्टाक	बफर मानदंड	अधिशेष स्टाक
चावल	144.90	100.00	44.90
गेहूं	277.57	143.00	134.57
जोड़	422.47	243.00	179.47

गेहूं के उपर्युक्त स्टाक में 0.71 लाख टन आयातित गेहूं शामिल है। चावल का समस्त स्टाक स्वदेशी है।

(ग) अप्रैल, 2000 से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लगभग 21 लाख टन खाद्यान्नों का मासिक आबंटन किया जाता है।

(घ) और (ङ) खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) चल रही है जिसके तहत कोई भी खरीदार 900 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर गेहूं खरीद सकता है बशर्ते मांगी गई मात्रा 10 टन से कम न हो। सरकार ने केवल पंजाब से खुला बाजार बिक्री योजना के अधीन निम्नलिखित दरों पर 5 मिलियन टन तक गेहूं का निपटान करने का निर्णय लिया है :-

माह	रुपये प्रति क्विंटल
जुलाई, 2000	700/- रुपये प्रति क्विंटल
अगस्त, 2000	750/- रुपये प्रति क्विंटल
सितम्बर, 2000	800/- रुपये प्रति क्विंटल

तथापि, इस योजना के अधीन पंजाब में अभी तक गेहूं की कोई बिक्री नहीं की गई है।

(च) और (छ) जी, हां। अधिशेष गेहूं स्टाक का निपटान करने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ सरकार सार्क देशों अथवा अन्य देशों को गेहूं का जिन्स ऋण देने और उन देशों के साथ बार्टर व्यापार की संभावनाओं का पता लगा रही है, जो हमें उन मूल्यों पर गेहूं के बदले में अन्य जिन्सों की आपूर्ति कर सकते हैं जिन पर वे अन्य देशों से गेहूं का आयात कर रहे हैं। यह भी निर्णय लिया गया है कि उपयुक्त "फ्लोर" मूल्य की शर्त के अधीन सरकार दर सरकार आधार पर गेहूं के निर्यात की अनुमति दी जाए। विदेश मंत्रालय के माध्यम से गेहूं के निर्यात की संभावनाओं का भी पता लगाया गया है। केन्द्रीय पूल में गेहूं के प्रचलित मूल्य अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों की तुलना में काफी अधिक हैं। इसलिए भारतीय गेहूं का निर्यात वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य नहीं होगा। केन्द्रीय पूल से चावल का निर्यात करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

फिल्मों का निर्यात

1011. **श्री पी०डी० एलानगोवन** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार और भाषा-वार निर्यात की गई भारतीय फिल्मों का ब्यौरा क्या है और इनके माध्यम से कितनी आय हुई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान देश-वार और वर्ष-वार कितनी तमिल, हिन्दी, तेलुगु और मलयालम फीचर फिल्मों के वितरण अधिकार अन्य देशों को दिए गए;

(ग) क्या सरकार ने विदेशी फीचर फिल्मों, शिक्षाप्रद फिल्मों और वृत्त चित्रों के आयात और ऐसी फिल्मों के निर्यात हेतु कोई रियायत अथवा छूट दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) सरकार फिल्मों के निर्यात के संबंध में कोई विवरण नहीं रखती है तथापि, पिछले तीन वर्ष के दौरान निर्यात की गई फिल्मों का विवरण, जैसा कि भारतीय फिल्म निर्यातक संघ ने इसकी पुष्टि की है, इस प्रकार है :-

वर्ष	निर्यात की गई फिल्मों की संख्या	निर्यात द्वारा आय (लगभग)
1997-98	190	200 करोड़ रुपए
1998-99	180	250 करोड़ रुपए
1999-2000	240	400 करोड़ रुपए

(ख) भारतीय फिल्म निर्यातक संघ के अनुसार भारतीय फिल्म उद्योग द्वारा निर्यात की गई लगभग 99% फिल्में हिन्दी की हैं। यह फिल्में युनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, तंजानियां, केन्या, मलयेशिया, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिणी अफ्रीका, मारीशस, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिजी, कनाडा, थाइलैण्ड, हांगकांग, म्यांमार आदि को नियमित रूप से निर्यात की जाती हैं। यू.के. तथा यू.एस.ए. हिन्दी फिल्मों के लिए बड़े बाजार हैं।

(ग) और (घ) देश में फीचर फिल्मों के आयात के लिए किसी प्रकार की छूट या रियायत नहीं दी जाती। फीचर फिल्मों का आयात समय-समय पर संशोधित दिनांक 31.3.97 की सार्वजनिक सूचना सं. 4 (पी.एन.)/97-02 के द्वारा विनियमित होता है। डाक्यूमेंट्री फिल्में तथा शैक्षिक फिल्मों को, फिल्मों की आयात नीति में निर्धारित आयात पद्धति को अपनाने से छूट प्राप्त हैं।

फिल्म साफ्टवेयर के निर्यात से अर्जित आय आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 एच एच एफ के अंतर्गत पूरी तरह से कर मुक्त है। निर्यातक सरकार द्वारा समय-समय निर्धारित दरों पर प्रिंटों का निर्यात करके शुल्क वापसी के लिए दावा भी कर सकते हैं।

बाड़मेर और चोहटन (पश्चिमी राजस्थान) में टी.वी. ट्रांसमीटर

1012. **कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान के झूठे प्रचार का सामना करने और 300 कि.मी. की दूरी को कवर करने वाले थार मरुस्थल के जिलों के लिए कार्यक्रम प्रसारित करने हेतु दो उच्च शक्ति वाले टी.वी. ट्रांसमीशन केन्द्रों का बाड़मेर और चोहटन (पश्चिमी राजस्थान) में ऊंची लागत पर स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन उच्च शक्ति वाले टी.वी. ट्रांसमीटर केन्द्रों में निम्न शक्ति वाले उपकरण लगाकर इन्हें निम्न दर्जे का बना दिया है और इसके फलस्वरूप इन टी.वी. ट्रांसमीशन केन्द्रों को जिस उद्देश्य के लिए लगाया गया था, वह भी विफल हो गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार पाकिस्तान की सीमा से लगे हुए संवेदनशील क्षेत्रों में इन टी.वी. ट्रांसमीशन केन्द्रों की रेंज को बढ़ाने की योजना बना रही है;

(घ) यदि हां, तो इन टी.वी. ट्रांसमीशन केन्द्रों की रेंज को कब तक बढ़ा दिए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) से (ङ) राजस्थान के बाड़मेर (चोहटन) और जैसलमेर (रामगढ़) में दो उच्च शक्ति ट्रांसमीटर स्थापित किए गए हैं। चोहटन वह स्थान है जहां बाड़मेर के लिए ट्रांसमीटर स्थापित किया गया है। यद्यपि जैसलमेर के ट्रांसमीटर को पूर्ण क्षमता से चलाया जा रहा है तथापि, बाड़मेर (चोहटन) के ट्रांसमीटर को 300 मी. टावर के निर्माण कार्य के लंबित रहते पूर्ण क्षमता से नहीं चलाया जा रहा है। टावर के पूरा होने पर लगभग 2 वर्ष के समय में उक्त ट्रांसमीटर के पूरी क्षमता से चालू हो जाने की आशा है।

विदेशी सहायता प्राप्त जलापूर्ति योजना

1013. **श्री राममोहन नाइडू** :
श्री शिवाजी माने :
श्री उत्तमराव पाटील :
श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी सहायता हेतु केन्द्र सरकार के पास राज्यवार कितनी जलापूर्ति योजनाएं लंबित हैं;

(ख) सरकार के पास ये योजनाएं कब से लंबित हैं;

(ग) इन योजनाओं की राज्य-वार वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) इन्हें कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) विदेशी सहायता हेतु विदेशी एजेंसियों को परियोजनाएं प्रस्तुत करने के संबंध में मार्गनिर्देशों के अनुसार परियोजना प्रस्ताव योजना प्राथमिकताओं, योजना आयोग से स्वीकृतियों सहित प्रशासनिक स्वीकृतियों को सुनिश्चित करने के बाद केन्द्रीय मंत्रालयों के माध्यम से होते हुए आर्थिक कार्य विभाग तक पहुंचने चाहिए। तदनुसार विचाराधीन विभिन्न परियोजनाओं की स्वीकृति की स्थिति संलग्न विवरण के अनुसार है।

(घ) कोई भी निर्धारित समय सीमा नहीं है, जिसके अंतर्गत विदेशी सहायता हेतु प्रस्तावों को स्वीकृति दी जा सकती है। एक बार प्रस्ताव विदेशी एजेंसी को प्रस्तुत हो जाता है तो यह मूल्यांकन पूर्व, परियोजना संबंधी दस्तावेज तैयार करना, मूल्यांकन, बातचीत और अंतिम अनुमोदन के चक्र से गुजरता है। इस प्रक्रिया में कम से कम एक वर्ष अथवा अधिक समय लगता है, जो कि परियोजना कैसे तैयार गई तथा विदेशी एजेंसियों के उनके संसाधनों के संबंध में समग्र वचनबद्धताओं पर निर्भर करता है।

विवरण

विदेशी सहायता हेतु विचाराधीन जलापूर्ति परियोजना-प्रस्तावों के राज्य-वार ब्यौरे

क्रम सं.	राज्य/परियोजना का नाम	दानकर्ता	नवीनतम प्रास्थिति
1	2	3	4
	आंध्र प्रदेश		
1.	आंध्र प्रदेश ग्रामीण जलापूर्ति और पर्यावरणीय परियोजना	विश्व बैंक	15.1.99 को प्रस्तुत की गई। बैंक से "अभिज्ञान मिशन" ने 17-20 नवम्बर, 1999 को परियोजना-क्षेत्र का दौरा किया और कतिपय सुझाव दिए जिन्हें राज्य सरकार को सूचित किया जा चुका है। राज्य सरकार के उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।
2.	द्वितीय हैदराबाद जलापूर्ति और सफाई परियोजना	विश्व बैंक	परियोजना 8.1.97 को प्रस्तुत की गई। यह परियोजना बैंक के साथ संरक्षित पत्र व्यवहार के अधीन है और इसे बैंक के ऋण कार्यक्रम 2000-02

1	2	3	4
			में आरक्षित श्रेणी की परियोजना के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। 29.4.98 को आंध्र प्रदेश सरकार से यह सूचना देने के लिए अनुरोध किया गया था कि क्या यह योजना राज्य-आयोजना में शामिल है और यह भी कि क्या वे परियोजना को दो अतिव्याप्ति के चरणों में कार्यान्वित करने के बैंक के सुझाव से सहमत हैं। आंध्र प्रदेश सरकार से उत्तर की अभी तक प्रतीक्षा की जा रही है।
3.	करीमनगर जिले में समेकित ग्रामीण जलापूर्ति और पर्यावरणीय सफाई परियोजना	जर्मनी	19.11.97 को प्रस्तुत की गई। जर्मन पक्ष ने उत्तर नहीं दिया है और पोखरण-II के कारण 1998 में होने वाली वार्षिक वार्ता भी रद्द कर दी। जब तक ऐसी वार्ताएं पुन: आरंभ नहीं की जातीं, जर्मन पक्ष किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रहा है।
4.	विशाखापत्तनम नगर निगम द्वारा समेकित ग्रामीण जलापूर्ति और मल-व्ययन परियोजना	फ्रांसीसी सहायता	यह परियोजना 28.4.98 को प्रस्तुत की गई। परियोजना के अपेक्षित संघटकों की पहचान करने के लिए परामर्शदाताओं को व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करनी है।
	कर्नाटक		
5.	कर्नाटक ग्रामीण जलापूर्ति-II	विश्व बैंक	25.5.99 को प्रस्तुत की गई। 314260 अमरीकी डालर मूल्य के आरंभिक गतिविधियों हेतु जनसंख्या और मानव संसाधन विकास (पी.एच.आर.डी.) अनुदान करार पर प्रशासनिक मंत्रालय की तथा राज्य सरकार द्वारा मसौदा-करार पर स्वीकृति दिए जाने के बाद हस्ताक्षर किए जाएंगे।
	केरल		
6.	केरल ग्रामीण जलापूर्ति और पर्यावरणीय सफाई परियोजना	विश्व बैंक	23.12.98 को प्रस्तुत की गई। बाद में संशोधित की गई और बैंक को 27.10.99 को भेजी गई। बैंक ने रिपोर्ट का मूल्यांकन किया। निकट भविष्य में वार्ताएं आयोजित किए जाने की संभावना है। 99630 अमरीकी डालर मूल्य के आरंभिक गतिविधियों हेतु जनसंख्या और मानव संसाधन विकास अनुदान करार पर प्रशासनिक मंत्रालय की तथा राज्य सरकार द्वारा मसौदा करार पर स्वीकृति दिए जाने के बाद हस्ताक्षर किए जाएंगे।
	महाराष्ट्र		
7.	जलगांव और नासिक के लिए समेकित जलापूर्ति और सफाई परियोजना	यू.के.	डी.एफ.आई.डी. को मार्च 1997 में प्रस्तुत की गई। परियोजना के वित्त-पोषण से संबंधित उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।
8.	महाराष्ट्र जलापूर्ति और मल-व्ययन परियोजना चरण-II	विश्व बैंक	14.1.97 को प्रस्तुत की गई। बैंक ने संशोधित परियोजना प्रस्ताव मांगा है। महाराष्ट्र सरकार ने विश्व बैंक को संशोधित प्रस्ताव अग्रेषित कर दिया है। संशोधित प्रस्ताव प्रशासनिक मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त होने के बाद बैंक को औपचारिक तौर पर प्रस्तुत किया जाएगा।
9.	ग्रामीण जलापूर्ति	जर्मनी	दानकर्ता ने इस परियोजना का वित्त पोषण करने के लिए 1995 में वचनबद्धता की थी। यह करार अंतिम रूप दिए जाने के आखिरी चरण में है।
10.	5 जिलों में समेकित जलापूर्ति और सफाई परियोजना	जर्मनी	19.2.97 को प्रस्तुत की गई। जर्मन पक्ष ने उत्तर नहीं दिया है और पोखरण-II के कारण 1998 में होने वाली वार्षिक वार्ता भी रद्द कर दी। जब तक ऐसी वार्ताएं पुन: आरंभ नहीं की जातीं, जर्मन पक्ष किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रहा है।
11.	शहरी जलापूर्ति नासिक	जर्मनी	20.3.98 को प्रस्तुत की गई। जर्मन पक्ष ने उत्तर नहीं दिया है और पोखरण-II के कारण 1998 में होने वाली वार्षिक वार्ता को भी रद्द कर दिया है।

1	2	3	4
			जब तक ऐसी वार्ताएं पुन: आरंभ नहीं की जातीं, तब तक जर्मन पक्ष किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रहा है।
	मध्य प्रदेश		
12.	मध्य प्रदेश ग्रामीण जलापूर्ति	विश्व बैंक	1.12.98 को प्रस्तुत की गई। विश्व बैंक छोटी प्रायोगिक परियोजना पर विचार नहीं करना चाहता था। इसके स्थान पर विश्व बैंक ने मध्य प्रदेश सरकार को एक पूर्ण परियोजना तैयार करने की सलाह दी जिसके संबंध में मध्य प्रदेश सरकार से उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।
	तमिलनाडु		
13.	तमिलनाडु ग्रामीण जलापूर्ति और सफाई परियोजना	विश्व बैंक	यह परियोजना बैंक को दिसम्बर, 1998 को प्रस्तुत की गई थी। जब ब्यौरेवार परियोजना अवधारणा दस्तावेज तैयार किया जा रहा था, तब ग्रामीण विकास मंत्रालय ने तमिलनाडु सरकार को प्रस्तावित प्रस्ताव में संशोधन करने की सलाह दी और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि भारत सरकार सहायता का कोई संघटक परियोजना में शामिल नहीं किया गया है।
14.	होगियाकल जलापूर्ति और सफाई परियोजना	विश्व बैंक	यह 1.6.99 को इस अनुरोध के साथ प्रस्तुत किया गया था कि इस प्रस्ताव को तमिलनाडु ग्रामीण जलापूर्ति और सफाई परियोजना के एक भाग के रूप समझा जाए।
15.	तृतीय चेन्नई जलापूर्ति परियोजना	विश्व बैंक	इस परियोजना का फरवरी, 2000 के दौरान मूल्यांकन होने की संभावना थी। आर्थिक कार्य विभाग ने विश्व बैंक से यथाशीघ्र परियोजना का मूल्यांकन करने का अनुरोध किया है। बैंक से उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।
16.	चैम्बरबक्कम में 530 एम.एल. जल का उपचार और संप्रेषण	फ्रांस	यह प्रस्ताव मार्च, 1998 को प्रस्तुत किया गया था। जलापूर्ति तथा मल व्ययन बोर्ड, चेन्नई द्वारा संविदाओं को अभी अंतिम रूप दिया जाना है। फ्रांस के प्राधिकारियों ने यह सूचित किया है कि ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य सरकार की इस परियोजना में कोई दिलचस्पी नहीं है। दाता देश की यह आशंका राज्य सरकार के नोटिस में ला दी गई थी।
	पश्चिम बंगाल		
17.	14 चयनित शहरी स्थानीय निकायों में जलापूर्ति और ठोस अपशिष्ट प्रबंध	इटली	जनवरी, 1997 में दाता देश को प्रस्तुत किया गया। इस परियोजना के लिए उपलब्ध कराए जा रहे इटली के ऋण की शर्तों के संबंध में राज्य सरकार की टिप्पणियों की प्रतीक्षा है।
	सिक्किम		
18.	गंगटोक जलापूर्ति और पर्यावरणात्मक सफाई परियोजना	आस्ट्रेलियाई-सहायता	आस्ट्रेलियाई-सहायता ने इस परियोजना की मई, 1998 में पहचान की है। व्यवहार्यता-पूर्व अध्ययन पूरा हो गया है और आस्ट्रेलियाई-सहायता शीघ्र ही इस परियोजना हेतु ब्यौरेवार परियोजना डिजाइन दस्तावेज तैयार करने के लिए एक व्यवहार्यता/डिजाइन अध्ययन मिशन भेज रहा है।
	हिमाचल प्रदेश		
19.	ग्रामीण जलापूर्ति	जर्मनी	यह वर्ष 1996-97 में प्रस्तुत की गई। जर्मनी ने कोई उत्तर नहीं दिया है और पोखरण-II के कारण वर्ष 1998 में वार्षिक वार्ता भी रद्द कर दी है। जब तक बातचीत दुबारा नहीं की जाती जर्मनी किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रहा है।

1	2	3	4
20.	हमीरपुर ग्रामीण जलापूर्ति और सफाई परियोजना	आस्ट्रेलियाई-सहायता	आस्ट्रेलियाई-सहायता ने मई 1998 में इस परियोजना की पहचान की है। आस्ट्रेलियाई-सहायता ने यह सूचित किया है कि वह परियोजना की पूंजी लागत को उसके चालू रूप में वित्तपोषित करने में असमर्थ है। तथापि, उनका हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में वहनीय ग्रामीण जलापूर्ति और सफाई में सहायता देने हेतु संभावित आस्ट्रेलियाई विकास सहायता के लिए सभी महत्वपूर्ण विकल्प तथा संभावनाओं के निर्धारण की जांच करने हेतु एक मिशन नियुक्त करने का प्रस्ताव है।

भारतीय खाद्य निगम के अंतर्देशीय डिपो

1014. श्री नरेश पुगलिया : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम के कुल कितने अंतर्देशीय डिपो हैं;

(ख) इन डिपों की भंडारण क्षमता कितनी है;

(ग) क्या सरकार बहुत से डिपो के निजीकरण के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या भारतीय खाद्य निगम का पुनर्गठन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो इस पुनर्गठन की मुख्य विशेषताएं क्या होंगी?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) फिलहाल, भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध कुल डिपुओं (अपने/किराए के/ढके हुए/कैप सहित) की संख्या 1746 है।

(ख) इन डिपुओं की कुल भंडारण क्षमता 273.18 लाख टन है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, हां।

(च) संलग्न विवरण में सूचना दी गई है।

विवरण

भारत सरकार ने जनशक्ति की आवश्यकता "केरियर मेनेजमेंट" और "केरियर प्रोगरेशन" के संदर्भ में संगठनात्मक ढांचे को तैयार करने की योजना के लिए भारतीय खाद्य निगम को मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए हैं। इस योजना की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं :-

1. यह प्रस्ताव है कि सहायक प्रबन्धक और उससे ऊपर के अधिकारी द्वारा डिपु का प्रबन्धन करके युक्तियुक्त बनाया जाए। इससे विभिन्न डिपुओं के बीच कार्मिकों की सुव्यस्थित तैनाती होगी।

2. एक स्वतंत्र समूह द्वारा डिपुओं के प्रचालन के संबंध में नए मानदंड तैयार किए जाएं। इस समूह में ऐसे अधिकारी हों जिन्हें निगम के विभिन्न प्रचालनों की जानकारी हो।

3. डिपु स्तर और उससे ऊपर औद्योगिक संबंध तंत्र सृजित करने और इसके लिए उचित कार्मिक शामिल करने तथा कम्प्यूटर सैल के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा एक योजना तैयार की जानी है।

4. यह भी प्रस्ताव है कि गुण नियंत्रण तंत्र को सुदृढ़ बनाया जाए जिसमें भिन्न नियंत्रण के स्वतंत्र तंत्र द्वारा खाद्यान्नों की गुणवत्ता का प्रामाणीकरण सुनिश्चित किया जा सके।

5. आकर्षक स्थानांतरण पैकेज की पेशकश करके माइक्रो स्तर पर कार्मिकों के पुनर्समायोजन की समस्या हल की जाएगी।

6. मौजूदा संगठनात्मक ढांचे के अनुसार स्टाफ की आवश्यकताएं पूरी करने और पदोन्नति न होने की समस्या को हल करने के लिए यह प्रस्ताव है कि मौजूदा पदों का इस शर्त के अध्यधीन उच्च श्रेणीकरण किया जाए कि कर्मचारियों के लिए लागू संशोधित कार्य के ब्यौरे के बारे में यूनियनों से स्पष्ट समझौता किया गया हो।

7. प्रबंधन आधार को सुदृढ़ बनाने के लिए यह प्रस्ताव है कि प्रत्येक वर्ष 100 प्रबंधन प्रशिक्षु भर्ती किए जाएं।

8. जब तक संशोधित मानदंड मंजूर नहीं हो जाते और जनशक्ति की आवश्यकता का हिसाब नहीं लग जाता तब तक भारतीय खाद्य निगम को कम करके स्वीकृत की गई कार्मिकों की संख्या बनाए रखनी होगी।

9. भारतीय खाद्य निगम को पत्तन प्रचालन बंद करने होंगे। चेन्नई, विजाग, कांडला, कलकत्ता और मुम्बई स्थित गोदाम आपस में सहमत हुई शर्तों और निबन्धनों पर पत्तन न्यास को सौंपे जाने हैं। इन कर्मचारियों को तैनात किया जाएगा, वापस किया जाएगा अथवा उन्हें स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना की पेशकश की जाएगी।

10. श्रमिकों से जुड़े सभी मुद्दों को मौजूदा श्रम कानूनों से शांतिपूर्वक ढंग से हल किया जाएगा। सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन मामले दर मामले में अपेक्षित होगा।

भारत पर्यटन विकास निगम में सेवानिवृत्ति की आयु

1015. **श्री जयभद्र सिंह :**
श्री अवतार सिंह भड़ाना :
श्री दलपत सिंह परस्ते :

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की स्थिति के अनुसार होटल कर्मचारियों के अलावा आई.टी.डी.सी. में कितने कर्मचारी हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार भारत पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से घटाकर पुन: 58 वर्ष करने का है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) वर्तमान में, होटल ओर खान-पान स्थापनाओं के अलावा भारत पर्यटन विकास निगम में जनशक्ति संख्या 1793 है।

और (ग) भारत पर्यटन निगम बोर्ड ने सेवानिवृत्ति आयु कम करने की अवधारणा को स्वीकार सिद्धांत रूप से कर लिया है तदनुसार, भारत पर्यटन विकास निगम ने सरकार से अनुमोदन मांगा है।

इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड

1016. **श्री एन०एन० कृष्णदास** : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल ने अपनी पालघाट इकाई को स्वतंत्र इकाई बनाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड को पुन: चालू करने के संबंध में प्रस्तावित पैकेज का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यह पैकेज क्रियान्वयन की किस स्थिति में है?

भारी उद्योग ओर लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वल्लभभाई कथीरिया) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) यूनिट के निगम संबंधी पुनर्गठन पर अंतत विचार कर लिया गया है जिसके परिणामस्वरूप पालघाट में कंट्रोल वाल्व बिजनेस सेगमेंट, कोटा में डिजिटल डिस्ट्रिब्यूटिड सिस्टम (डी.डी.सी.) और जयपुर में पावर इलेक्ट्रानिक बिजनेस सेगमेंट को इंस्ट्रूमेंटशन लिमिटेड (आई. एल.) की सहायक कंपनियां बनाया जाएगा। इंस्ट्रूमेंटेशन लि. के शेष कार्यकलाप, मूल कंपनी जो तीन नई सहायिकाओं के लिए भी नियंत्रक कंपनी होगी, के पास रहेंगे।

इसके अतिरिक्त, पालघाट यूनिट और कोटा के डी.डी.सी. यूनिट में संयुक्त उद्यम का गठन करने पर विचार किया जाएगा।

(घ) आईएल की स्वीकृत स्कीम जैसा कि बीआईएफआर ने अनुमोदित किया है, आईएल के पुनर्गठन की परिकल्पना पर बल देती है, जैसाकि उपरोक्त मद (ख) और (ग) के उत्तरों में दर्शाया गया है। स्वीकृत की गई स्कीम कार्यान्वयनाधीन है। सरकार ने अपेक्षित निधियां जारी कर दी हैं और परिकल्पित राहत व रियायतें प्रदान कर दी हैं जिसमें बैंकों को काउंटर गारंटी देना शामिल है। कंपनी के सहायिकाकरण हेतु उपाय किए जा रहे हैं।

सी०सी०आई० की कुरकुंटा इकाई

1017. **श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)** : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का विचार सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. की कुरकुंटा (कर्नाटक) इकाई के आधुनिकीकरण/पुनरुद्धार या बंद करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सी.सी.आई.लि. के कुरकुंटा इकाई के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वल्लभभाई कथीरिया) : (क) और (ख) सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (सीसीआई) को रुग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम (एसआई सीए) के प्रावधान के तहत अप्रैल 1996 के दौरान बीआईएफआर को संदर्भित किया गया था। बीआईएफआर को कुरकुंटा इकाई सहित कंपनी के पुनरुद्धार अथवा कंपनी की अन्य बातों पर विचार करना है।

(ग) से (ङ) सीसीआई नकदी (लिक्विडिटी) की समस्याओं का सामना कर रही है जिससे कर्मचारियों को वेतन/मजदूरी का समय पर भुगतान करने में विलंब हुआ है। इस संबंध में सरकार कंपनी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संभव सीमा तक गैर-योजनागत सहायता मुहैया कराती रही है।

[हिन्दी]

आटा मिलों को अत्यधिक खाद्यान्न

1018. **श्री नवल किशोर राय :**
श्री जे०एस० वराड़ :

क्या **उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आटा मिलों को, आवश्यक बफर-स्टाक से अधिक होने के कारण गेहूं की आपूर्ति अतिरिक्त खाद्यान्न भंडार से करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त गेहूं की किस्में क्या हैं;

(ग) सरकार द्वारा निर्धारित गेहूं के कितने ग्रेड हैं तथा प्रत्येक ग्रेड के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(घ) किन दरों पर उक्त गेहूं की बिक्री आटा मिलों को की गई; और

(ङ) गेहूं की उक्त दर भारतीय खाद्य निगम की आर्थिक लागत के मुकाबले कहां तक कम है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) और (ख) जनवरी, 2000 में भारतीय खाद्य निगम को खुली निविदा के माध्यम से आस्ट्रेलियाई गेहूं, कैनेडियाई लाल गेहूं, श्रेणी "ग" और "घ" का गेहूं और दो वर्ष से अधिक पुराने गेहूं का निपटान करने के लिए प्राधिकृत किया गया था। चूंकि केवल रोलर फ्लोर मिलों के पास ही प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों को उपभोक्ताओं तक वितरित करने से पूर्व गेहूं के प्रसंस्करण की वांछित सुविधा थी इसलिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा केवल रोलर फ्लोर मिलों को ही श्रेणी "ग" और "घ" के गेहूं की बिक्री करने का निर्णय लिया गया था।

(ग) केन्द्रीय पूल के लिए गेहूं के स्टाक की वसूली एक समान विनिर्दिष्टयों के अनुसार एकल ग्रेड के तहत की जाती है और ग्रेड-वार कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं।

(घ) और (ङ) चूंकि गेहूं का यह स्टाक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन स्वीकार्य नहीं था इसलिए रोलर फ्लोर मिलों को श्रेणी "ग" और "घ" के गेहूं के स्टाक की बिक्री 900.25 रुपए प्रति क्विंटल (1.4.2000 से प्रभावी) की आर्थिक लागत के प्रति 750/- रुपए प्रति क्विंटल की दर पर की गई थी।

[अनुवाद]

फिल्म डिवीजन के निर्माण केन्द्र की स्थापना

1019. **श्री होलखोमांग हौकिप** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इम्फाल में फिल्म डिवीजन के निर्माण केन्द्र की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पूर्वोत्तर क्षेत्र की जरूरतों को कलकत्ता स्थित पूर्वी क्षेत्र निर्माण केन्द्र द्वारा पूरा किया जा रहा है। इसलिए वर्तमान में इम्फाल में फिल्म प्रभाग का निर्माण केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। यह केन्द्र पूर्वोत्तर क्षेत्र की समस्याओं और उनके समाधान को दर्शाने वाली कहानी पर आधारित फिल्मों का निर्माण करता है। इन फिल्मों का फिल्मांकन स्थानीय परिवेश में किया जाता है और इन्हें स्थानीय भाषा/बोलियों में बनाया जाता है। इसके अलावा विभाग द्वारा तैयार की जाने वाली न्यूज मैगजीन में शामिल करने हेतु क्षेत्र की सामयिक घटनाओं को कवर करने के लिए गुवाहाटी में एक कैमरामैन नियुक्त किया गया है।

डनलप इंडिया को अर्थक्षम बनाना

1020. **श्री शिवाजी माने :**
श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) ने डनलप इंडिया लि. को 15 दिनों के अंदर एक संशोधित अर्थक्षम प्रस्ताव आईडीबीआई को प्रस्तुत करने को कहा है और ऐसा न करने पर प्रबंधन को बदलने की चेतावनी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) बीआईएफआर द्वारा डनलप इंडिया लि. को जारी किए गए अन्य निर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या डनलप इंडिया लि. ने संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) यदि नहीं, तो सरकार ने डनलप इंडिया लि. के विरुद्ध क्या कार्रवाई की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बाइफर) ने सूचित किया है कि बाइफर की पीठ ने अपनी दिनांक 22.6.2000 की सुनवाई में मैसर्स डनलप इंडिया लि. को निदेश दिया है कि वह 15 दिनों के अन्दर परिचालन एजेंसी आईडीबीआई को संशोधित पुनर्वास योजना प्रस्तुत करे, अन्यथा, पीठ कंपनी के पुनरुज्जीवन के लिए रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 में सूचीबद्ध अन्य उपाय स्वीकार करने पर विचार करेगी जिसमें प्रबंधन को बदलना भी सम्मिलित है।

(ग) बाइफर के बोर्ड के अन्य निदेशों में अन्य बातों के साथ-साथ ये सम्मिलित हैं :-

(i) गृहणाधिकार रहित खाते में रखी हुई एयरो टायर्स की बिक्री आय को कंपनी के पुनर्वास के लिए उपयोग में ले लिया जाएगा। इस संबंध में आदेश उपयुक्त समय पर जारी किए जाएंगे।

(ii) कंपनी एक महीने के अन्दर सभी यूनियनों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) को अंतिम रूप देगी जिसमें अन्य बातों

के साथ-साथ सभी बकाया राशियों के भुगतान, कर्मचारियों द्वारा उठाए जाने वाले घाटे, यदि कोई हो, जिसकी मात्रा निर्धारित की जानी है, तथा कर्मचारियों के युक्तियुक्तकरण का प्रावधान है। यह कम से कम 3 वर्षों की अवधि के लिए मान्य होगा। एमओयू की प्रतियां परिचालन एजेंसी (ओए) और बोर्ड को प्रस्तुत की जाएंगी। ओए यह सुनिश्चित करेगा कि एमओयू से उत्पन्न हुए वित्तीय भार को योजना में सम्मिलित कर लिया जाए और एमओयू मंजूर की जाने वाली योजना का भाग होगा।

(iii) कंपनी ओए की देयराशियों का निपटान करेगी जिसमें शुल्क और अन्य प्रभार सम्मिलित हैं।

(घ) मैसर्स डनलप इंडिया लि. ने पीठ के निदेशों की अनुपालना में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को अपना संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया है।

(ङ) और (च) परिचालन एजेंसी, आईडीबीआई से अपेक्षा की गई है कि वह बाइफर को रिपोर्ट प्रस्तुत करे। बाइफर ने सूचित किया है कि अभी उन्हें रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

कन्याकुमारी में भारतीय पर्यटन विकास निगम की शाखा की स्थापना

1021. **डा० ए०डी०के० जयशीलन :** क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कन्याकुमारी की पर्यटन संबंधी महत्ता को मद्देनजर रखते हुए वहां भारतीय पर्यटन विकास निगम (आई.टी.डी.सी.) की एक शाखा स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) से (ग) जी, नहीं। भारत पर्यटन विकास निगम का वार्षिक योजना 2000-01 में कन्याकुमारी में कोई शाखा/होटल खोलने की किसी योजना का कोई विचार नहीं है।

कोणार्क, पुरी और चिल्का झील का विदेशी पर्यटकों द्वारा भ्रमण

1022. **श्री भर्तृहरि महताब :** क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कोणार्क, पुरी और चिल्का झील का कितने विदेशी पर्यटकों ने भ्रमण किया;

(ख) क्या विदेशी पर्यटकों को कोरापुट और दंडकारण्य क्षेत्रों के अंदरूनी जनजातीय क्षेत्रों में जाने की अनुमति दी जाती है;

(ग) यदि हां, तो स्थानीय लोगों की जाति की रक्षा करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान इन पर्यटक स्थलों पर और सुविधाएं प्रदान करने और इन स्थलों के आसपास के क्षेत्रों का विकास करने के लिए कितनी राशि आबंटित की गई है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) उड़ीसा राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 1997, 1998 और 1999 के दौरान कोणार्क, पुरी और चिल्का झील देखने आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या इस प्रकार है :-

स्थान	विदेशी पर्यटकों की संख्या		
	1997	1998	1999
कोणार्क	10061	9933	7089
पुरी	13233	13021	10220
चिल्का झील	665	597	629

(ख) राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध सूचना के अनुसार अविभाजित कोरापुट जिले के साथ-साथ दंडकारण्य क्षेत्र के जनजातिबहुल ग्राम पंचायत क्षेत्रों में विदेशी पर्यटकों के आवागमन पर प्रतिबंध है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) पर्यटन मंत्रालय ने उड़ीसा सरकार को कोणार्क, पुरी और चिल्का झील क्षेत्र सहित राज्य में पर्यटन विकास के लिए वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान क्रमशः 552.05 लाख रुपये, 178.60 लाख रुपये तथा 301.90 लाख रुपये की राशि केन्द्रीय वित्तीय सहायता स्वरूप स्वीकृत किया है।

[हिन्दी]

विदेशी निवेश को आकर्षित करने हेतु कार्य दल

1023. **डा० अशोक पटेल :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में निजीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देने और अधिक निवेश आकर्षित करने हेतु भारत और यूरोपीय संघ के बीच सरकार और उद्यमियों के प्रतिनिधियों के एक संयुक्त कार्यदल को गठित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कार्यदल कब तक गठित किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) 28-6-2000 को लिस्बन में आयोजित प्रथम यूरोपीय संघ-भारत शीर्ष सम्मेलन में एक संयुक्त घोषणा पर सहमति हुई जिसका उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय व्यापार के संबंध में उच्च स्तरीय आर्थिक एवं वाणिज्यिक वार्ता को सुदृढ़ करना, उद्योग तथा करोबार सम्पर्कों को सुकर बनाना तथा यूरोपीय संघ-भारत

के बीच वस्तुओं तथा सेवाओं के प्रवाहों का संवर्धन करना है। संयुक्त घोषणा में पर्यावरणात्मक क्षेत्र में सांझी पहलों का संवर्धन करने, संयुक्त सहयोगात्मक परियोजनाओं की संभाव्यता का पता लगाने, प्रौद्योगिकी अंतरण सुकर बनाने, निजी तथा सरकारी क्षेत्रों में निवेशों के लिए अवसर विकसित करने, पर्यावरणात्मक जागरूकता का कार्यक्रम आरंभ करने तथा बहुपक्षीय पर्यावरणात्मक मुद्दों के संबंध में समन्वय सुकर करने के लिए एक संयुक्त कार्यकारी दल का गठन करने की मांग है।

[अनुवाद]

आई०टी०डी०सी० के होटलों को हानि

1024. **श्री राजीव प्रताप रूडी :**
श्री दिनेश चन्द्र यादव :
श्री रामजीवन सिंह :

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा चलाए जा रहे होटल भारी हानि उठा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान इन होटलों को अनुमानित कितनी हानि उठानी पड़ी;

(ग) इन हानियों के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार भारत पर्यटन विकास निगम के इन होटलों की स्थिति में सुधार किस तरह से करने का विचार रखती है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) और (ख) हालांकि भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों के प्रचालन से वर्ष 1997-98 में 26.75 करोड़ रुपयों का लाभ हुआ था, वर्ष 1998-99 तथा 1999-2000 के दौरान इसमें क्रमश: 13.70 करोड़ रुपए तथा 39.61 करोड़ रुपयों (अनंतिम) का घाटा उठाया।

(ग) अन्य बातों के साथ-साथ, घाटा उठाने की स्थिति निम्न कारणों से हुई है :-

(1) अंतर्राष्ट्रीय कारोबारी पर्यटकों का कम आना।

(2) दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में मुद्रा संकट की वजह से उनका सस्ते गंतव्य स्थल बनना।

(3) निजी होटलों द्वारा दरों में कमी करना।

(4) उच्चतर मजदूरी बिल।

(घ) भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा उसके होटलों के कार्य-निष्पादन में सुधार के लिए उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों में, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सम्मिलित हैं :-

(1) उत्साही विपणन प्रयास।

(2) उत्पादों के सुधार पर बल देना ताकि उन्हें समसामयिक तथा प्रतिस्पर्धात्मक बनाया जा सके।

(3) बाजार द्वारा संचालित दरें प्रदान करने के लिए लचीली नीति अपनाना।

(4) व्यय में किफायत तथा लीकेजों को बंद करना।

(5) बकाया देयों की वसूली।

[हिन्दी]

भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में गेहूं का भंडार

1025. **श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय :** क्या **उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम के विभिन्न गोदामों और देश के अन्य गोदामों में इस समय गेहूं का कितना भंडार है;

(ख) क्या सरकार का विचार सरकारी गोदामों में गेहूं का अधिक भंडार होने के कारण खुले बाजार में गेहूं की बिक्री करने का है;

(ग) यदि हां, तो गेहूं का प्रस्तावित बिक्री मूल्य कितना है;

(घ) क्या सरकार का विचार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों को रियायती दरों पर भंडारित गेहूं की अतिरिक्त मात्रा की बिक्री करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) 1.7.2000 को स्थिति के अनुसार केन्द्रीय पूल में गेहूं का स्टाक 277.57 लाख टन था जिसमें से 113.44 लाख टन का स्टाक भारतीय खाद्य निगम के पास है और 164.13 लाख टन का स्टाक राज्य एजेंसियों के पास है।

(ख) और (ग) चल रही खुला बाजार बिक्री के अधीन पंजाब को छोड़कर देश भर में गेहूं 900 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बेचा जा रहा है और पंजाब में भारतीय खाद्य निगम को निम्नलिखित दरों पर निपटाने का अधिकार दिया गया है :-

माह	दर
जुलाई, 2000	700 रुपये प्रति क्विंटल
अगस्त. 2000	750 रुपये प्रति क्विंटल
सितम्बर, 2000	800 रुपये प्रति क्विंटल

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

अफीम उत्पादकों को लाइसेंस

1026. **डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान मध्य प्रदेश के नीमच, मन्दसौर और रतलाम जिलों में कितने अफीम उत्पादकों को लाइसेंस दिए गए;

(ख) कुल कितने क्षेत्र में अफीम की खेती की गई है;

(ग) इस वर्ष अफीम उगाने वालों से किस क्वालिटी की फली (डोडा) प्राप्त होने की संभावना है;

(घ) क्या अफीम की फली (डोडा) की बिक्री हेतु लाइसेंस देने के संबंध में केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के बीच कोई मतभेद है; और

(ङ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा स्थिति को सुधारने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० धनन्जय कुमार) : (क) वर्ष 1999-2000 के दौरान नीमच, मन्दसौर और रतलाम जिला में में 61,701 अफीम उत्पादकों को लाइसेंस दिए गए थे। फसल वर्ष 2000-2001 के लिए लाइसेंस देना अभी शुरू किया जाना है।

(ख) वर्ष 1999-2000 के दौरान नीमच, मन्दसौर और रतलाम क तीन जिलों में कुल मिलाकर 11,185 हेक्टेयर क्षेत्र में खेती की गई है।

(ग) इस वर्ष अभी खेती शुरू नहीं हुई है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

पेरिस में भारत विकास मंच की बैठक

1027. **श्री माधवराव सिंधिया :**
श्री सुशील कुमार शिंदे :
श्रीमती रेणूका चौधरी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष मई में पेरिस में हुई भारत विकास मंच की बैठक में मई, 1998 में हुए परमाणु परीक्षणों के कारण भारत पर लगाए गए प्रतिबंध हटाने के प्रश्न पर विचार किया गया;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला;

(ग) मंच की बैठक में किस प्रकार और किसने भारत का पक्ष रखा;

(घ) क्या मई, 1998 में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों के बाद लगाए गए प्रतिबंध भारत विकास मंच द्वारा भारत को दी जाने वाली अनुदान सहायता के मार्ग में बाधा बने; और

(ङ) यदि हां, तो किस सीमा तक?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) भारत विकास मंच की मई, 2000 में हुई बैठक में आर्थिक प्रतिबंधों के मुद्दे पर चर्चा नहीं की गई थी। इस बैठक की कार्यसूची में भारत में विकास-योजना के ढांचे में विदेशी सहायता की कारगरता और प्रासंगिकता तथा विदेशी सहायता को देश की आर्थिक प्राथमिकताओं के अनुरूप बनाने की जरूरत से संबंधित मुद्दों पर महत्व दिया गया था। इस वर्ष भारत विकास मंच की बैठक में चर्चा का विषय था "निर्धनता–सरकारों का आयाम"। भारत विकास मंच की बैठक के लिए भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व सचिव (आर्थिक कार्य) ने किया।

(घ) और (ङ) भारत विकास मंच भारत को सहायता मुहैया नहीं कराता। समस्त सहायता दाताओं/विदेशी अभिकरणों द्वारा स्वयं अपने स्तर पर दी जाती है।

आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के तटवर्ती क्षेत्रों में पर्यटन का विकास

1028. **श्री ए० नरेन्द्र** : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश और कर्नाटक सरकारों ने अपने राज्यों विशेषकर तटवर्ती क्षेत्रों में पर्यटन के विकास हेतु कोई प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इन पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार द्वारा उक्त राज्यों में विदेशी पर्यटकों आकर्षित करने हेतु कोई "पैकेज" योजना तैयार की गई है; औ

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (ग और (ख) पर्यटक स्थलों का विकास करना मुख्यतया संबंधित रा सरकारों की जिम्मेदारी है। फिर भी, पर्यटन मंत्रालय उनसे विचार-वि करके प्रतिवर्ष, प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाओं के आधार पर विभि राज्य सरकारों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता मुहैया कराता है। आंध्र प्रदे और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में परियोजनाओं सहित, वर्ष 1999-20 के दौरान मंत्रालय द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की सूची-विवरण I औ II के रूप में संलग्न है।

(ग) और (घ) सरकार अपने विदेश स्थित कार्यालयों के माध्य से प्रिंट और इलेक्ट्रोनिक मीडिया में विज्ञापन देकर, यात्रा मेलों में भ लेकर, मीडिया और यात्रा अभिकर्ताओं को फेम ट्रिप पर आमंत्रित करके पर्यटन के संवर्धन में सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग करके कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों सहित भारत के संवर्धन द्वारा विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करती है।

विवरण-I

वर्ष 1999-2000 के दौरान आंध्र प्रदेश के लिए स्वीकृत योजनाएं/परियोजनाएं तथा रिलीज की गई राशि

(लाख रुपयों में)

क्रम सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि	रिलीज की गई राशि
1.	बोरा गुफाओं, विशाखापटनम में मार्गस्थ सुविधाएं	20.00	0.01 (टोकन)
2.	लांच स्टेशन, नागार्जुन सागर में वेटिंग लॉज-कम-पर्यटक स्वागत केन्द्र तथा भूदृश्यांकन	36.00	10.80
3.	विशाखापटनम में जनजातीय कला एवं शिल्प	30.00	9.00
4.	कसमूर दरगाह, नैल्लोर जिले में पर्यटक सुविधा केन्द्र	20.00	6.00
5.	गोलकुंडा में हैरिटेज इंटरप्रेटेशन सैंटर50.00	15.00	
6.	बोरा गुफाओं, विजग जिले में हाई मास्ट लाइट्स	4.00	0.035
7.	नागार्जुन सागर, नालगोंडा जिले में हाई मास्ट लाइट्स	4.00	0.04
8.	विजयवाड़ा में हाई मास्ट लाइट्स 4.00 0.035		
9.	रूशी कोंडा शोर एरिया, विजग जिले में हाई मास्ट लाइट्स	16.00	0.035
10.	दुर्गा घाट, विजयवाड़ा में जेट्टी का निर्माण	15.00	4.50
11.	के.वी. मोटल कृष्णा नदी, विजयवाड़ा में जेट्टी का निर्माण	16.50	5.00
12.	मेले तथा उत्सव (तीन परियोजनाएं)6.72 4.04		
	कुल 222.22 54.49		

विवरण-II

वर्ष 1999-2000 के दौरान कर्नाटक के लिए स्वीकृत योजनाएं/परियोजनाएं तथा रिलीज की गई राशि

(लाख रुपयों में)

क्रम सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि	रिलीज की गई राशि
1	2	3	4
1.	पजका क्षेत्र, उदयपुर जिले में पर्यटक गृह	49.00	15.00
2.	हनुमंथ नगर में पर्यटक गृह	10.00	4.30
3.	सागर, सिमोगा जिले में यात्री निवास	48.00	14.40
4.	यात्री निवास, सिरसी	48.00	14.40
5.	सिद्धरूधस्वामी मठ में यात्री निवास	38.27	0.01 (टोकन)
6.	गुलबर्गा में टी आर सी	22.40	6.72
7.	गडक/लक्कुंडी में मार्गस्थ सुविधाएं	30.00	0.01
8.	कुडलिगी (बेलारी जिला) में मार्गस्थ सुविधाएं	26.00	0.01 (टोकन)
9.	बांकपुर क्रास (धारवाड़ जिला) में मार्गस्थ सुविधाएं	25.00	7.50

1	2	3	4
10.	जल्की क्रास (बीजापुर जिला) में मार्गस्थ सुविधाएं	25.00	7.50
11.	बनारघाटा नेशनल पार्क, बंगलौर में मार्गस्थ सुविधाएं	27.35	0.01 (टोकन)
12.	मुथ्यालमाडु में नया पर्यटक कुटीर	44.66	0.01 (टोकन)
13.	श्रीरंगापटना में अतिरिक्त पर्यटक कुटीरें	27.50	0.10 (टोकन)
14.	नंदीहिल्स में अतिरिक्त आवास सुविधाएं	14.30	0.10 (टोकन)
15.	जोग के मध्य रास्ते में अरासीकेरे-होनावर में जन सुविधाएं	8.00	0.01 (टोकन)
16.	शिवनाश मुद्रा (दरगा के पास) में जन सुविधाएं	8.00	0.01 (टोकन)
17.	श्रीरामदेवरकटटे में जन सुविधाएं	8.00	0.01 (टोकन)
18.	बांदीपुर के पास मालेकामनावल्ली में जन सुविधाएं	8.00	0.01 (टोकन)
19.	गनीगापुरा (मंदिर के पास) गुलबर्गा जिला में जन सुविधाएं	8.00	0.01 (टोकन)
20.	हम्पी (4 नं.) में जन सुविधाएं	32.00	0.05 (टोकन)
21.	टुमकुर-होनावर रोड पर जन सुविधाएं	8.00	0.01 (टोकन)
22.	बादामी (गुफाओं के पास) में जन सुविधाएं	8.00	0.01 (टोकन)
23.	श्रीरंगापटना (गुम्बज के पास) में जन सुविधाएं	8.00	0.01 (टोकन)
24.	होरानाडू (कलासा के पास) में जन सुविधाएं	8.00	0.01 (टोकन)
25.	मंगलौर (2 नं.) के पास पीलीकुला निर्सगा धाम पर जन सुविधाएं	16.00	4.80
26.	जंगल लॉजिज टूरिज्म रिजार्ट, हम्पी	49.00	14.70
27.	सैंकी बोट क्लब, बंगलौर (के.एस.टी.डी.सी. प्रस्तावों) में जेटटी का निर्माण	5.50	0.04
28.	डोडा मकाली मांडया जिला में कावेरी फिशिंग कैंप यूनिट-2 पर लॉज फारेस्टस का निर्माण	45.40	13.62
29.	चिकमगलूर जिले में कैमनगुण्डी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी सुविधाओं का निर्माण	45.45	13.63
30.	बनारघट्टा में विद्यार्थियों के लिए नेचर कैम्प सुविधा संबंधी निर्माण	32.00	0.10
31.	बंगलौर के निकट बनारघट्टा राष्ट्रीय पार्क में पारिस्थितिकी पर्यटन रिजार्ट	48.00	0.01
32.	मैसूर बेलगांव में ओबीएम की खरीद	13.62	6.80
33.	देवबाग बीच रिजार्ट के लिए जलक्रीड़ा उपकरण की प्राप्ति	5.00	2.50
34.	विभिन्न बोट क्लबों के लिए जलक्रीड़ा उपकरण	8.67	3.00
35.	चित्रदुर्ग जिले की प्रकाश-पुंज व्यवस्था/फोर्टलाइटिंग	18.55	0.04
36.	गुलमर्ग के टिप्पस समर प्लेस की प्रकाश-पुंज व्यवस्था/फ्लडलाइटिंग	17.23	0.03
37.	हम्पी पर्व	2.50	1.25
38.	जोगफाल की संभाव्यता अध्ययन रिपार्ट	10.00	5.00
	जोड़	856.40	135.73

विदेशी टी०वी० चैनलों पर करारोपण हेतु मानदंड

1029. **श्री पी०एस० गढ़वी :**
श्री किरीट सोमैया :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विदेशी उपग्रह केबल टी.वी. कम्पनियों पर करारोपण के मानदंडों में संशोधन पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या स्टार टी.वी., जी.टी.वी. जैसी इन कम्पनियों को इस समय पूर्व निर्धारित निवल आय के आधार पर कर भुगतान करना है;

(ग) यदि हां, तो वर्तमान मानदण्ड और भुगतान हेतु अपेक्षित करों का % क्या है;

(घ) गत चार वर्षों के दौरान ऐसी विभिन्न विदेशी चैनल कम्पनियों से सरकार ने कुल कितनी कर राशि का संग्रह किया;

(ङ) क्या कई कम्पनियां भारत में किसी न किसी बहाने से कर का भुगतान नहीं कर रही हैं;

(च) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार विदेशी टी.वी. चैनल कम्पनियों के मामले की दुबारा जांच करके इन सभी को कराधान के ढांचे में लाने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० धनन्जय कुमार) : (क) सरकार विदेशी दूर-प्रसारण कम्पनियों पर कर लगाने के मानदंडों की समीक्षा कर रही है। लेकिन इस समय केबल टी.वी. कंपनियों के कराधान के मानदंडों में संशोधन सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) कराधेय आय विज्ञापन अभिकर्ता और विदेशी दूर प्रसारण कंपनी के भारतीय अभिकर्ता द्वारा रखी गई धनराशि को निकालकर कुल सकल प्राप्तियों का 10% निर्धारित किया जाता है।

(घ) गत चार कर निर्धारण वर्षों के दौरान ऐसी विदेशी दूर-प्रसारण कम्पनियों द्वारा आयकर के रूप में 71.21 करोड़ रुपये की धन-राशि चुकाई गई है।

(ङ) विदेशी टी.वी. चैनल के एक मामले में सूचना प्राप्त हुई है जिसने भारत में कर मांग का विरोध किया है।

(च) और (छ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पारिस्थितिकी अनुकूल पर्यटन का विकास

1030. **श्री दिनेश चन्द्र यादव :** क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की अपने यहां पारिस्थितिकी पर्यटन का विकास करने हेतु स्थलों की पहचान करने का अनुरोध किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस उद्देश्य हेतु राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने स्थलों की पहचान की गई है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पर्यटन विभाग, भारत सरकार ने वर्ष 1998 में भारत में पारिस्थितिकी पर्यटन हेतु नीति एवं दिशानिर्देश तैयार किए हैं। राज्य/संघ राज्य सरकारों के परामर्श से प्राथमिकता प्राप्त पारिस्थितिकी के अनुकूल पर्यटन परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता दी जाती है। पारिस्थितिकी के अनुकूल निम्नलिखित पर्यटन परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई थी :-

क्रम सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि (लाख रु. में)
1.	कर्नाटक राज्य के चिकमगलूर जिले में केमनगुंडी में पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी सुविधा	45.00
2.	बंगलौर के निकट बनरघट्टा राष्ट्रीय पार्क में पारिस्थितिकी पर्यटन रिजार्ट	48.00
3.	केरल में थेकड्डी से मुन्नर तक के सड़क संपर्क मार्ग का समेकित विकास	100.00
4.	केरल में थेकड्डी में पारिस्थितिकी अनुकूल ध्वनिरहित जेनरेटर	38.09
5.	उड़ीसा में कुलडीहा में ट्रेकिंग बेस कैंप का निर्माण	45.00
6.	हिमाचल प्रदेश में कुफरी में एनवायरमेंट प्रजेंटेशन स्कीम का विकास	25.91
7.	तमिलनाडु में पिचवरम में पारिस्थितिकी पर्यटन केन्द्र का संवर्धन	50.00

पश्चिम बंगाल राज्य ने पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी गतिविधियों के लिए दार्जिलिंग हिल, डुअर्स तथा पुरुलिया और बंकुरा जिले में पश्चिमी वन क्षेत्रों और सुंदरवनों को अभिनिर्धारित किया है।

[अनुवाद]

टी०वी० धारावाहिकों/विज्ञापनों से आय

1031. **श्री अजय सिंह चौटाला :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1999-2000 तथा 2000-2001 के दौरान टी.वी. धारावाहिकों तथा विज्ञापनों से होने वाली अनुमानित आय का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त स्रोतों से आज तक कितनी वास्तविक आय प्राप्त हुई;

(ग) उक्त अवधि के दौरान टी.वी. धारावाहिकों के आबंटन के संबंध में आई कथित अनियमितताओं के कितने मामलों का पता लगा तथा इसमें कितनी राशि शामिल है; और

(घ) इस प्रकार की अनियमितताओं को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) और (ख) दूरदर्शन द्वारा 1999-2000 तथा 2000-2001 के दौरान अनुमानित वाणिज्यिक राजस्व तथा कुल वास्तविक रूप से अर्जित वाणिज्यिक राजस्व का विवरण इस प्रकार है :-

वर्ष	अनुमानित राजस्व (रु. करोड़ में)	अर्जित राजस्व (रु. करोड़ में)
1999-2000	500.00	610.29
2000-2001	650.00	90 (19.7.2000 तक)

(ग) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि उपरोक्त अवधि के दौरान टी.वी. धारावाहिकों के आबंटन में तथाकथित अनियमितताओं का कोई मामला नहीं पाया गया है।

(घ) दूरदर्शन के कार्यकलापों के भ्रष्टाचार संभावित क्षेत्रों की पहचान कर ली गई है और धारावाहिकों/कार्यक्रमों आयोजनों आदि के बारे में की जाने वाली कार्यवाही में निहित प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाने के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही दूरदर्शन में तथाकथित भ्रष्टाचार से संबंधित सभी शिकायतों की अच्छी तरह से जांच की जाती है।

अनुप्रयोज्य आस्तियां

1032. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री ए०एफ० गुलाम उस्मानी :
श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के 51,000 करोड़ रुपये की भारी भरकम अनुप्रयोज्य आस्तियों की समस्या से निपटने के क्रम में भारतीय रिजर्व बैंक ने अशोध्य ऋणों की वसूली के लिए दिशा-निर्देश तैयार किए हैं;

(ख) यदि हां, तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तैयार मुख्य दिशा-निर्देश क्या हैं;

(ग) इन दिशा-निर्देशों को बैंकों द्वारा कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है;

(घ) यदि नहीं, तो 15 जुलाई, 2000 की अंतिम समय सीमा का पालन न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने अशोध्य ऋणों पर ब्याज माफ करने के संबंध में अपनाई जाने वाली एक नीति तैयार की है;

(च) क्या सरकार ने इस संबंध में रिपोर्ट देने के लिए एक सात सदस्यीय दल का भी गठन किया है; और

(छ) यदि हां, तो दल द्वारा कब तक अपनी रिपोर्ट दे दिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों में पुरानी अनुप्रयोज्य आस्तियों (एनपीए) के स्टाक की समस्या के समाधान के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कार्रवाई शुरू की गई है। संशोधित मार्गनिर्देशों के दायरे में सभी क्षेत्रों की एनपीए आएंगी, चाहे उनके कारोबार की प्रवृत्ति कुछ भी हो, जो दिनांक 31.3.1997 की स्थिति के अनुसार संदिग्ध या घाटे वाली हो चुकी हैं तथा इस प्रकार की एनपीए भी जिन्हें 31 मार्च, 1997 की स्थिति के अनुसार अवमानक के रूप में वर्गीकृत किया गया है और परिणामस्वरूप जो संदिग्ध या घाटे वाली हो चुकी हैं। ये मार्गनिर्देश विवेकाधिकारहीन और अभेदमूलक होंगे। यद्यपि यह निर्णय लिया गया था कि निर्दिष्ट तारीख को 10 करोड़ रुपए और उससे कम की बकाया राशि वाली एनपीए के लिए ही मार्गनिर्देश बनाए जाएं, मामले का पुन:परीक्षण किया गया है और पुनरीक्षा पर निर्दिष्ट सीमा को 5 करोड़ रुपए पर स्थिर रखने का निर्णय लिया गया है। 5 करोड़ रुपए से अधिक के एनपीए वाले खातों की वसूली की निगरानी एवं अनुवर्ती कार्रवाई निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित की गई नीति के अनुसार मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) द्वारा व्यक्तिगत रूप से की जाएगी।

(ग) और (घ) मार्गनिर्देशों को अंतिम रूप देने में शामिल परामर्श प्रक्रिया फलस्वरूप मार्गनिर्देशों को अंतिम रूप देना और 15 जुलाई, 2000 तक जारी करना संभव नहीं था जैसी कि प्रारंभ में आशा की गई थी। अब मार्गनिर्देशों को अंतिम रूप दिया जा चुका है और आरबीआई द्वारा सभी क्षेत्रों को कवर करने वाली एनपीए में बकाया राशि की वसूली के संबंध में मार्गनिर्देश जारी करने के लिए कार्रवाई शुरू की गई है। बैंकों से आशा की जाती है कि वे अनुपयोज्य आस्तियों की समस्याओं को इन मार्गनिर्देशों के आधार पर सुलझाएं।

(ङ) जी, नहीं।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

सेवा कर

1033. **श्री कृष्णमराजू :**
श्री सुरेश रामराव चाचव :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेवा कर का स्वैच्छिक अनुपालन बढ़ाने और वर्तमान प्रक्रिया को और प्रभावी बनाने के लिए उपाय सुझाने हेतु सेवा कर विशेषज्ञ ग्रुप गठित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पेनल अपनी अंतिम रिपोर्ट कब तक दे देगा;

(घ) क्या विचारार्थ विषय में सेवा करके क्षेत्र में टैक्स बेस बढ़ाने संबंधी सिफारिशें करना शामिल है;

(ङ) यदि हां, तो क्या विशेषज्ञ ग्रुप द्वारा कोई अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है; और

(च) यदि नहीं, तो अंतरिम रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर दिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० धनन्जय कुमार) : (क) और (ख) जी हां, सरकार ने सेवाओं पर कर लगाने के क्षेत्र से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जांच करने तथा इस संबंध में सिफारिशें करने के लिए सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन संस्थान बंगलौर के निदेशक डा. एम. गोविन्द राव की अध्यक्षता में सेवा कर पर एक विशेषज्ञ दल का गठन किया है।

(ग) इस विशेषज्ञ दल को दिनांक 31 दिसंबर, 2000 तक सरकार को अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है।

(घ) जी, हां। इस विशेषज्ञ दल के विचारणीय विषयें में, अन्य बातों के साथ-साथ, सेवा करके विद्यमान ढांचे की जांच करना तथा सेवाओं के क्षेत्र में कर आधार के विस्तार के बारे में सिफारिशें करना तथा इनके संबंध में समय निर्धारित करना भी शामिल है।

(ङ) और (च) विशेषज्ञ दल को दिनांक 31 अक्तूबर, 2000 तक सरकार को अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

सुपर बाजार की भूमि

1034. श्री कासव्व श्रीनिवासुलु : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुपर बाजार द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण से खरीदी गई 100 करोड़ रुपए की भूमि के रिकार्ड खोए जाने की सूचना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस भूमि पर कब्जा जमाने वाले धोखेबाजों से इसे वापस लेने हेतु क्या कार्रवाई की गई है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद) : (क) और (ख) सुपर बाजार, दिल्ली ने सूचित किया है कि जिन फाइलों में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा सुपर बाजार को भूमि पट्टे पर दिए जाने का रिकार्ड था वे सुपर बाजार के कार्यालय से गुम हो गई है।

(ग) सुपर बाजार रिकार्ड/फाइलों को फिर से तैयार करने की कोशिश कर रहा है, ताकि उपयुक्त कार्रवाई की जा सके।

राज्य व्यापार निगम (एस०टी०सी०) द्वारा तम्बाकू की खरीद

1035. श्री के० येरननायडू :
श्री ए० ब्रह्मनैया :
श्रीमती डी०एम० विजया कुमारी :
श्री मुद्रागाड़ा पद्मानाभम् :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम (एस.टी.सी.) ने आंध्र प्रदेश और अन्य राज्यों के किसानों से तम्बाकू खरीदा है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष में आज की तिथि तक राज्य-वार कितना तम्बाकू खरीदा गया है;

(ग) क्या राज्य व्यापार निगम (एस.टी.सी.) की तम्बाकू की खरीद प्रक्रिया बहुत धीमी है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) चालू वर्ष की शेष अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य से राज्य व्यापार निगम (एस.टी.सी.) द्वारा तम्बाकू के और कितने भंडार खरीदे जाने की संभावना है;

(च) क्या राज्य व्यापार निगम (एस.टी.सी.) ने नये बाजारों की खोज की है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या मध्य एशिया में तम्बाकू के विनिमय व्यापार की अच्छी संभावनाएं हैं; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) वर्ष 2000 की नीलामियों में एस.टी.सी. ने 25.7.2000 तक आंध्र प्रदेश में सभी प्लेटफार्मों से 5.60 मिल. किग्रा. एफ.सी.वी. तम्बाकू की खरीद की है।

(ग) और (घ) एस.टी.सी. द्वारा केवल स्ट्रेट ग्रेडों के तम्बाकू की खरीद की जाती है।

(ङ) चालू मौसम के दौरान जब तक स्ट्रेट ग्रेडों की उपलब्धता रहेगी, एस.टी.सी. का निष्पादन जारी रहेगा।

(च) और (छ) एस.टी.सी. ने जार्डन, मिस्र तथा वियतनाम को तम्बाकू का निर्यात करने की संभावना का पता लगाया है।

(ज) और (झ) भारत से मध्य एशियाई देशों को निर्यात के लिए तम्बाकू एक मुख्य वस्तु नहीं है और तम्बाकू को एक वस्तु विनिमय व्यापार मद के रूप में उपयोग करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

उचित दर की दुकानों के लिए सतर्कता समिति

1036. श्री अशोक ना० मोहोल : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से खंड, जिला और राज्य जैसे सभी स्तरों पर उचित दर की दुकानों के लिए सतर्कता समितियों के गठन का निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो वे राज्य कौन-कौन से हैं जिन्होंने अभी तक इन मार्ग-निर्देशों का अनुसरण किया है; और

(ग) सरकार द्वारा इसे सभी राज्य सरकारों के लिए अनिवार्य बनाने हेतु क्या कदम उठाए हैं?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) जी, हां। राशनिंग प्रणाली के आरंभ से ही सतर्कता समितियों को गठित करने पर विचार किया गया था। केन्द्रीय सरकार समय-समय पर राज्य सरकारों से ये अनुरोध करती रही है कि वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित सतर्कता समितियों को सक्रिय करें और यदि इन समितियों को अभी तक पुनर्गठित नहीं किया गया हो तो इन्हें पुनर्गठित करें और इसमें कार्डधारकों में से उपभोक्ता कार्डधारकों और संसद सदस्यों को भी शामिल करके पुनर्गठित करें।

(ख) राज्यों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कार्यप्रणाली की मानीटरिंग करने के लिए विभिन्न स्तरों जैसे खंड, जिला और राज्य पर सतर्कता समितियों के गठन के संबंध में गोवा, दमन और दीव को छोड़कर सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों ने सूचित कर दिया है।

(ग) मार्च, 1987 में जारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मार्गदर्शी सिद्धांतों और फरवरी, 1997 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार राज्य सरकार को परामर्श दिया गया है कि वह देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण की सामाजिक लेखापरीक्षा के रूप में सतर्कता समितियों का गठन करे। राज्य सरकारों द्वारा अपनाए जाने हेतु नवम्बर, 1997 में जारी किए गए माडल सिटीजन चार्टर में पंचायत/वार्ड, तालुक, जिला और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर राज्य सरकार द्वारा सतर्कता समितियों का गठन किए जाने पर भी जोर दिया गया है। जून, 1999 में जारी किए गए पंचायती राज संस्थाओं संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों में भी यह उल्लेख किया गया है कि ग्राम पंचायतों/ग्राम सभाओं को भी उचित दर दुकान समितियां गठित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिनमें क्षेत्र की उचित दर दुकान के मालिक सतर्कता समितियों के सदस्य और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली समूह को महिलाओं तथा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधि शामिल किए जाने चाहिए।

[हिन्दी]

देश में दूरदर्शन ट्रांसमीटरों की स्थापना

1037. मोहम्मद शाहनवाज़ चौधरी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न भागों में दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने का राज्य-वार कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो वे कौन-कौन से स्थान हैं जहां इन ट्रांसमीटरों को स्थापित किया जाएगा;

(ग) क्या सरकार को सीवान संसदीय क्षेत्र में उच्च क्षमता वाले दूरदर्शन ट्रांसमीटरों की स्थापना हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो इस ट्रांसमीटर को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) जी, हां।

(ख) वर्तमान में, 255 ट्रांसमीटर परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। इन ट्रांसमीटरों के राज्य-वार स्थान संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) सिवान में उच्च शक्ति ट्रांसमीटर स्थापित करने की कोई स्कीम नहीं है। तथापि, सिवान में और इसके आस-पास दूरदर्शन कवरेज को सुदृढ़ करने के विचार से 2001 के दौरान 100 वाट के मौजूदा अल्प शक्ति ट्रांसमीटर के स्थान पर 500 वाट का ट्रांसमीटर स्थापित किए जाने का विचार है।

विवरण

दिनांक 25.7.2000 तक की स्थिति के अनुसार कार्यान्वयनाधीन दूरदर्शन ट्रांसमीटर

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	स्थान
1	2
आंध्र प्रदेश	उ.श.ट्रा.
	राजमुंदरी
	वारांगल
	विजयवाडा (डीडी-2)
	अ.श.ट्रा.
	कान्दुकूर
	मछलीपट्टनम
	गिरयालगाडा
	मदगुला
	पासरा

1	2
	पेडापल्ली
	पुलमानेर
	पुनगनूर
	सिरिसिला
	सिरपुर
	उदयगिरि
	वेमालवाडा
	जहीराबाद
	अ.अ.श.ट्रा.
	दुत्तालुर
	कानीगिरि
	मादीपारदू
अरुणाचल प्रदेश	अ.अ.श.ट्रा.
	संग्राम
	ईटालिन
	देवमाली
	तूतिंग
असम	ड.शा.ट्रा.
	सिलचर (डीडी-2)
	ट्रान्सपोजर
	गुवाहाटी
बिहार	ड.श.ट्रा.
	जमशेदपुर
	पटना (डीडी-2)
	रांची (डीडी-2)
	मुज्जफरपुर (डीडी-2)
	अ.श.ट्रा.
	किशनगंज
	चतरा
	रामनगर
	जमशेदपुर (डीडी-2)
	धनबाद (डीडी-2)
	अ.अ.श.ट्रा.
	रामगढ़ पहाड़ी

1	2
गोवा	ड.श.ट्रा.
	पणजी (डीडी-2)
गुजरात	ड.श.ट्रा.
	सूरत
	वडोदरा
	अ.श.ट्रा.
	वडोदरा (डीडी-2)
	सूरत (डीडी-2)
	राजकोट (डीडी-2)
हरियाणा	अ.श.ट्रा.
	भिवानी (डीडी-2)
हिमाचल प्रदेश	ड.श.ट्रा.
	शिमला (डीडी-2)
	अ.श.ट्रा.
	मण्डी (डीडी-2)
	अ.अ.श.ट्रा.
	आवा देवी
	विजली महादेव
	डलहौंजी
	झटिनागिरि
	काजा
	नेहरी
	तिस्सा
जम्मू और कश्मीर	ड.श.ट्रा.
	कुपवाड़ा
	कुपवाड़ा (डीडी-2)
	नौसेरा
	नौसेरा (डीडी-2)
	गुरेज
	गुरेज (डीडी-2)
	तिथवाल
	तिथवाल (डीडी-2)

1	2
	रनबीरसिंहपुरा/साम्बा (डीडी-2)
	पुंछ (डीडी-2)
	अ.श.ट्रा.
	उधमपुर
	चल अ.श.ट्रा.-सं-12
	अ.अ.श.ट्रा.
	अबरान
	आशमुक्वाम
	बनीहाल
	बसोली
	बटालिक
	बेफिलियाज
	बोध खुरबो
	वोनियार
	दाह
	दारहाल
	धार
	दोमचुक
	गन्दोह
	गूल
	गुलाबगढ़
	गुलमर्ग
	हैन्डिल
	हीरानगर
	हॉट स्प्रिंग
	ईचार
	कांगन
	केरान
	खटिया
	खिरू
	कोटरंका
	लाटी

1	2
	लिंगशेड
	लोलब वैली
	लोरन
	माचिल
	माहोर
	मण्डी
	मंजकोट
	मनसूर
	मेंधर
	नौंगांव
	पनामिक
	पेस्था
	पोनी
	पुलवामा
	रामकोट
	रामनगर
	रिंगडम गोम्पा
	शेपियन
	सोनमार्ग
	सुन्दरबनी
	तंगमार्ग
	तातापानी
	थाथरी
	तिलेल
	ट्राल
	ट्रेग्राम
	तुरतुक
	यूंसमार्ग
	अंगला
कर्नाटक	ड.श.ट्रा.
	हासन
	मंगलौर

1	2
	मैसूर
	रायचूर
	अ.श.ट्रा.
	जमखण्डी
	मुधोल
	तालीकोटा
	इन्द्री
	बेलथांगढी
	कोप्पा
	मुन्दार्गी
	सिधनूर
	मैसूर (डीडी-2)
	अ.अ.श.ट्रा.
	कुदलिगि
	हुविन हिप्पारगी
केरल	**उ.श.ट्रा.**
	कालीकट
	कैन्नोर
	कोचीन (डीडी-2)
	त्रिवेन्द्रम (डीडी-2)
	अ.श.ट्रा.
	कोटटराक्करा
	मंजेरी
	अ.अ.श.ट्रा.
	एराट्टूपेट्टा
	मुन्दाक्यम
मध्य प्रदेश	**उ.श.ट्रा.**
	अम्बिकापुर
	गुना
	शहडोल
	भोपाल (डीडी-2)
	इन्दौर (डीडी-2)

1	2
	जबलपुर (डीडी-2)
	अ.श.ट्रा.
	आगर
	बरेली
	चम्पा
	खरोड
	कोन्टा
	लखनडोन
	पन्डेरिया
	अ.अ.श.ट्रा.
	सिन्धवा
	पाथलगांव
	आलोट
महाराष्ट्र	**उ.श.ट्रा.**
	चन्द्रपुर
	जलगांव
	रत्नागिरि
	नागपुर (डीडी-2)
	अ.श.ट्रा.
	भामरगढ़
	दरयापुर
	धादगांव
	रावेर
	नासिक (डीडी-2)
	शोलापुर
	अ.अ.श.ट्रा.
	अम्बेट
	सकोली
मणिपुर	**उ.श.ट्रा.**
	चूड़ाचांदपुर
मिजोरम	**अ.श.ट्रा.**
	लावंगतलई

1	2
नागालैंड	ट्रांसपोजर
	बाराबस्ती
उड़ीसा	ठ.श.ट्रा.
	बेरहामपुर
	सम्बलपुर
	सम्बलपुर (डीडी-2)
	अ.श.ट्रा.
	चिकती
	तुशारा
	बालेश्वर (डीडी-2)
पंजाब	ठ.श.ट्रा.
	फाजिल्का
	अमृतसर (संवर्धन)
	अमृतसर (डीडी-2)
राजस्थान	ठ.श.ट्रा.
	अजमेर
	बाडमेर
	जयपुर (डीडी-2)
	जोधपुर (डीडी-2)
	अ.श.ट्रा.
	भीनमाल
	किशनगढ़ (अजमेर)
	नसीराबाद
	विजयनगर
	संचोर
	पीरवा
	सोजात
	अजमेर (डीडी-2)
	बीकानेर (डीडी-2)
	अ.अ.श.ट्रा.
	तिबी
सिक्किम	अ.अ.श.ट्रा.
	जोरथांग

1	2
तमिलनाडु	ठ.श.ट्रा.
	कुम्बाकोडम
	अ.श.ट्रा.
	अम्बसाद्रम
	अम्बूर
	इरोड़
	काल्लाकुरची
	पलानी
	पोल्लची
	त्रिची (डीडी-2)
	कोयम्बतूर (डीडी-2)
त्रिपुरा	ठ.श.ट्रा.
	अगरतला (डीडी-2)
	अ.श.ट्रा.
	अमरपुर
	अम्बासा
	जोलईबाडी
उत्तर प्रदेश	ठ.श.ट्रा.
	बान्दा
	लखीमपुर
	आगरा (डीडी-2)
	इलाहाबाद (डीडी-2)
	लखनऊ (डीडी-2)
	वाराणसी (डीडी-2)
	गोरखपुर (डीडी-2)
	अ.श.ट्रा.
	विधुना
	धूनाघाट
	गोपेश्वर
	खेतीखान
	कोसी
	नरोरा

1	2
	बरेली (डीडी-2)
	अलीगढ़ (डीडी-2)
	झांसी (डीडी-2)
	अ.अ.श.ट्रा.
	बद्रीनाथ
	चमोली
	टुगड्डा
	केदारनाथ
	मनीला
	अरोली
	ट्रान्सपोजर
	मसूरी (डीडी-2)
प. बंगाल	**उ.श.ट्रा.**
	बलूरघाट
	खड़गपुर
	कृष्णानगर
	शान्तिनिकेतन
	असनसोल (डीडी-2)
	मुर्शिदाबाद (डीडी-2)
	अ.श.ट्रा.
	झाल्डा
पांडिचेरी	**उ.श.ट्रा.**
	पांडिचेरी

अल्पसंख्यकों के विकास हेतु बैंक

1038. श्री अब्दुल रशीद शाहीन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्पसंख्यकों के विकास हेतु स्थापित बैंक को सरकार ने अब तक कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितनी राशि स्वीकृत और जारी की गई; और

(ग) यदि नहीं, तो स्वीकृत पूरी धनराशि को तत्काल जारी करने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) संभवत: माननीय सदस्य अल्पसंख्यकों के कल्याण और विकास के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत स्थापित किए गए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम के बारे में जानना चाहते हैं। सामाजिक न्याय एवं शक्ति प्रदत्त मंत्रालय (मिनिस्ट्री आफ सोशल जस्टिस एण्ड इम्पावरमेंट) ने सूचित किया है कि वर्ष 1998-99 और 1999-2000 के दौरान निगम को क्रमश: 32 करोड़ रुपए और 20 करोड़ रुपए की राशि का संवितरण किया गया है।

[अनुवाद]

स्वास्थ्य सेवाओं हेतु महाराष्ट्र को विश्व बैंक ऋण

1039. श्री के०पी० सिंह देव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने महाराष्ट्र में स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए 134 मिलियन डालर की धनराशि स्वीकृत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उसका औचित्य क्या है;

(ग) क्या उड़ीसा सहित अन्य राज्यों के लिए इस प्रकार के ऋण उपलब्ध कराने पर भी विचार किया जा रहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, हां। महाराष्ट्र राज्य स्वास्थ्य प्रणाली परियोजना विश्व बैंक से प्राप्त 134 मिलियन डालर की सहायता से आरंभ की गई है।

(ख) महाराष्ट्र राज्य स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना नीतिगत और संस्थागत विकास के जरिए स्वास्थ्य संसाधनों के आबंटन और प्रयोग संबंधी कार्यक्षमता में सुधार करने और प्रथम रेफरल स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं की कार्यदक्षता, कारगरता और कवरेज में वृद्धि करके एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के स्तर पर चुनिंदा कवरेज करके स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के कार्य-निष्पादन में सुधार करने के उद्देश्य से आरंभ की गई है। परियोजना की कुल लागत 158 मिलियन डालर है जिसमें से 134 मिलियन डालर की लागत विश्व बैंक से प्राप्त ब्याज-मुक्त ऋण से पूरी की जाएगी और शेष राशि महाराष्ट्र सरकार द्वारा दी जाएगी। यह परियोजना फरवरी, 1999 से कार्यान्वित की जा रही है और 31.3.2005 को समाप्त होगी।

(ग) विश्व बैंक की सहायता से इसी प्रकार की राज्य स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजनाएं आंध्र प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा में शुरू की गई हैं। उत्तर प्रदेश में राज्य स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना हेतु विश्व बैंक के साथ एक ऋण-करार पर हाल ही में हस्ताक्षर किए गए हैं।

(घ) ऊपर (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

व्यापारिक संबंध

1040. श्री जी०जे० जाधीवा :
श्री दिनशा पटेल :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय संघ के देशों सहित कई देशों ने भारत के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाने में गहन रुचि दिखलाई है;

(ख) यदि हां, तो ये देश कौन-से हैं;

(ग) क्या इन देशों के साथ आर्थिक और व्यापारिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण साझेदारी के लिए किसी संधि पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो देश-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) प्रत्येक देश से प्राप्त प्रस्तावों और संबंधित क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;

(च) संधि से किस सीमा तक द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार और वित्तीय मामलों में भारतीय हित सधने की संभावना है; और

(छ) सरकार विभिन्न देशों के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाने के लिए और क्या कदम उठा रही है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और यूरोपीय संघ, उप-सहारा अफ्रीका, उत्तर-पूर्वी एशिया, पूर्वी एशिया, ...गी एशिया, पश्चिमी एशिया एवं उत्तरी अफ्रीका, उत्तरी अमरीका और लैटिन अमरीका सहित अनेक यूरोपीय देशों ने भारत के साथ व्यापार संबंधों को बढ़ाने में रुचि दिखाई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) भारत तथा इन देशों के बीच व्यापार संबंधों को बढ़ाना एक सतत प्रक्रिया है और सरकार द्वारा इस दिशा में उठाए गए कदमों में शामिल हैं—संयुक्त आयोग/संयुक्त समिति की समय-समय पर बैठकें, बुनियादी सुविधा में सुधार के लिए करारों का संपादन, आर्थिक और वाणिज्यिक जानकारी का आदान-प्रदान, व्यापार स्तर पर संपर्क को सरल बनाना, शिष्टमंडलों का आदान-प्रदान, व्यापार मेलों/क्रेता-विक्रेता बैठकों/सेमिनारों में भागीदारी इत्यादि।

[हिन्दी]

बैंक प्रमुखों की बैठक

1041. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :
श्री सुन्दर लाल तिवारी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-निष्पादक आस्तियों की समस्या को हल करने के लिए बैंक प्रमुखों की कोई बैठक बुलाई गई थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त बैठक कब बुलाई गई थी और उसमें लिए गए निर्णय का ब्यौरा क्या है; और

(ग) निर्णय को कब तक क्रियान्वित कर दिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) भारतीय बैंक संघ के तत्वावधान में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मुख्य कार्यपालकों की वित्त मंत्री जी के साथ 13 जून, 2000 को एक बैठक हुई थी। इस बैठक में विचार-विमर्श किए गए मुद्दों में से एक अनुपयोज्य आस्तियों की समस्या थी, इस बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि सभी क्षेत्रों में सभी अनुपयोज्य आस्तियों को शामिल करते हुए निर्धारित निर्दिष्ट तारीख एवं पूर्व निर्धारित निर्दिष्ट सीमा सहित अभेदमूलक एवं गैर विवेकाधीन प्रकृति के मार्गनिर्देश विकसित किए जाएंगे। ये मार्गनिर्देश दिनांक 31.3.2001 तक संचालन में रहेंगे। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया था कि पूर्व निर्धारित सीमा से अधिक अनुपयोज्य आस्तियों के निपटान के लिए संबंधित बैंक का निदेशक बोर्ड पूर्व निर्धारित सीमा से कम अनुपयोज्य आस्तियों के लिए मार्गनिर्देश के पैरामीटरों को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त नीति विकसित करेगा। यह भी निर्णय लिया गया था कि जहां बैंक बोर्ड इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि पुनर्वास योजना या एकबारगी निपटान संभव नहीं है, वहां और समय बर्बाद न करते हुए वसूली मुकदमें दायर कर दिए जाने चाहिए। विभिन्न राशियों की अनुपयोज्य आस्तियों पर निगरानी के स्तरों पर भी बैठक में चर्चा की गई थी।

(ग) सभी क्षेत्रों को शामिल करते हुए अनुपयोज्य आस्तियों में बकाया राशि की वसूली से संबंधित मार्गनिर्देश जारी करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्रवाई शुरू कर दी है।

[अनुवाद]

चीनी का निर्यात

1042. श्री चन्द्र भूषण सिंह :
श्री जे०एस० वराड़ :
श्री राजीलाल सुमन :
श्री अक्तार सिंह भड़ाना :

क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में चीनी के अतिरिक्त स्टॉक को निर्यात करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान कितनी चीनी निर्यात किए जाने का प्रस्ताव है और इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रयोजनार्थ चीनी के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के बारे में सूचना एकत्र कर ली है;

(घ) यदि हां, तो इस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी का अनुमानित मूल्य कितना है;

(ङ) क्या चीनी उद्योग इस मूल्य पर चीनी निर्यात करके लाभ कमा सकता है; और

(च) यदि हां, तो इससे कितना लाभ कमाने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद) : (क) से (च) सरकार ने घरेलू उत्पादन की 10 लाख टन चीनी का निर्यात करने की अनुमति देने का निर्णय किया है। ये निर्यात चीनी मिलों द्वारा सीधे अथवा निर्यातकों के माध्यम से किए जा सकते हैं।

जुलाई, 2000 मास के दौरान (20.7.2000 तक) अंतर्राष्ट्रीय बाजार (लंदन दैनिक मूल्य) में श्वेत चीनी के जहाज तक निष्प्रभार मूल्य 237.70 अमरीकी डालर प्रति टन से 252.70 अमरीकी डालर प्रति टन के रेंज में थे जिनका औसत 243.00 अमरीकी डालर प्रति टन बैठता है।

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम मूल्यों के कारण चीनी का वाणिज्यिक निर्यात करना फिलहाल व्यवहार्य नहीं है। चीनी के वाणिज्यिक निर्यात को व्यवहार्य बनाने के उद्देश्य से, सरकार ने निर्यात की जाने वाली चीनी को लेवी के दायित्व से छूट देने का निर्णय किया है। यह छूट 1 जून, 2000 से छः माह तक की अवधि के लिए दी गई है।

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी के मूल्यों में वृद्धि का रुख हो रहा है। अतः अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि होने के साथ भारत से चीनी का निर्यात होने की आशा है। तथापि, इस समय निर्यात से प्राप्त होने वाली धनराशि बताना संभव नहीं है क्योंकि चीनी का वाणिज्यिक निर्यात अभी आरंभ होना है।

राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ द्वारा घटिया गुणवत्ता वाली लेखन-सामग्री की आपूर्ति

1043. **श्री रघुनाथ झा :**
श्री चन्द्रनाथ सिंह :
श्री शीशराम सिंह रवि :

क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड द्वारा घटिया दर्जे की लेखन सामग्री और कार्यालय उपयोग की अन्य वस्तुओं की आपूर्ति उच्च दरों पर करने संबंधी कितनी शिकायतें सरकारी कार्यालयों से प्राप्त हुई हैं और उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) गुणवत्ता वाली कार्यालय वस्तुओं की आपूर्ति करने और कार्यालयों को राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ द्वारा अपने आपूर्तिकर्ताओं द्वारा सीधी आपूर्ति करने से रोकने और वस्तुओं का अतिरिक्त भंडार रखने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) आपूर्तिकर्ताओं और इसके कर्मचारियों के विरुद्ध राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के सतर्कता विभाग द्वारा कितने मामले दर्ज किए गए हैं और उनका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा आज तक इस पर क्या कार्रवाई की गई?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद) : (क) और (ख) राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार उन्हें 1998 और 1999 के दौरान तौलिए और स्याही के छोटे आकार के कार्ट्रिजों की सप्लाई के बारे में क्रमशः भारतीय खाद्य निगम, लखनऊ तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग, हैदराबाद से दो छोटी शिकायतें प्राप्त हुई थीं। राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ द्वारा दोनों शिकायतों की जांच की गई थी और जांच के परिणाम के बारे में भारतीय खाद्य निगम को 18.8.98 को सूचित कर दिया गया था। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग, हैदराबाद के स्याही के बड़े कार्ट्रिजों के स्थान पर छोटे आकार के कार्ट्रिजों की सप्लाई के संबंध में राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ ने दो सप्लायरों को काली सूची में डाल दिया है और वसूल की गई अतिरिक्त राशि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग को लौटा दी गई थी। राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ ने इस मामले में संबंधित कार्यालयों को भी आगाह कर दिया है।

(ग) केन्द्रीय कार्यालयों को स्टॉक की आपूर्ति राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ के कर्मचारियों की निगरानी में की जाती है।

(घ) और (ङ) भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड एक स्वायत्त उपभोक्ता सहकारी संगठन है, जिसका अपने कारोबार और प्रशासनिक मामलों के संबंध में निर्णय लेने के लिए अपना निदेशक मंडल है। राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ के सतर्कता विभाग ने सूचित किया है कि उन्होंने अपने कर्मचारियों के विरुद्ध सात मामले दर्ज किए हैं। ये मामले कारोबार संबंधी सौदों में अनियमितताएं बरतने की शिकायतों से संबंधित हैं, जो जांच/पड़ताल का निम्नलिखित विभिन्न अवस्थाओं में हैं :-

– आरोप पत्र दिया गया	– 2 मामले में
– मौखिक जांच चल रही है	– 2 मामले में
– केन्द्रीय सतर्कता आयोग के पास दूसरे चरण के राय-मशविरे के लिए लंबित	– 1 मामला
– सप्लायरों से वसूल की जा रही	– 1 मामले में
– दस्तावेज की जांच की जा रही	– 1 मामले में

भारतीय किसानों को सहायता

1044. **श्री सुनील खां** : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1429 मदों को दिए गए खुले सामान्य लाइसेंस के कारण भारतीय कृषि मदों की तुलना में विदेशी चावल और अन्य कृषि वस्तुएं सस्ती हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो विदेशी कृषकों के साथ प्रतियोगिता करने में भारतीय कृषक किस प्रकार समर्थ होंगे;

(ग) क्या उर्वरकों पर राजसहायता वापस लेने के कारण कृषि उत्पादकों की उत्पादक लागत पहले की तुलना में काफी बढ़ गई है; और

(घ) यदि हां, तो विदेशी किसानों के साथ प्रतियोगिता करने में समर्थ बनाने के लिए भारतीय किसानों को क्या विशेष प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) दिनांक 1.4.99 की स्थिति के अनुसार जिन 1429 टैरिफ लाइनों पर भुगतान संतुलन के प्रयोजन से मात्रात्मक प्रतिबंध कायम रखे गए थे उनमें से 31.3.2000 को केवल 714 मदों पर से मात्रात्मक प्रतिबंध हटाए गए हैं और इनके फलस्वरूप चावल अथवा अन्य कृषि संबंधी मदों की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में कोई कमी नहीं हो सकती है।

(ख) अधिकांश कृषि संबंधी मदों के लिए सीमाशुल्क की लागू दरों और बाध्यता-दरों के बीच पर्याप्त गुंजाइश है और भारतीय कृषकों को आवश्यक संरक्षण प्रदान करने के लिए बाध्यता दरों के दायरे में सीमाशुल्क की लागू दरों को समुचित रूप से समंजित किया जा सकता है। इसके अलावा जिन मामलों में घरेलू क्षति और पाटन के बीच कारणात्मक संबंध प्रमाणित हो जाता है या किसी सदस्य देशों द्वारा व्यापार को अवरुद्ध करने वाली इमदाद प्रदान की जाती है, तो पाटनरोधी या इमदाद रोधी प्रतिकारी शुल्क लगाए जा सकते हैं। आयातों में किसी बढ़ोत्तरी के कारण घरेलू कृषकों या उद्योग जगत को कोई गंभीर क्षति होने की आशंका के मामले में सुरक्षात्मक-शुल्क लगाए जा सकते हैं।

(ग) यूरिया, डीएपी और एमओपी जैसे उर्वरकों की कीमतों में दिनांक 29.2.2000 से वृद्धि की गई थी जिसके परिणामस्वरूप इन उर्वरकों पर दी जाने वाली इमदाद/रियायत में कुछ कटौती की गई है। अनुमानों के अनुसार, कीमत में इस वृद्धि से कृषि लागत पर 1.5% से भी प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।

(घ) कृषकों को दिए जा रहे कुछ प्रोत्साहनों में शामिल है :-

1. बीज वितरण पर इमदाद;
2. उन्नत कृषि औजारों पर इमदाद;
3. जैव उर्वरकों पर इमदाद;
4. छिड़काव सेटों और ड्रिप सिंचाई पर इमदाद;
5. बीज मिनी किट्स का नि:शुल्क वितरण; और
6. पौध संरक्षण उपस्करों और रसायनों पर इमदाद।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की आय के स्रोत

1045. **श्री पी०एच० पांडियन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की संपत्ति का कितनी धनराशि में आकलन किया गया है;

(ख) क्या मुख्यमंत्री बनने के पश्चात् संपत्ति के अधिग्रहण के स्रोत की जांच की गई है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० धनन्जय कुमार) : (क) तमिलनाडु के मुख्यमंत्री द्वारा गत तीन वर्षों में कोई धन कर विवरणी दाखिल नहीं की गई है।

(ख) और (ग) चूंकि कोई कार्यवाही लंबित नहीं है, इसलिए इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

यूनानी दवाओं का निर्यात

1046. **श्रीमती शीला गौतम** : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान देश-वार कितने मूल्य की यूनानी दवाओं का निर्यात किया गया और इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(ख) सरकार द्वारा निर्यात सहित घरेलू बाजार के लिए यूनानी दवाओं के प्रोत्साहन के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए भारतीय आयुर्वेदिक और यूनानी औषधियां से हुई निर्यात आय, अद्यतन आंकड़ों के अनुसार निम्नानुसार है :-

वर्ष	(करोड़ रुपए में)
1996-97	138.03
1997-98	161.01
1998-99	133.61

(स्रोत : डीजीसीआई एंड एस)

देश-वार ब्यौरे डीजीसीआई एंड एस प्रकाशन अर्थात् "भारतीय विदेश व्यापार के मासिक आंकड़ों" में उपलब्ध हैं।

(ख) सरकार आयुर्वेदिक और हर्बल निर्यातकों सहित निर्यातकों को विदेशी बाजारों में प्रतिस्पर्धा करने के लिए विदेशी मेलों, प्रदर्शनियों में भागीदारी के जरिए, व्यापार प्रतिनिधिमंडल भेजने के लिए और विदेशों में बाजार सर्वेक्षण कराने के लिए बाजार विकास सहायता उपलब्ध कराती है। भारत सरकार के अंतर्गत भारतीय औषधि तथा होम्योपैथी पद्धति विभाग अनन्य रूप से इस उद्योग के सामने आने वाली विभिन्न कठिनाइयों के समाधान के लिए हर्बल उद्योग के सभी पहलुओं पर ध्यान केन्द्रित करता है। हर्बल उत्पादों के निर्यातों पर और अधिक ध्यान देने के लिए वाणिज्य विभाग के तहत संबंधित निर्यात संवर्धन परिषद, कैमेक्सिल का एक अलग आयुर्वेदिक उप-पैनल है। इसके अलावा सरकार हर्बल उद्योग और संबंधित संघों के साथ भी लगातार पारस्परिक सम्पर्क बनाए हुए है, ताकि इस उद्योग के सामने आ रही समस्याओं का पता लगाया जा सके और उनका निराकरण किया जा सके।

सरसों के तेल में मिलावट

1047. **श्री राशिद अल्वी** : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजधानी में कुछ समय पहले सरसों के तेल में मिलावट के कारण जलोदर के कारण कितने व्यक्ति मरे;

(ख) जलोदर के संबंध में तथ्यों का ब्यौरा क्या है और दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई;

(ग) क्या दोषी व्यक्तियों के संबंध में शीघ्र फैसला देने के लिए विशेष न्यायालय की स्थापना की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद) : (क) अगस्त-अक्तूबर, 1998 के दौरान हुए जलोदर महामारी के कारण 66 लोगों की मौत हुई थी।

(ख) खाद्य तेलों की गुणवत्ता की सख्ती से जांच की गई थी और आकस्मिक जांचों तथा आकस्मिक निरीक्षणों की संख्या भी बढ़ा दी गई थी। अगस्त-सितम्बर, 1998 में उपभोक्ता सेवा केन्द्र नई दिल्ली ने खाद्य तेलों और वसा के 2930 नमूनों की जांच की जिसमें से 224 नमूने खाद्य अपमिश्रण निवारण मानकों पर खरे नहीं उतरे। स्वास्थ्य मंत्रालय को उचित कार्रवाई करने के लिए सूचित कर दिया गया था। खाद्य अपमिश्रण निवारण विभाग, दिल्ली सरकार ने संबंधित अवधि के दौरान दिल्ली के विभिन्न स्थानों से सरसों तेल के 264 नमूने लिए थे। इनमें से 101 नमूनों में आर्जीमोन तेल/पॉलीब्रोमाइड/खनिज तेल की मिलावटें पाई गई। सभी आरोपियों के विरुद्ध अभियोग की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। यह मामला केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी.आई.) को भी सौंपा गया था जिसने जांच के बाद दोषी पाए गए लोगों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया है।

उपभोक्ताओं को सुरक्षित और अच्छी गुणवत्ता वाले खाद्य तेलों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने खाद्य तेल पैकेजिंग (विनियमन) आदेश, 1998 लागू किया है। यह आदेश खाद्य तेलों के लिए उचित लेबल घोषणा इत्यादि के साथ पैकिंग रूप में विपणन को अनिवार्य बनाता है।

(ग) और (घ) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के तहत अभियोजन मामलों की सुनवाई के लिए पहले ही एक विशेष न्यायालय की स्थापना की जा चुकी है। इस न्यायालय की अध्यक्षता पटियाला हाऊस, नई दिल्ली के महानगरीय दंडाधिकारी माननीय मनोज जैन कर रहे हैं।

मदुरै में दूरदर्शन चैनल

1048. डा० वी० सरोजा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के प्रत्येक राज्य में मेट्रो दूरदर्शन चैनल आरंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो स्थलवार, विशेषकर तमिलनाडु में मदुरै और कोयम्बटूर के संदर्भ में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) से (ग) वर्तमान में 75 मेट्रो चैनल (डीडी-2) ट्रांसमीटर 30 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में स्थापित हैं। कोयम्बटूर में एक ट्रांसमीटर सहित अन्य 50 ट्रांसमीटर कार्यान्वयनाधीन हैं। मौजूदा ट्रांसमीटरों और कार्यान्वयनाधीन ट्रांसमीटर का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। मदुरै में एक डीडी-2 ट्रांसमीटर स्थापित करने की कोई योजना नहीं है। मदुरै सहित डीडी-2 नेटवर्क का और विस्तार भविष्य में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

विवरण

मैट्रो चैनल (डीडी-2) ट्रांसमीटर
(मौजूदा ट्रांसमीटर)

राज्य	(5.7.2000 की स्थिति के अनुसार)	कार्यान्वयनाधीन ट्रां.
1	2	3
आंध्र प्रदेश	उ.श.ट्रा.	उ.श.ट्रा.
	हैदराबाद	विजयवाड़ा
	अल्प शक्ति ट्रां.	
	मधिरा	
	पेडान्दीपाडु	
	अत्माकुर	
अरुणाचल प्रदेश	अ.श.ट्रा.	
	ईटानगर	
असम	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर	उ.श.ट्रा.
	गुवाहाटी	सिल्चर
	अ.श.ट्रा.	
	सिल्चर	
	डिब्रूगढ़	
बिहार	अ.श.ट्रा.	उ.श.ट्रा.
	पटना	पटना
	अ.अ.श.ट्रा.	मुजफ्फरपुर
	गढ़वा	रांची
		अ.श.ट्रा.
		जमशेदपुर
		धनबाद
गोवा	अ.श.ट्रा.	उ.श.ट्रा.
	पणजी	पणजी

1	2	3
गुजरात	उ.श.ट्रा.	अ.श.ट्रा.
	अहमदाबाद	सूरत
	अ.श.ट्रा.	बडोदरा
	गांधीनगर	राजकोट
हरियाणा	अ.श.ट्रा.	अ.श.ट्रा.
	मण्डी डबवाली	भिवानी
	करनाल	
	यमुनानगर	
हिमाचल प्रदेश	अ.श.ट्रा.	उ.श.ट्रा.
	शिमला	शिमला
		मण्डी
जम्मू एवं कश्मीर	उ.श.ट्रा.	उ.श.ट्रा.
	श्रीनगर	नौशेरा
	जम्मू	कुपवाड़ा
	अ.श.ट्रा.	गुरेज
	लेह	टिथवाल
	कथुआ	सम्बा
		पुंच्छ
कर्नाटक	उ.श.ट्रा.	अ.श.ट्रा.
	बंगलौर	मैसूर
केरल	अ.श.ट्रा.	उ.श.ट्रा.
	त्रिवेन्द्रम	त्रिवेन्द्रम
	कोचीन	कोचीन
	कालीकट	
	केन्नानोर	
मध्य प्रदेश	उ.श.ट्रा.	उ.श.ट्रा.
	रायपुर	भोपाल
	अ.श.ट्रा	इन्दौर
	भोपाल	जबलपुर
महाराष्ट्र	उ.श.ट्रा.	उ.श.ट्रा.
	मुम्बई	नागपुर
	अ.श.ट्रा.	अ.श.ट्रा.
	अम्बाजोगई	नासिक
	नागपुर	शोलापुर
	भण्डारा	
मणिपुर	अ.श.ट्रा.	
	इम्फाल	
	अ.अ.श.ट्रा.	
	जिरीबम	
मेघालय	अ.श.ट्रा.	
	तुरा	
	अ.श.ट्रा.	
	शिलांग	
मिजोरम	अ.श.ट्रा.	
	एजवाल	
	लुंगलेई	
नागालैण्ड	अ.श.ट्रा.	उ.श.ट्रा.
	कोहिमा	
	मोकाकचुंग	
उड़ीसा	उ.श.ट्रा.	उ.श.ट्रा.
	कटक	सम्बलपुर
	अ.श.ट्रा.	अ.श.ट्रा.
	भुवनेश्वर	बालेश्वर
	दुधारकोट	
	धेनकनाल	
	सम्बलपुर	
	बलियापल	
	केन्द्रपाड़ा	
	तिरतोल	
पंजाब	अ.श.ट्रा.	उ.श.ट्रा.
	जालन्धर	अमृतसर
राजस्थान	अ.श.ट्रा.	उ.श.ट्रा.
	जयपुर	जयपुर
	कोटा	जोधपुर

1	2	3
		अ.श.ट्रा.
		बीकानेर
		अजमेर
सिक्किम	अ.श.ट्रा	
	गंगटोक	
तमिलनाडु	उ.श.ट्रा.	अ.श.ट्रा.
	चेन्नई	त्रिची
		कोयम्बटूर
त्रिपुरा	अ.श.ट्रा.	उ.श.ट्रा.
	अगरतला	अगरतला
	कैलाशहर	
उत्तर प्रदेश	उ.श.ट्रा.	उ.श.ट्रा.
	मसूरी	लखनऊ
	अ.श.ट्रा.	आगरा
	लखनऊ	वाराणसी
	कानपुर	इलाहाबाद
	आजमगढ़	गोरखपुर
	मऊ	अ.श.ट्रा.
	रामपुर	बरेली
	मथुरा	अलीगढ़
	लालगंज (प्रतापगढ़)	झांसी
	रासरा	ट्रांसपोजर
	अ.अ.श.ट्रा.	मसूरी
	ठक्कुरद्वारा	
पश्चिम बंगाल	उ.श.ट्रा.	उ.श.ट्रा.
	कलकत्ता	मुर्शिदाबाद
	अ.श.ट्रा.	आसनसोल
	मुर्शिदाबाद	
	बसन्ती	
अंडमान एवं	अ.श.ट्रा.	
निकोबार द्वीपसमूह	पोर्टब्लेयर	
चंडीगढ़	अ.श.ट्रा. (चंडीगढ़)	
दिल्ली	उ.श.ट्रा. (दिल्ली)	
लक्षद्वीप	अ.अ.श.ट्रा.	
	कावरत्ती	
पांडिचेरी	अ.श.ट्रा. (पांडिचेरी)	

निर्यात हेतु इंजीनियरी सामान में सुधार

1049. **श्री एन० जनार्दन रेड्डी : क्या वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में इंजीनियरी सामान के निर्यातकों को अपने उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्यातक घटिया गुणवत्ता वाले उत्पादकों का निर्यात करते पाए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1999-2000 के दौरान सरकार की जानकारी में आए ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा गुणवत्तापूर्ण मदों का निर्यात सुनिश्चित करने के लिए क्या अन्य कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (घ) सरकार विनिर्माताओं और निर्यातकों को अपने उत्पादों की गुणवत्ता में अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकार्य मानकों को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करती है। सरकार गुणवत्ता के प्रति जागरूकता के संबंध में राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम शुरू करने और सकल गुणवत्ता प्रबंधन की अवधारण को बढ़ावा देने के लिए व्यापार और उद्योग जगत को समर्थन एवं सहायता देने के लिए कृतसंकल्प है। उदाहरण के लिए एग्जिम नीति में, उन विनिर्माताओं/प्रसंस्कर्ताओं को उचित मान्यता दी गई है जिन्होंने आई एस ओ 9000 (श्रृंखला) या आई एस/आई एस ओ 9000 (श्रृंखला) या आई एस ओ 14000 (श्रृंखला) या एच ए सी सी पी या डब्ल्यू एच ओ-जी एम पी या एस ई आई सी एम एम स्तर-2 और उपरोक्त मान्यता/प्रमाणन प्राप्त कर लिया है।

(ख) और (ग) विगत में, विदेशी क्रेताओं से घटिया गुणवत्ता वाले इंजीनियरी उत्पादों के निर्यात के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इन मामलों की जांच विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा की गई थी किन्तु इन्हें प्रमाणित नहीं किया जा सका है।

प्रसार भारती संबंधी समिति

1050. **श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी :**
श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा प्रसार भारती के कामकाज की समीक्षा हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति ने मई, 2000 में अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश कर दी थी;

(ख) यदि हां, तो इस विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो इन्हें क्रियान्वित करने के लिए अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) जी, हां। समिति ने दिनांक 20 मई, 2000 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(ख) और (ग) समिति की सिफारिशों/सुझावों में अन्य बातों के साथ-साथ प्रसार भारती के लक्ष्य एवं उद्देश्य; प्रसार भारती की जवाबदेही एवं संरचनाओं; वित्तपोषण एव निधियों संबंधी पद्धति, चैनलों की स्थिति, कार्यक्रम संबंधी विषयवस्तु एवं निर्माण, प्रसारण एवं इंजीनियरी सेवाओं के पुनर्निर्माण, विपणन, मानव संसाधन विकास और नई प्रौद्योगिकियों के उपयोग से संबंधित हैं। सिफारिशों में प्रसार भारती अधिनियम, 1990 में कुछ संशोधन भी शामिल हैं। उपर्युक्त रिपोर्ट की प्रति मंत्रालय की वेबसाइट अर्थात् एम.आई.बी.एन.आई.सी. इन पर उपलब्ध है। समिति की कुछ सिफारिशों पर प्रसार भारती द्वारा निर्णय लिया जाना है, जबकि कुछ अन्यों के मामले में सरकार को निर्णय लेना है। सरकार द्वारा विषय में कोई निर्णय लेने से पहले प्रसार भारती बोर्ड के सदस्यों, स्टाफ के प्रतिनिधियों और कर्मचारी यूनियनों के साथ परामर्श किया जा रहा है। उपर्युक्त रिपोर्ट को मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के सदस्यों को उनके विचार प्राप्त करने के लिए परिचालित किया गया है।

(घ) इस बारे में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

एम०एम०टी०सी० द्वारा लौह अयस्क का निर्यात

1051. **प्रो० टम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान एम.एम.टी.सी. द्वारा कितनी मात्रा में विशेषकर आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम पत्तन से लौह अयस्क का निर्यात किया गया;

(ख) क्या एम.एम.टी.सी. ने उड़ीसा में एक इस्पात संयंत्र स्थापित किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) एम.एम.टी.सी. को इस संयंत्र को स्थापित करने से क्या लाभ प्राप्त होने की सम्भावना है;

(ङ) क्या एम.एम.टी.सी. ने देश में इस्पात की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता के संबंध में कोई अध्ययन नहीं कराया है; और

(च) यदि हां, तो एम.एम.टी.सी. द्वारा परियोजना का कम मूल्यांकन किए जाने के क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तन बन्दरगाह के माध्यम से हुए निर्यातों सहित एम.एम.टी.सी. द्वारा किए गए लौह अयस्क के निर्यातकों की मात्रा निम्नानुसार है :-

(मात्रा : लाख मी. टन)

	1997-98	1998-99	1999-2000 (अनन्तिम)
कुल लौह अयस्क के निर्यात	114.53	103.22	116.14
विशाखापत्तनम के माध्यम से लौह अयस्क के निर्यात	37.57	37.94	38.10

(ख) से (घ) उड़ीसा राज्य में डुबरी में नीलाचल इस्पात निगम लि. द्वारा एक लौह तथा इस्पात संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। इस संयंत्र की स्थापना एम.एम.टी.सी. लि. और उड़ीसा सरकार के उपक्रम इंडस्ट्रियल प्रमोशन एंड इनवैस्टमैंट कारपोरेशन ऑफ उड़ीसा लि. (इपीकोल) द्वारा संयुक्त रूप से की जा रही है। इस संयंत्रकी वार्षिक क्षमता हॉट मैटल के रूप मे लगभग 1.1 मिलि. टन होने की आशा है। एम.एम. टी.सी. पिग आयरन, बिल्लेट्स और वायर राड्स की बिक्री करके अपने लौह अयस्क के लिए उच्च मूल्य वर्द्धन अर्जित करेगा क्योंकि घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में इन उत्पादों के विपणन के लिए कैप्टिव आपूर्ति आधार है। इस परियोजना से इस क्षेत्र में रोजगार के अवसरों का सृजन भी होगा।

(ङ) और (च) मिश्रित रूप में इस उत्पाद का बाजार सर्वेक्षण मैटाल्लर्जिकल एंड इंजीनियरिंग कंसल्टैंट्स इंडिया लि. द्वारा किया गया था, जो कि इस परियोजना के परामर्शदाता है और परियोजना का वित्त पोषण करने वाली वित्तीय संस्थाओं ने इसे वैधता प्रदान की है। देश की इस्पात बनाने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए मैकन ने इस परियोजना का मूल्यांकन किया।

[हिन्दी]

जीवन बीमा की पॉलिसी का प्रीमियम

1052. **श्री ब्रह्मानंद मंडल :**
श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम के नियमों और शर्तों के अनुसार कोई भी व्यक्ति लगातार तीन वर्षों तक प्रीमियम-राशि का भुगतान करने के बाद पूरी प्रीमियम राशि प्राप्त कर सकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई पॉलिसी-धारक जो लगातार तीन वर्षों तक प्रीमियम राशि का भुगतान करने में असफल रहा है, तो उसे इस राशि का पुनर्भुगतान देने से वंचित किया जाएगा;

(ग) यदि हां, तो इन नियमों और शर्तों के माध्यम से जीवन बीमा निगम ने अब तक कितनी धनराशि एकत्र की है;

(घ) क्या सरकार का ऐसे कठोर नियमों और शर्तों को समाप्त कर देने का विचार है जिससे पॉलिसी-धारक को प्रीमियम-राशि की प्राप्ति हो सके;

(ङ) यदि हां, तो इन्हें कब तक समाप्त किया जाएगा; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) भारतीय जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि कोई भी पॉलिसी तीन वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान किए जाने के बाद प्रदत्त मूल्य और अभ्यर्पण मूल्य अर्जित करती है।

(ख) और (ग) जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि पॉलिसी के प्रभावी रहने की अवधि के दौरान हुए आरंभिक खर्चों तथा दिए गए जोखिम-कवच के खर्च को देखते हुए, यदि पॉलिसीधारक तीन वर्ष के भीतर ही प्रीमियम का भुगतान करना बन्द कर दे तो उनके लिए प्रीमियम की राशि का भुगतान करना संभव नहीं होगा। तथापि, इस अवधि के दौरान पॉलिसी के प्रभावी रहते हुए, यदि पॉलिसी-धारक की मृत्यु हो जाती है तो लाभानुभोगी को बीमाकृत राशि का पूरा भुगतान किया जाता है। चूंकि आरंभिक वर्षों में एकत्रित प्रीमियम राशि का उपयोग आरंभिक खर्चों और जोखिम को कवर करने के लिए किया जाता है, इसलिए जीवन बीमा निगम के पास कोई अधिशेष नहीं बचता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक

1053. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि महाराष्ट्र में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक रोजगार के मामले में मराठी भाषी लोगों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं दे रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा महाराष्ट्र में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में रोजगार के मामलों में मराठी भाषी लोगों को उचित प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) महाराष्ट्र और देश के अन्य राज्यों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए भर्ती, बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्डों (बीएसआरबी) द्वारा की जा रही है और महाराष्ट्र सहित देश के किसी भी भाग से उम्मीदवार बीएसआरबी द्वारा विज्ञापित पदों के लिए आवेदन कर सकता है। यह भी शर्त लगाई गई है कि स्थानीय भाषा का ज्ञान वांछनीय है। चूंकि बैंकों में भर्ती अखिल भारत स्तर पर होती है, इसलिए किसी राज्य के उम्मीदवारों को वरीयता देना सम्भव नहीं है।

तथापि, बैंकों में मानव संसाधन प्रबंधन से संबंधित मुद्दों पर सिफारिश करने के लिए नियुक्त की गई वित्त मंत्रालय, भारतीय बैंक संघ और बैंकों के प्रतिनिधियों की समिति लिपिकों की भर्ती में स्थानीय भाषा के ज्ञान को आवश्यक बनाने के मुद्दे पर विचार कर रही है।

महाराष्ट्र में पर्यटन संभावनाएं

1054. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में पर्यटन की प्रचुर संभावनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु आठवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित की गई कार्य योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रत्येक परियोजना के लिए धनराशि का आबंटन कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी परियोजना-वार ब्यौरा क्या है और अब तक प्रत्येक मामले में क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) पर्यटक स्थलों का विकास करना मुख्यतया संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय विभिन्न राज्य सरकारों को उनसे विचार-विमर्श करके प्रत्येक वर्ष, प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाओं के आधार पर केन्द्रीय वित्तीय सहायता मुहैया कराता है। पर्यटन मंत्रालय ने राज्य के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है :-

क्रम सं.	वर्ष	परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि (रु. लाखों में)
1.	1992-93	13	201.72
2.	1993-94	15	309.11
3.	1994-95	17	273.46
4.	1995-96	2	63.75
5.	1996-97	8	187.69

परियोजनाएं पूर्ण होने की विभिन्न स्थितियों में हैं।

[हिन्दी]

प्रकाशन विभाग के पुस्तकालय का कम्प्यूटरीकरण

1055. श्री हरिभाऊ शंकर महाले : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास प्रकाशन विभाग के पुस्तकालय के कम्प्यूटरीकरण की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई अध्ययन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) से (घ) जी, नहीं। प्रकाशन विभाग के पुस्तकालय में केवल 40,000 पुस्तकें हैं। पुस्तकालय के समुचित प्रबंधन के लिए पुस्तकों की सूची के रख-रखाव सहित परम्परागत पद्धतियां अपनाई जा रही हैं। वर्तमान में यह पद्धति पर्याप्त है।

[अनुवाद]

कर मुक्त वाले देशों से एफ०डी०आई० प्रस्ताव

1056. **श्री किरीट सोमैया** : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहामास से भारत में कोई विदेशी निवेश किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) बहामास और मारीशस सहित अधिकतम कर छूट/कर मुक्त वाले सभी देशों से प्राप्त एफ.डी.आई. प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(घ) कर लाभ और उन्हें अन्य कौन-कौन-सी सुविधाएं दी जा रही हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रमण) : (क) और (ख) जी, हां। नीति पश्चात् (पोस्ट पालिसी) अवधि (अगस्त, 1991 से फरवरी, 2000) के दौरान, बाहमास के संबंध में 43.07 करोड़ रुपये की राशि के 09 (नौ) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया है। क्षेत्रवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) कर मुक्त देशों सहित सभी देशों से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अनुमोदनों के ब्यौरे औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा प्रकाशित मासिक एस.आई.ए. न्यूजलेटर में सम्मिलित किए जाते हैं। जिन्हें सदन के पुस्तकालय सहित व्यापक रूप से परिचालित किया जाता है।

(घ) मौजूदा नीतियों के अनुसार भारत में निवेश करने वाली सभी कम्पनियों/व्यापार उपकर्मों को कर-लाभ तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध होती हैं भले ही उनका मूल-देश कोई भी हो।

विवरण

नीति पश्चात् अवधि (1 अगस्त, 1991 से 29 फरवरी, 2000) के दौरान बाहमास के लिए अनुमोदित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश तथा तकनीकी सहयोग के क्षेत्रवार ब्यौरे

क्रम सं.	उद्योग का नाम	अनुमोदनों की संख्या			अनुमोदित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की राशि	कुल राशि का प्रतिशत
		कुल	तक.	वित्तीय		
1	2	3	4	5	6	7
1.	विद्युत उपकरण इलैक्ट्रानिक्स	2	0	2	0.54	1.25
	कुल	2	0	2	0.54	1.25
2.	परिवहन उद्योग वायु/समुद्र परिवन	1	0	1	0.75	1.74
	कुल	1	0	1	0.75	1.74
3.	रसायन (उर्वरकों से भिन्न)	1	0	1	10.43	24.22
4.	वस्त्र (रंजित, मुद्रित सहित)	1	0	1	4.48	10.40
5.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग खाद्य उत्पाद	3	0	3	6.87	15.95
	कुल	3	0	3	687	15.95
6.	सिरेमिक	1	0	1	20.00	46.43
	कुल	9	0	9	43.07	

सीमा शुल्क तथा उपकर की वापसी

1057. **श्री शीशराम सिंह रवि :** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि वर्ष 1996-97 के दौरान मसाला बोर्ड ने निर्यातकों को सीमा शुल्क तथा उपकर वापस लौटा दिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सीमा शुल्क तथा उपकर वापस लौटाने के क्या कारण थे; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में कौन-कौन से सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) जी, हां। मसाला बोर्ड ने काली मिर्च (ब्राइन हरी गोल मिर्च को छोड़कर), केसर, मसाला तैल एवं ओलियोरेजिन तथा इलायची पर दिनांक 1.4.1996 से 31.7.1996 तक उपस्कर के रूप में वसूली गई 1.91 करोड़ रु. की राशि मसाला के निर्यातकों को लौटा दी है। इसके लिए बोर्ड ने अपने बजटीय संसाधनों अर्थात् भारत सरकार से प्राप्त गैर योजना सहायता का उपयोग किया है।

(ग) भारत सरकार द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई जिसमें दिनांक 16.10.1992 से 31.3.1996 तक की अवधि के लिए काली मिर्च (ब्राइन हरी गोल मिर्च को छोड़कर), केसर, मसाला तैल एवं ओलियोरेजिन तथा इलायची पर (मसाला बोर्ड उपकर अधिनियम, 1986 के तहत लगाए गए) उपकर की वसूली से छूट दी गई थी ताकि विश्व बाजार में इन मदों को प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके और दिनांक 1.8.1996 को एक अधिसूचना जारी की गई जिसमें ऊपर उल्लिखित मसालों पर निर्यात उपकर स्थगन की अवधि को दिनांक 1.8.1996 से आगे बढ़ा दिया गया था। इसलिए दिनांक 1.4.1996 से 31.7.1996 तक का एक ऐसा अन्तराल रह गया था जिस दौरान सीमाशुल्क प्राधिकारियों ने इन मदों पर निर्यात उपकर की वसूली की थी। इस अन्तराल के दौरान उपरोक्त मदों पर वसूले गए निर्यात उपकर को वापस करने के लिए निर्यातकों से अभ्यावेदन प्राप्त होने पर मसाला बोर्ड ने वाणिज्य मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् दिनांक 1.4.1996 से 31.7.1996 के बीच वसूले गए उपकर को वापस कर दिया।

(घ) इन मामलों को सरल बनाने के लिए सरकार ने अब यह निर्णय लिया है कि निर्यात किए गए सभी मसालों के एफओबी मूल्य पर 0.5 प्रतिशत की दर से एक समान उपकर लगाया जाएगा और किसी भी मसाले पर उपकर से छूट की अनुमति नहीं होगी।

मारूति उद्योग से सरकारी इक्विटी का हटाया जाना

1058. **श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी :**
श्री उत्तमराव ढिकले :
श्री ए० कृष्णास्वामी :
प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मारूति उद्योग से सरकारी इक्विटी को हटाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या मारूति उद्योग लिमिटेड के कर्मचारी संघ ने सरकार से मारूति उद्योग लिमिटेड में सरकारी हिस्से के विलय को रोकने का आग्रह किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री मनोहर जोशी) : (क) से (ङ) मारूति उद्योग लि. संघ के कर्मचारियों ने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि मारूति उद्योग लि. में सरकार इक्विटी का विनिवेश न करे। इस समय, मारूति उद्योग लिमिटेड में विनिवेश करने के लिए भारत सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं है।

राजसहायता वापस लिया जाना

1059. **श्री सुशील कुमार शिंदे :**
श्रीमती रेणूका चौधरी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गरीबों के हितों एवं जीवनयापन को प्रभावित करने वाले पेट्रोलियम उत्पादों, उर्वरकों तथा अन्य चीजों सहित विभिन्न क्षेत्रों के संबंध में राजसहायता को वापस लिए जाने के प्रस्ताव की अब तक समीक्षा कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में प्रस्तावित योजना-वार अनुमान क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) बजट 2000-01 में सरकार ने यह घोषणा की है कि (बजट भाषण में पैरा 10 देखिए) जहां भी संभव होगा, लागत-आधारित प्रयोक्ता प्रभार लगाने हेतु सभी प्रकार की राजसहायता की समीक्षा की जाएगी। यह समीक्षा व्यय सुधार आयोग द्वारा की जा रही है।

आई०डी०एफ०सी० द्वारा सहायता-प्राप्त परियोजनाएं

1060. **श्री रतन लाल कटारिया :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक विकास वित्त निगम (आई.डी.एफ.सी.) ने पिछले तीन वर्षों के दौरान किन-किन क्षेत्रों में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है;

(ख) इन क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाए गए;

(ग) क्या आई.डी.एफ.सी. ने हरियाणा, राज्य में विशेषकर अम्बाला जिले में, किसी परियोजना को सहायता दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) इस प्रश्न में औद्योगिक विकास वित्त निगम लिमिटेड (आई.डी.एफ.सी.) से संबंधित सूचना मांगी गई है। औद्योगिक विकास वित्त निगम के नाम से कोई वित्तीय संस्था नहीं है। शायद माननीय सदस्य आई.डी.एफ.सी.—आधारिक विकास वित्त कम्पनी लिमिटेड का उल्लेख कर रहे हैं।

आधारिक विकास वित्त कम्पनी लिमिटेड (आई.डी.एफ.सी.) ने सूचित किया है कि पिछले तीन वर्षों में इसने उन परियोजनाओं को सहायता उपलब्ध कराई है जो ऊर्जा (बिजली, तेल, पाइप लाइन), दूरसंचार (मूल एवं सेल्यूलर टेलिफोन), एकीकृत परिवहन (बन्दरगाह, सड़क) एवं शहरी आधारिक क्षेत्र में वाणिज्यिक रूप से अर्थक्षम हैं।

(ग) और (घ) आज की तारीख तक, आई.डी.एफ.सी. ने हरियाणा राज्य में किसी परियोजना का एक्सपोजर नहीं किया है।

पर्यटन स्थलों में अप्रवासी भारतीयों द्वारा निवेश

1061. **श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील** : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अप्रवासी भारतीयों को भारत बुलाने और विभिन्न पर्यटन स्थलों में निवेश आकर्षित करने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्ष 2002 के दौरान भारत में होने वाली पैसिफिक एरिया ट्रैवल एसोशिएशन कॉन्फ्रेंस में इस मुद्दे पर जोर दिया जाएगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भारत को अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए क्या अन्य उपाय किए गए हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) से (घ) जी, हां। पर्यटन विभाग ने अपने विदेश स्थित कार्यालयों, एयरलाइन्स तथा विदेश स्थित भारतीय मिशनों के माध्यम से अनिवासी भारतीयों तथा भारतीय मूल के व्यक्तियों को भारत भ्रमण के लिए आकर्षित करने की योजनाएं तैयार की हैं। भारत पर्यटन विकास निगम ने भी विशेषतया यू.के., यू.एस.ए., कनाडा, आस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, फिजी, खाड़ी, मलेशिया, सिंगापुर, मारिशियस आदि से अनिवासी भारतीयों को आकर्षित करने के लिए "कम-रिडिस्कवर इंडिया" नामक एक विशेष पैकेज बनाया है। पर्यटन विभाग के एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने विदेश स्थित कार्यालयों के माध्यम से प्रमुख अनिवासी भारतीय बाजारों में भारतीय यात्रा व्यवसाय के सहयोग से सड़क प्रदर्शन (रोड शो) दिखाने का प्रस्ताव किया है। पर्यटन विभाग भारत में निवेश अवसरों का भी संवर्धन करेगा, क्योंकि भारत सरकार ने पर्यटन क्षेत्र में 100 प्रतिशत अनिवासी भारतीय निवेश की अनुमति दे दी है। वर्ष 2002 के दौरान भारत में होने वाले पाटा सम्मेलन के लिए कार्यसूची तैयार की जा रही है।

(ङ) अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन गंतव्य के रूप में भारत के संवर्धन हेतु किए गए उपायों में प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया में विज्ञापन, विदेशों में यात्रा प्रदर्शनियों एवं मेलों में भागीदारी, ब्रोशरों के माध्यम से सूचना प्रदान करना, भारतीय पर्यटन वेबसाइट में इंटरनेट माध्यम, सी.डी. रोम्स के निर्माण आदि शामिल हैं। मंत्रालय अनिवासी भारतीयों तथा भारतीय मूल के व्यक्तियों सहित सभी पर्यटकों के लाभ के लिए पर्यटन प्रवेश-द्वार (पोर्टल) प्रारंभ करने के लिए भी पूरी तरह तैयार है।

जेसोप एंड कम्पनी लिमिटेड

1062. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जेसोप एंड कम्पनी लिमिटेड के छूट-प्राप्त भविष्य निधि लेखे में से बकाया भुगतान राशि की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) कितने सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को नियोजक द्वारा भविष्य निधि लेखे में जमा न कराई राशि की वजह से अपने भविष्य निधि लेखे की राशि नहीं मिल रही है;

(ग) सरकार द्वारा कम्पनी के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भविष्य निधि में जमा राशि का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० वल्लभभाई कथीरिया) : (क) 30.6.2000 की स्थिति के अनुसार, जेसोप की भविष्य निधि की कुल देनदारी 51.61 करोड़ रुपये (मूलधन—21.69 करोड़ रुपये + ब्याज —29.92 करोड़ रुपये) थी।

(ख) 30.6.2000 तक ट्रस्ट फंड से भविष्य निधि का बकाया लेने वाले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों की कुल संख्या 1062 थी जिनमें 30.6.2000 को सेवानिवृत्त हुए 380 कर्मचारी शामिल थे।

(ग) और (घ) बीआईएफआर की परिकल्पित पुनरुद्धार योजना के अनुसार कंपनी अभी नगद प्रवाह (कैश फ्लो) का सृजन करने में समस्याओं से घिरी हुई है। इन देयताओं का भुगतान करने का उपयुक्त प्रबंध करने के विचार से भारत सरकार ने केन्द्रीय सरकार के सभी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों जिसमें जेसोप भी शामिल है, की बकाया सांविधिक देयताओं के मामले की जांच करने के विचार से एक मंत्रीसमूह का गठन किया है।

[हिन्दी]

लघु वृत्तचित्र

1063. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली दूरदर्शन केन्द्र द्वारा तैयार कितने लघु वृत्तचित्र एक वर्ष से अधिक समय से प्रसारण की प्रतीक्षा कर रहे हैं तथा उनके नाम क्या हैं;

(ख) इन वृत्तचित्रों के प्रसारण और इनके प्रसारण संबंधी प्रभारों के भुगतान में विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन प्रभारों का शीघ्र भुगतान करने और इसकी स्वीकृति में होने वाले विलम्ब को कम करने के लिए क्या सुरक्षोपाय किए जाएंगे?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) शून्य, श्रीमान्।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

हिमाचल प्रदेश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं का खोला जाना

1064. श्री महेश्वर सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिमाचल प्रदेश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाएं खोलने हेतु कोई अधिसूचना जारी की है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने के बाद भी हिमाचल प्रदेश के अग्रणी बैंक जैसे पंजाब नैशनल बैंक राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं को खोलने में समस्याएं खड़ी कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) हिमाचल प्रदेश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं को कब तक खोले जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) हिमाचल ग्रामीण बैंक का प्रायोजक बैंक पंजाब नैशनल बैंक ने सूचित किया है कि उसने हिमाचल ग्रामीण बैंक से तीन और जिलों में शाखाएं खोलने के लिए कदम उठाने को कहा है। पंजाब नैशनल बैंक ने आगे सूचित किया है कि हिमाचल ग्रामीण बैंक का निदेशक मंडल, ऊना, हमीरपुर तथा बिलासपुर में एक-एक शाखा खोलने के लिए सिद्धान्त रूप में सहमत हो गया है।

[अनुवाद]

संसद सदस्यों द्वारा लिखे गए पत्र

1065. श्री रामजी मांझी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय के पास संसद सदस्यों द्वारा लिखे गए कितने पत्र उत्तर के लिए लंबित हैं;

(ख) वे कब से लंबित पड़े हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सभी लंबित पत्रों का उत्तर शीघ्र देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

[हिन्दी]

बिहार को नाबार्ड द्वारा ऋण

1066. मोहम्मद अनवारूल हक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नाबार्ड द्वारा बिहार राज्य को मंजूर किया गया ऋण अन्य राज्यों की तुलना में बहुत कम है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न परियोजनाओं हेतु नाबार्ड द्वारा स्वीकृत ऋणों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 1999-2000 के लिए बिहार राज्य में अल्पावधि और दीर्घावधि संवितरणों का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

(करोड़ रु. में)

	अखिल भारत		बिहार	
	मंजूर ऋण सीमा	बकाया राशि	मंजूर ऋण सीमा	बकाया राशि
अल्पावधि	8163.19	6687.10	88.53	73.99
दीर्घावधि	—	5208.29	—	175.90

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि बिहार में संवितरण तुलनात्मक रूप से कम है।

बिहार में बैंकों को अल्पावधि ऋण सीमाओं के निम्नतर प्रवाह के कारण, अन्य बातों के साथ-साथ, बिहार राज्य में सहकारी बैंकों का कमजोर वसूली कार्य रहा है जिसके परिणामस्वरूप अधिकांश प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) ने जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) के प्रति चूक की है जिसके कारण अधिकांश जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों ने बिहार राज्य सहकारी बैंक के प्रति चूक की। सहकारी बैंकों के संसाधन अतिदेय राशियों में अवरुद्ध हो गए और इसलिए सहकारी बैंकों के माध्यम से कृषि परिचालनों के लिए निचले स्तर पर ऋण के प्रवाह में कमी आती रही है।

(ग) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

बजट घाटा

1067. श्री सुखमी सरोज : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने बजट घाटे में कमी करने और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने हेतु कदम उठाने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार इस परिप्रेक्ष्य में तत्काल कोई कदम उठा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ङ) सरकार बृहद आर्थिक स्थायित्व और साम्यता के साथ आर्थिक विकास की आवश्यकताओं के अनुरूप बजट घाटे और मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखने के प्रति पूर्णतया जागरूक है। यह एक ऐसी चिन्ता है जिसकी गूंज अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सहित विभिन्न मंचों पर सुनाई दी है। वर्ष 2000-2001 के बजट में इस संबंध में सरकार के प्रयासों को आगे बढ़ाने की इच्छा प्रकट की है।

[अनुवाद]

घरेलू बचत दर

1068. श्री जयभान सिंह पवैया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1999 में कुल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में घरेलू बचत दर क्या रही; और

(ख) चालू वित्त वर्ष के शेष महीनों में बचत दर में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए जाने पर विचार किया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन में उपलब्ध नवीनतम सूचना के अनुसार चालू मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के तौर पर सकल घरेलू बचत वर्ष 1998-99 में 22.3 प्रतिशत (त्वरित अनुमान) थी। बचतों के संवर्धन हेतु यह आवश्यक है कि बचत प्रवृत्ति को प्रभावित करने वाले प्रचालकों जिनमें अर्थव्यवस्था की संवृद्धि दर, कर नीतियां, मुद्रास्फीति, बैंकिंग प्रणाली और पूंजी बाजार की कार्यक्षमता तथा अर्थव्यवस्था में विश्वास शामिल है, में सुधार किया जाए। आशा है कि अब तक किए गए आर्थिक सुधार संबंधी विभिन्न उपायों से घरेलू बचत के समूचे स्तर पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा।

जम्मू और कश्मीर में पर्यटन का विकास

1069. श्री श्रीनिवास पाटील : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को पिछले दशक में जम्मू और कश्मीर राज्य में पर्यटन उद्योग के घटने की जानकारी है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार के पर्यटन सचिव ने जम्मू और कश्मीर राज्य का दौरा किया और स्थिति का आकलन किया; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार द्वारा राज्य में उक्त उद्योग को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) पर्यटन एक संवेदनशील उद्योग है, जो किसी भी प्रकार की अशान्ति से प्रभावित हो जाता है। ऐसा जम्मू-कश्मीर के मामले में भी हुआ है।

(ख) और (ग) पर्यटन सचिव सहित पर्यटन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने जम्मू-कश्मीर का दौरा किया है। राज्य में पर्यटन के पुनरुद्धार तथा विकास के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक समिति भी गठित की गई थी। समिति की मुख्य सिफारिशें निम्न प्रकार हैं :-

- वायु मार्ग द्वारा गम्यता में सुधार,
- रेल तथा सड़क अवसंरचना का सुधार,
- पर्यटक अवसंरचना का पुनरुद्धार,
- पर्यटक स्थलों का पुनरुद्धार एवं नवीकरण,
- सांस्थानिक अवसंरचना का पुनरुद्धार,
- डल झील तथा वुलर झील सहित पर्यटक केन्द्रों तथा आकर्षणों का पर्यावरणीय उन्नयन, तथा
- पर्यटन उद्योग तथा व्यवसाय का पुनरुद्धार।

समिति की रिपोर्ट संबंधित मंत्रालयों तथा जम्मू-कश्मीर की राज्य सरकार को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी गई है।

नौवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान पर्यटन के विकास एवं संवर्धन हेतु जम्मू-कश्मीर को प्रदान की गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :-

वर्ष	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि (लाखों रुपयों में)
1997-98	10	293.35
1998-99	6	192.85
1999-2000	16	334.58

चीनी कारखानों का निजीकरण

1070. श्री दानवे रावसाहेब पाटील : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकार के स्वामित्व वाले चीनी कारखानों के विनिवेश/निजीकरण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद) : (क) और (ख) भारत सरकार की केवल एक चीनी मिल है, अर्थात् गणेश शुगर मिल, जो राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा नियंत्रित एक सरकारी कम्पनी है। कम्पनी द्वारा घाटा उठाए जाने के कारण, चीनी मिल को औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.)/औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण अपीलीय प्राधिकरण (ए.ए.आई.एफ.आर.) के पास भेजा गया था जिन्होंने इस कम्पनी को बन्द करने का आदेश दिया है तथा यह मामला परिसमापन प्रक्रिया के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लम्बित पड़ा है।

[हिन्दी]

विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड को बंद करना

1071. **श्री पुष्प चैन** : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड को चरणबद्ध ढंग से बंद करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य औचित्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इसके लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रमण) : (क) फिलहाल इस संबंध में कोई निश्चित प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

प्राकृतिक रबड़ का मूल्य

1072. **श्री फेन राधाकृष्णन :**
श्री पी०सी० थामस :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राकृतिक रबड़ के मूल्य में भारी गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) प्राकृतिक रबड़ का न्यूनतम निर्धारित मूल्य कब तक घोषित किया जाएगा और अंतिम बार यह कब घोषित किया गया था;

(घ) प्राकृतिक रबड़ की उत्पादन लागत क्या है और इसकी गणना की विधि और संबंधित आंकड़ों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार लेटेक्स निर्यात बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है; और

(च) यदि हां, तो कृत्रिम रबड़ के अंधाधुंध आयात को नियंत्रित करने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) प्राकृतिक रबड़ (आरएसएस-iv ग्रेड) की कीमत जो जुलाई 1994 में 30 रु. प्रति किग्रा. के लगभग थी, जून 1995 में 60 रु. प्रति किग्रा. से ज्यादा हो गई। तथापि नवम्बर, 1996 से कीमतों में गिरावट शुरू हुई और इस समय यह 33 रु. प्रति किग्रा. के आस-पास चल रही है। प्राकृतिक रबड़ की कीमत में यह गिरावट मुख्यत: टायर उद्योग द्वारा प्राकृतिक रबड़ की खपत में महत्वपूर्ण कमी के कारण आई है।

(ग) और (घ) रबड़ की बैंच मार्क कीमत जो फरवरी, 1994 में आरएसएस-iv ग्रेड के लिए 24.90 रु. प्रति किग्रा. तथा आरएसएस-v ग्रेड के लिए 24.40 रु. प्रति किग्रा. निर्धारित की गई थी, उसे 4 वर्ष पश्चात् सितम्बर, 1998 में संशोधित करके आरएसएस-iv ग्रेड के लिए 34.05 रु. प्रति किग्रा. और आरएसएस-v ग्रेड के लिए 33.55 रु. प्रति किग्रा. कर दिया गया था।

बैंच मार्क कीमत, जो कि प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन की लागत की एक संकेतात्मक कीमत है, का निर्धारण वित्त मंत्रालय की लागत लेखा शाखा द्वारा सम्पूर्ण क्षेत्र के अध्ययन के बाद किया जाता है जिसमें रबड़ की खेती में शामिल वेतन तथा मजदूरी, उर्वरकों, छिड़काव सामग्री इत्यादि की लागत जैसी परिवर्तनशील मदों का तथा लगाई गई पूंजी की अधिप्राप्ति का भी ध्यान रखा जाता है।

(ङ) लैटैक्स सहित प्राकृतिक रबड़ की निर्यात मौजूदा एक्जिम नीति (1997-2002) के तहत पहले ही मुक्त है। चूंकि लैटैक्स की अन्तर्राष्ट्रीय कीमत (38 रु. प्रति किग्रा. डीआरसी) घरेलू कीमत (50 रु. प्रति किग्रा.) से कम है इसलिए लैटैक्स का निर्यात वाणिज्यिक रूप से व्यावहारिक नहीं है।

(च) मौजूदा एक्जिम नीति के तहत सिंथैटिक रबड़ का आयात मुक्त है। सिंथैटिक रबड़ के आयात को विनियमित करने वाले उनके विभिन्न उपयोगों के अनुरूप, उसकी विभिन्न किस्मों के विशिष्ट गुणों को ध्यान में रखते हुए, अन्तिम प्रयोक्ता उद्योगों के हितों में इसके आयात को विनियमित करना उचित नहीं समझा गया है।

मुम्बई स्टॉक एक्सचेंज

1073. **श्री प्रियरंजन दासमुंशी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई स्टॉक एक्सचेंज भारत के कुछ औद्योगिक घरों को कम दर पर शेयर बेचने की बाध्यता के कारण गम्भीर स्थिति का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे मामले में मुम्बई स्टॉक एक्सचेंज को प्रभावित करने हेतु पी.एफ.आई. और अधिसूचित बैंकों के बीच सामूहिक समझ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कम दर पर अपने शेयर बेचने की मुम्बई शेयर बाजार की बाध्यता के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) स्टॉक एक्सचेंज, मुम्बई (बी.एस.ई.) ने सूचित किया है कि मुम्बई स्टॉक एक्सचेंज एक न्यास है तथा कम्पनी नहीं है। एक्सचेंज की कोई प्रदत्त शेयर पूंजी नहीं है। अत: यह प्रश्न मुम्बई स्टॉक एक्सचेंज के संबंध में प्रासंगिक नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

परिसम्पत्ति प्रतिभूतिकरण कानून

1074. **श्री वी०के० पार्थसारथी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक के परिसम्पत्ति प्रतिभूतिकरण पैनल ने प्रतिभूतिकरण कानून बनाने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो पैनल के सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक के परिसम्पत्ति प्रतिभूतिकरण संबंधी इन-हाउस कार्यकारी दल ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की है कि एक दीर्घावधिक उपाय के रूप में सरकार प्रतिभूतिकरण के सभी पहलुओं को शामिल करने वाले "अम्ब्रैला विधान" पर विचार कर सकती है। मध्यमावधि तथा अल्पावधि के लिए दल ने विभिन्न अधिनियमों अर्थात् कम्पनी अधिनियम, 1956, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 राज्य स्टाम्प अधिनियमों, सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882, आयकर अधिनियम, 1961 इत्यादि में उपबन्धों के संशोधनों की सिफारिश की है। कार्यकारी दल की रिपोर्ट सरकार के जांचाधीन है।

उड़ीसा में दूरदर्शन-2 की सेवाएं

1075. **श्री प्रभात सामन्तराय** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में इस समय कौन-कौन से दूरदर्शन केन्द्रों में दूरदर्शन की सेवाएं उपलब्ध हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार राज्य में प्रत्येक दूरदर्शन केन्द्र को दूरदर्शन-2 की सेवाएं उपलब्ध कराने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में कब तक और क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) वर्तमान में उड़ीसा में कटक, भुवनेश्वर, दूदरकोट, धेनकनाल, सम्बलपुर, बलियापाल, केन्द्रपाडा, तिरतोल, ललितगिरि एवं राऊरकेला स्थित दूरदर्शन प्रसारण केन्द्रों से उड़ीसा में डीडी-2 सेवाएं उपलब्ध हैं।

(ख) और (ग) राज्य में प्रत्येक दूरदर्शन केन्द्र को डीडी-2 सेवाएं उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, उड़ीसा में डीडी-2 कवरेज का और विस्तार करने के लिए, सम्बलपुर में एक उच्च शक्ति ट्रांसमीटर और बालेश्वर में एक अल्प शक्ति ट्रांसमीटर कार्यान्वयनाधीन हैं और इनके 2000-2001 के दौरान चालू किए जाने की आशा है। उड़ीसा में डीडी-2 कवरेज का और विस्तार भविष्य में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

[हिन्दी]

वित्तीय संस्थाओं द्वारा राज्यों को ऋण

1076. **श्री राजो सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सार्वजनिक क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं द्वारा वर्ष 1999-2000 तथा 2000-2001 के दौरान आज तक राज्य की विभिन्न संस्थाओं को राज्यवार, संस्थावार कुल कितना ऋण स्वीकृत किया गया; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन संस्थाओं द्वारा प्रत्येक राज्य को वास्तव में कुल कितनी धनराशि जारी की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) वर्ष 1999-2000 तथा 2000-2001 के दौरान विद्यमान तारीख तक सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत ऋणों का राज्यवार तथा संस्थावार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) वर्ष 1999-2000 तथा 2000-2001 के दौरान विद्यमान तारीख तक सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किए गए ऋणों का राज्यवार और संस्थावार विवरण/ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

1999-2000 तथा अप्रैल-मई 2000-2001 के दौरान आईडीबीआई, आईएफसीआई, आईसीआईसीआई, "सिडबी" तथा आईआईबीआई द्वारा स्वीकृत ऋणों का राज्यवार ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य	आईडीबीआई		आईएफसीआई		आईसीआईसीआई		सीडबी		आईआईबीआई	
		अप्रै.-मार्च 1999-2000	अप्रै.-मई 2000-2001	अप्रै.-मार्च 1999-2000	अप्रै.-मई 2000-2001	अप्रै.-मार्च 1999-2000	अप्रै.-मई 2000-2001	अप्रै.-मार्च 1999-2000	अप्रै.-मई 2000-2001	अप्रै.-मार्च 1999-2000	अप्रै.-मई 2000-2001
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	4394.8	75.0	287.2	—	3406.9	81.7	228.0	19.4	88.4	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—
3.	असम	43.4	—	—	—	181.7	52.0	12.1	0.1	—	—
4.	बिहार	241.5	6.0	23.2	—	607.6	—	85.5	—	12.9	—
5.	गोवा	71.5	—	—	—	136.0	25.0	44.8	0.8	20.0	—
6.	गुजरात	4538.9	26.0	615.6	17.0	5677.5	3286.5	330.6	6.1	134.5	—
7.	हरियाणा	572.8	—	43.7	—	959.9	95.2	187.6	7.1	51.8	40.0
8.	हिमाचल प्रदेश	373.0	—	64.3	—	175.0	41.0	38.8	2.0	25.0	—
9.	जम्मू और कश्मीर	41.5	—	—	—	262.5	—	17.3	1.1	—	—
10.	कर्नाटक	1262.3	279.2	206.4	5.0	2689.2	433.0	272.8	0.7	40.3	20.0
11.	केरल	222.0	9.9	—	—	162.0	45.0	117.8	7.4	—	—
12.	मध्य प्रदेश	1122.7	24.1	22.8	—	630.9	592.2	154.5	12.7	22.8	—
13.	महाराष्ट्र	4878.4	402.3	317.5	—	11755.4	3816.8	421.0	15.3	465.5	5.0
14.	मणिपुर	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—
15.	मेघालय	—	—	—	—	—	—	4.0	4.2	—	—
16.	मिजोरम	—	—	—	—	—	—	1.1	—	—	—
17.	नागालैंड	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18.	उड़ीसा	46.3	6.5	—	—	2275.3	300.0	30.1	0.3	300.0	—
19.	पंजाब	1526.2	914.4	84.8	—	443.1	214.0	111.5	7.2	0.7	—
20.	राजस्थान	778.2	12.5	38.8	—	419.9	47.5	188.8	9.2	100.0	—
21.	सिक्किम	—	—	—	—	—	100.0	2.0	0.1	—	—
22.	तमिलनाडु	3368.2	1053.3	54.6	—	3801.9	748.7	317.8	3.4	357.6	165.0
23.	त्रिपुरा	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—
24.	उत्तर प्रदेश	810.9	153.3	178.2	3.5	2112.8	653.0	147.7	4.4	67.9	—
25.	पश्चिम बंगाल	925.3	18.2	75.1	—	1920.8	691.1	108.2	3.9	437.2	99.6
26.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	1927.2	530.0	108.2	—	5739.4	368.5	136.4	6.1	78.2	—
27.	संघ राज्य क्षेत्र एवं अन्य	169.8	7.5	70.8	—	190.4	100.0	17.4	0.6	1.0	—
	अण्डमान और निकोबार	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	दमन और दीव	56.0	—	—	—	65.0	—	0.6	0.2	—	—
	दादरा एवं नागर हवेली	66.4	—	70.8	—	51.3	5.0	8.3	0.1	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	चण्डीगढ़	42.4	—	—	—	—	75.0	7.7	0.3	1.0	—
	लक्षद्वीप	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	पांडिचेरी	5.0	7.5	—	—	50.0	20.0	0.8	—	—	—
	अन्य	—	—	—	—	24.1	—	—	—	—	—
28.	विभिन्न राज्य	—	—	—	—	931.4	—	—	—	—	—
29.	गैर विनिर्दिष्ट क्षेत्र	—	—	—	—	—	414.5	—	—	—	—
	कुल	27314.9	3518.2	2191.2	25.5	44478.8	12105.7	2980.7	112.1	2203.8	329.6

नोट : आंकड़े अनंतिम।

विवरण-II

1999-2000 तथा अप्रैल-मई 2000-2001 के दौरान आईडीबीआई, आईएफसीआई, आईसीआईसीआई, "सिडबी" तथा आईआईबीआई द्वारा संवितरण ऋणों का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	आईडीबीआई		आईएफसीआई		आईसीआईसीआई		सीडबी		आईआईबीआई	
		अप्रै.-मार्च 1999-2000	अप्रै.-मई 2000-2001	अप्रै.-मार्च 1999-2000	अप्रै.-मई 2000-2001	अप्रै.-मार्च 1999-2000	अप्रै.-मई 2000-2001	अप्रै.-मार्च 1999-2000	अप्रै.-मई 2000-2001	अप्रै.-मार्च 1999-2000	अप्रै.-मई 2000-2001
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	1692.5	72.9	285.4	16.6	1275.6	195.1	193.7	19.4	89.4	0.2
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—
3.	असम	29.9	0.8	5.6	2.1	102.1	4.3	11.7	0.1	0.5	—
4.	बिहार	317.4	22.7	2.7	—	512.5	—	81.2	—	10.1	—
5.	गोवा	103.4	—	58.8	9.8	95.7	—	44.2	0.3	30.0	—
6.	गुजरात	2457.6	58.6	412.4	38.6	3680.0	57.8	280.3	5.5	115.0	—
7.	हरियाणा	385.2	59.5	48.4	13.7	734.6	92.1	157.7	6.9	6.1	5.0
8.	हिमाचल प्रदेश	362.3	4.2	61.5	—	48.4	25.0	31.2	1.9	31.1	—
9.	जम्मू और कश्मीर	42.3	—	—	--	16.5	2.9	16.6	1.5	—	—
10.	कर्नाटक	955.5	82.8	173.3	19.1	2178.7	178.1	206.7	0.7	84.0	—
11.	केरल	117.9	9.3	1.2	—	173.2	1.5	107.7	7.1	2.7	—
12.	मध्य प्रदेश	658.9	11.1	101.0	6.1	284.6	217.1	124.7	10.5	49.8	—
13.	महाराष्ट्र	3563.6	283.1	1043.4	49.6	6419.3	1829.1	381.2	14.9	296.1	21.5
14.	मणिपुर	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—
15.	मेघालय	—	—	—	—	—	—	3.7	0.8	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.	मिजोरम	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—
17.	नागालैंड	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18.	उड़ीसा	202.9	0.7	—	—	484.8	5.0	25.8	0.3	61.7	—
19.	पंजाब	559.9	37.5	98.5	0.5	264.6	96.0	102.4	5.8	7.6	—
20.	राजस्थान	680.1	80.3	47.6	—	278.8	62.5	141.3	4.7	45.0	—
21.	सिक्किम	—	—	—	—	—	—	2.1	0.1	—	—
22.	तमिलनाडु	1213.5	50.3	155.0	46.6	1922.4	318.7	268.8	3.3	138.6	24.1
23.	त्रिपुरा	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—
24.	उत्तर प्रदेश	814.6	42.8	269.0	13.2	968.1	231.5	149.3	4.3	35.8	—
25.	पश्चिम बंगाल	627.8	162.1	94.8	41.1	1733.8	541.8	73.8	9.0	280.1	100.9
26.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	1330.8	114.6	55.6	2.0	3871.6	313.8	132.6	6.0	20.9	2.0
27.	संघ राज्य क्षेत्र एवं अन्य	95.4	17.8	53.6	25.7	82.0	6.6	21.3	0.6	1.5	—
	अण्डमान और निकोबार	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	दमन और दीव	18.1	0.9	—	—	18.2	—	0.6	0.2	—	—
	दादरा एवं नागर हवेली	32.4	6.5	51.4	25.7	31.9	6.6	12.4	0.1	0.6	—
	चण्डीगढ़	27.9	2.1	—	—	—	—	7.5	0.3	0.9	—
	लक्षद्वीप	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	पांडिचेरी	17.0	8.3	2.2	—	31.9	—	0.8	—	—	—
28.	विभिन्न राज्य	—	—	—	—	708.4	310.3	—	—	—	—
29.	गैर विनिर्दिष्ट क्षेत्र	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	कुल	16211.5	1110.5	2965.8	284.7	25835.7	4489.2	2564.2	103.7	1306.0	153.7

नोट : आंकड़े अनंतिम।

खाद्य वस्तुओं का निर्यात

1077. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार तथा वस्तु-वार कितनी मात्रा में वस्तुओं का निर्यात किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(ग) निर्यात का खाद्य वस्तुओं की उपलब्धता और घरेलू बाजार में इसकी लागत पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान खाद्य मदों के निर्यात से अर्जित की गई विदेशी मुद्रा निम्नानुसार है :-

वर्ष	राशि (मिलियन अमरीकी डालर)	राशि (लाख रु. में)
1997-98	4509.11 (1 अमरीकी डालर = 39.00 रु.)	1758553.71
1998-99	4864.48 (1 अमरीकी डालर = 42.00 रु.)	2043085.18
1999-2000	4219.64 (1 अमरीकी डालर = 42.50 रु.)	1793348.23

(ग) खाद्य मदों के निर्यात को अनुमति देने से संबंधित सरकार की नीति में मुख्य रूप से भारत की खाद्य सुरक्षा संबंधी चिंताओं, आय को अधिकतम बनाने और विदेशी मुद्रा अर्जन को ध्यान में रखा जाता है। खाद्य उत्पादों के निर्यात निष्पादन की समीक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और तदनुसार, जब कभी आवश्यक समझा जाता है, खाद्य मदों के निर्यात को उत्तरोत्तर व्यावहारिक बनाने की दृष्टि से नीतिगत संशोधन किए जाते हैं।

विवरण

खाद्य मदों का निर्यात

मात्रा टनों में
मूल्य लाख रु. में

मदें	अप्रैल-मार्च 1997-98		अप्रैल-मार्च 1998-99		अप्रैल-मार्च 1999-2000	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
दालें	168052	36088.63	104096	22302.64	182228	40492.17
बासमती चावल	593323	168562.03	597793	187690.92	606468	173593.99
गैर बासमती चावल	1795743	168537.55	4365888	440384.53	1216681	136943.05
गेहूं	1517	40.29	1763	135.79	20	1.73
अन्य अनाज	15350	1259.4	9527	868.36	7618	813.93
मसाले	230531	140965.63	209828	163252.05	195793	170192.04
काजू गिरी	76902	139990.69	77277	162746.66	92461	245144.77
एच पी एस मूंगफली	245401	56629.96	58326	13966.28	73244	18322.7
चीनी	173282	24444.82	12735	1735.93	7043	1076.54
मांस और मांस से तैयार उत्पाद		80835.35		78811.71		78096.07
कुक्कुट और दुग्ध उत्पाद		11804.31		9696.96		9849.97
ताजे फल		27684.21		26632.5		28822.12
ताजी सब्जियां		31295.13		27402.03		83.12
प्रसंस्कृत फल एवं जूस		27286.9		29087.37		49033.87
प्रसंस्कृत सब्जियां		11651.29		16727.09		16520.93
विविध प्रसंस्कृत मदें		25558.49		25508.11		63.53
समुद्री उत्पाद	398201	448675.97	311256	436855.48	390655	511313.4
चाय	193700	187629.04	210395	226488.58	183807	176577.49
काफी	160272	169614.02	193610	172792.19	165309	136406.81
कुल		1758553.71		2043085.18		1793348.23

[अनुवाद]

लोक साहित्य का विकास करने संबंधी योजनाएं

1078. **श्री टी० गोविन्दन** : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा लोक साहित्य के विकास कार्य से जुड़ी स्वयंसेवी संगठनों/व्यक्तियों के लिए तैयार की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार कुल कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) और (ख) सरकार के पास लोकवार्ता में संलग्न स्वयंसेवी संगठनों/व्यक्तियों के विकास के लिए अनन्य रूप से कोई स्कीम नहीं है, हालांकि यह एक स्कीम संचालित तो करती है जिसके अंतर्गत जनजातीय/लोक कला और संस्कृति के परिरक्षण और संवर्द्धन में संलग्न स्वयंसेवी संगठनों और व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। स्कीम मुख्यत: पूर्णरूप से अभिज्ञात जनजातीय/ग्रामीण और लोक कला और शिल्पों के लिए है जिनके परिरक्षण, संवर्द्धन और प्रसार की तत्काल आवश्यकता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान स्कीम के अन्तर्गत प्रदत्त सहायता वर्ष 1997-98 के लिए लगभग 22 लाख रुपये, वर्ष 1998-99 के लिए लगभग 43 लाख रुपये और वर्ष 1999-2000 के लिए लगभग 74 लाख रुपये थी। तथापि, सहायता राज्य-वार नहीं दी जाती है।

[हिन्दी]

सॉफ्टवेयर उद्योग को कर मुक्ति

1079. **प्रो० रासासिंह रावत** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर मुक्ति किन स्थितियों में दी जाती है और यह किन उद्योगों/वस्तुओं के लिए दी गई है;

(ख) क्या सरकार को सॉफ्टवेयर उद्योग को कर मुक्ति देने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार क्या कदम उठा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० धनंजय कुमार) : (क) आयकर अधिनियम धारा 10क और 10ख, 80झक, 80झख और 80अत्रक में विभिन्न उद्योगों/क्षेत्रों के लिए उनमें विनिर्दिष्ट शर्तों पर करावकाश का प्रावधान है। इनमें शामिल हैं :-

1. अवसंरचनात्मक विकास के लिए

   क. अवसंरचना सुविधा

   ख. दूरसंचार सेवाएं

   ग. औद्योगिक पार्क

   घ. विद्युत क्षेत्र।

2. वैज्ञानिक अनुसंधान एवं विकास कंपनियां।

3. वाणिज्यिक उत्पादन अथवा खनिज तेल का शोधन।

4. आवास परियोजनाएं।

5. कृषि उत्पादों के लिए शीत भण्डारों की सुविधा।

6. (क) पिछड़े राज्यों में स्थित उद्योग

   (ख) पिछड़े जिलों में स्थित उद्योग।

7. जैव अवक्रमित अपशिष्टों का संग्रहण और प्रसंस्करण।

8. मुक्त व्यापार क्षेत्रों, इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर पार्कों, साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों और 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुखी इकाइयों में स्थित उपक्रमों की निर्यात आय।

9. उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए विशेष करावकाश।

(ख) और (ग) जी, हां। सरकार गत बजटीय कार्रवाई के दौरान साफ्टवेयर उद्योग को करावकाश प्रदान करने और मौजूदा रियायतों के क्षेत्र को बढ़ाने के संबंध में भी बड़ी संख्या में अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। सरकार द्वारा ऐसे सभी प्रस्तावों पर विचार किया गया था। आयकर अधिनियम की धारा 10क और 10ख में समुचित संशोधन किया गया था ताकि अन्य बातों के साथ-साथ साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों में स्थित उपक्रमों द्वारा व्युत्पन्न निर्यात आय के संबंध में श्रेणीबद्ध ढंग से दस वर्षीय करावकाश का प्रावधान किया जा सके।

[अनुवाद]

सिगरेट उत्पादन हेतु लाइसेंस

1080. **श्री सुबोध मोहिते** : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान सरकार ने सिगरेट उत्पादन के लिए किसी संयुक्त उद्यम को कोई लाइसेंस जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक कम्पनी का नाम और स्थान क्या है;

(ग) क्या सिगरेट उत्पादन हेतु लाइसेंस न दिए जाने पर किसी बहुराष्ट्रीय कम्पनी ने आपत्ति की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या आई.डी.आर. अधिनियम के अन्तर्गत असम, त्रिपुरा और मेघालय के कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में बिना लाइसेंस के सिगरेट उत्पादन की अनुमति है;

(च) यदि हां, तो क्या सरकार की योजना देश के अन्य भागों में सिगरेट उत्पादन के लिए लाइसेंस नीति में छूट देने की है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रमण) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

(च) लागू नहीं होता।

(छ) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की प्रथम अनुसूची के अनुसार, सिगरेटों का विनिर्माण अनिवार्य लाइसेंस के तहत आता है। सरकार द्वारा अब तक इस उपबंध में कोई छूट नहीं दी गई है।

ज्ञान दर्शन चैनल

1081. **श्री सुरेश रामराव चापव** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केबल आपरेटरों पर यह शर्त लगाने का है कि वे प्राइम बैंड चैनल में ज्ञान दर्शन की कड़ियों को शामिल करें ताकि जिन लोगों के पास श्वेत एवं श्याम टेलीविजन सैट हैं वे उनका लाभ उठा सकें;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केबल नेटवर्क विनियमन अधिनियम, 1995 में संशोधन करने के लिए संसद में कब तक विधेयक लाने की संभावना है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) दूरदर्शन द्वारा ज्ञान दर्शन चैनल के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) से (ग) केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 में इस समय केबल आपरेटरों को अपने नेटवर्क में अपनी पसन्द के कोई दो दूरदर्शन चैनल प्रसारित करने का शासनादेश है। तथापि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि ग्राहक लोक सेवा प्रसारक के मुख्य चैनलों से वंचित न हों, सरकार का अन्य बातों के साथ-साथ केबल नेटवर्क के माध्यम से एक क्षेत्रीय भाषा चैनल सहित दूरदर्शन के दो स्थलीय चैनलों का समान रूप से प्रसारण और उपयुक्त अभिग्रहण को निश्चित करने के विचार से चालू सत्र के दौरान संसद में एक संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है।

(घ) दूरदर्शन अपने चैनल-1 पर उपयुक्त स्थानों पर प्रोत्साहन संबंधी स्पॉटों का प्रसारण करता है ताकि ज्ञान दर्शन चैनल को लोकप्रिय बनाया जा सके।

[हिन्दी]

गैसोइल उत्पादन की अनुमति

1082. **श्री जय प्रकाश** : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार से शीरे से गैसोइल के उत्पादन की अनुमति देने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या सरकार ने कुछ प्रमुख गन्ना उत्पादक देशों द्वारा बड़े पैमाने पर गैसोइल उत्पादन के संबंध में कोई अध्ययन कराया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

इन्लैंड कन्टेनर डिपो की स्थापना

1083. **डा० जसवन्त सिंह चावड** : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दो वर्ष पूर्व विदेश व्यापार के संवर्द्धन हेतु इन्लैंड कन्टेनर डिपो की स्थापना के लिए भीलवाड़ा (राजस्थान) का चयन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या उद्देश्य है;

(ग) क्या ड्यूटी इन्टाइटिलमेंट पासबुक और ड्यूटी एग्जेम्पशन इन्टाइटिलमेंट स्कीम लाइसेंस उपलब्ध न होने के कारण इस कन्टेनर से व्यापारी लाभान्वित नहीं हो पाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा उनको कब तक उक्त लाइसेंस जारी कर दिए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) जी, हां। राजस्थान लघु उद्योग को भिलवाड़ा में एक इन्लैंड कन्टेनर डिपो की स्थापना के लिए प्राधिकृत किया गया था। इन्लैंड कन्टेनर डिपो व्यापार के प्रयोजन से निर्यात-आयात कार्गों की उसी स्थान पर सीमाशुल्क निकासी की सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं।

(ग) से (ङ) चूंकि यह सुविधा अभी शुरू की गई है, इसलिए इसका पूर्ण उपयोग करने में कुछ समय लगेगा। सरकार उक्त इन्लैंड कन्टेनर डिपो पर शुल्क हकदारी पासबुक योजना और शुल्क छूट हकदारी योजना की मंजूरी देने पर विचार कर रही है।

[अनुवाद]

व्यापार संवर्धन में डैनिस कम्पनियों की भागीदारी

1084. **श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार :** क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में व्यापार संवर्धन में लगी डैनिस कम्पनियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या डेनमार्क का देश में व्यापारिक कार्यालयों को खोलने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) डेनमार्क की कम्पनियों द्वारा व्यापार का संचालन स्वैच्छिक आधार पर किया जाता है। इसलिए इस तरह की कम्पनियों की संख्या का कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है। तथापि, उपलब्ध सूचना के अनुसार सरकार द्वारा वर्ष 1991 से मई, 2000 के दौरान डेनमार्क की कम्पनियों के साथ सहयोग तथा डेनमार्क से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) के 187 प्रस्ताव अनुमोदित किए गए हैं।

(ख) और (ग) हाल ही में डेनमार्क के व्यापार एवं उद्योग मंत्रालय ने बंगलौर में डेनमार्क के व्यापार एवं औद्योगिक सलाहकार का एक कार्यालय स्थापित किया है।

निवेशक संरक्षण अधिनियम

1085. **श्री अनंत गंगाराम गीते :**
श्री किरीट सोमैया :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अखिल भारतीय स्तर पर निवेशक संरक्षण अधिनियम बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने विभिन्न राज्य सरकारों से अपने-अपने राज्य में निवेशक संरक्षण अधिनियम पारित करने को कहा है;

(घ) यदि हां, तो कितने राज्यों ने ऐसा विधान पारित कर दिया है;

(ङ) इस अधिनियम के उपबन्धों का ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार का राज्य स्तरीय निवेशक संरक्षण अधिनियम और अखिल भारतीय निवेशक संरक्षण अधिनियम के बारे में क्या दृष्टिकोण है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (च) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने भारत सरकार के पास निवेशक सुरक्षा विधेयक के लिए एक प्रस्ताव भेजा है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ परिसंपत्ति वंचन तथा निधियों के अपवहन के विरुद्ध सुरक्षा, क्षतिपूर्ति प्रदान करने तथा भुगतान में चूक करने वाली कम्पनियों की संपत्ति कुर्क करने के प्रावधान शामिल हैं। सम्बद्ध मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

18 मई, 1999 के सेबी, जो कि बाजार विनियामक है, ने राज्य सरकारों से महाराष्ट्र द्वारा अधिनियमित अध्यादेश के अनुरूप कानून अधिनियमित करने पर विचार करने का अनुरोध किया था। वित्तीय संस्थाओं में जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए तमिलनाडु, महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश ने विधान पारित किए हैं। यह विधान वित्तीय संस्थाओं द्वारा निवेश स्वीकार किए जाने से संबंधित है तथा इसमें अन्य बातों के साथ-साथ ऐसी संस्थाओं द्वारा चूक से निपटने तथा जमाओं की वापसी में चूक करने वाली कम्पनियों की सम्पत्ति कुर्क करने तथा कुर्क धनराशि तथा संपत्ति पर नियंत्रण के प्रयोग हेतु एक सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति के लिए प्रावधान शामिल हैं।

मसालों का निर्यात

1086. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :** क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान मसालों का निर्यात घट गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में इस वर्ष कितने मसालों का निर्यात किया गया; और

(घ) इसके निर्यात को बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) जी, हां। अप्रैल-जून, 2000 के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में मसालों के निर्यात में कमी आई है। मसालों के निर्यात में गिरावट मुख्यत: निम्नलिखित कारणों से आई है :-

(i) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में काली मिर्च, मिर्च, अदरक तथा हल्दी की अधिक आपूर्ति से कीमतों में गिरावट आई है। अन्य आपूर्तिकर्ताओं की तुलना में भारतीय कीमतें अधिक हैं।

(ii) धनिया, जीरा, सेलरी, सौंफ तथा मेथी के मामले में पर्याप्त निर्यात अधिशेष का उपलब्ध न होना। घरेलू खपत में हो रही वृद्धि के कारण इन वस्तुओं की घरेलू कीमतें काफी अधिक हैं।

(iii) सेलेरी एवं सौंफ के मामले में कम अन्तर्राष्ट्रीय मांग।

(ग) अप्रैल-जून, 2000 के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में मसालों का अनुमानित निर्यात नीचे दिया गया है :-

अवधि	मात्रा (मी. टन)	मूल्य (लाख रु.)
अप्रैल-जून 2000 (अनु)	47,620	37083.40
अप्रैल-जून 1999 (अ)	70,905	57278.84

(अनु) अनुमानित (अ) अनंतिम

इनमें शामिल हैं—काली मिर्च, मिर्च, इलायची, अदरक, हल्दी, धनिया, जीरा, सेलेरी, मेथी, लहसुन, करी पाउडर, मिंट आयल, मसाला तेल तथा ओलिओरेजिन इत्यादि।

स्रोत : मसाला बोर्ड।

(घ) सामान्य व्यापार नीति सुधारों के अतिरिक्त मसालों के निर्यातों को बढ़ाने के लिए उठाए गए कुछ कदमों में शामिल हैं—विदेशी बाजार में मसालों के निर्यातों को कीमत प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए इनके निर्यात पर 0.5 प्रतिशत की दर से उपकर को युक्तिसंगत बनाना, मूल्य वर्धित मसालों के निर्यातकों को प्रदत्त "भारतीय मसाला लोगो" जैसी ब्राड संवर्धन योजनाओं को कार्यान्वित करना और खुले रूप में मसालों के ऐसे निर्यातकों को "मसाला गृह प्रमाण पत्र" देना जो गुणवत्ता संबंधी मानकों का पालन करते हैं, गुणवत्ता, प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण, प्रक्रिया उन्नयन और उत्पाद विकास सुनिश्चित करने के लिए उत्पादों की जांच हेतु प्रयोगशालाओं की स्थापना करना। इसके अतिरिक्त, सरकार मसाला बोर्ड द्वारा मसालों का निर्यात बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम भी उठाए जा रहे हैं :-

(i) नए बाजारों, नए अनुप्रयोगों तथा नए ब्रांडों का विकास करके उत्पाद विविधीकरण।

(ii) मसाला उत्पादों के लिए छोटे बाजारों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कार्बनिक मसालों एवं मसाला उत्पादों का विकास करना।

(iii) भारतीय मसालों के लिए बाजार विकसित करने हेतु लैटिन अमरीकी देशों जैसे अपारम्परिक बाजारों को व्यापार प्रतिनिधिमंडल भेजना।

(iv) उन्नत प्रौद्योगिकी को लागू करके उत्पादों को लागत प्रतिस्पर्धी बनाने के अलावा, भारतीय मसालों एवं मसाला उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार लाने के प्रयास करना।

आई०आई०एफ०टी० में छात्रों की संख्या

1087. श्री ए० कृष्णैया : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय विदेश व्यापार संस्थान में छात्रों की संख्या को बढ़ाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इस समय भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आई.आई.एफ.टी.) छात्रों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) क्या देश के लिए विदेश व्यापार में और अधिक प्रशिक्षित लोगों की आवश्यकता है; और

(घ) यदि हां, तो दिल्ली में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान का विस्तार करने हेतु प्रस्तावित कदम क्या हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी) ने विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। इसने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में एक तीन वर्षीय स्नाकोत्तर कार्यक्रम (सायंकालीन) शुरू किया है जिसमें 50 (पचास) विद्यार्थी होंगे।

(ख) इस समय संस्थान में विद्यार्थियों की कुल संख्या 233 है।

(ग) जी, हां।

(घ) इस समय संस्थान अपनी मध्यावधिक कार्य-योजना को तैयार करने में लगा हुआ है जिसमें इसके प्रस्तावित विस्तार की योजनाएं शामिल होंगी।

ऋण माफ किया जाना

1088. श्रीमती प्रेनीत कौर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पंजाब राज्य को 8,500 करोड़ रुपये का दिया गया ऋण माफ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उन आदेशों का ब्यौरा क्या है जिनके अन्तर्गत ऋण माफ किए गए; और

(ग) 1 अप्रैल, 2000 तक उक्त राज्य केन्द्र को कितनी बकाया राशि का देनदार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) दसवें वित्त आयोग (टी.एफ.सी.) ने उग्रवादियों और घुसपैठियों से लड़ने के लिए 1995-2000 की अवधि में राज्य को दिए गए विशेष ऋण की मूल राशि के एक तिहाई भाग को बट्टे-खाते में डाले जाने की सिफारिश की है। भारत सरकार ने 1995-96 के दौरान बकाया इस ऋण के मूल तथा ब्याज की शेष राशि भी माफ कर दी थी। इसके बाद भारत सरकार ने 1997-98 में तथा 1998-99 और 1999-2000 में बकाया पुनर्अदायगी की बाकी राशि भी माफ कर दी थी जिनके विवरण इस प्रकार हैं :-

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	राशि बट्टे-खाते में डालना		
	भारत सरकार के निर्णयानुसार (मूलधन) और ब्याज	दसवें वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार (मूल)	योग
1995-96	803.23	88.07	891.30
1996-97	—	88.07	88.07
1997-98	584.16	88.07	672.23
1998-99	771.15	110.29	881.44
1999-2000	759.35	120.72	880.07

(ग) 1 अप्रैल, 2000 की स्थिति के अनुसार राज्य सरकार पर वित्त मंत्रालय का बकाया ऋण 6785.91 करोड़ रुपये था। इसमें विशेष ऋण के तौर पर दी गई 4279 करोड़ रुपये की राशि भी शामिल है। ग्यारहवें वेतन आयोग (ई.एफ.सी.) की रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गई है। वह रिपोर्ट तथा उसके साथ उस पर की गई कार्रवाई संबंधी व्याख्यात्मक ज्ञापन के साथ सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी गई है। भारत सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार ई.एफ.सी. द्वारा ऋण माफी की सिफारिशों को लागू किया जाएगा।

विदेशी कम्पनियों द्वारा चाय की खेती

1089. **श्री अनन्त नायक** : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विदेशी कम्पनियां देश में चाय की खेती करना चाहती हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कम्पनियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इन विदेशी कम्पनियों को चाय की खेती करने की अनुमति देने पर सहमत हो गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में इन कम्पनियों के लिए निर्धारित की गई निबन्धन व शर्तों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रमण) : (क) से (घ) सरकार ने चाय की खेती में संलग्न कम्पनियों से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए निम्नलिखित तीन प्रस्ताव प्राप्त किए हैं :-

(1) मै. यूनिलीवर ओवरसीज होल्डिंग बी.वी., नीदरलैंड

(2) मै. जॉर्ज विलमसन (असम) लि., कलकत्ता

(3) मै. टाटा टी लि.

मै. यूनिलीवर ओवरसीज होल्डिंग बी.वी. और मै. जॉर्ज विलमसन (असम) लि. के प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हुए हैं। टाटा टी लि. को जी.डी.आर. जारी करने और एक "यू.के. बेस्ड टी कम्पनी" का अधिग्रहण करने के लिए कार्यवाहियों का प्रयोग करने की अनुमति दे दी गई है।

बैंकों का कम्प्यूटरीकरण

1090. **श्रीमती श्यामा सिंह** :
श्री नरेश पुगलिया :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने बैंकों में की जा रही हेराफेरी और अनियमितताओं को रोकने के लिए देशभर के सभी बैंकों को अपने प्रचालनों को कम्प्यूटरीकृत करने का निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सतर्कता आयोग के इन निर्देशों के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) 30 जून, 2000 की स्थिति के अनुसार कम्प्यूटरीकृत राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल प्रतिशतता कितनी है;

(घ) क्या बैंकों का कम्प्यूटरीकरण करने के बाद हेराफेरी के मामलों में कोई गिरावट आई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने 27 नवम्बर, 1998 को अनुदेश जारी किए थे जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सभी बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था कि 1 जनवरी, 2001 से पहले उनका 70 प्रतिशत कारोबार कम्प्यूटरीकरण के माध्यम से किया जाए। उसके बाद से बैंकों ने कम्प्यूटरीकरण की गति तेज कर दी है।

(ग) 30 जून, 2000 की स्थिति के अनुसार, उपलब्ध सूचना के अनुसार, राष्ट्रीयकृत बैंक अपना 55 प्रतिशत कारोबार कम्प्यूटरीकरण के माध्यम से कर रहे हैं।

(घ) और (ङ) 1998 की तुलना में 1999 के दौरान सरकारी बैंकों द्वारा सूचित धोखाधड़ियों की संख्या में मामूली कमी आई है। बैंकिंग परिचालनों के कम्प्यूटरीकरण और बैंक धोखाधड़ियों में कमी के बीच किसी आकस्मिक संबंध का कोई प्रमाण नहीं है।

पैन कार्ड

1091. **श्री नरेश पुगलिया** :
श्री कृष्णमराजू :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अगस्त, 2000 से "आन लाइन" पैन (स्थाई खाता संख्या) कार्ड जारी करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) 30 जून, 2000 की स्थिति के अनुसार पैन कार्ड जारी करने हेतु कितने आवेदन आयकर विभाग के पास लम्बित हैं और ये आवेदन कब से लम्बित हैं;

(घ) इन आवेदकों को पैन कार्ड जारी करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ङ) इन सभी आवेदकों को पैन कार्ड कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० धनञ्जय कुमार) : (क) और (ख) स्थाई खाता संख्या (पैन) की आन लाइन आबंटन प्रणाली दिल्ली, मुंबई और चेन्नई के सभी पीसी से नेटवर्क पर पहले से ही क्रियाशील हैं। पैन का आन लाइन आबंटन सीमित पैमाने पर पूरे भारत में उन पीसी से 28 अन्य कम्प्यूटर केन्द्रों पर आरम्भ हो गया है जो नेटवर्क पर हैं। आन लाइन पैन कार्ड जारी नहीं किए जाते हैं।

(ग) दिनांक 30.6.2000 की स्थिति के अनुसार स्थाई खाता संख्या के आबंटन के लिए प्राप्त 1,92,14,790 आवेदनों में से 1,71,57,581 को स्थाई खाता संख्या का आबंटन कर दिया गया है। प्राप्त आवेदनों और स्थाई खाता संख्या आबंटन की वर्षवार स्थिति नीचे संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) पैन कार्ड के आबंटन में देरी मुख्यत: आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदनों में अधूरी सूचना देने के कारण हुई है। इसके लिए त्रुटि पत्र जारी करना आवश्यक होता है। ऐसे सभी मामलों में विभाग द्वारा आगे कार्रवाई करदाताओं द्वारा त्रुटियों को दूर करने के बाद ही की जा सकती है। पैन आबंटन के लिए आवेदनों की प्राप्ति भी एक सतत प्रक्रिया है।

(ङ) स्थाई खाता संख्या के आवेदन का कार्य जोर-शोर से चल रहा है और आवेदकों को पैन के शीघ्र आबंटन के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। विभाग द्वारा उक्त विषय पर व्यापक प्रचार भी किया जा रहा है जिसमें आवेदकों से विभाग द्वारा उनको भेजे गए त्रुटि का उत्तर देने का अनुरोध किया गया है।

विवरण

प्राप्त आवेदनों और आबंटित पैन की वर्षवार स्थिति

वर्ष	प्राप्त आवेदनों की संख्या	आबंटित पैन की संख्या
1995-96	992,447	519,130
1996-97	830,062	671,652
1997-98	885,076	742,666
1998-99	14,623,988	9,541,669
1999-2000	1,566,577	5,066,981
2000-2001 (30.6.2000 तक)	316,640	615,483
योग	19,214,790	17,157,581

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[हिन्दी]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार) : अध्यक्ष महोदय, मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 591(अ)/आ०व०/चीनी, जो 7 जुलाई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, जिसके द्वारा निदेश दिया गया था कि चीनी के मान्यता प्राप्त विक्रेता द्वारा स्टाक रखने की सीमा को हटा लिया जाएगा, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 2111/2000]

[अनुवाद]

कृषि मंत्री (श्री नीतिश कुमार) : महोदय, मैं राष्ट्रीय कृषि नीति की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 2112/2000]

[हिन्दी]

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : अध्यक्ष महोदय, मैं सेंट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन और उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के बीच वर्ष 2000-2001 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 2113/2000]

[अनुवाद]

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वल्लभभाई कथीरिया) : महोदय, मैं भारत यंत्र निगम लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग के बीच वर्ष 2000-2001 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 2114/2000]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० धनंजय कुमार) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) सा०का०नि० 433(अ) जो 12 मई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उनमें उल्लिखित दो अधिसूचनाओं में संशोधन करना था तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा०का०नि० 434(अ) जो 12 मई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय श्रीलंका से आयातित चाय पर मूल्यानुसार 7.5 प्रतिशत प्रभावी मूल्य सीमा शुल्क निर्धारित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा०का०नि० 435(अ) जो 12 मई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिभारित सीमा-शुल्क से कतिपय वस्तुओं को छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा०का०नि० 436(अ) जो 12 मई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1 मार्च, 2000 की अधिसूचना संख्या 19/2000-सी०शु० को निरस्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा०का०नि० 437(अ) जो 12 मई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1 मार्च, 2000 की अधिसूचना संख्या 17/2000-सी०शु० को निरस्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा०का०नि० 438(अ) जो 12 मई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय केन्द्रीय सरकार द्वारा सीमा-शुल्क अधिनियम की धारा 28कख के अन्तर्गत ब्याज की दर का निर्धारण करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा०का०नि० 439(अ) जो 12 मई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय केन्द्रीय सरकार द्वारा सीमा-शुल्क अधिनियम की धारा 28कक के अन्तर्गत ब्याज की दर का निर्धारण करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा०का०नि० 440(अ) जो 12 मई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय केन्द्रीय सरकार द्वारा सीमा-शुल्क अधिनियम की धारा 47 के अन्तर्गत ब्याज की दर का निर्धारण करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा०का०नि० 441(अ) जो 12 मई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय केन्द्रीय सरकार द्वारा सीमा-शुल्क अधिनियम की धारा 59 के अन्तर्गत ब्याज की दर का निर्धारण करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा०का०नि० 442(अ) जो 12 मई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय केन्द्रीय सरकार द्वारा सीमा-शुल्क अधिनियम की धारा 27क के अन्तर्गत ब्याज की दर का निर्धारण करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा०का०नि० 376(अ) जो 4 मई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2000 की अधिसूचना संख्या 16/2000-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा०का०नि० 377(अ) जो 4 मई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उनमें उल्लिखित दो अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा०का०नि० 533(अ) जो 12 जून, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2000 की अधिसूचना संख्या 16/2000-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा०का०नि० 535(अ) जो 12 जून, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 12 मई, 2000 की अधिसूचना संख्या 61/2000-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पन्द्रह) सा०का०नि० 503(अ) जो 29 मई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उनमें उल्लिखित अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा०का०नि० 398(अ) जो 5 मई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उनमें उल्लिखित चार अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा०का०नि० 399(अ) जो 5 मई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 28 जून, 1993 की अधिसूचना संख्या 144/93-सी०शु० को अतिष्ठित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) सा०का०नि० 413(अ) जो 8 मई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 28 जून, 1993 की अधिसूचना संख्या 144/93-सी०शु० को अतिष्ठित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) सा०का०नि० 415(अ) जो 8 मई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ग्रेनाइट की खनन के उद्देश्य से ग्रेनाइड की खदान में उपयोग के लिए निर्यातोन्मुख एककों और निर्यात प्रसंस्करण जोन के एककों द्वारा निजी/सार्वजनिक बंधित भांडागार से आयातित या अधिप्राप्त/विनिर्दिष्ट वस्तुओं को छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) सा०का०नि० 474(अ) जो 22 मई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उनमें उल्लिखित नौ अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) सा०का०नि० 499(अ) जो 26 मई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विशेष आर्थिक जोन में एककों द्वारा निजी/सार्वजनिक बंधित भांडागार से आयातित या अधिप्राप्त सभी वस्तुओं को छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाईस) सा०का०नि० 341(अ) जो 19 अप्रैल, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2000 की अधिसूचना संख्या 16/2000-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेईस) सा०का०नि० 348(अ) जो 25 अप्रैल, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 29 अप्रैल, 1999 की अधिसूचना संख्या 48/99-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा उसका एक शुद्धि-पत्र जो जुलाई, 2000 की अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 607(अ) में प्रकाशित हुआ था तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौबीस) सा०का०नि० 349(अ) जो 25 अप्रैल, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 2000-2001 की आयात-निर्यात नीति में 31 मार्च, 2000 को घोषित शुल्क मुक्त पुनःपूर्ति प्रमाण-पत्र (डीएफआरसी) योजना को प्रचालित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पच्चीस) सा०का०नि० 365(अ) जो 27 अप्रैल, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 2000-2001 की आयात-निर्यात नीति में 31 मार्च, 2000 को घोषित 5 प्रतिशत ई०पी० सी०जी० शुल्क योजना को प्रचालित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छब्बीस) सा०का०नि० 366(अ) जो 27 अप्रैल, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 2000-2001 की आयात-निर्यात नीति में 31 मार्च, 2000 को घोषित माने गए निर्यात के लिए अग्रिम लाइसेंस योजना को प्रचालित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्ताईस) सा०का०नि० 367(अ) जो 27 अप्रैल, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 2000-2001 की आयात-निर्यात नीति में 31 मार्च, 2000 को घोषित शुल्क छूट हकदारी प्रमाण-पत्र (डी०ई०ई०सी०) योजना को प्रचालित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अट्ठाईस) सा०का०नि० 370(अ) जो 28 अप्रैल, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उनमें उल्लिखित कतिपय अधिसूचना में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उनतीस) सा०का०नि० 594(अ) जो 7 जुलाई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सुपारी के अलावा सभी माल पर 35 प्रतिशत मूल सीमा शुल्क को बनाए रखना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीस) सा०का०नि० 595(अ) जो 7 जुलाई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सुपारी पर अधिभार उद्ग्रहीत करने से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गईं। देखिए संख्या एल०टी० 2115/2000]

(2) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) सा०का०नि० 465(अ) जो 19 मई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अमरीकी डालर में जापान, स्पेन, पुर्तगाल और इटली में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित उद्ग्रहीत अंतिम प्रतिपाटन शुल्क को अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा०का०नि० 466(अ) जो 19 मई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन शुल्क को अमरीकी डालरों के रूप में लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा०का०नि० 467(अ) जो 19 मई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कोरिया जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित और अमरीकी डालर 124 प्रति मीट्रिक टन की दर पर भारत में आयातित एथीलीन प्रोपाइलीन डायून रबड़ पर अनन्तिम रूप से प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा०का०नि० 457(अ) जो 15 मई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय टर्की में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित एक्रेलिक फाइबर पर अधिसूचना में उल्लिखित दरों पर सीमा शुल्क का प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा०का०नि० 458(अ) जो 15 मई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 15 नवम्बर, 1999 की अधिसूचना संख्या 125/99-सी०शु० को निरस्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा०का०नि० 459(अ) जो 15 मई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका

आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित बेरियम कारबोनेट पर, पदनामित प्राधिकारी द्वारा सिफारिश की गई दरों पर अंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा०का०नि० 460(अ) जो 15 मई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 17 नवम्बर, 1999 की अधिसूचना संख्या 126/99-सी०शु० को निरस्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा०का०नि० 476(अ) जो 22 मई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जापान में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित और भारत में अमरीकी डालर में आयातित एथीलीन प्रोपाइलीन डाइन रबड़ पर अंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा०का०नि० 477(अ) जो 22 मई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जापान, ताइवान, टर्की, संयुक्त राज्य अमेरिका और कोरिया जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित और भारत में अमरीकी डालर में आयातित स्टिरीन ब्यूटाडाइन रबड़ पर अंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा०का०नि० 478(अ) जो 22 मई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जर्मनी और कोरिया जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित और भारत में अमरीकी डालर में आयातित एक्रीलोनाइट्रिल ब्यूटाडाइन रबड़ पर अंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा०का०नि० 483(अ) जो 23 मई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय पदनामित प्राधिकारी द्वारा अनुशंसित दर पर इंडोनेशिया में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित फथैलिक एनहाइराइड पर अनन्तिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा०का०नि० 484(अ) जो 23 मई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय पदनामित प्राधिकारी द्वारा अनुशंसित दर पर चीन जनवादी राज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित सोडियम नाइट्राइट पर अनन्तिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा०का०नि० 494(अ) जो 26 मई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन और रोमानिया में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित केलशियम कारबाईड पर अमरीकी डालर के रूप में अन्तिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा०का०नि० 495(अ) जो 26 मई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित सिट्रिक एसिड पर अमरीकी डालर के रूप में अन्तिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पन्द्रह) सा०का०नि० 504(अ) जो 30 मई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय पदनामित प्राधिकारी द्वारा अनुशंसित दर पर स्पेन में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित प्योर टेरिपैथिलिक एसिड (पी०टी०ए०) पर अन्तिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा०का०नि० 534(अ) जो 12 जून, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1 मार्च, 2000 की अधिसूचना संख्या 18/2000-सी०शु० में कतिपय संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा०का०नि० 546(अ) जो 21 जून, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय आस्ट्रिया, चैक गणराज्य रूस, और रोमानिया में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित और भारत में आयातित विनिर्धारित श्रेणी के सीमलेस पाइप/ट्यूब पर प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) सा०का०नि० 547(अ) जो 21 जून, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 29 दिसम्बर, 1999 की अधिसूचना संख्या 137/99-सी०शु० को निरस्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) सा०का०नि० 559(अ) जो 23 जून, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय यू०के०, फ्रांस और हंगरी में उद्भूत होने वाले अथवा वहां से निर्यातित जम्बो रोल्स अथवा कट-शीट रूप में ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ पेपर

जिसमें रेसिन लेपित और फाइबर आधारित दोनों ही शामिल हैं पर अभिहित प्राधिकारी द्वारा संस्तुत दरों पर अनन्तिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) सा०का०नि० 502(अ) जो 29 मई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 26 जून, 1998 की अधिसूचना संख्या 36/98-सी०शु० को निरस्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) सा०का०नि० 522(अ) जो 6 जून, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय पदनामित प्राधिकारी द्वारा संस्तुत दरों पर संयुक्त राज्य अमेरिका, चेक गणराज्य, यूरोपीय संघ और कोरिया जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित सोडियम साईनाइट पर अन्तिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाईस) सा०का०नि० 523(अ) जो 6 जून, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 27 दिसम्बर, 1999 की अधिसूचना संख्या 134/99-सी०शु० को निरस्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेईस) सा०का०नि० 524(अ) जो 6 जून, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय पदनामित प्राधिकारी द्वारा संस्तुत दरों पर यूरोपीय संघ और ताइवान में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित बिसफेनॉल-ए पर अनन्तिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौबीस) सा०का०नि० 527(अ) जो 8 जून, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय पदनामित प्राधिकारी द्वारा संस्तुत दरों पर संयुक्त राज्य अमेरिका, थाइलैंड और कोरिया गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित एक्रीलिक फाइबर पर प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पच्चीस) सा०का०नि० 528(अ) जो 8 जून, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 24 अक्तूबर, 1997 की अधिसूचना संख्या 81/97-सी०शु० को निरस्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छब्बीस) सा०का०नि० 593(अ) जो 7 जुलाई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सुपारी पर मूल सीमा शुल्क को 35 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने के लिए सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूचित में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गईं। देखिए संख्या एल०टी० 2116/2000]

(3) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) सा०का०नि० 375(अ) जो 4 मई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2000 की अधिसूचना संख्या 6/2000 के०उ०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा०का०नि० 443(अ) जो 12 मई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2000 की अधिसूचना संख्या 6/2000 के०उ०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा०का०नि० 444(अ) जो 12 मई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उसमें उल्लिखित दो अधिसूचनाओं को निरस्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (आठवां संशोधन) नियम, 2000 जो 12 मई, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 445(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा०का०नि० 446(अ) जो 12 मई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके आशय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 11कक के अन्तर्गत शुल्क की विलम्बित अदायगी के लिए ब्याज की दर निर्धारित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा०का०नि० 447(अ) जो 12 मई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 11कख के अन्तर्गत धोखाधड़ी, जानबूझ कर गलत विवरण देने और सांठगांठ आदि के कारण शुल्क की विलम्बित अदायगी के लिए ब्याज की दर निर्धारित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा०का०नि० 448(अ) जो 12 मई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा

11खख के अन्तर्गत विलम्बित वापसी के लिए ब्याज की दर निर्धारित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा०का०नि० 414(अ) जो 8 मई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनकस आशय विनिर्दिष्ट शुल्कय माल को उस स्थिति में छूट देना है जब उसे ग्रेनाइट के उत्खनन के प्रयोजन से ग्रेनाइट की खान में उपयोग करने हेतु निर्यातोन्मुखी एककों और निर्यात प्रसंस्करण जोन में स्थित एककों द्वारा देशी स्रोतों से प्राप्त किया गया हो तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा०का०नि० 475(अ) जो 22 मई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उसमें उल्लिखित पांच अधिसूचनाओं में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा०का०नि० 500(अ) जो 26 मई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सभी शुल्कय माल को उस स्थिति में छूट देना है जब उसे विशेष आर्थिक जोन में एककों द्वारा अधिप्राप्त किया गया तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (दसवां संशोधन) नियम, 2000 जो 30 जून, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 573(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गईं। देखिए संख्या एल०टी० 2117/2000]

(4) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 48 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) भारतीय जीवन बीमा निगम (एजेन्ट्स) संशोधन नियम, 2000 जो 16 मई, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 462(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय जीवन बीमा निगम प्रथम श्रेणी अधिकारी (निबंधन और सेवा शर्तों का पुनरीक्षण) संशोधन नियम, 2000 जो 22 जून, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 550(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय जीवन बीमा निगम विकास अधिकारी (निबंधन और सेवा शर्तों का पुनरीक्षण) संशोधन नियम, 2000 जो 22 जून, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 551(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय जीवन बीमा निगम तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (निबंधन और सेवा शर्तों का पुनरीक्षण) संशोधन नियम, 2000 जो 22 जून, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 552(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय जीवन बीमा निगम कर्मचारी (पेंशन) संशोधन नियम, 2000 जो 22 जून, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 553(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी) संशोधन नियम, 2000 जो 22 जून, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 554(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारतीय जीवन बीमा निगम (विशेष क्षेत्र भत्ता) संशोधन नियम, 2000 जो 22 जून, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 555(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) भारतीय जीवन बीमा निगम तृतीय श्रेणी कर्मचारी (परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए विशेष भत्ता) संशोधन नियम, 2000 जो 22 जून, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 556(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी)(संशोधन) नियम, 2000 जो 11 जुलाई, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 597(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गईं। देखिए संख्या एल०टी० 2118/2000]

(5) साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 17क की उपधारा (5) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) साधारण बीमा (अधिकारियों के वेतनमानों और अन्य सेवा-शर्तों का सुव्यवस्थीकरण) संशोधन स्कीम, 2000 जो 22 जून, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 587(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(दो) साधारण बीमा (विकास कर्मचारीवृन्द के वेतनमानों और अन्य सेवा-शर्तों का सुव्यवस्थीकरण) संशोधन स्कीम, 2000 जो 22 जून, 2000 के भारत के

राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 588 में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) साधारण बीमा (पर्यवेक्षी लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारीवृन्द) (संशोधन) स्कीम, 2000 जो 22 जून, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 589(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(चार) साधारण बीमा (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) स्कीम, 2000 जो 22 जून, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 590(अ) में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रंथालय में रखी गईं। देखिए संख्या एल०टी० 2119/2000]

(6) अधिसूचना संख्या का०आ० 592(अ) जो 23 जून, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें संविधान के अनुच्छेद 280 के परन्तुक के अन्तर्गत 11वें वित्त आयोग का कार्यकाल बढ़ाए जाने के बारे में राष्ट्रपति का आदेश अन्तर्विष्ट है कि एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 2120/2000]

(7) वर्ष 1999-2000 के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा बाजार से लिए गए ऋणों के परिणाम दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 2121/2000]

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद) : महोदय, मैं बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 की धारा 83 की उपधारा (4) के अन्तर्गत बाट और माप मानक (माडलों का अनुमोदन) संशोधन नियम, 2000 जो 24 मई, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 492(अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 2122/2000]

अपराह्न 12.1½ बजे

गृह कार्य संबंधी स्थाई समिति

छियासठवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री पी०एच० पांडियन (तिरुनेलवेली) : महोदय, मैं संविधान (अठासीवां संशोधन) विधेयक, 1999 के संबंध में गृह कार्य संबंधी स्थाई समिति के छियासठवें प्रतिवेदन की एक प्रति हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.02 बजे

गृह कार्य संबंधी स्थाई समिति

साक्ष्य

[अनुवाद]

श्री पी०एच० पांडियन (तिरुनेलवेली) : महोदय, मैं संविधान (अठासीवां संशोधन) विधेयक, 1999 के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थाई समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.2½ बजे

सभा का कार्य

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि 31 जुलाई, 2000 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा :-

1. निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और पारित करना :-

   (क) मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, 2000

   (ख) उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, 2000

   (ग) बिहार पुनर्गठन विधेयक, 2000

2. आज की कार्यसूची से बकाया सरकारी कार्य की किसी भी मद पर विचार।

3. राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और पारित करना :-

   (क) सेना और वायुसेना (निजी संपत्ति का व्ययन) संशोधन विधेयक, 2000

   (ख) भारतीय पावर एल्कोहल (निरसन) विधेयक, 2000 और

   (ग) रासायनिक आयुध अभिसमय विधेयक, 2000

4. राज्य वित्तीय निगम (संशोधन) विधेयक, 2000 पर विचार और पारित करना।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा गंभीर विषय है, पहले हमारी बात सुन लें...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह अलग इश्यू है, आप अच्छी तरह से देखें।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : पहले हमारी बात सुन लें।

अध्यक्ष महोदय : आचार्य जी, पहले आप आज का बिजनेस देख लें। आपको मालूम नहीं है यह सेपरेट इश्यू है।

डा० संजय पासवान (नवादा) : अध्यक्ष महोदय, पूर्व रेलवे के किउल-गया रेल खण्ड में उग्रवाद को समाप्त करने के लिए, रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए एवं मध्य बिहार के चतुर्दिक विकास हेतु दिल्ली-हावड़ा-गुवाहाटी एवं सियालदाह हेतु एक्सप्रेस ट्रेनों को चलाना अति आवश्यक है।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) : अध्यक्ष महोदय, निम्नलिखित विषय को अगले सप्ताह की कार्यसूची में जोड़ा जाए :-

1. भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के कर्मचारियों को वर्ष 1994 से 1999 तक रियायत यात्रा अवकाश और एल.टी.सी. की बकाया रशि का शीघ्र भुगतान करने की अपेक्षा।

2. दामोदर घाटी निगम के अन्तर्गत 175 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता वाली 'ए' ताप विद्युत केन्द्र, बोकारो थर्मल को शीघ्र चालू कराने की अपेक्षा।

प्रो० रासासिंह रावत (अजमेर) : अध्यक्ष महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को सम्मिलित कर कृतार्थ करें :-

1. राजस्थान राज्य के लघु उद्योगों के लिए राज्य में समानान्तरण विपणन प्रणाली के अन्तर्गत केरोसिन की पर्याप्त् आपूर्ति न होने से व बाजार भाव काफी अधिक होने से लघु औद्योगिक इकाइयों विशेषकर पत्थर उद्योग एवं टेक्सटाइल यूनिट की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु व उन्हें सम्बल प्रदान करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली की अनुदानित दरों पर 2500 किलोलीटर केरोसिन प्रति माह अतिरिक्त आबंटन करने की आवश्यकता।

2. देश में पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए तथा राजस्थान राज्य के पश्चिमी क्षेत्र में पाए जाने वाले प्राकृतिक गैस एवं तेल का शोधन करने हेतु इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के तत्वावधान में राजस्थान में रिफाइनरी स्थापित किए जाने की आवश्यकता।

[अनुवाद]

डा० ए०डी०के० जयशीलन (तिरूचेंदूर) : अध्यक्ष महोदय, निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किया जाए :-

1. तिरूचेंदूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में नानगुनेरी कस्बा और उसके आस-पास के क्षेत्रों में स्थापित किए जा रहे विशेष आर्थिक जोन के दृष्टिगत वहां पर अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए धनराशि आबंटित किए जाने की आवश्यकता।

2. नानगुनेरी विशेष आर्थिक जोन से निर्यात तूतीकोरन बन्दरगाह से किए जाने के मद्देनजर बरास्ता तिरूचेंदूर और नानगुनेरी कन्याकुमारी-तूतीकोरन के बीच एक सीधी रेलगाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

श्री रामानन्द सिंह (सतना) : अध्यक्ष महोदय, केन्द्र पूर्वांतित गरीबी उपशमन की योजनाओं पर जिनमें जवाहर रोजगार योजना, प्रधान मंत्री रोजगार योजना, जीवन जल धारा योजना आदि अनेक योजनाएं शामिल हैं, के मध्य प्रदेश में समुचित क्रियान्वयन पर चर्चा कराई जाए।

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : अध्यक्ष महोदय, निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किया जाए :-

1. नारियल और सहायक उत्पादों की कीमतों में गिरावट के कारण उत्पन्न स्थिति।

2. अन्य देशों से प्राकृतिक रबड़ के आयात के कारण रबड़ की कीमतों में गिरावट की प्रवृत्ति।

श्री जी०एम० बनातवाला (पोन्नानी) : अध्यक्ष महोदय, निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किया जाए :-

1. दिल्ली में नियमितीकरण के लिए अनधिकृत कालोनियों के चयन और उन पर अधिरोपित भारी दंड के बारे में चर्चा।

2. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कार्यकरण और उत्खनन कार्यों और उनके संबंध में अधिकृत रिपोर्टों को प्रकाशित न किए जाने के संबंध में इतिहासकारों द्वारा किया गया विरोध।

[हिन्दी]

डा० सुशील कुमार इन्दौरा (सिरसा) : अध्यक्ष महोदय, देश में कपड़ा उद्योग, श्रम प्रधान होने के साथ-साथ विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाला प्रमुख उद्योग है। अभी-अभी समाचार प्रकाश में आया है कि कपड़ा सिलाई के उद्योग को, लघु उद्योग के लिए आरक्षित सूची में से हटाने का निर्णय लिया जा रहा है, जो सही नहीं है। इस विषय पर चर्चा की आवश्यकता है।

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : अध्यक्ष महोदय, आपसे अनुरोध है कि आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषय को सम्मिलित करने का कष्ट करें :-

1. मध्य प्रदेश की एन.टी.सी. द्वारा संचालित वस्त्र मिलों के निराकरण के बारे में बी.आई.एफ.आर. द्वारा अनुशंसा किए जाने के बावजूद भी केन्द्र सरकार द्वारा किसी प्रकार की कार्यवाही न किए जाने से श्रमिकों में बढ़ता असंतोष।

[डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय]

2. केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न कृषि उपजों के समर्थन मूल्य घोषित होने के बावजूद राज्यों द्वारा कृषि फसलों की खरीद की दोषपूर्ण व्यवस्था होने के कारण किसानों को घोषित समर्थन मूल्य का लाभ नहीं मिलने से किसानों में व्याप्त असंतोष।

[अनुवाद]

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि निम्नलिखित विषय को अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किया जाए :-

'मैच फिक्सिंग' में किकेट खिलाड़ियों का संलिप्त होना और इस मामले में की जा रही जांच की प्रगति।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम) : कल जब हम प्रधान मंत्री जी के साथ बैठक में व्यस्त थे तो पश्चिम बंगाल में सीपीआई(एम) के कार्यकर्ताओं ने ग्यारह खेतिहर श्रमिकों की निर्मम हत्या की...*(व्यवधान)* मृत लोगों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोग और महिलाएं भी शामिल हैं...*(व्यवधान)* सुचपुर गांव में ग्यारह लोगों की हत्या की गई। कल इस मामले के बारे में माननीय गृह मंत्री ने उत्तर दिया था। अब प्रधान मंत्री के वक्तव्य के बाद माननीय गृह मंत्री सभा को इस घटना के बारे में सूचित करने की कृपा करें ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय प्रधान मंत्री जी एक वक्तव्य देने जा रहे हैं। श्री बंद्योपाध्याय, कृपया अपने स्थान पर बैठें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)•

अध्यक्ष महोदय : माननीय प्रधान मंत्री के वक्तव्य के सिवाय कुछ भी कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)•

अपराह्न 12.11 बजे

प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य

पूर्व केन्द्रीय विधि मंत्री द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और महान्यायवादी के संबंध में की गई टिप्पणी के बारे में

[अनुवाद]

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : अध्यक्ष महोदय, पूर्व केन्द्रीय विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री श्री राम जेठमलानी ने भारतीय मुख्य न्यायधीश और भारतीय महान्यायवादी से संबंधित कुछ वक्तव्य दिए हैं। मैंने उनके वक्तव्य पढ़ लिए हैं। मेरी सरकार, श्री राम जेठमलानी के विचारों से सहमत नहीं है। जिसे वे सच कह रहे हैं, हम उससे पूरी तरह से असहमत हैं। सरकार, राज्यों के विभिन्न स्कंधों के मध्य, सौहार्दपूर्ण संबंधों को बढ़ाने में विश्वास रखती है। जिस मुद्दे को लेकर श्री राम जेठमलानी ने भारत के माननीय मुख्य न्यायधीश के साथ पत्राचार किया उसके बारे में मेरा यही मानना था कि इस संबंध में सही-गलत को जाने बिना मुख्य न्यायधीश और विधि मंत्री के आपसी मतभेदों के कारण सौहार्दपूर्ण संबंधों में असंतुलन नहीं आना चाहिए। इस तरह इस सौहार्दपूर्ण संबंध को बनाए रखने और उसे मजबूत करने के लिए, मैंने अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए, श्री राम जेठमलानी से त्यागपत्र देने को कहा।

मैंने, भारत के मुख्य न्यायधीश और महान्यायवादी के विरुद्ध, उनके द्वारा कल 27 जुलाई को जारी वक्तव्य को पढ़ लिया है। मैं पुन: कहता हूं कि मेरी सरकार उनके इस विचार से पूरी तरह असहमत है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब सभा 'शून्य काल' प्रारंभ करेगी।

(व्यवधान)

श्री माधवराव सिंधिया (गुना) : महोदय, यह वक्तव्य एक सामान्य सा वक्तव्य है, जबकि इनके वक्तव्य से कई महत्वपूर्ण प्रश्न उठ रहे हैं। उन्हें ऐसा करने की अनुमति कैसे दी गई? समय पर कार्यवाही क्यों नहीं की गई? इस्तेमाल किए गए दस्तावेजों की गोपनीयता का मुद्दा क्या है?...*(व्यवधान)* भारत के मुख्य न्यायधीश और महान्यायवादी के विरुद्ध श्री राम जेठमलानी द्वारा प्रयोग किए गए शब्दों पर क्या किया गया? कार्यपालिका और विधायिका में टकराव पर क्या किया गया? ...*(व्यवधान)* ये सभी मामले स्पष्ट किए जाने चाहिए। इसलिए, हमें स्पष्टीकरण चाहिए। कृपया इस विषय पर चर्चा की अनुमति दें क्योंकि हम किसी व्यक्ति विशेष के बारे में चर्चा करना नहीं चाहते...*(व्यवधान)* माननीय प्रधान मंत्री ने जो कुछ कहा है यह उससे कहीं ज्यादा बड़ा मुद्दा है—यह संविधान का मुद्दा है, यह मुद्दा है कार्यपालिका और विधायिका के नाजुक संतुलन का, और यह भी कि गोपनीय दस्तावेजों का प्रयोग कैसे किया गया? साथ ही यह मुद्दा है महान्यायवादी के संभावित गलत व्यवहार का, महान्यायवादी द्वारा पूर्व विधि मंत्री से ली गई अनुमति का जबकि उसे प्रधान मंत्री के संरक्षण में नियुक्त किया गया है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : वक्तव्य पर किसी स्पष्टीकरण की अनुमति नहीं है...*(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया : महोदय, इन सभी मुद्दों पर हमें स्पष्टीकरण चाहिए तथा हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस विशेष मुद्दे पर चर्चा की अनुमति दें, जब तक अनुमति नहीं दी जाएगी...*(व्यवधान)* महोदय,

---

•कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

आप मेरी बात को सुन भी नहीं रहे हैं। मुझे कुछ गम्भीर बातें कहनी हैं। मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि मेरी बात सुनलें क्योंकि कुछ मूलभूत मुद्दे हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)•

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। यह 'शून्य-काल' है। मैं उन माननीय सदस्यों के नाम बुला रहा हूं जिन्होंने नोटिस दिए हैं।

(व्यवधान)

अपराह्न 12.16 बजे

(इस समय, श्रीमती सोनिया गांधी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।)

अध्यक्ष महोदय : अब श्री रामजीलाल सुमन बोलेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बारी-बारी से बुला रहा हूं। कृपया अपन स्थान ग्रहण करें। कृपया एक बात समझें। आज सप्ताह का अंतिम दिन है। आज मुझे चालीस नोटिस मिले हैं। कई माननीय सदस्य 'शून्य-काल' के दौरान कई महत्वपूर्ण मामले उठाना चाहते हैं। यदि इसमें आपकी दिलचस्पी नहीं है तो आप उन माननीय सदस्यों को बोलने दें जो नोटिस दे चुके हैं। मैं माननीय सदस्यों को बारी-बारी से बुला रहा हूं। पहले श्री रामजीलाल सुमन बोलेंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, जयपुर हवाई अड्डा, जिसे सांगानेर हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता है, इसके विस्तार की योजना और उसे अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अडडा बनाने का फैसला सरकार ने लिया। 15 अक्तूबर, 91 को इसकी अधिसूचना जारी हुई, लेकिन आठ गांवों के लोग, जो भूस्वामी थे—बुद्धसिंहपुरा, मनोहरपुरा, टीलावाला, बाढ़ टीलावाला, जगतपुरा, खोखावाला, सूरजपुरा घाटी तथा समाई गटोर गांव की जो जमीन थी, इस जमीन को वे किसान पहले ही सहकारी आवास समितियों को बेच चुके थे। किसानों ने आवास समितियों को जमीन बेची और आवास समितियों ने जमीन दूसरे लोगों को दे दी। मध्यम वर्ग के लोगों ने समितियों से भूमि खरीद कर मकान बना लिए। यह बेचने वाला काम 1981 से 1991 के बीच में हुआ। राज्य सरकार ने कहा कि 1992 से पहले जिन समितियों ने इस प्रकार की जमीन बेची है, उसे भूखंडधारियों से विकास शुल्क लेकर निर्मित कर दिया जाएगा। 75 प्रतिशत जयपुर शहर इसी तरह से बसा हुआ है। आज सबसे बड़ी समस्या यह पैदा हो गई है कि वे 500-600 परिवारों के लोग कहां जाएं, क्योंकि उनके मकानों पर बुलडोजर चलने वाला है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें। 'शून्य-काल' के दौरान केवल एक या दो मिनटों की ही अनुमति है। 'शून्य-काल' के दौरान भाषणों की अनुमति नहीं है।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : महोदय, मेरी आपके मार्फत सरकार से प्रार्थना है कि उन लोगों को उजाड़ने का काम न किया जाए।... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब श्री सुदीप बंद्योपाध्याय बोलेंगे।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम) : महोदय, आपकी अनुमति हो तो मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहूंगा...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : यह 'शून्य-काल' है। आप इनकी बात का खण्डन कर सकते हैं किन्तु अभी नहीं। मैं आपको बुलाऊंगा।

श्री बसुदेव आचार्य : इन्हें राज्य से संबंधित मामला उठाने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : सभा में हर एक, राज्य से संबंधित मामले ही उठा रहा है। आप भी राज्य से संबंधित मामला उठा रहे हैं। ये क्या है?

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : महोदय, कल बीरभूम जिले में ग्यारह ग्रामीणों और भूमिहीन मजदूरों की नृशंस हत्या कर दी गई...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री सुदीप बंद्योपाध्याय के वक्तव्य के अतिरिक्त अन्य कुछ भी कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)•

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किया जा रहा है एवं उनकी हत्याएं... *(व्यवधान)*

1 जनवरी, 1998 से तृणमूल कांग्रेस पार्टी को भारतीय निर्वाचन आयोग मान्यता प्रदान कर चुका है।...*(व्यवधान)*

•कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

•कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : जब मैंने किसी सदस्य को बुलाया है तो आप आपत्ति नहीं कर सकते। आप कैसा व्यवहार कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : 1 जनवरी, 1998 से 27 जुलाई, 2000 तक 754 राजनैतिक मुठभेड़ें हो चुकी हैं; 250 व्यक्तियों की हत्या की गई, जिनमें से 76 प्रतिशत हमारी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी के थे... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री बंद्योपाध्याय आप पूरा पाठ नहीं पढ़ सकते हैं। ये क्या है?...*(व्यवधान)*

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : लगभग 4000 व्यक्ति घायल हुए; लगभग 2500 घरों को आग लगा दी गई...*(व्यवधान)* भा.का.पा.(मा) को बहुत दम्भ हो गया है। वे हिंसा फैला रहे हैं...*(व्यवधान)* हम अनुच्छेद 356 लागू करने की मांग करते हैं...*(व्यवधान)* संसदीय लोकतंत्र असफल हो गया है। वे हिंसक हो गए हैं।...*(व्यवधान)* वे प्रतिदिन बेकसूर लोगों की हत्या कर रहे हैं।...*(व्यवधान)* हम गृह मंत्री से हस्तक्षेप करने का अनुरोध करते हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री टी. गोविन्दन...*(व्यवधान)*

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : माननीय गृह मंत्री यहां हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं गृह मंत्री को वक्तव्य देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री आडवाणी।

(व्यवधान)

अपराह्न 12.22 बजे

(इस समय, श्री डॉ० रामचन्द्र डोम एवं कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।)

अध्यक्ष महोदय : यह सही तरीका नहीं है। कार्यवाही-वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)•

अध्यक्ष महोदय : आप मंत्री जी को कैसे रोक सकते हैं? ये क्या है? किस नियम के अधीन आप विरोध कर रहे हैं?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री टी. गोविन्दन।

(व्यवधान)

•कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री टी० गोविन्दन (कासरगौड़) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय रक्षा मंत्री का ध्यान, केरल के 80 जवानों की राजनीतिक कारणों से की गई बर्खास्तगी के मामले पर दिलाना चाहूंगा...*(व्यवधान)*

तब से ही ये जवान रक्षा मंत्री को अपनी शिकायतों से अवगत करा रहे हैं। हालांकि इन जवानों को बर्खास्त करे काफी समय बीत चुका है किन्तु अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। एक मामले में—श्री टी.वी. थंपन बनाम एडजंक्ट जनरल में केरल उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 5.8.93 के निर्णय 1993(2) के.एल.टी. 1012 के द्वारा भारत संघ को याचिकाकर्ता को बहाल करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद, केरल के कुन्नूर जिले के श्री पी.पी. कुमारन और 79 अन्य जवानों ने केरल उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की और इस मामले में केरल उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 27.1.98 के निर्णय के द्वारा भारत संघ को इस मामले का निपटारा करने के निर्देश दिए, किन्तु केन्द्रीय सरकार ने इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की...*(व्यवधान)*

ये युवा मातृभूमि के प्रति अपनी देश भक्ति के कारण सेना में आए और अब वे सरकार द्वारा सेवा से बर्खास्त किए जाने पर हताश हो गए हैं। यह अन्याय है। अत: मैं रक्षा मंत्री से अनुरोध करता हूं कि केरल उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार अविलम्ब याचिकाकर्ताओं को तुरन्त क्षतिपूर्ति दी जाए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रो. ए.के. प्रेमाजम।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप अपने सदस्य को बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपके दल के सदस्य यह मुद्दा उठा रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : क्या यही तरीका है?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप अपने दल के सदस्य को भी नहीं बोलने दे रहे हैं। कृपया बात को समझें। प्रो. ए.के. प्रेमाजम के कथन के अलावा कुछ भी सभा की कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

प्रो० ए०के० प्रेमाजम (बडागरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस सभा में संसद और राज्य विधानमंडल में महिला आरक्षण के अत्यन्त महत्वपूर्ण मामले को उठाने का अवसर दिया है। यह मामला केवल सभी महिलाओं के ही नहीं बल्कि सभी सकारात्मक सोच वाले व्यक्तियों के मन को आन्दोलित कर रहा है ...*(व्यवधान)*। यह मामला इस सब की कार्यसूची में शामिल नहीं किया गया है। तेरहवीं लोक सभा के गठन के तुरन्त बाद संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन के समक्ष अभिभाषण में महामहिम राष्ट्रपति

ने राष्ट्र को आश्वासन दिया था कि सरकार संसद एवं राज्य विधान मंडलों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटों के आरक्षण का प्रस्ताव करती है।...*(व्यवधान)* आश्वासन दिए नौ माह बीत गए लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। केवल इतना ही नहीं, अगले वर्ष के शुरू में उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केरल में राज्य विधान सभाओं के चुनाव होने जा रहे हैं। महिलाएं यह अवसर पाने से वंचित रह जाएंगी।... *(व्यवधान)* आम सहमति के नाम पर अत्यधिक देर हो रही है तथा संविधान विरुद्ध कार्य हो रहे हैं। सामान्यतः, संसदीय प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है। यह तो केवल दोहरा मापदण्ड एवं दिखावा है। ...*(व्यवधान)* दूसरे अन्य महत्वपूर्ण विधेयकों जैसे कि बीमा विनायमक विकास विधेयक, पर कोई सहमति नहीं बनाई गई थी।

महिला आरक्षण विधेयक की क्या स्थिति है? मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस सत्र में इस मामले पर विचार करें।... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने स्थान पर जाएं। बोलने के लिए और दूसरे सदस्य भी हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री योगी आदित्यनाथ।

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान भारतीय चिकित्सा विज्ञान परिषद में व्याप्त भ्रष्टाचार की तरफ दिलाना चाहता हूं।...*(व्यवधान)* एम.सी.आई. भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। 25 जुलाई और 27 जुलाई के समाचार पत्रों में इस आशय का समाचार आया कि मेडिकल कालेजों को मान्यता देने में हुए घोटाले तथा छापे में अपार धनराशि मिलने के बाद वरिष्ठ चिकित्सकों ने डा. केतन देसाई से इस्तीफा मांगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री योगी आदित्यनाथ के भाषण के अलावा कुछ भी सभा की कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)•

अध्यक्ष महोदय : डा. संजय पासवान, कृपया बैठ जाएं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आज चालीस माननीय सदस्यों ने अपनी बात रखने के लिए नोटिस दे रखे हैं। लेकिन आप उनको अपनी बात नहीं कहने दे रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं है। कृपया अपने-अपने स्थान पर जाएं।

(व्यवधान)

•कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ : मान्यवर, यह बहुत दुखद स्थिति है। यदि ये तथ्य सही हैं तो एम.सी.आई. के चेयरमैन को बर्खास्त किया जाए और कानूनी कार्रवाई की जाए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री वरकला राधाकृष्णन।

(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : अध्यक्ष महोदय, मैं श्री जेटमलानी द्वारा कल समाचार पत्रों में छपे उनके कथन की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह मामला पहले ही समाप्त हो चुका है। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री कोडीकुनील सुरेश।

(व्यवधान)

अपराह्न 12.27 बजे

(इस समय डा० राम चन्द्र डोम तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गए।)

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : अध्यक्ष महोदय, कृपया मुझे भी बोलने दीजिए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अवसर दूंगा। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन : अध्यक्ष महोदय, मैंने अपनी बात पूरी नहीं की है। मुझे अपनी बात पूरा करने दीजिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह मामला समाप्त हो चुका है। प्रधानमंत्री ने उस मामले पर पहले ही वक्तव्य दे दिया है।...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन : महोदय, मैं माननीय प्रधान मंत्री के वक्तव्य का उल्लेख नहीं कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप और क्या चाहते हैं?

श्री वरकला राधाकृष्णन : महोदय, मैं श्री जेठमलानी के कथन पर कुछ कहना चाहता हूं न कि प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य पर। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इस संदर्भ में केवल प्रधानमंत्री ने ही अपना वक्तव्य दिया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है? यह उचित नहीं है।

(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन : महोदय, श्री राम जेठमलानी ने भारत के मुख्य न्यायधीश और महान्यायवादी के विरुद्ध गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए अपना एक कथन जारी किया है और मैं उसी की बात कर रहा हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह सभा की कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)•

अध्यक्ष महोदय : श्री वरकला राधाकृष्णन आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। आप नियमों से अच्छी तरह परिचित हैं। आप राज्य विधान सभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कृपया यह समझें कि एक बार सदन के नेता द्वारा अपना वक्तव्य दे देने पर, उसी मामले को दुबारा नहीं उठाया जा सकता है।

(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन : नहीं, महोदय, मैं प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य की बात नहीं कर रहा हूं। मैं केवल श्री राम जेठमलानी द्वारा दिए गए वक्तव्य की बात कर रहा हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : लोक सभा के नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि दिए गए वक्तव्य पर दुबारा कोई बात कही जाए।

(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन : महोदय, मैं केवल श्री राम जेठमलानी के उस वक्तव्य के बारे में बोलूंगा जो कल उन्होंने समाचार पत्रों को दिया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप प्रतिदिन अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करते हैं। आज आप क्यों अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं?

श्री वरकला राधाकृष्णन : मैं आपके निर्देशों का पालन कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन : महोदय, मैं पूर्व वित्त मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य की बात कर रहा हूं।...*(व्यवधान)*

•कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : अब, यह मामला समाप्त हो चुका है। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री राशिद अलवी।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राशिद अलवी (अमरोहा) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बार फिर इस हाउस और सरकार की तवज्जो एक अहम विषय की तरफ दिलाना चाहता हूं। कल ही इनकम टैक्स और सी.बी.आई. ने बंगलौर और तमिलनाडु में छापे डाले...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री राशिद अलवी, दो दिन पहले भी आप इस मामले को उठा चुके हैं।

श्री राशिद अलवी : महोदय, मैंने इसे उस दिन पूरा नहीं किया था। कृपया मुझे इसे आज पूरा करने की अनुमति दीजिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप इसी मामले को रोज कैसे उठा सकते हैं? जबकि इसकी जांच केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की जा रही है।

श्री राशिद अलवी : महोदय, यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री राशिद अलवी, आप उच्चतम न्यायालय के वकील हैं। कृपया वस्तुस्थिति को समझें। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सभा में उसी मामले को दुबारा नहीं उठा सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री राशिद अलवी : मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि जो सर्च वारंट इश्यू हुए, वे सरकार ने क्यों विदड्रा किए? सरकार के ऊपर कौन सा दबाव था...*(व्यवधान)*

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : अध्यक्ष महोदय, हमारे संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत सैंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में व्यापक पैमाने पर विस्थापितों को नौकरी और मुआवजा तथा कम्पनी के मृत और अयोग्य कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नौकरी प्रदान करने का मामला लंबित है और प्रबंधन की अकुशलता के कारण मामले का निष्पादन नहीं हो रहा है।

अतः सरकार से आग्रह है कि सी.सी.एल. और बी.सी.सी.एल. में विस्थापितों तथा कर्मचारियों के आश्रितों को मुआवजा और अनुकम्पा

के आधार पर नौकरी देने हेतु कालबद्ध सीमा का निर्धारण किया जाए और मामले को लम्बित रखने वाले अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जाए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, हम उस मामले की बात नहीं कर रहे हैं जिसकी जांच केन्द्रीय अन्वेषक ब्यूरो कर रहा है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री अलवी, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह सभा की कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)•

श्री बसुदेव आचार्य : हमारा मतलब उस बात से है जब आयकर अधिकारी समता पार्टी के अध्यक्ष के घर छापा मारने गए तो उन्हें वित्त मंत्रालय से यह निर्देश मिला कि...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य के भाषण के अलावा कुछ भी सभा की कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)•

श्री बसुदेव आचार्य : आयकर अधिकारियों से वापस आने को कहा गया।...*(व्यवधान)* इसके बाद उसी व्यक्ति ने—समता पार्टी के अध्यक्ष ने—रक्षा मंत्री के आवास का दुरुपयोग किया।

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य, कृपया बात समझें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनें।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : उन्होंने एक वक्तव्य दिया।...*(व्यवधान)* यह जांच में हस्तक्षेप है। हम सरकार से इस विषय पर स्पष्ट वक्तव्य देने की मांग करते हैं कि यह आदेश किसने जारी किया...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह सभा की कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)•

अध्यक्ष महोदय : अब श्री निखिल कुमार चौधरी बोलेंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री निखिल कुमार चौधरी (कटिहार) : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान किसानों के व्यापक हित में शीत गृहों में प्रचलित भेदभावपूर्ण किराया की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल की अपेक्षा बिहार राज्य में शीत भंडार गृहों की व्यापक कमी है जिसके कारण उक्त गृहों में रखे जाने वाले आलू, प्याज व अन्य शाक-सब्जियों तथा फलों के भंडारण में काफी कठिनाई आ रही है। परिणामस्वरूप किसानों से मनमाना किराया वसूला जा रहा है जिससे किसान व्यथित तथा पीड़ित हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : केवल श्री निखिल कुमार चौधरी का वक्तव्य ही कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित किया जाएगा।

(व्यवधान)•

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बोलने के लिए बुलाऊंगा। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप अनावश्यक रूप से कार्यवाही में बाधा क्यों डाल रहे हैं?

श्री चौधरी, कृपया अपना वक्तव्य पूरा करें।

[हिन्दी]

श्री निखिल कुमार चौधरी : अध्यक्ष महोदय, दूसरी तरफ किसानों की उपेक्षा और शोषण का आलम यह है कि उत्तर प्रदेश में 72 रुपये क्विंटल एवं पश्चिमी बंगाल में 64 रुपये क्विंटल शीत गृह में सामान रखने के लिए किराया वसूला जाता है जबकि बिहार में किसानों से 130 रुपये से लेकर 150 रुपये तक प्रति क्विंटल किराया वसूला जाता है जोकि स्पष्टत: भेदभावपूर्ण है।

इसलिए सरकार से मेरा अनुरोध है कि उक्त भेदभावपूर्ण किराया को किसानों के व्यापक हित में तत्काल समाप्त कर शीत भंडार गृहों में रखे जाने वाले सामानों की एक समान दर तय करने की कृपा करें। ...*(व्यवधान)*

श्री राशिद अलवी : अध्यक्ष महोदय, हमारी बात सुनी नहीं जा रही है, इसके विरोध में मैं सदन से वाक-आउट करता हूं।

अपराह्न 12.35 बजे

(तत्पश्चात् श्री राशिद अलवी सभा भवन से बाहर चले गए।)

[अनुवाद]

श्री कोडीकुनील सुरेश (अडूर) : महोदय, मैं श्री ए.के. एंटोनी पर हुए हमले के बारे में एक गम्भीर मामला उठाना चाहता हूं... *(व्यवधान)*

•कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

•कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : श्री सुरेश, आप यहां राज्य सूची का विषय कैसे उठा सकते हैं?

(व्यवधान)

श्री कोडीकुनील सुरेश : महोदय, श्री ए.के. एंटोनी केरल विधान सभा में विपक्ष के नेता हैं। वे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नेता भी हैं। कल जब वे किसी सार्वजनिक समारोह में भाग लेने जा रहे थे तो कुछ असामाजिक तत्वों ने...*(व्यवधान)* उनकी कार रोकी और उन पर हमला करने का प्रयास किया...*(व्यवधान)*। पुलिस ने उन्हें सुरक्षा प्रदान नहीं की... *(व्यवधान)* माकपानीत सरकार ने उन्हें सुरक्षा मुहैया नहीं कराई ...*(व्यवधान)* श्री एंटोनी पर हमला करने में गुंडों और असामाजिक तत्वों का हाथ है...*(व्यवधान)*

महोदय, केरल में कानून और व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह चरमरा गई है। लोगों का माकपा सरकार से मोहभंग हो गया है...*(व्यवधान)*। इसलिए इस सम्माननीय सभा से मेरा आग्रह है कि हम इस घटना की एकजुट होकर निंदा करें...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपने अपनी बात उठा दी है। यहां अन्य सदस्य भी अपनी बात उठाना चाहते हैं। श्री गिरधारी लाल भार्गव।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में मजदूरों के काम करने के लिए बहुत कम इंडस्ट्रीज हैं। इनमें से एक जयपुर शहर में जयपुर मैटल्स एंड इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड नाम की फैक्टरी है। यह फैक्टरी काफी समय से धनाभाव के कारण बंद पड़ी हुई है। राज्य सरकार इसे चलाने में असमर्थ है। राज्य सरकार के मंत्री डा. चन्द्रभान ने मुझे सूचित किया है कि अगर भारत सरकार इसमें आर्थिक सहायता प्रदान करे तो इस फैक्टरी में कार्यरत मजदूरों को राहत मिल पाएगी।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री गिरधारी लाल भार्गव के भाषण के सिवाय कुछ भी कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाए।

(व्यवधान)•

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि राज्य सरकार से कहा जाए कि इस फैक्टरी को चालू करे और भारत सरकार इसमें जो आर्थिक सहायता या मदद कर सकती है, वह तुरन्त करने का कष्ट करे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

•कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (वाराणसी) : अध्यक्ष महोदय, मैं वाराणसी के पवित्र नगर से आया हूं। यह बौद्ध, जैन और हिन्दुओं का एक तीर्थस्थल है। यहां विदेशी पर्यटक भी बहुत आते हैं क्योंकि यह एक पर्यटक केन्द्र है, यह एक व्यावसायिक केन्द्र भी है। यहां के कालीन, किस्म-किस्म की साड़ियां और खिलौने आदि दुनिया भर में जाते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा देने वाले वाराणसी और भदोही शहर हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री जायसवाल के भाषण के सिवाय कुछ भी कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाए।

(व्यवधान)•

[हिन्दी]

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल : मेरा आपसे निवेदन है कि वाराणसी से ट्रेनों की ऐसी व्यवस्था सरकार द्वारा की जाए कि वाराणसी से सीधी ट्रेन रात को चलकर सुबह दिल्ली पहुंचे, रात को एक ट्रेन वाराणसी से चलकर सुबह कलकत्ता पहुंचे तथा वाराणसी से बंगलौर के लिए सीधी ट्रेन की व्यवस्था की जाए। मैंने 11वीं, 12वीं और 13वीं लोक सभा में बार-बार सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया है।... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सभा में यह क्या हो रहा है? कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। मैं बोल रहा हूं। आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल : लेकिन रेल मंत्रालय ने आज तक यह सुविधा नहीं दी, जिसके कारण वहां की जनता में बहुत क्षोभ और रोष है। वहां आने-जाने वाले पर्यटकों को ट्रेनों की सुविधा न होने के कारण बहुत कष्ट होता है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वहां तत्काल इन रेलगाड़ियों की सुविधा प्रदान की जाए।

श्री माणिकराव होडल्या गावित (नन्दुरबार) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि सरदार सरोवर परियोजना जो गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों की सीमा पर है, इस परियोजना के कारण वहां के प्रभावित आदिवासी किसानों का जो पुनर्वास हो रहा है, वह बहुत ही चिंताजनक है। सरदार सरोवर परियोजना का जो अवार्ड बनाया गया है, उसके मुताबिक आदिवासी किसानों के पुनर्वास के लिए खेती की जमीन दी जा रही है। वह गैर सिंचाई की जमीन है। सिंचाई की कोई व्यवस्था उसमें नहीं है। किसानों को 25 एकड़ के लिए एक बावड़ी एक बोरवेल की व्यवस्था की जा रही है जबकि सरदार सरोवर परियोजना के अवार्ड में सिंचाई की जमीन

•कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

दी जाएगी, ऐसा बताया गया है। वहां पर वालेरी रापापुर योजना की जगह है। उन योजनाओं का क्रियान्वयन करने की मैं मांग करता हूं और जो जमीन दी गई है वह कागज पर दी गई है। पांच-छः साल के बाद भी उनको जमीन नहीं मिली है। उनको मुआवजा सरकार की ओर से दिया जाए, यह मेरी आपसे मांग है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री गावित आप शून्य-काल में पूरा वक्तव्य नहीं पढ़ सकते हैं।

अब डा. वी. सरोजा बोलेंगी।

डा० वी० सरोजा (रासीपुरम) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस माननीय सभा का ध्यान तमिलनाडु की सेतु समुद्रम परियोजना की ओर आकर्षित करना चाहती हूं। चालीस वर्ष हो गए हैं किन्तु अभी तक इस परियोजना को कार्यान्वित नहीं किया गया है।

महोदय, मैं सरकार का ध्यान इस परियोजना की ओर आकर्षित करना चाहती हूं और यह भी चाहती हूं कि सरकार इस संबंध में मेरे दो विशेष प्रश्नों का उत्तर दे। योजना आयोग से इस परियोजना की विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने और पर्यावरणीय मूल्यांकन अध्ययन करने के लिए वर्ष 1999-2000 की वार्षिक योजना में 5 करोड़ रुपये का परिव्यय आबंटित करने का अनुरोध किया गया है। मैं जानना चाहती हूं कि क्या उक्त रिपोर्ट को प्रस्तुत कर दिया गया है। मैं यह भी जानना चाहती हूं क्या भारत सरकार ने इस संबंध में श्रीलंका सरकार से कोई वार्ता आरंभ की है और यदि कोई वार्ता आरंभ की है तो उसका ब्यौरा क्या है?

माननीय रक्षा मंत्री ने घोषणा की है कि इस परियोजना को दो चरणों में कार्यान्वित किया जाएगा, पहला चरण चार वर्ष के भीतर पूरा किया जाएगा और दूसरा चरण पहले चरण के पूरा होने के पश्चात् छह वर्ष के भीतर पूरा किया जाएगा। मैं जानना चाहती हूं कि इस परियोजना के कार्यान्वयन का क्या हो रहा है। हमारी नेता डा. जे. जयललिता ने भी माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है कि इस परियोजना को शीघ्रातिशीघ्र कार्यान्वित किया जाए।

[हिन्दी]

श्रीमती हेमा गमांग (कोरापुट) : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत खेद के साथ यह बताना चाहती हूं कि दिनांक 27.6.2000 को मेरे कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में काशीपुर में एल.पी.टी. केन्द्र का उद्घाटन करने जनजातीय कार्य मंत्री महोदय आए थे जबकि मुझे इसकी सूचना भी नहीं दी गई। ऐसे मामलों में आप कुछ ध्यान दें। किसी सांसद के क्षेत्र में सरकार के मंत्री दौरे पर आए या उद्घाटन करे तो उसकी सूचना संसद सदस्य को दी जाती है लेकिन मुझे उस उद्घाटन समारोह की सूचना नहीं दी गई। इसलिए आपको खेद के साथ कह रही हूं कि आप इस पर विचार करें और इसे दोबारा किसी सांसद के साथ न दोहराया जाए।... *(व्यवधान)* कम से कम संसद सदस्यों को बताना तो चाहिए कि उद्घाटन हो रहा है। हमने इतने सालों से कोशिश की एल.पी.टी. के लिए और जब उद्घाटन हुआ तो वह भी बिना बताए किया, उसके लिए आप कुछ कीजिए।... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्या कहती हैं कि उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : संसदीय कार्य मंत्री उत्तर दे रहे हैं। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्या की भावना से सहमत हूं कि केन्द्रीय सरकार के किसी प्रकल्प का उद्घाटन अगर किसी सांसद के क्षेत्र में हो तो उसका निमंत्रण निश्चित रूप से वहां के सांसद को जाना चाहिए। केवल निमंत्रण नहीं, उसे पूरा सम्मान उस कार्यक्रम में मिलना चाहिए। अगर इसमें ऐसा नहीं हुआ तो मैं उस मंत्री या जो भी उद्घाटन हुआ है... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री वरकला राधाकृष्णन कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन : संबंधित सदस्य को समारोह में समुचित सम्मान दिया जाना चाहिए। यही विवाद है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, मुझे सदस्यों से कम शक्ति वाले टी. वी. ट्रांसमीटरों, दूरभाष केन्द्रों के उद्घाटन और अन्य बातों के संबंध में भी अनेक शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। इसलिए सरकार इस संबंध में सभी मंत्रियों को एक परिपत्र भेज सकती है।

श्री वरकला राधाकृष्णन : ... *(व्यवधान)* आप निदेश दें... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : देखें, मंत्री जी क्या कहने जा रहे हैं।

श्री प्रमोद महाजन : मैंने वही बात हिन्दी में कह दी है जिसे वह अंग्रेजी में दोबारा बोलने जा रहे हैं। मैंने जब कहा कि उसका 'सम्मान' होना चाहिए तो उसका यही मतलब है।

श्री पी०सी० थामस (मुवत्तपुजा) : कृपया अब अंग्रेजी में बोलें।

श्री प्रमोद महाजन : मैं उत्तर देते समय हिन्दी में बोलने का प्रयास कर रहा हूं क्योंकि इस सभा में हिन्दी कम ही बोली जाती है। महोदय, आपके निदेश या आदेश के बारे में मैं सभी मंत्रियों को व्यक्तिगत रूप से लिखूंगा कि जब वे विभिन्न संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों

[श्री प्रमोद महाजन]

में जाएं तो सबसे पहले उस निर्वाचन क्षेत्र के संबंधित संसद-सदस्य को सूचित करें।

अध्यक्ष महोदय : शिकायत मंत्री के विरुद्ध नहीं अपितु संबंधित विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध है।

श्री के० येरननायडू (श्रीकाकुलम) : अध्यक्ष महोदय, कृपया इस बात को स्पष्ट करें। ऐसे समारोहों की अध्यक्षता कौन करेगा? आप दिशानिर्देश बनाएं। 10.5 लाख लोगों द्वारा निर्वाचित संसद सदस्य अध्यक्षता करेगा। उसे उचित सम्मान दिया जाना चाहिए। वह हर जगह जा रहा है।

श्री वरकला राधाकृष्णन : संबंधित अधिकारी को सूचित किया जाए।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी को अपना भाषण पूरा करने दीजिए। वे सामान्य दिशानिर्देशों की बात कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री तिरुनावक्करसू (पुडुक्कोट्टई) : कृपया मुझे एक मिनट बोलने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : पहले मंत्री जी को अपना भाषण पूरा करने दीजिए उसके बाद आप बोल सकते हैं, अभी नहीं।

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, जैसा मैंने कहा है कि उन्हें सूचित किया जाना चाहिए; उनसे समारोह में आने का अनुरोध किया जाना चाहिए, उन्हें समुचित सम्मान दिया जाना चाहिए तथा उन्हें मंच पर स्थान दिया जाना चाहिए। जहां तक यह बात है कि वे ऐसे समारोहों की अध्यक्षता करें या न करें, क्योंकि ऐसे समारोह में कभी-कभी मुख्यमंत्री भी उपस्थित होते हैं फिर कठिनाई पैदा हो जाती है। अन्यथा यह उचित है कि संबंधित निर्वाचन क्षेत्र का संसद सदस्य ऐसे समारोह की अध्यक्षता करे और मंत्री उद्घाटन करे। ऐसे सामान्य दिशानिर्देश बनाए जा सकते हैं। किन्तु मैं सभी मंत्रियों को इस संबंध में लिखूंगा... *(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : कभी-कभी संसद सदस्य ऐसे समारोहों में आमंत्रित किए जाते हैं किन्तु उन्हें उचित सम्मान नहीं दिया जाता है, अन्य लोगों को मुख्य अतिथि माना जाता है। आप इसकी स्पष्ट जांच करें...*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : मैंने कहा कि उन्हें मंच पर होना चाहिए ...*(व्यवधान)*

डा० रामचन्द्र डोम (बीरभूम) : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

महोदय, हाल ही में सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जो मेरी दृष्टि में जनविरोधी है क्योंकि सरकार ने आर्सेनिक, फ्लोराइड और अन्य भारी तत्वों के प्रदूषण से प्रभावित क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति कार्यक्रमों के लिए केन्द्रीय सहायता बंद कर दी है। अनेक राज्य आर्सेनिक, फ्लोराइड और अन्य भारी तत्वों के प्रदूषण की इस समस्या का सामना कर रहे हैं। हमारे राज्य में आर्सेनिक और फ्लोराइड के कारण हजारों लोग प्रभावित हैं। राज्य में केन्द्र और राज्य सरकारों से बराबर अनुदान के आधार पर एक परियोजना चलाई जा रही थी। इस कार्यक्रम के अधीन राज्य को केन्द्रीय सहायता का 75 प्रतिशत हिस्सा दिया जाता है। किन्तु हाल में केन्द्र सरकार ने इस कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय सहायता बन्द करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से हमारे राज्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इस देश के विभिन्न राज्यों में लोक स्वास्थ्य संबधी समस्याएं हैं।

अत: मेरा सरकार से आग्रह है कि इस निर्णय की समीक्षा करें और देश में आर्सेनिक, फ्लोराइड और अन्य भारी तत्वों के प्रदूषण से प्रभावित क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति के लिए केन्द्रीय सहायता जारी रखें।

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा।

[हिन्दी]

प्रो० रासासिंह रावत (अजमेर) : मान्यवर अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर 1992-93 में ओ.ई.एफ.सी.एफ. जापान के सहयोग से अरावली वृक्षारोपण परियोजना प्रारंभ की गई थी और इसके कारण 1 लाख 49 हजार हैक्टेयर वन क्षेत्र और सामुदायिक भूमि पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम कराया गया था।

इससे काफी जन-भागीदारी भी सुनिश्चित हुई थी। वहां के गरीब और ग्रामीण आदिवासियों को रोजगार भी प्राप्त हुआ था और वनों की सुरक्षा की भावना भी लोगों में पैदा हुई थी लेकिन जब पोखरण में विस्फोट किया तो उसके बाद दुर्भाग्य से जापान ने अपनी मदद रोक दी। मेरा कहना है कि इस परियोजना की कुल लागत 555.75 करोड़ रुपये थी लेकिन प्रतिबंध के कारण इस परियोजना की स्वीकृति ओ.ई.सी.एफ. जापान द्वारा नहीं दी गई है। इस परियोजना की समाप्ति के कारण राज्य में वृक्षारोपण के लक्ष्यों में बहुत कमी आ गई है और अगर मंजूरी नहीं मिलती तो इससे राज्य को बहुत सी प्रशासनिक कठिनाइयां भी उत्पन्न हो जाएंगी। इसलिए आपके माध्यम से मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, जापान सरकार और ओ.ई.सी.एफ. जापान से वार्ता करके इस परियोजना की स्वीकृति की कार्रवाई कराएं क्योंकि यह परियोजना वन विनाश को रोकने में, अरावली पर्वत श्रृंखलाओं में जैव विविधता और पारिस्थितिकी को बनाए रखने में, गरीब और ग्रामीण आदिवासियों को रोजगार देकर स्थिति सुधारने में सहायक होगी।

[अनुवाद]

डा० ए०डी०के० जयशीलन (तिरूचेंदूर) : अध्यक्ष महोदय, मैं सभा का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि दक्षिण तमिलनाडु के तिरूचेंदूर के छह मछुआरे लापता हैं और उनके परिवार के सदस्य अत्यधिक चिंतित हैं। तमिलनाडु सरकार ने उनका पता लगाने

का भरसक प्रयास किया किन्तु वे नहीं मिल पाए। ऐसी आशंका है कि उन्हें श्रीलंका सरकार ने पकड़ लिया है।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस संबंध में समुचित कदम उठाए।

श्री रूपचन्द पाल : हाल ही में केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने खाद्यान्नों और चीनी की पैकेजिंग में जूट के बोरों के शतप्रतिशत उपयोग और यूरिया की पैकेजिंग में जूट के बोरों के 20 प्रतिशत उपयोग की अनिवार्य शर्त में ढील दी है। इससे जूट उद्योग, लाखों जूट उत्पादकों और जूट व्यवसाय से जुड़े सभी लोगों पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा।

हम लोग पहले ही प्रधानमंत्री से मिल चुके थे और उनसे इस निर्णय पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया क्योंकि अंतर-मंत्रालय ग्रुप ने पहले ही सिफारिश कर दी है कि इस अनिवार्यता में ढील नहीं दी जानी चाहिए खाद्यान्नों और चीनी के मामले में शतप्रतिशत अनिवार्य पैकेजिंग और यूरिया के मामले में 20 प्रतिशत अनिवार्य पैकेजिंग होनी चाहिए। दुर्भाग्यवश मैं इस बात का उल्लेख किए बिना नहीं रह सकता कि केन्द्रीय मंत्रिमण्डल द्वारा निर्णय लिए जाने से काफी पूर्व ही एक महत्वपूर्ण पेट्रो-रसायन औद्योगिक घराने ने अपनी वार्षिक साधारण रिपोर्ट और एक फेडरेशन की बैठक में कहा कि सरकार जूट के अनिवार्य प्रयोग के संबंध में ढील देने वाली है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अब भी गुंजाइश है। इस संबंध में प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया गया है। हमने सरकार से अपील की है और इस सभा के माध्यम से हम सरकार से पुन: अपील करते हैं। यह देश के पूर्वी भाग, जूट उद्योग और जूट उत्पादकों के लिए विनाशकारी होगा।

जब सम्पूर्ण विश्व पर्यावरण के अनुकूल जूट में रुचि दिखा रहा हो तो सरकार को ऐसा विनाशक निर्णय नहीं लेना चाहिए, सरकार को जूट (पैकेजिंग में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 को जारी रखना चाहिए और जूट के प्रयोग को सुनिश्चित करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी) : अध्यक्ष महोदय, शून्य काल के दौरान मैं अति महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं। पूरे मराठवाड़ा इलाके में एक ही कृषि विद्यापीठ है। सौभाग्य से वह कृषि विद्यापीठ मेरे संसदीय क्षेत्र परभनी में है। मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ के शिक्षकों और कर्मचारियों को पिछले तीन महीने से किसी भी वेतन का भुगतान नहीं हो रहा है। उस विद्यापीठ में कर्मचारियों की संख्या लगभग साढ़े चार हजार है। मेरा कहना है कि मराठवाड़ा विद्यापीठ में विशेषकर क्लास थ्री और क्लास फोर्थ के कर्मचारी भूखे मर रहे हैं। वे हड़ताल पर हैं और धरने पर बैठने वाले हैं। अभी बोआई का मौसम है और विद्यापीठ के पास पैसे की कमी है। इस कारण वहां पर सभी अनुसंधान कार्य ठप्प हो गए हैं।

मैं आपके माध्यम से सरकार से रिक्वैस्ट करना चाहता हूं कि मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ के चार-साढ़े चार हजार लोगों का वेतन भुगतान तीन महीने से नहीं हुआ है। कुछ प्रौपर कदम उठाइए और गरीब कर्मचारियों, विशेषत: क्लास थ्री और क्लास फोर्थ की पेमैंट की व्यवस्था करें।

श्री सुरेश चन्देल (हमीरपुर, हि०प्र०) : अध्यक्ष महोदय, रक्षा मंत्रालय ने जब से आबादी के आधार पर भर्ती का नियम बनाया है तब से कुछ पहाड़ी प्रदेशों पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ा है। हिमाचल प्रदेश में भी इसका प्रभाव हुआ है। हिमाचल प्रदेश के नौजवान सेना में भर्ती होकर देश की सेवा में अपना योगदान देने को गौरव समझते हैं। मुझे बताते हुए भी गौरव होता है कि पिछले दिनों कारगिल के युद्ध के दौरान भी आबादी के आधार पर अधिक संख्या में वहां के जवान वीरगति को प्राप्त हुए। देश में मिले चार परमवीर चक्रों में से दो परमवीर चक्र हिमाचल प्रदेश को प्राप्त हुए। अभी सियरी लियोन में भी अनेक जवान वीरगति को प्राप्त हो रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो जज्बा वहां के नौजवानों में देश की सेना में जाने का है और वहां देश की सेवा करने की जो भावना है, उसे ध्यान में रखते हुए आबादी के आधार पर जो भर्ती का नियम बनाया है, उसे बदला जाए ताकि जो लोग सेना में जाने के इच्छुक हैं, उनको जाने का अवसर प्राप्त हो सके।

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सबसे दयनीय स्थिति बिहार के किसानों की है। सहकारिता जो गांव की अर्थव्यवस्था एवं कृषि का मुख्य जरिया है, दम तोड़ रही है। किसानों को प्रति वर्ष नेपाल से आने वाली नदियों के बाढ़ से करोड़ों रुपये और जान-माल की क्षति हो रही है। नदियों के कटाव से प्रति वर्ष सैंकड़ों गांव कटकर नदी में विलीन हो जाते हैं और उन विस्थापितों का न पुनर्वास हो रहा है और न ही किसी प्रकार की सहायता दी जा रही है।

सबसे बड़ा जुल्म किसानों के साथ हो रहा है कि जब किसान या खेतिहर, भूमि विकास बैंक अथवा अन्य किसी बैंकों के ऋण, फसल की बर्बादी, बाढ़, सूखा या अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण समय पर नहीं चुका पाता तो उन्हें गिरफ्तार किया जाता है और किसानों से जीप भाड़ा, पुलिस बल का खर्चा एवं जेल में बंद करने पर प्रतिदिन 42 रुपये के हिसाब से भोजन खर्चा लिया जाता है। ऐसा व्यवहार चोर, डकैत, मर्डर किसी के साथ नहीं किया जाता। आजादी के पचास वर्षों बाद बिहार के किसानों के साथ इस तरह से बैंक ऋण की वसूली में जो व्यवहार हो रहा है, मैं आपकी मार्फत भारत सरकार से मांग करना चाहता हूं कि आप जब इस तरह के लोगों से पैसा नहीं वसूलते हैं तो किसानों का क्या जुल्म है, क्या परिस्थिति है कि उससे आप सूद दर सूद पैसा वसूलते हैं और जेल में बंद करके सारा खर्चा लेते हैं। इस पर कार्यवाही की जाए।

[अनुवाद]

श्री पी०सी० थामस : महोदय, मैंने एक सूचना दी है क्योंकि मेरा विषय अल्पसंख्यकों से संबंधित मुद्दा है।

अध्यक्ष महोदय : आपने रबड़ के बारे में सूचना दी है। आपको केवल रबड़ के बारे में बोलना चाहिए।

श्री प्रमोद महाजन : उन्हें इसे बहुत अधिक नहीं खींचना चाहिए।

श्री पी०सी० थामस : महोदय, रबड़ की खेती करने वाले किसान बहुत कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। सरकार ने न्यूनतम मूल्य की घोषणा की है। परंतु नियम ऐसा है कि अधिसूचना के अनुसार इसे शासकीय राजपत्र में प्रकाशित किया जाना चाहिए। अभी तक ऐसा नहीं किया गया है। चूंकि इसे शासकीय राजपत्र में प्रकाशित नहीं किया गया है, अत: सरकार घोषित मूल्य देने के लिए बाध्य नहीं है। परंतु यदि इसे शासकीय राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है जो कि कानूनी रूप से जरूरी है, तब सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य होगी कि किसानों को कम से कम न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त हो सके।

इसलिए, मैं भारत सरकार से घोषित मूल्य को अधिसूचित करने के लिए तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध करता हूं, भले ही यह मूल्य बहुत कम है। हम मूल्य में वृद्धि किए जाने का अनुरोध कर रहे हैं। परंतु घोषित मूल्य को भी प्रकाशित नहीं किया गया है। केरल उच्च न्यायालय ने भारत सरकार को ऐसा करने का निदेश दे रखा है। परंतु सरकार ने ऐसा नहीं किया है।

अतएव, मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे वाणिज्य मंत्रालय को सूचित करें जिससे कि शीघ्र कार्रवाई की जा सकेगी और सरकार न्यायालय की मानहानि से भी बचेगी।

अपराह्न 1.00 बजे

[हिन्दी]

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मध्य प्रदेश राज्य के बिलासपुर जिले तथा अन्य राज्यों की सार्वजनिक वितरण प्रणाली की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत मध्याह्न भोजन के लिए गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों को दिया जा रहा है। लेवी के रूप में बिलासपुर जिले के लोरमी तहसील में 12 राइस मिलों से 80 हजार टन चावल दिया जाता है। उक्त चावल को लेवी के रूप में लेकर एफ.सी.आई. कोटा में भेजा जाता है। एफ.सी.आई कोटा में 35 किलोमीटर दूर चावल को भेजने में 10 लाख रुपये खर्च होते हैं। पुन: उसी एफ. सी.आई. कोटा से मध्याह्न भोजन के लिए गरीबी की रेखा के नीचे जीवन जीने वालों को वापस दिया जाता है, जिससे सरकार को 10 लाख रुपये का घाटा होता है। प्रत्येक गोदाम में, प्रत्येक एफ.सी.आई. में इस तरह के घाटे होते हैं। इस तरह के घाटे को अगर बचाया जाए तो कई करोड़ रुपये की देश में जो बर्बादी हो रही है, वह बच सकेगी। अगर इस चावल को वहीं गोदाम में रखने की व्यवस्था की जाए तो गरीबी की रेखा के नीचे जीवन जीने वाले तथा मध्याह्न भोजन के लिए, जो वहां को स्कूल के बच्चों को दिया जाता है, उन्हें वितरित किया जाए तो इतने लाख रुपये की बचत होगी, जिससे सरकार देश के विकास के अन्य काम कर सकती है, उससे देश के विकास में भागदारी हो सकती है।

[अनुवाद]

श्री सुनील खां (दुर्गापुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं गंभीर चिंता का मामला उठा रहा हूं। इस्पात मंत्री यहां अभी नहीं हैं। समूचे देश में, विशेषकर दुर्गापुर, बोकारो और राऊरकेला में हिन्दुस्तान स्टील कन्सट्रक्शन लिमिटेड के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है। दुर्गापुर के मामले में वहां के कामगारों को पिछले 13 महीनों से उनका वेतन नहीं मिला है और अधिकारियों को डेढ़ साल से उनका वेतन प्राप्त नहीं हुआ है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में हिन्दुस्तान स्टील कन्सट्रक्शन लिमिटेड का 4 करोड़ रुपया राज्य को देना है। मैं मंत्री जी को बता चुका हूं कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का प्रबंधन धनराशि जारी नहीं कर रहा है। यदि प्रबंध निदेशक धन जारी कर दें, तो कम से कम उन्हें चार महीने का वेतन मिल सकेगा। कल मुझे दुर्गापुर से सूचना मिली है कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र प्रबंधक धनराशि जारी करने के लिए तैयार हैं परंतु 4 करोड़ रुपया जारी करने को तैयार नहीं है। प्रबंध निदेशक 2 करोड़ रुपए जारी करने के लिए तैयार है और वह कह रहे हैं कि उन्हें 4 करोड़ रुपए पर हस्ताक्षर करने होंगे। यह क्या है? मैं जानता हूं कि इस मंत्रालय के इस्पात मंत्री और सचिव दोनों ही नए हैं। इसलिए, जब हम एक साथ बैठे थे तो वे इसे समझ नहीं पा रहे थे। न तो सचिव और न ही मंत्री जी इसे समझ पा रहे थे। इस तरह, कामगारों को उनका वेतन नहीं मिल पा रहा है। पिछले मई में एक कामगार की मौत हो चुकी है। अब कामगार न्यायालय में चले गए हैं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री यहां उपस्थित हैं।... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : परंतु आप मंत्री जी को जवाब नहीं देने दे रहे हैं।

श्री सुनील खां : उन्हें सभा को यह बताना चाहिए कि दुर्गापुर इस्पात संयत के प्रबंधकों के पास रखी हुई रकम को क्यों जारी नहीं किया जा रहा है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र प्रबंधन के प्रबंध निदेशक का कहना है कि वे केवल 2 करोड़ रुपए देंगे परंतु उन्हें 4 करोड़ रुपए पर हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? मंत्री जी को इसका जवाब देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। अब श्रीमती रेनु कुमारी बोलेंगी।

श्री सुनील खां : जी नहीं, महोदय। संसदीय कार्य मंत्री जी यहां उपस्थित हैं।

अध्यक्ष महोदय : संसदीय कार्य मंत्री बिना तैयारी के जवाब कैसे दे सकते हैं?

श्री सुनील खां : यह बहुत चिंता का विषय है, महोदय।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, ऐसी बात नहीं है।

[हिन्दी]

श्रीमती रेनु कुमारी (खगड़िया) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको हृदय से बधाई देती हूं।

मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को उठा रही हूं। बिहार में केन्द्र प्रायोजित जितनी भी राशि जाती है, उस सारी राशि की लूट होती है। ग्रामीण विकास मंत्री ने आश्वासन दिया था कि डी.आर.डी.ए. का चेयरमैन एम.पी. को बनाया जाएगा, लेकिन इस आश्वासन के बावजूद भी अभी

तक एम.पी. को डी.आर.डी.ए. का चेयरमैन नहीं बनाया गया है। हमें ज्ञात हुआ है कि बिहार में एम.एल.एज. को डी.आर.डी.ए. का चेयरमैन बनाया जा रहा है, जो बहुत ही दुख की बात है। एम.एल.ए. एक विधान सभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है जबकि एम.पी. छः विधान सभा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है। यह तो सरासर उनके ओहदे की तौहीन है। इसलिए मैं आपके माध्यम से ग्रामीण विकास मंत्री से आह्वान करना चाहती हूं कि वे अतिशीघ्र डी.आर.डी.ए. का चेयरमैने एम.पी. को नियुक्त करें, नहीं तो मैं आपसे यह कहना चाहती हूं कि बिहार में एम.एल.ए. और कलेक्टर मिलकर केन्द्र सरकार की सारी राशि का दुरुपयोग करते हैं। सांसद को कोई महत्व नहीं दिया जाता। जब सांसद कहते हैं कि यह केन्द्र सरकार की राशि है तो वहां के विधायक कहते हैं... *(व्यवधान)* बीच में न बोलें, मुझे बड़ी मुश्किल से समय मिला है और मैं काफी जूनियर सदस्य हूं। अध्यक्ष महोदय, वहां के कलेक्टर को धमकी दी जाती है कि अगर केन्द्र सरकार की राशि को सांसद की अनुशंसा से खर्च करोगे तो तुम्हारा ट्रांसफर करा देंगे, तुम्हें सचिवालय भेज देंगे, ऐसा भागलपुर जिले में हुआ है।... *(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, पशुपालन घोटाले का लुटेरा विधायक बनता है तो वहां की हालत क्या होगी, यह आप सोच सकते हैं। इसलिए केन्द्र सरकार इस पर शीघ्र कार्यवाही करे। इस बारे में बिहार के बहुत से सांसदों ने पहले भी निवेदन किया है। अध्यक्ष महोदय, आपको मालूम होगा कि बिहार में एम.एल.ए. लैड में डेढ़ करोड़ रुपए कर दिए गए हैं। आप जानते हैं कि वह एक गरीब प्रदेश है, वहां विकास के लिए पैसा नहीं है। बिहार सरकार ने आर.इ.ओ., पी.डब्ल्यू.डी. और जिस योजना का वह पैसा एम.एल.ए. लैड में ट्रांसफर कर दिए हैं। केन्द्र सरकार से जो पैसा इंदिरा विकास योजना, समेकित ग्रामीण रोजगार योजना और जवाहर रोजगार योजना आदि के लिए दिया जाता है, बिहार सरकार उस पैसे को खुद का बताकर स्वयं नाम कमाती है और केन्द्र सरकार का नाम कहीं नहीं होता। मेरा निवेदन है कि इन योजनाओं के लिए आबंटित पैसे को एम.पी. लैड में कर दिया जाए और डी.आर.डी.ए. का चेयरमैन सांसद को बनाया जाए। अगर आप ऐसा करते हैं तो बिहार जैसे गरीब राज्य का उद्धार हो जाएगा।

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार की आयात नीति के चलते देश के किसान परेशान हैं। भारत में खाद्य तेल और लहसुन का आयात हो रहा है। इस वर्ष हमारे यहां किसानों की अच्छी पैदावार हुई है और सरसों, रायड़ा तथा लहसुन हुआ है। लेकिन भारत सरकार द्वारा इनके आयात से आज हमारे किसानों की सरसों नहीं के बराबर बिक रही है, लहसुन और रायड़ा का लागत मूल्य भी किसान को नहीं मिल रहा है। चीन में लहसुन तीन-चार रुपए प्रति किलो बिकता है, जबकि यहां हमारा लहसुन दस रुपए प्रति किलो पड़ रहा है। इस कारण राजस्थान के किसान, खासकर जोधपुर के किसान बहुत परेशान हैं। उनकाक रायड़ा 600 3पए में भी नहीं बिक रहा है। इस कारण वे बिजली के बिल जमा कराने में असमर्थ हैं और नतीजा यह हो रहा है कि वे आत्महत्या की ओर जा रहे हैं। मेरा निवेदन है कि बाहर से जो लहसुन और खाद्य तेल हम मंगा रहे हैं, उस पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई जाए ताकि भारत के किसान, खासकर पश्चिमी राजस्थान और जोधपुर के किसान जिंदा रह सकें।

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र) : अध्यक्ष महोदय, 25 जुलाई को मुम्बई में जब शिवसेना प्रमुख माननीय बाला साहेब ठाकरे स्वयं गिरफ्तार होने कोर्ट जा रहे थे तो उस समय, हमें ऐसा मालूम पड़ा कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से प्रदेश में सारे टेलीफोन कनेक्शन बंद कर दिए गए। शिवसेना के सांसदों, विधायकों और पदाधिकारियों के तो टेलीफोन कनेक्शन बंद किए ही गए, अन्य जगहों के भी कर दिए गए। उस दिन ढाई घंटे तक ये टेलीफोन बंद रहे। इस बारे में 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और अन्य अखबारों में भी खबर छपी हैं। अध्यक्ष महोदय, टेलीफोन तो बंद हुए सो हुए, लेकिन सेल्युलर फोन भी ऑफ कर दिए गए। चाहे वे बी.पी.एल. के हों, एम.टी.एन.एल. के हों या अन्य हों। यह घटना महाराष्ट्र में चिंताजनक परिस्थिति पैदा करती है। उस समय वहां कोई किसी से संपर्क नहीं कर सका। हमने भी जब यहां से अपने चुनाव क्षेत्र में फोन करना चाहा तो नहीं मिला। मैं आपके माध्यम से संचार मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस प्रकरण की जांच कराई जाए। केन्द्र सरकार का विभाग है इसलिए टेलीफोन कोई बंद नहीं कर सकता इसलिए इसकी पूरी इन्क्वायरी होनी चाहिए।... *(व्यवधान)*

श्री राम टहल चौधरी (रांची) : अध्यक्ष महोदय, मैं झारखंड क्षेत्र से आता हूं। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वहां जो निर्देश गया है कि पहले सुनिश्चित रोजगार योजना से और जवाहर रोजगार योजना से पुल-पुलिया निर्माण का काम होता था, इसे जिला योजना में पारित करेंगे मगर अभी ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से जो निर्देश गया है और वहां गांव में जो लंबी दूरी की सड़क बनती थी, उस पर रोक लग गई है और यह लिखा गया है कि बड़ी पुलिया का निर्माण नहीं होगा। उसमें यह नहीं बताया गया कि बड़े पुल कौन से होंगे पांच लाख वाले होंगे या बीस लाख या पचास लाख वाले होंगे। पहले जो निर्देश था, उससे काफी अच्छा काम हो रहा था। पच्चीस लाख तक के काम की कलेक्टर को स्वीकृति देने का अधिकार था और पचास लाख तक के काम की स्वीकृति कमिश्नर देता था जिसे अब लुप्त कर दिया गया है और उस क्षेत्र का विकास तभी होगा जब सड़कें बनेंगी और पुल बनेंगे। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करूंगा कि पूर्व में ग्रामीण विकास मंत्रालय का जो निर्देश था, उसी के आधार पर तुरंत निर्देश दिया जाए ताकि वहां विकास का काम हो सके।

श्री लाल बिहारी तिवारी (पूर्वी दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, अभी एक सप्ताह पहले हमने समाचार पढ़ा कि आंध्र प्रदेश राज भवन की छत गिरने से वहां के महामहिम राज्यपाल श्री रंगराजन की पत्नी घायल हो गईं। इस सूचना को पढ़कर बहुत दुख हुआ और मुझे लगा कि यह राज भवन निजाम के समय का बना हुआ था। दिल्ली में भी जिन बंगलों में एम.पीज. या मिनिस्टर्स रहते हैं, उनकी हालत भी काफी खराब है। अभी 12-ए विंडसर प्लेस मुझे एलॉट हुआ है। आज से लगभग दो महीने पहले छत से बड़े धमाके की आवाज से दीवार गिरी। वह दीवार सिरहाने की तरफ न गिरकर पैर की तरफ गिरी और संयोग से मैं बच गया। इसी तरह से अभी कल ही छज्जे की दीवार गिरी। रात का समय था अन्यथा कोई बच्चा खेलता हुआ होता तो उसकी

[श्री लाल बिहारी तिवारी]

मृत्यु हो सकती थी। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि जो कोठियां अलॉट होती हैं, वे अस्सी-नब्बे साल पुरानी हैं, लुटियन टाइप के बंगले वे बने हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि अभी जाकर देखा जाए कि वहां सारी छतें चू रही हैं और बरसात का पानी आ रहा है और जिन्हें तारकोल की तार से बिछाया जा रहा है। मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर समय रहते इनकी छतों को नहीं बदला गया तो किसी समय कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सदन से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस पर विशेष ध्यान दिया जाए और ऐसे बंगलों की मरम्मत कराई जाए, इनकी छतों को बदला जाए ताकि लोगों की जान-माल की सुरक्षा हो सके।

अपराह्न 1.14 बजे

तत्पश्चात् लोकसभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.23 बजे

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोकसभा अपराह्न 2.23 बजे पुनः समवेत हुई।

[श्री वसुदेव आचार्य *पीठासीन* हुए]

[हिन्दी]

श्री पी०एच० पांडियन (तिरुनेलवेली) : महोदय, दूरदर्शन पर यह सुना कि राज्य सभा श्री जैठमलानी के मुद्दे पर चर्चा कर रही है। इस विषय पर इस सभा को चर्चा करने का अधिकार क्यों नहीं है? क्या हमें इसके बारे में जानने का हक नहीं है? हमें भी इस मुद्दे पर चर्चा करने का अधिकार है। इस सभा के सदस्यों को भी जानने का अधिकार है। इस मुद्दे पर दूसरे सदन में वाद-विवाद किया जा रहा है। यह सभा भी विशेषाधिकार प्राप्त सभा है। यह लोक सभा है।

सभापति महोदय, इसलिए कृपया सरकार को उन कागजातों, जिनका हवाला भूतपूर्व विधि मंत्री ने दिया है, को सभा पटल पर रखने के निर्देश दें। जिससे कि सभी सदस्य इसके बारे में जान सकें। हमें भी इन दस्तावेजों का अवलोकन करना चाहिए। हम यह जानें कि उन दस्तावेजों की अंतर्वस्तु क्या है।

अपराह्न 2.24 बजे

लौह और इस्पात कम्पनी (समामेलन और विधि ग्रहण) निरसन विधेयक

[अनुवाद]

सभापति महोदय : सभा अब विधेयक को विचार करने और पारित करने के लिए लेगी।

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि लौह और इस्पात कम्पनी समामेलन अधिनियम, 1952 और इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी (प्रबंध ग्रहण) अधिनियम, 1972 का निरसन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

सभापति महोदय, लौह और इस्पात कंपनी (समामेलन) अधिनियम, 1952 बंगाल इस्पात निगम लिमिटेड के इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड के साथ विलय और बंगाल इस्पात निगम लिमिटेड के विघटन के एकमात्र उद्देश्य के साथ अधिनियमित किया गया था। अधिनियम ने अपने उद्देश्यों को पूरा कर लिया है और इस अधिनियम को कानून पुस्तक में रखने की कोई जरूरत नहीं है।

अपराह्न 2.26 बजे

[श्री पी०एच० पांडियन *पीठासीन* हुए]

इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी (प्रबंध ग्रहण) अधिनियम, 1972 इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी के प्रबंधन को दिनांक 14 जुलाई, 1972 से दो वर्ष की अवधि के लिए, जिसे पांच वर्षों के लिए बढ़ाया गया था, अधिकार में लेने के लिए बनाया गया था। पांच वर्ष की अवधि भी 15 जुलाई, 1997 को समाप्त हो गई। इस बीच, संसद द्वारा इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी (प्रतिभूतियों का अधिकरण) अधिनियम, 1976 पारित किया गया था जिसके माध्यम से भारत सरकार द्वारा कंपनी को अधिकार में लिया गया था, एवं उसके बाद स्टील कंपनीज (रिस्ट्रक्चरिंग) एंड मिसलेनियस प्रोविजनस एक्ट, 1978 के प्रावधानों के अंतर्गत इंडियन आयरन एवं स्टील कंपनी को भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की नियंत्रित कंपनी बनाते हुए उसका पुनर्गठन किया गया था। चूंकि इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी (प्रबंध ग्रहण) अधिनियम, 1972 ने अपने उद्देश्यों को पूरा किया है, इस अधिनियम का निरसन आवश्यक समझा गया है।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

"कि लौह और इस्पात कंपनी समामेलन अधिनियम, 1952 और इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी (प्रबंध ग्रहण) अधिनियम, 1972 का निरसन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : सभापति महोदय, मैं लौह और इस्पात कंपनी (समामेलन और विधि ग्रहण) निरसन विधेयक, 2000 का विरोध करता हूं।

यह साधारण विधेयक नहीं है। इस विधेयक को पुरःस्थापित करते समय भी हमने इसका विरोध किया था क्योंकि हमें यह देखना चाहिए कि इस विधेयक को लाने का उद्देश्य क्या है।

यह विधेयक 1918 में तथा तदुपरांत 1984 में अधिनियमित किया गया था। 'इस्को' का एक इतिहास है। 'इस्को' हमारे देश का पहला इस्पात प्लांट था। हमारे देश में एक ही साल और एक ही जिले में इस्पात के दो प्लांट 'इस्को' और 'टिस्को' लगाए गए हैं। एक जिला

जमशेदपुर से सरायकेला से लेकर बर्धवान तक था। इस क्षेत्र में सौ साल पहले ये इस्पात प्लांट क्यों लगाए गए थे? वे इसलिए लगाए गए थे क्योंकि वहां की भौगोलिक स्थिति अनुकूल थी। इस जिले में कोयला और कच्चा लोहा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था जो कि इस्पात के उत्पादन के लिए आवश्यक है।

जब इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना ब्रिटिश नियंत्रण में की गई थी। बाद में, इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 1972 में इसका अधिग्रहण किया गया था। इसी प्रकार, 1974 में 'इस्को' का राष्ट्रीयकरण किया गया। राष्ट्रीयकरण करने का उद्देश्य क्या था? उस समय, 'इस्को' के राष्ट्रीयकरण का क्या उद्देश्य बताया गया था? जैसा कि सरकार अब स्वयं स्वीकार कर रही है इसका उद्देश्य, आधुनिकीकरण के लिए योजनाबद्ध निवेश के माध्यम से, प्रबंध और उत्पादन की उन्नति को सुरक्षित करना था।

इसका मुख्य उद्देश्य था—उच्च प्रबंध को प्राप्त करना। यह उच्च प्रबंध और उत्पादन कैसे संभव था? यह योजनाबद्ध निवेश और आधुनिकीकरण के लिए निवेश के द्वारा संभव था।

महोदय, यदि मैं कहूं कि 'इस्को' में कुछ भी निवेश नहीं किया गया है, तो यह गलत होगा। कुछ निवेश तो किया गया था। इसके राष्ट्रीयकरण के बाद, प्रारंभिक स्तर पर ही 43 करोड़ रु. खर्च किए गए थे। यह राशि इसके राष्ट्रीयकरण के बाद ही क्यों खर्च की गई? भारत सरकार ने यह राशि केवल 'इस्को' को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ पुन: समंजन करने के लिए खर्च की थी, ना कि आधुनिकीकरण या बदलाव करने के लिए।

महोदय, तब, 600 करोड़ रु. खर्च किए गए थे। मगर किसलिए? क्या यह राशि इसके राष्ट्रीयकरण पर खर्च की गई थी? नहीं। यह राशि इसके आधुनिकीकरण पर भी खर्च नहीं की गई थी। बिना किसी सुदृढ़ कार्यक्रम के और तदर्थ गुण के कारण इस राशि का बड़ा भाग बेकार चला गया। मैं राष्ट्रीयकरण करने से पहले की बात नहीं कर रहा हूं। मैं इसके बाद 1974 से बाद की बात कर रहा हूं। पिछले 26 सालों में 'इस्को' पर जो भी राशि खर्च की गई वह सब बेकार हो गई, क्योंकि न तो इस राशि का प्रयोग आधुनिकीकरण के लिए किया गया था और न ही मशीनों को बदलने के लिए। मैंने यह प्लांट कई बार देखा है। मैंने 1925 में स्थापित प्लांट भी देखा है। यह प्लांट अभी भी काम कर रहा है।

महोदय, हम पिछले 10-15 सालों से इस सभा में इस प्लांट के आधुनिकीकरण की दुहाई दे रहे हैं। यदि 'इस्को' का आधुनिकीकरण किया जाए तो यह बच सकता है। 'इस्को' हमारे देश के महत्वपूर्ण इस्पात प्लांटों में से एक है। यह एक एकीकृत इस्पात प्लांट है। इसके अपने फायदे हैं। इसके पास विश्व की उत्तम कच्चे लोहे की खानें हैं। इसकी लोहे की खानों के अधिग्रहण में जापान की रुचि थी। 'इस्को' के पास 2,000 लाख टन से अधिक कच्चे लोहे का भंडार है। यदि इस सुरक्षित भंडार का मूल्यांकन किया जाए तो यह लगभग 10,000 करोड़ रु. बैठता है।

महोदय, 'इस्को' के पास 'चीरीया' और 'मोहनपुर' नामक कच्चे लोहे की उत्तम खानें हैं। इसके पास अपनी कोयले की खान है। इसका 'चस्नाला' नामक कोयला बेहतरीन कोयला है। इसमें राख काफी कम है। इसके पास अपनी वाशरी है। इससे उच्च गुणवत्ता वाले कोयले का उत्पादन किया जाता है। देश में लगभग 16-17 वाशरीज हैं जिनकी राख की मात्रा लगभग 22-23 प्रतिशत है।

'चस्नाला' कोल वाशरी, बेहतरीन कोयले के कारण ही 17 प्रतिशत राख वाले कोयले का उत्पादन कर रही है। इसके पास काफी बड़ी और सुव्यवस्थित नगरीय व्यवस्था है। 'इस्को' के अलावा किसी अन्य इस्पात प्लांट में ऐसी सुविधा नहीं है; किंतु 'इस्को' का भविष्य क्या है? 'इस्को' का कार्य-निष्पादन क्या है?

मंत्रालय के वार्षिक-प्रतिवेदन के अनुसार, पिछले वर्ष इस्पात; प्लांट ने 737.9 हजार टन हॉट मैटल, 375.1 हजार टन पिग आयरन का उत्पादन किया—'इस्को' का पिग सर्वश्रेष्ठ है, 301.02 हजार टन क्रूड स्टील और 385.1 हजार टन बिही योग्य स्टील का उत्पादन कर रहा है। यह 'इस्को' का वर्ष 1998-99 का निष्पादन था।

लक्ष्य और उपलब्धियां क्या थीं? आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आधुनिकीकरण के लिए कोई निवेश किया ही नहीं गया। पिग आयरन और इस्पात की अन्य सामग्रियां एक ऐसा प्लांट उत्पादित कर रहा है जो 50 से 70 साल पुराना है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि वर्ष 1998-99 के दौरान हॉट मैटल के लिए निर्धारित 725 हजार टन के विपरीत वास्तविक उत्पादन 737.9 हजार टन किया गया था। यह उपलब्धि 102 प्रतिशत थी। क्या माननीय गृह मंत्री किसी ऐसे इस्पात के प्लांट का ऐसा उदाहरण दे सकते हैं जिसने 50 से 90 साल पुराना होने के बावजूद भी शतप्रतिशत से अधिक लक्ष्य की प्राप्ति की हो? इसके राष्ट्रीयकरण के बाद, पिछले 26 सालों में इस पर कोई भी निवेश नहीं किया गया है।

प्लांट के लिए क्रूड स्टील का लक्ष्य 325 हजार टन निर्धारित किया गया था और उत्पादन 301.02 हजार टन किया गया था। क्रूड स्टील के मामले में उपलब्धि 93 प्रतिशत की प्राप्त की गई। पिग आयरन 'इस्को' का बेहतरीन उत्पादन है और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का कोई और इस्पात प्लांट ऐसे पिग आयरन का न तो उत्पादन कर सकता है और न ही ऐसा पिग किसी और के पास ही है। पिग आयरन के निर्धारित 342 हजार टन के लक्ष्य के विपरीत 'इस्को' ने 375.1 हजार टन पिग आयरन का उत्पादन किया। इसकी उपलब्धि 110 प्रतिशत रही।

बिक्री योग्य इस्पात का लक्ष्य 327 हजार टन था और उत्पादन 285.1 हजार टन किया गया। इसकी उपलब्धि 87 प्रतिशत थी।

अन्य इस्पात प्लांटों की तुलना में 'इस्को' का वित्तीय निष्पादन भी अच्छा है। 1998-99 में कंपनी ने 910.64 करोड़ रु. की बिक्री की। वर्ष में, मूल्य ह्रास के बाद कुल हानि 25.41 करोड़ रु. थी। यदि ब्याज भार को सम्मिलित करें तो यह काफी अधिक है किंतु यदि ब्याज भार को हटा दें तो यह केवल 25.41 करोड़ रु. है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अन्य प्लांटों की तुलना में यह हानि बहुत कम है। यह है इतने पुराने प्लांट का कार्य निष्पादन। हमारे देश के इस्पात बाजार

[श्री बसुदेव आचार्य]

में मंदी के बावजूद भी इस प्लांट ने यह वित्तीय-निष्पादन किया। पिछले दो सालों में यही स्थिति है। दो साल पहले ऐसा नहीं था। मंत्री जी यह भली-भांति जानते हैं। वार्षिक-प्रतिवेदन में यह बताया गया है। हमारे यहां मंदी क्यों है और दक्षिण कोरिया और चीन में क्यों नहीं है?

चीन में इस्पात का उत्पादन 30 मिलियन टन, 90 मिलियन टन और 100 मिलियन टन तक रहा है। यह है उनका लक्ष्य। 100 मिलियन टन के उत्पादन के बावजूद भी वहां मंदी नहीं है। किंतु हमारे देश में मंदी है। क्या कारण है? इसका कारण है कि सरकार ने इस्पात पर से आयात कर घटा दिया है। विदेशों से सस्ती दर पर इस्पात हमारे देश में इकट्ठा किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हमारे बाजार को हथिया रही हैं। हमने उनके लिए न केवल आने का रास्ता खोला है बल्कि इस्पात पर से आयात-कर भी कम कर दिया है। इस तरह घरेलू कोयले और इस्पात की तुलना में विदेशी इस्पात और कोयला सस्ता पड़ता है। आयातित इस्पात और कोयले की तुलना में घरेलू इस्पात और कोयले की कीमतें अधिक हैं। यह है इनकी 'स्वदेशी' की नीति। इन्होंने देसी वस्तुओं की तुलना में विदेशी वस्तुएं सस्ती रखी हैं। इसलिए हमारे बाजार घट रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हमारे बाजार को हथिया रही हैं।

आपराधिक विलंब को न्यायसंगत बनाने की कोई भी दलील नहीं हो सकती है। जी हां, आपराधिक विलंब तो हुआ ही है। हम पिछले कई सालों से सुनते आए हैं। कई समितियां गठित की गई हैं। कई बार हमने सुना कि रूस की इसमें रुचि है। उस समय सोवियत संघ भारतीय लौह और इस्पात कंपनी का आधुनिकीकरण करने में उत्सुक था। उन्होंने प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया था। हम नहीं जानते उस प्रस्ताव का क्या हुआ। तत्पश्चात् जापानी एक अन्य प्रस्ताव लेकर आए। उन्होंने भी रुचि दिखाई। उन्होंने यहां का दौरा भी किया। कई बैठकें भी की गईं। लेकिन कोई परिणाम सामने न आया। मैं नहीं जानता उसके बाद इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण करने के लिए क्या कार्यवाही की गई।

इसके बाद चीनी लोग आए, जिनके साथ बातचीत अभी भी जारी है। जब चीनी दल के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा था तो विश्व निविदा आमंत्रित की गई थी। चर्चा के दौरान निविदा जारी की गई थी। वह निविदा तत्कालीन इस्पात मंत्री श्री मोहन कुमारमंगलम द्वारा दिए गए आश्वासन का स्पष्ट उल्लंघन था जो इस संयंत्र के राष्ट्रीयकरण किए जाने के समय दिया गया था।

उन्होंने कहा था कि इस संयंत्र का राष्ट्रीयकरण इसके आधुनिकीकरण किए जाने के कारण किया जा रहा है। अत: उद्देश्य उस संयंत्र का आधुनिकीकरण करना था। क्या इस विज्ञापन में आधुनिकीकरण के बारे में कुछ कहा गया था? यह तो मात्र इस्पात संयंत्र को बेचना है जिसके पास 30,000 अथवा 40,000 करोड़ रुपये की परिसंपत्ति है। यदि हम लौह अयस्क और लौह व इस्पात जैसी परिसंपत्ति का मूल्यांकन करते हैं तो यह 30,000 करोड़ रुपये अथवा 40,000 करोड़ रुपये से कम की नहीं होगी। क्या यह विज्ञापन 30,000 करोड़ रुपये अथवा 40,000 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति 400 करोड़ या 500 करोड़ रुपये कौड़ियों के भाव बेचने के लिए था?

मंत्री जी मेरे गहरे मित्र हैं। उन्होंने हाल ही में कोयला मंत्रालय का पदभार संभाला है। मैं आशा करता हूं कि वह बताएंगे और स्पष्ट करेंगे कि आधुनिकीकरण क्यों नहीं किया जा रहा है। विज्ञापन में 'इस्को' के आधुनिकीकरण को सम्मिलित क्यों नहीं किया गया है? 'इस्को' को भारतीय इस्पात प्राधिकरण में क्यों नहीं मिलाया गया है जैसा कि भद्रावती के मामले में किया गया था? यह कम महत्वपूर्व है। मैं उस पर आपत्ति नहीं कर रहा हूं। जब भद्रावती को 'सेल' में मिलाया जा सकता है तो 'इस्को' को क्यों नहीं? 'इस्को' के साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया गया? मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी इसे स्पष्ट करेंगे। क्या यह मात्र इसलिए किया गया है कि यह पश्चिमी बंगाल में स्थित है? 'इस्को' में अभी भी 20,000 से अधिक कर्मचारी हैं। मेरे जिले पुरुलिया में दामोदर नदी के दूसरे किनारे से इस्को में ठेका श्रमिकों के रूप में श्रम करने के लिए 3,000 से अधिक कर्मगार रोज आते हैं। वे सभी जनजातीय लोग हैं। हजारों कर्मगार कोयला खानों और लौह अयस्क खानों में काम करते हैं। उनका क्या होगा? मुझे बताया गया था कि पांच या छ: पार्टियां 'इस्को' में इच्छुक हैं। वे क्यों इच्छुक हैं? क्या वे इस्पात संयंत्र को कुशलता से चलाने में इच्छुक हैं? वे लौह अयस्क में इच्छुक हैं। श्रेष्ठतम किस्म का लौह अयस्क यहां मिलता है। वे वहां उपलब्ध इसके बेहतर किस्म के कोयले के कारण इच्छुक हैं। वे इस्पात संयंत्र को चलाने में इच्छुक नहीं हैं।

आपको पता है कि सदस्यों को उनकी समस्याओं को बताने का अवसर मिलता है। आप किसी अन्य व्यक्ति को बजाय सदस्यों की संवेदनाओं को समझ सकते? क्योंकि आप पहले अध्यक्ष के पद पर रह चुके हैं।

जब 1996 में सभा के समक्ष 'इस्को' के राष्ट्रीयकरण को समाप्त करने संबंधी विधेयक लाया गया था तो उस समय मेरे मित्र श्री सन्तोष मोहन देव मंत्री पद पर आसीन थे। उस समय हमने इसका विरोध किया था और सरकार को इसे वापस लेना पड़ा था। उस समय इतिहास कहां गया जब यह विधेयक पुर:स्थापित नहीं किया जा सका। तब तत्कालीन अध्यक्ष महोदय ने बैठक बुलाई थी। हमने उस बैठक में भाग लिया और निर्णय लिया गया कि भारत सरकार 'इस्को' के आधुनिकीकरण करने के लिए सभी कदम उठाएगी। उसे क्यों नहीं किया गया? इसे 'सेल' के साथ विलय क्यों नहीं किया गया? यदि भारतीय इस्पात प्राधिकरण दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण पर 6,000 करोड़ रुपये खर्च कर सकती है अथवा यदि वह राउरकेला इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण पर 6,000 से अधिक खर्च कर सकती है तो भारत सरकार 3,000 करोड़ रुपये से कम क्यों नहीं खर्च कर सकती ताकि निम्नतम उत्पादन आरंभ किया जा सके?

एक समझौता किया गया था कहीं भी कर्मगार आगे नहीं आए। सी.आई.टी.यू. से लेकर आई.एन.टी.यू.सी. तक सभी संघ एकजुट हैं। पश्चिम बंगाल सरकार आगे आई। पश्चिम बंगाल सरकार इक्विटी में भागेदारी करना चाहती थी। कर्मगार भी भागेदारी करना चाहते थे। जब समझौता किया गया था तो उसे अंतिम रूप क्यों नहीं दिया गया? कई संसदीय समितियां गठित की गई थीं जिन्होंने कई सिफारिशें कीं। दसवीं लोक सभा की याचिका समिति के अपने आठवें प्रतिवेदन में कहा था कि

9 प्रतिशत आंतरिक आय के साथ 'इस्को' को और आकर्षक बनाया जा सकता था। आधुनिकीकरण के पश्चात् 'इस्को' में आई.आई.आर. अधिकतम हो जाएगा। यह इसके स्वयं के लौह अयस्क खान, कोयला खान और स्वयं की कोयला वाशरियों और विद्युत की नियमित उपलब्धता के कारण ही हुई है। 'सेल' के अन्य इस्पात संयंत्रों की तुलना में 'इस्को' में निम्नतम निवेश से इसका आधुनिकीकरण किया जा सकता था और 9 प्रतिशत आंतरिक आय के साथ 'इस्को' को और अधिक आकर्षक बनाया जा सकता था जिसको अनदेशा किया गया था। प्रतिवेदन में कहा गया है "समिति यह नोट करके क्षुब्ध है कि सरकार 'इस्को' को हाथ में लेने के 21 वर्षों की लंबी अवधि के पश्चात् भी टाल-मटोल कर रही है।"

'इस्को' को हाथ में लेने की 21 वर्षों की लंबी अवधि के पश्चात् भी बर्नपुर इस्पात संयंत्र को आधुनिकीकरण की योजना को किसी न किसी कारण से अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। इस संयंत्र को सरकार की उपेक्षा और डावांडोल के कारण भुगतना पड़ रहा है। यह दसवीं लोक सभा याचिका समिति का आठवां प्रतिवेदन है। यह, इस समिति की सर्वमान्य सिफारिश है। इसमें उपेक्षापन और डावांडोलपन नहीं होना चाहिए।

सभापति महोदय : श्री आचार्य, आप आधे घंटे से अधिक समय ले चुके हैं।

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, मैंने आधे घंटे भाषण नहीं दिया है। आपके पीठासीन होने से पहले मैं पीठाध्यक्ष के रूप में पीठासीन था।

सभापति महोदय : अभी बोलने वाले दो वक्ता और हैं। यदि आप समाप्त करते हैं तो हम कम से कम एक विधेयक तो पूरा कर सकते हैं।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो) : महोदय, यदि निरसन विधेयक पर श्री आचार्य जी इतना समय लेते हैं तो मुझे आश्चर्य है कि यदि इन्हें विधेयक का समर्थन करना पड़े तो यह कितना समय लेंगे!

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, यह विधेयक निजीकरण की ओर एक कदम है। सरकार इस कंपनी का विखंडन करना चाहती है। यह अधिनियम पिछले 25 वर्षों से भी ज्यादा समय तक प्रभावी था। पहला अधिनियम 1918 में अधिनियमित किया गया था और दूसरा 1952 में। अत: 1974 में राष्ट्रीयकरण के बाद भी यह अधिनियम जारी रहा। सरकार इस अधिनियम को निरस्त क्यों करना चाहती है? यह इसलिए है क्योंकि वह 'इस्को' का निजीकरण करना चाहती है इसलिए इस अधिनियम को निरस्त करना आवश्यक है। मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह बिना विलंब इस्को का विलय भारतीय इस्पात प्राधिकरण में कर दे और इस्को के आधुनिकीकरण के लिए धनराशि उपलब्ध कराई जानी चाहिए। यदि चीन देश से कोई बातचीत चल रही हो तो उसे अंतिम रूप दिया जाना चाहिए और इस्को का सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए। 30 हजार अथवा 40 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति को कौड़ियों के दाम नहीं बेचा जाना चाहिए।

श्री ई०एम० सुदर्शन नाच्चीयपन (शिवगंगा) : माननीय सभापति महोदय, यह विधेयक ऐसे अधिनियम को निरस्त करने के लिए लाया गया है जो कि पहले से ही समय समाप्त होने तथा अन्य कारणों से निष्प्रभावी हो गया था और जो कि वर्तमान में प्रासंगिक नहीं रहा था। लेकिन मैं इसके साथ-साथ सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि इसे वर्ष 1972 में उत्पादन में निरन्तर कमी और गिरावट आने के कारण लिया गया था। इस खास बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए। यद्यपि यह 'सेल' की आनुषंगिक कंपनी बन जाएगी तथापि बेहतर प्रबंधन और उत्पादन स्तर की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम भी लाभ उठा सकें। सरकार द्वारा इस तरह का रवैया प्रदर्शित किया जाना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस तरह के विधेयक को लाने का उद्देश्य सरकार की ओर से अधिक व्यवसायिक प्रबंधन सृजित करना था और यह प्रदर्शित करना था कि सरकार भी राष्ट्र की संपत्ति का सही तरीके से प्रबंधन कर सकती है। इसे केवल निजी उद्यमियों को सौंपने की आवश्यकता नहीं है। इसे लाने का यही उद्देश्य था। जब हम इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि सभी उद्योगों का निजीकरण कर देना चाहिए फिर हम इस बात को भी स्वीकार कर रहे हैं कि जो अधिकारी तंत्र इस तरह के उपक्रमों का प्रबंधन कर रहा है वह आधुनिक आवश्यकताओं के अनुसार उसका प्रबंधन नहीं कर सकता है। अत: हमें आधुनिक प्रबंधन प्रणाली का विकास करना है ताकि हम किसी उद्योग के अधिग्रहण के उद्देश्य को प्राप्त कर सकें।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

अपराह्न 3.00 बजे

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो बिल सदन के सामने रखा है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं निवेदन कर दूं कि भारतवर्ष में 10 प्रतिशत लार्जर स्टील प्रोडक्टिविटी होती है, 90,000 करोड़ की इसकी कैपिटल है और इस सारे उद्योग में 5 लाख व्यक्ति जुड़े हुए हैं। मेरा निवेदन है कि कंपनियों का एक के बाद एक मर्जीकरण करते चले गए और यह बिल इसी नाते लाया गया है। मंत्री जी को यह मालूम था कि जिस कंपनी का मर्जीकरण कर रहे हैं, उसका काम ठीक नहीं है बल्कि उन्होंने कई कंपनियां ऐसी अधिग्रहण की हैं जिनमें भारत सरकार का बहुत बड़ा हिस्सा था। उनको भी उन्होंने इसमें अधिग्रहण करने की व्यवस्था की है। स्टील का उद्योग मूलभूत उद्योग है। मूलभूत उद्योग होने के कारण सरकार इसे चलाए, सरकार देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करे, इसलिए मैं इसका विरोधी नहीं हूं। सरकार को उन उद्योगों को अपने हाथ में लेना चाहिए और मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना उसका कर्तव्य है। पहले इसमें दो वर्ष का समय लिया गया, उसके बाद पांच वर्ष का समय लिया गया। पांच वर्ष का समय भी खत्म हो गया है। उस कंपनी की सारी मशीनरी और उपकरण ठीक करने में दो वर्षों में 30 करोड़ रुपए खर्च किए गए। उसके बाद वह प्रबंध वापिस उस कंपनी को दिया जाएगा या नहीं, मंत्री जी, आपको

[श्री गिरधारी लाल भार्गव]

30 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद सारी बातें सोचनी पड़ेंगी। कोकिंग कोल माइन्स का प्रबंध भी भारत सरकार ने अपने हाथ में लिया था। उसके बाद उस पर डेढ़ करोड़ रुपये खर्च किए और उस उद्योग को वापिस उस कंपनी को देने की बात सोचनी पड़ी। इसलिए सरकार का यह कथन कि हम उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, सरकार उत्पादन बढ़ाए, मिनी स्टील प्लांट लगाए। लेकिन आखिरकार घाटा क्यों होता है। हिन्दुस्तान स्टील कंपनी में भी एक अरब 78 करोड़ रुपये का घाटा है। दुर्गापुर कारखाने में उत्पादन ठीक नहीं हो पा रहा है, मैनेजमेंट ठीक नहीं है, मशीनरी ठीक नहीं है। इन सारी बातों पर हम विचार करते हैं। हमारी स्टील की क्या नीति है, भारत सरकार को उसकी ठीक प्रकार घोषणा करनी चाहिए। जो 70 प्रतिशत उत्पादन होना चाहिए, वह नहीं हो पा रहा है। मंत्री जी अपने विचार रखते समय इस संबंध में भी बताएं।... *(व्यवधान)* स्टील के भावों में निरंतर वृद्धि हो रही है। उसे रोका जाना बहुत आवश्यक है। चाहे जूट, टैक्सटाइल, कैमिकल की मशीनरी हो, इन सबके दाम बढ़ रहे हैं। इसी के साथ आज हम देख सकते हैं कि स्टील के भावों में बराबर वृद्धि हो रही है। एक छोटा-सा नमूना देखना चाहें तो लोहे के बने ताले, रेजर ब्लेड, नट बोल्ट की कीमतें बराबर बढ़ रही हैं। भारत सरकार स्टील की पॉलिसी तय करे। जापान में स्टील उत्पादन में पिछले दस सालों में 200 प्रतिशत वृद्धि हुई है। जर्मनी में लगभग 40 प्रतिशत वृद्धि हुई है, फ्रांस ने 20 प्रतिशत वृद्धि की है लेकिन यहां लगातार गिरावट आ रही है। इस गिरावट को रोका जाना आवश्यक है। दुर्गापुर, भिलाई के प्लांट के संबंध में जो घाटा हो रहा है, उसे भी रोकने का प्रयास करना चाहिए। स्टील की पॉलिसी ठीक प्रकार की होनी चाहिए। हम इस दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो एक कदम पीछे हटाते हैं। इससे देश के लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि भारत सरकार की स्टील की पॉलिसी क्या है। माननीय मंत्री जी स्टील की पॉलिसी क्या होगी, इसको रिपील करने के बारे में यह छोटा सा बिल है। मैं इस बिला का स्वागत करता हूं।

आपने मुझे समय दिया, इसलिए मैं आपका भी स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री सुनील खां (दुर्गापुर) : माननीय सभापति महोदय, यह बहुत निराशाजनक बात है कि इस सभा के समक्ष इस्पात कंपनियों से संबंधित पूर्व अधिनियमों को निरस्त करने के लिए विधेयक प्रस्तुत किया गया है। मैं इसका विरोध करता हूं क्योंकि यह एन.डी.ए. सरकार का छिपा हुआ एजेंडा है अर्थात् निजीकरण की प्रक्रिया लाने का एजेंडा है। अत: मैं इस विधेयक के संबंध में कुछ मुद्दों का उल्लेख करना चाहूंगा कि फैक्ट्रियां कितनी महत्वपूर्ण हैं। राष्ट्रीयकरण के बाद 'इस्को' से 600 करोड़ रु. अर्जित किए गए थे और वह राशि इसके आधुनिकीकरण के लिए इसे नहीं दी गई।

मैं लौह अयस्क खानों और कोयले की खानों के संबंध में कुछ आंकड़े दूंगा। ये खानें भारत की सर्वोत्तम खानें हैं। एक जापानी कंपनी इन्हें लेना चाहती थी। उन्होंने कहा था कि यदि इन खानों को उनके द्वारा ले लिया जाता तो वे बिना किसी हिचकिचाहट के 'इस्को' का आधुनिकीकरण कर देते। मैं आपको खानों की लागत के संबंध में कुछ उदाहरण दूंगा। चेरिया, गोआ और मोहनपुर में लौह अयस्क की खानें हैं। चेरिया खानों में लगभग दो बिलियन टन लौह अयस्क के भंडार हैं। इसकी लागत 595 रु. प्रति टन है और यदि आप इसे गुणा करें तो यह राशि 1,19,000 करोड़ बनती है। चसनाला, रामनगर और जीतपुर की कोयला खानों में लगभग 200 बिलियन टन कोयले के भंडार हैं। कोयले की लागत 2240 रु. प्रति टन है और जब आप इसे गुणा करते हैं तो कुल भंडार का मूल्य 46000 करोड़ रु. आता है। मूलभूत ढांचे के मूल्य और टाउनशिप तथा सड़कों और स्कूलों सहित संयंत्र को मिलाकर इस यूनिट की संपत्ति लगभग 242.50 करोड़ रु. की है। इसके आसपास की खाली भूमि का मूल्य 200 करोड़ रु. है। इस संगठित इस्पात संयंत्र के अन्दर 2500 करोड़ रु. की संपत्ति है। संयंत्र तथा टाउनशिप दोनों में इमारतों की संपत्ति 101 करोड़ रु. की है और कुलटी के आसपास खाली भूमि का मूल्य 10 करोड़ रु. है और संयंत्र के भीतर 200 करोड़ रु. की संपत्ति है। यदि आप कुल मूल्य की गणना करें तो यह लगभग 2 लाख करोड़ रु. होगा।

फिर भी, मैं आपसे कुछ मुद्दों को स्पष्ट करने का अनुरोध करता हूं। चेरिया, गोआ और मोहनपुर में लौह अयस्क खानों में कुल कितने लौह अयस्क का भंडार है? चसनाला, रामनगर और जीतपुर खानों में कुल कितने कोयले का भंडार है? 'इस्को' खानों के अंतर्गत कोयला और लौह अयस्क के कुल भंडारों का कुल बाजार मूल्य क्या है? मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण ने 'इस्को' की बिक्री अथवा इसके साथ संयुक्त उद्यम लगाने के लिए कोई विज्ञापन दिया है? 'इस्को' प्रबंधन के अंतर्गत संपत्ति का क्या मूल्य है? 'इस्को' संपत्ति की बिक्री अथवा इसके साथ संयुक्त उद्यम के लिए भंडारों का मूल्य क्या है? क्या 'सेल' अपने औपचारिक संविदा कागजों में एक साथ नई शर्तें लागू कर सकता है? क्या 'सेल' ने 'इस्को' को बेचने अथवा इसके साथ संयुक्त उद्यम लगाने के संबंध में अपनी इच्छा व्यक्त की है?

मेरे पास स्पष्टीकरण के लिए तीन अन्य प्रश्न हैं। क्या संयुक्त उद्यम वाली कंपनी इसके उत्पादन और क्षमता में वृद्धि करेगी और यदि हां, कितने मिलियन टन तक? आप कितने मिलियन टन की उम्मीद करते हैं? दूसरा, मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या संयुक्त उद्यम कंपनियां कुछ धनराशि का निवेश करेंगी और यदि हां, तो वे इसके पुनरुद्धार के लिए कितनी धनराशि का निवेश करेंगी। इस्पात मंत्रालय को इन प्रश्नों का उत्तर देना है। भारत की मूल्यवान संपत्ति का निजीकरण किया गया है। मंत्रालय के अधिकारियों ने 'इक्विटी' के मूल्य की गणना केवल 389 करोड़ रुपए की है। इसका मूल्य केवल 51 प्रतिशत है। इससे लगभग 200 करोड़ रुपए ही मिलेंगे। मुद्दा यह है कि आप दो लाख करोड़ रु. की इक्विटी केवल 200 करोड़ रु. में दे रहे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि भारत सरकार निजी व्यक्तियों से थोड़ी सी पूंजी लेकर अपनी आस्तियों को उनके सुपुर्द कर रही है।

इन शब्दों के साथ, मैं इस निरसन विधेयक का विरोध करता हूं।

[हिन्दी]

प्रो० रासासिंह रावत (अजमेर) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहूंगा हमारे इस्पात और लोहे के संयंत्र दुर्गापुर राउरकेला और बोकारो में हैं, इनके आधुनिकीकरण की प्रक्रिया धीमी चल रही है। इसलिए आधुनिकीकरण का पूरा लाभ हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। सरकार पुरानी कंपनीज को रिपील करने संबंधी यह बिल लाई है, उसका मैं पुरजोर समर्थन करता हूं। लेकिन मैं यह प्रार्थना भी करना चाहूंगा कि अन्य देशों की तुलना में आज ऊर्जा खपत या कोक की जो दर है, उस दृष्टि से हम पीछे हैं। इसमें पर्याप्त सुधार की आवश्यकता है। जो प्रमुख आधुनिककृत इकाइयां हैं, उनकी 70 प्रतिशत क्षमता ही उपयोगिता के अंदर आ रही है। कोयला, अंत:क्षेपण की जो सुविधाएं हैं, उनका हमारे कारखानों के अंदर अभाव है।

आज उदारीकरण का जमाना चल रहा है, उसका मैं समर्थन करता हूं। लेकिन इस्पात उद्योग को क्वालिटी और मूल्य के संबंध में घरेलू प्रतिस्पर्धा के साथ-साथ विश्व प्रतिस्पर्धा के अनुकूल बनाना भी हमारा कर्त्तव्य है। हालांकि भारत लोहे और इस्पात में काफी आत्मनिर्भर हो गया है। हमारा निर्यात बढ़ रहा है, आयात घट रहा है, लेकिन स्थिति को और अच्छा बनाने की आवश्यकता है। मैं इसके लिए सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि वह प्रयत्नशील है। उत्पादन और खपत को प्रभावित करने वाले मुद्दों को निरंतर दूर करने की आवश्यकता है। साथ ही इस्पात संयंत्रों में उत्पादकता को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाए रखना चाहिए।

[अनुवाद]

डा० नीतिश सेनगुप्ता (कोन्टाई) : महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं गुस्से की बजाय बहुत दु:ख के साथ इस विषय पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं जो कि इस बात का ज्वलंत उदाहरण है कि टाल-मटोल करने और निर्णय न लेने से एकदम सही चल रहे उद्यम के साथ क्या हो सकता है। वर्ष 1973 में जब 'इस्को' का राष्ट्रीयकरण किया गया था तो वह उस समय भी लाभांश दे रही थी। कोई नहीं जानता कि इसका राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया था। हठधर्मिता और सोवियत विचार शैली के प्रभाव में ऐसा किया गया था। चाहे कुछ भी हो, ऐसा किया गया था। लेकिन कुछ वर्षों बाद 'इस्को' को बचाने के लिए दुबारा कोशिशें की गई थीं। कार्यक्रम बनाए गए। योजनाएं बनाई गईं। लेकिन एक बार फिर राजनीतिक कारणों से वे बेकार हो गए। वर्ष 1989-90 में जापान के साथ सब कुछ तय हो गया। जापान 'इस्को' के आधुनिकीकरण के लिए इसमें सहयोग करने के लिए आतुर था। लेकिन सरकार बदल गई। मुझे यह कहते हुए दु:ख हो रहा है कि जो सरकार सत्ता में आई, वह इस मामले के साथ गैर-जिम्मेदार तरीके से पेश आई। चूंकि भूतपूर्व सरकारों ने मामले को अंतिम रूप दे दिया था, उन्हें कुछ संदेह हुआ और उन्होंने पूरे मामले को लंबे समय के लिए रोक दिया। फिर सरकार ने अनुवर्ती समितियां नियुक्त कीं। सोवियत यूनियन की मदद से एक कंपनी आना चाहती थी। लेकिन वास्तव में वह अधिकार नहीं दिए जा रहे थे। तत्पश्चात्, एक विशेष समिति नियुक्त की गई, जिसने अनेक विकल्पों पर विचार करने के बाद यह सिफारिश की कि इसे एक गैर सरकारी क्षेत्र की इस्पात कंपनी को सौंप देना चाहिए जो कि साझेदारों के रूप में सामने आएंगे, मुझे कहने दीजिए मुकुन्द आयरन एंड स्टील कंपनी। लेकिन एक बार फिर राजनीतिक कारणों ने इसमें बाधा उत्पन्न की। हर तरह से बाधा उत्पन्न की गई। उस समस्या का समाधान अब किया गया था।

महोदय, मैं आपसे अपील करता हूं कि आप एक बार 'इस्को' का दौरा करें। यदि आप 'इस्को' का दौरा करें तो आपको पता चलेगा कि वहां पर श्रमिक किस दयनीय अवस्था में कार्य कर रहे हैं। उन्हें कभी-कभी मशीनरी को रस्सियों से बांधना पड़ता है क्योंकि उनके पास वास्तव में मशीनरी को सही तरह से लगाने के लिए पैसे नहीं हैं। किसी भी तरह के विद्युत गृह के बिना किसी भी तरह के उपयुक्त उपकरणों के बिना भी वे अभी तक देश में उत्तम इस्पात का उत्पादन कर रहे हैं। मैं आपको बता सकता हूं कि प्रश्न यह नहीं है कि इसका आधुनिकीकरण किस तरह करना चाहिए। लेकिन सत्य यह है कि इसका अधुनिकीकरण हर हाल में किया जाए। मजूदर संघ में मेरे मित्रों को सहयोग करना चाहिए। उन्हें अपनी राजनैतिक विचारधारा को तिलांजलि दे देनी चाहिए।

अत: इस उद्योग के तेजी से विकास के लिए सहयोग देने का प्रयत्न करें। श्रमिकों को सहयोग देना चाहिए और कंपनी का आधुनिकीकरण करना चाहिए। भौगोलिक दृष्टि से उपमहाद्वीप में इस्पात संयंत्र की स्थापना के लिए यह उत्कृष्ट स्थान है। क्या कोई इस तरह के उत्कृष्ट स्थान के बारे में सोच सकता है जहां दो नदियों का संगम हो; दो रेल प्रणालियां हों; खानें निकट ही हों; लौह अयस्क निकट हो इत्यादि। इसका आसानी से आधुनिकीकरण किया जा सकता है लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि सरकार को यहां और इसी समय एक दृढ़ निर्णय लेना चाहिए। चाहे इसे 'सेल' को ही क्यों न दिया जाए। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से यह महसूस करता हूं कि 'इस्को' का अधुनिकीकरण करने के अतिरिक्त 'सेल' की अनेक समस्याएं हैं। अत: हमें 'सेल' पर एक अन्य समस्या का बोझ नहीं डालना चाहिए जबकि वे अपनी समस्या को भी नहीं सुलझा सकते हैं।

चाहे इसे 'सेल' को दिया जाए या गैर सरकारी क्षेत्र को दिया जाए, मेरे विचार में 'इस्को' के आधुनिकीकरण के लिए विदेशी कंपनियों की कमी नहीं है। लेकिन हमें अपनी राजनीतिक विचारधारा को तिलांजलि दे देनी चाहिए। हम सबको इसमें सहयोग करना चाहिए। मुझे इस बात में कोई शंका नहीं दिखाई देती जबकि 'इस्को' एक बार फिर एक स्फिनक्स की तरह ऊपर उठेगा जैसा कि यह वर्ष 1971-72 में था जबकि यह लाभांश भी दे रहा था और उन दिनों टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की अपेक्षा 'इस्को' में काम करना बेहतर समझा जा रहा था।

मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (उत्तर-पश्चिम कलकत्ता) : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जहां तक परियोजना के आधुनिकीकरण का संबंध है क्या पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री श्री ज्योति बसु ने

[श्री सुदीप बंद्योपाध्याय]

इस्पात मंत्री को यह पत्र लिखा था कि इसका आधुनिकीकरण गैर सरकारी क्षेत्र—स्वराज पॉल द्वारा किया जाना चाहिए? यदि वह इस बात को प्रमाणित कर सकें तो सही होगा। यदि नहीं, तो मैं पत्र की 'जेरॉक्स' प्रति पेश कर सकता हूं। मैं इस बात की पुष्टि करना चाहता हूं कि क्या वामपंथी सरकार ने 'इस्को' के आधुनिकीकरण का कार्य 'सेल' को न देकर गैर सरकारी क्षेत्र को देने का प्रस्ताव किया है।

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी : सभापति महोदय, मैं वास्तव में उन सात माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस विधेयक से संबंधित चर्चा में भाग लिया। मैं बहुमूल्य सुझावों के लिए भी उनका आभार व्यक्त करता हूं। निश्चित रूप से, मैं इन सुझावों पर विचार करूंगा। माननीय सदस्य, श्री बसुदेव आचार्य ने जो उद्देश्य आरोपित किया है वह ठीक नहीं है। यह बहुत ही साधारण सा विधेयक है। इसका भारतीय लौह एवं इस्पात कंपनी के निजीकरण से कोई लेना-देना नहीं है। इसका वास्तविक प्रयोजन यह है कि प्रशासनिक सुधार विभाग ने कार्यविधि एवं विनियमों की समीक्षा करने के साथ ही विद्यमान कानूनों से संबंधित संशोधनों के प्रस्तावों की पहचान करके उनके निरसन/संशोधन की सिफारिशें देने के लिए मई 1998 में श्री पी०सी० जैन की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया था।

इस आयोग ने कतिपय कानूनों जो अब प्रासंगिक नहीं रहे, उनका पता लगाया और इसलिए उनका निरसन किया जा सकता है। इस्पात से संबंधित ये कानून हैं :-

(1) लौह और इस्पात कंपनी (प्रबंध-ग्रहण) अधिनियम, 1972

(2) लौह और इस्पात कंपनी (समामेलन) अधिनियम, 1952

अब इन दोनों अधिनियमों का निरसन किए जाने का प्रस्ताव है।

लौह और इस्पात कंपनी (समामेलन) अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम संख्या 79) को शुल्क बोर्ड और शुल्क आयोग की सिफारिशों पर भारतीय लौह एवं इस्पात कंपनी लिमिटेड को बंगाल के इस्पात निगम के साथ समामेलित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। आजादी के बाद जब शुरुआती वर्षों में राष्ट्र-निर्माण गतिविधियों में इस्पात की भारी कमी बाधक बन रही थी तो यह जरूरी हो गया था कि द्विरावृति तथा बर्बादी को दूर करके, इस्पात से संबंधित उत्पादन लागत को कम किया जाए। इस प्रयोजनार्थ, यह सही निर्णय लिया गया कि बंगाल इस्पात निगम लिमिटेड जिसके कार्य प. बंगाल में कुल्टी, बर्धमान जिले में चल रहे थे और वहां भारतीय लौह और इस्पात कंपनी लिमिटेड के बर्नपुर, बर्धमान जिले के कार्यों जो कि लौह एवं इस्पात के निर्माण एवं उत्पादन से संबंधित थे का समामेलन कर लिया जाना चाहिए। लौह एवं इस्पात उद्योग के विस्तार और इसके लिए संसाधनों को उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र सरकार की योजनाओं को लागू करने के लिए समामेलन को आवश्यक माना गया।

इस अधिनियम का उद्देश्य पूरा हो गया है और ऐसी कोई कार्रवाई अब इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार बाकी नहीं है। इसलिए, अब सांविधिक ग्रंथ में इस अधिनियम का निहित होना जरूरी नहीं है।

भारतीय लौह और इस्पात कंपनी के प्रबंधन को समुचित प्रबंधन बनाने के लिए आरंभ में 14.7.1972 से दो वर्षों के लिए ग्रहण किया गया था लेकिन बाद में कंपनी के पुनर्गठन तथा प्रशासनिक व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण को पूरा किए जाने के लिए इस अवधि को पांच वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया।

उपर्युक्त पांच वर्षों की अवधि 15.7.1977 को समाप्त हो गई और अब यह अधिनियम लागू नहीं होता। तत्पश्चात्, भारतीय लौह और इस्पात कंपनी (शेयरों का अधिग्रहण) अधिनियम, 1976 पारित किया गया और कंपनी का राष्ट्रीयकरण हो गया। वर्ष 1978 में भारतीय लौह और इस्पात कंपनी, सार्वजनिक क्षेत्र लौह और इस्पात कंपनियां (पुनर्गठन एवं विविध) अधिनियम, 1978 के तहत इस्पात एवं लौह लिमिटेड कंपनी की अनुषंगी बन गई। इस प्रकार अधिनियम ने अपने उद्देश्य की पूर्ति कर ली है और अब यह प्रचालन में नहीं रहा और इसे सांविधिक ग्रंथ से आसानी से हटाया जा सकता है।

जैसा कि मैंने स्पष्ट किया है और मैं पुन: कहना चाहूंगा कि इन अधिनियमों की प्रासंगिकता समाप्त हो गई है और अब 'सेल' के पुनर्गठन से इनका कोई लेना-देना नहीं है या इनका भारतीय लौह और इस्पात कंपनी के प्रस्तावित संयुक्त उद्यम में परिवर्तन से कोई संबंध नहीं है।

महोदय, मैं श्री बसुदेव आचार्य द्वारा उठाए गए कुछ विशिष्ट मुद्दों का उत्तर देता हूं। मैं माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए मुद्दों कि भारतीय लौह और इस्पात कंपनी और अन्य नौ कंपनियों का आधुनिकीकरण किए जाने की आवश्यकता है से सहमत हूं और निवेश के लिए धन भी आवश्यक है। जैसा कि आप जानते हैं, जहां तक सेल का संबंध है इसके पास आधुनिकीकरण के लिए निवेश हेतु धन नहीं है। इसलिए, यह कुछ पक्षों के साथ संयुक्त उद्यम चाहता है जो कि भारतीय लौह और इस्पात कंपनी के आधुनिकीकरण के लिए धन निवेश कर सकें।

मैंने माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए अन्य मुद्दों पर भी ध्यान दिया है और मैं उनका उत्तर बाद में दूंगा।

महोदय, मैं अब माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि इस विधेयक का समर्थन करें।

श्री सुनील खां : सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से भारतीय लौह और इस्पात कंपनी के आधुनिकीकरण के लिए आश्वासन देने का आग्रह करता हूं।

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी : महोदय, हम भारतीय लौह और इस्पात कंपनी के आधुनिकीकरण के लिए सभी जरूरी कदम उठाएंगे।... *(व्यवधान)*

श्री सुनील खां : महोदय, भारतीय लौह और इस्पात कंपनी के आधुनिकीकरण के बारे में क्या? महोदय, चूंकि वह लौह और इस्पात कंपनी के आधुनिकीकरण के बारे में कोई आश्वासन नहीं दे रहे हैं इसलिए मैं सभा से बाहर जा रहा हूं।

अपराह्न 3.23 बजे

(इस समय, श्री सुनील खां सभा-भवन से बाहर चले गए)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि लौह और इस्पात कंपनी समामेलन अधिनियम, 1952 और इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी (प्रबंध-ग्रहण) अधिनियम, 1972 का निरसन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.24 बजे

सीमा सुरक्षा बल (संशोधन) विधेयक

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब, सभा सीमा सुरक्षा बल (संशोधन) विधेयक, 2000 पर विचार किया जाएगा।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

मैं, सीमा सुरक्षा बल (संशोधन) विधेयक, 2000 को प्रस्तुत करने के लिए खड़ा हुआ हूं जिसे मेरे वरिष्ठ साथी माननीय गृह मंत्री जी ने 25 जुलाई, 2000 को इस सभा में पुर:स्थापित किया था, यह एक सामान्य सा हानिरहित लेकिन लाभदायक दूरगामी परिणामों युक्त विधेयक है। क्योंकि इस विधेयक से सीमा सुरक्षा बल के कर्मियों को वैसी ही न्याय और समानता प्राप्त हो सकेगी और इससे वह न्यायोचितता भी सुनिश्चित होगी जो कि दंड प्रक्रिया संहित की धारा 428 में असैनिक कर्मियों तथा सेना अधिनियम की धारा 169क में सैनिक कर्मियों को पहले से ही मिली हुई है।

इसलिए, सेना अधिनियम 1950 की धारा 169क और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 428 के समान ही, सीमा सुरक्षा बल, 1968 द्वारा शासित किसी कर्मी को जेल की सजा होने से पूर्व-विचारण हिरासत की अवधि को भी समामेलित करने के जैसे प्रावधान के नए उपबंध को सीमा सुरक्षा बल अधिनियम में अत: स्थापित करने की दृष्टि से सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 में संशोधन का प्रस्ताव किया जाता है तथा इस विधेयक से उपर्युक्त उद्देश्य पूरे हो सकेंगे।

प्रसंगवश, सर्वोच्च न्यायालय ने 1996 में अपने फैसले में कहा था कि चूंकि धारा 428 सीमा सुरक्षा बल के कर्मियों पर लागू नहीं होती और सेना अधिनियम के अपने ही उपबंध है गैर-सैनिक कर्मी भी इसका लाभ उठा सकते हैं। यह लाभकारी उपबंध दंड संहिता में है। अब तक उनके लिए यह उपबंध नहीं था। सर्वोच्च न्यायालय ने एक विशिष्ट मुकदमें में इस तरफ ध्यान आकर्षित किया था। यह मुकदमा भारत संघ व अन्य बनाम, आनंद सिंह विष्ट, 1996 से संबंधित है।

इस विधेयक को इस प्रतिष्ठित सभा के समक्ष विचार किए जाने के लिए रखा जाता है।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री वरकला राधाकृष्णन आपने एक संशोधन दिया है। क्या आप इसे पेश करना चाहते हैं?

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, 29 दिसंबर, 2000 तक विचार जानने के प्रयोजनार्थ परिचालित किया जाए।"

श्री समर चौधरी (त्रिपुरा पश्चिम) : महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं इस संशोधन का समर्थन भी करता हूं। लेकिन मैं कुछ और बातें भी जोड़ना चाहता हूं। मैं माननीय गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं। सीमा सुरक्षा बल की तैनाती सीमावर्ती इलाकों में की जाती है। उनकी कुछ समस्याएं हैं। उनके कुछ दु:ख हैं। इनकी भी जांच की जानी है। यदि इस विधेयक के उपबंधों में यह भी शामिल हो सके और इससे सी.सु.ब. के कर्मियों को कुछ राहत मिल पाए तो यह अपने आपमें बिल्कुल ठीक है। यदि नहीं तो यह देखना होगा कि सरकार इसे कैसे शामिल करे।

यह 1965 में गठित किया गया था। वर्तमान अधिनियम 1968 से लागू हुआ। तब से सी.सु.ब. लंबी दूरी तय कर चुका है। जहां तक मैं समझता हूं कि वर्तमान में सी.सु.ब. की 157 बटालियनें हैं। उन्हें 7,411 किलोमीटर लंबे अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा के लिए तैनात किया जाता है। दुश्मन की घुसपैठ से सीमा की सुरक्षा करना अत्यंत

[श्री समर चौधरी]

कठिन है। उन्हें, आतंकवाद और विद्रोही गतिविधियों को रोकने जैसी अनेक हाल की जिम्मेदारियों को भी निभाना पड़ता है। सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बीच सुरक्षा भावना के विकास के लिए सैन्य बलों को भूमिका एवं जिम्मेदारी दी जाती है। सीमापार के अपराधों को प्रतिबंधित करने की जिम्मेदारी से उन दुर्गम क्षेत्रों में कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने में प्रशासन को काफी मदद मिलती है जो कि पूरे समाज के सामान्य जीवन से अलग-थलग हैं।

सभापति महोदय : आप या तो एक मिनट में समाप्त करें या फिर हम अगले सप्ताह इस पर चर्चा करेंगे। अपराह्न 3.30 बजे हमें गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य को लेना है।

श्री समर चौधरी : सीमा चौकियों और सीमावर्ती चौकियों में निगरानी के लिए वहां कर्मियों की अपर्याप्त तैनाती की जाती है। यह बल देश के लिए उत्पन्न खतरे एवं धमकी को विफल करता है... *(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन : गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य में अतिक्रमण उचित नहीं है... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : उन्होंने ऐसा अलग ढंग से कहा... *(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन : वह उसका हिस्सा नहीं हो सकता क्योंकि समय अलग-अलग रखा गया है... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : चौधरी जी, आप अगले दिन अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

अब हम मद संख्या 16 लेते हैं।

अपराह्न 3.30 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के छठे प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

श्री अली मोहम्मद नायक (अनंतनाग) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 27 जुलाई, 2000 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के छठे प्रतिवेदन से सहमत है।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 27 जुलाई, 2000 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के छठे प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब हम गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य लेंगे।

अपराह्न 3.31 बजे

(एक) अनिवार्य मतदान विधेयक*

[अनुवाद]

श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी (कुडप्पा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश में विधायी निकायों के निर्वाचन में मतदान अनिवार्य करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि देश में विधायी निकायों के निर्वाचन में मतदान अनिवार्य करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.31½ बजे

(दो) निस्सहाय बालक (पुनर्वास और कल्याण) विधेयक*

[अनुवाद]

श्री कृष्णमराजू (नरसापुर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि निस्सहाय बालकों हेतु जो अपने स्वास्थ्य और जीवन के लिए खतरनाक कूड़ा-करकट के ढेर और अन्य स्थानों से अपशिष्ट सामग्री इकट्ठी करके और उसे बेचकर जीवन-निर्वाह करते हैं और संघ सरकार और राज्य सरकारों द्वारा किए जाने के लिए कल्याणकारी उपायों और शिक्षा तथा मार्गदर्शन के जरिए उनके पुनर्वास तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि निस्सहाय बालकों हेतु जो अपने स्वास्थ्य और जीवन के लिए खतरनाक कूड़ा-करकट के ढेर और अन्य स्थानों से अपशिष्ट सामग्री इकट्ठी करके और उसे बेचकर जीवन-निर्वाह करते हैं और संघ सरकार और राज्य सरकारों द्वारा किए जाने के लिए कल्याणकारी उपायों और शिक्षा तथा मार्गदर्शन के जरिए उनके पुनर्वास तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 28.7.2000 में प्रकाशित।

श्री कृष्णमराजू : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.32 बजे

(तीन) ग्रामीण क्षेत्र (विद्युत प्रदाय) विधेयक*

[अनुवाद]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कृषकों को उनके कृषि संबंधी क्रियाकलापों के लिए विद्युत की निर्बाध पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु एक ग्रामीण विद्युतीकरण प्राधिकरण की स्थापना करने और देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक निवास एकक में कम से कम एक बत्ती का कनेक्शन उपलब्ध कराने तथा तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कृषकों को उनके कृषि संबंधी क्रियाकलापों के लिए विद्युत की निर्बाध पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु एक ग्रामीण विद्युतीकरण प्राधिकरण की स्थापना करने और देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक निवास एकक में कम से कम एक बत्ती का कनेक्शन उपलब्ध कराने तथा तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रामदास आठवले : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.33 बजे

(चार) निराश्रित महिला कल्याण विधेयक*

[अनुवाद]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि निराश्रित महिलाओं के कल्याण और तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि निराश्रित महिलाओं के कल्याण और तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 28.7.2000 में प्रकाशित।

श्री रामदास आठवले : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.34 बजे

(पांच) वार्धक्य पेंशन और पुनर्वास विधेयक*

[अनुवाद]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वृद्ध व्यक्तियों को पेंशन का संदाय करने और अन्य पुनर्वास सुविधाओं का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वृद्ध व्यक्तियों को पेंशन का संदाय करने और अन्य पुनर्वास सुविधाओं का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रामदास आठवले : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.35 बजे

(छह) संविधान (संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 39 का संशोधन)

[अनुवाद]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रामदास आठवले : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 28.7.2000 में प्रकाशित।

अपराह्न 3.36 बजे

(सात) अर्जित प्रतिरक्षण न्यूनता संलक्षण (एड्स) निवारण विधेयक*

[अनुवाद]

डा० वी० सरोजा (रासीपुरम) : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि मानव प्रतिरक्षण न्यूनता विषाणु (एच०आई०वी०) संक्रमण के फैलाव को निवारित तथा नियंत्रित करने और अर्जित प्रतिरक्षण न्यूनता संलक्षण (एड्स) के पीड़ित व्यक्तियों को विशेषज्ञीय चिकित्सा उपचार और सामाजिक अवलंब और पुनर्वास तथा उससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि मानव प्रतिरक्षण न्यूनता विषाणु (एच०आई०वी०) संक्रमण के फैलाव को निवारित तथा नियंत्रित करने और अर्जित प्रतिरक्षण न्यूनता संलक्षण (एड्स) के पीड़ित व्यक्तियों को विशेषज्ञीय चिकित्सा उपचार और सामाजिक अपलंब और पुनर्वास तथा उससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डा० वी० सरोजा : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करती हूं।

अपराह्न 3.37 बजे

(आठ) वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक*

(धारा 2 का संशोधन आदि)

[अनुवाद]

डा० वी० सरोजा (रासीपुरम) : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डा० वी० सरोजा : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करती हूं।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 28.7.2000 में प्रकाशित।

अपराह्न 3.38 बजे

(नौ) राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) विधेयक*

(अनुसूची का संशोधन)

[अनुवाद]

श्री तिरुनावक्करसू (पुडुक्कोट्टई) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री तिरुनावक्करसू : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.39 बजे

(दस) संविधान (संशोधन) विधेयक*

(नये अनुच्छेद 16क का अंत:स्थापन)

डा० वी० सरोजा (रासीपुरम) : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डा० वी० सरोजा : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करती हूं।

अपराह्न 3.40 बजे

(ग्यारह) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग (सेवाओं में आरक्षण) विधेयक*

श्री सुशील कुमार शिन्दे (सोलापुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों, बैंकों और स्वायत निकायों, प्राइवेट सेक्टर के उद्यमों और अन्य संगठनों में सेवाओं और पदों पर नियुक्तियों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण तथा तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 28.7.2000 में प्रकाशित।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों, बैंकों और स्वायत निकायों, प्राइवेट सेक्टर के उद्यमों और अन्य संगठनों में सेवाओं और पदों पर नियुक्तियों में अनुसचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण तथा तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सुशील कुमार शिंदे : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.41 बजे

(बारह) परिसंकटमय नियोजन में बालकश्रम की समाप्ति विधेयक*

[अनुवाद]

श्री सुशील कुमार शिन्दे (सोलापुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि परिसंकटमय नियोजन में बालकश्रम की समाप्ति और तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि परिसंकटमय नियोजन में बालकश्रम की समाप्ति और तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सुशील कुमार शिंदे : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.42 बजे

(तेरह) धर्म की स्वतंत्रता (निर्बंधनों का हटाना) विधेयक*

श्री जी०एम० बनातवाला (पोन्नानी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि धर्म की स्वतंत्रता पर लगे अनुचित निर्बंधनों को हटाने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"धर्म की स्वतंत्रता पर लगे अनुचित निर्बंधनों को हटाने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। यह विधेयक जिन दो अधिनियमों का निरसन करने से संबंधित है, यह संविधान की मूल भावना के बिल्कुल विपरीत है। संविधान के अनुच्छेद 26 में साफ तौर पर लिखा है कि "लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदाय या उसके किसी अनुभाग को धार्मिक और पूर्व प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का अधिकार है।"

माननीय सदस्य ने इस विधेयक को यहां इंट्रोड्यूस करना चाहा। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि बहुत से ऐसे उदाहरण आए जहां दो राज्यों में ही नहीं बल्कि तीन राज्यों में यह विधेयक बना। राजस्थान में 1954 में, मध्य प्रदेश में 1984 में और पश्चिम बंगाल में 1985 में यह अधिनियम बना था। इसके पीछे कारण महत्वपूर्ण हैं। मुझ जैसा व्यक्ति जो संन्यासी हो और ऐसे विधेयक का विरोध कर रहा हो तो सब जगह इसका विरोध होना चाहिए। निश्चित रूप से यह बात इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि बहुत सी जगहों पर धार्मिक स्थलों का दुरुपयोग हुआ, उनकी संपत्ति का दुरुपयोग हुआ जिसे रोका जाना चाहिए। अभी उत्तर प्रदेश में इस प्रकार का एक अधिनियम विधान मंडल से पास करके भेजा गया लेकिन कुछ गलतफहमी फैलाई गई। यह अधिनियम केवल एक संप्रदाय विशेष के लिए नहीं है यानी भारत में रहने वाले किसी भी धर्म, संप्रदाय या किसी भी पूजा पद्धति को मानने वाले व्यक्ति पर यह बराबर लागू होगा। इस विधेयक से एक वर्ग विशेष को क्यों आपत्ति हो रही है? ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जब सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों पर अनियंत्रित निर्माण और उपयोग के कारण कानून और व्यवस्था की स्थिति पैदा हुई। जो कानून राजस्थान, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में बने हैं, उसके पीछे कोई न कोई कारण रहे हैं। विधि में विद्यमान कानून के अंतर्गत उन गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए कोई इस प्रकार का कानून नहीं है, इसलिए उन राज्यों ने ऐसे कानून बनाए। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल ने कानून बनाए, उसी प्रकार अन्य राज्यों को भी ऐसे कानून बनाने चाहिए।

बहुत से क्षेत्रों में हबीब बैंक द्वारा मदरसों के निर्माण के लिए पैसा दिया जा रहा है। खासतौर से भारत-नेपाल सीमा के आसपास के क्षेत्रों में दिया जा रहा है। इन मदरसों का काम इस्लामी तालीम देना है लेकिन वास्तविकता यह नहीं है। वस्तुत: मदरसे इस्लामी आतंकियों के संरक्षण, प्रशिक्षण के अड्डे हैं। अनेक मदरसों में आतंकवादी बनाने के कारखाने चल रहे हैं। वहां लश्कर-ए-तोइबा, हरकत-उल अंसार, अल वर्क तंजीम, तंजीम-उल-जेहाद, जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे खूंखार आतंकवादी पैदा हो रहे हैं। वहां इन संगठनों के सदस्यों को प्रशिक्षित किया जाता है।

सभापति महोदय, मैं भारत-नेपाल सीमा से लगे कुछ क्षेत्रों के बारे में बताना चाहता हूं। पिछले दो वर्षों में जिस प्रकार से अनियंत्रित निर्माण हुए हैं और जिस प्रकार से उन धार्मिक स्थलों का दुरुपयोग हुआ है,

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 28.7.2000 में प्रकाशित।

[योगी आदित्यनाथ]

उससे पता चलता है कि नेपाल सीमा से लगे जनपदों में 121 नये मदरसे बने हैं और 146 नई मस्जिदें बनी हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र से लगे महाराजगंज जनपद में 24 नये मदरसे, 32 नई मस्जिदें बनी हैं। सिद्धार्थनगर जनपद में 22 नये मदरसे, 26 नई मस्जिदें, बलरामपुर में 25 नये मदरसे और 27 नई मस्जिदें, बहराइच में 26 नये मदरसे और 22 नई मस्जिदें, और लखीमपुर में 17 नये मदरसे और 10 नई मस्जिदें बनी हैं। इसी प्रकार से अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों में इस प्रकार की स्थिति पैदा हुई है। माननीय सदस्य श्री बनातवाला ने जो विधेयक यहां पेश किया है, मैं इसलिए पुरजोर विरोध करता हूं क्योंकि यह केवल एक धर्म संप्रदाय के लिए नहीं बल्कि इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए हर संप्रदाय पर बराबर लागू होता है जबकि इस विधेयक से ईसाई, सिक्ख और हिन्दू सम्प्रदाय को कोई आपत्ति नहीं है तो केवल किसी एक वर्ग विशेष को इस पर आपत्ति निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है। जिस प्रकार से धार्मिक स्थलों का दुरुपयोग हो रहा है, ऐसी स्थिति में इस विधेयक का पुरजोर विरोध करता हूं।

श्री जी०एम० बनातवाला (पोन्नानी) : चेयरमैन साहब, मैं इज्जतमाब रुक्न का एहतराम करता हूं। बड़ी इज्जत करता हूं। लेकिन मुझे अफसोस है कि वे शायद बिल को समझ नहीं पाए और जो कुछ भी कहना चाहते थे, सारा मसाला कहां-कहां से लाकर इधर डाल दिया गया है जिसका इस बिल से दूर-दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। यहां तो सीधी-सीधी बात है और आर्टिकल 25 मजहबी आजादी के कुछ हकूक कायम करता है। इसके साथ कमियों की कोई बात पैदा नहीं होती। ये जिक्र कर रहे थे कि मजहब की तबदीली, जब्र-फोर्स या लालच-एल्योरमेंट-से मुत्तालिक है जबकि मेरे बिल का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। जहां तक फोर्स का ताल्लुक है कि अगर फोर्स से या लालच से मजहब की तबदीली हो रही है तो उसके लिए हमारे पास इंडियन पेनल कोड मौजूद है जिसके अंदर हमें जो कार्यवाही करनी है, वह की जा सकती है। उससे मेरे बिल का कोई ताल्लुक नहीं है। यह बिल मजहबी आजादी, उसकी तबलीग—प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन—अब उसके कुछ ऐसे कानून हैं जो रिलीजन प्रोपोगेशन करने में आड़े आते हैं। अगर कोई खुदा का खौफ दिखाता है तो कहा जाता है कि यह फोर्स है। अगर कोई जन्नत की बात करता है तो उसे कहना कि यह लालच है, ये कोई अजीब से कवानीन हैं। जहां तक फोर्स या एल्योरमेंट का सवाल है, उसके लिए आई.पी.सी. मौजूद है। आनरेबल मैम्बर ने जो कुछ कहा है, वे उसमें समा सकती हैं लेकिन मेरे बिल से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। लिहाजा मैं आनरेबल मैम्बर से कहूंगा कि वे गलतफहमी और नासमझी में कुछ बातें यहां पर लाए हैं।

चेयरमैन साहब, मैं 100 फीसदी इस बात से इत्तफाक रखता हूं कि इसमें मतभेद है कि फोर्स या एल्योरमेंट से किसी किस्म की कोई मजहबी तबदीली नहीं होनी चाहिए और कोई मजहब इन बातों को गवारा भी नहीं करेगा। जैसा मैंने कहा कि आई.पी.सी. और दूसरे कवानीन मौजूद हैं लेकिन इसके अलावा किसी किस्म की कोई रुकावट खामख्वाह प्रोपोगेशन आफ रिलीजन के अंदर नहीं होनी चाहिए, यह मेरे बिल का मतलब है।

बाकी तमाम बातें इन्होंने कही कि कुछ रुपया बाहर से आ रहा है और वह लालच वगैरह देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, आप कार्रवाई करो इंडियन पीनल कोड और तमाम कानून मौजूद हैं, जहां-जहां चाहे कार्रवाई करो, कोई उसे रोकता नहीं है। खाह-मख्वाह उसे लेकर इस बिल के साथ जोड़ देना मुनासिब नहीं है, गलतफहमी पर है। लिहाजा मैं ऑनरेबल मैम्बर और इस ईवान से इस बात की गुजारिश करूंगा कि इस बिल को पेश करने की इजाजत दी जाए।

جناب جی۔ ایم۔ بنات والا (پوننانی): جناب چیئرمینصاحب، میں عزت مآب زکن کا احترام کرتا ہوں۔ بڑی عزت کرتا ہوں۔ لیکن مجھے افسوس ہے کہ وہ شاید بل کو سمجھ نہیں پائے اور جو کچھ بھی کہنا چاہتے تھے، سارا مسالہ کہاں کہاں سے لاکر ادھر ڈال دیا گیا ہے جس کا اس بل سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہاں تو سیدھی سیدھی بات ہے اور آرٹیکل ۲۵ مذہبی آزادی کے کچھ حقوق قائم کرتا ہے۔ اس کے ساتھ کمیوں کی کوئی بات پیدا نہیں ہوتی۔ یہ ذکر کر رہے تھے کہ مذہب کی تبدیلی، جبر، فورس یا لالچ سے متعلق ہے جبکہ میرے بل کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جہاں تک فورس کا تعلق ہے کہ اگر فورس سے یا لالچ سے مذہب کی تبدیلی ہو رہی ہے تو اس کے لئے ہمارے پاس انڈین پینل کوڈ موجود ہے جس کے اندر ہمیں جو کاروائی کرنی ہے، وہ کی جا سکتی ہے۔ اس سے میرے بل کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ بل مذہبی آزادی، اسکی تبلیغ پروپیگیشن آف ریلجن اب اس کے کچھ ایسے قانون ہیں جو ریلجن پروپیگیشن کرنے میں آڑے آتے ہیں۔ اگر کوئی خدا کا خوف دکھاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ فورس ہے۔ اگر

کوئی جنت کی بات کرتا ہے تو اسے کہنا کہ یہ لالچ ہے، یہ کوئی عجیب سے قوانین ہیں۔ جہاں تک فورس یا ایلیورمینٹ کا سوال ہے، اس کے لئے آئی۔پی۔سی۔ موجود ہے۔ آنریبل ممبر نے جو کچھ کہا ہے، وہ اسمیں سماں سکتی ہیں۔ لیکن میرے بل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہذا میں آنریبل ممبر سے کہوں گا کہ وہ غلط فہمی اور ناسمجھی میں کچھ باتیں یہاں پر لائے ہیں۔

چیئرمین صاحب، میں صد فیصدی اس بات سے اتفاق رکھتا ہوں کہ There is a difference of opinion کہ فورس یا ایلیورمنٹ سے کسی قسم کی کوئی مذہبی تبدیلی نہیں ہونی چاہئے اور کوئی مذہب ان باتوں کو گوارہ بھی نہیں کریگا۔ جیسا میں نے کہا کہ آئی۔پی۔سی۔ اور دوسرے قوانین موجود ہیں لیکن اس کے علاوہ کسی قسم کی کوئی رکاوٹ خواہ مخواہ پروپیگیشن آف ریلجن کے اندر نہیں ہونی چاہئے، یہ میرے بل کا مطلب ہے۔ باقی تمام باتیں انہوں نے کہیں کہ کچھ روپیہ باہر سے آرہا ہے اور وہ لالچ وغیرہ دینے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے، آپ کاروائی کرو انڈین پینل کوڈ اور تمام قانون موجود ہیں، جہاں جہاں چاہے کاروائی کرو، کوئی اسے روکتا نہیں ہے۔ خواہ مخواہ اسے لیکر اس بل کے ساتھ جوڑ دینا مناسب نہیں ہے، غلط فہمی پر ہے۔ لہذا میں آنریبل ممبر اور اس ایوان سے اس بات کی گذارش کروں گا کہ اس بل کو پیش کرنے کی اجازت دی جائے۔

सभापति महोदय : मैं सभा को यह बताना चाहता हूं कि पीठासीन अधिकारी यह निर्णय नहीं लेते कि कोई विधेयक संवैधानिक रूप से सभा की विधायी क्षमता के अंतर्गत है अथवा नहीं। किसी विधेयक के शक्तिमता संबंधी प्रश्न पर भी सभा कोई निर्णय नहीं लेती है। पीठासीन अधिकारी यह भी निर्णय नहीं लेता है कि कोई विधेयक संविधान के अधिकारातीत है अथवा नहीं।

इन परिस्थितियों के मद्देनजर, मैं यह प्रश्न सभा के समक्ष रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि धर्म की स्वतंत्रता पर लगे अनुचित निर्बंधनों को हटाने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जी०एम० बनातवाला : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.51 बजे

(चौदह) पंजाब नगर निगम विधि (चंडीगढ़ पर विस्तार) (संशोधन) विधेयक*

(अनुसूची का संशोधन)

[अनुवाद]

श्री रतन लाल कटारिया : मैं प्रस्ताव करता हूं कि पंजाब नगर निगम विधि (चंडीगढ़ पर विस्तार) अधिनियम, 1994 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पंजाब नगर निगम विधि (चंडीगढ़ पर विस्तार) अधिनियम, 1994 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 28.7.2000 में प्रकाशित।

श्री रतन लाल कटारिया : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.52 बजे

(पंद्रह) धार्मिक-स्थल (धर्म की स्वतंत्रता पर निर्बंधन का हटाया जाना) विधेयक*

[अनुवाद]

श्री जी०एम० बनातवाला : (पोन्नानी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि सार्वजनिक धार्मिक भवनों तथा धर्म की स्वतंत्रता का अवरोधन करने वाले स्थानों के संबंध में अनुचित निर्बंधनों को हटाए जाने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सार्वजनिक धार्मिक भवनों तथा धर्म की स्वतंत्रता का अवरोधन करने वाले स्थानों के संबंध में अनुचित निर्बंधनों को हटाए जाने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जी०एम० बनातवाला : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता

अपराह्न 3.53 बजे

(सोलह) संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक*

(अनुसूची का संशोधन)

[हिन्दी]

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 28.7.2000 में प्रकाशित।

[हिन्दी]

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : सभापति महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.54 बजे

[अनुवाद]

(सत्रह) संविधान (संशोधन) विधेयक*

(नये अनुच्छेद 151क से 151ग का अंत:स्थापन)

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति की जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री विलास मुत्तेमवार : मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

अपराह्न 3.55 बजे

(अठारह) संविधान (संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 324 का संशोधन)

[अनुवाद]

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री विलास मुत्तेमवार : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 28.7.2000 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

अपराह्न 3.56 बजे

(उन्नीस) संविधान (संशोधन) विधेयक*

(नए अनुच्छेद 75क और 164क का अंत:स्थापन)

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री विलास मुत्तेमवार : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.57 बजे

(बीस) चलचित्र (संशोधन) विधेयक*

(धारा 5ख का संशोधन)

[हिन्दी]

श्री सुबोध मोहिते (रामटेक) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि चलचित्र अधिनियम, 1952 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि चलचित्र अधिनियम, 1952 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री सुबोध मोहिते : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.58 बजे

(इक्कीस) विवाह का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण विधेयक*

[हिन्दी]

श्री सुबोध मोहिते (रामटेक) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत में विवाहों के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण तथा उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत में विवाहों के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण तथा उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री सुबोध मोहिते : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.59 बजे

(बाईस) भारतीय चिकित्सा विकास निगम विधेयक*

[हिन्दी]

श्री सुबोध मोहिते (रामटेक) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय चिकित्सा पद्धति के विकास का संप्रवर्तन करने हेतु एक भारतीय चिकित्सा विकास निगम की स्थापना करने तथा तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय चिकित्सा पद्धति के विकास का संप्रवर्तन करने हेतु एक भारतीय चिकित्सा विकास निगम की स्थापना करने तथा तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री सुबोध मोहिते : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.59½ बजे

अंतर्राज्यीय नदियों का राष्ट्रीयकरण विधेयक—जारी

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्य श्री वैको अपना भाषण जारी रखेंगे। वह पहले ही 20 मिनट बोल चुके हैं।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 28.7.2000 में प्रकाशित।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 28.7.2000 में प्रकाशित।

श्री वैको (शिवकाशी) : सभापति महोदय, पिछले दिन जब मैंने अंतर्राज्यीय नदियों के राष्ट्रीयकरण संबंधी इस विधेयक पर वाद-विवाद शुरू किया तो मैंने अंतर्राज्यीय जल-विवादों के बारे में उल्लेख किया था। दो विवाद काफी चर्चित हुए। पहला पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान राज्यों के बीच रावी-व्यास नदी जल बंटवारे का विवाद था। दूसरा विवाद तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र पाण्डिचेरी के बीच कावेरी जल बंटवारे को लेकर है। ये विवाद अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अंतर्गत न्यायाधिकरण को सौंपे गए थे, जहां तक रावी व्यास विवाद का संबंध है वह अप्रैल, 1986 में तथा कावेरी विवाद जून, 1990 में न्यायनिर्णयन के लिए सौंपा गया।

रावी व्यास जल विवाद न्यायाधिकरण ने अपना तथ्य-अन्वेषी प्रतिवेदन 30 जनवरी, 1987 को प्रस्तुत किया। संबंधित राज्य और केन्द्र सरकार ने अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 5, भाग 3 के अंतर्गत स्पष्टीकरण और दिशानिदेश मांगी है।

अपराह्न 4.00 बजे

कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण ने 25 जून, 1991 में एक अंतरिम आदेश पारित किया था। किंतु महोदय, पहली बार कर्नाटक राज्य ने राज्यपाल के माध्यम से दो अध्यादेश जारी किए जो कि अंतरिम आदेश की भावना के प्रतिकूल थे। इससे अत्यंत ही गंभीर विवाद शुरू हो गया। अभी भी यह एक समस्या है जो केन्द्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के समक्ष लंबित है। हम इस महान देश की भावनात्मक अखण्डता तथा राष्ट्रीय अखंडता की बात करते हैं।

4.01 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

महोदय, भावनात्मक तथा वास्तविक अखंडता प्राप्त करने के लिए, मैंने यह विधेयक पुरःस्थापित किया है जिसमें यह प्रस्ताव किया गया है कि अंतर्राज्यीय नदियों का इस सिद्धांत पर राष्ट्रीयकरण कर दिया जाना चाहिए, कि इनका अधिकतम लाभ पूरे राष्ट्र को मिले, सभी राज्यों को मिले। उस उद्देश्य के लिए, इस सभा के सदस्यों को दलगत भावना से ऊपर उठकर, अंतर्राज्यीय नदियों के राष्ट्रीयकरण के इस मुद्दे पर अपने विचार तथा दृष्टिकोण व्यक्त करने चाहिए।

महोदय, जल एक बहुमूल्य राष्ट्रीय निधि है। राष्ट्रीय जल नीति में राष्ट्र का यह संकल्प समाहित है कि जल संसाधनों संबंधी योजना एवं विकास राष्ट्रीय परिदृश्य से संचालित होगा। इस राष्ट्रीय परिदृश्य के मुख्य तत्व क्या हैं? पहला, जल एक बहुमूल्य राष्ट्रीय संसाधन है और इसका विकास राष्ट्रीय परिदृश्य द्वारा संचालित होना चाहिए। उपलब्ध संसाधनों, भू और भूमिगत जल दोनों का अधिकतम उपयोग किया जाना चाहिए। जिस क्षेत्र में जल की कमी हो उस क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों से जल का हस्तांतरण करके, एक नदी बेसिन से उस बेसिन के जल का मूल्यांकन करके दूसरे नदी बेसिन में हस्तांतरण करके, जल की कमी को दूर करना चाहिए। जल के आबंटन में सामान्यतः पेयजल को अग्रता प्रदान करनी चाहिए और इसके बाद सिंचाई, जल-विद्युत और अन्य उपयोगों को इस क्रम में रखना चाहिए। महोदय, नौपरिवहन भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। परिवहन अत्यन्त ही सस्ता हो जाएगा यदि सभी नदियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए और उस प्रयोजन को भी प्राथमिकता दी जाए।

महोदय, एक विख्यात इंजीनियर जो कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक मंत्री भी थे ने लगभग 30 वर्ष पहले नदियों को परस्पर जोड़ने के लिए प्रस्ताव का संकेत दिया था। डा. के.एल. राव ने यह किया था जो उस समय सिंचाई मंत्री थे। उस समय, यह सिंचाई मंत्रालय था, अब इसे जल संसाधन मंत्रालय कहा जाता है। उन्होंने साठ के दशक में एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। उन्होंने साठ के दशक के अंत में एक प्रस्ताव रखा कि पटना के थोड़ा पश्चिम कहीं से गंगा से मानसून के दौरान नहरों के माध्यम से निश्चित मात्रा में अधिशेष जल कावेरी में हस्तांतरित कर दिया जाए। इस प्रस्ताव के पीछे एक भावना थी। मुझे याद है कि गंगा-कावेरी संपर्क (लिंक) के बाबत खूब बात हुई थी, कि गंगा घाटी तथा कावेरी बेसिन के लोगों को एक साथ जोड़ा जा सके और समृद्धि आ सके। कवि सुब्रह्मण्यम भारती ने इसका स्वप्न देखा था। किंतु महोदय, क्या हुआ? कुछ समय के बाद, जब डा० राव ने सरकार छोड़ा, सरकार ने सोचा कि प्रस्ताव में लागत का कम अनुमान लगाया गया है और इसलिए सरकार ने गंगा-कावेरी संपर्क (लिंक) प्रस्ताव का दूसरा विस्तृत अध्ययन किया। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भारत में गंगा से जल निकालना अव्यवहारिक तथा खर्चीला है और इसमें बिजली की अत्यधिक आवश्यकता पड़ेगी। अतः अंत में उक्त प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया।

इसके बजाय उन्होंने जल संसाधनों के विकास हेतु एक राष्ट्रीय समदर्शी योजना विकसित की जिसके दो घटक हैं—पहला हिमालय नदी विकास कार्यक्रम और दूसरा प्रायद्वीपीय नदी विकास कार्यक्रम। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी नामक एक स्वायत्त संस्था का 1981 में गठन किया गया। जिसने सर्वप्रथम उत्तर में महानदी तथा नर्मदा से दक्षिण में वायपार तथा ताम्रापार्णी तक प्रायद्वीपीय नदियों के लिए समदर्शी योजना तैयार की। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी ने जल को इसकी प्रचुरता वाले क्षेत्र से कमी वाले क्षेत्र में हस्तांतरित करने के अनेक उपाय सुझाए।

महानदी जिसका उद्गम स्थान मध्य प्रदेश का बस्तर क्षेत्र है, वहां से निकलकर वह उड़ीसा में सम्बलपुर के नजदीक प्रवेश करती है जिसके समीप ही हीराकुंड बांध का निर्माण सिंचाई, विद्युत उत्पादन तथा बाढ़ नियंत्रण के उद्देश्य से किया गया है। इसके बावजूद नदी में, विशेषकर मानसून के दौरान पर्याप्त जल रहता है और जल जमाव क्षेत्र में भारी वर्षा होने से कटक शहर पर महानदी के जल से प्रायः बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो जाता है।

राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी के प्रस्ताव में सर्वप्रथम मनिभन्द्र नामक स्थान पर महानदी पर बांध का निर्माण शामिल है। वहां से नदी का अनुमानित 11,500 मिलियन क्यूबिक मीटर अतिरिक्त जल में से लगभग 8,000 मिलियन क्यूबिक मीटर जल वेग से बहने वाली नहर के माध्यम से गोदावरी में गिराया जाना है, जिसमें जल की डालेस्वरम बराज के नजदीक छोड़ने के लिए पम्पिंग की आवश्यकता नहीं होगी।

वर्तमान डालेस्वरम बराज के ऊपरी बहाव पर कुल 21,500 मि. क्यू.मी. जल कृष्णा नदी में छोड़ने के लिए गोदावरी धोलबरम नदी पर

एक दूसरा बराज बनाए जाने का प्रस्ताव है। इसमें गोदवरी का 15,000 मि.क्यू.मी. अनुमानित अतिरिक्त जल तथा 6,500 मि.क्यू.मी. जल जिसका महानदी से डालेस्वरम पहुंचने का अनुमान है तथा आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम एवं विशाखापत्तनम जिलों में मार्ग में होते हुए सिंचाई हेतु उपयोग हो रहा लगभग 1,500 मि.क्यू.मी. शामिल है।

तत्पश्चात् दूसरे संपर्क की बात आती है। अतिरिक्त जल के बहाव को गोदावरी से कृष्णा की ओर मोड़ने के लिए तीन संपर्कों का प्रस्ताव है। पहला, प्रकाशम बराज के नजदीक 1,200 मि.क्यू.मी. जल छोड़ने के लिए पोलावरम विजयवाड़ा संपर्क, दूसरा 4,370 मि.क्यू.मी. जल के लिए इचाम्पाली पुलिचिंताला संपर्क। पुलिचिंताला कृष्णा नदी के पार नागारजुनासागर जलाशय के पूर्व में है और कई दशकों पहले गोदावरी पर इच्चाम्पाली बराज के निर्माण का प्रस्ताव था। तीसरा, इच्चाम्पाली नागारजुनासागर लिंक है, जिससे नागारजुनासागर जलाशय में लगभग 14,000 मि.क्यू.मी. जल भेजे जाने का प्रस्ताव है।

नागारजुनासागर से सीमासीला जलाशय में जो पेन्नार नदी पर है, 12,000 मि.क्यू.मी. जल भेजा जा सकता है। वास्तव में 9,800 मि. क्यू.मी. जल सोमासीला में छोड़े जाने की संभावना है। पेन्नार से 9,500 मि.क्यू.मी. जल कावेरी में छोड़े जाने का प्रस्ताव है। अत: महानदी का जल कावेरी ले जाया जाता है और नदी के ग्रैंड एनीकट में पानी छोड़ा जाता है। दो हजार वर्ष पहले महान चोल राजा कारीकला ने यह बांध बनवायी थी। अब 2000 नये सहस्त्राब्दि के शुरू में, हमें नयी सदी में नयी पीढ़ी के लिए योजना तैयार करनी है।

वास्तविक आपूर्ति 5,000 मि.क्यू.मी. होगी जिसमें मार्ग में सिंचाई तथा चेन्नई शहर को पेयजल आपूर्ति शामिल है। इसमें से 3,000 मि. क्यू.मी. जल का उपयोग कावेरी बेसिन के लिए होने की संभावना है और 200 मि.क्यू.मी. जल वैगायी के दक्षिण में छोड़ा जाना है जिसके किनारे पर पवित्र शहर मदुरै बसा हुआ है।

पूर्व संभाव्यता रिपोर्टों के आधार पर प्रायद्वीपीय संघटक से आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में पांच मिलियन हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि सिंचित होने का अनुमान है, इसका 1994-95 के मूल्यों के अनुसार लागत 30,000 करोड़ रुपया है। चूंकि इस परियोजना को पूरा होने में, यदि इसे शुरू किया जाता है, तो कई दशक लगेंगे, इस पर इतनी लागत नहीं आएगी कि केन्द्र अथवा राज्य सरकारें इस परियोजना को शुरू न करें।

तथापि, कावेरी डेल्टा के किसानों को वर्षा के लिए भगवान भरोसे नहीं रहने तथा सूखे के समय कर्नाटक के किसानों के धान के फसल की रक्षा के लिए जल के लिए न देखना पड़े यह अंतर बेसिन हस्तांतरण कार्य को सभी संबंधित लोगों द्वारा युद्ध स्तर पर कार्य करना चाहिए।

यह पहल केन्द्र द्वारा होनी चाहिए। यह स्वागत योग्य बात है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन सरकार के घोषणा-पत्र में अंतर-बेसिन जल हस्तांतरण को प्राथमिकता पर रखा गया है। अत: हमने एन.डी.ए. के घोषणापत्र में इस बारे में प्रतिबद्धता व्यक्त की है। तथापि, इन्होंने इस बारे में अपनी जानकारी को अब तक अद्यतन नहीं किया है और इसे अभी भी गंगा-कावेरी लिंक संबंधी प्रस्ताव बता रहे हैं। इसको ठीक करना चाहिए।

अंत में केन्द्र तथा सभी राज्यों को, इस बारे में संविधान संशोधन करने के बारे में एक राय बनाना चाहिए ताकि जल को समवर्ती सूची का विषय बनाया जाए न कि इसे वर्तमान की तरह राज्य के विषय के अंतर्गत रखना चाहिए। दो दिन पहले मेरे कांग्रेस के मित्रों ने आश्चर्य व्यक्त किया और दरअसल उनमें से कुछ लोगों ने मेरी इस राय व धारणा के लिए मुझे बधाई दी। मैं राज्य की स्वायत्तता के लिए प्रतिबद्ध हूं। मेरा कहना है कि इस विषय को राज्य सूची से सीधे हटाने का नहीं है बल्कि इसे समवर्ती सूची में डाला जाना चाहिए। अवशिष्ट शक्तियां राज्य के पास ही होनी चाहिए जैसा कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका तथा आस्ट्रेलिया में है। सही मायने में संघ होना चाहिए। लेकिन जहां तक जल का संबंध है, इस विषय को राज्य सूची से हटा कर समवर्ती सूची में रखा जाना चाहिए। मेरा यही कहना है। सामान्यत: हम किसी विषय को राज्य की सूची से हटाकर समवर्ती सूची में रखने की मांग नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब जल संबंधी समस्या के निराकरण के लिए, इस विषय को समवर्ती सूची में डालना जरूरी है। नई सदी में जल संसाधनों को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

महोदय, गोदावरी, कृष्णा तथा महानदी के बाद कावेरी प्रायद्वीपीय दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसके 802 किलोमीटर की पश्चिमी घाट से बंगाल की खाड़ी तक की लंबाई में नदी के मुख्य हिस्से का 381 कि.मी. भाग कर्नाटक तथा 357 कि.मी. भाग तमिलनाडु में बहता है।

महोदय, 1924 के समझौते के कुछ विशिष्ट खंडों में निर्धारित सीमाएं तथा प्रबंध 50 वर्षों के बाद इसकी समय-सीमा समाप्त होने के बाद पुनर्विचार के लिए रखा गया। यह पुनर्विचार "प्राप्त अनुभव तथा संबंधित सरकारों के क्षेत्रों के भीतर सिंचाई व्यवस्था के विस्तार करने की संभावनाओं की जांच तथा ऐसे संशोधनों जिनके बारे में आपस में सहमति हो के आलोक में" किया जाना था।

महोदय, विभिन्न देशों से होकर गुजरने वाली नदियों के बारे में अंतर्राष्ट्रीय विवाद है। इन नदी जल विवादों को निपटाने के लिए अनेक सिद्धांत तथा नीतिगत दृष्टिकोण हैं। आधुनिक समय में कई महाद्वीपों के राष्ट्रों—यूरोप, उत्तरी अमरीका, दक्षिण अमरीका, अफ्रीका तथा एशिया—और अनेक राष्ट्रीय संघों यथा संयुक्त राष्ट्र अमरीका, आस्ट्रेलिया, कनाडा तथा भारत में इस प्रकार के विवाद हुए हैं। यूरोप में पहले के नदी विवाद जो सतरहवीं सदी में हुए जो हानूबे में अस्ट्रीया तथा तुर्की के बीच एवं राइन में जर्मनी तथा फ्रांस के बीच नौवहन अधिकारों के कारण हुए।

महोदय, नदी जल विवादों के चलते युद्ध हुए। चोल वंश के राजाओं ने जल विवादों के निपटान हेतु सेना का प्रयोग किया। लेकिन अब समय बदल गया है, मैं उन बातों में नहीं जा रहा। बुद्ध के समय भी रोहिणी नदी के जल के बंटवारे के लिए शाक्यों तथा कोलियों के बीच युद्ध हुए। जब गौतम बुद्ध को पता चला कि शाक्यों तथा कोलियों के बीच रोहिणी नदी के जल बंटवारे के लिए भीषण युद्ध हुए हैं और

[श्री वैको]

खून की नदी बही है तो उन्होंने दोनों पक्षों से बात की और एक मान्य समाधान निकाला। उन्होंने विवाद को निपटाया। उन्होंने जिसकी आवश्यकता थी वह किया। गौतम बुद्ध ने दो पक्षों के बीच लंबे समय से चले आ रहे विवाद को निपटाने में सफलता प्राप्त की।

महोदय, उत्तर, उत्तर-अमरीका में यू.एस.ए. तथा मेक्सिको के बीच रीयो ग्रेंडे एवं कोलोराडो के विवाद तथा यू.एस.ए. एवं कनाडा के बीच कोलंबिया के विवाद तथा दक्षिण अमेरिका में आमेजन एवं डेल प्लाटा बेसिन के विवादों, जिसमें प्रत्येक मामले में अनेक देश शामिल थे, के उदाहरण हैं। अफ्रीका, सूडान और मिश्र नील नदी के जल के बंटवारे के मुख्य विवादी रहे हैं, यद्यपि सात अन्य देश भी इसमें शामिल हैं। अफ्रीका में दूसरे मुख्य विवाद नाईजर और सेनेगल नदियों से संबंधित हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में लाओस, थाईलैंड, वियतनाम और कम्बोडिया लोवर मिकोंग बेसिन में सहकारी प्रबंध की पार्टियां हैं। यू.एस.ए. में डेलावेर और लारामी; न्यू साउथ वेल्स विक्टोरिया और साउथ आस्ट्रेलिया सहित आस्ट्रेलिया में मुर्रे नदी बेसिन; और मानीटोबा, अलबर्टा और ससकचिवान के साथ कनाडा में ससकचिवान के संबंध में जो कि इच्छुक राज्य हैं, मुख्य अधो-संघीय विवादों का निपटारा किया गया है।

पूरे विश्व में, विभिन्न देशों में से गुजरने वाली नदियों से संबंधित समस्याओं का समाधान कर लिया गया है। देश में बह रही नदियों से संबंधित समस्याओं का समाधान करने में क्या कठिनाई है? मिश्र और सूडान के बीच नील नदी के जल विवाद का समाधान किया गया था। इसी तरह भारत में बहने वाली नदियों के संबंध में सौहार्दपूर्ण और अंतिम समाधान करने के लिए नदी जल का राष्ट्रीयकरण किया जाए। इस उद्देश्य के लिए मैं इस सभा के माननीय सदस्यों को ध्यान में लाने का प्रयास कर रहा हूं कि विगत में पूरे विश्व में विवादों का समाधान कैसे किया गया है।

नदी जल विवादों के लंबे इतिहास में नदी जल के बंटवारे के संबंध में विभिन्न मत एवं सिद्धांत व्यक्त किए गए हैं और ऐसे विवादों के समझौते के लिए सिद्धांत तैयार करने में अधिकांश निकाय लगे हुए हैं। इनमें से मुख्य संपूर्ण प्रादेशिक संप्रभुता का सिद्धांत है। इसे हारमोन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इसे यू.एस.ए. और मेक्सिको के बीच रीयो ग्रेनेड नदी विवाद के संबंध में संयुक्त राज्य के अटार्नी जनरल हारमोन द्वारा 1895 में दिए गए मत के बाद इस नाम से जाना जाने लगा। इस सिद्धांत के अंतर्गत एक तटवर्ती राज्य दूसरे सह-तटवर्ती राज्यों पर इसके प्रभाव का ध्यान रखे बगैर इस जल का ऐसे प्रयोग कर सकता है जैसा उसे अच्छा लगे, और तटवर्ती राज्य को दूसरे राज्यों से पानी की निरंतर मांग का अधिकार नहीं है। कुछ राज्य इस सिद्धांत का हवाला देने का प्रयास करते हैं और कहते हैं कि संप्रभुता केवल एक तटवर्ती राज्य के पास ही होती है।

तथापि, इस विषय के प्रमुख विशेषज्ञ एवं एक अंतरराष्ट्रीय ख्याति-प्राप्त व्यक्ति एच.ए. स्मिथ के शब्दों में प्रादेशिक संप्रभुता की संपूर्ण सर्वोच्चता का सिद्धांत तत्वत: अराजक है। उन्होंने कहा था कि हर देश को इतना समर्थ बना दिया जाए कि वह अपने पड़ोसी देश को नुकसान पहुंचा सके तो इससे युद्ध के खतरे को टाला जा सकता है इसलिए हम हारमोन सिद्धांत को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। इसी आधार पर भारत में नर्मदा, कृष्णा और रावी तथा व्यास न्यायाधिकरणों ने हारमोन सिद्धांत पर आधारित प्रादेशिक संप्रभुता सिद्धांत को स्पष्टतया अस्वीकृत किया है। बात यह है। भारत में हमने हारमोन सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया है और हमने इसे पूर्णतया अस्वीकार कर दिया है। हम हारमोन सिद्धांत से पूर्णतया सहमत नहीं हैं। यदि इस सिद्धांत को स्वीकार कर लिया जाता है तो एक विशेष राज्य यह कहेगा कि क्योंकि नदी उस राज्य में बहती है तो वह दूसरे तटवर्ती राज्य को उस नदी के जल के उपयोग के संबंध में विशिष्ट अधिकार प्रदान नहीं करेगा। इसलिए भारत ने हारमोन सिद्धांत को अस्वीकार किया है।

दूसरा सिद्धांत, जो कि पूर्ववर्ती सिद्धांत का प्रतिवाद है, प्राकृतिक जल बहाव का सिद्धांत है। इसे प्रादेशिक अखंडता का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक अवर तटवर्ती राज्य ऊपरी तटवर्ती राज्य के हस्तक्षेप के बगैर नदी के प्राकृतिक बहाव का हकदार है क्योंकि इस हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप अवर तटवर्ती राज्य की प्रादेशिक अखंडता का अतिक्रमण होगा जिसकी नदी एक घटक है।

बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में मिस्र ने नील नदी के जल के संबंध में, तटवर्ती राज्य के रूप में सूडान की तुलना में इस सिद्धांत का समर्थन किया। यद्यपि नील जल आयोग ने इस तर्क को अस्वीकार किया, ब्रिटेन ने सूडान का प्रतिनिधित्व करते हुए ऊपरी तटवर्ती राज्य द्वारा जल के उपयोग के संबंध में मिस्र के लिए 1929 में वीटो के अधिकार का प्रयोग किया। यह स्पष्ट रूप से एक राजनीतिक समझौता था।

तीसरा सिद्धांत पूर्व विनियोग का सिद्धांत है। यह ऊपरी और अवर तटवर्ती राज्यों के मध्य निष्पक्ष है। इस सिद्धांत के अंतर्गत प्रथम प्रयोक्ता जो जल का उपयोग करता है ऐसे उपयोग के लिए पूर्व अधिकार अर्जित करता है। पूर्व विनियोग के सिद्धांत ने 'पहले आओ पहले पाओ' नारे को अपनाया है।

यह अंतरराष्ट्रीय विधि का हिस्सा नहीं है। भारतीय मामले में न्यायाधिकरण जिन कानूनों और अंतरराष्ट्रीय साहित्य के अनुसार कार्य करता है उसमें पूर्व विनियोग को जल के आबंटन के लिए अभिभावी सिद्धांत नहीं माना जाता है हालांकि अन्य संगत बिंदुओं के मद्देनजर इसे पर्याप्त अधिमानता दी जाती है।

महोदय, चौथा सिद्धांत 'समुदाय का हित' सिद्धांत है जिसके अंतर्गत पूरे थाले को एक ही आर्थिक इकाई समझा जाता है चाहे किसी भी राज्य की सीमा हो और जल सह-तटवर्ती राज्यों के समुदाय में निहित है जिसका उपयोग सभी के लिए समेकित रूप से अधिकतम लाभ के लिए किया जाता है। तर्कसंगत रूप में यह आकर्षक सिद्धांत है परंतु यह इस तथ्य को नजरअंदाज कर देता है कि जब तक वास्तव में राज्यों की सीमाएं रहेंगी राज्यों के बीच झगड़ों को सभी नदियों को एक आर्थिक क्षेत्र मानकर दूर नहीं किया जा सकता है। तथापि, एक

बार मूल झगड़े निपटा लिये जाएं तो यह वास्तव में संभव होगा कि थाले वाले राज्य अपनी समान परिसंपत्तियों के समेकित विकास में सहयोग करके इसे संभव बना लेंगे।

महोदय, इस सिद्धांत से यह राय बनती है और अक्सर भारत में व्यक्त की जाती है कि अंतर्राज्यीय जल विवाद को हल करने के लिए नदियों को राष्ट्रीयकृत कर दिया जाए। यह मुद्दा है। जब हम पूरे थाले को एक इकाई समझेंगे तो मैं कहूंगा कि पूरे देश को एक इकाई समझा जाए ताकि सभी नदियों में सभी स्थानों पर जल उपलब्ध हो।

कतिपय क्षेत्रों में जब बाढ़ आती है तो बाढ़ लोगों की मृत्यु का कारण बन जाती है। साथ ही साथ कुछ अन्य क्षेत्रों में लोगों को सूखे के कारण कष्ट उठाना पड़ता है और सूखे से मवेशी भी मारे जाते हैं। एक ही समय में देश के एक भाग में बाढ़ से तबाही होती है जबकि दूसरी ओर देश के अन्य भागों में लोग सूखे से पीड़ित होते हैं। अत: समुदाय के हित का सिद्धांत यह राय बनाता है कि नदियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। एच.एम. सीरवई इसके बारे में बताते हैं।

अंतत: अंतर्राज्यीय नदी जल के समान विभाजन और समान उपयोग से संबंधित सिद्धांत अब हमारे पास हैं।

महोदय, सर्वाधिक उल्लेखनीय 'हेलसिंकी नियम' हैं। जो भी व्यक्ति अंतर्राज्यीय नदियों के संबंध में विवादों को निपटाने के बारे में बात करता है, वह हमेशा 'हेलसिंकी नियमों' का उल्लेख करता है। इस संबंध में जो भी संपूर्ण और सर्वविदित रूप से कोशिश की गई वह हेलसिंकी नियमों में अंतर्विष्ट है तथा इसे अनेक वर्षों के विचार-विमर्श के बाद वर्ष 1966 में हेलसिंकी, फिनलैंड में अंतर्राष्ट्रीय विधि संघ के 52वें सम्मेलन में स्वीकृत किया गया। महोदय, कई वर्षों से विभिन्न देशों के गणमान्य नेता एक साथ मिलकर विचार-विमर्श कर रहे थे और अंत में उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला। 'हेलसिंकी नियमों' का यही सिद्धांत था।

हालांकि 'हेलसिंकी नियमों' को अंतर्राष्ट्रीय विधि का दर्जा प्राप्त नहीं है तो भी यह माना जाता है कि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत का दर्जा प्राप्त है क्योंकि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय नदी विधि के क्षेत्र में अपार विशेषज्ञता हासिल विशेषज्ञों के दल के एक दशक से अधिक समय के समर्पित श्रम के बाद बनाया गया है। महोदय, सुविख्यात व्यक्तियों के एक दल ने कई वर्ष इस संबंध में चर्चा की और अंत में अंतर्राष्ट्रीय विधि के क्षेत्र में यह निष्कर्ष निकाला और साथ ही उच्च योग्यता प्राप्त तथा प्रतिष्ठित विधिवेत्ताओं और अंतर्राष्ट्रीय विधिवेत्ताओं ने भी इस संबंध में अपनी राय दी।

हेलसिंकी नियमों में 37 अनुच्छेद हैं। इनमें से अनुच्छेद 4 और 5 'अंतर्राष्ट्रीय निकास बेसिन के पानी के उपयुक्त उपयोग' (इक्विटेबल यूटिलाइजेशन ऑफ दि वाटरस् ऑफ एन इंटरनेशनल ड्रेनेज बेसिन) संबंधी अध्याय-दो में हैं।

हेलसिंकी नियमों की विचारधारा 'पेसिफिक सैटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स' के संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा-पत्र के अनुच्छेद 33 में प्रतिबिम्बित होती है।

महोदय, भारत में 18 मुख्य नदी बेसिनों में से 16, दो या दो से अधिक राज्यों को कवर करते हैं, गुजरात और तमिलनाडु में दो छोटे बेसिन होने के कारण ही यह अपवाद हैं।

जो विवाद पार्टियों के बीच में न निपटाए जा सके और जिन्हें अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 के अंतर्गत न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय लेने के लिए भेजना पड़ा था, वह नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी, रावी और ब्यास तथा कावेरी के संबंध में हैं।

महोदय, कुछ संवैधानिक प्रावधान हैं। मांटेग-चैम्सफोर्ड सुधारों (भारत सरकार अधिनियम, 1919), से पहले लघु परियोजनाओं के अतिरिक्त सभी सिंचाई कार्य केन्द्र सरकार के नियंत्रणाधीन थे और साथ ही राज्य के सचिव की स्वीकृति के अध्यधीन भी थे।

भारत सरकार अधिनियम, 1919 द्वारा सिंचाई को प्रांतीय लेकिन आरक्षित विषय बनाया गया था जहां दो प्रान्तों से संबंध रखने वाले वे मामले जो किसी अन्य क्षेत्र के साथ किसी प्रांत के संबंध को प्रभावित करते हों, को केन्द्रीय विधान मंडल द्वारा विधायन के अध्यधीन रखा गया। वर्ष 1919 में यह स्थिति थी। विधि के अनुसार संसद को पानी के उपयोग, वितरण और नियंत्रण के संबंध में अंतर्राज्यीय नदी घाटियों के जल से संबंधित विवादों का निर्णय लेने का अधिकार दिया गया था। अनुच्छेद 262 के समर्थकारी उपबंध के अंतर्गत बनाया गया विधान का दूसरा भाग अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 के संबंध में है, जिसके बारे में इस अध्ययन में पहले उल्लेख किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री वैको, आपने पहले ही 46 मिनट से अधिक समय ले लिया है। यह आपका ही लाया हुआ विधेयक है और अनेक माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं।

श्री वैको : मैं केवल दो मिनट का समय लूंगा। मैं अधिक समय नहीं लूंगा।

इस चर्चा के दौरान, जहां मैंने गंगा, कावेरी, महानदी और अन्य नदियों का उल्लेख किया है, वहां मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हम अपने पड़ोसी राज्य केरल में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के संबंध में भी चिंतित हैं जिनका पानी अरब सागर में बेकार जा रहा है। इन नदियों के पानी का उपयोग तमिलनाडु के दक्षिणी हिस्से में किया जा सकता है। इससे न केवल तमिलनाडु राज्य में समृद्धि आएगी बल्कि बीच में आने वाले केरल राज्य में भी समृद्धि आ जाएगी। वे इसके बदले में विद्युत ले सकते हैं। हम भी उन्हें चावल दे सकते हैं। जब न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर मंत्री थे, तो उन्होंने इस विचारधारा को बढ़ावा दिया था। ब्रिटिश साम्राज्य के दिनों के दौरान भी ऐसा ही था। ऐसा होना चाहिए। पानी बेकार जा रहा है।

मेरे कुछ मित्र प्रत्येक मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण रखते हैं। उनका सभी मुद्दों पर सार्वभौमिक दृष्टिकोण होगा। लेकिन इस विशिष्ट मुद्दे

[श्री वैको]

पर वे बहुत संकीर्ण प्रवृत्ति के बन गए हैं और जोश से भरे हुए हैं। मैं श्री राधाकृष्णन् जैसे मित्रों का हवाला नहीं दे रहा हूं। वह दूर-दृष्टि रखने वाले व्यक्ति हैं।

मुल्लापेरियार बांध के संबंध में केंन्द्रीय जल एजेंसी ने पहले ही यह कह दिया था कि इसकी ऊंचाई बढ़ाई जानी चाहिए। उससे हजारों एकड़ भूमि की सिंचाई में मदद मिलेगी। उन्होंने इस संबंध में हठी रवैया अपना लिया है। यह स्थिति हममें से किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं है। पम्बा-आचनकोविल-वैप्पार लिंक परियोजना में केरल से तमिलनाडु के सूखाग्रस्त दक्षिणी जिलों में पानी ले जाने का प्रस्ताव है और यदि केरल इस संबंध में अपनी सहमति दे देता है तो यह प्रस्ताव वास्तविकता में बदल जाएगा।

परियोजना के लिए राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी द्वारा तैयार व्यवहार्यता रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया गया है और इसे केन्द्र सरकार के संबद्ध विभागों और एजेंसियों के साथ-साथ दो राज्यों में परिचालित कर दिया गया है। एक दिन, इस चर्चा पर भी गौर किया जाएगा। इसलिए मैं यह सभी तथ्य इस सम्माननीय सभा के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। यह माननीय सदस्यों द्वारा विचार किए जाने तथा ध्यान दिए जाने के लिए है। निश्चय ही इससे न केवल तमिलनाडु राज्य की सहायता होगी बल्कि इससे केरल राज्य और पूरे भारत की भी सहायता होगी। अतः, मैं यही नहीं समझ पा रहा हूं कि वह इस प्रस्ताव पर आपत्ति क्यों रहे हैं।

इसमें केरल की पश्चिम की ओर बहने वाली पम्बा और आचनकोविल नदियों के लगभग 22 टी.एम.सी. अतिरिक्त जल का रुख तिरुनेलवेली कट्टाबोमान् जिले में वैप्पार बेसिन की ओर मोड़ने का प्रस्ताव है। इस पानी का रुख बदलने से तिरुनेलवेली कट्टाबोमान्, चिदाम्बरानार और कामाराजार जिलों में लगभग एक लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करने में मदद मिलेगी। इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 1400 करोड़ रु. है और इसके पूरा होने में आठ वर्ष लगेंगे।

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के अधिकारियों के अनुसार इस प्रस्ताव का भाग्य केरल सरकार के निर्णय पर निर्भर है चूंकि इस समय सिंचाई का विषय राज्य की सूची के अंतर्गत है। इसलिए मैंने कहा था कि इसे समवर्ती सूची के अंतर्गत लाना चाहिए और नदियों का राष्ट्रीयकरण करना चाहिए।

इस प्रस्ताव के अंतर्गत बनाए जाने वाले तीन जलाशयों में से एक पम्बा-कालार अथवा पुन्नामेट्टू के दूसरी तरफ, दूसरा आचनकोविल-कालार के दूसरी तरफ और तीसरा आचनकोविल के दूसरी तरफ बनाया जाएगा। इन जलाशयों की क्षमता क्रमशः 7.34 टी.एम.सी., 17.54 टी.एम.सी. और 1.08 टी.एम.सी. होगी।

पहले दो बांध पुन्नामेट्टू के पानी को आचनकोविल की ओर मोड़ने के लिए आठ किलोमीटर लंबी सुरंग से जुड़े होंगे जहां से पानी को निकालकर आचनकोविल-कालार की ओर भेजा जाएगा। आचनकोविल-कालार से पानी के रुख को पश्चिमी घाटों की ओर जाने वाली एक नौ किलोमीटर लंबी सुरंग द्वारा मोड़ा जाएगा। शेनकोत्ताह के मेकरीह गांव में सुरंग से बाहर निकलने के स्थान एक नहर बनाई जाएगी और वैप्पार की उपनदी, आलगरोदाई तक पहुंचने से पहले लगभग 50 किलोमीटर तक जाएगी।

आचनकोविल-कालार संघ के नीचे 500 मेगावाट का एक बिजली-घर बनाया जाएगा। कुल 8.37 मेगावाट की क्षमता वाले छः छोटे पन-बिजली केन्द्र बनाए जाने का प्रस्ताव है। इनमें से चार तमिलनाडु में बनाए जाएंगे और शेष केरल में बनाए जाएंगे। इस योजना द्वारा होने वाले लाभों में प्रति वर्ष 1000 मिलियन यूनिट ऊर्जा का उत्पादन और लगभग 1.7 टन खाद्य उत्पादन शामिल है जिससे 400 करोड़ रुपए के राजस्व की प्राप्ति का अनुमान है। मूलतः पम्पा और आचनकोविल को वैगाई के साथ जोड़ने का प्रस्ताव था। लेकिन इसकी लागत अधिक हो जाने के कारण इसे वैप्पार से ही जोड़ दिया गया क्योंकि योजना आयोग ने यह अनुमान लगाया था कि विकास परियोजनाओं से, यहां तक कि पिछड़े क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित विकास परियोजनाओं से भी नौ प्रतिशत लाभ हासिल होगा।

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के अधिकारी कहते हैं कि पम्बा और आचनकोविल बेसिनों में उपलब्ध कुल अतिरिक्त जल के केवल 20 प्रतिशत जल का रुख मोड़ने की मांग की जा रही है। हम केवल 20 प्रतिशत अतिरिक्त जल का रुख मोड़ना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त जिस अवधि में मानसून नहीं होता है, उस अवधि के दौरान लगभग पांच टी.एम.सी. फीट जल को नियमित रूप से नदियों में छोड़ने का प्रावधान रखा गया है और इससे नदियों में जल का प्रवाह बढ़ेगा और पानी में खारेपन को कम करने में मदद मिलेगी।

इस प्रस्ताव द्वारा केरल सरकार की "टिविन कालार परियोजना" का विद्युत उत्पादन के लिए पम्बा और आचनकोविल को उपयोग में लाने का मुख्य उद्देश्य पूरा होता है। पानी का रुख मोड़ने से भी केरल की सिंचाई की आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी।

महोदय, किसी न किसी दिन ये सभी परियोजनाएं कार्यान्वित की जानी हैं। मैं, इस उद्देश्य से यह विधेयक पेश करता हूं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस विधेयक पर विचार किया जा रहा है।

यदि हम इसे स्वीकार करते हैं तो इससे संबंधित राज्यों के हितों को प्रभावित किए बिना न केवल विभिन्न राज्यों में पानी का वितरण हो सकेगा बल्कि उपलब्ध संसाधनों का उपयुक्त उपयोग भी होगा।

मैं इस सभा में अपने माननीय मित्रों से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे इस विधेयक को अपना समर्थन दें। मैं अध्यक्षपीठ का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इतने लंबे समय तक बोलने की अनुमति दी।

श्री ई०एम० सुदर्शन नाच्चीयप्पन (शिवगंगा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमें ऐसा विधेयक प्रस्तुत करने के लिए माननीय सदस्य का धन्यवाद करना चाहिए जिसमें वास्तव में लाखों भारतीयों के मन की बात कही गई है।

गांवों में, लोग सोच रहे हैं कि हवा और पानी दोनों ही राष्ट्रीय एकता के चिह्न हैं। जब हम भारतीय रेल के बारे में सोचते हैं तो हम समझते हैं कि यह एक ऐसी मजबूत कड़ी है जो सभी भारतीय राज्यों को आपस में जोड़ती है। इसी प्रकार जब हम नदियों की बात करते हैं तो यह भी माला की तरह ही होनी चाहिए; और भारत की सभी नदियों को आपस में जुड़ी हुई होनी चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो भारत की अखंडता हमेशा के लिए रहेगी।

हमारी सभ्यता का विकास नदियों के किनारे हुआ था। हमारा वैदिक इतिहास हमें यह बताता है कि गंगा से पानी को रामेश्वरम् और रामेश्वरम् से काशी लाए जाने से भारत में एकता की स्थापना हुई। यही हिन्दुओं के तीर्थ स्थलों की एकता है। हिन्दू समझते हैं कि जब वे एक नदी का जल लेकर दूसरी नदी के जल में मिलाते हैं—वे समझते हैं कि उन्हें स्वर्ग से आलौकिक शक्ति मिल रही है। गांवों में प्रत्येक व्यक्ति का यही ख्याल है। भारत की अखंडता का यही मुख्य आधार है। इसलिए जब हम अंतर्राज्यीय नदियों के राष्ट्रीयकरण की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत सभी नदियों के समेकन की बात आ जाती है। इस समय यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है।

रोजगार के क्षेत्र में भी लाभ का प्रश्न उठता है। हजारों इंजीनियर और स्नातक बेरोजगार हैं। कई स्नातक, कई तकनीशियन और कुशल व्यक्ति बेरोजगार हैं। हम उन सभी को एक ही बार में भारत भर में रोजगार दे सकते हैं। बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार में लगाया जा सकता है और नदियों को जोड़ने में उनकी सेवाएं ली जा सकती हैं। इस प्रकार पूरा भारत आपस में जुड़ सकता है। इस कार्यक्रम को व्यापक रूप से चलाया जाना चाहिए। अगर हम इसे इस तरह से करते हैं तो विभिन्न सरकारों द्वारा चलाई गई रोजगार आश्वासन योजना को कार्यान्वित किया जा सकता है। इसे आंशिक रूप में करने की बजाय हमें इसे एक पूरी व्यापक परियोजना के रूप में लेना चाहिए ताकि समुद्र में बहने वाले नदियों के पानी का सही-सही उपयोग किया जा सके। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह काम दामोदर घाटी निगम जैसे किसी निगम के माध्यम से किया जा सकता है। उस निगम ने पड़ोसी राज्यों के लिए अच्छा काम किया है। इस प्रकार नर्मदा और कावेरी जल-विवाद को सुलझाया जा सकता है। हम हर तरीके से साथ हैं। विभिन्न धर्मों, क्षेत्रों और भाषाओं के बावजूद हम एक हैं। तमिल लोग गुजरात में रह रहे हैं, गुजराती तमिलनाडु में, केरल के लोग असम में रह रहे हैं और असमी महाराष्ट्र में। हम बिल्कुल अलग नहीं हो सकते। जब लोग देश के एक भाग से दूसरे भाग में जा सकते हैं तो हम नदियों का पानी क्यों नहीं उपयोग में ला सकते? हम सब भारत की हवा में सांस ले रहे हैं तो हम नदी जल को क्यों नहीं बांट सकते? इसके लिए हमारे पास परिकल्पना का लक्ष्य होना चाहिए। अगर हमारे पास ऐसा लक्ष्य होगा तो हम उसे पा सकते हैं। हमें भाषा या धर्म या किसी दलगत नीति की आवश्यकता नहीं है। इसे सरकार के विधेयक के रूप में स्वीकार करना चाहिए। सरकार को इसे अगले पांच वर्षों के लिए चुनौती के रूप में लेना चाहिए। उन्हें इसको बढ़ावा देना चाहिए।

नौवहन की दृष्टि से भी यह काफी उपयोगी है। सरकार परिवहन पर काफी पैसा खर्च कर रही है तथा आधारभूत संरचना तैयार कर रही है। केवल सड़कें ही भूतल परिवहन का एकमात्र साधन नहीं हो सकती। नौवहन भी भूतल परिवहन का जरिया बन सकता है। अंग्रेजी शासन के दौरान बहुत ही सफल नौवहन की योजना बनाई गई थी। छोटी नदियों को भी सही तटों के साथ जोड़ा गया था और हर जगह नौवहन पद्धति अपनाई गई थी। चेन्नई में कूवम नाम की नदी है। अंग्रेजों के समय उस नदी का प्रयोग चेन्नई शहर में सब्जियां ले जाने के लिए किया जाता था। भारतीय नदी बेसिनों के संबंध में भी यही काम किया जा सकता है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है जिसे प्राथमिक स्तर पर महत्व दिया जाना चाहिए। इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए।

श्री वैको शिवकाशी से चुनकर आते हैं जो एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है; मैं शिवगंगा से संबंधित हूं, वह भी एक पिछड़ा क्षेत्र है और श्री तिरुनावुकारासु पुडुडुकोट्टई के रहने वाले हैं। यह भी एक पिछड़ा जिला है। वहां सूखे का क्या कारण है? हमारे केरल के भाइयों को यह समझना चाहिए कि उनके राज्य के पास वाले क्षेत्र में पानी की कमी है। जैसा कि श्री वैको ने कहा है, हम बिजली ले सकते हैं। वे जमीन ले सकते हैं। वे जमीन खरीद सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं। हम सभी भाई हैं और हमें भाई जैसा ही व्यवहार करना चाहिए। नदियों के पानी को समुद्र में बहने दिए जाने की बजाय, हम उस पानी को शिवकाशी और शिवगंगा जैसे पिछड़े जिलों के विकास के लिए उपयोग कर सकते हैं। मुल्लई-पेरियार का मुद्दा अब विवाद बन गया है। इस बारे में कोई विवाद नहीं होना चाहिए। पानी तो बेकार ही अरब सागर में बह रहा है। इसे हमारे उपयोग के लिए दिया जाना चाहिए।

परंतु सर्वोच्च न्यायालय को इस मामले की सूचना दे दी गई है। हम सभी भाई हैं। हमें भारत की अखंडता के लिए काम करना चाहिए। भारत की अखंडता के लिए हम सभी का एक-सा ही रवैया होना चाहिए। हमारे अंदर यह भावना होनी चाहिए कि यह हमारा भारत है और हमें इसका विकास करना है। हमें राज्य की सीमाओं पर जोर नहीं देना चाहिए। वास्तव में, मैं राज्य की स्वायत्तता के संबंध में विवाद नहीं करना चाहता परंतु जहां तक हमारा संबंध है सीमाएं केवल नक्शों में ही होनी चाहिए। हम अखंड राष्ट्र पर बहुत गर्व करते हैं। सुबह हिन्दी भाषा पर चर्चा हुई थी। अगर हिन्दी भाषा का विकास एक ऐसी भाषा के रूप में किया जाता है जिसमें तमिल, तेलुगु या गुजराती के शब्द शामिल हों तो कोई भी यह नहीं कह सकता कि हमारे अंदर हिन्दी की भावना घर कर गई है। महात्मा गांधी ने कहा था कि हिन्दी भाषा में अन्य भाषाओं के भी शब्द होने चाहिए ताकि प्रत्येक भारतीय इसे बोल सके। इसमें इस प्रकार की एकता का कार्य होना चाहिए। अमेरिकी, जर्मन, फ्रांसिसी और अंग्रेज लोगों ने भाषा का एकीकरण किया और उसे स्वर्ग जैसा बना दिया। वहां एकीकरण की भावना है जिसके परिणामस्वरूप वे प्राकृतिक संपदा का बंटवारा कर रहे हैं जो संभवत: उनमें से प्रत्येक के पास है और शायद इसीलिए वे दुनिया पर शासन कर रहे हैं। भारत जैसी उभरती हुई महाशक्ति ऐसा क्यों नहीं कर सकती? हमें उन राज्यों में पानी देना चाहिए जहां इसकी कमी है। रोजी-रोटी के लिए विभिन्न जातियों के लोग अपने-अपने राज्यों से अन्य राज्यों

[श्री ई०एम० सुदर्शन नाच्चीयपन]

में जा रहे हैं। काफी संख्या में पंजाबी लोग मेरे राज्य में रह रहे हैं। वहां उनके बड़े उद्योग हैं। इसी प्रकार मेरे राज्य के लोग केरल या गुजरात जाकर रहते हैं। इस प्रकार यही सही समय है तथा मैं आपके माध्यम से सभा से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस अवसर का लाभ उठाएं तथा एक सरकारी विधेयक के रूप में इस पर विचार करें। मेरा यह सुझाव है कि इसे समिति को भेजा जाना चाहिए जहां दलगत नीति से हटकर सदस्य अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं तथा सभा एकमत से इसे पारित कर सकती है। हम सभी को मिलकर यह सोचना चाहिए कि हमारा भारत सचमुच हमारा है।

डा. नीतिश सेनगुप्ता (कोन्टाई) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक के समर्थन में बोलूंगा जिसे मेरे मित्र श्री वैको ने काफी गहन विश्लेषण करके काफी सामग्री सहित तथा ऐसे दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत किया है जो ऐसे विधेयकों को प्रस्तुत करते समय प्राय: लुप्त होती है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक का उद्देश्य निश्चित रूप से हमारी नदियों, जो इस उपमहाद्वीप की कुछ बड़ी नदियां हैं, को वह महत्व पुन: दिलाना है जो इतिहास में उन्हें प्राप्त था। महोदय, भारत नदियों का देश है। उत्तरी भारत में सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदिया हैं। दक्षिण भारत में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और अन्य सभी नदियां हैं। अब कई वर्षों से हमने उन्हें अनदेखा कर दिया है।

रेलवे के बनने से पहले, वे नौवहन तथा सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण जरिया थीं। रेलवे के बनने से हमने इन नदियों की तरफ ध्यान नहीं दिया है। मुझे खुशी है कि श्री वैको ने 'नौवहन' शब्द जोड़ा है। मैंने सोचा था कि इस विधेयक में 'नौवहन' का उल्लेख नहीं हुआ है। परंतु उन्होंने इसका उल्लेख किया है और हम 'नौवहन' को इस विधेयक के प्रमुख उद्देश्य के रूप में मान सकते हैं।

अब, उन्होंने हमारी नदियों के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय नदियों और तटवर्ती राज्यों के अधिकारों को अंतर्राष्ट्रीय कानून की तरह ही शामिल करने की कोशिश किया है। यूरोप के मामले में भी डैन्यूब और राईन नदियां किसी विशेष देश से संबंधित नहीं है बल्कि पूरे यूरोप से संबंधित हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय नदियां हैं। इसी प्रकार, अफ्रीका में नील, उत्तरी अमेरिका में कोलम्बिया और अन्य अनेक नदियां किसी भी राष्ट्र से संबंधित नहीं हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय नदियां हैं और सभी अंतर्राष्ट्रीय नियम उन पर लागू होते हैं। उन्होंने अपने मामले में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों, मामले के ब्यौरे, विभिन्न सिद्धांतों इत्यादि को भी शामिल किया है। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि कुछ भी शामिल करने की आवश्यकता है।

पूरी बात का सारांश यह है कि उन्होंने पूर्व विनियोजन के संदर्भ में सामुदायिक हितों के सिद्धांत की बात का उल्लेख किया है। हां, कोई भी किसी नदी पर अधिकार जमाकर अपनी प्राथमिकता का अधिकार जता सकता है। किंतु वे भविष्य में सदैव प्राथमिकता का दावा नहीं कर सकते हैं। अंतत: हमें जनहित के बारे में सोचना होगा और यह संपूर्ण विधेयक इसी बारे में है।

मैं इस प्रस्ताव का भी समर्थन करता हूं कि हमें जल को संविधान की समवर्ती सूची में लाना होगा क्योंकि यह केवल राज्य सूची का विषय नहीं है। यह अपरिहार्य रूप से राष्ट्रीय मामला है।

अब इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का पुरजोर समर्थन करता हूं और इसका तहेदिल से समर्थन करता हूं। इस विधेयक के पारित होने पर मेरे विचार से हमारी अनेक समस्याएं हल हो जाएंगी। जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री ने अनेक राज्यों के बीच दीर्घकाल से चले आ रहे नदी जल विवादों का समाधान किया, जो कम से कम पिछले दो या तीन दशकों से देश को परेशान कर रहे थे, वह प्रशंसनीय है। यदि हम इस विधेयक को पारित करते हैं तो यह संभव है कि केन्द्र सरकार योजना आयोग और अन्य निकायों की सहायता से समस्या का ऐसा समाधान ढूंढे जो सभी को स्वीकार्य हों और जो सभी संबंधित राज्यों के पारस्परिक हित में हों।

इस संदर्भ में मैं इस तथ्य का उल्लेख भी करना चाहता हूं कि जब बंगलादेश के साथ फरक्का समझौता हुआ था तो 40,000 क्यूसेक पानी देने का वायदा किया गया था। किंतु किन्हीं कारणों से जल की यह मात्रा नहीं मिली। मेरा मानना है कि कुछ राज्यों ने हड़पने के अधिकार की अपनी प्राथमिकता का प्रयोग किया है। फलत: जब गंगा बंगलादेश में पहुंचती है तो उसमें इतनी मात्रा में जल नहीं होता है जिससे कलकत्ता पत्तन वास्तव में कार्य कर सके और हमारे सहयोगी देश बंगलादेश को पर्याप्त मात्रा में जल प्राप्त हो सके। अत: यह वांछनीय है कि इन नदियों पर पूर्णत: केन्द्र सरकार का नियंत्रण हो। पचास और साठ के दशक में गंगा-कावेरी नदियों को जोड़ने की एक बड़ी योजना बनाई गई थी। यदि यह योजना कार्यान्वित की जाती तो कई समस्याएं हल हो सकती थी। किंतु अभी तक यह योजना कार्यान्वित नहीं की गई है। देश में गंभीर समस्याएं हैं। किंतु यदि केन्द्र को राष्ट्रीय नदियों के संबंध में राष्ट्रीय निर्णय लेने की अनुमति दी जाए तो ये समस्याएं काफी हद तक हल हो जाएंगी। नि:संदेह यह कार्य राज्यों के साथ परामर्श कर किया जाना चाहिए और इन समस्याओं का समाधान उनके पारस्परिक हितों पर आधारित होना चाहिए।

नौवहन के संबंध में, इन नदी मार्गों को नौवहन योग्य बनाया जाना सरल है और यह कार्य केन्द्र ही कर सकता है तथा यदि ऐसा किया गया तो हमारी कई समस्याएं हल हो जाएंगी। हमें प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाजार से महंगा डीजल आयात न करना पड़े जिस पर हमें प्रतिवर्ष 7500 करोड़ रुपए या उससे अधिक राशि खर्च करनी पड़ रही है। नौवहन काफी सस्ता होगा। मैं एक उदाहरण देता हूं कि विजाग (विशाखापत्तनम) इस्पात संयंत्र से बीजिंग को एक टन इस्पात का निर्यात करना सड़क मार्ग द्वारा वहां से चंडीगढ़ एक टन इस्पात भेजने से 28 डालर सस्ता पड़ता है। यदि यह विधेयक पारित किया गया तो गंगा व कावेरी को जोड़ा जा सकता है और कई समस्याएं हल हो जाएंगी और भारत को दुर्लभ विदेशी मुद्रा की बचत होगी।

फिर सिंचाई के लिए नदी जल के उपयोग का प्रश्न उठता है। स्वर्गीय राजीव गांधी ने गंगा नदी को पुन: उपयोग में लाने योग्य बनाने के लिए एक बड़ी योजना बनाई थी। किंतु तब से पंद्रह वर्ष बीत गए

किंतु कोई खास कार्य नहीं किया गया हालांकि इस पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। मैं नहीं जानता हूं कि वह पैसा कहां गया। यदि आप गंगा के प्रवाह को देखें तो हरिद्वार के बाद कोई नदी ही नहीं है। कानपुर जैसे कई स्थानों पर पवित्र गंगा गंदा नाले जैसी बन गई है। गंगा के ये हाल हैं। हमें गंगा को पुनरुज्जीवित करना होगा। हमें गंगा को ब्रह्मपुत्र से जोड़ना होगा और फिर हमें गंगा-ब्रह्मपुत्र-कावेरी को जोड़ना होगा। हमें इन सभी प्रमुख योजनाओं को कार्यान्वित करना होगा ताकि ऐसा समय आए जब इन नदियों का उपयोग नौवहन के लिए किया जा सके और इनके जल का सिंचाई और जल-विद्युत के उत्पादन के लिए उपयोग किया जा सके। उसके लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि हम केन्द्र सरकार को अंतिम निर्णय लेने की शक्ति दें। इसके लिए हमें जल संसाधन विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित करना होगा।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का पूर्ण समर्थन करता हूं जिसे श्री वैको द्वारा बड़ी कुशलता से पेश किया गया है।

श्री खारवेल स्वाईं (बालासोर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री वैको द्वारा पेश किए गए विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

विधेयक को पुर:स्थापित करते समय वे इसके बारे में सविस्तार से बोले थे। मैं नहीं समझता कि सभी अंतर्राज्य नदियों का राष्ट्रीयकरण करके जल के समान वितरण के बारे में जो कुछ पहले ही कहा जा चुका है मैं उसमें कुछ और जोड़ सकूं। मूलत: उन्होंने संपूर्ण विश्व में नदी जल विवादों के बारे में पूरा ब्यौरा दिया है। किंतु जो मूल बात उन्होंने उठाई है वह पेयजल की कमी है, नदी जल के संबंध में कोई समस्या विवाद तब बनती है जब पानी की कमी होती है। कावेरी जल के बारे में विवाद है क्योंकि कावेरी में पानी कम है। कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों ही कावेरी जल का पूरा उपयोग करना चाहते हैं, इसीलिए टकराव पैदा होता है।

परंतु पूर्वोत्तर क्षेत्र में, जो मेरा क्षेत्र है, पानी की कमी नहीं है। वहां पर पानी की अधिकता की समस्या है। अत: मेरा कहना है कि पानी की अधिकता नियंत्रित करने के लिए भी अंतर्राज्य नदी जल का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। भारत में कोई ऐसी नदी नहीं है जो अंतर्राज्यीय न हो। भारत में कोई ऐसी नदी नहीं है जिसका उद्गम किसी राज्य में हो और उसी राज्य में बहती हुई समुद्र में गिरती हो। देश की सभी नदियां कई राज्यों से होकर बहती हैं।

मैं उड़ीसा का रहने वाला हूं। ब्राह्मणी, वैतरणी, सुवर्णरेखा और महानदी नदियों को ही लें। इन सभी नदियों का उद्गम मध्य प्रदेश या बिहार में है। उनमें से कुछ पश्चिम बंगाल बहती हुई उड़ीसा पहुंचती हैं। अत: ये मूलत: अंतर्राज्यीय नदियां हैं।

मैं एक और उदाहरण देता हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र बालासोर में सुवर्णरेखा नदी बहती है। इसे बालासोर की झांग ही माना जाता है। वर्ष-दर-वर्ष इस नदी ने हमारे जिले में हजारों लोगों का जीवन बर्बाद किया है। विगत पचास वर्षों से इस नदी को नियंत्रित करने के प्रस्ताव बनाए जा रहे हैं। ये प्रयास बिहार में किए जा रहे हैं क्योंकि इसका उद्गम बिहार में है। बिहार सरकार ने बाढ़ के जल को नियंत्रित करने के लिए चांडाल और गलूडीहा में बांध बनाने का कार्य आरंभ किया है। इन दो बांधों का निर्माण कार्य पिछले पचास वर्षों से चल रहा है। यह कार्य उस समय से जारी है और भगवान जाने यह कब पूरा होगा। माननीय जल संसाधन मंत्री यहां बैठे हैं। मैं उनका मतदाता हूं। वे हमारे निर्वाचन क्षेत्र के हैं। मैं किसी और क्षेत्र का संसद सदस्य हूं किंतु वे हमारे संसद सदस्य हैं। मेरा मानना है कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं क्योंकि 1971 से इस सम्माननीय सभा के लिए पांच बार निर्वाचित होने के बाद वे जल संसाधन मंत्री बने हैं। कुछ दिनों पूर्व ही वे बिहार दौरे पर गए और गलूडीहा और चांडिल में इन बांध स्थलों को देखने गए। वे कह रहे थे कि बिहार सरकार का इरादा इन बांधों का निर्माण कार्य पूरा करने का नहीं है। इन बांधों के निर्माण का 95 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है और केवल 5 प्रतिशत शेष रह गया है। इस कार्य के पूरा होने पर ही यह बांध चालू होगा। किंतु यह कार्य पूरा नहीं हुआ है। राज्य सरकार इस कार्य को पूरा करना क्यों नहीं चाहती है? वह इसे पूरा करना नहीं चाहती है। यदि सुवर्णरेखा नदी का राष्ट्रीयकरण किया जाता तो ऐसी समस्या नहीं होती। बांधों का निर्माण कार्य वर्षों पहले पूरा कर दिया जाता। इस प्रकार उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बिहार में फसल व खेत ठीक रहते। इसीलिए मेरा आपसे आग्रह है कि बाढ़ नियंत्रण और प्रत्येक बाढ़ प्रवण क्षेत्र के प्रबंधन के लिए मास्टर प्लान बनाया जाए। बाढ़ नियंत्रण और प्रबंधन के संबंध में रणनीति प्रत्येक बाढ़ प्रवण क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण के लिए ठोस जलसंभर प्रबंधन और जहां व्यवहार्य हो जल भंडारण परियोजनाओं के लिए पर्याप्त आवंटन का प्रावधान कर बाढ़ की तीव्रता कम करने की होनी चाहिए।

जल को पैदा नहीं किया जा सकता है। इसकी मात्रा सीमित है। जिस हिसाब से इस देश की जनसंख्या बढ़ रही है उसको देखते हुए 20 से 30 वर्ष बाद बढ़ती जनसंख्या के लिए नहाने-धोने, सिंचाई और पीने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होगी। उन्हें हर कार्य के लिए पानी की आवश्यकता होगी। किंतु पानी की मात्रा बढ़ने वाली नहीं है। जैसा मैंने कहा है पानी की मात्रा सीमित है। फिर हमें पेयजल कहां से मिलेगा? समुद्र से पेयजल नहीं मिल सकता है? यदि आप जल संचय करें तो पेयजल नदियों से ही मिलेगा। उस तरह से आप न केवल बाढ़ नियंत्रण कर सकते हैं अपितु भूमिगत जल भी उपलब्ध होगा। नदियों पर बांध बनाकर जल भंडारण से भूमिगत जल स्तर में भी वृद्धि होगी। देश में प्रतिवर्ष भूमिगत जल स्तर 10-15 मीटर गिरता जा रहा है और लगभग 10-15 वर्ष बाद आपको पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा क्योंकि देश में उपलब्ध जल के अधिकांश भाग का उपयोग सिंचाई परियोजना के लिए किया जाता है। हम खेतों की सिंचाई पेयजल से कर रहे हैं। फिलहाल यह ठीक है। किंतु 20-30 वर्ष बाद क्या होगा? राज्य सरकारें या केन्द्र सरकार चाहती है कि प्रत्येक व्यक्ति को जल नि:शुल्क उपलब्ध कराया जाए क्योंकि वे मानते हैं कि जल बेकार की चीज है। किसान भी सोचता है कि यह बेकार चीज है क्योंकि उसे इसके लिए कुछ देना नहीं पड़ता है। इसीलिए यदि जल बेकार भी बहता है तो वह इसकी परवाह नहीं करता है। कुछ वर्ष बाद जब पीने के लिए भी पानी नहीं मिलेगा तो वास्तविक समस्या पैदा होगी इसीलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि बाढ़ नियंत्रण के

[श्री खारवेल स्वाइं]

लिए विभिन्न राज्यों द्वारा अलग-अलग उपाय न किए जाएं। बाढ़ नियंत्रण के बारे में एक राष्ट्रीय योजना बनाई जानी चाहिए। मेरा दूसरा प्रस्ताव यह है कि केन्द्रीय स्तर पर एक योजना बनाई जानी चाहिए और जो राज्य बाढ़ नियंत्रण उपाय करना चाहता है उसे केन्द्र सरकार या भारत सरकार के बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का पालन करना चाहिए।

अपराह्न 5.00 बजे

महोदय, मैं अपना भाषण दो-तीन मिनट में पूरा करता हूं। अंत में मैं माननीय जल संसाधन मंत्री से आग्रह करता हूं कि वे इस मामले पर गौर करें। मेरे विचार से वे कहीं चले गए हैं। तथापि पूर्व जल संसाधन मंत्री यहां उपस्थिति हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वे इस बात को नोट करें।

उपाध्यक्ष महोदय : वे माननीय जल संसाधन मंत्री के लिए बातें नोट कर रहे हैं।

श्री खारवेल स्वाइं : हां, वे ऐसा करेंगे। मैं उनसे ऐसा करने की अपील करूंगा।

अब मैं अपनी दूसरी बात पर आता हूं। सुवर्ण रेखा नदी न केवल उड़ीसा के बालासोर जिले में तबाही मचा रही है अपितु यह इस जिले के भोगराय विकासखंड में जलभराव की समस्या भी पैदा कर रही है. तेरह-चौदह ग्राम पंचायतें प्रति वर्ष तीन-चार माह जल मग्न रहती हैं और वहां पर परिवहन का एकमात्र साधन नाव रहती है। इन गांवों में आप किसी के घर केवल नाव से ही जा सकते हैं। इस समस्या के कारण हर वर्ष हमारी खरीफ के मौसम में धान की फसल नष्ट होती है... *(व्यवधान)*

महोदय, जल संसाधन मंत्री आ गए हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि कम से कम बिहार में चांडिल और गलूडीही परियोजनाएं शीघ्र पूरी की जाएं ताकि सुवर्णरेखा नदी में बाढ़ की स्थिति नियंत्रित की जा सके। चूंकि माननीय जल संसाधन मंत्री यहां आ गए हैं अत: मैं उनका ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया इस बात को दोहराएं नहीं, उन्होंने जल संसाधन मंत्री के लिए इस बात को नोट कर लिया है। अन्य माननीय सदस्य भी वाद-विवाद में भाग लेना चाहते हैं। आपके सामने बैठे प्रो. रासा सिंह रावत प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे वाद-विवाद में भाग लेने के लिए उत्सुक हैं। कृपया अब अपनी बात समाप्त करें।

श्री खारवेल स्वाइं : महोदय, मैं अपना भाषण एक मिनट के भीतर समाप्त करता हूं... *(व्यवधान)*

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी) : मैं इस समस्या से भली-भांति परिचित हूं क्योंकि हम उसी क्षेत्र से आते हैं।

श्री खारवेल स्वाइं : मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि आप हमारे क्षेत्र के संसद सदस्य हैं। आप हमारे मंत्री हैं। मैं आपका मतदाता हूं। अत: मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वह बालासोर जिले के भोगराय विकासखंड में जलभराव की समस्या को हल करने के लिए आगे आएं। पिछले तीस वर्ष से हम राज्य सरकार से इस समस्या को हल करने का आग्रह कर रहे हैं। अत: मैं माननीय मंत्री से आग्रह करता हूं कि वे इस मामले पर ध्यान दें और यह सुनिश्चित करें कि प्रतिवर्ष धान की फसल नष्ट न हो। यदि जलभराव की समस्या न हो तो कम से कम हम वहां दूसरी फसल उगा सकते हैं।

अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं माननीय सदस्य श्री वैको द्वारा पुर:स्थापित विधेयक का पूर्ण समर्थन करता हूं। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे यह न सोचें कि यह महज एक गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक है। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे इसे सरकारी विधेयक के रूप में स्वीकार करें। वाद-विवाद के अंत में वे माननीय सदस्य से यह आग्रह न करें कि वे विधेयक को वापस लें। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि संबंधित मंत्री माननीय सदस्य से यह कहते हुए विधेयक को वापस लेने का अनुरोध करता है कि इस विषय पर सरकार बाद में एक विधेयक लाएगी। मंत्री जी कृपया ऐसा न कहें। कृपया इसे सिद्धांतत: स्वीकार करें। कृपया यह सुनिश्चित करें कि अंतर्राज्यीय नदियों का राष्ट्रीयकरण हो और संपूर्ण देश में व्याप्त बाढ़, पानी की कमी और जलभराव की समस्याएं हल हों।

[हिन्दी]

प्रो० रासासिंह रावत (अजमेर) : मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वैको जी द्वारा सदन में अंतर्राज्यीय नदियों का राष्ट्रीयकरण विधेयक, 1999 बिल का पुरजोर समर्थन करता हूं। यह अत्यंत खेद का विषय है कि स्वाधीनता के लगभग 53 वर्षों के बाद भी हमने राष्ट्र के अंदर राष्ट्रीय जल नीति तो कहने के लिए बना ली, जल को राष्ट्रीय संपत्ति भी कहने को मानने लगे, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ही समय पहले प्रधान मंत्री जी की अध्यक्षता में सारे राज्यों के जल संसाधन मंत्रियों की एक बैठक हुई जिसमें हम राष्ट्रीय जल प्राधिकरण का निर्माण नहीं कर पाए, इससे बढ़कर विडंबना और क्या हो सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय, जल परमपिता परमात्मा की देन है। हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है—आपोवहि ब्रह्म:। जल ही ईश्वर है, जल ही जीवन है। अब्दुर्रहीम खानखाना साहब ने स्पष्ट कहा था—"रहिमन पानी राखिये बिन पानी सब सून, पानी गये न ऊबरे, मोती, मानस, चून।" जल की हमेशा रक्षा होनी चाहिए।

उर्दू में आबरू शब्द आता है—आब के मायने चमक और आब से जल बना तो संसार की सब भाषाओं के अंदर, सब देशों के अंदर जल को अत्यधिक महत्व प्रदान किया गया है। ईश्वरीय प्रदत्त जो हमारे पास यह तत्व जल है, उस जल का उपयोग हम मानव मात्र के लिए, समस्त राष्ट्र के लिए नहीं कर सके, इससे बढ़कर विडंबना और क्या होगी। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वैको साहब द्वारा जिस भावना से यह बिल प्रस्तुत किया गया है, उसका पुरजोर समर्थन करता हूं और कहना चाहता हूं कि जो नदी एक राज्य में नहीं बल्कि एक से अधिक राज्यों में बहकर जाती है, उस नदी

के पानी को राष्ट्रीय संपत्ति माना जाना चाहिए और उसका नियंत्रण केन्द्रीय सरकार के अधीन रहना चाहिए ताकि उस जल का समुचित उपयोग हो सके। खेद है कि आजादी के बाद हम राष्ट्रीय और भावात्मक एकता की बात करते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ा पेड़ था। पेड़ पर हजारों पक्षी रहते थे। एक नादान व्यक्ति वहां से गुजर रहा था और उसके हाथ में मिट्टी के तेल का पीपा था। उसके मन में भावना पैदा हुई कि इस पेड़ को जला देना चाहिए। उसने पेड़ पर मिट्टी का तेल छिड़क दिया आग लगा दी। और देखते ही देखते पेड़ धू-धू कर जलने लगा। हमारे सांसदों जैसा कोई विद्वान् व्यक्ति रास्ते से जा रहा था तो उसने कहा :

आग लगी इस पेड़ को जलने लग गए पात

तुम क्यों जलते पखेरुओं पंख तुम्हारे साथ।

इस पेड़ के पत्ते जलने लगे हैं, मगर पक्षियो, तुम क्यों जल रहे हो, तुम्हारे पास तो पंख हैं, उड़ जाओ। उस समय माननीय, आप जैसा कोई विद्वान् पक्षी था जिसने उत्तर दिया :

फल खाए इस वृक्ष के, गंदे कीने पात

यही हमारा धर्म है, जलें इसी के साथ।

इस पेड़ के फलों को हमने खाया है, पेड़ के पत्तों को गंदा किया है, आज इस पेड़ पर मुसीबत आई है तो हमारा फर्ज है कि हम इसका साथ दें। इसी प्रकार अगर तमिलनाडु पर संकट आता है तो राजस्थान के व्यक्ति को सोचना चाहिए कि हमारे राष्ट्र के एक व्यक्ति पर अगर संकट आया है तो यह हमारा संकट है। असम में संकट आता है तो कश्मीर के व्यक्ति को अनुभव होना चाहिए, गुजरात का संकट अरुणाचल को अनुभव होना चाहिए। यह नहीं, कि पंजाब, हरियाणा सतलुज लिंक नहर के लिए कहते हैं कि उसमें पानी जाएगा तो हम भर देंगे। मैं जानता हूं पंजाब हमारे देश की मंडी है, पंजाब हमारे देश का गौरव है, पंजाब हमारे देश की शान है, लेकिन पंजाब की नदियों का पानी अगर बहकर पाकिस्तान में चला जाए तो वह तो मंजूर है लेकिन पंजाब का पानी हरियाणा या राजस्थान के सूखे रेगिस्तान में इंदिरा गांधी नहर और बीकानेर की गंग नहर और दूसरी नहरों के माध्यम से आए तो वह कुछ लोगों को मंजूर नहीं होता। जब हम एक राष्ट्र के निवासी हैं, एक राष्ट्र के रहने वाले हैं, एक ही माता के बेटे हैं, एक आसमान के नीचे इन सब गुरुओं को मानने वाले और आस्था में विश्वास रखने वाले एक मातृभूमि के बेटे हैं, फिर पानी का झगड़ा क्यों? कहते हैं कि पहले पंजाब का अधिकार है, लेकिन पंजाब में सब काम करने के बाद अगर पानी बचता है तो पास वाले राज्य को दिया जाना चाहिए, समुद्र में पानी बेकार नहीं जाना चाहिए। चाहे केरल का पानी हो, चाहे तमिलनाडु का पानी हो, चाहे आंध्र प्रदेश का पानी हो, चाहे कर्नाटक का पानी हो, जो के.एल. राव पहले सिंचाई मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि गंगा का पानी बाढ़ के माध्यम से बहकर समुद्र में चला जाता है, क्यों नहीं उस उत्तर के पानी को दक्षिण में पहुंचाया जाए तो राष्ट्र में एक भावात्मक एकता उत्पन्न होगी। राष्ट्रीय जल नीति में भी 1987 में जो जल नीति बनाई गई थी, उसमें माना गया कि

[अनुवाद]

राष्ट्रीय जल नीति राष्ट्र के इस संकल्प को स्पष्ट करती है कि जल संसाधनों का नियोजन और विकास राष्ट्रीय परिपेक्ष्य द्वारा शासित होगा।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जल संसाधनों का विकास और नियोजन राष्ट्र को ध्यान में रखकर किया जाएगा। जब यह राष्ट्रीयकरण है तो "माताभूमि पुत्रोअहं पृथिव्यां" अर्थात् यह भूमि मेरी माता है और मैं इसका बेटा हूं। हम सब भारत माता के बेटे हैं और एक अरब से ज्यादा हैं और फिर एक प्यासा रहे और एक पानी फैलाता रहे यह कौन पसंद करेगा। इसलिए मैं समझता हूं कि राष्ट्र के हित में माननीय बैको साहब द्वारा प्रस्तुत जो बिल है, जिसका उन्होंने विस्तार से विवेचन किया, अंतर्राज्यीय नदियों का राष्ट्रीयकरण विधेयक, इसका मैं पुरजोर समर्थन करता हूं और भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि जैसे 1981 में राष्ट्रीय जल विकास अधिकरण बना, 1983 में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद् बनी, मार्च 1983 में उसका गठन हुआ, 1987 में राष्ट्रीय जल नीति का निर्माण हुआ, सितंबर 1990 में राष्ट्रीय जल बोर्ड बना, लेकिन जल प्राधिकरण नहीं बना, उसका निर्माण हो और इसमें जो प्रावधान हैं नदियों का उपयोग सारे राज्य कर सकें तो वह काम केन्द्र सरकार द्वारा होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, इधर भाखड़ा ग्रिड के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय में हरियाणा, पंजाब और राजस्थान का मामला चल रहा है। मैं क्षमा चाहूंगा माननीय सदस्य महानुभावों से, अगर हमारे तीनों प्रदेशों के मुख्य मंत्री एक स्थान पर बैठकर इसका हल निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। हम एक भारत माता के बेटे हैं, हमारे एक तरह के हित हैं और यदि हम राष्ट्रीय हित में विकास चाहते हैं, तो हमारा आपस में कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए और सबको जिसका जितना हिस्सा पानी का बनता है, उतना हिस्सा दिया जाए, तो राजस्थान का रेगिस्तान फसलों से लहलहा उठेगा। राजस्थान का रेगिस्तान चमन बन जाएगा। वहां पिछले दिनों जो सूखा पड़ा और वहां ट्रेनों और टैंकरों के माध्यम से पानी पहुंचाया गया, वैसी स्थिति नहीं आएगी। "मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीर-मोती" यह बात होनी चाहिए। खूब फसल पैदा होगी, अन्न की कमी नहीं रहेगी, धन-धान्य से भरपूर रहेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, जब पानी राष्ट्रीय संपत्ति बनने वाली है, तो उससे बनने वाली बिजली पर भी राष्ट्रीय नियंत्रण होगा। आज जो यहां हमारी ऊर्जा मंत्री विराजमान हैं, उन्हें एक दूसरे राज्य की बिजली की कटौती करने की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज राजधानी दिल्ली में हरियाणा से पानी आ रहा है। हरियाणा कभी कह दे कि हमारे पास पानी नहीं है और हम दिल्ली को पानी नहीं देते, तो दिल्ली को यदि हरियाणा और उत्तर प्रदेश से पानी नहीं आएगा, तो दिल्ली का काम कैसे चलेगा क्योंकि दिल्ली के पानी का स्रोत तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश ही हैं। इसलिए नदियों को राष्ट्रीय संपत्ति मानकर राष्ट्रीय नियंत्रण होना चाहिए।

मान्यवर, मैं एक बात कहकर अपना स्थान ग्रहण करूंगा।

[प्रो० रासासिंह रावत]

[अनुवाद]

"केन्द्रीय सरकार का सभी अंतर्राज्यीय नदियों पर अनन्य अधिकार और नियंत्रण होगा और वह पूर्व निर्धारित फार्मूले के अनुसार जल का बंटवारा करेगी।"

[हिन्दी]

जो जल तकनीक को जानने वाले इंजीनियर्स हैं और जो कृषि मामलों के विशेषज्ञ हैं वे बताएंगे कि कौन से राज्य को आवश्यकता के अनुसार कौन से मौसम में कितनी मात्रा में पानी चाहिए, उसका निर्धारण विशेषज्ञ लोग करेंगे। इसमें आगे दिया है–

"केन्द्रीय सरकार का अंतर्राज्यीय नदियों पर निर्मित विद्युत परियोजनाओं पर अनन्य अधिकार होगा।"

विद्युत परियोजनाओं पर भी केन्द्र का अधिकार होगा और इस प्रकार से सारे राज्यों के हितों की रक्षा हो सकेगी, ऐसा मैं समझता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें एक चीज और कही गई है।

[अनुवाद]

"देश में अनेक छोटी-बड़ी नदियां हैं जो निकटतम समुद्र में गिरने से पूर्व कई राज्यों से होती हुई बहती हैं।"

[हिन्दी]

अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि हमारे देश की हालांकि पाकिस्तान के साथ नदी के पानी को लेकर संधि है और फरक्का बांध का समझौता भारत-बंगलादेश के बीच हुआ है, अब जब हम पड़ौसी देश का ध्यान रखते हैं और पड़ौसी के साथ उदारता बरतते हैं, तो अपने देश के अंदर राज्यों में ऐसी सदाशयता क्यों नहीं दिखाते? मिनीकाय द्वीप में पानी की कमी नहीं हो सकती है, क्योंकि वह चारों तरफ से समुद्र से घिरा है वहां रोजाना वर्षा होती है, लेकिन राजस्थान जहां 14 वर्ष में बादल दिखाई देते हैं, तो लोग देखकर हैरत करते हैं और मुश्किल से जान पाते हैं कि बादल ऐसे होते हैं, हालांकि अब भौगोलिक परिवर्तन आ गया है और जैसलमेर जैसे सूखे और रेत से भरे रेगिस्तान में भी बाढ़ आनी शुरू हो गई है। अब तो देश की स्थिति यह है कि कहीं अतिवृष्टि है, कहीं सूखा है, कहीं ओलावृष्टि है और कहीं अनावृष्टि है।

"भरत का बजट मानसून का जुआ है।"

भारत का बजट मानसून पर निर्भर है। यदि कहीं अच्छी वर्षा हो गई, तो वहां अच्छी पैदावार होगी। यदि वर्षा नहीं हुई, तो नदियों का जल जो छोटे तथा बड़े बांधों और जलाशयों में एकत्रित किया हुआ है, उनका डायवर्शन करके नदियों के माध्यम से खेतों की सिंचाई के काम आता है। जहां पर असिंचित क्षेत्र हैं उनका भी विकास हो सकेगा और अधिकाधिक वृक्षारोपण होगा और सच्चे मायने में हमारी भूमि "शस्य श्यामला" कहलाएगी और सुजलाम, यानी अच्छे जल वाली, सुफलाम यानी अच्छे फलों वाली भूमि कहलाएगी। भारत के बजट के लिए तो यही कहा गया है कि "भारत का बजट मानसून का जुआ है।"

उपाध्यक्ष महोदय, इन नदियों को राष्ट्रीय संपत्ति मानकर राष्ट्रीय जल प्राधिकरण के द्वारा निश्चित अनुपात में जल वितरण का काम होगा, तो देश में कहीं भी सूखा या बाढ़ की स्थिति पैदा नहीं होगी और समूचा देश प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं और वैको साहब को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने देश के व्यापक हित में प्रस्ताव रखने का काम किया जिसके कारण हमें इतने महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर प्राप्त हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री वरकला राधाकृष्णन बोलेंगे।

(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : महोदय, मैं बड़े धैर्यपूर्वक श्री वैको की बात सुन रहा था जो उन्होंने इस विधेयक के समर्थन में कहा है। लेकिन मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं सबसे पहले यह असंवैधानिक है। निसंदेह यह बेतुका है। यह पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। इन्हीं कारणों से, यद्यपि यह मेरे मित्र हैं, मैं उनका विरोध कर रहा हूं।

श्री वैको (शिवकाशी) : जब मैं बोला था मैंने उन्हें सम्मान दिया था। वह मेरे से असहमत हो सकते हैं। वह सभा के अध्यक्ष भी थे। वह एक वरिष्ठ सदस्य हैं। वह इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कैसे कर सकते हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन : कृपया मेरी बात सुनिए।

श्री वैको : मुझे उनकी प्रतिक्रिया करने के तरीके पर अचरज है। वह इस ओर ध्यान नहीं दे रहे थे अचानक आपने उन्हें बोलने के लिए कहा तो वह उठ खड़े हुए और वह कुछ भी बोलने लगे...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री वैको उन्होंने वास्तव में समय के लिए अनुरोध किया है।

श्री वैको : महोदय, वास्तव में उनका नजरिया अंतर्राष्ट्रीय है लेकिन यहां वे मार्क्सवादी के रूप में संकोच विचार वाले जाने जाते हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन : नहीं नहीं, मेरा संकीर्ण नजरिया नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : हम उनकी बात सुनें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपको इस सभा में व्यक्त की जा रही विभिन्न विचारधाराओं को भी सुनना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री वैको : मैं प्रतिक्रिया करूंगा... *(व्यवधान)* जब मैंने कावेरी जल पर अपना भाषण दिया था तो मैंने उसे राजनीतिक नहीं बनाया था।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राधाकृष्णन, केरल से चिरानुभवी वक्ता होने के कारण आपको ऐसे शब्दों का प्रयोग करने से बचना चाहिए।

श्री वरकला राधाकृष्णन : जी हां, मैं उसी बात पर आ रहा हूं।

डा० सी० कृष्णन (पोल्लाची) : महोदय, 'बेतुका' शब्द कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया जाना चाहिए।... *(व्यवधान)*

श्री वैको : वह अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं... *(व्यवधान)* जब लोग सभी भाषणों को पढ़ते हैं तो उन्हें विषय के बारे में अपना निर्णय लेना होगा। लेकिन यह कार्यवाही सारांश में सम्मिलित रहना चाहिए... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, श्री वैको, अब हमें उनकी बात सुनने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन : अब, सबसे पहले चीज भूमि, जल और वायु के बारे में है। ये तो मानव जीवन की आधारभूत आवश्यकताएं हैं। क्या कोई कहेगा कि भारत में सारी भूमि का राष्ट्रीयकरण किया जाए? मैं श्री वैको से यह साधारण प्रश्न पूछता हूं... *(व्यवधान)*

श्री वैको : जब सभी मार्क्सवादियों को यह चीज उपयुक्त लगती है वे राष्ट्रीयकरण के बारे में बालेंगे।... *(व्यवधान)* पश्चिम बंगाल में भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। वह उनकी नीति है। यह इन मार्क्सवादियों की ढोंगी नीति है।

श्री वरकला राधाकृष्णन : आपने मेरी बात सुनी है।

उपाध्यक्ष महोदय : चूंकि आप रुक गए थे। इसलिए वह बोल रहे हैं।

श्री वैको : मैंने अपनी बात समाप्त नहीं की है।... *(व्यवधान)* भारत में कोई भी पूरी भूमि के राष्ट्रीयकरण करने के लिए विधेयक पुर:स्थापित नहीं करेगा।... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री स्वाइं, अब आपको शांत रहना होगा।

श्री वरकला राधाकृष्णन : आपको मालूम होगा कि भारत में भिन्न-भिन्न प्रकार की भूमि है। कुछ बंजर है, कुछ उपजाऊ है और कुछ रेगिस्तान है। जमींदार सहित कोई भी आगे नहीं आएगा और कहेगा कि पूरी भूमि को राष्ट्रीयकृत किया जाए और इसे केन्द्र सरकार के अधीन लाया जाए।

श्री वैको : मैंने मर्चेंट ऑफ वेनिस में शायलॉक के बारे में पढ़ा है।... *(व्यवधान)* मुझे श्री राधाकृष्णन जैसे लोगों में वास्तविक शायलॉक दिखते हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन : मेरे मित्र श्री वैको, राष्ट्रीयकरण हेतु केन्द्र सरकार के अधीन तमिलनाडु की पूरी भूमि लाने संबंधी विधान नहीं लाएंगे। कोई भी ऐसा नहीं करेगा। इसीलिए हम यह भी नहीं कहेंगे कि जल का राष्ट्रीयकरण किया जाए। राष्ट्रीयकरण का अर्थ क्या है? भारत में कोई भी नदी निजी स्वामित्व के अधीन नहीं है।

श्री वैको : वे उस जल पर एकाधिकार करना चाहते हैं जो अरब सागर में बेकार जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री वैको, कृपया हमें उनकी बात सुनने दीजिए।

श्री वरकला राधाकृष्णन : वह नदियां राज्य के स्वामित्व के अधीन हैं वे निजी स्वामित्व में नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह अपनी बात कह रहे हैं। हमें उनकी बात सुननी चाहिए।

श्री वरकला राधाकृष्णन : इनका राष्ट्रीयकरण करने की आवश्यकता नहीं है यदि किसी के पास इनका निजी स्वामित्व होता तो मैं राष्ट्रीयकरण की बात को समझ सकता हूं लेकिन यहां नदियों पर किसी व्यक्ति का नहीं बल्कि राज्य का अधिकार है। तो उन चीजों के राष्ट्रीयकरण की बात क्यों उठाई जानी चाहिए? मैं उनकी भावनाओं को समझ सकता हूं।

श्री वैको : केरल के श्री राधाकृष्णन जैसे संकीर्ण व्यक्ति से बात करना।

श्री वरकला राधाकृष्णन : मुझे पता है कि कावेरी जल विवाद का निपटारा किया जा रहा है। मैं उसके मार्ग में बाधा नहीं खड़ी कर रहा हूं। लेकिन यह उचित तरीका नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : इस बात से बचना चाहिए क्योंकि उसमें व्यक्तिगत राय है कृपया इस बात को चर्चा में मत लाइए।

श्री वरकला राधाकृष्णन : महोदय, मैं भी कावेरी जल विवाद का उचित निपटारा चाहता हूं। मैं मुल्लापेरियार विवाद का सम्मानजनक और शीघ्र निपटारे का पक्षधर हूं।

श्री वैको : मुल्लापेरियार के संबंध में उनका क्या दृष्टिकोण है?

श्री वरकला राधाकृष्णन : उस प्रयोजनार्थ क्या योजना तैयार की गई है? समवर्ती सूची में जल को लाने के लिए संवैधानिक संशोधन करने की आवश्यकता है। पहले संवैधानिक संशोधन लाया जाए तभी आप इसके बारे में सोच सकते हैं। कहां कहा गया है कि भूमि समवर्ती सूची में है? लेकिन जल समवर्ती सूची में नहीं है।

श्री वैको : इसे समवर्ती सूची में सम्मिलित किया जाना चाहिए।

श्री वरकला राधाकृष्णन : जैसे कि उन्होंने समीक्षा समिति का गठन किया है और इस मामले को उन्हें प्रेषित किया गया है मैं उन्हें परामर्श दूंगा कि सही प्रक्रिया वही होगी कि समीक्षा समिति कहे कि जल का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए और इसे समवर्ती सूची के अधीन लाया जाए। चूंकि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार केन्द्र में सत्तारूढ है ऐसा करने से पहले ही वह कहने लगे कि पूरा जल केन्द्र सरकार के अधीन होना चाहिए। मैं श्री वैको को स्मरण कराना चाहूंगा कि परिवर्तन हो सकता है लेकिन वह इसे समवर्ती सूची में रखकर स्वयं को कठिनाई में पाएंगे।

श्री वैको : वह दिन जरूर आएगा जब नदियों का राष्ट्रीयकरण किया जाएगा।

श्री वरकला राधाकृष्णन : अब मैं एक साधारण प्रश्न पूछता हूं। यदि जल को समवर्ती सूची में रखा जाएगा तो देश में कई झीलें हैं जिनमें शुद्ध जल पाया जाता है तो क्या वे कहेंगे कि इसे भी केन्द्र सरकार के नियंत्रणाधीन लाया जाना चाहिए क्योंकि जल समवर्ती सूची में रखा जाएगा?

श्री वैको : इसीलिए मैंने नहीं कहा है कि इसे संघ सूची के अधीन लाया जाए। मैंने ध्यानपूर्वक कहा है कि इसे समवर्ती सूची के अधीन लाया जाना चाहिए।

श्री वरकला राधाकृष्णन : अब कोई नहीं कहेगा कि अमरीका की मिसीपी मिसोरी का राष्ट्रीयकरण किया जाए क्योंकि यह एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है। यहां भी कई बहुत बड़ी झीलें हैं। कोई नहीं कहेगा कि इन्हें केन्द्र सरकार के नियंत्रणाधीन लाया जाना चाहिए।

श्री वैको : अमरीका में मार्क्सवादियों की तरह संकीर्णता नहीं है।

श्री वरकला राधाकृष्णन : यह बेतुका और हास्यास्पद है। हम ऐसे विकास की कल्पना तक नहीं कर सकते।

श्री वैको : महोदय, मैं जानना चाहता हूं इस विधेयक पर इनकी प्रतिक्रिया क्या है? इससे इन लोगों विशेषकार केरल में मार्क्सवादियों की मानसिकता का पता चलेगा।

श्री वरकला राधाकृष्णन : मैं तो केवल जल विवाद के निपटारे के लिए कह रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री वैको, आपके जवाब देने के लिए उचित अवसर प्रदान किया जाएगा। आप सभी इन बातों को लिख लीजिए और अपने निष्कर्ष के समय इनका उपयुक्त जवाब दीजिए अभी हम उनके विचार और सुझाव सुनें।

श्री वैको : महोदय, चर्चा में अपेक्षित उत्सुकता सृजित करने दीजिए। जब वह जोरदार चर्चा करते हैं तो उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की जाएगी।

उपाध्यक्ष महोदय : उनकी विचारधारा निम्न प्रकार की हो सकती है कृपया सभा को उससे अवगत होने दीजिए।

श्री वरकला राधाकृष्णन : भारत में कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण झीलें हैं। लोग तीर्थ करने जाते हैं। क्या कोई व्यक्ति चाहेगा कि यदि जल को समवर्ती सूची में रखा जाता है तो उन झीलों के जल को केन्द्र सरकार के नियंत्रणाधीन लाया जाए? यह कितना अव्यवहारिक है? जल को समवर्ती सूची में लाए बिना इसका राष्ट्रीयकरण किस प्रकार किया जा सकता है? यदि आप जल को समवर्ती सूची के अधीन लाते हैं तो झील का जल भी केन्द्र सरकार के अधीन जाना चाहिए। क्या वह उससे सहमत होंगे?

श्री वैको : समवर्ती सूची का अर्थ है कि राज्य और केन्द्र दोनों की भूमिका होगी। आपने संविधान का किस प्रकार अध्ययन किया है?

श्री वरकला राधाकृष्णन : मैं आपको एक और बात बताता हूं।

मैं आपको सामान्य तथ्य बताऊंगा। केरल में जल से पनविद्युत बनाई जाती है। क्या केन्द्र सरकार जल का राष्ट्रीयकरण करके सभी पनविद्युत परियोजनाओं को अधिपत्य में लेने को सरकार होगी? यह कितना अव्यवहारिक है। क्या केन्द्र सरकार यह कहने को तैयार होगी कि वह केरल में सभी पनविद्युत परियोजनाओं को हाथ में लेगी? श्री वैको के अनुसार यदि सभी नदियों को राष्ट्रीयकरण किया जाता है तो सभी पनविद्युत परियोजनाओं को केन्द्र सरकार के अधीन जाना होगा। वे क्या करेंगे? यह कितना अव्यवहारिक है।... *(व्यवधान)*

श्री वैको : उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने मेरी बात को समझा नहीं है। मैं तो केवल अंतर्राज्यीय नदियों को राष्ट्रीयकृत करने के लिए कह रहा हूं... *(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन : महोदय, आपको मुझे संरक्षण देना चाहिए। जब यह बोल रहे थे तो मैं बिल्कुल चुप था।... *(व्यवधान)*

श्री वैको : आप गहरी निद्रा में थे। अचानक आप जग गए और बोलना शुरू कर दिया... *(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन : महोदय, यह मेरे हर शब्द पर हस्तक्षेप कर रहे हैं... *(व्यवधान)*

श्री वैको : ठीक है, आप जारी रखिए।

श्री वरकला राधाकृष्णन : मैं आपको आपने विधान के जटिलताओं के बारे में बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि यह कितना अव्यवहारिक है। आपके विधान में भारत जैसा देश नहीं हो सकता... *(व्यवधान)*

श्री वैको : आप दिल्ली में सत्ता में नहीं आने जा रहे हैं। वह कभी भी नहीं होगा... *(व्यवधान)*

श्री ए०सी० जोस (त्रिचूर) : श्री वैको, आप सामनान्तर भाषान्तरण क्यों कर रहे हैं? उन्हें पूरा करने दीजिए... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यदि व्यवधान न किया जाए तो अच्छा होगा।

श्री वरकला राधाकृष्णन : महोदय, इतने व्यवधान होने पर मैं किस प्रकार बोल सकता हूं?...*(व्यवधान)*

श्री वैको : आपने ही मुसीबत को न्यौता दिया है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री वरकला राधाकृष्णन, बिना किसी व्यवधान के, आप और कितना समय चाहते हैं?

श्री वरकला राधाकृष्णन : मैं पांच या दस मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको केवल पांच मिनट और मिलेंगे।

श्री वैको : महोदय, इन्हें पूरा समय दीजिए। मुझे इन्हें जवाब देना है।

श्री वरकला राधाकृष्णन : यहां उपस्थित सज्जनों के समक्ष मैं एक समस्या रखना चाहूंगा। 'गंगा' को भारत की मां के रूप में देखा जाता है। यह सभी हिन्दुओं का तीर्थ-स्थल है और हम वहां अपने धार्मिक कार्य भी करते हैं। भारत के सभी भगवान पवित्र हैं। यदि गंगा का राष्ट्रीयकरण किया जाता है तो क्या होगा? आप भाजपा के लोग, बिना कुछ जाने, इसका समर्थन कर रहे हैं। यदि इस नदी का राष्ट्रीयकरण किया गया तो इसके क्या परिणाम होंगे? आपका हिन्दुत्व और आपकी भावनाओं का क्या होगा?

[हिन्दी]

प्रो० रासासिंह रावत : यहां सिंचाई के लिए पानी की बात हो रही है और ये पता नहीं बात को लेकर कहां से कहां पहुंच गए। ये कहीं की बात को कहीं और ले जा रहे हैं, मिसइंटरप्रेट कर रहे हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री वरकला राधाकृष्णन, कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें। हमारे लिए कोई समस्या खड़ी ना करें।

श्री वरकला राधाकृष्णन : अब, मैं बड़ा ही साधारण सा प्रश्न पूछता हूं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपको अध्यक्षपीठ को संबोधित करना है। मेरे लिए कोई समस्या खड़ी नहीं करें।

श्री वरकला राधाकृष्णन : इलाहाबाद में, जहां गंगा और यमुना का संगम होता है, वहां लाखों लोग जाते हैं और स्नान करते हैं। कुंभ के मेले में वे इसकी शोभा बढ़ाते हैं। यदि इस नदी का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है, तो इसके परिणाम क्या होंगे? स्थिति पूरी तरह अलग है...*(व्यवधान)* संविधान के अनुसार न तो आप अपने धार्मिक अनुष्ठानों का दावा ही कर सकते हैं और न ही आप उन्हें कर ही सकते हैं। इन जटिलताओं को जाने बिना ही आप उनका समर्थन कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री वरकला राधाकृष्णन कृपया अध्यक्षपीठ को ही संबोधित करें। आप अपने और मेरे लिए समस्याएं खड़ी कर रहे हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन : अब, बनारस को ही ले लीजिए, इसे बड़ा ही पवित्र स्थान समझा जाता है। संपूर्ण भारत से लोग, यहां आकर अनुष्ठान इत्यादि करते हैं। इस विधान के अनुसार यदि इसका राष्ट्रीयकरण किया जाएगा तो इसके क्या परिणाम होंगे? कृपया सोचिए। क्या आप गंगा का, या यमुना का राष्ट्रीयकरण कर सकते हैं? मैं केवल यह प्रश्न...*(व्यवधान)*

प्रो० रासासिंह रावत : महोदय, क्या ये उदारीकरण और निजीकरण की बात कर रहे हैं?...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो. रासासिंह रावत, आप अलग-अलग विचारों को सुनिए।

श्री वरकला राधाकृष्णन : यह निष्पक्ष है। यमुना जैसी है, उसे वैसी ही रहने दिया जाना चाहिए। यह राष्ट्रीयकृत संपदा नहीं बन सकती है। यमुना, राष्ट्रीयकृत संपदा नहीं हो सकती है। क्या आप इस 'मां' का भी राष्ट्रीयकरण चाहते हैं।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी (गढ़वाल) : तो क्या इसे निजी संपत्ति होना चाहिए?

श्री वरकला राधाकृष्णन : यह निजी संपत्ति नहीं है। ये आपसे कह रहे हैं कि इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। दक्षिण से डी. एम.डी.के. के लोग आपसे मिलकर यह कह रहे हैं कि यमुना का राष्ट्रीयकरण किया जाए। आपने बिना जानकारी के अपने हाथ इनके समर्थन में उठा दिए, इससे आप अपने लिए समस्याएं खड़ी कर रहे हैं। मैं कहना चाह रहा था कि...*(व्यवधान)*

श्री विक्रम केशरी देव (कालाहांडी) : यह राष्ट्रीय एकता के लिए है।

श्री वरकला राधाकृष्णन : पर क्या आप राष्ट्रीयकरण का अर्थ जानते हैं? इसका अर्थ है, कि यह भारत सरकार की संपत्ति हो जाएगी...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राधाकृष्णन, मेरे ख्याल से अब आप अपना भाषण समाप्त कर दें। मेरे ख्याल से आपका समय पूरा हो गया है।...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन : मैं विनम्रता के साथ कह रहा हूं कि यह निष्पक्ष है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमें नदी के विवाद का हल निकालना होगा और हमें इसके लिए एक प्रभावी कार्यतंत्र की खोज भी करनी होगी। इसकी हमें बहुत जरूरत है। मगर काम करने का यह कोई तरीका नहीं है। समान रूप से लागू होने वाले विधानों को पारित करने से भारत को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हम नदी विवाद की समस्या का समाधान नहीं कर सकते। इसके लिए, एक प्रभावी मशीनरी की ही जरूरत है और इसके लिए मैं आपका समर्थन करूंगा। कावेरी भी पवित्र नदी है, क्या तमिलनाडु के लोग कावेरी के राष्ट्रीयकरण पर सहमत होंगे?...*(व्यवधान)*

श्री ई०एम० सुदर्शन नाच्चीयप्पन (शिवगंगा) : क्या आप भारत का विकास नहीं चाहते?

श्री चरकला राधाकृष्णन : ऐसा नहीं है और फिर यह निजी संपत्ति भी नहीं है। यह जन-संपत्ति है और इसके राष्ट्रीयकरण का सवाल ही पैदा नहीं होता है। संविधान के उपबंधों में संशोधन करने की आवश्यकता भी है। आप एक संविधान संशोधन प्रस्तुत करें। क्या आप तैयार हैं? क्या आप पाड़ी को समवर्ती सूची में लाने के लिए तैयार हैं?... *(व्यवधान)*

श्री वैको : इसके लिए सभी तैयार हैं।

श्री चरकला राधाकृष्णन : यदि ऐसा है तो आपको समीक्षा आयोग से मिलना चाहिए और हमें इसके तरीकों के सुझाव के लिए भी कहना चाहिए। यही ढंग भी है। आपको उन्हें कहना ही होगा। आप संवैधानिक समीक्षा के लिए हैं और आपने एक आयोग का गठन भी किया है। यदि ऐसा ही कोई विचार आपके पास है तो आपको उन्हें कहना होगा कि यह प्रस्ताव भी लाया जाए। हम रिपोर्ट के ही साथ उस पर भी चर्चा करेंगे। किंतु बिना संविधान में संशोधन करे आप यह विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत कैसे करेंगे?

राष्ट्रीयकरण की ही तरह, नदी के पानी को निजी संपत्ति मानते हुए, क्या आप राज्य की जन-संपत्ति को भी राष्ट्रीयकृत करना चाहते हैं? मगर किसलिए? क्या इससे समस्या का हल हो जाएगा? मेरे ख्याल नहीं होगा। इसलिए मेरा इनसे केवल यही निवेदन है कि इस विधेयक वापिस ले लिया जाए। मेरे मित्र, मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि आप इस विधेयक को लाए ही कैसे? मुझे तो कई बार यह भ्रम ही होता है कि मेरे सामने क्या चेन्नई से यही श्री वैको हैं। मैं तो यही समझता था कि ये प्रतिभा संपन्न व्यक्ति हैं मगर इन लोगों के साथ रहकर तो यह अपनी सूझ-बूझ भी खो चुके हैं। वह पहले से भी नहीं रहे हैं। इसीलिए इन्होंने ऐसा विधेयक सभा में प्रस्तुत करने का साहस किया। वह आपसे कह रहे हैं कि यमुना, पिन्नार, ब्रह्मपुत्र और प्राचीन वेदों की सभी नदियों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। क्या आप इन सभी के राष्ट्रीयकरण की बात कह रहे हैं? बिना इसका अर्थ जाने आप, इनका समर्थन नहीं करें। वरना ये आपके साथ ही होते। इस उद्देश्य के लिए आपको इस सीमा तक जाने की आवश्यकता नहीं है। श्री वैको, अपनी राजनैतिक सुविधा के कारण ही आपके साथ रहेंगे। इसके लिए आपके इतना नीचे आने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं अपने माननीय मित्र से यह अनुरोध करता हूं कि वह इस विधेयक को वापिस ले लें अन्यथा इससे नुकसान ही होगा। मुझे पक्का यकीन है कि अन्ना आपको माफ नहीं करेंगे। यह विधेयक सभा में लाने के लिए स्वर्गीय अन्ना आपको कभी भी माफ नहीं करेंगे। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि यह विधेयक वापिस ले लें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री सिमरनजीत सिंह मान (संगरूर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं क्योंकि कानूनी रूप से यह लचर है। नदियों के पानी पर अंतर्राष्ट्रीय रूप से तटीय-कानून लागू होते हैं और केवल उन्हीं राज्यों का इनके पानी पर अधिकार होता है जहां-जहां से ये नदियां बहती हैं। जहां से ये नदियां नहीं जाती हैं, उन राज्यों को यह अधिकार नहीं है कि वे तटीय राज्यों से पानी ले सकें। यही सिद्धांत है और यदि इसमें कोई संदेह है तो हम स्थाई समिति में जा सकते हैं क्योंकि तटीय कानून संबंधित कानून अमेरिका, कनाडा और आस्ट्रेलिया के कानूनों से उद्धृत किए गए हैं। अमेरिका के उच्चतम न्यायालय के अनुसार गैर तटीय राज्यों का तटीय राज्यों से बहने वाली नदियों के पानी पर कोई अधिकार नहीं है। यही कानून है।

चर्चा के दौरान मैं अब यह समझ चुका हूं कि एन.डी.ए. अंतरण के पक्ष में है। मुझे नहीं पता कि सत्ता-पक्ष नदियों के राष्ट्रीयकरण पर जोर क्यों दे रहा है। संविधान के अनुच्छेद 246 के अनुसार नदियों का जल, राज्य सूची का विषय है और मुझे विश्वास है कि केन्द्र का तटीय-जल, तटीय-राज्यों पर कोई अधिकार नहीं है। इसी कारण से एन.डी.ए. पानी का भी राष्ट्रीयकरण करना चाहती है।

इस बारे में, मैं यह कहना चाहता हूं कि एन.डी.ए. के अनुसार, वह इन पर से नियंत्रण हटाना चाहती है, अंतरण लाना चाहती है किंतु अंतरण है कहां, जबकि वे पानी का राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं, नया टाडा विधेयक प्रस्तुत करते हैं, संघीय कानून प्रवर्तन अभिकरण प्रस्तुत करते हैं। निर्वाचन आयुक्त कहते हैं कि राज्यपालों को राज्यों में चुनाव करवाने चाहिए? ये सभी निशानियां हैं, केन्द्र को अत्यंत शक्तिशाली बनाने की और हम इससे स्वयं को अलग करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : हम एक गैर-सरकारी सदस्य के विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं। यह सरकार ने प्रस्तुत नहीं किया है। श्री वैको द्वारा प्रस्तुत यह विधेयक, गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक है और उसी पर चर्चा की जा रही है।

श्री सिमरनजीत सिंह मान : मैं जानता हूं। मैं खास मुद्दे पर बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि मैं, श्री वैको द्वारा प्रस्तुत इस विधेयक से स्वयं को अलग करता हूं। मैं यह अच्छी तरह समझ चुका हूं।

अब, बात यह है कि यदि सत्ता पक्ष ऐसे विधान प्रस्तुत करना चाहता है तो उसे अपना घोषणा-पत्र भूल जाना चाहिए जो विकेन्द्रीकरण, अंतरण तथा अधिक संघवाद की बात करता है। एक ओर, कश्मीर विधानसभा अधिक शक्तियों व 1953 से पहले की स्थिति में जाने की बात कर रही है जिसमें उनका एक अलग झंडा, अलग संविधान और अलग सरकार हो। अर्थात् अनुच्छेद 356 का वहां लागू न होना। यही सब कुछ अब प्रधानता प्राप्त कर रहा है और मैं चाहता हूं कि यह विधेयक कभी भी प्रस्तुत नहीं किया जाए क्योंकि हमारा राज्य जी-जान से इसका विरोध करेगा।

राष्ट्रभक्ति को जल के राष्ट्रीयकरण की नीति के साथ मिलाया जा रहा है। मैं नहीं सोचता कि जल के राष्ट्रीयकरण की नीति का विरोध करने वाला व्यक्ति, विधेयक के समर्थन में खड़े सदस्यों से किसी भी प्रकार कम राष्ट्रभक्त है। इसलिए मेरा मत यह है कि हम इस विधेयक का समर्थन नहीं करेंगे और हम इसका विरोध करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : इस विधेयक के लिए हमने दो घंटे का समय दिया था और वह पूरा हो गया है। क्या सभा इस विधेयक पर चर्चा जारी रखना चाहती है?

अनेक माननीय सदस्य : जी हां, महोदय।

उपाध्यक्ष महोदय : तो इस विधेयक के समय को एक घंटे तक और बढ़ाया जाता है।

[हिन्दी]

डा० सुशील कुमार इन्दौरा (सिरसा) : उपाध्यक्ष महोदय, वेदों में लिखा है, जल की महत्ता क्या है। जल जीवन है। जल को सीमाओं से बांधकर नहीं रखा जा सकता है। जिस तरह से रिश्तों और भावनाओं को सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता है, उसी तरह जल को भी सीमाओं में बांधकर नहीं रखा जा सकता है। हमारे देश की भौगोलिक स्थिति इस तरह की है कि वर्षा कहीं होती है, जल का स्रोत कहीं होता है, जल पहुंच कहीं जाता है, जल की जरूरत कहीं होती है और उसकी अधिकता कहीं होती है। माननीय सदस्य, श्री वैको, ने जल विवाद की राष्ट्रीय समस्या पर सदन में चर्चा कराने का काम किया है, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं।

हमारा देश कृषि प्रधान देश है और जल की महत्ता को आप अच्छी तरह से जानते हैं। वास्तव में देखा जाए, अगर जल की अधिकता हो जाती है, तो बाढ़ आ जाती है और बरसात न हो, तो सूखा पड़ जाता है। पिछले दिनों राजस्थान और गुजरात में हम इस पीड़ा को भोग चुके हैं। बाढ़ की स्थिति में हमारे देश के सामने खतरा मंडरा रहा है कि बाढ़ जान-व-माल की हानि का कारण बन सकता है। यह सब इसलिए हो रहा है, क्योंकि हमारे देश में कोई राष्ट्रीय जलनीति नहीं है। श्री वैको जी ने अंतर्राज्यीय नदियों के राष्ट्रीयकरण की बात कही है और कावेरी जल-विवाद मुद्दे की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया है। इसी तरह आज हरियाणा और पंजाब राज्यों के बीच में बहुत लंबे समय से जल-विवाद चल रहा है। हरियाणा जब पंजाब से अलग हुआ और जो पानी हरियाणा के हिस्से में आया, उसका अवलोकन किया जाना चाहिए। मैं यह कहूंगा, पंजाब की धरती पर जल स्रोत है, लेकिन हरियाणा भी पंजाब का हिस्सा रहा है, तो उस जल पर हरियाणा की हिस्सेदारी बनती है। इस समस्या को सुलझाने के लिए एराडी ट्रिब्युनल बनाया गया था, उस ट्रिब्युनल ने अपनी रिपोर्ट दी और उसी के तहत एसवाईएल कैनाल का निर्माण कराया गया। यह मुद्दा उलझ गया और एसवाईएल कैनाल का कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। पिछले कई सालों से हरियाणा का एसवाईएल कैनाल का हिस्सा पूरा हो चुका है और उस पर 63,943 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। उसके बावजूद भी हरियाणा प्रदेश का रेगिस्तानी इलाका, रेतीला इलाका, महेन्द्रगढ़ का इलाका हरा-भरा नहीं हो पाया है। एसवाईएल कैनाल अधूरी निर्मित होने के कारण ये इलाके रेतीले पड़े हुए हैं। जिस उद्देश्य से एसवाईएल कैनाल का निर्माण किया गया था, वह पूरा नहीं हो पा रहा है। स्थिति यह है कि 95 प्रतिशत कार्य एसवाईएल का पूरा हो चुका है। इस पर भारत सरकार का पैसा भी बहुत खर्च हो चुका है। पिछले दिनों जब माननीय चन्द्रशेखर जी देश के प्रधानमंत्री थे तब जो पंजाब के हिस्से की बात थी, उसका कार्य पूरा करने के लिए संपर्क नहर का सड़क सीमा संगठन को पूरा करने का काम दिया गया था, लेकिन वह आज तक अधूरा पड़ा है। इसका कारण यह है कि हमारे देश की राष्ट्रीय जल नीति नहीं है, कोई नेशनलाइजेशन इस बात पर नहीं हो पाया है।

महोदय, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर हमारी राष्ट्रीय नीति होती, नदियों का राष्ट्रीयकरण किया जाता तो जो हमारी प्राकृतिक आपदाएं हैं—जैसे कहीं सूखा आ जाता है और कहीं बाढ़ आ जाती है तो सरकार उन समस्याओं को सुलझा सकती थी। सरकार उन पर अच्छी तरह से व्यवस्था कर सकती थी कि कहां हमें कितना पानी जरूरत के हिसाब से भेजना चाहिए। आज न केवल हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के इलाकों में, बल्कि पूरे देश में बिजली का संकट है। अगर पूरे देश की एक नीति होती तो बिजली की क्षमता बढ़ाई जा सकती थी।... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप कंक्लुड कीजिए।

डा० सुशील कुमार इन्दौरा : महोदय, यह हमारे प्रदेश से जुड़ा हुआ काफी महत्वपूर्ण मुद्दा है।... *(व्यवधान)* प्राकृतिक आपदाओं से छुटकारा मिल सकता है, बिजली की जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। महोदय, यह कैसी विडंबना है कि बाढ़ की वजह से हमारे जान-माल की हानि होती है और सूखे की वजह से भी जान-माल की हानि होती है।... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप इस बिल का समर्थन कर रहे हैं न।

डा० सुशील कुमार इन्दौरा : जी हां, मैं इस बिल के समर्थन में बोल रहा हूं। मैं जो बोल रहा हूं वह ज्यादातर समर्थन में ही है, लेकिन कुछ बातें कहना चाहता हूं जिनमें संशोधन किया जा सकता है, उसके लिए सुझाव दिया जा सकता है। जैसे रासा सिंह रावत जी ने कहा कि हरियाणा दिल्ली का पानी ले लेता है, उसे देता नहीं है।... *(व्यवधान)* मैं आपको बताना चाहता हूं... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपको बताने की जरूरत नहीं है, यह मंत्री जी बताएंगे।

डा० सुशील कुमार इन्दौरा : महोदय, हमारे प्रदेश की बात है। अगर दिल्ली के लोग यमुना की गाद को, जो 38-40 किलो मीटर का एरिया है उसे ही निकाल लें तो मैं समझता हूं कि हरियाणा से पानी मांगने की जरूरत नहीं। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे सतलुज यमुना लिंक के अधूरे पड़े रहने की वजह से तकरीबन 500 करोड़ रुपए से अधिक की कृषि की पैदावार प्रभावित हो रही है। अगर राष्ट्रीय जल नीति हो तो इस कठिनाई को दूर किया जा सकता है। इराड़ी ट्रिब्यूनल ने अपनी रिकोमेंडेशन दी। हम इस बात के पक्षधर हैं कि हरियाणा और पंजाब के जल विवाद को सुलझाने के लिए अगर सही मायनों में इराड़ी ट्रिब्यूनल लागू हो जाए तो सबको फायदा होगा, क्योंकि पानी की अधिकता के कारण आज पंजाब के किसानों को दिक्कत आ रही है, पानी जमीन से ऊपर आ रहा है। एस.वाई.एल. के न बनने से ज्यादातर पानी पाकिस्तान को जा रहा है। हमारे देश के किसान इस बात से प्रभावित हो रहे हैं, खासकर हमारे हरियाणा के किसानों को एस.वाई.एल. के पूरा होने से फायदा हो सकता है।... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप सिद्धांत पर बात कीजिए, इससे इस बात का कोई संबंध नहीं है।

डा० सुशील कुमार इन्दौरा : माननीय वैको जी जो यह विधेयक लाए हैं मैं उसके लिए इनको धन्यवाद देता हूं और इसका समर्थन करता हूं लेकिन साथ ही कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं। राष्ट्रीय जल नीति जो बनाई जाए उसमें राज्य सरकारों से सलाह-मशविरा करके इस तरह का कोई प्रावधान होना चाहिए ताकि इन विवादों को सुलझाया जा सके। ऐसा नहीं होगा तो सारा जल राष्ट्र के पास चला जाएगा और कोई भी प्रांत एक बूंद पानी भी नहीं ले सकेगा। इसलिए ऐसा होना चाहिए कि जो भी कठिनाइयां राज्यों को आती हों, उन कठिनाइयों को दूर किया जा सके। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान्य होता है उसी तरह का निर्णय करने का अधिकार ट्रिब्यूनल के पास हो जिससे देश में एक राष्ट्रीय जल नीति बन सके और जल विवादों को सुलझाया जा सके। माननीय वैको जी ने इस विधेयक को लाकर राष्ट्रीय अखंडता की ओर जो कदम बढ़ाया है, मैं उसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्री ए०सी० जोस (त्रिचूर) : मैं इस विधेयक की अवधारणा से पूर्णतया सहमत हूं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्रयोग होने वाला शब्द 'नदियों का राष्ट्रीयकरण' सही शब्द नहीं है क्योंकि सभी नदियां जन-संपत्ति हैं। अंतर्राज्यीय नदियों के राष्ट्रीयकरण की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं अपने मित्र श्री वरकला राधाकृष्णन से सहमत नहीं हूं कि इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता है। इसके लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता नहीं है। दरअसल मुझे यह कहते हुए गर्व होता है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान निर्माण के समय ऐसी चर्चा का ध्यान रखा होगा। हमारे संविधान की संघ-सूची की सातवीं अनुसूची की 56वें मद के अनुसार :

> "उसी सीमा तक अंतर्राज्यिक नदियों और नदी दूनों का विनियमन और विकास जिस तक संघ के नियंत्रण के अधीन ऐसे विनियमन और विकास को संसद, विधि द्वारा, लोकहित में समीचीन घोषित करे।"

अत: इस माननीय सभा को अंतर्राज्यीय नदियों के विकास एवं नियंत्रण करने का प्राधिकार एवं शक्ति है। इसलिए मैं अपने मित्र श्री वैको, जो कि इस महत्वपूर्ण मामले को सभा के ध्यान में लाए हैं, को बताना चाहूंगा कि श्री वरकला राधाकृष्णन का प्रिय शब्द 'राष्ट्रीयकरण' उनके लिए थोड़ा कठिन हो गया है। इसलिए, मैं श्री वैको और सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस शब्द 'राष्ट्रीयकरण' में उपयुक्त संशोधन करने पर विचार करें। मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं इस विधेयक की अवधारणा और उद्देश्य से मैं पूर्णतया सहमत हूं।

श्री वरकला राधाकृष्णन : महोदय, कृपया मुझे बिना व्यवधान बोलने दें... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जोस, क्या आप इनसे सहमत हैं?

(व्यवधान)

श्री ए०सी० जोस : महोदय, ये वरिष्ठ... *(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन : मैं जानता हूं कि प्रावधान हैं और मैं पढ़ भी चुका हूं। यहां प्रश्न अंतर्राज्यिक नदियों के स्वामित्व से संबंधित है। जो कुछ भी श्री जोस कह रहे हैं वह नदियों के विनियमन से संबंधित है।... *(व्यवधान)*

श्री ए०सी० जोस : राधाकृष्णन जी, आप इसे बहुत अधिक खींच रहे हैं।... *(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन : संसद ने अंतर्राज्यिक नदी विवाद अधिनियम पारित किया है और संसद द्वारा बनाए गए अधिनियम के फलस्वरूप एक न्यायाधिकरण है।

जैसा कि श्री ए.सी. जोस ने बताया है, मद 56 का संबंध अंतर्राज्यिक नदियों के विनियमन से संबंधित है। परंतु यहां स्वामित्व संबंधी प्रस्ताव है। यहां राष्ट्रीयता का अभिप्राय यह है कि अंतर्राज्यिक नदियों का स्वामित्व केन्द्र सरकार के पास होना चाहिए। यही उद्देश्य है। मैं विनियमन के विरोध में नहीं हूं।... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप राष्ट्रीयकरण के विरुद्ध हैं?

(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन : यही अंतर है।

श्री ए०टी जोस : सूची II जो कि राज्य सूची है, की प्रविष्टि 17 के अनुसार :

> "सूची I की प्रविष्टि 56 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जल, अर्थात् जल प्रदाय, सिंचाई और नहरें, जल निकास और तटबंध, जल भंडाकरण और जल शक्ति।"

इसलिए, महोदय जल प्रबंधन, अर्थात् जल प्रदाय, सिंचाई और नहरें, जल निकास और तटबंध, जल भंडाकरण और जल शक्ति भी सूची I की प्रविष्टि 56 के उपबंधों के अधीन है। सूची I की प्रविष्टि 56 इस सभा को "अंतर्राज्यिक नदियों का विनियमन और विकास" की शक्ति प्रदान करती है।

मेरे विद्वान् मित्र श्री राधाकृष्णन जी ने उल्लापेरियार नदी के बारे में कहा, जो कि केरल के लिए जीवनदायी है। जब श्री वैको ने कहा कि पंपा नदी के जल को तमिलनाडु की ओर मोड़ा जाना होगा, उस समय मैं यहां मौजूद नहीं था। मेरे विचार से, हमें इस बेतुके हद तक नहीं जाना चाहिए क्योंकि यह संभव नहीं है।

अंतर्राज्यिक नदियों के बारे में ऐसी धारणा है कि हमारा देश जल संसाधन की मुक्तहस्तता की सुख-समृद्धि से संपन्न है। परंतु प्रतिदिन हम अखबारों में, असम में आई विनाशकारी बाढ़ के बारे में और उसी समय गुजरात में पड़े सुखाड़ के बारे में पढ़ते हैं। फिर, दो सप्ताह के बाद हम सुनते हैं कि गुजरात में बाढ़ आ गई है। मैं विद्वान् मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि सबसे महत्वपूर्ण बात एक व्यापक जल प्रबंधन नीति को लाया जाना है। श्री रावत ने बहुत उचित बात की ओर ध्यान दिलाया है। हमारे पास कई बोर्ड एवं प्राधिकरण हैं, परंतु जल जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण चीज, जो कि मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकता है, मेरे विद्वान् मित्र ने कहा है कि हमारे पास कोई जल बोर्ड अथवा प्राधिकरण नहीं है।

वैज्ञानिक तौर पर, यह कहा जाता है कि प्रकृति द्वारा हमें दिए गए जल का केवल एक प्रतिशत ही भारत में उपयोग किया जा रहा है, और 99 प्रतिशत जल विभिन्न सागरों में जा रहा है। इसके लिए हम पर आरोप लगेगा। जबकि प्रकृति ने हमें मुक्तहस्त रूप से जल प्रदान किया है परंतु आज तक हमने इसका उपयोग नहीं किया है।

कुछ समय पहले, माननीय प्रधान मंत्री जी इस सभा में कहते हुए आए कि गुजरात में सुखाड़ की स्थिति बहुत ही भयंकर है, और हम सभी कोष में योगदान करें। उसी सम, असम में भी बाढ़ की स्थिति भी समान रूप से विनाशकारी एवं भयंकर है। हमने ब्रह्मपुत्र नदी को देखा है; यह जंगली हाथी की तरह बहती है; हम इसे दुर्बल नहीं कर सके; और हम इसे वश में नहीं कर सके जिसके कारण इसका सारा जल समुद्र में गिर रहा है।

किसी ने भूमिगत जल के पूरी तरह सूख जाने का उल्लेख किया। यह सही है क्योंकि जिस तरह से हम अभी भू-जल का उपयोग कर रहे हैं, दस वर्ष के बाद हमें भू-जल उपलब्ध नहीं होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि भूमिगत जल स्तर में वृद्धि करने के लिए वृष्टि जल की प्राप्ति में सफल नहीं रहे हैं।

हाल में, मैं समिति की बैठक के लिए राजस्थान में था। अभी, राजस्थान में तेजी है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि सब कुछ ठीक है। परंतु इंदिरा गांधी नहर को आंशिक रूप से पूरा किए जाने के बाद वहां हरियाली आई है। वहां खेती हो रही है, और कृषक अपना उचित पारिश्रमिक भी प्राप्त कर रहे हैं। हमारे लिए यह एक जीवंत उदाहरण है।

अत:, सरकार से मेरा निवेदन है कि श्री वैको, जिन्होंने इस विधेयक को प्रस्तुत किया है, द्वारा यह स्वर्णिम अवसर प्रदान किया गया है, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतैक्य तैयार करना और एक कानून बनाना कठिन होगा। अब, आपके पास संविधान की सूची I की प्रविष्टि 56 और सूची II की प्रविष्टि 17 का उपयोग करने का एक अवसर है।

श्री राधाकृष्णन को 'राष्ट्रीयकरण' शब्द के संदर्भ में स्वाभाविक कठिनाई हुई है। इसीलिए मैं बार-बार कह रहा हूं कि मैं इस चीज की संकल्पना को स्वीकार करता हूं।

सायं 6.00 बजे

प्रतिदन हम कावेरी जल-विवाद के बारे में सुनते हैं। परंतु व्यर्थ जल के संबंध में क्या हो रहा है?

उपाध्यक्ष महोदय : जोस जी, क्या आप जारी रहना चाहेंगे?

श्री ए०सी० जोस : जी हां, महोदय। यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है।

उपाध्यक्ष महोदय : इस विषय पर और दो या तीन वक्ताओं को बोलना है। आप इस पर फिर जारी रख सकते हैं जब इसे लिया जाता है।

अब सभा, सोमवार, 31 जुलाई, 2000 को पूर्वाह्न 11.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.01 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, दिनांक 31 जुलाई, 2000/ 9 श्रावण, 1922 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

© 2000 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित
और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।